दशम् माला, खंड 40, अंक 24

सोमवार, 8 मई, 1995
18 बैशाख, 1917 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

तेरहवां सत्र
( दसवीं लोक सभा )

(खंड 40 में अंक 21 से 30 तक हैं )

*लोक सभा सचिवालय*
*नई दिल्ली*

मूल्य : पचास रूपये

8 मई,1995 के लोक सभा वाद-विवाद
(हिन्दी संस्करण) का शुद्धि पत्र

| कालम | पंक्ति | के स्थान पर | पढिए |
|---|---|---|---|
| 5 | 10 | (श्री तरूण गोगोई) | (श्री तरूण गगोई) |
| 21 | नीचे से 12 | डा॰ कार्तिकेय पात्रा | डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र |
| 22 | 11 | डा॰ कार्तिकेश्वर पात्रा | डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र |
| 61 | नीचे से 4 | डा॰ बसत पवार | डा॰ वसंत पवार |
| 62 | 11 | डा॰ लाल बहादुर रावत | डा॰ लाल बहादुर राव |
| 71 | 14 | 4770 | 4778 |
| 74 | नीचे से 3 | आरंभ में "4784" पढिए । | |
| 97 | प्रश्न सं॰ 4807 का शीर्षक "इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड (हैदराबाद) को अधिग्रहण बनाना" पढिए । | | |
| 101 | 15 | श्री प्रेम चन्द राव | श्री प्रेम चन्द राय |
| 141 | 14 | 4883 | 4843 |
| 175 | नीचे से 18 वीं पंक्ति के आरंभ में (घ) जोडिए । | | |
| 215 | नीचे से 15 | (ग) और (व) | (ग) और (घ) |
| 257 | 10 | श्री बोलला बुल्ली रामय्या | श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या |
| 259 | नीचे से 2 | विदेश राज्य मंत्री | विदेश मंत्रालय में राज्यमंत्री |
| 275 | 10 | श्री आर अन्वारासु | श्री आर॰ अन्बारासु |
| 300 | नीचे से 2 | श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर | श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्ति |
| 302 | नीचे से 13 और 14 | शामिल कीजिए | शामिल करने |
| 303 | 13 | 451 पुलों | पुलों |
| 346 | 20 | पीठासनी | पीठासीन |

ध्यातव्य : (क) प्रत्येक स्थान पर "विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री" के स्थान पर "विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री" पढिए ।

(ख) प्रत्येक स्थान पर "शहरी कार्य और रोजगारमंत्रालय के राज्य मंत्री" के स्थान पर "शहरी कार्य और रोजगारमंत्रालय में राज्य मंत्री" पढिए ।

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

# विषय-सूची

दशम माला, खण्ड 40, तेरहवां सत्र, 1995/1917 (शक)
अंक 24, 8 मई, 1995/18 वैशाख, 1917 (शक)


| विषय | कालम |
|---|---|
| **प्रश्नों के मौखिक उत्तर :** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 462, 463, 465, 466 और 469 | 1-24 |
| **प्रश्नों के लिखित उत्तर :** | |
| *तारांकित प्रश्न संख्या 461, 464, 467, 468 और 470-480 | 25-57 |
| अतारांकित प्रश्न संख्या 4755-4984 | 57-270 |
| **सभा पटल पर रखे गए पत्र** | 297-299 |
| **वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति** | |
| बारहवां प्रतिवेदन–**सभा पटल पर रखा गया** | 299 |
| **गृह-कार्य संबंधी समिति** | 299 |
| पन्द्रहवां, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन-**सभा पटल पर रखे गए** | |
| **उद्योग संबंधी स्थायी समिति** | 300 |
| चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन-**सभा पटल पर रखे गए** | |
| **विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति** | 300 |
| बाईसवां प्रतिवेदन-**सभा पटल पर रखा गया** | |
| **संघ उत्पाद शुल्क (वितरण)** | |
| संशोधन विधेयक - **पुरः स्थापित** | 300 |
| **नियम 377 के अधीन मामले** | |
| (एक) उर्वरकों पर दी गई राजसहायता के लाभ को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता **श्री के. एच. मुनियप्पा** | 301 |
| (दो) प्याज़ के समर्थन मूल्य की घोषणा की आवश्यकता **डॉ. बसन्त पवार** | 301-302 |
| (तीन) देश की खांडसारी इकाइयों को वैक्यूम पान टेक्नॉलोजी के प्रयोग की अनुमति देने की आवश्यकता **श्री अमर पाल सिंह** | 302 |
| (चार) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खलीलाबाद शहर को आई. एस. डी. एल. टी. के अन्तर्गत शामिल करने तथा उसके लिए समुचित धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** | 302-303 |
| (पांच) जलपाइगुड़ी शहर तथा अलीपुरद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने पुलों के जो 1993 की बाढ़ में नष्ट हो गए थे, पुनर्निर्माण की आवश्यकता **श्री जितेन्द्र नाथ दास** | 303 |


*किसी सदस्य के नाम के ऊपर अंकित + चिन्ह पर दर्शाता है कि वह प्रश्न वास्तव में सभा में उस सदस्य द्वारा ही पूछा गया था।

| विषय | कालम |
|---|---|
| (छह) मणिपुरी लोगों की पहचान को बनाए रखने तथा संरक्षित करने की आवश्यकता<br>श्री याइमा सिंह युमनाम | 303-304 |
| मंत्री द्वारा वक्तव्य | 304-308 |
| दिल्ली में खुरेजी में डा॰ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के मामले पर हुए दंगे और आगजनी की घटना<br>श्री पी॰ एम॰ सईद | |
| सामान्य बजट-1995-96 अनुदानों की मांगें रक्षा मंत्रालय | 308 |
| श्री जसवन्त सिंह | 308-327 |
| श्री सुधीर सावन्त | 328-341 |
| डॉ॰ अमल दत्त | 341-352 |
| श्रीमती गिरिजा देवी | 352-356 |

# लोक सभा

**सोमवार, 8 मई, 1995/ 18 वैशाख, 1917 (शक)**

लोक सभा 11 बजे म० पू० पर समवेत हुई

**(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**[हिन्दी]**

**श्री गुमान मल लोढा:** अध्यक्ष महोदय, मैंने नियम 56 के अन्तर्गत नोटिस क्वश्चन ऑवर को सस्पेंड करने का दिया है, क्योंकि संवैधानिक संकट पैदा हो गया है। वैस्ट बंगाल में ....

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय:** नहीं। इसे कार्यवाही वृत्रान्त में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

**(व्यवधान)**.....**

## प्रश्नों के मौखिक उत्तर

**11.03½ म० पू०**

## सरकारी आवास

***462. श्री राम निहोर राय : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या काफी संख्या में सरकारी कर्मचारी सरकारी आवास के लिए प्रतीक्षा सूची में हैं;

(ख) यदि हाँ तो प्रतीक्षा सूची में दर्ज सभी कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे;

(ग) क्या सरकार का विचार सभी जरूरतमंद कर्मचारियों को आवास उपलब्ध कराने हेतु एक स्पष्ट नीति तैयार करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) अतिरिक्त स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण करके विद्यमान वास में वृद्धि करना सरकार की नीति है। वर्तमान में, ऐसा निर्माण कार्य दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, फरीदाबाद, गाजियाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद, चण्डीगढ़, त्रिवेन्द्रम, भुवनेश्वर आदि में किया जा रहा है।

**[हिन्दी]**

**श्री रामनिहोर राय** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि प्राथमिकता के आधार पर सरकारी आवासों को आवंटन करने की कोई समय-सीमा रखने की आधार-संहिता तय की गयी है ? क्या सी० ए० जी० ने समय-सीमा के किए गए उल्लंघन पर संपदा निदेशालय को कोई टिप्पणी सहित अपनी रिपोर्ट भेजी है? यदि हां, तो रिपोर्ट क्या है ?

**[अनुवाद]**

**श्री पी० के० थुंगन** : मान्यवर, यह प्रश्न सरकारी कर्मचारियों के लिए आवास बढ़ाने के बारे में है। माननीय सदस्य जानना चाहते हैं कि क्या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ने हम से कोई जानकारी मांगी है। इसका उत्तर है हाँ। उन्होंने हमसे कुछ जानकारी मांगी है और हमने जानकारी दे दी है।

**[हिन्दी]**

**श्री रामनिहोर राय** : अध्यक्ष जी, मेरा मंत्री महोदय से दूसरा प्रश्न है कि पिछले चार वर्षों में सरकारी सेवा से अवकाश प्राप्त ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनके पास सरकारी आवास है? तथा प्राथमिकता की सूची के आधार पर सरकारी श्रेणीवार कितने आवास आवंटित किए गए और प्राथमिकता के आधार पर कितने आवास आवंटित किए गए ?

**[अनुवाद]**

**श्री पी० के० थुंगन** : जहां तक अनधिकृत कब्जा किये बैठे लोगों का संबंध है, मेरे पास सेवानिवृत लोगों की सूची नहीं है। परन्तु 31.3.95 को 749 आवास अनधिकृत कब्जे में थे।

**श्री उदयसिंह राव गायकवाड़** : मैं मा० मंत्री से एक बात यह जानना चाहता हूं कि कई बार हम मंत्री महोदय को पत्र लिखते हैं कि जरूरतमंद व्यक्तियों को आवास का आवंटन करें और मा० मंत्री उन पत्रों की प्राप्ति की सूचना भी भेजते हैं। परन्तु, यद्यपि आवास का आवंटन किया जाता है, तो भी उनको वस्तुत: आवास का आवंटन प्राप्त करने में वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है।

दूसरी बात यह है कि प्रश्न के (ख) से (ङ) तक भागों के उत्तर में बताया गया है कि सरकार दिल्ली, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, फरीदाबाद, इलाहाबाद आदि नगरों में कुछ क्वाटर बना

** कार्यवाही वृत्रान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

रही है। मैं जानना चाहता हूं कि जिन कर्मचारियों ने क्वाटरों के लिए मांग की है, वे कब से प्रतीक्षा सूची में हैं, और इन सभी क्षेत्रों में कितने क्वाटरों का निर्माण किया जा रहा है।

**श्री पी० के० थुंगन** : हमारे कार्यक्रमों और नीतियों को लागू करने का काम सरकारी कर्मचारी करते हैं। अत: उनके कल्याण का ध्यान रखना हमारा कर्त्तव्य है। अत: सरकार प्रतिवर्ष क्वाटरों की संख्या बढ़ाने का प्रयास करती है। पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 1400 क्वाटरों की वृद्धि की गई है। वर्ष 1994-95 के दौरान 3657 क्वाटरों के निर्माण के लिए 138 करोड़ रुपये की परियोजनाएं मंजूर की गई हैं। जहां तक पारी से बाहर आवास-आवंटन का प्रश्न है, जब मा० सदस्य और अन्य गणमान्य व्यक्ति सिफारिश करते हैं, हम पारी-बाह्य-आवंटन कर देते हैं। आवंटन की दो सूचियां हैं–एक पारी वालों की, दूसरी पारी से बाहर वालों की। जहां तक प्रतीक्षा काल की बात है, कई बार ऐसा होता है कि पारी-बाह्य आधार पर जिस क्वाटर का उल्लेख होता है, वह पारी वाले आधार पर आवंटित हो जाता है, और उस कारण विशिष्ट क्वाटर उपलब्ध नहीं होते। अत: जिनके लिये आवंटन मंजूर होता है उनको कुछ महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। मा० सदस्य ने ठीक ही कहा है कि कई बार आवंटन प्राप्त करने के लिए उन्हें कई महीने इन्तजार करना पड़ता है।

**[हिन्दी]**

**डा० लक्ष्मीनारायण पाण्डेय** : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि जैसा कि अभी उन्होंने कहा है कि कुछ लोगों को आवास आवंटित होने के बाद भी प्रतीक्षा करनी पड़ती है। क्या यह सही है कि कुछ लोग जिनके पास मकान होते हैं, वह मकान किसी दूसरे को आवंटित किया जाता है और उन मकानों में ऐसे आवासी रहते हैं जो अधिकृत नहीं होते, कुछ कर्मचारी ऐसे भी हैं जिनका स्वयं का मकान भी होता है और उनके कारण समस्या पैदा होती है। क्या आप कोई ऐसी व्यवस्था या नीति-निर्धारण करेंगे कि आपके आवंटित किये जाने के बाद तीन या छह महीनों की अवधि में उसको मकान प्राप्त हो ही जाए ?

**[अनुवाद]**

**श्री पी० के० थुंगन** : नियमों के अनुसार, आवंटी कर्मचारियों को, सेवानिवृत्ति या स्थानान्तरण आदि के पश्चात, एक निश्चित अवधि के बाद, क्वाटर खाली करना पड़ता है। कुछ आवंटी कुछ अपरिहार्य कारणों से मकान खाली करने की अवधि को बढ़वा लेते हैं। परन्तु कई आवंटियों को समय बढ़ाने की अनुमति नहीं दी जाती, और वह मामला अनधिकृत कब्जे वाला हो जाता है। उस मामले में नियमों के अनुसार कार्यवाही की जाती है और प्रक्रिया अपनाई जाती है।

**श्री पवन कुमार बंसल** : सरकारी क्वाटरों के पारी-बाह्य आवंटन से संबंधित नीति वस्तुत: किसी उद्देश्य की पूर्ति नहीं करती, क्योंकि मकान रहित लोगों की संख्या बढ़ती जाती है और संतुष्टि का अनुपात बहुत कम बना रहता है। साथ ही, इससे इन कर्मचारियों के मन में जलन पैदा होती है जिनको मकान न मिलने के कारण वर्षों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है। इस नीति को युक्तियुक्त बनाने के लिये मंत्री महोदय क्या कदम उठाने का विचार कर रहे हैं, ताकि पारी-बाह्य आवंटन अनिवार्यत: न्यूनतम रह जाये और पारी-बाह्य-आवंटन केवल उन्हीं मामलों में किया जाये जो अत्यन्त कठिनाई और अनुकम्पा के आधार वाले हों। इसके संबंध में मंत्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ? दूसरी बात है कि जिन लोगों के अपने मकान होते हैं और सरकारी क्वाटर भी प्राप्त करते हैं, उनके संबंध में मंत्री जी क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं ?

**श्री पी० के थुंगन** : मुख्य समाधान तो सरकारी कर्मचारियों को आवंटन करने हेतु अधिक क्वाटर बढ़ाने का है, और इसी कारण हमने क्वाटर संख्या बढ़ाने की दिशा में कदम उठाये हैं। पिछले पांच वर्षों में प्रतिवर्ष 1400 क्वाटर बढ़ाये गये हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : मेरा प्रश्न तो और है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह जानना चाहते हैं कि क्या सरकार नीति को बदलने वाली है। वह यह नहीं जानना चाहते कि आपने क्या किया है।

**श्री पी० के० थुंगन** : महोदय, मैं वहीं बता रहा हूं, हमारी मुख्य नीति क्वाटरों की संख्या बढ़ाने की है। जब तक हम क्वाटरों की संख्या नहीं बढ़ा पाते, प्रतीक्षा सूची में लोगों की संख्या बढ़ती ही रहेगी। इसीलिये हम आवंटन संबंधी नीति में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं समझते। परन्तु हम सरकारी क्वाटरों की संख्या को बढ़ाने की आवश्यकता अनुभव करते हैं।

**श्री पवन कुमार बंसल** : मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया और दूसरे भाग के बारे में कुछ नहीं बताया गया। मैंने कहा कि ऐसे भी लोग हैं जिनके पास अपने मकान हैं और फिर भी वे सरकारी क्वाटर ले लेते हैं, जबकि ऐसे लोगों को क्वाटर नहीं मिलते जिनके पास अपने मकान नहीं हैं।

**श्री पी० के० थुगन** : महोदय, जहां तक मकानों के मालिकों को सरकारी क्वाटर आवंटित करने का प्रश्न है, हमारी अपनी निश्चित और स्पष्ट नीति है।

**अध्यक्ष महोदय** : मंत्री महोदय, उनको पता है कि आपकी नीति है। परन्तु यह काम नहीं कर रही है। वह जानना चाहते हैं कि क्या आप उस पर पुनर्विचार कर रहे हैं।

**श्री पी० के० थुंगन** : मान्यवर, आपका कथन ठीक है। मैं पहले बता चुका हूं कि इस समस्या का समाधान क्वाटरों की संख्या बढ़ाना है। अत: हम अधिक क्वाटरों के निर्माण पर ज़ोर दे रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आपको सकारात्मक उत्तरों के माध्यम से नकारात्मक उत्तर मिल गया है।

## राष्ट्रीय योजना

*463. **श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों और कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यात के बारे में एक राष्ट्रीय योजना बनाने संबंधी प्रस्तावों की सिफारिश करने हेतु विशेषज्ञों की एक समिति गठित की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति के निर्देश पद क्या हैं ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री तरूण गोगोई)** : (क) जी हां।

(ख) योजना आयोग की सदस्या सुश्री मीरा सेठ की अध्यक्षता में गठित समिति में 41 सदस्य हैं जिनमें अन्यों के साथ-साथ संबंधित मंत्रालयों/विभागों के सचिव, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान के प्रतिनिधि, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान, उद्योग संघ कुछ अग्रजी उद्योगपति, अर्थशास्त्री, कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (अपेड़ा) तथा समुद्रीय उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (मपेड़ा) के प्रतिनिधि, कुछ राज्यों के प्रतिनिधि, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के प्रतिनिधि शामिल हैं। समिति के विचारार्थ विषय में अन्य बातों के साथ-साथ अनुसंधान तथा विकास प्रशिक्षित जनशक्ति समेत मौजूदा स्थिति की समीक्षा करना और उदारीकरण की नीति का प्रभाव, परिप्रेक्ष्य में स्वदेशी मांग का अनुमान, निर्यात संभावनाएं तथा मांग को पूरा करने के लिए कृषि आधारित उत्पादों के विकास के लिए योजना रणनीति तथा नीति बनाना शामिल है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : मैं सरकार द्वारा इस समिति की नियुक्ति किये जाने पर अपनी प्रसन्नता व्यक्त करता हूं। मंत्री महोदय के उत्तर से यह स्पष्ट हो जाता है कि जब कुछ प्रमुख उद्योगपतियों, अर्थशास्त्रियों और अन्यहितों को प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है, तो क्या कारण है कि बागवानी के क्षेत्र में आगे महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश आदि जैसे राज्यों के कुछ प्रगतिशील किसानों को इसमें प्रतिनिधित्व क्यों नहीं दिया गया है ? क्या सरकार इस दिशा में विचार करेगी और क्या नियुक्ति की गई इस समिति के निर्देश-पदों में सब्जियों और फलों के निर्यातकों को परिवहन संबंधी राजसहायता उपलब्ध कराने के विशिष्ट पहलू को भी शामिल किया जायेगा ? यद्यपि फल और सब्जियों के उत्पादन के मामले में हमारा देश संसार में दूसरे नबंर पर है, किन्तु हम केवल एक प्रतिशत उत्पादन का ही निर्यात कर पाते हैं। कुछ समय पूर्व मुझे बताया गया था कि मंत्रियों के एक दल ने इस पहलू पर विचार किया था। मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या इस बारे में कोई निर्णय किया गया है और क्या इस समिति को इस विशिष्ट पहलू की जांच करने का कार्य सौंपा गया है और क्या इसके विचारणीय विषयों में आपने, मूलत: उगाये गये फलों, सब्जियों और खाद्य वस्तुओं को जिनकी विकासशील देशों में अधिक मांग और रूचि बढ़ रही है, प्रोत्साहन देने का विषय शामिल किया है ?

**श्री तरुण गगोई** : जहां तक प्रगतिशील किसानों को समिति में सम्मिलित करने का संबंध है, मैं विशेषज्ञ समिति को सलाह दूंगा कि वह प्रगतिशील किसानों का साक्ष्य ले। परिवहन संबंधी राजसहायता के बारे में मंत्रालय द्वारा कोई निर्णय नहीं किया गया है। परन्तु विशेषज्ञ समिति सभी ब्यौरों पर विचार करेगी कि कृषिजन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के संवर्धन के लिये विभिन्न क्षेत्रों को किस प्रकार की सहायता या राजसहायता दी जा सकती है।

जहां तक जैविक उपयोग वाले मूलत: उगाये गये उत्पादों का संबंध है, हम इसको बहुत महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वह महत्वपूर्ण क्षेत्र है और विदेशों में उनकी बहुत मांग है।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : हमारे फलों, सब्जियों और खाद्य पदार्थों के निर्यात में बाधा डालने वाली एक दूसरी बात सफाई तथा पौधा-सफाई खण्ड के रूप में गैर प्रशुल्क बाधा हो सकती है, जिसको प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के अन्तिम करार की कृषि संबंधी धारा में समावेश किया गया है। क्या हमारी सरकार ने हमारे खाद्य पदार्थों और सब्जियों तथा फलों के निर्यात्त में रसायनिक अवशेषों के अनुमतेय स्तर प्राप्त कर लिये हैं, क्योंकि कुछ समय पूर्व महाराष्ट्र के अंगूर वापिस भेज दिये गये थे और हमारे दक्षिण भारत की झींगा मछली उत्पाद भी लौटा दिये गये थे। यह कहकर कि इनमें प्रतिजैविक अंश अधिक है। अत: मैं जानना चाहूंगा कि क्या इस समिति को इस मामले पर विचार करने का काम भी सौंपा गया है? अभी तक अधिकतर प्रमाणन अभिकरण पाश्चात्य देशों में स्थित है। क्या जी. ए. टी. टी. करार पश्चात काल में, जिसपर हमारे देश ने भी हस्ताक्षर किये हैं, हमारी सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय हितों का संरक्षण करने हेतु हमारे अपने प्रमाणन अभिकरण स्थापित किये जायें और क्या सरकार इन बातों का व्यापक प्रचार करने की ओर ध्यान देकर समुचित कार्यवाही करेगी ताकि किसानों को इन सब बातों की जानकारी प्राप्त हो सके ?

अन्यथा, यदि इन सब बातों को केवल कार्यालयों तक ही सीमित रखा गया तो बड़ी कठिनाई उत्पन्न होगी।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप अपना प्रश्न पूछिए।

**श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे** : महोदयय, यही तो मैं पूछ रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या आपका मंत्रालय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सहयोग से इन बड़े महत्वपूर्ण चीजों का व्यापक प्रचार करेगा।

**श्री तरुण गगोई** : समिति उर्वरकों और रसायनिक अवशेषों के प्रश्न पर विस्तापूर्वक विचार करेगी। अन्य वे गुण प्रकार और

मानक पर भी आग्रह कर रहे हैं जो बनाये रखने पड़ेंगे। अन्यथा वे कुछ पदार्थों को अस्वीकार कर सकते हैं। प्रमाणन अभिकरण स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मुझे प्राप्त नहीं हुआ है। तथापि मंत्रालय इस पर समुचित रूप से विचार करेगा। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरा देश भी हमारे प्रमाणन को स्वीकार करेगा या नहीं।

**श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे** : हमें उस स्तर के अपने प्रमाणन अभिकरण स्थापित करने होंगे।

**श्री तरुण गगोई** : हम गुण-प्रकार के बारे में क्या करेंगे ? इसी कारण तो हम हमेशा अपने पदार्थों के गुण-प्रकार को बढ़ाने का आग्रह करते रहे हैं, ताकि हमारे पदार्थों को अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में स्वीकार किया जाये।

**[हिन्दी]**

**श्री राजवीर सिंह** : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि इस विभाग को बने हुए सात-आठ वर्ष हो गए हैं और पिछले साल भी स्टेंडिंग कमेटी के सामने यह कहा गया था कि 250 केन्द्र ग्रामीण क्षेत्र में खोले जाएंगे तथा 38 के आदेश दे दिए गए हैं और इस बार स्टेंडिंग कमेटी में यह कहा गया है जिसकी रिपोर्ट आपके यहां भी आई है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। अगर अब आपकी ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशिक्षण देने या केन्द्र खोलने की कोई योजना नहीं है, तो आप निर्यात कहां से करेंगे ?

अध्यक्ष महोदय, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। यह विभाग हमारे किसानों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकता है। बहुत हितकर हो सकता है, लेकिन इसकी नितान्त उपेक्षा हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस समय आलू, गोभी और टमाटर इत्यादि की फसल होती है,...

**अध्यक्ष महोदय** : वह कामर्श्यल मिनिस्ट्री में आता है।

**श्री राजवीर सिंह** : नहीं, अध्यक्ष महोदय, जो मैं पूछ रहा हूं, वह प्रौसेसिंग की बात पूछ रहा हूं, जो इसी मंत्रालय के अन्तर्गत आती है। जब ग्रामीण क्षेत्रों में आलू, टमाटर और गोभी आदि बहुतायत में होते हैं यदि उस समय किसानों को प्रशिक्षण देकर, प्रौसैसिंग करके इन चीजों की डिब्बाबंदी की जाए, तो किसानों को बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन विभाग ऐसा नहीं कर रहा है।

अध्यक्ष महोदय, मैं केवल निर्यात की बात नहीं पूछ रहा हूं, बल्कि हमारे देश के अंदर भी डिब्बाबंद चीजों का बहुत बड़ा बाजार है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि क्या हर वर्ष विभाग अपनी नीति बदलता है और इस बारे में आपकी क्या योजना है ? देश की बढ़ती हुई डिब्बाबंदी की चीजों की मांग की पूर्ति के लिए विभाग क्या कोई क्रांतिकारी कदम उठाएगा और क्या इस कार्य के लिए ग्रामों में इसके प्रशिक्षण केन्द्र और निर्माण केन्द्र खोलेगा ?

**[अनुवाद]**

**श्री तरुण गगोई** : वास्तव में हमने आठवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान 250 प्रशिक्षण केन्द्र खोलने का लक्ष्य निर्धारित कर रखा है। 250 में से हमने सहायता दी है.....

**[हिन्दी]**

**श्री राजवीर सिंह** : अध्यक्ष जी, मेरा कहना यह है कि मंत्री जी गलतबयानी कर रहे हैं या फिर इस विभाग के सैकेट्री ने उस समय गलत सूचना दी थी। मैं लिखित रूप में यहां यह दे सकता हूं और आपको यह रिपोर्ट आपके चैम्बर में दिखा सकता हूं, आप मुझे ऐसा करने का मौका दें।

**[अनुवाद]**

**श्री तरुण गगोई** : हमने 150 प्रशिक्षण केन्द्रों को सहायता दी है। उसमें से...

**[हिन्दी]**

**श्री राजवीर सिंह** : अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलतबयानी है। आप मुझे अपने चैम्बर में मिलने का समय दें, मैं आपको वास्तविकता से अवगत करवाना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं। राजवीर सिंह जी, यदि कोई गलतबयानी हो गई है, तो उसके लिए भी एक प्रासीजर है। इस बात को आप यहां पर इस प्रकार से नहीं बोल सकते हैं। कृपया आप अपने सीनियर मैम्बर्स से पूछ लीजिए। वे आपको बता देंगे कि इसके लिए क्या प्रासीजर है।

**श्री राजवीर सिंह** : धन्यवाद अध्यक्ष जी।

**[अनुवाद]**

**श्री तरुण गगोई** : हमने 150 प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने के लिये सहायता प्रदान की है। इस समय 47 प्रशिक्षण केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

**प्रो॰ के॰ वी॰ थामस** : मछली सबसे सस्ते खाद्य पदार्थों में से एक है और देश में उपलब्ध भी है, और यह काफी बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाती है। दुर्भाग्यवश मछली पकडने का विषय कृषि मंत्रालय के अधीन है, मछली प्रसंस्करण का विषय आपके मंत्रालय के अन्तर्गत आता है और इसका निर्यात वाणिज्य मंत्रालय के अधीन है। परिणाम यह होता है कि मछली प्रसंस्करण उद्योगों को ठीक समय पर पर्याप्त सहायता प्राप्त नहीं होती है। मेरा प्रश्न यह है कि क्या एक एकीकृत सूत्र के अधीन सहायता दी जायेगी और कितनी सहायता मछली प्रसंस्करण उद्योग के लिये दी जायेगी, ताकि मछली पकड़ने, मछली प्रसंस्करण और मछली निर्यात से संबंधित कार्यों के लिये आधुनिक प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जा सके ? मान्यवर, यह निर्यात करने वाले पदार्थों में आता है।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न का कुछ संबंध और तर्क होना

चाहिये, आप यह जानते हैं।

**प्रो॰ के॰ वी॰ थामस** : समुद्री खाद्य पदार्थ प्रसंस्करण उद्योग को प्रौद्योगिकी में बड़ा भारी परिवर्तन हो रहा है। इन उद्यागों के लिये सरकार द्वारा क्या सहायता दी जायेगी ?

**श्री तरुण गगोई** : हम सहायता अवश्य देते हैं जो सहायक-अनुदान शेयर आदि खरीदने के रूप में होती है।

**प्रो॰ के॰ वी॰ थामस** : परन्तु, इसमें परस्पर सहयोग का अभाव है।

**श्री तरुण गगोई** : वस्तुत: यदि कृषि और मछली प्रसंस्करण की संयुक्त परियोजना होती है तो हम सहायता प्रदान करते हैं।

**डॉ॰ असीम बाला** : विभाग अब बड़े पैमाने पर प्रचार कर रहा है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार की ओर से कितने संस्थान स्थापित किये गये हैं और किस कसौटी के आधार पर हैं।

**श्री तरुण गगोई** : हम कोई उद्योग स्थापित नहीं करते। हमारी कुछ अनुसंधान संस्थाएं हैं जिनको अनुसंधान कार्य के लिये हम सहायता प्रदान करते हैं, उदाहरणार्थ, सी॰ एफ॰ टी॰ आर॰ आई॰ है। खड़गपुर में भी हमारा संस्थान है। जादवपुर विश्वविद्यालय में अनुसंधान कार्य किया जा रहा है। तंजौर में धान प्रसंस्करण गवेषण केन्द्र चल रहा है। हम इन गवेषण संस्थानों को सहायता प्रदान करते हैं। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालय अपनी ओर से भी गवेषण कार्य कर रहे हैं।

**श्री ए॰ चार्ल्स** : उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, देश में उत्पादित फलों में से लगभग 40 प्रतिशत फल प्रसंस्करण की सुविधाओं के अभाव में बर्बाद हो जाते हैं, जिनकी अनुमानित कीमत 5,000 करोड़ रुपये के लगभग बैठती है। हम इस विशिष्ट खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का महत्व समझ सकते हैं। इस वर्बादी का मुख्य कारण यह है कि देहातों में छोटे किसानों को और उत्पादकों को और मछली पकड़ने वाले पारम्परिक मछेरों को कोई समुचित सहायता नहीं दी जा रही है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि क्या राष्ट्रीय योजना बनाते समय यह लिखा जाता है कि छोटे किसानों और पारम्परिक मछेरों के प्रबंध के अधीन प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने के लिये समुचित प्रशिक्षण और सहायता देने की ओर ध्यान दिया जायेगा ?

**श्री तरुण गगोई** : वस्तुत: छोटे किसानों और छोटे मछेरों को अधिक प्रोत्साहन की हमारी नीति है ताकि वे अपने प्रसंस्करण उद्योग स्थापित कर सकें। यह सरकार की प्राथमिकता भी है। यदि आवश्यक होगा, तो एक विशेषज्ञ समिति इसके विस्तार में जाकर विचार करेगी। इसकी संर्व प्रथम प्राथमिकता देहाती क्षेत्रों में अधिक रोजगार के अवसर जुटाने की है। हमारे मंत्रालय का बुनियादी उद्देश्य देहाती क्षेत्रों में अधिक आय जुटाने के साधन उत्पन्न करने का है और इसके लिये हम छोटे किसानों तथा छोटे मछेरों की सहायता करके छोटे उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अधिकाधिक साधन उपलब्ध कराने की ओर सदा प्रयत्नशील रहते हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री राम नाईक** : अध्यक्ष जी, तरूण गगोई जी ऐसे फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं, जो समस्या आने के बाद कमेटी नियुक्त करते हैं लेकिन उसके आगे क्या होता है, यह पता नहीं करते हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह कान्सैप्ट ही नया है। उनको दोष मत दीजिये।

**श्री राम नाईक** : इन्होंने जो डीप सी फिशिंग कमेटी नियुक्त की है, उसमें हमने एक समस्या छोड़ी है। उसमें इन्होंने न तो एम॰ पीज़ को बुलाया है और न ही फिशर मैन को। वे सात दिन से अनिश्चित काल के लिए अनशन कर रहे हैं। इस बीच उन्होंन कुछ भी काम नहीं किया है।

मैं मंत्री महोदय से यह पूछ रहा हूं कि कमेटी नियुक्त करने के बाद आपने टर्मस ऑफ रैफरैन्सेस तो दिये हैं लेकिन कमेटी को अपनी रिपोर्ट कितने समय में देनी चाहिए, इसके बारे में क्या आपने कोई समय सीमा निर्धारित की है या नहीं ? इसके साथ ही मंत्री महोदय हमें यह भी जानकारी दें कि कमेटी का काम कहां तक पहुंच गया है ?

**[अनुवाद]**

**श्री तरुण गगोई** : वास्तव में, समिति का गठन कृषि संबंधी स्थायी समिति की सिफारिश पर किया गया है। उन्होंने एक संदर्शी योजना बनाने का सुझाव दिया है। यह मेरा अपना सुझाव नहीं है। इसके अनुसार एक विशेषज्ञ समिति अपेक्षित है, जो विस्तारपूर्वक विचार करेगी और संमव्यिताओं तथा निर्यात की संभावनाओं का भी विचार करेगी और इससे संबंधित सभी विषयों पर ध्यान देगी। स्थायी समिति की इच्छा का आदर करते हुए मैंने इस समिति का गठन कर दिया है। इसे छ: महीने के भीतर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करना है। सामान्यतया इसमें अधिक समय लग जाता है क्योंकि इसका बड़ा व्यापक क्षेत्र है। अब हमने इस समिति का कार्यकाल छ: महीने के लिए और बढ़ा दिया है।

**श्री राम नाईक** : समिति कब तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी ?

**श्री तरुण गगोई** : हमने समिति को कहा है कि वह 1 अक्तूबर तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दे।

**श्री राम नाईक** : यह सरकार उस समिति के प्रतिवेदन पर कोई निर्णय नहीं लेगी।

**श्री गोविन्द चन्द्र मुंडा** : भारत में छोटे किसान बहुत बड़ी संख्या में हैं। वे मछली पालन का कार्य भी करते हैं। मछली को कुछ बीमारियां भी लगती हैं। क्या विशेषज्ञ समिति

उन मछलियों के बारे में विचार करेगी, जिनको बीमारियां लगती हैं ? भारत सरकार की इस संबंध में क्या योजना है कि छोटे किसान, विशेषकर जनजाति क्षेत्रों के आदिवासी तथा ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे किसान और मछेरे अपना निर्वाह अच्छी तरह कर सकें और अभाव के कारण नष्ट न होने पायें ?

क्या सरकार हमें यह बतायेगी कि वह इस बीमारी को कैसे दूर करेगी ?

**अध्यक्ष महोदय** : यह प्रश्न इससे उत्पन्न नहीं होता परन्तु यह प्रश्न अच्छा है। यदि माननीय मंत्री उत्तर दे सकते हैं तो दें।

**श्री तरुण गगोई** : मैं यह प्रश्न कृषि मंत्रालय को भेज सकता हूं, क्योंकि वही इसे संबंध रखता है।

## भारत नेपाल वार्ता

*465. **श्री मोहन रावले :**

**श्री रवि राय :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने भारत की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई और इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच अनेक क्षेत्रों में समझौते किये गए थे;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य-मुख्य विशेषतायें क्या हैं;

(ङ) क्या वार्ता के दौरान 1950 के भारत-नेपाल समझौते की समीक्षा का मुद्दा भी उठाया गया था;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)**: (क) और (ख) जी हां, नेपाल के प्रधान मंत्री 10 से 14 अप्रैल, 1995 तक भारत की यात्रा पर आए थे। इस यात्रा के दौरान द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर विचार-विमर्श हुआ। इस यात्रा के अन्त में जारी संयुक्त वक्तव्य संलग्न है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) जी हां। इस यात्रा के दौरान यह सहमति हुई थी कि 1950 की भारत और नेपाल शान्ति तथा मैत्री संधि सहित द्विपक्षीय हित के सभी संगत मामलों पर समुचित सतरों पर विचार-विनिमय जारी रखा जाएगा।

## नेपाल के प्रधान मंत्री की 10 से 14 अप्रैल, 1995 तक भारत-यात्रा

### संयुक्त वक्तव्य

भारत के प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के निमंत्रण पर नेपाल के प्रधान मंत्री माननीय मन-मोहन अधिकारी 10 से 14 अप्रैल, 1995 तक भारत की सरकारी सद्भावना यात्रा पर आए हुए हैं। नेपाल के प्रधान मंत्री के साथ श्रीमती साधना देवी अधिकारी, श्री चन्द्र प्रकाश मैनाली, स्थानीय विकास एवं सप्लाई मंत्री, श्री भीम बहादुर रावल, वाणिज्य, पर्यटन एवं नागर विमानन राज्य मंत्री, श्री हरि प्रसाद पांडेय, उद्योग एवं जल संसाधन राज्य मंत्री और श्री मंगल सिद्धी मानन्धर, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय योजना आयोग भारत आए।

2. नेपाल के प्रधान मंत्री ने अपनी भारत यात्रा के दौरान भारत के राष्ट्रपति से भेंट की और वे राजघाट गए जहां उन्होंने महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने प्रधान मंत्री श्री पी० वी० नरसिंह राव के साथ बैठकें कीं। दोनों प्रधान मंत्रियों के नेतृत्व में भारतीय और नेपाली प्रतिनिधिमंडलों ने भी आपसी हित के मसलों के बारे में विस्तृत विचार-विमर्श के लिए बैठक की।

3. निष्ठा मित्रता और सद्भाव जो भारत और नेपाल के बीच निकट संबंधों की विशेषता है और एक-दूसरे की सम्पूर्ण सम्प्रभुता, प्रादेशिकता अखंडता तथा स्वाधीनता के प्रति परस्पर सम्मान इन विचार-विमर्शों की विशेषता थी। व्यापक विचार-विमर्शों के दौरान द्विपक्षीय मसलों, भारत-नेपाल संबंधों के और अधिक विकास, भारतीय उप-महाद्वीप की स्थिति और आपसी हित के अन्य प्रश्नों पर चर्चा हुई।

4. दोनों नेताओं ने भारत और नेपाल के बीच निकट और मैत्रीपूर्ण संबंधों के संवर्धन के प्रति अपनी बचनवद्धता दोहरायी और एक ऐसे भविष्य की आशा की जहां ये संबंध सहयोगात्मक प्रयासों के नए क्षेत्रों में और अधिक सुदृढ़ किये जाएंगे। दोनों प्रधान मंत्री इस बात से प्रोत्साहित हुए कि भारत और नेपाल के बीच कोई बड़ी समस्या नहीं है। उनके बीच विचार-विमर्श में 1950 की शान्ति एवं मैत्री संधि की समीक्षा सहित द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर भी चर्चा हुई। वे इस बात से सहमत हुए कि वे दोनों देशों के उपयुक्त स्तर पर इसपर तथा द्विपक्षीय हित के सभी संगत मसलों पर विचार-विमर्श जारी रखेंगे।

5. दोनों सरकारों ने सम्प्रभुता, समानता, प्रादेशिक अखण्डता, राष्ट्रीय स्वाधीनता, बल का प्रयोग न करने, एक-दूसरे के आन्तरिक मामलों में अहस्तक्षेप और सभी मसलों के शांतिपूर्ण समाधान के सिद्धान्तों के प्रति अपनी वचनवद्धता दोहराई। भारत और नेपाल दोनों एक-दूसरे की सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को समझते हैं। कोई भी पक्ष अपने प्रदेश में किसी भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति नहीं देगा जो दूसरे की सुरक्षा के प्रतिकूल हो।

## व्यापार और पारगमन

6. दोनों प्रधान मंत्रियों ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार और आर्थिक संबंधों की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की। दोनों सरकारों द्वारा 1992 से किए गए तरजीही प्रबंधों के परिणामस्वरूप द्विपक्षीय व्यापार में हाल में हुई वृद्धि से वे प्रोत्साहित हुए।

7. नेपाल के महामहिम की सरकार और भारत सरकार के बीच हुए विचार-विमर्शों के आधार पर इस बात पर सहमति हुई कि व्यापार और पारगमन प्रणाली में निम्नलिखित और सुधार किए जाएंगे :

(1) नेपाल के मार्गस्थ व्यापार को काण्डला तथा बम्बई के अतिरिक्त पत्तनों की सुविधा मिलेगी और यह सुविधा उन्हीं शर्तों के आधार पर मिलेगी जो भारतीय राष्ट्रिकों को उपलब्ध हैं बशर्ते माल का पारगमन सबसे कम दूरी वाले नामित रेल मार्गों के रास्ते सीमाशुल्क मोहरबन्द आधानों में हो।

(2) नेपाल के ऐसे मार्गस्थ व्यापार के लिए रेक्सोल में सीमाशुल्क निकासी की अतिरिक्त व्यवस्था जो काण्डला, बम्बई और कलकत्ता से आने जाने के लिए सीमाशुल्क मोहर के अन्तर्गत आधानबन्द हो।

(3) दोनों देश संयुक्त रूप से ऐसे नेपाली उत्पादों का पता लगाने का प्रयास करेंगे, भारतीय मंडियों में तरजीह आधार पर जिनके प्रवेश के मामले में और अधिक सुधारों पर विचार किया जा सकता हो।

(4) भारतीय मंडियों में तरजीह आधार पर प्रवेश संबंधी कार्यविधियों का जहां तक संबंध है, भारत नेपाल अन्तरसरकारी व्यापार और वाणिज्य समिति द्वारा इनकी समीक्षा की जाएगी।

## आपूर्तियां

8. इस बात पर सहमति हुई कि भारत पेट्रोलियम उत्पादों, नमक, चीनी, चावल इत्यादि जैसी वस्तुओं की नियमित आपूर्ति में नेपाल की सहायता करता रहेगा।

## जल संसाधन

9. दोनों प्रधान मंत्रियों ने जल-संसाधन के मसले पर भी विचार-विमर्श किया। इस बात पर सहमति हुई कि दोनों पक्ष महाकाली नदी के उपयोग का विकास करने के लिए अपने प्रयास जारी रखेंगे। नेपाल के प्रधान मंत्री ने नेपाल को अतिरिक्त लाभ देने के संबंध में कई प्रस्ताव रखे। भारत के प्रधान मंत्री ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि संबंधित पहलुओं का ध्यान रखते हुए इन प्रस्ताओं की जांच की जाएगी। इसके लिए परामर्श करने में कुछ समय लगेगा। इसके बाद दोनों पक्षों ने सहमति व्यक्त की कि वे और विचार-विमर्श करेंगे तथा किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

## भारतीय सहायता परियोजनाएं

10. दोनों पक्षों ने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि अक्तूबर, 1992 में भारत के प्रधान मंत्री की यात्रा के बाद से नेपाल में शुरू की गई भारत-नेपाल सहयोग परियोजनाओं का क्रियान्वयन कारगर ढंग से किया जा रहा है। धरान में बी॰ पी॰ कोइराला चिकित्सा संस्थान में विद्यार्थियों के प्रथम बैच को प्रवेश दिया गया है और परियोजना का कार्य सुचारू रूप से जारी है। कई अन्य परियोजनाएं पूर्ण हो गई हैं अथवा पूर्ण होने वाली हैं। इनमें से वे परियोजनाएं जो अक्तूबर, 1992 में भारतीय प्रधान मंत्री की नेपाल यात्रा के बाद पूर्ण की जा रही हैं वे इस प्रकार हैं : रांगेली में टेलीफोन एक्सचेंज, राजविराज में औद्योगिक एस्टेट, हितौदा में संग्रहालय भवन, लुम्बिनी संग्रहालय भवन, कोल्हापुर और महाकाली के बीच महेन्द्र राजमार्ग का पश्चिम क्षेत्र, रक्सौल (सिर्सिया) पुल, जयनगर-जनकपुर रेलवे को दो इंजनों और छह रेल के डिब्बों की आपूर्ति, काठमांडू नगर को सफाई उपकरणों की आपूर्ति, अन्य परियोजनाओं का तैयारी कार्य सहज रूप से चल रहा है।

11. दोनों सरकारों ने 1995-96 के दौरान निम्नलिखित सहमत और नई परियोजनाएं निम्नलिखित प्राथमिकता के अनुसार शुरू करने का निर्णय लिया है :

1. पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के कोल्हापुर-महाकाली क्षेत्र पर 18 पुल।
2. रक्सौल-सिर्सिया ब्रॉडगेज संपर्क।
3. वीर चिकित्सालय का संवर्धन।
4. पूर्व-पश्चिम विद्युत चालित रेलवे के लिए संयुक्त सर्वेक्षण।
5. जयनगर-विजालपुर नैरोगेज रेल संपर्क के लिए दो इंजनों और 12 रेल के डिब्बों तथा वैगनों की आपूर्ति।
6. ग्रेटर जनकपुर विकास परियोजना।

दोनों पक्ष प्राथमिकता वाली इन परियोजनाओं पर उपलब्ध संसाधन केन्द्रित करने के लिए भी सहमत हुए हैं।

12. नेपाल के प्रधान मंत्री ने भारत के प्रधान मंत्री को नेपाल की यात्रा करने का निमंत्रण दिया है। यह निमंत्रण सहर्ष स्वीकार कर लिया गया है, यात्रा की तिथियां राजनयिक माध्यमों से तय की जाएंगी।

[हिन्दी]

**श्री मोहन रावले** : अध्यक्ष महोदय, भारत और नेपाल के बीच जल विद्युत परियोजना के लाभ के बारे में विवाद चल रहा है। नेपाल यह नहीं चाहता कि भारत इस परियोजना पर लगने वाली लागत के हिसाब से बिजली ले, वह चाहता है कि उसको भारत के बराबर बिजली मिले क्योंकि उसका निवेश बहुत थोड़ा है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल

के प्रधानमंत्री के साथ इस बारे में कोई बात हुई है और यदि हुई है तो उसका क्या परिणाम निकला ?

**श्री आर. एल. भाटिया** : नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ इस बारे में चर्चा हुई थी और दोनों मुल्कों ने यह निर्णय लिया कि नेपाल का वाटर और बिजली पैदा करने का जो पोटैनशल है, उसको देखा जाए, सर्वे किया जाए और उसके बाद उसको टैप करने का फैसला किया जाए। इस बारे में चर्चा चल रही है और हमारे सैक्रेटरीज़ आपस में मीटिंग कर रहे हैं। इस बारे में जो भी बात होगी, उस पर बाद में एक्शन लिया जाएगा।

**श्री मोहन रावले** : अध्यक्ष महोदय, भारत और नेपाल का ट्रेड अभी शुरू हुआ है। स्मगलिंग भी शुरू हुई है। स्मगलिंग के कारण हमारे ट्रेड पर असर पड़ता है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या नेपाल के प्रधानमंत्री के साथ स्मगलिंग रोकने के बारे में कोई बातचीत हुई है ?

**श्री आर. एल. भाटिया** : इस विषय पर कोई बातचीत नहीं हुई लेकिन ट्रेड के बारे में जो बातचीत हुई है, वह यह थी कि नेपाल चाहता था कि उनके लिए कलकत्ता के अलावा और भी पोर्टस खोले जाएं जहां से वे अपना माल नेपाल ले जा सकें। उस पर भारत सरकार ने निर्णय किया है कि वे अपनी चीजों को लाने के लिए बम्बई और कांडला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जहां तक स्मगलिंग का सवाल है, दोनों की ऑफिशियल्स लैवल पर मीटिंग होती रहती है और उसे रोकने के लिए मुखतलिफ समय पर काम किया जाता है।

**श्री रवि राय** : अध्यक्ष महोदय, नेपाल सिर्फ हमारा दोस्त राष्ट्र ही नहीं, अन्तरंग और पड़ोसी राष्ट्र भी है। मैं जानना चाहता हूं कि 1992 की तुलना में फिलहाल प्रधानमंत्रियों की जो वार्तालाप हुई, उसमें दोनों देशों की भलाई और दोस्ताने को बढ़ाने के लिए क्या उपलब्धि हुई ? दूसरा प्रश्न है, जो दो प्रोजैक्टस-

**[अनुवाद]**

पूर्व-पश्चिम राजमार्ग के कोल्हापुर-महाकाली क्षेत्र में 18 पुल और रक्सौल-सिरसिया बड़ी रेल लाइन।

**[हिन्दी]**

प्रॉयरिटी सैक्टर माने गए हैं, वे कब तक समाप्त होंगे, इस बारे में ब्यौरा दें ?

**श्री आर. एल. भाटिया** : आपने जो प्रश्न पूछा, इस बारे में बहुत विस्तार से डिस्कशन हुई थी और इसमें भारत ने उन प्रॉयरिटी प्रोजैक्टस को पूरा करने का वायदा किया था। उसमें एक तो रक्सौल-सिरसिया ब्रॉडगेज रेल लिंक है जिसके बारे में आपने चर्चा की, दूसरा बीर हास्पिटल (अस्पताल) के एक्सपैन्शन का फैसला किया है और तीसरा ईस्ट-वैस्ट में 18 ब्रिजेस बनाएंगे जिसमें भारत उनकी मदद करेगा। और ईस्ट वैस्ट लाइन का सर्वे भी किया जायेगा, इसका भी निर्णय हुआ है। हमने फैसला किया है कि उनको दो इंजन और 12 कोचेज भी हम देंगे। इसके अलावा जो जनकपुर डवलपमेंट है, उसमें भी हमने उनको मदद करने का निर्णय किया है।

**[अनुवाद]**

**श्री मृत्युञ्जय नायक** : यह प्रश्न आज आवश्यक हो गया है क्योंकि जाली नाम और जाली पासपोर्ट वाले कुछ लोगों के बारे में सभी समाचार पत्रों में समाचार आया है। भारत के विरुद्ध प्रचार के बारे में भी समाचार छपा है, क्योंकि उन भारतियों की, जो नेपाल में प्रव्रजन कर गये थे, नागरिकता के विषय पर पिछली कई दशाब्दियों में कोई ध्यान ही नहीं दिया गया, और उसके परिणामस्वरूप वे अनेक समस्याओं और परेशानियों का सामना कर रहे हैं। माननीय मंत्री कृपया यह बतायें कि क्या उन भारतियों की, जो नेपाल में प्रव्रजन कर गये हैं, नागरिकता की समस्या को हल करने के लिये कोई बातचीत आरम्भ करने का प्रयास करने के संबंध में नेपाल के प्रधान मंत्री तथा भारत के प्रधान मंत्री के बीच कोई उद्देश्यपूर्ण बातचीत हुई है ?

**[हिन्दी]**

**श्री आर. एल. भाटिया** : जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, उसमें आनरेबल मैम्बर ने प्रश्न उठाया है, भारत और नेपाल में कोई पासपोर्ट सिस्टम नहीं है। हम एक दूसरे देशों में जा सकत हैं। इन्होंने सवाल का दूसरा भाग सिटीजनशिप के बारे में पूछा है, उसके बारे में दोनों प्रधान मंत्रियों के दरम्यान कोई चर्चा नहीं हुई। लेकिन यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम हमेशा गवर्नमेंट लेविल पर, आफिसर लेविल पर इस बात की चर्चा करते रहते हैं। इसमें हमारे सामने कोई डिफीकल्टी नहीं आई है, लेकिन जहां डिफीकल्टी आती है, उसका हम बातचीत के जरिये हल करते हैं।

**श्री हरि किशोर सिंह** : अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सरकार से जानना चाहता हूं कि नेपाल के प्रधान मंत्री माननीय अधिकारी जी की गत यात्रा के दौरान जल संसाधन के इस्तेमाल के लिए जो वार्ता हुई, चर्चा हुई, उसमें बागमती और कमला बलान नदियों के बारे में चर्चा हुई या नहीं ? यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि 1993 में काठमाण्डू घाटी में अतिवृष्टि के कारण बागमती बैराज नेपाल के अन्दर टूट गया, जिससे नेपाल में भारी क्षति हुई थी और भारत के बोर्डर के मेरे अपने क्षेत्र में, अपने जिले में बहुत बड़ी क्षति हुई थी। हमारे अपने प्रधानमंत्री जी ने बड़ी कृपा की थी वह उस क्षेत्र को 1993 में देखने गये थे। तो क्या आप बागमती नदी पर भारत के अन्दर और नेपाल में बैराज बनाने के लिए कोई अविलम्ब कारवाई करेंगे और उसके सम्बन्ध में विशेष रूप से चर्चा करेंगे, जिससे इस तरह की दुर्घटना आगे नहीं हो सके और बागमती नदी के जल का उपयोग कृषि के लिए अच्छी तरह स किया जा सके ?

**श्री आर. एल. भाटिया** : यह बात सत्य है कि नेपाल में जितने भी रीवर्स हैं, बारिश के दिनों में वहां भी फ्लड आ

जाता है और उसका नुकसान भारत के बहुत से हिस्सों में भी होता है। पर्टिकुलरली दोनों प्रधान मंत्रियों में बागमती नदी की चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन जनरल तौर पर जितने भी रीवर्स नेपाल में हैं, उनको टैप करने का, उनको प्रयोग करने का, उनसे बिजली पैदा करने के बारे में सारी चर्चा हुई है। इसमें नेपाल वालों ने ज्यादा जोर महाकाली रीवर को दिया है, जिसमें शारदा प्रोजैक्ट और जनकपुर प्रोजैक्ट में, जिसमें उनको जनरल तौर पर ज्यादा लाभ हो सकता है। हम महसूस करते हैं कि नेपाल में बहुत बड़ा पोटेंशियल है, 83000 मैकावाट मिलियन किलोवाट पोटेंशियल है, लेकिन नेपाल ने 200-300 से ज्यादा उसको टैप नहीं किया। भारत ने उनको आफर किया है कि हम सर्वे करने के लिए भी तैयार हैं और सारे वाटर रिसोर्सेज को और बिजली के रिसोर्सेज को टैप करने के लिए तैयार हैं, जिसस दोनों मुल्कां को फायदा होगा। इससे वहां भी फ्लड नहीं आयेगा और हमारे यहां भी नुकसान नहीं होगा और जो बिजली का उत्पादन होगा, उससे नेपाल का बहुत फायदा होगा।

**श्री हरि किशोर सिंह** : अगर अगली बार की चर्चा में, जब अपने प्रधान मंत्री नेपाल जायेंगे तो क्या बागमली, कमला बलान आदि नदियों के बारे में वार्ता को प्राथमिकता देंगे ?

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं-नहीं।

**[अनुवाद]**

**श्रीमती दिलकुमारी भण्डारी** : क्या सरकार को यह बात मालूम है कि सार्क देशों के सम्मेलन के लिये नेपाल के प्रधानमंत्री की यात्रा के दौरान नेपाल की राजधानी काठमांडू में 'बन्द' आयोजित किये गये थे, जिनमें मांग की गई थी कि 1950 की संधि पर पुनर्विचार किया जाये और नेपाली मूल वाले भारतीय नागरिकों ने भी भारत के पूर्वोत्तरी राज्यों में यही मांग की थी। नेपाल के नेपाली नागरिकों और पूर्वोत्तरी भारत के राज्यों में रहने वाले नेपाली मूल भारतीय नागरिकों के लिए इस सन्धि के पुनर्विचार का आधार सर्वथा भिन्न हो सकता है। पूर्वोत्तरी राज्यों में बसने वाले लोगों को प्रतिदिन अनुचित कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आसाम से तथा आसाम के जो लोग प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में यात्रा करते हैं उनको अकथनीय परेशानियां सहनी पड़ती हैं, अन्योन्य आधार के लोगों के नाम में इन लोगों से धन वसूला जाता है। 1950 की भारत-नेपाल सन्धि में एक उपबंध है, जिसके कारण नेपाल और भारत से लोग एक दूसरे के देश में निर्बाध गति से आ सकते और जा सकते हैं। परन्तु इन अन्योन्य आधार के लोगों के नाम में भारतीय नागरिकों को परेशान किया जाता है। भारत सरकार को यह नहीं भूलना चाहिये कि हमारे देश में नेपाली भाषा-भाषी भारतीय नागरिकों की संख्या पर्याप्त बड़ी है, और यह बात ध्यान में रखें कि वे अवैध रूप से आये आप्रव्रजक नहीं हैं। वे कहते हैं कि हम यहां अपने भूभाग के साथ हैं और हम नेपाल से भारत में किसी नौकरी/काम की तलाश में नहीं आये हैं। हम यहां वैध अधिकार सम्पन्न भारतीय नागरिक हैं। परन्तु उनके साथ अन्योन्य लोगों की तरह सलूक किया जाता है। यहां तक हालत है कि मुझे इस महान सभा में यह कहते हुए खेद होता है कि जब इस सभा का एक माननीय सदस्य, जो कांग्रेस दल से संबंध रखता है, कुछ रियायत लेने के लिये अपने नेता के पास गया, तो उसे कहा गया कि 'उसके साथ अन्योन्य व्यक्ति के समान सलूक किया जायगा।' अत: नेपाली मूल के भारतीय लोगों का यह दुखद भाग्य है, यह स्थिति है।

मैं माननीय मंत्री को बताना चाहती हूं कि स्पष्ट नीति न होने के कारण इस प्रकार की स्थिति हो रही है। मंत्री महोदय यह बतायें कि क्या नेपाल के प्रधान मंत्री और हमारी सरकार के बीच हुई वार्ता में इस समस्या पर चर्चा हुई और क्या सरकार कोई ऐसी नीति बनाने का विचार कर रही है जिसके द्वारा नेपाली मूल वाले भारत के नागरिकों तथा इस अन्योन्य आधार के अन्तर्गत नेपाल से भारत में आने वाले लोगों के बीच, भारत-नेपाल मैत्री संबंधों को कायम रखते हुए, कोई अन्तर किया जाना चाहिये ?

**श्री आर. एल. भाटिया** : भारत और नेपाल के बीच की सन्धि अभी तक बिल्कुल ठीक चल रही है। परन्तु, हाल ही में भारत आने से पूर्व नेपाल के प्रधान मंत्री ने इस बात का उल्लेख किया था कि वे उस सन्धि को रद्द करने के पक्ष में नहीं हैं, और यहां चर्चा के दौरान यह बात सामने आई कि वे इस सन्धि को अद्यतन करना चाहते हैं। अत: दोनों देशों के सचिवों के बीच बातचीत चल रही है। इस विषय पर चर्चा करने के लिये भारतीय विदेश सचिव काठमांडू गये और अब पुन: नेपाल का विदेश सचिव इसी सिलसिले में भारत में आ रहा है। 1950 की सन्धि के बारे में यही स्थिति है।

भारतीय मूल के लोगों के साथ सलूक और वहां पेश आने वाली कठिनाइयों के बारे में आपके प्रश्न के बारे में यह स्थिति है कि अभी तक हमें ऐसी कोई भी कठिनाई होने की जानकारी या शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। परन्तु यदि ऐसी कोई शिकायतें हैं जिनका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है, तो कृपया हमको बताइये। हम उनका पता लगायेंगे और आपको तदनुसार सूचित करेंगे।

## प्रेसलर संशोधन

*466. **श्री महेश कनोडिया :**

**श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल में छपे ऐसे समाचारों की जानकारी है जिनसे यह पता लगता है कि अमरीका कांग्रेस में अमरीकी व्यापारियों के हितों की रक्षा करने तथा अमरीका और पाकिस्तान के बीच संबंधों को दोबारा सामान्य बनाने हेतु प्रेसलर संशोधन में संशोधन करने के लिए समर्थन जुटाने का प्रयास किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस मामले पर अमरीका के साथ बातचीत की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और अमरीका की इस संबंध में प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने यह पता लगया है कि पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा से प्रेसलर संशोधन आसान हो गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और पाकिस्तान के भावी परमाणु कार्यक्रम के संबंध में अमरीका का क्या दृष्टिकोण है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) जी हां।

(ख) मार्च, 1995 में हाउस एशिया पेसेफिक सब कमेटी के समक्ष साक्ष्य के दौरान कई प्रशासनिक प्रवक्ताओं ने प्रेसलर संशोधन में परिवर्तनों के पक्ष में दलील दी। कांग्रेस के कई सदस्य भी इस कार्यवाही के पक्ष में बोले जबकि अन्यों ने इसका विरोध किया। उम्मीद है कि अमरीकी प्रशासन मई 1995 के दौरान अमरीकी कांग्रेस के समक्ष इस संबंध में प्रस्ताव पेश करेगा।

(ग) और (घ) जी हां। सरकार ने इस बात से अवगत कराया है कि हालांकि प्रेसलर संशोधन अमरीका तथा पाकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय मसला है फिर भी पाकिस्तान को अधुनातन तथा उच्च निष्पादन शस्त्र-प्रणाली के अन्तरण से भारत की सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इसका प्रतिकार करने के लिए भारत को मजबूरन सभी आवश्यक कदम उठाने पड़ेंगे। अमरीका का यह कहना है कि प्रेसलर संशोधन पाकिस्तान को नाभिकीय प्रसार करने से रोकने में असफल तो रहा ही है साथ ही इसने अमरीकी वाणिज्यिक ब्रिक्रियों तथा निवेश की वृद्धि को सीमित करके अमरीका-पाकिस्तान संबंधों के विकास में अड़चन डाली है। अमरीका यह भी महसूस करता है कि प्रेसलर संशोधन में परिवर्तन करने से भारत पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ङ) जी हां।

(च) एक अरसे से पाकिस्तान का यह उद्देश्य रहा है कि प्रेसलर संशोधन को रद्द करवाया जाए अथवा उसमें परिवर्तन करवाया जाए। पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की अमरीका यात्रा के दौरान राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने यह कहा था कि वे यह चाहते हैं कि प्रेसलर संशोधन के संबंध में अमरीका कांग्रेस लचीला रूख अपनाए। अमरीकी कांग्रेस के कई सदस्यों ने इस कार्यवाही का समर्थन भी किया और साथ कुछ अन्य सदस्यों ने इस पर अपना विरोध जताया है।

अमरीका की आधिकारिक स्थिति यह है कि "अपेक्षाकृत कम समय में पाकिस्तान कुछ नाभिकीय उपकरणों का संयोजन कर सकता है।" अमरीका का घोषित उद्देश्य यह है कि दक्षिण एशिया में नाभिकीय तथा प्रक्षेपास्त्र क्षमताओं को ठप कर दिया जाए, उनमें कमी की जाए और अन्ततोगत्वा उनको नष्ट कर दिया जाए।

**[हिन्दी]**

**श्री महेश कनोडिया** : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान को अत्याधुनिक तथा उच्च निष्पादन शस्त्र प्रणाली उपलब्ध कराने से भारत की सुरक्षा पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है और पाकिस्तान को कथित रूप से अमरीका द्वारा दी जा रही सुविधा को रोकने के लिए भारत द्वारा कोई ठोस कदम उठाने का विचार है ? इस संदर्भ में मैं यह भी जानना चाहूंगा, भारत द्वारा नियुक्त लोबियस्ट की इस विषय में क्या भूमिका रही है ? उसने कहां तक US कांग्रेस में भारतीय पक्ष को रखने में सफलता प्राप्त की है और भारतीय दूतावास की क्या भूमिका रही है ?

**श्री आर. एल. भाटिया** : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की बात से मुत्तफिक हैं कि F16 दिए जाने से भारत की सिक्योरिटी व्यवस्था पर असर पड़ेगा। हमने इस बात की चिन्ता स्टेट-डिपार्टमेंट में वहां के हमारे एमबैस्डर द्वारा पहुंचाई है। इसके अलावा जो उनकी सिनैट के मैम्बर्स हैं, उनको हमने अवगत कराया है कि बुरा असर पड़ेगा। केवल बुरा असर भारत की सिक्योरिटी पर ही नहीं पड़ेगा, बल्कि भारत और US रिलेशन्स पर भी पड़ सकता है। ये सारी बातें हमने उनको कही हैं और जब यहां उनके सैक्रेटरी आए थे, उनको भी हमने बड़े अच्छे जोर से इस बात को कहा है कि यह जो प्रैसलर अमेंडमेंट में चेंज करने जा रहे हैं और उनको F16 देने जा रहे हैं, उससे हमारी सिक्योरिटी पर बुरा असर पड़ेगा और हमें अपना रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा और इस तरह से हम सिक्योरिटी को मजबूत कर सकते हैं।

**श्री महेश कनोडिया** : अध्यक्ष जी, क्या इस बात को ध्यान में रखते हुए कि पाकिस्तान अपेक्षाकृत कम समय में नाभिकीय उपकरणों का संयोजन कर सकता है, भारत ने इस गम्भीर स्थिति को देखते हुए अपनी सुरक्षा के लिए क्या कारगर उपाय किए हैं ?

**श्री आर. एल. भाटिया** : अध्यक्ष जी, पाकिस्तान जो एटम-बॉम और न्युक्लियर वैपन्स बना रहा है, उसके बारे में हम अच्छी तरह से जानते हैं और जो भी भारत की रक्षा के लिए जरूरी होगा, वह भारत करेगा। ....**(व्यवधान)**...

**श्री राम नाईक** : अध्यक्ष जी, उनके जैसी सुन्दर आवाज हम लोगों को भी मिले, तो कैसा हो। कितना साफ आवाज दिया है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री रवि राय** : अध्यक्ष जी, जो मिडिया से पता चला

है और वह यह है कि बेनजीर भुट्टो की अमरीका यात्रा के दौरान, प्रैसलर में तरमीम, जो हिन्दुस्तान के माफिक है, उसमें बन्दीली करने के लिए जो एक प्रोपागेंडा ब्लिट्ज किया है, मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि उसके एवज में हिन्दुस्तान की तरफ से अमरीका के जनमत की ओर अमरिका की सरकार के मानस को प्रभावित करने के लिए क्या उपाय कर रहे हैं? इस बारे में ठोस प्रमाण के साथ बताएं।

**श्री आर० एल० भाटिया** : इस प्रश्न के बारे में मैं पहले भी उत्तर दे चुका हूं कि भारत वहां के स्टेट डिपार्टमेंट को भी अवगत करा रही है। हमारी जो चिंताएं हैं, यहां जब भी उनके मंत्री आए उन सब को इस बात के लिए कहा गया। वहां के जो सिनेटर हैं उनसे भी हमने मिलकर इस बात की चर्चा की है कि पाकिस्तान जो परमाणु हथियार बना रहा है इसका क्या असर पड़ेगा ? इसके अलावा हमने जो लोबिस्ट रखे हुए हैं वे भी इस सिलसिले में पूरा काम कर रहे हैं जितना भी प्रेशर पब्लिक ओपिनियन बेंड करने का और वहां समझाने का डाला जा सकता है वह भारत सरकार कर रही है।

**श्री हरचन्द सिंह** : महोदय, मंत्री जी ने फरमाया है कि पाकिस्तान एटम बम बना रहा है, क्या भारत ने भी एटमी बम बनाए हैं ?

**श्री आर० एल० भाटिया** : यह प्रश्न दूसरी मिनिस्ट्री का है, मेरा इससे संबंध नहीं है।

**श्री हरचन्द सिंह** : नहीं, वे जो बना रहे हैं तो आप खामोश हैं ?

**श्री आर० एल० भाटिया** : मैंने इससे पहले एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया था कि चाहे उनको एफ 16 मिले या वे एटम बम बनाएं भारत इस सारी बात की जानकारी रखता है। भारत की सिक्योरिटी के लिए जो भी कदम जरूरी होंगे वह भारत उठाएगा।

**[अनुवाद]**

**डॉ० कार्तिकेशर पात्रा** : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि संयुक्त राज्य अमरीका की औपचारिक स्थिति यह है कि पाकिस्तान अपेक्षाकृत कम समय के अन्दर थोड़ी संख्या में आण्विक उपकरण बना सका है। मैं जानना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि क्या पाकिस्तान संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा घोषित किये गये अनुदेश या मार्गनिर्देश से बंधा हुआ है। मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि क्या पाकिस्तान ने संयुक्त राज्य अमरीका की उस घोषित नीति पर टिप्पणी की है।

**श्री आर० एल० भाटिया** : यह इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता। परन्तु फिर भी मैं केवल इतना कहूंगा कि ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : आप अब उनको "प्रेसलर संशोधन' का स्पष्टीकरण करें। उससे सब बात स्पष्ट हो जायेगी।

**श्री आर० एल० भाटिया** : महोदय, प्रेसलर संशोधन 1985 में लाया गया था। मुख्य बातें ये हैं : कि पाकिस्तान को कोई सहायता नहीं दी जायेगी और पाकिस्तान को कोई सैनिक उपकरण या प्रौद्योगिकी बेची नहीं जायेगी, जब तक प्रेसीडेन्ट लिखित रूप में यह प्रमाणित नहीं करता कि पाकिस्तान के पास आण्विक विस्फोटक उपकरण नहीं हैं, और यदि पाकिस्तान के पास आण्विक विस्फोटक उपकरण हो तो पाकिस्तान को प्रस्तावित अमरीकी सहायता कार्यक्रम को काफी अधिक घटा दिया जायेगा।

**डा० कार्तिकेशर पात्रा** : महोदय, मेरा प्रश्न यह था कि ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : वह स्पष्ट कर रहे हैं कि यह अमरीका के लिये वाध्यकारी है, पाकिस्तान के लिये नहीं है।

**डॉ० कार्तिकेशर पात्रा** : महोदय मेरा प्रश्न था कि यदि पाकिस्तान थोड़ी संख्या में आण्विक उपकरण बना सका है तो ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, आपने यह प्रश्न नहीं पूछा था। यदि आप इसे जोड़ना चाहते हैं तो दूसरी बात है।

... (व्यवधान) ...

**श्री आर० एल० भाटिया** : यह प्रेसलर संशोधन है। परन्तु अब अमरीकी सरकार की सोच में परिवर्तन आया है। वहां के राष्ट्रपति श्री क्लिंटन ने इसका उल्लेख किया है। दूसरे, जब श्रीमती भुट्टो वहां गई थीं, तो उसने कहा था कि उनको या तो धन लौटाया जाये या एफ-16 दिये जायें। अत: इस मामले में, अमरीका की सरकार के रूख में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। जो भिन्न-भिन्न वक्तव्य जारी हो रहे हैं या तो विदेश विभाग की ओर से या वहां की कांग्रेस के सदस्यों की ओर से जिनसे पता चलता है कि अमरीका प्रेसलर संशोधन में परिवर्तन कर सकता है। ऐसी संभावना है कि अगले महीने तक वे इस पर विचार कर सकते हैं। परन्तु मैं इस सभा के सदस्यों को बताना चाहता हूं कि परिवर्तन का पर्याप्त विरोध हो रहा है, क्योंकि श्री प्रेसलर रिपब्लिकन पार्टी के सदस्य हैं और वहां की कांग्रेस में रिपब्लिक पार्टी के लोग भी हैं। इसलिये, परिवर्तन का जोरदार विरोध भी है। अत: हमें प्रतीक्षा करनी होगी और इसके परिणाम को देखना होगा।

**[हिन्दी]**

**प्रो० प्रेम धूमल** : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि हमारा दूतावास और जो लाबिस्ट अपायंट किए हैं, उन्होंने हमारा पक्ष रखने का प्रयत्न किया है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि हमने कितने लाबिस्ट इस काम के लिए वहां पर अपायंट किए हैं और आज तक कितना खर्चा इसके लिए सरकार को करना पड़ा है ?

**श्री आर० एल० भाटिया** : अध्यक्ष महोदय, एक ही फर्म को लाबिस्ट मुकर्रर किया गया था और उनका जो काम हमारे सामने आया है, वह बहुत अच्छा है। उन्होंने वहां के कांग्रेसमैन को हमारे प्वाइंट ऑफ व्यू से अवगत कराने में काफी अच्छा काम किया है। वहां पर सीनेटर्स ने सवाल भी उठाए हैं, मुद्दे उठाए हैं, अपनी गवर्नमेंट को लिखा है कि जो पाकिस्तान को मदद देने जा रहे हैं और प्रेसलर कानून में अमेंडमेंट करेंगे तो इसका असर इस रीजन में बुरा होगा और आपकी यह जो पालिसी है नान प्रालीफरेशन की, यह बात उसके विरूद्ध होगी। इस तरह से लाबिस्ट ने बहुत अच्छा काम किया है। उनको कितना पेमेंट किया गया है, इसके फिगर्स अभी मेरे पास नहीं हैं, मैं माननीय सदस्य को अवगत करवा सकता हूं।

## परमाणु अप्रसार संधि के बारे में भारत-अमरीका वार्ता

+

*469. **श्री रामपाल सिंह** :

**श्री सत्यदेव सिंह** :

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में अमरीका के साथ परमाणु अप्रसार संधि पर कोई वार्ता हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस वार्ता के दौरान किन-किन मुद्दों पर चर्चा हुई तथा वार्ता का क्या निष्कर्ष रहा;

(घ) क्या सरकार ने परमाणु अप्रसार संधि के बारे में अपने विचार स्पष्ट कर दिए हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार ने 1995 की, "एन पी टी एक्सटेन्शन कान्फ्रेन्स" में भाग लेने के संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**[अनुवाद]**

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)**: (क) से (ग) जी हां। अमरीका के राजनीतिक कार्य से सम्बद्ध अन्डर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पीटर टर्नोफ के साथ 3-4 अप्रैल को दिल्ली में विदेश मंत्रालय स्तर पर हुए विचार-विमर्शों में अप्रसार संधि का मुद्दा भी शामिल था। अमरीकी पक्ष ने कहा कि अमरीका की सरकार अप्रसार संधि के अनिश्चित काल तक और बिना शर्त विस्तार किए जाने के प्रति वचनबद्ध है।

(घ) और (ङ) जी हां। अमरीकी पक्ष को यह बताया गया कि भारत अप्रसार संधि के इसके वर्तमान स्वरूप के विरूद्ध है क्योंकि वह इसे एक भेदभाव पूर्ण संधि मानता है जो नाभिकीय शस्त्र वाले और गैर नाभिकीय शस्त्र वाले देशों के बीच स्थायी विभाजन करती है;

(च) और (छ) जी हां। सरकार ने इस समय चल रहे अप्रसार संधि समीक्षा/विस्तार सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग न लेने का निर्णय लिया है।

**[हिन्दी]**

**श्री रामपाल सिंह** : अध्यक्ष महोदय, अभी मंत्री महोदय ने अपने उत्तर के भाग क, ख, ग में बताया है कि 3-4 अप्रैल को दिल्ली में विदेश मंत्रालय स्तर पर विचार-विमर्श हुआ, लेकिन इस विचार-विमर्श का ब्यौरा नहीं दिया गया है। मंत्री महोदय इसका ब्यौरा बताएं।

**श्री आर० एल० भाटिया** : उसमें यही था, उन्होंने कहा था कि एनपीटी का जो रिव्यू हो रहा है, दुनिया के तमाम मुल्क इस बात पर चिंतित हैं कि एनपीटी ट्रीटी को बढ़ाया जाए। इसके बारे में हमने अपना पक्ष सहीतौर पर उनके सामने रखा है कि जो प्रेजेंट फार्म ट्रीटी है, यह भारत को सूट नहीं करती। पहली बात तो यह है कि जो 5 पावर्स हैं, जिनके पास न्यूक्लियर पावर है, एक तो जस्टीफाई होता है उनके पास हथियार होना। दूसरी बात यह है कि यह डिस्क्रिमिनेटरी है कि जिनके पास हथियार नहीं है, या जो क्षमता रखते हैं, जैसे भारत है, तो उन पर तो आप रोक लगा रहे हैं, लेकिन जिनके पास हथियार हैं, उन पर कोई रोक नहीं लग रही है। इसलिए हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते। तो भारत का पक्ष यह है कि अगर यह ट्रीटी ग्लोबल हो, कांप्रीहेंसिव हो, वेरीफायेबल हो, नानडिस्क्रिमिनेटरी हो, तो हम इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। यह बात हमारी तरफ से साफतौर पर टर्नोफ को बता दी गई है।

**श्री रामपाल सिंह** : प्रश्न संख्या 469 के उत्तर (च) और (छ) में बताया गया है कि सरकार ने इस समय चल रहे अप्रसार संधि समीक्षा/विस्तार सम्मेलन में पर्यवेक्षक के रूप में भाग न लेने का निर्णय लिया है, ऐसा निर्णय क्यों लिया है ?

**श्री आर० एल० भाटिया** : वे तो कहते हैं कि यह जो एन० पी० टी० कांफ्रेस है इसमें आप आइये लेकिन जब हमें इस ट्रीटी पर ही एतराज है तो हम वहां क्यों जाएं क्योंकि हमारी बात वहां बिल्कुल नहीं सुनी जाएगी। यह जो पांच पॉवर्स हैं ये वीटो का अधिकार भी रखती हैं और इस ट्रीटी को इसी शक्ल में आगे ले जाना चाहती हैं जिसके लिए भारत तैयार नहीं है और इसीलिए हम वहां जाना नहीं चाहते हैं।

## प्रश्नों के लिखित उत्तर

**[अनुवाद]**

### भारतीय श्रमिकों को परेशान किया जाना

***461. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया :**

**श्री अवतार सिंह भड़ाना :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदेशों में, विशेष रूप से खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीय श्रमिकों को परेशान किए जाने के बारे में निरंतर शिकायतें मिल रही हैं;

(ख) क्या सरकार ने उनकी शिकायतों पर ध्यान देने और उन्हें दूर करने के लिए कोई कक्ष (सेल) स्थापित किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए क्या कोई अन्य ठोस कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) से (घ) विदेशों विशेषकर खाड़ी के देशों में कार्यरत भारतीय श्रमिकों को पेश आने वाली समस्याओं के संबंध में सरकार को समय-समय पर शिकायतें मिलती रहती हैं। इन शिकायतों में अन्य बातों के साथ-साथ मजदूरी की अदायगी न किए जाने, पर्याप्त प्रतिमूर्त्ति के बिना लम्बे तथा श्रमसाध्य कार्यसमय, भारत आने के लिए छुट्टी न दिए जाने और हवाई यात्रा की सुविधा न दिए जाने, प्रयोजक/नियोजक द्वारा कामगारों के यात्रा-दस्तावेज अपने पास रख लिए जाने, संविदात्मक दायित्वों का निर्वाह न करने तथा सामान्य दुर्व्यवहार से संबंधित शिकायतें भी शामिल हैं।

अनपढ़ होने के कारण बहुत से श्रमिकों को अपने अधिकारों की जानकारी नहीं होती है। बहुत से श्रमिकों को भर्ती एजेंट धोखा देकर उनसे ऐसी संविदाओं पर हस्ताक्षर करवा लेते हैं जो कामगारों के हितों के खिलाफ होती हैं। ऐसे भी मामले हुए हैं जिनमें श्रमिक विदेशों में गैर-कानूनी ढंग से प्रवेश करने में सफल हो जाते हैं और इसलिए नियोजकों द्वारा उनका शोषण किया जाता है।

भारत सरकार संबंधित देशों में भारतीय कामगारों के हित कल्याण का सुनिश्चय करने तथा उनकी स्थितिथियों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से विदेश स्थिति भारतीय मिशनों का सर्वप्रथम प्रयास यह रहता है कि व्यथित कामगार तथा नियोजक के बीच मतभेद सुलझ जाएं और इनका परस्पर स्वीकार्य हल निकल आए। जहां कही आवश्यक होता है मामलों को विदेशी सरकार के संबंधित प्राधिकारियों के साथ उठाया जाता है ताकि वे नियोजकों को भारतीय कामगारों की शिकायतें दूर करने के लिए कहें। जिन मामलों में वैकल्पिक रोजगार अथवा मिशन के भरसक प्रयासों के बावजूद कोई हल नहीं निकल पाता उनमें व्यथित कामगारों के स्वदेश प्रत्यावर्तन को सुविधाजनक बनाने के लिए सभी प्रकार की सहायता दी जाती है।

शिकायतों को दूर करने अथवा उत्प्रवास के विभिन्न पहलुओं के संबंध में किसी भी प्रकार की सूचना देने के लिए श्रम मंत्रालय ने उत्प्रवास महा संरक्षक के कार्यालय है। के माध्यम से नई दिल्ली में स्थित अपने मुख्यालय तथा छह क्षेत्रीय कार्यालयों में सार्वजनिक सुनवाई की व्यवस्था की हुई है।

### भारत में इस्पात की खपत

***464. श्री चित्त बसु :**

**श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव :**

क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के अन्य देशों की तुलना में भारत में इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत सबसे कम है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस्पात की मांग और सप्लाई में अन्तर बहुत अधिक बढ़ गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस अन्तर को समाप्त करने तथा इस्पात के उत्पादन और सहयोग को बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):** (क) भारत उन देशों में है जहां इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत कम है। वर्ष 1992 में भारत में अपरिष्कृत इस्पात की प्रति व्यक्ति खपत 22 कि॰ ग्राम थी जबकि विश्व औसत खपत 143 कि॰ ग्राम थी।

(ख) इस्पात की खपत का स्तर देश के आर्थिक और औद्योगिक विकास के स्तर से जुड़ा हुआ है।

(ग) घरेलू मांग को पूरा करने के लिए इस समय घरेलू उत्पादन लगभग पर्याप्त है। यद्यपि इस्पात की कतिपय श्रेणियों जैसे तप्त बेल्लित क्वायलों, शीत बेल्लित क्वायलों, टिन प्लेट आदि का आयात किया जाता है जबकि कुछ श्रेणियों जैसे सेमीज, छड़ों तथा गोल छड़ों, संरचनात्मकों, प्लेटों आदि का निर्यात किया जाता है।

(घ) देश में इस्पात के उत्पादन में वृद्धि करने के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण और विस्तार कार्य शुरू किया गया है। निजी क्षेत्र में इस्पात उत्पादन की अतिरिक्त क्षमताएं सृजित करने की सुविधा के लिए तथा इसे प्रोत्साहन देने के लिए सरकार ने भी विभिन्न नीतिगत उपाय किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) लोहा और इस्पात को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित उद्योगों की सूची से निकालना।

(2) लोहा और इस्पात उद्योग को अनिवार्य लाइसेंसिंग के प्रावधानों से छूट देना।

(3) विदेशी निवेश के उद्देश्य से लोहा और इस्पात को उच्च प्राथमिकता प्राप्त उद्योगों की सूची में शामिल करना।

(4) लोहे और इस्पात के मूल्य निर्धारण और वितरण पर से नियन्त्रण समाप्त करना।

(5) पूंजीगत सामान के आयात पर से सीमा शुल्क कम करना और

(6) आयात-निर्यात नीति का उदारीकरण।

आर्थिक विकास होने और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि होने से इस्पात की खपत में भी वृद्धि होने की आशा है।

**[हिन्दी]**

## विद्युत उत्पादन

***467. श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने आगामी कुछ वर्षों में विद्युत उत्पादन की अतिरिक्त क्षमता पैदा करने के लिए हाल ही में योजनाएं बनाई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है तथा वर्ष 1995-96 के लिए विद्युत उत्पादन के क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(घ) क्या राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लाभ अर्जित कर रहा है;

(ङ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है, और 30 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड की ओर कुल कितनी राशि बकाया थी; और

(च) इसकी वसूली के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन. के. पी. साल्वे)** : (क) और (ख) आगामी कुछ वर्षों में अपनी विद्युत उत्पादन क्षमता में बढ़ोतरी करने के लिए राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन. टी. पी. सी.) का निम्नवत् नई परियोजनाओं को हाथ में लेने का प्रस्ताव है :–

| परियोजना का नाम | क्षमता (मे. वा. में) | अंतिम यूनिट को चालू करने का कार्यक्रम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| (1) विन्ध्याचल सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-2), मध्य प्रदेश | 1000 | फरवरी, 2001 |
| (2) ऊँचाहार ताप विद्युत परियोजना (चरण-2), उत्तर प्रदेश | 420 | जुलाई, 2000 |
| (3) कायमकुलम संयुक्त साइकल परियोजना, केरल | 400 | अगस्त, 1999 |
| (4) हरियाणा में फरीदाबाद गैस विद्युत परियोजना | 400 | अक्तूबर, 1999 |
| (5) गुजरात में कवास गैस विद्युत परियोजना (चरण-2) | 650 | 50 महीने* |
| (6) रामागुण्डम सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-2), आंध्र प्रदेश | 500 | 62 महीने* |
| (7) तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-2), उड़ीसा | 2000 | 90 महीने* |
| (8) रिहन्द सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-2), उत्तर प्रदेश | 1000 | 71 महीने* |
| (9) सिम्हाद्री ताप विद्युत केन्द्र, विशाखापट्टनम | 1000 | 71 महीने* |
| (10) हैदराबाद मैट्रो कम्बाइण्ड साइकल पावर प्रोजेक्ट, हैदराबाद | 650 | 50 महीने* |
| जोड़ : | 8020 | |

*यह सी. सी. ई. ए. के अनुमोदन के पश्चात अंतिम इकाई को समकालित किए जाने हेतु उपेक्षित महीनों को समय दर्शाता है।

(ग) 31 मार्च, 1995 की स्थिति के अनुसार एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ की अधिष्ठापित क्षमता 15,625 मेगावाट थी। तलचेर सुपर ताप विद्युत परियोजना (चरण-1) की यूनिट-2 को समकालित करके 1995-96 के दौरान 500 मे॰ वा॰ की अतिरिक्त क्षमता जोड़ने का इसका लक्ष्य है। इसके अलावा, उड़ीसा राज्य बिजली बोर्ड के तलचेर ताप विद्युत केन्द्र (460 मेगावाट) को एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को सौंपे जाने का सरकार ने अनुमोदन कर दिया है।

(घ) और (ङ) जी, हाँ। एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ 1982-83, जिस वर्ष इसने विद्युत उत्पादन की शुरूआत की थी, से लाभ अर्जित कर रहा है। 8वीं योजना के दौरान एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ द्वारा अब तक अर्जित किया गया निवल लाभ निम्नवत् है :-

| वर्ष | निवल लाभ (करोड़ों रुपये में) |
|---|---|
| 1992-93 | 866.57 |
| 1993-94 | 1057.97 |
| 1994-95 | 1112.15 (अनंतिम) |

30.4.95 की स्थिति के अनुसार एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को देय कुल बकाया राशि 1725.97 करोड़ रुपये (1347.10 करोड़ रुपये के अधिभार को छोड़कर) है। ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(च) राज्य बिजली बोर्ड द्वारा देय बकाया राशि को वसूल करने के लिए उठाए गए कदमों में ये शामिल हैं :-

(1) राज्य बिजली बोर्डों के साथ बल्क पावर समझौतों/विद्युत क्रय समझौतों पर हस्ताक्षर करना और साखपत्र खोलने के लिए कार्रवाई करना।

(2) जिन मामलों में व्यवहार्य हो, अपने विद्युत केन्द्रों से विद्युत सप्लाई के नियंत्रण [illegible] एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को अनुमति प्रदान करना।

(3) एल/सी की मात्रा से अधिक मात्रा में विद्युत प्राप्त करने पर राज्य बिजली बोर्डों से भी जुर्माना दर से अधिभार बसूल किए जाएंगे।

(4) चूककर्ता राज्यों की केन्द्रीय योजना सहायता से केन्द्रीय बिनियोजन के रूप में एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ की बकाया राशि वसूल करना।

(5) चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों की ओर बकाया राशि का निपटान करने और उनके द्वारा वर्तमान बिलों का नियमित रूप से भुगतान किए जाने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई करना।

## विवरण

**30 अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को देय बकाया राशि**

(करोड़ रुपये में)

| राज्य बिजली बोर्ड (एस॰ ई॰ बी॰) | इस समय बकाया राशि | अधिभार बिल की राशि | कुल बकाया राशि |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **क. उत्तरी क्षेत्र तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र** | | | |
| उत्तर प्रदेश रा॰ बि॰ बोर्ड | 570.77 | 268.25 | 839.02 |
| राजस्थान रा॰ बि॰ बोर्ड | 37.20 | 121.63 | 158.83 |
| दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान | 285.42 | 74.63 | 360.85 |
| पंजाब रा॰ बि॰ बोर्ड | 19.86 | 3.22 | 23.08 |
| हरियाणा रा॰ बि॰ बोर्ड | 197.88 | 196.59 | 394.47 |
| हिमाचल प्रदेश रा॰ बि॰ बोर्ड | 4.285 | 8.05 | 12.30 |
| जम्मू एवं कश्मीर | 249.57 | 33.58 | 283.15 |
| संघ शासित क्षेत्र चण्डगढ़ | 3.39 | 0.24 | 3.63 |
| जोड़ (क) | 1368.34 | 616.19 | 1984.53 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **ख. पश्चिमी क्षेत्र** | | | |
| मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड | 50.72 | 163.42 | 214.14 |
| महाराष्ट्र रा० बि० बोर्ड | 34.14 | 66.74 | 100.88 |
| गुजरात बिजली बोर्ड | 10.84 | 61.03 | 71.87 |
| गोवा | 1.45 | 0.13 | 1.58 |
| दादर एवं नगर हवेली | 0.00 | 0.07 | 0.00 |
| दमन और दीव | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
| जोड़ (ख) | 97.15 | 291.35 | 388.50 |
| **ग. दक्षिण क्षेत्र** | | | |
| आन्ध्र प्रदेश रा० बि० बोर्ड | 55.12 | 35.75 | 90.87 |
| कर्नाटक बिजली बोर्ड | 10.53 | 27.52 | 38.05 |
| तमिलनाडु बिजली बोर्ड | 22.65 | 50.57 | 73.22 |
| केरल रा० बि० बोर्ड | 6.21 | 21.32 | 27.53 |
| गोवा | 0.95 | 0.45 | 1.40 |
| पाण्डिचेरी | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| जोड़ (ग) | 95.46 | 135.63 | 231.09 |
| **घ. पूर्वी क्षेत्र** | | | |
| प० बंगाल रा० बि० बोर्ड | 7.68 | 53.79 | 61.47 |
| बिहार रा० बि० बोर्ड | 113.52 | 220.79 | 334.31 |
| उड़ीसा रा० बि० बोर्ड | 42.63 | 29.21 | 71.84 |
| सिक्किम | 1.19 | 0.14 | 1.33 |
| जोड़ (घ) | 165.02 | 303.93 | 468.95 |
| जोड़ (क + ख + ग + घ) | 1725.97 | 1347.10 | 3073.07 |

## दक्षिण पावर ग्रिड

***468. श्री पी० सी० थामस** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पावर ग्रिड से प्रत्येक राज्य को कितनी विद्युत की आपूर्ति की जाती है;

(ख) क्या विद्युत की अपर्याप्त आपूर्ति के कारण केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्यों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इन राज्यों को विद्युत की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** (क) और (ख) वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय क्षेत्र के केन्द्रों में दक्षिणी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य को उनकी पात्रता की अपेक्षा सप्लाई की गई विद्युत का ब्यौरा निम्नवत है :-

| | | पात्रता | वस्तुतः प्राप्त की गई विद्युत |
|---|---|---|---|
| | | (मिलियन यूनिट में) | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 6539.0 | 8450.2 |
| 2. | कर्नाटक | 4060.0 | 3395.2 |
| 3. | केरल | 3010.3 | 2351.9 |
| 4. | तमिलनाडु | 8166.0 | 7627.6 |

केन्द्रीय विद्युत से अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त न किए जाने पर केवल, तमिलनाडु और कर्नाटक को कुल मिलाकर ऊर्जा की कमी का सामना करना पड़ा। तथापि, केरल और तमिलनाडु

कुल मिलाकर 0.8% और 2.8% कमी का सामाना कर रहे हैं, कर्नाटक 17.2% ऊर्जा की कमी का सामना कर रहा है।

(ग) दक्षिण क्षेत्रीय बिजली बोर्ड (एस॰ आर॰ ई॰ बी॰) जिसके सभी दक्षिण राज्य घटक हैं और यह दक्षिण क्षेत्र में विद्युत सप्लाई की मानीटरिंग और नियंत्रण का कार्य करता है। केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत क्षेत्रों से दक्षिणी क्षेत्र में राज्यों द्वारा विद्युत प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करने के लिए राज्यों को अपने हिस्से की विद्युत प्राप्त करने और अधिक विद्युत प्राप्त न करने के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं, ताकि ग्रिड अनुशासन को बनाए रखा जा सके। इष्टतम विद्युत उत्पादन करने के लिए सभी भागीदारी बोर्डों को प्रोत्साहन देना, ग्रिड की प्रचालनात्मक आवर्तिता में सुधार करना, वोल्टता में सुधार करने के लिए शट कैपेसिटर्स अधिष्ठापित करना तथा पश्चिमी एवं ग्रिडों से दक्षिणी क्षेत्र को अतिरिक्त बिजली उपलब्ध कराना जैसे अन्य उपाय भी किए गए हैं।

## राज्य विद्युत बोर्डों का कार्यकरण

*470. **श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य विद्युत बोर्डों के कार्यकरण की जांच करने हेतु कोई समिति गठित की है;

(ख) क्या इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस रिपोर्ट को प्रस्तुत करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे)** : (क) राष्ट्रीय विकास परिषद (एन॰ डी॰ सी॰) ने, टैरिफ पुनर्संरचना, बेहतर दक्षता और विद्युत उत्पादन को वितरण से अलग करने पर विचार किए जाने के द्वारा राज्य बिजली बोर्डों की व्यावहारिक आर्थिक स्थिति हेतु उपाय किए जाने के साथ-साथ अन्य बातों की जांच किए जाने के लिए विद्युत सम्बन्धी समिति का गठन किया है।

(ख) एन॰ डी॰ सी॰ विद्युत सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष को प्रस्तुत कर दी गई है।

(ग) और (घ) एन॰ डी॰ सी॰ समिति की रिपोर्ट पर राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा अभी विचार-विमर्श किया जाना है।

**[अनुवाद]**

## उर्वरकों का उत्पादन और उनका आयात

*471. **श्री नरेश कुमार बालियान :**

**श्री हरिन पाठक :**

**क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों के दौरान राज्य-वार उर्वरकों का कुल कितना उत्पादन किया गया और इनकी खपत कितनी हुई;

(ख) क्या देश में उत्पादित उर्वरक आयातित उर्वरकों की तुलना में महंगे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस अंतर को कम करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है; और

(ङ) वर्ष 1995-96 के दौरान उर्वरकों के निर्यात हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव)**: (क) गत दो वर्षों के दौरान उर्वरकों के उत्पादन और खपत के राज्यवार ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) भारित औसत आधार पर यूरिया का प्रति टन प्रतिधारण मूल्य (अर्थात् उत्पादन लागत जमा शुद्ध मूल्य पर उचित लाभ) आयातित यूरिया के मूल्य की तुलना में कम है। तथापि, फास्फोटिक उर्वरकों के संबंध में आयात की गई किस्म स्वदेशी रूप से निर्मित किस्मों से सस्ती है। ऐसा मुख्य रूप से इस कारण है कि फास्फेटिक उर्वरकों के लिए देश लगभग 95% तक आयातित कच्चे मालों/मध्यवर्तियों पर निर्भर है।

(घ) उत्पादन लागत को कम करने के लिए किए गये कुछ उपाय निम्नलिखित हैं :

(i) फास्फोरिक एसिड, जी॰ डी॰ ए॰ पी॰ के निर्माण के लिए एक कच्चा माल है के आयात पर 27.8.1992 से सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया था,

(ii) नये संयंत्र तथा वर्तमान एककों के आधुनिकीकरण के लिए पूंजीगत मालों के आयात पर सीमा शुल्क 23.9.1992 से समाप्त कर दिया गया था,

(iii) वित्तीय संस्थाओं अथवा सरकार से ली गई आवधिक ऋणों पर ब्याज दरों में 3% की रियायत के लिए फरवरी, 1993 में एक योजना घोषित की गई थी।

(iv) फास्फोटिक और पोटाशिक उर्वरकों और उनके कच्चे मालों के सन्दर्भ में 5.9.1992 से रेलवे भाड़ा कम कर दिया गया था।

(ङ) भारत उर्वरकों का नेट आयातक है, अत: 1995-96 के दौरान उर्वरकों के आयात के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

## विवरण

### 1993-94 के दौरान उर्वरकों के राज्य वार उत्पादन तथा खपत

(1000 मी.टन.)

| राज्य का नाम | उत्पादन (1993-94) | | | खपत (1993-94) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | एन | पी | एन+पी | एन | पी | के | एन+पी+के |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **दक्षिण क्षेत्र** | | | | | | | |
| आन्ध्र प्रदेश | 489.9 | 197.4 | 687.3 | 1085.74 | 369.51 | 88.09 | 1543.34 |
| केरल | 262.2 | 112.8 | 375.0 | 77.60 | 33.12 | 66.11 | 176.83 |
| कर्नाटक | 100.0 | 31.1 | 131.1 | 472.81 | 215.82 | 116.40 | 805.03 |
| तमिलनाडु | 487.5 | 223.0 | 710.5 | 413.88 | 161.34 | 205.69 | 780.91 |
| पांडीचरी | | | | 11.52 | 3.82 | 3.9 | 19.27 |
| अण्डमान व नीकोबार द्वीप समूह | | | | 0.22 | 0.10 | 0.03 | 0.35 |
| योग दक्षिणी क्षेत्र | 1339.6 | 564.3 | 1903.9 | 2061.77 | 783.71 | 480.25 | 3325.73 |
| **पश्चिम क्षेत्र** | | | | | | | |
| गोआ | 215.3 | 50.1 | 265.4 | 3.12 | 1.86 | 1.09 | 6.07 |
| म॰ प्र॰ | 413.2 | 45.5 | 458.7 | 521.20 | 235.95 | 16.83 | 773.98 |
| महाराष्ट्र | 902.3 | 155.1 | 1057.4 | 804.31 | 259.02 | 130.85 | 1194.18 |
| गुजरात | 1702.7 | 641.1 | 2343.8 | 472.89 | 157.02 | 39.18 | 669.09 |
| राजस्थान | 243.9 | 14.7 | 258.6 | 385.98 | 133.75 | 2.63 | 502.36 |
| दमन एवं दीप | | | | 0.15 | 0.04 | 0.01 | 0.20 |
| दादर नगर हवेली | | | | 0.68 | 0.38 | 0.02 | 1.08 |
| योग पश्चिम क्षेत्र | 3477.4 | 906.5 | 4383.9 | 2168.33 | 788.02 | 190.61 | 3146.96 |
| **पूर्व क्षेत्र** | | | | | | | |
| बिहार | 129.4 | 20.6 | 150.0 | 471.64 | 98.67 | 15.01 | 585.32 |
| उड़ीसा | 188.6 | 177.1 | 365.7 | 154.59 | 34.17 | 18.95 | 207.71 |
| प॰ बंगाल | 35.0 | 68.4 | 103.4 | 425.31 | 183.21 | 136.57 | 745.09 |
| असम | 87.3 | 0.2 | 87.5 | 20.72 | 4.98 | 7.70 | 33.40 |
| त्रिपुरा | | | | 5.25 | 1.72 | 0.89 | 7.86 |
| मणिपुर | | | | 8.20 | 0.86 | 0.05 | 9.11 |
| मेघालय | | | | 1.82 | 1.13 | 0.27 | 3.22 |
| नागालैण्ड | | | | 0.50 | 0.48 | 0.14 | 1.10 |
| अरुणाचल प्रदेश | | | | 0.28 | 0.21 | 0.08 | 0.57 |
| मीजोरम | | | | 0.36 | 0.43 | 0.15 | 0.94 |
| सिक्किम | | | | 0.61 | 0.28 | 0.09 | 0.98 |
| योग पूर्व क्षेत्र | 440.3 | 266.3 | 706.6 | 1089.28 | 326.12 | 179.90 | 1595.30 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **उत्तर क्षेत्र** | | | | | | | |
| हरियाणा | 237.5 | 3.8 | 241.3 | 522.88 | 148.44 | 0.36 | 671.68 |
| पंजाब | 478.9 | 20.6 | 499.5 | 946.52 | 245.49 | 7.47 | 1199.48 |
| उ॰ प्र॰ | 1257.5 | 54.3 | 1311.8 | 1893.52 | 359.85 | 38.75 | 2291.92 |
| हिमाचल प्रदेश | | | | 24.65 | 2.34 | 1.62 | 28.61 |
| जम्मू कश्मीर | | | | 35.17 | 6.56 | 0.60 | 42.33 |
| दिल्ली | | | | 13.28 | 2.44 | 0.02 | 15.74 |
| चण्डीगढ़ | | | | 0.51 | 0.02 | 0.00 | 0.53 |
| योग उत्तर क्षेत्र | 1973.9 | 78.7 | 2052.6 | 3436.53 | 764.94 | 48.82 | 4250.29 |
| टी बोर्ड | | | | | | | |
| योग (अखिल भारत) | 7231.2 | 1815.8 | 9047.0 | 8788.57 | 2669.34 | 908.42 | 12366.33 |

**1994-95 के दौरान उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन तथा खपत**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **दक्षिण क्षेत्र** | | | | | | | |
| आंध्र प्रदेश | 507.3 | 268.8 | 776.1 | 1109.15 | 382.09 | 109.95 | 1601.19 |
| केरल | 263.5 | 132.6 | 416.1 | 83.72 | 42.66 | 75.23 | 201.61 |
| कर्नाटक | 133.8 | 47.2 | 181.0 | 482.50 | 202.61 | 119.46 | 804.57 |
| तमिलनाडु | 806.7 | 370.5 | 977.2 | 481.86 | 193.36 | 278.12 | 953.34 |
| पाण्डिचेरी | | | | 12.69 | 3.96 | 3.93 | 20.58 |
| अण्डमान व नीकोबार द्वीप समूह | | | | 0.40 | 0.12 | 0.32 | 0.84 |
| योग दक्षिण क्षेत्र | 1531.3 | 819.1 | 2350.4 | 2170.32 | 824.80 | 587.01 | 3582.12 |
| **पश्चिम क्षेत्र** | | | | | | | |
| गोआ | 224.4 | 88.0 | 312.4 | 3.53 | 1.41 | 1.43 | 6.37 |
| म॰ प्र॰ | 386.4 | 73.3 | 459.7 | 547.54 | 286.35 | 29.85 | 863.74 |
| महाराष्ट्र | 896.9 | 161.9 | 1058.8 | 948.00 | 379.00 | 187.00 | 1514.00 |
| गुजरात | 1756.9 | 724.8 | 2481.7 | 562.50 | 200.99 | 50.16 | 813.65 |
| राजस्थान | 522.8 | 16.3 | 539.1 | 473.73 | 147.97 | 7.94 | 629.64 |
| दमन एवं दीव | | | | 0.13 | 0.05 | 0.01 | 0.19 |
| दादर नगर हवेली | | | | 0.67 | 0.41 | 0.04 | 1.12 |
| योग पश्चिम क्षेत्र | 3787.4 | 1064.3 | 4851.7 | 2536.10 | 1016.18 | 276.43 | 3828.71 |
| **पूर्व क्षेत्र** | | | | | | | |
| बिहार | 174.8 | 27.4 | 202.2 | 525.62 | 95.52 | 34.03 | 655.17 |
| उड़ीसा | 214.8 | 323.8 | 538.6 | 159.54 | 37.51 | 23.58 | 220.63 |
| प॰ बंगाल | 36.4 | 100.2 | 136.6 | 450.42 | 160.35 | 136.08 | 746.85 |
| असम | 73.3 | 0.2 | 73.5 | 21.95 | 4.85 | 9.79 | 36.59 |
| त्रिपुरा | | | | 5.19 | 2.21 | 1.36 | 8.76 |
| मणिपुर | | | | 8.96 | 2.03 | 0.32 | 11.31 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| मेघालय | | | | 2.24 | 1.15 | 0.19 | 3.58 |
| नागालैण्ड | | | | 0.26 | 0.28 | 0.11 | 0.65 |
| अरूणाचल प्रदेश | | | | 0.30 | 0.24 | 0.11 | 0.65 |
| मिजोरम | | | | 0.31 | 0.30 | 0.22 | 0.83 |
| सिक्किम | | | | 0.71 | 0.21 | 0.06 | 0.98 |
| कुल पूर्व क्षेत्र | 499.3 | 451.6 | 950.9 | 1175.50 | 304.65 | 205.85 | 1686.00 |
| **उत्तर क्षेत्र** | | | | | | | |
| हरियाणा | 209.3 | 12.6 | 221.9 | 550.14 | 151.63 | 2.12 | 703.89 |
| पंजाब | 483.5 | 34.8 | 518.3 | 1032.15 | 265.14 | 16.44 | 1313.73 |
| उत्तर प्रदेश | 1434.6 | 110.3 | 1544.9 | 2085.59 | 424.91 | 73.19 | 2563.69 |
| हिमाचल प्रदेश | | | | 29.16 | 2.55 | 2.26 | 33.97 |
| जम्मू कश्मीर | | | | 41.73 | 8.89 | 1.45 | 52.07 |
| दिल्ली | | | | 14.20 | 2.06 | 0.04 | 16.30 |
| चण्डीगढ़ | | | | 0.36 | 0.04 | 0.00 | 0.40 |
| योग (उत्तर क्षेत्र) | 2127.4 | 157.7 | 2285.1 | 3733.33 | 855.22 | 95.50 | 4684.05 |
| टी बोर्ड | | | | 26.33 | 5.77 | 16.65 | 48.75 |
| योग (अखिल भारत) | 7945.4 | 2492.7 | 10438.1 | 9641.58 | 3006.62 | 1181.44 | 13829.64 |

**[अनुवाद]**

## चीन की यात्रा पर गया उच्च स्तरीय शिष्टमंडल

***472. श्री अंनतराव देशमुख** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय इस्पात सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय भारतीय शिष्टमंडल ने हाल ही में चीन की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो क्या इस शिष्टमंडल ने लौह और इस्पात के क्षेत्रों में वाणिज्यिक और वैज्ञानिक सहयोग के संबंध में कुछ प्रस्ताव किये; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):** (क) से (ग) चीन गणराज्य के धातुकर्मीय उद्योग मंत्रालय के उपमंत्री के निमंत्रण पर सचिव, इस्पात मंत्रालय के नेतृत्व में एक शिष्ट मंडल ने फरवरी, 1995 में चीन की यात्रा की थी। इस यात्रा का उद्देश्य लोहा और इस्पात क्षेत्र में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ाना था।

बीझिंग में यात्रा के अन्त में दोनों पक्षों ने एक समझौते ज्ञापन (एम॰ ओ॰ यू॰) पर हस्ताक्षर किए। इसके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि चीन-भारत लोहा और इस्पात संयुक्त कार्य दल गठित किया जाए। कार्यदल आवधिक रूप से मिलेगा और द्विपक्षीय आर्थिक-वाणिज्यिक और वैज्ञानिक सहयोग के तरीकों का पता लगाएगा।

दोनों पक्षों ने निम्नलिखित विशिष्ट क्षेत्र जिनमें कार्य दल द्वारा विचार-विमर्श के लिए संवद्धता और सम्भाव्यता है, अभिज्ञात किए हैं :-

(क) लोहा और इस्पात उद्योग के लिए कच्चे माल की आवश्यकता।

(ख) लोहा और इस्पात, फैरो मिश्र और अन्य सम्बद्ध सामग्रियों के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकीय विकास।

(ग) वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकीय अनुसंधान जिसमें नए उत्पादों का विकास और उनके प्रयोग भी शामिल हैं।

(घ) तकनीकी मानदण्ड और गुणत्ता प्रबंधन।

(ङ) लोहा और इस्पात उद्योग में कर्मिकों को प्रशिक्षण।

(च) दोनों देशों में उन्नति की सुविधा के लिए अवसंरचनात्मक विकास और लोहा एवं इस्पात सामग्रियों (कच्चे माल सहित) में भरपूर व्यापार, तथा

(छ) लोहा और इस्पात सामग्रियों तथा उपस्करों के द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि।

## विद्युत उत्पादन

*473. **श्रीमती भावना चिखलिया :**

**श्री सनत कुमार मंडल :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्धारित लक्ष्य की तुलना में कुल कितनी विद्युत का उत्पादन हुआ;

(ख) वर्ष 1994-95 में विद्युत की कुल कितनी आवश्यकता थी;

(ग) क्या नवीनतम सरकारी आंकलन के अनुसार वर्ष 1994-95 में विद्युत उत्पादन में भारी कमी आई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक उपाय किए जायेंगे?

**विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे) :**

### विवरण

**(क) वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य की तुलना में वस्तुत: ऊर्जा उत्पादन का ब्यौरा निम्नानुसार है :-**

(आँकड़े मिलियन यूनिट में)

| श्रेणी | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | वास्तविक | लक्ष्य | वास्तविक |
| ताप विद्युत | 243200 | 247757 | 274700 | 262897 |
| न्यूक्लीय | 6050 | 5399 | 8300 | 5605 |
| जल विद्युत | 67500 | 70375 | 69000 | 82518 |
| जोड़ : | 316700 | 323531 | 352000 | 351020 |

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में कुल मिलाकर ऊर्जा की आवश्यकता 322260 मिलियन यूनिट थी।

(ग) जैसाकि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्ष 1994-95 के दौरान ऊर्जा उत्पादन में वास्तविक कमी लक्ष्य का केवल 0.3 प्रतिशत थी।

(घ) 1994-95 के दौरान कुल मिलाकर ऊर्जा उत्पादन में कमी का कारण, परमाणु विद्युत केन्द्रों की लम्बी बंदी की अवधि के परिणामस्वरूप कम-न्यूक्लीय विद्युत उत्पादन होना और कुछेक ताप विद्युत केन्द्रों को निम्न गुणवत्ता वाला तथा कम मात्रा में कोयला उपलब्ध कराए जाने के परिणामस्वरूप कम ताप विद्युत उत्पादन किया जाना था।

(ङ) देश में अधिष्ठापित क्षमता का इष्टतम सदुपयोग न किए जाने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये शामिल है; पुराने यूनिट का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, अपेक्षित गुणवत्ता वाला उपयुक्त मात्रा में कोयला सप्लाई करना, प्रचालन एवं अनुरक्षण कर्मिकों को प्रशिक्षण देना, विभिन्न प्रणाली सुधार स्कीमों को क्रियान्वित करना और पारेषण एवं वितरण प्रणाली को बनाना।

## उर्वरक एककों को केन्द्रीय सहायता

*474. **श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कतिपय रुग्ण उर्वरक एककों को, उनमें पुन: उत्पादन किए जाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे उर्वरक एककों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा एकक बार कितनी राशि स्वीकृत की गई है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव):** (क) से (ग) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कार्पोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) और फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) के प्रचालन कर रहे विभिन्न एककों में यूरिया के उत्पादन को प्रारम्भ करने और बनाए रखने के विचार से सरकार ने वर्ष 1994-95 के दौरान 101.75 करोड़ रु० के मूल बजटीय प्रावधान के अतिरिक्त 109.75 करोड़ रु० की अतिरिक्त गैर-योजना सहायता मंजूर की। 1994-95 के दौरान कम्पनीवार गैर योजना सहायता का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(रु० करोड़ में)

| कम्पनी का नाम | मूल बजटीय परिव्यय | अतिरिक्त बजटीय सहायता | कुल बजटीय सहायता |
|---|---|---|---|
| एच० एफ० सी० | 64.25 | 45.75 | 110.00 |
| एफ० सी० आई० | 37.50 | 64.00 | 101.50 |

## इस्पात निर्यातकों को प्रोत्साहन

*475. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्यातकों को एक साथ कुछ प्रोत्साहन देने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या-क्या मुख्य प्रस्ताव शामिल किए गए हैं;

(ग) इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में इस्पात का निर्यात किया गया ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):** (क) से (ग) वर्ष 1993-94 और 1994-95 में सिर्फ इस्पात निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के किसी पैकेज का प्रस्ताव नहीं किया गया है। यद्यपि सरकार ने निर्यात, जिसमें इस्पात का निर्यात भी शामिल है, में वृद्धि करने के लिए पिछले कुछ वर्षों में कई कदम उठाए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(1) कई अन्य वस्तुओं सहित इस्पात की सभी मदों का स्वतंत्र रूप से निर्यात करने की अनुमति है।

(2) इस्पात के लिए कच्चे माल का बिना शुल्क आयात करने हेतु निर्यात को उदार बनाया गया है।

(3) व्यापार और चालू खाते के संबंध में रूपए को परिवर्तनीय बनाया गया है।

(घ) वर्ष 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान निर्यात किए गए इस्पात की मात्रा निम्नलिखित है :-

| वर्ष | मात्रा (दस लाख टन) |
|---|---|
| 1992-93 | 0.89 |
| 1993-94 | 1.60 |
| 1994-95 | 1.30 |

(अन्तिम)

## कोयला आधारित परियोजनाओं द्वारा विद्युत उत्पादन

***476. श्री सी० श्रीनिवासन** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में कोयला आधारित संयंत्रों के द्वारा विद्युत का कितने प्रतिशत उत्पादन किया जाता है;

(ख) क्या सरकार कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों के माध्यम से गैर-सरकारी कम्पनियों के द्वारा विद्युत उत्पादन में वृद्धि करने पर विचार कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबन्धी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्री (श्री एन० के० पी० साल्वे)** : (क) वर्ष 1994-95 के दौरान देश में कोयला आधारित संयंत्रों से कुल मिलाकर 351025 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की तुलना में 222510 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन की गई, जो कि कुल विद्युत उत्पादन की 63.39 प्रतिशत है।

(ख) और (ग) जी, हाँ। विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को सरकार प्रोत्साहन प्रदान कर रही है। अब तक की स्थिति के अनुसार 77699.5 मे० वा० की क्षमता अभिवृद्धि हेतु निजी क्षेत्र में 195 विद्युत परियोजनाएं आमन्त्रित किए जाने का प्रस्ताव है। इनमें से 75 कोयला आधारित विद्युत परियोजनाओं के द्वारा 50294.5 मे० वा० की क्षमता जोड़ी जानी है।

## सरकारी क्षेत्र में स्पंज लौह संयंत्र

***477. श्री एस० एम० लालजान बाशा** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के स्पंज लौह संयंत्रों की संख्या तथा वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान कितने स्पंज लौह संयंत्र स्थापित किए गए और वे कहाँ-कहाँ स्थापित किए गए तथा उनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ग) ऐसे प्रत्येक एकक का वित्तीय निष्पादन क्या रहा; और

(घ) इस क्षेत्र में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):** (क) स्पंज आयरन इण्डिया (सिल) सरकारी क्षेत्र में एकमात्र स्पंज लोहा इकाई है। यह इकाई डले लौह अयस्क और 100 प्रतिशत अकोकर कोयले से स्पंज लोहे का उत्पादन करने की तकनीकी आर्थिक शक्यता प्रमाणित करने के लिए यू० एन० डी० पी०/यू० एन० आई० डी० ओ० के सहयोग से खम्मम, आन्ध्र प्रदेश में स्थापित की गई थी। इस इकाई में 30,000 टन प्रतिवर्ष क्षमता सहित नवम्बर, 1980 में नियमित प्रचालन आरम्भ हुआ था। इतनी ही क्षमता की दूसरी इकाई आन्तरिक विशेषज्ञता और स्वदेशी उपकरणों से तैयार की गई और इसमें अक्तूबर, 1985 से नियमित रूप से उत्पादन शुरू हुआ। स्पंज आयरन इण्डिया लिमिटेड (सिल) में इस समय कुल कर्मचारियों की संख्या 607 है। इस इकाई को 1994-95 के दौरान 325 लाख रुपये (अन्तिम) की निवल हानि हुई।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों में केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र में स्पंज लोहे की कोई इकाई स्थापित नहीं की गई है। स्पंज आयरन मैन्यूफैक्चरर्स एशोसिएशन (एस० आई० एम० ए०) जोकि स्पंज लोहा इकाइयों का प्रतिनिधि निकाय है, द्वारा भेजे गए अद्यतन ब्यौरे के अनुसार निजी क्षेत्र में तीन वर्ष की अवधि (1992, 1993 और 1994) के दौरान भिन्न-भिन्न क्षमता की 12 इकाइयां स्थापित की गई हैं। इन इकाइयों का ब्यौरा संलग्न अनुलग्नक में दिया गया है। दिहाड़ी मजदूरों सहित इन इकाइयों में कर्मचारियों की कुल संख्या लगभग 9,000 होने का अनुमान है। चूंकि ये सभी इकाइयां निजी क्षेत्र में हैं इसलिए उनका वित्तीय निष्पादन सरकार के पास उपलब्ध नहीं है।

**विवरण**

| इकाई | स्थान | क्षमता (लाख टन) |
|---|---|---|
| गोल्डस्टार स्टील एण्ड एलाएज लिमिटेड | विजाग | 2.2 |
| तमिलनाडु स्पंज लिमिटेड | सेलम | 0.3 |
| बेल्लारी स्टील एण्ड अलाएज लिमिटेड | बेल्लारी | 0.6 |
| जिन्दल स्ट्रिप्स लिमिटेड | रायगढ़ | 3.0 |
| कुमार मेटालर्जिकल कारपोरेशन लिमिटेड | नालगोंडा | 0.6 |
| रायपुर एलाएज | रायपुर | 0.6 |
| विक्रम इस्पात | रायगढ़ | 7.5 |
| प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटैड | चम्पा | 1.5 |
| निप्पोन डेनरो इस्पात लिमिटेड | रायगढ़ | 10.0 |
| नोवा आयरन एण्ड स्टील लि० | बिलासपुर | 1.5 |
| एच० ई० जी० लिमिटेड | दुर्ग | 0.60 |
| मानेट इस्पात लिमिटेड | रायपुर | 1.0 |

## दवाओं के मूल्यों के संबंध में औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो की सिफारिश

***478. श्री विजय एन० पाटील :**

**श्री हरीश नारायण प्रभु झांटये :**

**क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सरकार को पेनिसिलीन रिफैम्पीसिन तथा अन्य अनिवार्य दवाओं के मूल्य कम करने हेतु औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो से कोई सिफारिश प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या हाल ही में पेनिसिलीन और रिफैम्पीसिन के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार दवाओं के मूल्यों पर निगरानी रखने एवं उनके निर्धारण के लिए एक स्वतंत्र तंत्र की स्थापना करने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री रामलखन सिंह यादव):**

**विवरण**

(क) सरकार को अनुसूचीबद्ध औषधों के संबंध में समय-समय पर औद्योगिक लागत एवं मूल्य ब्यूरो (बी० आई० सी० पी०) की सिफारिशें प्राप्त होती हैं।

(ख) और (ग) सरकार ने पोटैशियम पेनिसिलिन की फर्स्ट क्रिस्टल की संशोधित कीमत अधिसूचित कर दी है। रिफैम्पिसिन की कीमत के संबंध में बी० आई० सी० पी० की रिपोर्ट पर विचार हो रहा है।

(घ) और (ङ) मूलावस्था से विनिर्माण के लिए औषध (कीमत नियंत्रण) आदेश, 1995 में अतिरिक्त 4 प्रतिशत प्रतिफल की परिकल्पना की गई है। बी० आई० सी० पी० द्वारा पोटैशियम पेनिसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल के संबंध में अपनी रिपोर्ट में इसका प्रावधान नहीं किया गया था। इस अतिरिक्त प्रतिफल के लिए प्रावधान करने के बाद पोटैशियम पेनिसिलिन जी फर्स्ट क्रिस्टल की कीमत रु० 1025/बी० यू० निर्धारित की गई है जो रु० 1021/बी० यू० की पूर्ववर्ती कीमत से 0.37 प्रतिशत अधिक है।

(च) और (छ) प्रपुंज औषधों और सूत्रयोगों की कीमतें निर्धारित करने तथा मानीटर करने के लिए राष्ट्री भेषज कीमत निर्धारित प्राधिकरण "(एन० पी० पी० ए०) स्थापित करने का प्रस्ताव है। एन० पी० पी० ए० स्थापित करने के उपाय प्रारंभ कर दिए गए हैं।

**[हिन्दी]**

## नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन

***479. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "नेहरू रोजगार योजना" के अन्तर्गत विभिन्न राज्यों को धनराशि के आवंटन के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या उक्त मानदण्ड सभी राज्यों पर समान रूप से लागू होते हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार इस योजना के सम्बन्ध में क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया तथा कितना लक्ष्य प्राप्त हुआ ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्री (श्रीमती शीला कौल):** (क) से (घ) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच नेहरू रोजगार योजना के तहत निधियों का नियतन राष्ट्रीय

प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन-38वें चक्र में यथा उल्लिखित इन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शहरी निर्धनों की संख्या के आधार पर सम्पूर्ण देश में शहरी निर्धनों के अनुपात में किया गया है। छोटे तथा पहाड़ी राज्यों को नाकाफी राशि होने की आलोचना से बचने के लिए न्यूनतम आधार स्तर का भी उपयोग किया जाता है। तथापि, निधियों का वास्तविक रिलीज अलग-अलग राज्यों के कार्य-निष्पादन पर निर्भर करते हुए किया जाता है। अल्प निष्पादन करने वाले राज्यों से निधियां कम करके बेहतर कार्य निष्पादन वाले राज्यों को दी जा रही है।

गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार नियमित निधियां तथा वास्तविक रिलीज के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ङ) सूचना संलग्न विवरण II, III, तथा IV में दी गई है।

## विवरण-I

**नेहरू रोजगार योजना के तहत 1992-93 के आगे केन्द्रीय निधियों का नियतन और रिलीज दर्शाने वाला ब्यौरा**

(रुपये लाख में)

| क्रम सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | 1992-93 | | 1993-94 | | 1994-95 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | नियतन | रिलीज | नियतन | रिलीज | नियतन | रिलीज |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 504.80 | 527.40 | 557.55 | 679.53 | 508.90 | 508.90 |
| 2. | बिहार | 533.10 | 457.35 | 565.85 | 359.30 | 524.20 | 429.95 |
| 3. | गुजरात | 240.00 | 198.45 | 269.45 | 212.52 | 246.40 | 194.45 |
| 4. | हरियाणा | 104.90 | 111.90 | 105.90 | 123.29 | 106.30 | 122.72 |
| 5. | कर्नाटक | 511.50 | 510.20 | 539.50 | 440.17 | 488.90 | 398.25 |
| 6. | केरल | 206.30 | 225.90 | 225.30 | 234.82 | 206.50 | 241.58 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 529.60 | 550.40 | 568.05 | 684.48 | 509.30 | 595.03 |
| 8. | महाराष्ट्र | 652.50 | 700.50 | 669.60 | 669.60 | 608.60 | 494.85 |
| 9. | उड़ीसा | 185.40 | 191.60 | 188.55 | 219.80 | 168.50 | 168.50 |
| 10. | पंजाब | 178.60 | 192.90 | 184.45 | 216.47 | 165.60 | 196.12 |
| 11. | राजस्थान | 355.60 | 309.40 | 366.65 | 379.60 | 327.60 | 361.55 |
| 12. | तमिलनाडु | 588.10 | 587.00 | 638.15 | 765.58 | 586.70 | 631.76 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 1374.50 | 1426.20 | 1440.05 | 1711.54 | 1308.30 | 1549.54 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 462.40 | 481.20 | 500.40 | 259.00 | 459.80 | 392.18 |
| 15. | गोवा | 23.10 | 19.70 | 21.95 | 17.85 | 20.20 | 18.25 |
| 16. | अरूणाचल प्रदेश | 32.60 | 16.60 | 33.25 | 19.75 | 60.55 | 45.09 |
| 17. | असम | 128.50 | 156.20 | 129.25 | 89.49 | 164.75 | 184.72 |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | 63.30 | 64.30 | 64.50 | 56.19 | 74.95 | 64.75 |
| 19. | जम्मू व कश्मीर | 86.50 | 86.50 | 86.15 | 87.48 | 80.05 | 73.68 |
| 20. | मणिपुर | 40.90 | 40.90 | 41.60 | 43.33 | 57.50 | 66.42 |
| 21. | मेघालय | 36.93 | 37.45 | 36.95 | 24.10 | 35.50 | 22.27 |
| 22. | मिजोरम | 24.30 | 24.30 | 24.15 | 21.74 | 25.60 | 29.06 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23. | नागालैण्ड | 39.80 | 19.20 | 40.10 | 15.70 | 50.35 | 21.95 |
| 24. | सिक्किम | 28.90 | 34.20 | 29.40 | 29.68 | 27.60 | 29.15 |
| 25. | त्रिपुरा | 24.10 | 25.20 | 24.15 | 25.60 | 25.50 | 28.61 |
| 26. | अण्डमान निको॰ द्वीप | 13.10 | 9.20 | 13.25 | 13.53 | 19.15 | 21.21 |
| 27. | चण्डीगढ़ | 18.70 | 12.20 | 20.90 | 13.86 | 17.70 | 15.79 |
| 28. | दादर व नागर हवेली | 12.30 | 8.40 | 12.45 | 11.05 | 11.80 | 10.35 |
| 29. | दमण तथा दीव | 21.80 | 15.10 | 23.90 | 18.25 | 22.50 | 13.32 |
| 30. | पाण्डिचेरी | 17.90 | 17.90 | 15.60 | 11.70 | 30.70 | 27.30 |
| 31. | दिल्ली | 40.00 | 22.00 | 40.00 | 22.00 | 40.00 | 22.00 |
| | सकल योग : | 7080.00 | 7079.75 | 7477.00 | 7477.00 | 6980.00 | 6980.00 |

## विवरण-II

### नेहरू रोजगार योजना
### वर्ष 1992-93 बाबत वर्षवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एस॰ यू॰ एम॰ ई॰ उन लाभ ग्राहियों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई है। | | एस॰ यू॰ डब्ल्यू॰ ई॰ सृजित कार्य दिवस (लाख में) | | एस॰ एच॰ ए॰ एस॰ यू॰ सुधारे गये रिहायशी एकक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 8645 | 25523 | 3.93 | 5.07 | 15316 | 45719 |
| 2. | बिहार | 3358 | 3732 | 5.14 | 27.63 | 13584 | 11130 |
| 3. | गुजरात | 1853 | 4765 | 1.61 | 3.09 | 7500 | 180 |
| 4. | हरियाणा | 1178 | 7435 | 0.98 | 0.96 | 2100 | 975 |
| 5. | कर्नाटक | 6456 | 14789 | 5.14 | 13.70 | 13067 | 8277 |
| 6. | केरल | 3306 | 4790 | 1.94 | 0.17 | 5866 | 18079 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 7828 | 43787 | 4.39 | 10.98 | 13884 | - |
| 8. | महाराष्ट्र | 10589 | 18839 | 6.85 | 5.20 | 13800 | - |
| 9. | उड़ीसा | 2216 | 4946 | 2.02 | 2.58 | 3817 | 4248 |
| 10. | पंजाब | 2261 | 3985 | 2.05 | 0.93 | 4016 | 1513 |
| 11. | राजस्थान | 1969 | 4594 | 3.61 | 3.43 | 7967 | - |
| 12. | तमिलनाडु | 9512 | 19182 | 4.66 | 5.45 | 16000 | 30221 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 19229 | 59101 | 14.21 | 28.09 | 34100 | 25973 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 8483 | 15169 | 3.64 | -39.28 | 12200 | 23570 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15. | गोवा | – | – | 0.18 | – | 333 | – |
| 16. | अरूणाचल प्रदेश | – | – | – | – | 833 | – |
| 17. | असम | 1589 | 1822 | 1.33 | 1.49 | 2667 | 6948 |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | 611 | 190 | 0.32 | 2.29 | 1666 | – |
| 19. | जम्मू व कश्मीर | 779 | 1695 | 0.46 | 1.70 | 2333 | 700 |
| 20. | मणिपुर | 933 | 395 | 0.20 | -1.13 | 1000 | 231 |
| 21. | मेघालय | 217 | 119 | 0.26 | 0.65 | 833 | – |
| 22. | मिजोरम | 167 | – | 0.11 | 2.67 | 500 | – |
| 23. | नागालैण्ड | – | – | – | – | 1000 | – |
| 24. | सिक्किम | 344 | 182 | 0.15 | 0.70 | 666 | – |
| 25. | त्रिपुरा | 288 | 330 | 0.11 | 0.44 | 500 | – |
| 26. | अण्डमान निकोबार द्वीप | – | – | 0.05 | -0.03 | 283 | – |
| 27. | चण्डीगढ़ | – | 178 | 0.06 | 0.16 | 500 | – |
| 28. | दादर व नागर हवेली | – | 43 | 0.04 | 0.08 | 283 | – |
| 29. | दमण तथा दीव | – | – | 0.13 | -0.80 | 283 | – |
| 30. | पाण्डिचेरी | 111 | 226 | 0.09 | 0.05 | 333 | – |
| 31. | दिल्ली | 800 | 1038 | – | – | – | – |
| | योग : | 92062 | 236855 | 63.74 | 76.27 | 177330 | 227764 |

## विवरण-III

### नेहरू रोजगार योजना

### वर्ष 1993-94 बाबत वर्षवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एस. यू. एम. ई. उन लाभ ग्राहियों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई है। | | एस. यू. डब्ल्यू. ई. सृजित कार्य दिवस (लाख में) | | एस. एच. ए. एस. यू. सुधारे गये रिहायशी एकक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 14890 | 18175 | 3.70 | 2.38 | 15000 | 6133 |
| 2. | बिहार | -- | 1987 | 4.10 | 6.76 | 13300 | 1985 |
| 3. | गुजरात | 2550 | 2630 | 1.29 | 1.31 | 7300 | 271 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | हरियाणा | 1975 | 800 | 0.79 | 0.66 | 200 | 1760 |
| 5. | कर्नाटक | 4500 | 3345 | 4.09 | 9.96 | 12800 | -- |
| 6. | केरल | 4000 | 5202 | 1.57 | 1.32 | 10000 | 41475 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 13500 | 32072 | 4.00 | 11.66 | 13600 | -- |
| 8. | महाराष्ट्र | 11816 | 11917 | 5.44 | -- | 13500 | 6200 |
| 9. | उड़ीसा | 3805 | 1214 | 1.75 | 0.59 | 3300 | -68 |
| 10. | पंजाब | 3908 | 3931 | 1.64 | 0.88 | 3900 | 1939 |
| 11. | राजस्थान | 5500 | 11749 | 3.15 | 2.06 | 7800 | -- |
| 12. | तमिलनाडु | 17165 | 24418 | 4.30 | 3.15 | 15700 | 9046 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 33140 | 24813 | 12.52 | 28.48 | 33300 | 3506 |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 5000 | 4368 | -- | -- | 11900 | 2000 |
| 15. | गोवा | 150 | 440 | 1.34 | -- | 300 | -- |
| 16. | अरूणाचल प्रदेश | -- | -- | -- | -- | 800 | -- |
| 17. | असम | 630 | 1299 | 0.50 | -- | 2700 | -- |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | 275 | -- | 0.33 | 0.16 | 1700 | -- |
| 19. | जम्मू व कश्मीर | 800 | 91 | 0.44 | 0.06 | 2300 | 743 |
| 20. | मणिपुर | 380 | 2745 | 0.21 | 1.69 | 1000 | 154 |
| 21. | मेघालय | -- | 274 | 0.09 | -- | 800 | -- |
| 22. | मिजोरम | 75 | -- | 0.11 | 0.01 | 500 | -- |
| 23. | नागालैण्ड | -- | -- | -- | -- | 1000 | -- |
| 24. | सिक्किम | 230 | 16 | 0.11 | 0.03 | 700 | -- |
| 25. | त्रिपुरा | 200 | 137 | 0.10 | 0.05 | 500 | 130 |
| 26. | अण्डमान निको० द्वीप० स० | 100 | 177 | 0.01 | 0.11 | 200 | -- |
| 27. | चण्डीगढ़ | -- | -- | 0.10 | 0.04 | 300 | -- |
| 28. | दादर व नागर हवेली | 25 | 53 | 0.01 | 0.03 | 200 | -- |
| 29. | दमण तथा दीव | -- | -- | 0.01 | 0.07 | 300 | -- |
| 30. | पाण्डिचेरी | -- | 160 | 0.06 | 0.71 | 300 | -- |
| 31. | दिल्ली | 275 | 295 | -- | -- | -- | -- |
| | योग : | 125414 | 152308 | 50.84 | 72.17 | 177500 | 55996 |

## विवरण-IV

### नेहरू रोजगार योजना
### वर्ष 1994-95 बाबत वर्षवार लक्ष्य तथा उपलब्धियां

| क्रम संख्या | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम | एस॰ यू॰ एम॰ ई॰ उन लाभग्राहियों की संख्या जिन्हें सहायता दी गई है। | | एस॰ यू॰ डब्ल्यू॰ ई॰ सृजित कार्य दिवस (लाख में) | | एस॰ एच॰ ए॰ एस॰ यू॰ सुधारे गये रिहायशी एकक | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि | लक्ष्य | उपलब्धि |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 10050 | 15510 | 2.11 | 1.61 | 13770 | 19976 |
| 2. | बिहार | 4450 | - | 2.74 | - | 12213 | - |
| 3. | गुजरात | 2450 | 1663 | 0.88 | 0.45 | 6738 | 57 |
| 4. | हरियाणा | 1610 | 2060 | 0.62 | 3.49 | 1967 | - |
| 5. | कर्नाटक | 4285 | 14048 | 2.70 | - | 11754 | - |
| 6. | केरल | 4120 | 3279 | 1.20 | 1.09 | 5279 | 20740 |
| 7. | मध्य प्रदेश | 10770 | - | 3.05 | - | 124192 | - |
| 8. | महाराष्ट्र | 5360 | 7435 | 3.55 | 1.07 | 12410 | - |
| 9. | उड़ीसा | 2670 | - | 1.05 | - | 3525 | - |
| 10. | पंजाब | 3120 | 2670 | 1.30 | 0.91 | 3623 | 2790 |
| 11. | राजस्थान | 5230 | 9621 | 2.48 | 3.04 | 7180 | -- |
| 12. | तमिलनाडु | 12160 | 12665 | 3.30 | 4.93 | 14393 | 5857 |
| 13. | उत्तर प्रदेश | 26440 | 35852 | 9.72 | 9.71 | 30656 | - |
| 14. | पश्चिम बंगाल | 4835 | 3042 | 2.55 | 12.41 | 10967 | 11611 |
| 15. | गोवा | 75 | - | 0.08 | - | 246 | - |
| 16. | अरूणाचल प्रदेश | - | 40 | 0.23 | 0.20 | 1375 | - |
| 17. | असम | 1320 | 13572 | 1.46 | 1.37 | 2828 | - |
| 18. | हिमाचल प्रदेश | 345 | - | 0.35 | - | 1475 | - |
| 19. | जम्मू व कश्मीर | 400 | - | 0.40 | - | 1721 | - |
| 20. | मणिपुर | 545 | 1651 | 0.42 | 0.41 | 984 | - |
| 21. | मेघालय | - | - | 0.08 | - | 615 | - |
| 22. | मिजोरम | 205 | 700 | 0.16 | 9.67 | 369 | 887 |
| 23. | नागालैण्ड | - | - | - | - | 861 | - |
| 24. | सिक्किम | 275 | - | 0.10 | - | 492 | - |
| 25. | त्रिपुरा | 205 | -33 | 0.16 | 0.26 | 369 | 130 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | अण्डमान निको० द्वीप समूह | 230 | 1 | 0.05 | - | 410 | - |
| 27. | चण्डीगढ़ | 145 | 21 | 0.09 | 0.16 | 205 | - |
| 28. | दादर व नागर हवेली | 50 | 14 | 0.03 | 0.01 | 205 | - |
| 29. | दमण तथा दीव | - | - | 0.05 | - | 410 | - |
| 30. | पाण्डिचेरी | 115 | 705 | 0.20 | 0.06 | 492 | - |
| 31. | दिल्ली | 830 | 79 | N.A | - | N.A. | - |
| | योग : | 102190 | 124595 | 41.12 | 50.85 | 160024 | 62066 |

[अनुवाद]

## परिवहन आधारभूत ढांचे का विकास

*480. **प्रो० उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया परिवहन आधानभूत ढांचे के विकास हेतु कोई दीर्घावधि योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोई प्रोत्साहन पैकेज भी तैयार किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) परिवहन अवसंरचना का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992-93 में पत्तनों, नौवहन, सड़क, सड़क परिवहन और अंतर्देशीय जल परिवहन अवसंरचनाओं के विकास हेतु विभिन्न परियोजनाओं का प्रावधान किया गया है।

(ग) और (घ) आर्थिक नीतियों के उदारीकरण के अनुरूप सरकार ने भूतल परिवंहन क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए विभिन्न नियंत्रण हटा दिए हैं और उनमें छूट दे दी है।

## सेंट किट्स धोखाधड़ी मामला

4755. **सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कया सेंट किट्स धोखाधड़ी का मामला जिसमें न्यूयार्क में भारत के महा वाणिज्य दूत लिप्त पाये गये थे की जांच की गई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले में अधिकारियों सहित किन-किन व्यक्तियों को लिप्त पाया गया;

(ग) उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई;

(घ) क्या सी० वी० आई० द्वारा कोई मुकदमा चलाया गया है; और

(ङ) यदि हाँ, तो उक्त मामले की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)**: इस मामले की जांच अभी की जा रही है।

[हिन्दी]

## फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया द्वारा चलाये जा रहे उर्वरक एकक

4756. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक कारपोरेशन ऑफ इंडिया के अधीन कुल कितने उर्वरक एकक हैं;

(ख) इस समय उनमें से कितने एकक बन्द हैं; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिक विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) से (ग) एफ० सी० आई० के चार उर्वरक उत्पादक एकक हैं, अर्थात् सिन्दरी (बिहार), गोरखपुर (उत्तर प्रदेश) रामागुण्डम (आन्ध्र प्रदेश) और तलचर (उड़ीसा)। गोरखपुर एकक ही केवल एक ऐसा एकक है जो संयंत्र में दुर्घटना के बाद 10.6.90 से बन्द पड़ा है। एस० एस० सी० एल० के श्रमिकों द्वारा हड़ताल के

परिणामस्वरूप सिंगोरेनी कोल कम्पनी लि० (एस० एल० सी० एल०) से कोयले की आपूर्ति बन्द होने के कारण 19.4.95 से रामागुण्डम एकक में अस्थायी रूप से उत्पादन आस्थगित किया गया। बाद में एस० पी० एस० ई० बी० ने भी 23.4.95 से विद्युत कटौती लगायी। तालचर एकक में उत्पादन अस्थायी रूप से आस्थगित कर दिया गया है। कच्चे माल की प्राप्ति के लिए निधियों की बाधाओं के कारण एकक के अस्थायी शट डाउन के दौरान 29.4.95 से उपस्कर समस्या के कारण उत्पन्न हुई।

[अनुवाद]

## डी. टी. सी. में स्वैच्छिक सेवा-निवृति योजना

**4757. श्री धर्मपाल सिंह मलिक** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली परिवहन निगम में जून, 1993 से आज तक स्वैच्छिक सेवा-निवृत्ति योजना के अंतर्गत बड़ी संख्या में कर्मचारी सेवा निवृत्ति हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी श्रेणीवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सेवा निवृत्त हुए कर्मचारियों को उनके बकाया देयों का भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सेवा निवृत्ति हुए कर्मचारियों को उनके देयों का भुगतान कब तक कर दिया जाएगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी हां।

(ख) जून, 1993 से 31 मार्च 1995 तक स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के तहत सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों (वर्गवार) के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

| | |
|---|---|
| कंडक्टर | 443 |
| ड्राइवर | 688 |
| वर्कशाप एवं चतुर्थ श्रेणी | 823 |
| यातायात पर्यवेक्षी स्टाफ | 275 |
| लिपिक वर्गीय स्टाफ | 189 |
| अधिकारी | 6 |
| जोड़ : | 2424 |

(ग) और (घ) सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पहले ही उनकी बकाया राशि का भुगतान कर दिया गया है। हालांकि, कुछ कर्मचारियों को जिन्होंने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के पश्चात् पैंशन का विकल्प दिया था, लेखा परीक्षा की आपत्तियों के कारण ग्रेच्युटी और अनुग्रह राशि के अंतर का भुगतान नहीं किया जा सका।

(ङ) जांच प्रक्रिया और संभावित प्रति जांच-पड़ताल को ध्यान में रखते हुए कोई समय सीमा नहीं बताई जा सकती।

## चीन को इंजन प्रौद्योगिकी

**4758. श्री ए० वेंकटेश नायक** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 22 फरवरी, 1995 के "दि आब्जरवर ऑफ विजिनेस एण्ड पोलिटिक्स" के नई दिल्ली संस्करण में "मिसाइल टेक्नालोजीसेल टू चाइना ए थ्रेट टू इंडिया" शीर्षक से छपे समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें क्या तथ्य पेश किये गये हैं तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)**: (क) और (ख) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि चीन को अमरीकी गैरेट इंजन प्रौद्योगिकी की बिक्री से उसे लम्बी दूरी तक मार करने वाले क्रूज प्रक्षपास्त्रों के लिए इंजन बनाने की प्रौद्योगिकीय जानकारी मिल सकती है। सरकार उन सभी घटनाओं की बराबर समीक्षा करती है जिनका प्रभाव भारत की सुरक्षा पर पड़ता है और राष्ट्रीय हित की रक्षा के उपयुक्त उपाय करती है।

[हिन्दी]

## विद्युत क्षेत्र में भारत-जापान सम्बन्ध

**4759. श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 अप्रैल, 1995 के "दैनिक जागरण" में "जापान का भारत पर विद्युत दरें बढ़ाने का दबाव" शीर्ष के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर गया है; और

(ख) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल)**: (क) जी, हाँ।

(ख) दिनांक 6 एवं 7 अप्रैल, 1995 को आयोजित जापान-भारत व्यवसाय सहयोग समितियों की संयुक्त बैठक के दौरान,

अन्य बातों के साथ-साथ यह सहमति हुई थी कि भारत में विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में जापानी भागीदारों के लिए व्यापक क्षमता है। जबकि जापान की तरफ से केन्द्र सरकार की गारंटी की आवश्यकता पर जोर दिया गया, तब भारतीय पक्ष ने कहा कि भावी परियोजनाओं के लिए ये संभव नहीं होंगी। तथापि, भारतीय पक्ष ने यह कहा था कि भारत प्रति-गारंटी के वैकल्पिक समाधानों के बारे में कार्रवाई कर रही है।

## क्विलोन बाईपास

**4760. श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्विलोन बाईपास के निर्माण में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ख) इस कार्य को पूरा करने हेतु निर्धारित लक्ष्य तिथि क्या है;

(ग) इस बाईपास के लिए कुल कितनी धनराशि आवंटित की गई है; और

(घ) इस पर अब तक खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) क्विलोन बाईपास (13.41 कि॰ मी॰) का निर्माण चार चरणों में किया जा रहा है और चरण 1 में 3.26 कि॰ मी॰ का निर्माण शुरू किया गया है एवं सितम्बर, 94 तक इसका 55% कार्य पूरा हो चुका था। शेष खंडों/चरणों के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य प्रगति की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

(ख) अभी यह बता पाना संभव नहीं है कि यह कार्य कब तक पूरा होगा।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय राजमार्ग-कार्यों के लिए निधियों का आबंटन राज्य-वार किया जाता है न कि कार्य वार। सितम्बर, 1994 तक, भूमि अधिग्रहण की लागत सहित इस परियोजना पर कुल व्यय 5.72 करोड़ रु॰ का था।

## भारत टोगो संबंध

**4761. डा॰ वसन्त पवार : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और टोगो ने विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के लिए कोई समझौते किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन समझौतों की मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद)**: (क) और (ख) हाल ही में सितम्बर, 1994 में टोगो के राष्ट्रपति जनरल ग्यासिंवे ऐडेमा की भारत यात्रा के दौरान भारत ने टोगो में एकीकृत ग्रामीण विकास परियोजना में सहयोग देने की पेशकश की थी। दोनों देशों की सरकारें इस मामले पर सक्रिय रूप से विचार कर रही हैं। तथापि, अब तक इस संबंध में सहयोग से सम्बद्ध कोई विशिष्ट करार सम्पन्न नहीं हुआ है।

[हिन्दी]

## डी॰ डी॰ ए॰ में भ्रष्टाचार

**4762. डा॰ लाल बहादुर रावत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी॰ डी॰ ए॰) तथा अन्य आवासीय निगमों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाने हेतु उपायों पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कब तक इन उपायों को लागू किया जाएगा; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) से (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण भ्रष्टाचार रोकने के लिए अपनी कार्य योजना में भ्रष्टाचार विरोधी उपायों हेतु कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा तैयार की गई टीहरी कार्य योजना को अपना रहा है अर्थात् प्रतिबंधात्मक कार्रवाई, निगरानी तथा पता लगाना और कठोर दण्डात्मक कार्रवाई भ्रष्टाचार की रोकथाम एक सतत् प्रक्रिया है इसलिए उपर्युक्त कार्य योजना को सख्ती से लागू किया जा रहा है।

[अनुवाद]

## इस्पात का मूल्य

**4763. श्री अमल दत्त : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा जनवरी, 1995 में इस्पात की विभिन्न किस्मों के मूल्यों में वृद्धि की गई है;

(ख) यदि हां, तो मूल्यों में वृद्धि का ब्यौरा क्या है, मूल्य

वृद्धि की घोषणा किस तारीख को की गई थी और यह वृद्धि किस तारीख से प्रभावी की गई; और

(ग) 1 दिसम्बर, 1994 से 31 जनवरी, 1995 तक की अवधि के दौरान व्यापारियों द्वारा भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्टॉक यार्ड से सप्ताह-वार उठाई गई इस्पात की मात्रा का ब्यौरा क्या है?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव):** (क) और (ख) जी, हां। 31 दिसम्बर, 1995 को "सेल" द्वारा इस्पात के विभिन्न ग्रेडों के मूल्य में वृद्धि की घोषणा की गयी थी। इसे 31.12.1994/1.1.1995 की मध्य रात्रि से लागू किया गया था। जिन-जिन उत्पादों के आधार मूल्यों में वृद्धि की गयी थी उनका ब्यौरा नीचे दर्शाया गया है। आधार मूल्य में वृद्धि उत्पाद के आकार/सेक्शन पर निर्भर करते हुए दर्शायी गयी है :-

(रुपये प्रति टन)

| श्रेणी | बढ़ायी गयी/घटायी गई राशि | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| कच्चा लोहा | 200 | | |
| बिलेट/ब्लूम | 300 | | |
| स्लैब | 500 | | |
| तार छड़ | 300 | - | 500 |
| गोल छड़ | ( - ) 100 | - (+) | 600 |
| ऐंगल | 200 | - | 300 |
| हैवी ज्वाइस्ट | 300 | - | 800 |
| प्लेट | 200 | - | 500 |
| तप्त बेल्लित चादर | 400 | - | 850 |
| स्केल्प | 300 | - | 700 |
| तप्त बेल्लित क्वायल | 200 | - | 800 |
| शीत बेल्लित क्वायल | 200 | - | 500 |
| जी० पी०/जी० सी० | ( - ) 350 | - (-) | 500 |

गुणता और विशेष आकार के लिए कतिपय अन्य छोटे-मोटे समायोजन किए गए हैं।

(ग) व्यापारियों द्वारा 1 दिसम्बर, 1994 से 31 जनवरी, 1995 की अवधि के दौरान सी० एम० ओ० "सेल" के स्टॉक यार्डों से उठाई गई इस्पात सामग्रियों की मात्रा लगभग 133383 टन थी।

## ओमान के साथ समझौता

**4764. श्री गोपीनाथ गजपति :**

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने संयुक्त क्षेत्र में उर्वरक संयंत्र लगाने हेतु ओमान के साथ कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां, तो यह संयंत्र कहां स्थापित किया जाएगा, इसमें कितनी पूंजीगत परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है और संयुक्त प्रबन्ध समिति ने मस्कट में आयोजित अपनी बैठक में इस परियोजना के लिए अन्य क्या औपचारिकताएं निर्धारित की हैं; और

(ग) इस परियोजना पर कब से कार्य शुरू हो जाएगा और यह कार्य कब तक पूरा हो जाने की सम्भावना है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):** (क) और (ख) भारत सरकार/कृषक भारती कोआपरेटिव लि० (कृभको)/राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० (आर० सी० एफ०) और ओमान सल्तनत की सरकार/ओमान ऑयल कम्पनी के बीच ओमान के सूर टाउन के नजदीक अमोनिया / यूरिया के उत्पादन के लिए गैस पर आधारित संयुक्त उद्यम उर्वरक परियोजना स्थापित करने के लिए मस्कट (ओमन) में 30.7.94 को एक सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया।

सहमति ज्ञापन में निम्नलिखित पूर्वानुमानों के आधार पर विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार की जानी परिकल्पित है :-

(i) संयंत्र की क्षमता : 3500 मीटरी टन प्रतिदिन (अमोनिया)
: 4400 मी० टन प्रतिदिन (यूरिया)

(ii) अनुमानित लागत : 897 मिलीयन यू० एस० डालर, 78 मिलीयन यू० एस० डालर के वित्तीय अधिभार सहित।

(iii) वित्त व्यवस्था पैटर्न :
ऋण : समय अनुपात 3 : 1

(iv) साम्य सहभागिता
(क) कृभको/आर० सी० एफ० (संबंधितों सहित) 40%-50%

(ख) ओमान आयल कम्पनी लि॰ (संबंधितों और तीसरी पार्टी निवेशकर्त्ताओं सहित) 40% -50%

(ग) ओमानी जनता 0% -20%

(ग) इस परियोजना पर कार्य के 1996 के पूर्वार्द्ध में आरम्भ होने तथा उसके बाद 33-36 माह की अवधि के भीतर पूर्ण होने की आशा है।

**[हिन्दी]**

## गुजरात में चूना पत्थर के भंडार

**4765. श्री एन॰ जे॰ राठवा** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात में विशेषत: जनजातीय क्षेत्रों में चूना-पत्थर के भंडार कहां-कहां हैं; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान स्थानवार इन खानों से कितनी मात्रा में चूना-पत्थर निकाला गया ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) 1.4.90 को गुजरात में चूना पत्थर के कुल संभावित भण्डार 8555 मिलियन टन तथा आदिवासी जिलों में 520.6 मिलियन टन थे।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान खानों से निकाले गए चूना पत्थर की मात्रा इस प्रकार है :-

(मात्रा हजार टन में)

| जिला | 1991-92 मात्रा | 1992-93 मात्रा | 1993-94 (पी) मात्रा |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **गुजरात (कुल)** | **7631** | **7358** | **9062** |
| अमरेली | 2300 | 2014 | 2894 |
| बड़ौदा (वदोदरा) | ++ | - | - |
| भावनगर | 17 | 8 | 17 |
| बनासकन्डा | 48 | 45 | 15 |
| जामनगर | 1044 | 691 | 1471 |
| जूनागढ़ | 4203 | 4588 | 4662 |
| कच्छ | ++ | ++ | ++ |
| राजकोट | - | ++ | 1 |
| पंचमहल | 19 | 12 | 2 |

++ नगण्य पी = अनन्तिम

**[अनुवाद]**

## वसीन क्रीक ब्रिज से मनोर तक 4 लेनों वाला मार्ग बनाना

**4766. श्री राम नाईक** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वसीन क्रीक ब्रिज से मनोर (महाराष्ट्र) तक 4 लेनों वाला मार्ग बनाने की एक परियोजना स्वीकृत की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या महाराष्ट्र सरकार के साथ इसकी निर्माण पूर्व औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या पर्यावरण और वन मंत्रालय ने वन भूमि का गैर-वानिकी प्रयोजनार्थ उपयोग करने पर सहमति प्रदान की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी हां। परियोजना के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं :-

| क्र॰ सं॰ | कार्य का नाम | अनुमानित लागत |
|---|---|---|
| 1. | 2 लेन वाली मौजूदा सड़क को चौड़ा करके 4 लेन बनाना (439/0 से 477/0 कि॰ मी॰ तक)। | 6151.95 |
| 2. | 2 लेन वाली मौजूदा सड़क को चौड़ा करके 4 लेन बनाना (477/0 से 497/0 कि॰ मी॰ तक)। | 3100.63 |
| 3. | बेसिन क्रीक पर दूसरे पुल का निर्माण | 1508.03 |
| 4. | कमान क्रीक, तांसा, वान्द्री और वैतरणा पर 4 बड़े पुलों का निर्माण | 884.06 |
| 5. | कमान में रोड-अंडर-ब्रिज का निर्माण | 128.20 |
| | योग : | 11772.87 |

(ग) और (घ) ब्यौरे वार परियोजना तैयार करना, भूमि अधिग्रहण और उपयोगी सामग्री का स्थानान्तरण जैसे निर्माणपूर्व कार्य चल रहे हैं।

(ङ) और (च) कुल 182.316 हैक्टेयर वन्य भूमि के अधिग्रहण

में से पर्यावरण तथा वन मंत्रालय परियोजना के लिए अभी तक 179.873 हैक्टेयर भूमि देने के लिए सहमत हुआ है। शेष 2. 443 हैक्टेयर वन्य भूमि संजय बोरीवाली नेशनल पार्क में पड़ती है जिसके अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

## अपशिष्ट प्रबंधन हेतु गैर-सरकारी निवेश

**4767. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान में देश के बड़े शहरों में आम जनता में जवाबदेही और अपशिष्ट प्रबंधन के बारे में अधिक जागरूकता है;

(ख) यदि हां, तो अपशिष्ट प्रबंधन, बेकार वस्तुओं के निपटान और अपशिष्ट को शीघ्रता से उठाने के मामले में सरकार, नगर निगम और अन्य स्थानीय स्वाशासी निकायों सहित अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा हाल ही में अपनाए गए तरीकों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने देश के बड़े नगरों में ठोस अपशिष्ट के भारी मात्रा में इकट्ठा होने की स्थिति को देखते हुए अपशिष्ट प्रबंधन के लिए प्रभावी और कम लागत वाली आधुनिक प्रणालियां विकसित की हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकारी प्रयासों को प्रभावी बनाने की दृष्टि से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में गैर-सरकारी निदेश को आकर्षित और शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) कूड़ा-कचरा प्रबंध सहित स्वच्छता राज्य का विषय है। शहरी क्षेत्रों में कूड़ा-कचरा एकत्र करना, ढुलाई, शोधन और निपटान की जिम्मेदारी शहरी स्थानीय निकायों को सौंपी गयी हैं। आम जनता में व्यापक जागृति सम्बन्धी राज्य सरकारों से कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। तथापि सरकार, कूड़े-कचरे के समुचित प्रबंध हेतु राज्य सरकारों और शहरी स्थानीय निकायों को प्रौद्योगिकियों और पधतियों की जानकारी उपलब्ध करा रही है।

(ङ) और (च) गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत मंत्रालय विभिन्न प्रकार के अपशिष्टों से ऊर्जा प्राप्त करने की एक योजना तैयार कर रहा है जिसमें निजी क्षेत्र को आकर्षित करने हेतु विभिन्न प्रोत्साहनों की व्यवस्था होगी।

## फार्मास्युटिकल कंपनियों का लाभ

**4768. श्री परसराम भारद्वाज : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में फार्माक्युटिकल एककों की चालू औसत लाभ देयता कितनी है;

(ख) क्या किसी कंपनी का लाभ नई औषध नीति में निर्धारित सीमा से अधिक हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलारो)** : (क) (ख) और (ग) लाभदेयता पर जानकारी देने में औषध कम्पनियों की प्रतिक्रिया कुल मिलाकर संतोषजनक नहीं रही है। तथापि, डी॰ पी॰ सी॰ ओ॰ के फार्म-6 में दी गई जानकारी के विश्लेषण से पता चलता है कि अधिक बिक्री कारोबार वाली 30 भेषज कम्पनियों के प्रतिदर्श के आधार पर बिक्री कारोबार के प्रतिशत के रूप में कर पूर्व औसत लाभ उनकी औसत गतिविधियों के संबंध में 1992-93 के लिए 3.65% है।

**[हिन्दी]**

## राजस्थान के लिए आवास योजनाएं

**4769. श्री कुन्जी लाल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ आवास योजनाएं उनकी स्वीकृति और सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत की हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय सरकार ने इन सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है; और

(ग) यदि हां, तो प्रत्येक योजना हेतु कितनी वित्तीय सहायता दी जाएगी?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) जी, नहीं। केन्द्र सरकार को राजस्थान सरकार से कोई शहरी आवास योजना नहीं प्राप्त हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## इस्पात उत्पादन

**4770. श्री सुकदेव पासवान : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस्पात उत्पादन में सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र की क्या भूमिका है;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र की अधिष्ठापित क्षमता कितनी है और गत वर्ष के दौरान इस्पात का कितना वास्तविक उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार ने देश में इस्पात उद्योग के चहुँमुखी विकास के लिए कोई उच्च स्तरीय सरकारी और गैर-सरकारी संयुक्त समिति गठित की है अथवा करने का विचार है;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में ऑल इंडिया इन्डक्शन फर्नेस एसोसिएशन का अंशदान प्राप्त करने हेतु कोई पहल की है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) वर्ष 1994-95 में परिसज्जित इस्पात के कुल 169.6 लाख टन उत्पादन में से सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों का योगदान 48.3% रहा जबकि निजी क्षेत्र द्वारा 51.7% उत्पादन किया गया।

(ख) वर्ष 1994-95 के दौरान सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में विक्रेय इस्पात की प्रतिष्ठापित (नेम प्लेट) क्षमता और वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा नीचे दिया गया है :-

(दस लाख टन)

| | क्षमता | वास्तविक उत्पादन |
|---|---|---|
| (i) स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰ (सेल) (इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं॰ लि॰ (इस्को) सहित) | 9.573 | 8.962 |
| (ii) राष्ट्रीय इस्पात निगम लि॰ (आर॰ आई॰ एन॰ एल॰) | 2.656 | 1.560 |

(ग) सरकार ने अक्तूबर, 1993 में इस्पात मंत्री की अध्यक्षता में इस्पात उद्योग संबंधी स्थायी समिति गठित की है जिसका उद्देश्य घरेलू इस्पात उद्योग की स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा करना और उत्पादन के निर्धारित लक्ष्य के स्तरों को प्राप्त करने के लिए तथा भारतीय इस्पात उद्योग को अन्तर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अपेक्षित विभिन्न नीतिगत उपायों की सरकार से सिफारिश करना है। यह समिति इस उद्योग के लिए दीर्घावधिक और अल्पावधि योजनाओं की परिकल्पना और सर्वेक्षण भी करेगी।

(घ) और (ङ) विभिन्न नीतिगत उपायों के संबंध में निर्णय लेते समय सरकार द्वारा ए॰ आई॰ आई॰ एफ॰ ए॰ द्वारा यथा प्रक्षेपित प्रेरणा भट्टी क्षेत्र के हित को ध्यान में रखा गया है।

[अनुवाद]

## सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्र

**4771. श्री शिवशरण वर्मा** : क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के कितने इस्पात एककों का विस्तार किया जा रहा है और अभी चालू किया जाना है;

(ख) क्या ऐसा भी कोई एकक है जो चालू कर दिये गये हैं परन्तु वे निष्क्रिय पड़े हैं अथवा क्षमता को पूरा नहीं कर रहे हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव)**: (क) से (ग) "सेल" के दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित एकीकृत इस्पात संयंत्र इस समय आधुनिकीकरण के विभिन्न चरणों में हैं। दुर्गापुर और राउरकेला इस्पात संयंत्रों में जिन इकाइयों का आधुनिकीकरण कार्य शुरू किया गया है वे इकाइयां उत्तरोत्तर रूप से चालू की जा रही हैं और क्षमता उपयोगिता के विभिन्न चरणों पर प्रचालनरत हैं। कोई भी प्रमुख इकाई निष्क्रिय नहीं है। यद्यपि चरण बद्ध ढंग से चालू करने, स्थिरीकरण प्रक्रिया और आर्डरों की कमी आदि के कारण कुछ आधुनिकीकृत इकाइयां अपनी पूर्ण क्षमता से कम क्षमता पर कार्य कर रही हैं।

विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र जो जुलाई, 1992 में चालू किया गया था, इस समय अपने उत्पादन को अधिकतम करने की प्रक्रिया में है और आशा है कि यह 1996-97 तक शत-प्रतिशत क्षमता उपयोग प्राप्त कर लेगा।

## सिंथेटिक ग्रेनाइट

**4772. डा॰ पी॰ वल्लल पेरुमान** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता स्थित एक कारखाने ने केरल में इंडियन रेअर अर्थ्स फैक्टरी द्वारा छोड़े गए अपशिष्ट पदार्थ से सिंथेटिक ग्रेनाइट उत्पादित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)**: (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी नहीं है कि किसी फैक्टरी ने सिन्थैटिक ग्रेनाइट का निर्माण किया है। फिर भी जहां तक जानकारी उपलब्ध है, सेन्ट्रल ग्लास एंड सिरेमिक रिसर्च इंस्टीट्यूट, कलकत्ता ने गारनेट-रिच सैंड का प्रयोग करके सिन्थेटिक ग्रेनाइट जैसी सामग्री के निर्माण के लिए एक प्रक्रिया विकसित की है, लेकिन इस प्रक्रिया का अभी तक वाणिज्यिक प्रयोग नहीं किया गया है।

## बिहार में पेयजल आपूर्त्ति योजनाएं

**4773. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने बिहार को इसकी जलापूर्त्ति और

स्वच्छता परियोजनाओं के लिए सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान विश्व बैंक द्वारा दी गई सहायता का वर्षवार ब्यौरा क्या है; और

(ग) राज्य के उन जिलों का ब्यौरा क्या है जहां विश्व बैंक की सहायता से कार्य शुरू किया गया है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## केरल की जल आपूर्त्ति योजनाएं

**4774. श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने विश्व बैंक और जापान से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत विभिन्न जिलों में जल आपूर्त्ति में सुधार हेतु कोई परियोजना प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की मुख्य बातें क्या-क्या हैं और इसकी कुछ लागत कितनी है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार इस परियोजना को विश्व बैंक और जापान की सहायता से आगे बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) केरल सरकार/केरल जल प्राधिकरण ने जापान के ओवरसिज् इकनामिक को-आपरेशन फंड (ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰) से बाह्य सहायता लेने के लिए 901.15 करोड़ रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली निम्नलिखित जल आपूर्त्ति सकीमें पेश की हैं :-

(i) मीनाड, साथ लगे 12 गांव और परूवूर नगर पालिका-71 करोड़ रुपये;

(ii) पट्टूवम और साथ लगे 14 गांव-42 करोड़ रुपये;

(iii) छेरथाला और साथ लगे 19 गांव-69.25 करोड़ रुपये;

(iv) कालीकट शहरी क्षेत्र-285.20 करोड़ रुपये;

(vi) कोच्ची क्षेत्र-234.50 करोड़ रुपये।

(ग) जी, हां। राज्य सरकार द्वारा अतिरिक्त जानकारी देने और सम्बंधित विभागों से अनुमोदन लेने के बाद ही यह मामला ओ॰ ई॰ सी॰ एफ॰ के साथ उठाया जाएगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## भोपाल-गैस-पीड़ितों के बारे में बैठक

**4775. श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भोपाल गैस पीड़ितों की समस्याओं की जांच करने हेतु 14 नवम्बर, 1994 को भोपाल में उनकी अध्यक्षता में कोई बैठक आयोजित की गई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में भाग लेने वाले व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस बैठक में लिए गये प्रमुख निर्णयों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस बैठक में की गई सिफारिशों पर क्या कार्यवाही की है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) 14.11.95 को भोपाल में ऐसी कोई बैठक नहीं हुई थी।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

## सिक्किम में विद्युत परियोजनाएं

**4776. श्रीमती दिल कुमारी भंडारी** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक राज्य में कुछ गैर-सरकारी विद्युत परियोजनाएं चालू की गई है;

(ख) यदि हां, तो ये परियोजनाएं कहां-कहां स्थित हैं, इनके वित्त पोषण के स्रोत क्या हैं और इनकी लागत क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार भविष्य में सिक्किम के गैर-सरकारी क्षेत्र में ऐसी परियोजनाएं चालू करने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)**: (क) और (ख) अक्टूबर, 1991 की निजी विद्युत नीति के अन्तर्गत अभी तक कोई भी निजी विद्युत परियोजना शुरू नहीं की गई है।

(ग) और (घ) सिक्किम सरकार तीस्ता-III जल विद्युत परियोजना (1200 मे॰ वा॰) को क्रियान्वयन हेतु प्रतिस्पर्धात्मक बोलियों के माध्यम से निजी क्षेत्र को सौंपने का विचार रखती है।

## हैदराबाद में पीने के पानी की कमी

**4777. श्री धर्मभिक्षम :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को इस बात की जानकारी है कि हैदराबाद में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है; और

(ख) यदि हाँ, तो पानी की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) :** (क) राज्य सरकार ने कोई रिपोर्ट नहीं भेजी है जिसमें यह उल्लेख हो कि हैदराबाद में पीने के पानी की अत्यधिक कमी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## सागरदीघा, पश्चिम बंगाल में ताप विद्युत परियोजना

**4770. श्री जायनल अबेदिन :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सागरदीघा, पश्चिम बंगाल में ताप विद्युत परियोजना के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव वर्षों से केन्द्र सरकार के पास स्वीकृति हेतु लम्बित है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को स्वीकृति देने में अत्यधिक विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) क्या इसे आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल) :** (क) से (घ) पश्चिम बंगाल सरकार ने सागरदीघा ताप विद्युत केन्द्र (1000 मे॰ वा॰) का यू॰ एस॰ ए॰ स्थित मै॰ डी॰ सी॰ एल॰ के सहयोग से निजी क्षेत्र में क्रियान्वयन करने के लिए कलकत्ता की मै॰ डेवलपमेंट कन्सलटेन्ट ग्रुप आफ कम्पनीज (डी॰ जी॰ एल॰) के साथ 21.9.92 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तदुपरान्त, मै॰ सी॰ एम॰ एस॰ जनरेसन, यू॰ एस॰ ए॰, मै॰ डी॰ सी॰ एल॰, मै॰ कुलजियन कारपोरेशन यू॰ एस॰ ए॰ तथा वैस्ट बंगाल पावर डेवलमेंट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा प्रवर्तित संयुक्त उद्यम कम्पनी द्वारा परियोजना क्रियान्वित किए जाने हेतु इसके प्रस्ताव को विदेशी निवेश की दृष्टि से स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। जैसे ही कम्पनी सभी आवयक स्वीकृतियाँ निवेश प्राप्त करने के साथ विस्तृत परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, के॰ वि॰ प्रा॰ द्वारा तकनीकी आर्थिक स्वीकृति प्रदान करने के लिए इस परियोजना पर विचार किया जायेगा।

## कुवैत से वापस आए लोगों को क्षतिपूर्ति

**4779. प्रो॰ पी॰ जी॰ कुरियन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को खाड़ी युद्ध के दौरान कुवैत से आए लोगों, जिन्हें नुकसान हुआ था; उनके लिए दी गई क्षति पूर्ति राशि प्राप्त हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो वापस आए इन व्यक्तियों के लिए क्षतिपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) 1990-91 के खाड़ी युद्ध के परिणामतः संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग में दायर किए गए भारतीय दावों के संबंध में मुआवजा भुगतान अभी प्राप्त होना है।

(ख) लागू नहीं।

(ग) जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग में हो रही घटनाओं पर सरकार बराबर निगाह रख रही है और संयुक्त राष्ट्र मुआवजा आयोग की परिषद को बल देकर यह कहती रही है कि ऐसे भुगतान शीघ्र किए जाएं।

## पाकिस्तान द्वारा युद्ध की धमकी

**4780. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्त्ति :**

**श्री मनोरंजन भक्त :**

**श्री ए॰ वेंकटेश नायक :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान लंदन के एक प्रकाशन "अलवारात" के हाल के संस्करण में साक्षात्कार में पाकिस्तानी प्रधान मंत्री द्वारा दिए गए वक्तव्य की ओर गया है कि कश्मीर के मुद्दे के कारण भारत और पाकिस्तान के बीच तीसरा युद्ध होगा; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) सरकार ने अखबारों में इस आशय की खबरें देखी हैं।

(ख) पाकिस्तान अपने दुष्प्रचार के उद्देश्यों से समय-समय पर इस उप महाद्वीप में सुरक्षा वातावरण के सम्बन्ध में परस्पर विरोधी वक्तव्य देता रहा है। सरकार का यह दृढ़ मत है कि युद्ध अथवा युद्ध की धमकी मतभेदों को दूर नहीं कर सकते। शिमला समझौता दोनों देशों के बीच मतभेदों को शांतिपूर्ण तरीके से तथा द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए रूपरेखा प्रदान करता है। सरकार पाकिस्तान से अपना नाकारात्मक रवैया छोड़ने का अनुरोध करेगी।

## परिवहन में पूर्व एशियाई देशों द्वारा निवेश

**4781. प्रो॰ प्रेम धूमल :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्री महोदय ने पूर्व एशियाई देशों सहित कुछ विदेशी राष्ट्रों का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो इस दौरे में की गई बातचीत का ब्यौरा क्या है;

(ग) जल-भूतल परिवहन और आधारभूत ढांचे में सुधार के लिए कितनी विदेशी पूंजी के निवेश का प्रस्ताव किया गया; और

(घ) किन-किन परियोजनाओं में विदेशी पूंजी निवेश का उपयोग किया जाएगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सड़कों, जहाज निर्माण और सड़क परिवहन के विकास, निर्माण और रख-रखाव में विदेशी सहभागिता के मुद्दे पर सामान्य विचार-विमर्श हुआ था। कुछ विदेशी फर्मों ने सड़क और जहाज निर्माण क्षेत्रों तथा तीव्र गति की ट्राम प्रणाली में निवेश करने में गहरी रुचि दिखाई है। कोरिया की मै. दायवू ने दिल्ली में तीव्र गति की ट्राम परियोजना के लिए सभी नौ मार्गों के लिए निविदाएं पेश की हैं जिसकी अनुमानित लागत लगभग 3,500 करोड़ रु. है।

[हिन्दी]

4782. **श्री चन्द्रेश पटेल :**

**कुमारी सुशीला तिरिया :**

**श्री गुरुदास कामत :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पाकिस्तान में गुरूद्वारों और मंदिरों की जीर्ण-शीर्ण हालत तथा उनके उचित रख-रखाव की आवश्यकता के संबंध में कई शिकायतें मिली हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने यह बात समुचित ढंग से पाकिस्तान सरकार के साथ उठाई है;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या भारत के कुछ संगठनों ने पाकिस्तान में गुरूद्वारों के रख-रखाव की जिम्मेदारी लेने की इच्छा व्यक्त की है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पाकिस्तान सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (आर. एल. भाटिया)**: (क) और (ख) सरकार को इस संबंध में कई शिकायतें मिली हैं कि पाकिस्तान में धार्मिक तीर्थ-स्थानों का रख-रखाव उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है और वे बहुत ही जीर्णावस्था में हैं।

(ग), (घ), (ङ), और (च) कुछ भारतीय सार्वजनिक निकायों ने पाकिस्तान में गुरूद्वारों के रख-रखाव की जिम्मेदारी लेने की अपनी तत्परता व्यक्त की है।

पाकिस्तान में सिख-तीर्थ स्थानों के रख-रखाव का मामला पाकिस्तान की सरकार के साथ कई अवसरों पर उठाया गया है। भारत सरकार को पाकिस्तान की सरकार से कोई ठोस उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इस संबंध में हमारे प्रयास जारी हैं।

[अनुवाद]

## विशेष व्यापार क्षेत्र

4783. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान असोचैम के इस सुझाव की ओर दिलाया गया है कि हिन्द महासागर क्षेत्र के देशों का एक विशेष व्यापार क्षेत्र बनाए जाने संबंधी एक अध्ययन कराया जाए; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) जी हां।

(ख) हिन्द महासागर तटवर्ती देशों के बीच सहयोग से सम्बद्ध सुझावों पर सकारात्मक रूप से विचार करने के लिए सरकार तैयार है। इस सहयोग की सम्भावना और इसकी गुंजाइश का पता लगाने के लिए सरकार ने इच्छुक देशों के साथ समन्वेषी सम्पर्क कायम करना शुरू कर दिया है।

हाल ही में 29 से 31 मार्च, 1995 तक मारीशस द्वारा पोर्ट लुई में बुलायी गई हिन्द महासागर के सात तटवर्ती देशों (अर्थात् आस्ट्रेलिया, भारत, कीनिया, मारीशस, ओमान, सिंगापुर तथा दक्षिण अफ्रीका) की विशेष-स्तर की बैठक में भारत ने भाग लिया था। इस बैठक में व्यापार, पूंजीनिवेश, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यटन तथा मानव संसाधन विकास में सहयोग के संवर्धन के लिए इन सात देशों से शुरू होने वाली हिन्द महासागर तटवर्ती देश पहलकदमी के सिद्धान्तों, उद्देश्यों और भावी कार्य-योजना पर सहमति हुई थी।

[हिन्दी]

## कश्मीर के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन

**श्री मोहन सिंह (देवरिया)** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नेपाल में कश्मीर के संबंध में

किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मामले पर नेपाल से बातचीत की है; और

(घ) यदि हां, तो नेपाल की इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) जी नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र

**4785. प्रो. उम्मारेड्डी वेंकटेस्वरलु :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की योजना गंगावरम पत्तन को रक्षित पत्तन के रूप में विकसित करने की है0 और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) और (ख) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र गंगावरम पत्तन को निजी पत्तन के रूप में विकसित करने का इच्छुक नहीं है। यद्यपि इसने 3000 टन क्षमता की स्व-प्रणोदी नौकाओं से सुसज्जित करने के लिए एक निजी घाट विकसित करने का प्रस्ताव किया है। इनसे विशाखापत्तनम पत्तन में अथवा महासमुद्र में मुख्य जहाज से वी. एस. पी. के कच्चा माल भण्डार क्षेत्र के समीप गंगावरम में प्रस्तावित घाट पर कोककर कोयला और चूना-पत्थर लाया जाएगा। प्रस्तावित घाट नौकाओं के जरिए निर्यात के लिए परिसज्जित उत्पादों को स्थानान्तरित करने में भी सहायक होगा। इस प्रस्ताव को आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार ने स्वीकार कर लिया है और राज्य सरकार ने नवम्बर, 1994 में गंगाबरम पत्तन को छोटे पत्तन के रूप में अधिसूचित कर दिया है।

## भारत-चीन सीमा पर चौकी

**4786. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

**श्री सत्यदेव सिंह :**

**श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

**श्री गुरुदास कामत :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन द्वारा द्विपक्षीय व्यापार को और सुदृढ़ बनाने हेतु सिक्किम के साथ लगती हुई भारत-चीन सीमा पर और अधिक सीमा चौकियां खोले जाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है और इससे भारत को क्या लाभ मिलेंगे;

(ग) क्या दोनों देशों के बीच इस प्रकार की और अधिक सीमा चौकियां खोले जाने का विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) और (ख) भारत-चीन सीमा के सिक्किम क्षेत्र में नाथूला से होकर सीमा व्यापार के विस्तार का प्रस्ताव फिलहाल भारत सरकार और चीन लोक गणराज्य की सरकार के विचाराधीन है।

(ग) और (घ) सरकार भारत-चीन सीमा व्यापार के लिए नाथूला के अतिरिक्त अन्य विन्दुओं को खोलने की संभावनाओं पर चीन की सरकार के साथ विचार-विमर्श जारी रखेगी।

**[हिन्दी]**

## मध्य प्रदेश में पानी की कमी

**4787. श्री फूलचन्द वर्मा :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में किन-किन शहरों, छोटे और मध्यम कस्बों को पानी की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने कोई योजना भेजी है और इन शहरों तथा कस्बों में पेय जल की आपूर्ति कराने के लिए कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) मध्य प्रदेश सरकार ने लघु तथा मध्यम कस्बों द्वारा सामना की जा रही पानी की विकट कमी बाबत् कोई सूचना नहीं भेजी है।

(ख) और (ग) मध्य प्रदेश सरकार ने ऐसी कोई स्कीम केन्द्र सरकार को नहीं भेजी है। तथापि, राज्य सरकार ने भोपाल तथा जबलपुर नगरों में जल आपूर्ति में सुधार करने के लिये बाह्य सहायता का अनुरोध किया है। इस मंत्रालय ने भोपाल तथा जबलपुर की परियोजना रूपरेखा बाह्य सहायता की संभावनाओं का पता लगाने वाले आर्थिक कार्य विभाग को अनुसंशित की है।

20,000 से कम आबादी वाले कस्बों के लिए त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 32 कस्बों का चयन किया गया था और 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान इस राज्य को क्रमश: 205.1 लाख रुपये तथा 343.19 लाख रुपये का केन्द्रीय अनुदान रिलीज किया गया था।

[अनुवाद]

## भोपाल गैस पीड़ितों का पुनर्वास

**4788. श्री अमरपाल सिंह : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के दीर्घकालीन आर्थिक पुर्नवास हेतु किसी योजना को अन्तिम रूप दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने गैस पीड़ितों को भोपाल में विशेष औद्योगिक क्षेत्र में ओ॰ बी॰ एस॰ दिया गया है;

(घ) क्या इन पीड़ितों के लिए आय जुटाने हेतु 1986 में शुरू किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रम को बन्द कर दिया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) और (ख) जी, हां। 163 करोड़ रुपये की कुल लागत से चिकित्सा, सामाजिक, पर्यावरण और आर्थिक पुनर्वास के लिए एक कार्य योजना अप्रैल, 1990 में मंजूर की गई थी। इन पुनर्वास उपायों पर मार्च, 1995 तक 135 करोड़ रुपये की राशि खर्च की गई है।

(ग) मध्य प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य के वाणिज्य और उद्योग विभाग द्वारा एक विशेष औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया गया है। विशेष औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित की जाने वाली औद्योगिक इकाइयों में गैस से प्रभावित लगभग 5000 लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होने की आशा है।

(घ) और (ङ) राज्य सरकार ने सूचित किया है कि स्व-रोजगार के उद्देश्य से गैस पीड़ितों को प्रशिक्षित करने के लिए 1986 में सिलाई केन्द्र स्थापित किए गए थे। इस योजना पर 325 लाख रु॰ खर्च किए गए थे जबकि प्रावधान 225 लाख रु॰ का था और केन्द्र जुलाई, 1992 में बन्द कर दिए गए थे।

[हिन्दी]

## विद्युत परियोजनाओं में दुर्घटनाएं

**4789. श्रीमती शीला गौतम : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विद्युत परियोजनाओं में दुर्घटनाएं घटी हैं;

(ख) यदि हाँ, तो राज्यवार एवं विद्युत परियोजनावार ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक/एहतियाती कार्यवाही की गई है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) और (ख) अपेक्षित ब्यौरा संलग्न विवरण-I और II में दिया गया है।

(ग) प्रत्येक दुर्घटना की जाँच करने तथा इसकी पुनरावृत्ति रोकने हेतु किए जाने वाले सुधारात्मक, उपायों के संबंध में सुझाव प्रदान करने के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित की जाती है, इसके अतिरिक्त, दुर्घटना से बचने के लिए अन्य एहतियाती उपाय ये हैं :-

सामग्री नियंत्रण, सुरक्षा पहलुओं और आगजनी के खतरों आदि के क्षेत्र में प्रारम्भिक स्तर का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाना, वैद्युत एवं यांत्रिक संस्थापनाओं का निरीक्षण करना विकसित सुरक्षा एवं स्वचालित प्रौद्योगिकियां प्रदान करके विभिन्न सुरक्षात्मक उपायों के संबंध में सुझाव देना तथा सुरक्षात्मक एवं भविष्यसूचक अनुरक्षण अनुसूचियों का पालन करना।

### विवरण-I

**वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान परमाणु ताप विद्युत परियोजना/केन्द्र में मुख्य उपस्कर खराब होने की दुर्घटनाओं का वर्षवार संक्षिप्त ब्यौरा निम्नवत है:-**

| विद्युत परियोजना/केन्द्र का नाम | यूनिट सं॰ तथा क्षमता (मे॰ वा॰) | दुर्घटना की तिथि | कारण-शामिल मुख्य उपस्कर |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| **उत्तर प्रदेश** | | | |
| नरौरा ए॰ पी॰ एस॰ (एन॰ पी॰ सी॰) | 1 220 | 31.3.93 | टर्बो जनरेटर में आग लगना |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| **बिहार** | | | |
| कहलगांव | | | |
| (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) | 1 210 | 9.10.92 | बायलर में धुआं उत्पन्न होना |
| **मध्य प्रदेश** | | | |
| सतपुड़ा | | | |
| (एस॰ पी॰ ई॰ पी॰) | 6 200 | 13.11.92 | आर॰ सी॰ बंकर का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना |
| **प॰ बंगाल** | | | |
| | | **1993-94** | |
| फरक्का एस॰ टी॰ पी॰ एस॰ | 4 प्रत्येक 500 एवं | 15.1.1994 | ई॰ एस॰ पी॰ पास डी को दुर्घटनागस्त हो जाना |
| (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) | 5 | | |
| **उत्तर प्रदेश** | | | |
| ओबरा (यू॰ पी॰ एस॰ ई॰ बी॰) | 9 200 | 21.8.94 | केबल गैलरी में आग लगना |
| –तथैव– | 11 200 | 6.10.94 | आर॰ सी॰ बंकर का दुर्घटना ग्रस्त हो जाना |
| हरदुआ गंज (डब्ल्यू॰ बी॰ एस॰ ई॰ बी॰) | 6 60 | 10.6.94 | केबल गैलरी में आग लगना |
| –तथैव– | 7 105 | –तथैव– | –तथैव– |
| **आंध्र प्रदेश** | | | |
| रायल सीमा | | | |
| (ए॰ पी॰ एस॰ ई॰ बी॰) | 1 4200 | 6.1/294 | उच्च दाब नियंत्रण वाली एक आयल पाइप लाईन के फेल हो जाने के कारण एच॰ पी॰ टरबाइन के समीप आग लग गई थी उपस्कर यथा ई॰ एस॰ बी॰ और आई॰ वी॰ कंट्रोल बाल्व, सी॰ एण्ड आई॰ वस्तु एकीकृत पाइपिंग रुफ-स्ट्रक्चर तथा इन्सुलेशन क्षतिग्रस्त हो गया। |
| **बिहार** | | | |
| चन्द्रपुर आई॰ बी॰ सी॰ | 4 120 | 31.7.94 | गैलरी आग लगना |
| **तमिलनाडु** | | | |
| नेवली | 2 210 | 1.7.1994 | –तथैव– |

## विवरण-II

### जल विद्युत केन्द्र में हुई दुर्घटनाएं

| विद्युत केन्द्रों के नाम | दुर्घटनाओं की तिथि 1992-95 | कारणों का ब्यौरा |
|---|---|---|
| **पंजाब** | | |
| रंजीत सागर (थीन) बांध परियोजना | 30.8.94 | टावर केन (16 टन क्षमता) दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 11 व्यक्ति घटनास्थल पर मारे गये तथा एक व्यक्ति का अस्पताल में उपचार किया गया। |
| **महाराष्ट्र** | | |
| भंडारपारा एच॰ ई॰ परियोजना (1 × 10 मेगावाट) | 11.4.94 | विद्युत उत्पादन यूनिटों में अधिक मात्रा में वृद्धि हुई कोई मृत्यु नहीं हुई। |

[अनुवाद]

## पाकिस्तानी आरोप

**4790. श्री श्रवण कुमार पटेल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 28 फरवरी, 1995 के "पैट्रिअट" में भारत द्वारा कैम्पों की स्थापना तथा आतंकवादियों को प्रशिक्षण देकर कराची भेजे जाने सम्बन्धी पाकिस्तानी आन्तरिक मंत्री के आरोप के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलया गया है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान के इस झूठे दुष्प्रचार से पैदा हुई गलत फहमियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) और (ख) पाकिस्तान समय-समय पर इस आशय के निराधार और दुष्प्रेरित आरोप लगाता रहा है कि कराची में व्याप्त स्थिति में भारत का हाथ है। हाल ही में उसके आन्तरिक मंत्री ने भी इस आशय के निराधार और दुष्प्रेरित आरोप लगाए हैं। इस संबंध में पाकिस्तान के कुप्रचार की अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की दृष्टि में कोई विश्वसनीयता नहीं है।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस तथ्य से सुपरिचित है कि पाकिस्तान सीमापार से भारत के विरूद्ध आतंकवाद को सक्रिय समर्थन दे रहा है। पाकिस्तान का कुप्रचार अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय का इस बात से ध्यान हटाने में असफल रहा है कि वह आतंकवाद का प्रयोजन करने वाला राज्य है।

पाकिस्तान के आचरण से अन्तर-राज्यीय व्यवहार के सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत मानदण्डों का जो उल्लंघन हो रहा है उससे सम्बद्ध सही-सही तथ्यों की जानकारी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को देने के लिए सरकार बराबर प्रयत्नशील है।

[हिन्दी]

## विद्युत परियोजनाओं हेतु कोयले की आपूर्त्ति

**4791. श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :**

**श्री दिलीप भाई संघाणी :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत वर्ष के दौरान अपेक्षित मात्रा में कोयले की आपूर्त्ति न होने के कारण कितने विद्युत संयंत्रों को बन्द करना पड़ा था; और

(ख) इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल) :** (क) और (ख) गत वर्ष अर्थात् 1994-95 के दौरान अपेक्षित मात्रा में कोयले की अनुपलब्धता के कारण किसी भी विद्युत संयंत्र को बन्द नहीं किया गया था। ताप विद्युत केन्द्रों को उपयुक्त मात्रा में कोयला सप्लाई दिए जाने की स्थिति की कोयला मंत्रालय एवं रेल मंत्रालय के साथ आवधिक रूप से समीक्षा की गई थी। विद्युत केन्द्रों में कोयले के भण्डार की स्थिति की केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा समीक्षा की जाती है और जिन केन्द्रों में कोयले के भण्डार की नाजुक स्थिति होती है, इन केन्द्रों को कोयला सप्ताई किए जाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाते हैं।

[अनुवाद]

## जुराला जल-विद्युत योजना

**4792. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश सरकार ने विदेशी सहायता हेतु जुराला जल विद्युत योजना प्रस्तुत की है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल):** (क) से (ग) आन्ध्र प्रदेश सरकार ने 1994 में भारत सरकार से जुराला जल विद्युत परियोजना (221.4 मे॰ वा॰) के क्रियान्वयन हेतु विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए अनुरोध किया था और परियोजना को पहले ही ब्रिटिश सरकार के वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है। वित्त पोषण एजेंसी, ओ॰ डी॰ ए॰ ने आन्ध्र प्रदेश सरकार से परियोजना से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों के लिए राहत और पुनर्वास योजनाएं तैयार किए जाने के लिए अनुरोध किया है। आन्ध्र प्रदेश सरकार को भी अभी योजना आयोग का निवेश सम्बन्धी अनुमोदन प्राप्त करना है।

## मानसरोवर की यात्रा

**4793. श्री प्रवीन डेका :** क्या **विदेशी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा मानसरोवर की यात्रा के इच्छुक लोगों के लिए उनके भ्रमण हेतु प्रतिवर्ष व्यवस्था की जाती है;

(ख) यदि हां, तो 1995 के लिए इस योजना और यात्रा के संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी यात्राओं की व्यवस्था की जा चुकी है; और

(घ) इन यात्रियों को सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):**

(क) जी हां।

(ख) सरकार प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों में विज्ञापन के माध्यम से उन भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित करती है जो कैलाश-मानसरोवर की यात्रा करने के इच्छुक हों। यह यात्रा प्रतिवर्ष जून से अक्तूबर के दौरान होती है।

(ग) 1992 में सात बैच इस यात्रा के लिए गए थे जिनमें कुल 233 तीर्थयात्री शामिल थे। 1993 में 12 बैच इस यात्रा पर गये थे जिनमें कुल 365 तीर्थयत्री थे और 1994 में 14 बैच इस यात्रा पर गये थे जिनमें कुल 370 तीर्थयात्री थे।

(घ) इस यात्रा पर जाने वालों को सरकार की तरफ से कोई वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है। बहरहाल सरकार इस यात्रा के आयोजन में सुविधाएं मुहैया कराती है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ डॉक्टरी सहायता, वायरलैस सुविधा चीन के साथ संचार संपर्क और आपात स्थितियों में हवाई मार्ग से यात्रियों का निष्कासन शामिल है। सरकार कुमाऊं विकास मंडल निगम को आंशिक वित्तीय सहायता भी देती है जो भारतीय पक्ष में संभार तंत्र के लिए उत्तरदायी है।

[हिन्दी]

## समुद्री खाद्य पदार्थ

**4794. डा॰ गुणवन्त रामभाऊ सरोदे : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान समुद्री उत्पादों विशेषरूप से मछलियों का कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या सरकार का विचार मत्स्यिकी और समुद्री खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में उत्पादन परक आदानों की सप्लाई और विकास कार्यक्रम शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)** : (क) भारत में पिछले 3 वर्षों के दौरान समुद्री मछली का निम्नलिखित उत्पादन हुआ :

| वर्ष | उत्पादन (लाख मी॰ टन में) |
|---|---|
| 1991-92 | 24.47 |
| 1992-93 | 25.76 |
| 1993-94 | 26.88 |

(ख) और (ग) मछली प्रसंस्करण यूनिटों द्वारा किया जाने वाला उत्पादन कच्चे माल (समुद्री मछली) की सप्लाई जो भिन्न-भिन्न समय में भिन्न-भिन्न होती है पर निर्भर करता है। इसलिए केन्द्र सरकार के पास उत्पादन परक कच्चा माल सप्लाई स्कीम को लागू करने के लिए स्कीम नहीं है। गहन समुद्री मत्स्यन और मछली प्रसंस्करण क्षेत्रों के विकास के लिए मंत्रालय द्वारा 7 स्कीमें लागू की जा रही हैं। इन स्कीमों का ब्यौरा संलग्नक विवरण में दिया गया है।

### विवरण

| क्रम सं. | मत्सियकी क्षेत्र के तहत स्कीम | 1994-95 के लिए बजट | 1995-96 आवंटन (करोड़ रू. में) |
|---|---|---|---|
| 1. | गहन समुद्री मत्स्यन तथा प्रसंस्करण उद्यम में सहायता देने संबंधी स्कीम। | 1.00 | 1.00 |
| 2. | गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों के अधिग्रहण के लिए ऋण पर ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराने की स्कीम। | 0.50 | 0.50 |
| 3. | विविधीकृत मत्स्यन में सहायता संबंधी स्कीम। | 1.00 | 0.50 |
| 4. | तटरक्षक बल को संचार सुविधाएं स्थापित करने के लिए धनराशि उपलब्ध कराकर भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम 1981 को कारगर ढंग से लागू करने संबंधी स्कीम। | 0.40 | 0.40 |
| 5. | मछली परिरक्षण और प्रसंस्करण की बुनियादी सुविधाओं की स्थापना संबंधी स्कीम। | 3.60 | 3.60 |
| 6. | राष्ट्रीय समुद्री मात्स्यिकी विकास बोर्ड की स्थापना संबंधी स्कीम। | 0.50 | 0.50 |
| 7. | मछली प्रसंस्करण क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने तथा गुणवत्ता को बेहतर बनाने के लिए अनुदान सहायता उपलब्ध कराने संबंधी स्कीम। | -- | 0.50 |
| | जोड़ | 7.00 | 7.00 |

[अनुवाद]

## रीफा-एस और एथमब्यूटोल का उत्पादन

**4795. श्री सोमजी भाई डामोर : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में रीफा-एस और एथमब्यूटोल के प्रमुख निर्माता कौन-कौन हैं;

(ख) 1994-95 के दौरान रीफा-एस और एथमब्यूटोल की मांग और उत्पादन कितना था;

(ग) क्या एथमब्यूटोल को मूल्य नियंत्रण के दायरे से बाहर रखा गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम

उठाये गये हैं अथवा उठाए जाने का विचार है कि ग्रामीण लोगों को ये औषधियां और अन्य जीवन रक्षक औषधियां सस्ते मूल्यों पर मिलें ?

**रसायन और उर्वरक मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिक्स विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) संगठित क्षेत्र में, रिफा-एस का निर्माण में लुपिन केमिकल्स और मे॰ गुजरात थिमिस बायोसिन लि॰ और इथाम्बुटोल का निर्माण के॰ केडिला लैब्स, मे॰ लुपिन लेब्स, मे॰ लाइका लेब्स और मे॰ थिमिस केमिकल्स द्वारा किया जाता है।

(ख) उपलब्ध जानकारी के अनुसार 1994-95 के दौरान रिफा-एस और इथाम्बुटोल की अनुमानित मांग और उत्पादन नीचे दशाई जाती है:-

| | मांग | उत्पादन |
|---|---|---|
| रिफा-एस | 312.00 मी॰ टन | 137.912 मी॰ टन |
| इथाम्बुटोल | 531.00 मी॰ टन | 585.44 मी॰ टन |

(ग) और (घ) इथाम्बुटोल को बाजार प्रतियोगिता मानदंडों के आधार पर मूल्य नियंत्रण से बाहर रखा गया है।

(ङ) उपभोक्ताओं को प्रचुर मात्रा में तथा उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने की आवश्यकता को मद्देनजर रखते हुए, सरकार ने सितंबर, 1994 में "औषधनीति, 1986 में संशोधनों" की घोषणा की है।

## श्रीलंका के साथ मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौता

**4796. श्री सुधीर सावंत** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीलंका के राष्ट्रपति ने भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने हेतु मुक्त व्यापार एवं निवेश समझौता करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह समझौता कब तक किया जायेगा ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा आयोजित रात्रि भोज के अवसर पर श्रीलंका की राष्ट्रपति ने आर्थिक विकास और निजीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए भारत तथा श्रीलंका के बीच एक मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना करने का सुझाव दिया था। अधिकारी स्तर की वार्ता के दौरान, श्रीलंका पक्ष ने यह सुझाव दिया था कि कुछेक विनिर्दिष्ट मदों को छोड़कर श्रीलंका के लिए निर्यात अभिरूचि की सभी मदों को भारत और श्रीलंका के बीच व्यापार के लिए मुक्त सामान्य लाइसेंस प्रणाली के अन्तर्गत रखा जाना चाहिए।

(ग) भारत सरकार ने कहा कि "साप्टा" को शीघ्र कार्यरूप देने से इस क्षेत्र में व्यापार तथा आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहन मिलेगा।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

## पाक-चीन रक्षा सहयोग

**4797. श्री तारा सिंह :**

**श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 6 दिसम्बर, 1994 को "दि हिन्दुस्तान टाइम्स" में पाक-चीन रक्षा सहयोग के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसमें दिए गए तथ्यों का ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (आर॰ एल॰ भाटिया)** : (क) और (ख) सरकार को चीन और पाकिस्तान के बीच गहन रक्षा सहयोग की जानकारी है जिसमें अत्याधुनिक मिसाइलों और प्रौद्योगिकी का हस्तातंरण भी शामिल है।

सरकार ने चीन की सरकार के साथ अपनी चर्चा में इस बात पर बल दिया है कि पाकिस्तान को उसकी जायज रक्षा जरूरतों से अधिक अत्याधुनिक हथियारों और मिसाइलों की सप्लाई से भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न होता है और इससे इस क्षेत्र में शांति तथा स्थायित्व कायम नहीं रखा जा सकता। चीन के अधिकारियों ने हमारी चिन्ता पर गौर किया है।

सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर निगाह रखती है जिनका हमारी सुरक्षा पर असर पड़ता है और उनकी रक्षा के लिए आवश्यक उपाय करती है।

[हिन्दी]

## सैनिकों का आदान-प्रदान

**4798. श्री विलासराव नागनाथराव गूंडेवार** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय जेलों में विभिन्न देशों (पाकिस्तान, चीन आदि) के कितने सैनिक बंद हैं;

(ख) क्या सरकार भारतीय जेलों में बंद इन देशों के सैनिकों की रिहाई के बदले में भारतीय सैनिकों को रिहा करने की मांग कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) भारत की जेलों में कोई भी विदेशी सैनिक हिरासत में नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि उपलब्ध सूचना के अनुसार ऐसा विश्वास है कि 54 लापता भारतीय रक्षा कर्मिक पाकिस्तान की हिरासत में हैं। पाकिस्तान में नजरबंद सभी भारतीय कैदियों की शीघ्र रिहाई और उनके प्रत्यावर्तन का प्रश्न पाकिस्तान की सरकार के साथ बार-बार उठाया गया है। ये प्रयास जारी हैं। तथापि पाकिस्तान की सरकार का कहना यह है कि कोई भी भारतीय रक्षा कार्मिक उनकी हिरासत में नहीं है।

## परिवहन क्षेत्र के लिए ब्लू प्रिंट

**4799. श्री चेतन पी. एस. चौहान :**

**श्री सत्यदेव सिंह :**

क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में परिवहन क्षेत्र के सुधार के लिए कोई ब्लू प्रिंट तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) से (घ) विश्व बैंक ने भारत में परिवहन क्षेत्र के दीर्घावधिक मामलों पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है। रिपोर्ट बृहदाकार है और इसमें विभिन्न परिवहन क्षेत्रों जैसे सड़क, पत्तन, नौवहन, सड़क परिवहन, रेल, नागर विमानन से संबंधित 91 मुद्दे शामिल किए गए हैं। मंत्रालय में इसकी जांच की गई है। प्रारंभिक प्रतिक्रिया के रूप में यद्यपि रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन हम कुछ मामलों में असहमत हैं। हम इस बात से सहमत हैं कि परिवहन के विभिन्न संसाधन न्यूनतम परिव्यय के तहत एक एकीकृत रूप में विकसित हों ताकि ये परिवहन संबंधी बढ़ती हुई आधारभूत संरचना की मांग को पूरा कर सकें। हम यह महसूस करते हैं कि परिवहन आधारभूत संरचना का अभाव आर्थिक विकास में एक गंभीर रुकावट हो सकता है। आशा है कि हम निजीकरण के जरिए निजी क्षेत्र को इसमें शामिल करके निजी क्षेत्र की धनराशि से आधारभूत संरचना की भावी आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर पाएंगे।

## डी. एम. टी. और पी. टी. ए. की कीमतें

**4800. श्री गिरधारी लाल भार्गव :** क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पैराजाइटिल पर आयात शुल्क कम कर दिया गया है;और

(ख) यदि हां, तो डी-मेथाइल टेट्राथेलेट (डी.एम.टी.) और परिष्कृत टेरीथैलिक एसिड (पी.टी.ए.) की कीमतों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्यमंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विकास और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो) :** (क) जी, हां। वर्ष 1995-96 के बजट में पैराजाइलीन पर आयात शुल्क 30 प्रतिशत से कम करके 10 प्रतिशत कर दिया गया है।

(ख) डी. एम. टी./पी. टी. ए. की कीमतें प्रशासित कीमत नियंत्रण के अंतर्गत नहीं हैं। सामग्री की लागत और कीमत कच्चेमाल की कीमतें, ईंधन और ऊर्जा लागत, कच्चेमाल (पाराजाइलिन) की पूंजी लागत और अंतराष्ट्रीय कीमतों और तैयार उत्पाद डी. एम. टी./पी. टी. ए. की विभिन्न बातों पर निर्भर करती हैं। कीमतें बाजार शक्तियों पर भी निर्भर करती हैं।

[अनुवाद]

## बेरोजगारी

**4801. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान देश के शहरी क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवकों की संख्या बढ़ी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्ष-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा भविष्य में शहरी क्षेत्र में और अधिक रोजगार के अवसर सृजन हेतु क्या कदम उठाए गये हैं/उठाए जाने का विचार है;

(घ) क्या आर्थिक उदारीकरण को देखते हुए रोजगार के और अवसर पैदा करने हतु गैर-सरकारी क्षेत्रों के साथ इस विषय पर विचार-विमर्श करने का कोई विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन) :** (क) और (ख) श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार कार्यालयों, जिन्हें मुख्यत: देश के शहरी क्षेत्रों में स्थापित किया जाता है, के मौजूदा रजिस्टर के अनुसार प्रस्तुत की गई शिक्षित (मैट्रिक तथा इससे अधिक) बेरोजगारों से संबंधित जानकारी के आधार पर 1992 को समाप्त 3 वर्ष की अवधि के, जहां तक के आंकड़े उपलब्ध है, ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :-

| वर्ष | बेरोजगारों की संख्या (मिलियन में) |
|---|---|
| 1990 | 21.1 |
| 1991 | 22.4 |
| 1992 | 23.0 |

(ग) से (ङ) प्रत्यक्ष नियोक्ता के रूप में सरकार की भूमिका हमेशा न्यूनतम रही है सरकार आर्थिक कार्यकलापों में वृद्धि करने के लिए वित्तीय, राजस्व, व्यापार तथा औद्योगिक कारोबार जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समुचित नीतिगत हस्तक्षेप द्वारा देशी तथा विदेशी दोनों प्रकार के निवेशों को आकर्षित करने के लिए लाभकारी माहौल बनाने का प्रयास करती है जिससे शहरी क्षेत्रों में कुशल/शिक्षित जनशक्ति सहित सभी श्रेणियों के लिए रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलता है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा शुरू की गई आर्थिक उदारीकरण की नीतियों के परिणामस्वरूप आर्थिक कार्यकलापों के क्षेत्र में काफी वृद्धि हुई है और जिसके फलस्वरूप बेरोजगार शिक्षित श्रम को खपाया गया है।

3. तथापि शिक्षित वर्गों सहित शहरी गरीब उपेक्षित हैं। शहरी निर्धनता से निबटने के लिए सरकार ने रोजगारोन्मुखी विकास के लिए नीतियां तैयार की हैं जिनसे शहरी गरीबों के परिवारों के लिए रोजगार सृजित होंगे और श्रम की मांग रोजगार और मजदूरी दरों में वृद्धि होगी। जहां तक इस मंत्रालय का संबंध है, देश में वर्ष 1989-90 के कार्यान्वित की जा रही नेहरू रोजगार योजना (एन. आई. वाई.) का लक्ष्य शहरी गरीबों में से पता लगाये गये लाभार्थियों के कौशल का प्रशिक्षण के माध्यम से सुधार करना और सब्सिडी तथा ऋण के उपयुक्त नियम से उन लाभार्थियों को अपने स्वयं के लघु उद्योग स्थापित करने में मदद देना है। गत तीन वर्षों से दौरान नेहरू रोजगार योजना के तहत जारी कुल केन्द्रीय सहायता इस प्रकार है :-

| वर्ष | जारी कुल केन्द्रीय सहायता (रु. लाखों में) |
|---|---|
| 1992-93 | 7079.75 |
| 1993-94 | 7477.00 |
| 1994-95 | 6980.00 |
| 1995-96 (नियतन) | 7030.00 |

3. उपर्युक्त के अलावा, सरकार का दूसरा प्रमुख हस्तक्षेप प्रधानमंत्री का समन्वित गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम है जिसे शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन हेतु शीघ्र हाथ में लिया जाना है। इस कार्यक्रम में भी शिक्षित वर्ग सहित शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार अवसरों का सृजन करने का प्रावधान है। इस योजना के तहत चालू वर्ष के लिए प्रस्तावित केन्द्रीय सहायता 100 करोड़ रुपये हैं।

4. विकास आयुक्त, लघु उद्योग के कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार देश के पिछड़े राज्यों सहित सभी राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में रोजगार अवसर मुहैया करने के प्रयास के रूप में प्रधनमंत्री की रोजगार योजना (पी. एम. आर. वाई.) 2, अक्तूबर, 1993 से शुरू की गई है। प्रधानमंत्री की रोजगार योजना, शिक्षित बेरोजगार युवाओं द्वारा 7 लाख लघु उद्योग स्थापित कर एक मिलियन से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मुहैया करने के लिए बनाई गई है।

5. योजना आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार 8वीं योजना से 43 मिलियन अतिरिक्त रोजगार अवसरों का सृजन होने की आशा है जिससे शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षित और अशिक्षित दोनों वर्गों के व्यक्ति लाभान्वित होंगे।

## क्षेत्रीय पासपार्ट कार्यालय शिमला

**4802. डा. साक्षीजी** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिमला (हिमाचल प्रदेश) में एक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) से (ग) एक पासपोर्ट सम्पर्क कार्यालय पहले से ही शिमला में काम कर रहा है, जिससे हिमाचल प्रदेश राज्य में बसने वाले लोग शिमला में अपने पासपोर्ट आवेदन पत्र जमा करा सकते हैं। नया पासपोर्ट कार्यालय का खोला जाना कई बातों पर निर्भर करता है जिसमें कार्यभार भी शामिल है। शिमला में एक सम्पूर्ण पासपोर्ट कार्यालय खोलना व्यवहार्य नहीं पाया गया क्योंकि वर्ष 1994 के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य में वहां के नागरिकों से कुल 3905 आवेदन पत्र प्राप्त हुए थे।

## भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड में सुरक्षा प्रबन्ध

**4803. श्री के. एच. मुनियप्पा** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड से स्वर्ण और अन्य सामग्री की चोरी की रिपोर्ट मिली है;

(ख) यदि हां, तो भारत गोल्ड माइन्स लि. में वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस प्रकार के कदाचारों को रोकने हेतु गैर-सरकारी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं लेने का विचार है ?

**खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) जी हां।

(ख) भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गये हैं :-

(1) खानों एवं मिलों में काम करने वाले कर्मचारियों की शारीरिक तलाशी के कार्य को तेज कर दिया गया है। अकस्मात् निरीक्षण भी किए जा रहे हैं।

(2) संचार संबंधी एवं अन्य सुरक्षा संबंधी उपकरणों को भी सुदृढ़ बनाया गया है।

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोजन हेतु निजी सुरक्षा सेवाओं को लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

## मुंबई तथा बड़ौदा के बीच सड़क

**4804. श्री अंकुशराव टोपे : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुंबई और बड़ौदा के बीच सड़क को चौड़ा करने का कार्य निजी एजेंसी को सौंपने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

**[हिन्दी]**

## राज्यों में छोटे और मझोले शहर

**4805. डा॰ रमेश चन्द तोमर :**

**श्री लोकनाथ चौधरी :**

**श्री देवी बक्स सिंह :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राज्यों को छोटे और मझोले शहरों के विकास हेतु राज्यवार कितनी सहायता दी गई;

(ख) इस अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों से सहायता हेतु राज्यवार कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को राज्यों से इस धनराशि का उपयोग कर लिए जाने संबंधी प्रमाणपत्र प्राप्त हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस पर क्या-क्या कार्यवाही की गई ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) वर्ष 1979-80 से सभी राज्यों में लघु एवं मध्यम नगरों के एकीकृत विकास की (आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰) केन्द्र प्रवर्तित योजना प्रचलन में है। गत तीन वर्षों के दौरान, राज्य सरकारों से 277 नए परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए जिनमें से 241 प्रस्ताव आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप थे। इन 241 प्रस्तों में से, 232 प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया जिसके लिए 53.99 करोड़ रु॰ की केन्द्रीय सहायता विवरण-I में दिए गए राज्यवार एवं वर्ष वार ब्यौरों के अनुसार जारी की गयी। शेष 9 प्रस्तावों को, जो महाराष्ट्र के नगरों से संबंधित हैं, अनुमोदित नहीं किया जा सका क्योंकि आठवीं योजना (1992-97) के दौरान महाराष्ट्र के 25 नगरों के लिए अस्थायी नियतन 50% से अधिक हो गया था (25 नगरों के नियतन की तुलना में महाराष्ट्र के 36 नगरों को आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के तहत पहले ही शामिल कर लिया गया था)। 36 परियोजना रिपोर्टें राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जानी हैं ताकि उन्हें दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके। आठवीं योजना के दौरान आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के अन्तर्गत शामिल किए जाने वाली 300 नगरों के अस्थायी नियतन का राज्यवार एवं वर्षवार ब्यौरे, प्राप्त परियोजना रिपोर्टों की संख्या, राज्य सरकार द्वारा संशोधित की जाने वाली परियोजना रिपोर्टों की संख्या, तथा गत तीन वर्षों के दौरान आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना में शामिल किए गए नगरों की संख्याएं विवरण-II में दी हैं।

(ग) से (ङ) छोटे तथा मझौले शहरों के समन्वित विकास की योजना के अन्तर्गत जारी की गयी केन्द्रीय सहायता उदार ऋण के रूप में है न कि अनुदान के रूप में। इस का पुनर्भुगतान सामान्यता राज्य सरकार के बजट प्रावधान से किया जाता है। जहां तक शहर कार्य और रोजगार मंत्रालय का संबंध है, दूसरी एवं परवर्ती किश्तों को जारी करने से पहले उपयोग-प्रमाणपत्र मांगे जाते हैं तथा केन्द्रीय सहायता की और राशि तब तक जारी नहीं की जाती है जब तक स्वीकृत परियोजनाओं पर किया गया व्यय केन्द्रीय सहायता जमा पूर्व में जारी राज्य अंश के 70% से अधिक न हो।

## विवरण-I

**वर्ष 1992-93 से 31.3.95 तक आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के तहत शामिल किए गए नगरों की संख्या एवं जारी केन्द्रीय सहायता।**

(रू॰ लाखों में)

| राज्य/संघ शा॰ प्र॰ | 1992-93 | | | 1993-94 | | | 1994-95 | | | योग | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | शामिल नगर नयी चल रही | | जारी कोष | शामिल नगर नयी चल रही | | जारी कोष | शामिल नगर नयी चल रही | | जारी कोष | शामिल नगर नयी चल रही | | जारी कोष |
| 1 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. आंध्र प्रदेश | 4 | 1 | 89.21 | 14 | 3 | 486.79 | 6 | - | 135.00 | 24 | 4 | 711.00 |
| 2. अरूणाचल प्रदेश | - | - | - | - | 1 | 15.00 | 2 | - | 25.00 | 2 | 1 | 41.00 |
| 3. असम | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 45.00 | 3 | - | 45.00 |
| 4. बिहार | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 46.00 | 2 | - | 46.00 |
| 5. गोवा | - | - | - | 1 | - | 12.00 | 1 | - | 24.00 | 2 | - | 36.00 |
| 6. गुजरात | - | - | - | 3 | 4 | 131.24 | 7 | 2 | 150.0 | 10 | 6 | 281.24 |
| 7. हरियाणा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. हिमाचल प्रदेश | - | 1 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25.00 |
| 9. जम्मू और कश्मीर | - | - | - | 2 | - | 38.00 | 1 | 1 | 40.00 | 3 | 1 | 78.00 |
| 10. कर्नाटक | 7 | 1 | 140.00 | 12 | - | 260.00 | 11 | - | 290.00 | 30 | 1 | 690.00 |
| 11. केरल | 1 | - | 25.00 | 1 | - | 40.00 | 4 | - | 118.50 | 6 | - | 183.50 |
| 12. मध्य प्रदेश | 3 | - | 60.00 | 2 | - | 35.00 | 12 | 3 | 253.50 | 17 | 3 | 348.50 |
| 13. महाराष्ट्र | 9 | 4 | 276.29 | 10 | 2 | 316.00 | 17 | 4 | 433.75 | 36 | 10 | 1026.04 |
| 14. मणिपुर | 3 | 2 | 103.08 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 103.08 |
| 15. मेघालय | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. मिजोरम | - | - | - | 1 | 1 | 81.00 | 1 | - | 12.00 | 2 | 1 | 43.00 |
| 17. नागालैण्ड | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.00 | - | 1 | 15.00 |
| 18. उड़ीसा | 4 | - | 90.00 | 1 | 1 | 32.00 | 9 | 2 | 181.00 | 14 | 3 | 303.00 |
| 19. पंजाब | - | - | - | 3 | - | 46.00 | 1 | 1 | 36.25 | 4 | 1 | 82.25 |
| 20. राजस्थान | 5 | - | 105.00 | 4 | 5 | 114.25 | 3 | - | 70.00 | 12 | 5 | 289.25 |
| 21. सिक्किम | - | - | - | 1 | 1 | 12.00 | - | 1 | 20.00 | 1 | 1 | 32.00 |
| 22. तमिलनाडु | 8 | 4 | 229.41 | 10 | 1 | 110.06 | 11 | 4 | 139.00 | 29 | 9 | 478.47 |
| 23. त्रिपुरा | - | - | - | 1 | - | 90.50 | - | - | - | 1 | - | 9.00 |
| 24. उत्तर प्रदेश | - | 1 | 16.00 | 5 | 1 | 112.00 | 5 | - | 159.00 | 10 | 2 | 287.00 |
| 25. प॰ बंगाल | - | 1 | 1.00 | 12 | 1 | 99.65 | 8 | 2 | 93.20 | 20 | 4 | 193.87 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | अंण्डमान और निकोबार द्वीप समूह | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | दादर और नगर हवेली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | लक्ष्यद्वीप | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | पाण्डिचेरी | - | - | - | 1 | 1 | 50.00 | - | - | - | 1 | 1 | 50.00 |
| 5. | दमन और दीव | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग : | 44 | 15 | 1160.00 | 84 | 21 | 1950.00 | 104 | 21 | 2289.70 | 232 | 57 | 5399.70 |

## विवरण-II

**वर्ष 1992-93 से 31.3.1995 तक आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के अंतर्गत परियोजना रिपोर्टों की स्थिति**

| क्र॰ सं॰ | राज्य/सं॰ शा॰ क्षेत्र का नाम | नियतित नगरों की संख्या | प्राप्त परियोजना रिपोर्ट की सं॰ | शामिल नगर | संशोधित किये जाने वाले परियोजना प्रस्तावों की सं॰ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | आंध्र प्रदेश | 30 | 33 | 24 | 9 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 3. | असम | 5 | 3 | 3 | - |
| 4. | बिहार | 18 | 6 | 2 | 4 |
| 5. | गोवा | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 6. | गुजरात | 12 | 10 | 10 | - |
| 7. | हरियाणा | 6 | - | - | - |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | 2 | - | - | - |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 5 | 3 | 3 | - |
| 10. | कर्नाटक | 30 | 30 | 30 | - |
| 11. | केरल | 10 | 8 | 6 | 2 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 25 | 19 | 17 | 2 |
| 13. | महाराष्ट्र | 25 | 45 | 36 | - |
| 14. | मणिपुर | 4 | 3 | 3 | - |
| 15. | मेघालय | 2 | 2 | - | 2 |
| 16. | मिजोरम | 4 | 2 | 2 | - |
| 17. | नागालैण्ड | 2 | 3 | - | 3 |
| 18. | उड़ीसा | 12 | 14 | 14 | - |
| 19. | पंजाब | 10 | 7 | 4 | 3 |
| 20. | राजस्थान | 20 | 16 | 12 | 4 |
| 21. | सिक्किम | 3 | 22 | 1 | 1 |
| 22. | तमिलनाडु | 24 | 30 | 29 | 1 |
| 23. | त्रिपुरा | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 30 | 10 | 10 | - |
| 25. | प॰ बंगाल | 21 | 20 | 20 | - |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | | | |
| 1. | दमन और दीव | 1 | 2 | - | 2 |
| 2. | पाण्डिचेरी | 1 | 1 | 1 | - |
| | योग: | 300 | 277 | 232 | 36 |

**[अनुवाद]**

### जे॰ एन॰ पी॰ टी॰ द्वारा उपकरणों को पट्टे पर दिया जाना

**4806. श्री डी॰ पांडियन** : क्या जल-भूतल परिवहन **मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जवाहर लाल नेहरू पत्तन न्यास (जे॰ एन॰ पी॰ टी॰) ने उपकरणों को पट्टे पर लेने हेतु निविदाएं अधिसूचित की थी, तथा कर्मचारी उपलब्ध कराने हेतु मंत्रालय को प्रस्ताव भी भेजे थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पट्टे पर लिए गए उपकरणों का लम्बे समय तक उपयोग नहीं किया गया;

(घ) यदि हां, तो उपकरणों को कब प्राप्त किया गया था और कब उन्हें उपयोग में लाया गया; और

(ङ) पट्टे के किराए के रूप में कितनी राशि अदा की गई तथा उपकरणों का उपयोग करने में हुए विलम्ब के कारण जे॰ एन॰ पी॰ टी॰ को कितनी हानि हुई ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी हां। पट्टे पर दिए गए उपकरणों में 2 रेल माऊन्टेड क्वेक्रेन, 3 रबड़ टार्यड जेन्ट्री क्रेन और 1 रेल माऊन्टेड जेन्ट्री क्रेन शामिल हैं। उन पर 56 असिस्टेंट टैक्निशियन, 32 चैकर और 24 सुपरवाइजर तैनात करने का प्रस्ताव है।

(ग) और (घ) जी नहीं। 30 मार्च, 1995 को प्राप्त हुए उपकरणों का तुरन्त उपयोग शुरू कर दिया गया है और वे प्राप्त होने के बाद एक दिन भी बेकार नहीं पड़े रहे हैं।

(ङ) सभी उपकरणों को पट्टे पर लेने के लिए देय भाड़ा 24.35 करोड़ रु॰ प्रतिवर्ष है। उपकरणों का विलम्ब से उपयोग करने के कारण किसी धनराशि का नुकसान नहीं हुआ है।

**4807. डा॰ लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :**

**मेजर जनरल (रिटायर्ड) भुवन चन्द्र खण्डूरी :**

**श्री अटल बिहारी वाजपेयी :**

**क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिक्लस लि॰ के हैदराबाद स्थित एकक को अर्थक्षम बनाने हेतु औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा प्रस्तावित कार्य योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार ने इस कार्य योजना को कार्यान्वित करने हेतु क्या कदम उठाए हैं; और

(ग) इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लि॰, हैदराबाद को 31 मार्च, 1995 तक कुल कितना घाटा हुआ है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिक विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) और (ख) कंपनी की हैदराबाद इकाई सहित इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल लि॰ (आई॰ डी॰ पी॰ एल॰) के लिए पुनरूद्धार योजना औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰) द्वारा 10 फरवरी, 1994 को स्वीकृत की गई थी। यह पुनरूद्धार योजना 1 अप्रैल, 1994 से 10 वर्षों की अवधि के लिए है। हैदराबाद इकाई के लिए कोई अलग योजना स्वीकृत नहीं की गई थी। आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ के लिए स्वीकृत पुनरूद्धार योजना में अन्य बातों के साथ-साथ यह परिकल्पना की गई है कि, अधिक उत्पादन बिक्री और स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वी॰ आर॰ एस॰) के माध्यम से जनशक्ति में कमी करने और फालतू परिसम्पत्तियों की बिक्री/निपटान द्वारा आंतरिक संसाधनों को जुटाने के अतिरिक्त हैदराबाद इकाई में महत्वपूर्ण विटामिनों की क्षमता तीन वर्षों की अवधि में चरणबद्ध रूप में बढ़ाई जाएगी, इकाई के लिए एक विद्युत उपकेंद्र स्थायी किया जाएगा। वर्ष 1994-95 में क्षमताओं का विस्तार या विद्युत उप-केन्द्र की स्थापना का कार्य शुरू नहीं किया गया है। कंपनी में स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति (वी॰ आर॰ एस॰) लागू की जा रही है और हैदराबाद इकाई के 679 व्यक्तियों ने इसका विकल्प दिया है और उन्हें 1994-95 में वी॰ आर॰ एस॰ के अंतर्गत कार्यमुक्त किया गया था।

(ग) आई॰ डी॰ पी॰ एल॰ की हैदराबाद इकाई की अस्थायी और बिना लेखा-परीक्षित संचित हानि 31.3.95 की स्थिति के अनुसार लगभग 264.26 करोड़ रुपये है।

## प्रमुख पत्तनों का विस्तार

**4808. श्री दत्तात्रेय बंडारू : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रमुख पत्तनों के विस्तार और नवीकरण हेतु भारी धनराशि की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्रमुख पत्तन इस प्रयोजनार्थ आंतरिक रूप से संसाधन जुटाने की स्थिति में हैं;

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस प्रयोजनार्थ धनराशि जुटाने हेतु क्या अन्य उपाय किए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) महापत्तनों के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न परियोजनाएं शुरू करने हेतु 8वीं योजना 1992-97 में 2984 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया गया है।

(ग) कलकत्ता, कोचीन और जवाहर लाल नेहरू पत्तनों को छोड़कर शेष सभी महापत्तन पर्याप्त आन्तरिक संसाधन जुटा रहे हैं।

(घ) कलकत्ता, कोचीन और जवाहर लाल नेहरू पत्तनों की वित्तापोषण आवश्यकताओं में अन्तर को अन्तर-निगमित ऋणों अथवा बजटगत सहायता से पूरा किया जाता है। निवेश सहभागिता के लिए निजी क्षेत्र को भी आमंत्रित किया गया है।

(ङ) उनके आन्तरिक संसाधनों में वृद्धि के लिए किए गए/किए जाने के लिए प्रस्तावित उपायों में भाड़ा संशोधन, उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन, खर्च में कमी आदि शामिल हैं।

## मध्य प्रदेश में शहरी विकास परियोजनाएं

**4809. श्री सूरजभानु सोलंकी : क्या शहरी कार्य और**

रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में शहरी विकास परियोजनाओं के लिए कुल कितनी केन्द्रीय सहायता दी गई;

(ख) क्या मध्य प्रदेश सरकार ने सहायता के रूप में दी गई पूरी राशि खर्च कर दी है;

(ग) यदि हां, तो क्या सहायता राशि बांटने में कुछ देरी हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों में शहरी विकास परियोजनाओं को केन्द्र प्रवर्तित लघु एवं मध्यम नगरों के समन्वित विकास की योजना (आई० डी० एस० एम० टी०) के तहत सहायता दी जाती है। गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में आई० डी० एस० एम० टी० योजना के तहत शहरी विकास परियोजनाओं के लिए जारी की गयी केन्द्रीय सहायता की राशि 288.50 लाख रुपये है।

(ख) आई० डी० एस० एम० टी० के तहत केन्द्रीय सहायता "ऋण" के रूप में जारी की जाती है। राज्य सरकार को केन्द्रीय अंश के बराबर राशि जुटाने के लिए राज्यांश तथा वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेना होता है। चूंकि अधिकतर केन्द्रीय सहायता राशि वर्ष 1994-95 के दौरान जारी की गई थी तो निधियों बाबत उपयोग प्रमाण-पत्र नहीं हुए हैं। आई० डी० एस० एम० टी० निधियां किश्तों में जारी की जाती हैं तथा दूसरी एवं परवर्ती किश्तों की राशि जारी करते समय व्यय विवरण की जांच की जाती है।

(ग) आई० डी० एस० एम० टी० योजना के दिशा-निर्देशों के अनुरूप मामलों में केन्द्रीय सहायता के संवितरण में कोई विलम्ब नहीं होता है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## पेयजल का अभाव

**4810. डा० परशुराम गंगवार** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1995-96 के दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ शहरों में पेयजल का अभाव हो गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने उपरोक्त अवधि के दौरान पेयजल के संकट का समाधान करने हेतु राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1994-95 के दौरान किसी भी शहर में पीने के पानी की कमी बाबत सूचना नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के तहत 20,000 से कम आबादी वाले कस्बों में वर्ष 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार को केन्द्रीय अंश के भाग के रूप में 586.17 लाख रुपये दिए गए हैं।

## मात्स्यिकी और फल उद्योग

**4811. श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार को उड़ीसा सरकार से राज्य में मात्स्यिकी, फलों और सब्जियों संबंधी खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गोसाई)** : (क) और (ख) उड़ीसा सरकार से राज्य में मात्स्यिकी, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण से संबंधित खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। बहरहाल, मात्स्यिकी, फल तथा सब्जी से संबंधित विभिन्न स्कीमों के तहत 8वीं योजना अवधि के प्रथम 3 वर्षों के दौरान उड़ीसा राज्य में सहायता प्राप्त यूनिटों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

## विवरण

**वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1994 के दौरान मात्स्यिकी, फल तथा सब्जी प्रसंस्करण क्षेत्र में उड़ीसा राज्य में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के तहत योजनागत स्कीमों के अंतर्गत इकाइयों को दी गई सहायता के ब्यौरे**

| वर्ष | इकाई का नाम | प्रदान की गई सहायता राशि (लाख रुपयों में) | उद्देश्य |
|---|---|---|---|
| **I. मात्स्यिकी सैक्टर** | | | |
| 1992-93 | उड़ीसा मेरिटाईम एण्ड चिल्का एरिया डिवलपमैंट कारपोरेशन (ओ०एम०सी०ए०डी०) भुवनेश्वर | 21.00 | कोल्ड चैन सुविधाओं की स्थापना |
| 1993-94 | -यथोक्त- | 31.00 | -यथोक्त- |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1994-95 | उड़ीसा एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन (ओ॰ ए॰ आई॰ सी॰), भुवनेश्वर | 50.00 | मत्स्य प्रसंस्करण केन्द्र की स्थापना |

**II. फल तथा सब्जी प्रसंस्करण सैक्टर**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | न्यू इण्डिया कल्चरल स्प्रान एंड मशरूम, बहरामपुर | 6.00 | मशरूम की खेती एवं प्रसंस्करण हेतु मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए। |
| 1993-94 | सर्वोदय समिति, गांधी नगर, कोरापुर | 2.70 | खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना। |
| 1994-95 | शून्य | शून्य | -- |

[हिन्दी]

## बिहार में खनिज

4812. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :**

**श्री प्रेमचन्द राव :**

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत दो वर्षों के दौरान बिहार में खनिजों के अन्वेषण और विकास के लिए विदेशी सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) बिहार सरकार ने कहा है कि पिछले दो वर्षों के दौरान खनिजों के गवेषण और विकास के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं मांगी गई है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[अनुवाद]

## उड़ीसा में शहरों का विकास

4813. **श्री अन्ना जोशी :** क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में कौन-कौन से छोटे तथा मध्यम दर्जे के शहरों का विकास हेतु चयन किया गया है; और

(ख) उड़ीसा में शहरों के विकास संबंधी योजनाएं कब तक कार्यान्वित कर ली जायेंगी ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) :** (क) लघु तथा मध्यम कस्बों के एकीकृत विकास (आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰) की केन्द्र प्रवर्तित योजना उड़ीसा राज्य सहित राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है। आठवीं पंचवर्षीय योजना (1992-97) के दौरान अब तक उड़ीसा राज्य के 14 कस्बों के नये परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुये हैं और आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। भारत सरकार ने ये सभी प्रस्ताव अनुमोदित कर दिये हैं। इन 14 कस्बों के नाम इस प्रकार हैं :-

1. जयपुर
2. बासुदेवपुर
3. अठागढ़
4. झारसुगुडा
5. डिगपहांडी
6. भंजानगर
7. तितलागढ़
8. ऊमेरकोट
9. चौद्वार
10. तरभा
11. छत्रपुर
12. परालाखामंडी
13. कामाच्य नगर
14. नवरंगपुर

(ख) यह आशा है कि ये अनुमोदित परियोजनाएं आठवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कार्यान्वित की जायेंगी। तथापि, परियोजनाएं पूर्ण होने की वास्तविक तारीखें, आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ की योजना के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत यथा निर्धारित राज्य अंश तथा संस्थागत वित्त की उपलब्धता पर निर्भर करेगी।

## गुजरात में पेयजल परियोजनाएं

4814. **श्री शंकर सिंह वाघेला :**

**श्री हरिभाई पटेल :**

क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुजरात सरकार द्वारा 1994-95 के दौरान स्वीकृति हेतु कितनी पेयजल परियोजनाएं भेजी गई;

(ख) अब तक इनमें से कितनी परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है;

(ग) शेष परियोजनाओं को कब तक स्वीकृति दे दी जाएगी; और

(घ) इसके लिए राज्य को कितनी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) तथा (ख) गुजरात सरकार ने 1994-95 के दौरान त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम (ए॰ यू॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰) के तहत आठ व्यापक परियोजना रिपोर्टें प्रस्तुत कीं। उनमें से छः का अनुमोदन किया जा चुका है।

(ग) बकाया दो परियोजना रिपोर्ट राज्य सरकार को लौटा दी गई हैं क्योंकि वे त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम के लिए लागू दिशानिर्देशों के अनुसार तैयार नहीं की गई थीं। मार्ग-निर्देशों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा ये रिपोर्टें पुनः पेश करने के बाद ही उनके अनुमोदन हेतु विचार किया जाएगा।

(घ) राज्य को इस प्रयोजनार्थ मुहैया कराई गई केन्द्रीय सहायता की कुल धनराशि 158.32 लाख रुपये है।

## एमनेस्टी इन्टरनेशनल

**4815. डा॰ आर॰ मल्लू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जेनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग की हुई बैठक में भारत की कड़ी आलोचना की है और पाकिस्तान को आरोप मुक्त किया;

(ख) यदि हां, तो क्या एमनेस्टी ने जांच के मामले में विश्व में भारत को ही अपना प्रमुख लक्ष्य बनाया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इससे जेनेवा में पाकिस्तान को कुछ नहीं कहा है जबकि एमनेस्टी के अपने रिकार्ड में पाकिस्तान की छवि अन्य देशों की तुलना में खराब है;

(घ) क्या एमनेस्टी ने पाकिस्तान की बजाय इंडोनेशिया की खिंचाई की है; और

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में जेनेवा में क्या प्रतिकारक कदम उठाए गए हैं ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) से (ङ) एमनेस्टी इन्टरनैशनल विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की स्थितियों के विभिन्न पहलुओं पर समय-समय पर रिपोर्टें प्रकाशित करता है जिनमें भारत, पाकिस्तान, इन्डोनेशिया आदि भी शामिल हैं। सरकार पारदर्शिता बनाये रखने और बातचीत करने की अपनी नीति के अनुरूप एमनेस्टी इन्टरनेशनल के साथ कार्यकलाप करती रही है। तथापि, हाल ही में एक ऐसे चित्र के प्रकाशन जिसमें दुखी कश्मीरी विधवा के स्थान पर प्रार्थनारत तमिल महिला को दर्शाया गया है, एमनेस्टी की रिपोर्टों के प्रकाशन का समय, विभिन्न देशों के प्रति उनके रवैए और एमनेस्टी की कार्य-प्रणाली तथा उनकी रिपोर्टों में निरन्तर चली आ रही अन्य विकृतियों से एमनेस्टी की नेकनीयती और सद्भाव पर प्रश्न चिन्ह लगे हैं। भारत सरकार ने इन मसलों को एमनेस्टी इन्टरनैशनल के साथ उठाया है तथा अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को भी इससे अवगत कराया है।

## शरावथी पुल

**4816. श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक सरकार से शरावथी पुल के पुनर्नवीकरण/पुनर्निर्माण कार्य को शुरू करने के लिए कहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने कार्य शुरू कर दिया है; और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ कितनी वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गई है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) चूंकि यह कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है इसलिए इसकी पूरी लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन की जानी है। इस संबंध में 675 लाख रु॰ की राशि का एक संशोधित प्राक्कलन संस्वीकृत किया गया है।

## गुजरात में नेहरू रोजगार योजना

**4817. डा॰ अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र सरकार द्वारा नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात राज्य में पटरियों पर रहने वाले लोगों को रैनबसेरे और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान करने हेतु कितनी योजनाएं स्वीकृत की गई हैं; और

(ख) योजनावार मंजूर की गई केन्द्रीय सहायता का ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) नेहरू रोजगार योजना में पटरी वासियों के लिए रैन बसेरों तथा सफाई सुविधा का प्रावधान नहीं है। तथापि, शहरी पटरी वासियों के लिए रैन बसेरे और सफाई सुविधाओं की एक अलग केन्द्रीय योजना है। गुजरात को इस योजना के तहत गत तीन वर्षों के दौरान कोई परियोजना मंजूर नहीं की गई है।

## हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड का आधुनिकीकरण

**4818. श्री शरत पटनायक** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को आधुनिक बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई विदेशी सहायता की पेशकश की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) से (ग) जी, नहीं। फिर भी कम्पनी अपनी खेतड़ी स्थित इकाई की क्षमता को वर्तमान 31000 टन प्रतिवर्ष से बढ़ाकर 1,00,000 टन प्रतिवर्ष करने की योजना बना रही है। इस प्रयोजन के लिए लगाए गए परामर्शकों की मदद से परियोजना का ब्यौरा एकत्र किया जा रहा है। फंड की व्यवस्था इन ब्यौरों को अन्तिम रूप दिए जाने पर ही की जाएगी। अतः इस स्थिति में किसी भी सहायता की बात करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## उर्वरक संयंत्र

**4819. डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र :** क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में आगामी तीन वर्षों के दौरान नए उर्वरक संयंत्रों, विशेष रूप से यूरिया के उत्पादन हेतु की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो उनकी स्थापना किन-किन स्थानों पर की जायेगी और अधिष्ठापित क्षमता सहित तत्संबंधी अन्य ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जायेगी;

(ङ) क्या सरकार का विचार चालू वित्त के दौरान नई उर्वरक नीति अपनाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य ब्यौरा क्या है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) से (घ) सरकार द्वारा 24 जुलाई, 1991 को घोषित औद्योगिक नीति संबंधी वक्तव्य के अनुसार, उर्वरक उद्योग के लिए औद्योगिक लाइसेंसीकरण को समाप्त कर दिया गया है। पर्यावरणीय मंजूरी के अध्यधीन उद्यमी भारत में कहीं भी उर्वरक परियोजनाएं स्थापित करने के लिए स्वतंत्र है। तथापि, सरकार ने हाल ही में इफको के फूलपुर स्थित उनके वर्तमान उर्वरक संयंत्र के विस्तार के रूप में 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया और 2200 टन प्रति दिन यूरिया क्षमता संयंत्रों की स्थापना के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। एन॰ एफ॰ एल॰ के पानीपत एकक के विस्तार के रूप में अमोनिया/यूरिया परियोजना की समतुल्य क्षमता का एन॰ एफ॰ एल॰ द्वारा प्रस्ताव किया गया है। ये दो वृहद विस्तार परियोजनायें अर्थात् 1350 टन प्रतिदिन अमोनिया तथा 2200 टन प्रतिदिन यूरिया प्रत्येक इफको आंवला और एन॰ एफ॰ एल॰ विजयपुर के अलावा है, जो इस समय कार्यान्वयनाधीन है।

(ङ) इस समय चालू वित्तीय वर्ष में नई उर्वरक नीति को स्वीकार करने का कोई प्रस्ताव विचारधीन नहीं है।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

## तमिलनाडु में विद्युत संयंत्र

**4820. श्री पी॰ कुमारासामी :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कहाँ-कहाँ पर विद्युत संयंत्र बनाए जा रहे हैं;

(ख) ये विद्युत संयंत्र इस समय किस स्थिति में हैं और ये कब तक पूरे हो जायेंगे;

(ग) 1992-93, 1993-94 और 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा कितनी राशि प्रदान की गई;

(घ) क्या सरकार का नये विद्युत संयंत्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल):** (क) और (ख) तमिलनाडु राज्य में निम्नलिखित विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन हैं–

| क्र॰ सं॰ | परियोजना का नाम/स्थान | क्षमता (मे॰ वा॰) | चालू होने की तारीख | वर्तमान स्थिति |
|---|---|---|---|---|
| | **ताप विद्युत** | | | |
| 1. | उत्तरी मद्रास यूनिट 1, 2 और 3 (चेंगलपुर) | 3×210 | यूनिट 3, 1/96 | यूनिट 1 और 2 चालू है |
| 2. | बेसिन ब्रिज यूनिट 1-4 (मद्रास) | 4×30 | यूनिट-1, 12/95<br>यूनिट-2, 1/96<br>यूनिट-3, 2/96<br>यूनिट-4, 3/96 | यूनिट 1 व 2 गैसटर वाइन नीव पर रखे जा चुके हैं एवं यूनिट 3 व 4 के लिए गैस टरबाइन सप्लाई किए गए। |
| | **जल विद्युत** | | | |
| 3. | लोवर भवानी (पेरियार) | 2×4 | 9/96 | सभी बुनियादी कार्य पूरे हो गए हैं। |
| 4. | सथानूर बांध (समबुदरायर) | 1×7.5 | 9/96 | सभी बुनियादी कार्य पूरे हो गए हैं। |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. परसोन घाटी (नीलगिरी) | 1×30 | 9वीं योजना | गेट एवं सर्ज साफ्टों का निर्माण प्रगति पर है। |
| 6. पयकारा अंतिम चरण (नीलगिरी) | 3×50 | 9वीं योजना | सभी बुनियादी कार्य पूरे हो गए हैं। |

(ग) वर्ष 1992-93, 1993-94 के लिए तमिलनाडु में विद्युत क्षेत्र के लिए अनुमोदित योजना परिव्यय क्रमश: 456.40 करोड़ रुपए, 515.66 करोड़ रुपए एवं 625.00 करोड़ रुपए था।

(घ) और (ङ) तमिलनाडु में निजी क्षेत्र में 7420 मेगावाट की क्षमता वाली 12 विद्युत परियोजनाएं अधिष्ठापित करने के लिए रूचि दर्शाई गई है।

| क्रम सं. | परियोजना का नाम | क्षमता (मेगावाट) |
|---|---|---|
| 1. | डेसनि ब्रिज चरण-2 | 200 |
| 2. | कुड्डालोर टी. पी. एस. | 2 × 660 |
| 3. | गुमड़ी फेन्डी | 1000 |
| 4. | गुमड़ी पोन्डी | 500 |
| 5. | जयाम कोन्डम लिगनाइड पी पी | 3 × 500 |
| 6. | उत्तरी मद्रास-2 | 2 × 500 |
| 7. | उत्तरी मद्रास टी. पी. पी.-3 | 500 |
| 8. | पिल्लई पेरू मलनल्लर | 300 |
| 9. | समयानल्लर डी. ई. पी. पी. | 100 |
| 10. | सिरीमुशनम लिगनाइट | 250 |
| 11. | टुटीकोरिन-4 टी. पी. एस. | 500 |
| 12. | जीरो यूनिट (एन. एल. सी.) | 250 |

## बंगलादेश को स्टीमर सेवाएं

**4821. श्री कवीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश में अपने माल का निर्यात करने वाले पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य के निर्यातकों की सुविधा के लिए कलकत्ता से नारायणगंज, बंगलादेश तक स्टीमर सेवाएं उपलब्ध हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पहले बदरपुर घाट और करीमगंज होते हुए सिलचर से बंगलादेश के लिए स्टीम सेवाएं नियमित नहीं हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार बदरपुर घाट और करीमगंज होते हुए सिलचर से बंगलादेश के नारायणगंज तक स्टीमर सेवाओं के मामले पर उनके साथ चर्चा करने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) बंगलादेश को माल का निर्यात करने के लिए कलकत्ता से नारायणगंज, बंगलादेश तक स्टीमर सेवा उपलब्ध है, बशर्ते कार्गो और स्टीमर उपलब्ध हो।

(ख) गत तीन वर्षों में भारतीय जलयान (केंद्रीय अन्तर्देशील जल परिवहन निगम, कलकत्ता के अन्तर्गत नीचे लिखे अनुसार सीमेंट, रोड़ी, इस्पात पिण्ड, बिजली के खम्भे, सफेद सीमेंट इत्यादि लेकर गए :-

1992-93 - 8978 मीट्रिक टन

1993-94 - 14473 मीट्रिक टन

1994-95 - 20974 मीट्रिक टन

(ग) सिलचर से बदरपुर घाट और करीमगंज होकर बंगलादेश के लिए स्टीमर सेवाएं पारगमन और व्यापार के सम्बन्ध में वर्तमान भारत-बंगलादेश अन्तर्देशीय जल प्रोतोकोल के अन्तर्गत नहीं आती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) सरकार ने बंगलादेश की सरकार के साथ इस मामले को उठाया है दोनों देशों के बीच व्यापार के लिए भारतीय प्रचालकों द्वारा केवल कलकत्ता से जलयान का नामांकन करने की वर्तमान व्यवस्था के स्थान पर पांडु और/अथवा करीमगंज से नाव व्यवस्था की जाए। पारगमन और व्यापार के सम्बन्ध में वर्तमान अन्तर्देशीय जल प्रोतोकों की वैधता अवधि सितम्बर, 1995 में समाप्त हो जाएगी। और तब इस संबंध में बंगलादेशी के साथ आगे बातचीत की जायेगी।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

## पन बिजली उत्पादन

**4822. श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1993-94 की तुलना में 1994-95 के दौरान पन बिजली उत्पादन में वृद्धि हुई थी;

(ख) यदि हाँ, तो कितनी वृद्धि दर्ज की गई तथा 1994-95 के लिए लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) पन बिजली उत्पादन में वृद्धि करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल):** (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान लक्ष्य की तुलना में वास्तविक जल-विद्युत उत्पादन नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार हैं :-

| विद्युत उत्पादन की | 1993-94 वास्तविक (मिलियन यूनिट) | 1994-95 लक्ष्य | वास्तविक | 1993-94 कर प्रतिशत | तुलना में प्रतिशत |
|---|---|---|---|---|---|
| जल विद्युत | 70375 | 69000 | 82518 | 119.6 | 117.3 |

इस तरह, वर्ष 1994-95 के दौरान वास्तविक उत्पादन लक्ष्य का 119.6 प्रतिशत और गत वर्ष की तुलना में 117.3% था।

(ग) देश में उपलब्ध जल विद्युत शक्यता के बेहतर समुपयोजन के लिए किए जा रहे उपायों में वृहत् जल विद्युत परियोजनाओं को स्थापित किए जाने के लिए विशिष्ट सार्वजनिक क्षेत्र कम्पनियों की स्थापना; योजना संसाधनों का अधिक आवंटन करना है, जिसमें जल विद्युत स्कीमों के लिए उच्च निवल बजटीय सहायता और जल विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष प्रोत्साहन प्रदान करना शामिल है।

[हिन्दी]

## नदी तलों में स्वर्ण भण्डार

**4823. श्री भवानीलाल वर्मा : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, बिहार सीमा के आर-पार बह रही शंख और मैनी नदियों में स्वर्ण के भण्डारों का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्वर्ण भण्डारों का लोगों द्वारा अवैध ढंग से दोहन किया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) नदी तल के इन स्वर्ण भण्डारों को निकालने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) और (ख) भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा किये गए गवेषणों से मुख्यत: बाजार-सेमारकाच्छर-पांडरीपानी-फरासबहार क्षेत्र की मैनी, सोनाझोरी और आइब नदियों में निम्न ग्रेड प्लेसर स्वर्ण का पता चला है। इस क्षेत्र की हीरा पट्टियों और चार्ट बैंडस में प्राथमिक स्वर्ण के लिए गवेषण करने पर औसत ग्रेड वाले 0.6 ग्राम/टन स्वर्ण 3.92 ग्राम/टन चांदी, 12.83 ग्राम/टन एंटीमोनी सहित अनुमानत: 0.25 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क के निम्न श्रेणी स्वर्ण खनिजीकरण का पता चला है।

(ग) और (घ) स्थानीय जनजातियां पारम्परिक तौर पर स्वर्ण अयस्कों की प्राप्ति के लिए मैनी नदी घाटी की कछारी भूमि को साफ करती रही हैं। राज्य ने यह निश्चय किया है कि इन जनजातियों को ऐसा करने दिया जाए।

(ङ) ये भंडार वाणिज्यिक विदोहन के लिए आर्थिक दृष्टि से व्यवहार्य नहीं हैं।

## सरकारी आवासों का स्मारकों में परिवर्तन

**4824. श्री वीरेन्द्र सिंह : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** 7 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 81 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बारे में सूचना एकत्र कर ली गई है कि नई दिल्ली में कितने सरकारी बंगलों को स्मारकों में परिवर्तित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इनकी साज-सज्जा के लिए 1994-95 और 1995-96 के दौरान कुल कितनी राशि जारी की गई है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) :** (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## दिल्ली विकास प्राधिकरण के फ्लैटों और प्लाटों का बिना बारी के आवंटन

**4825. श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि ऐसी व्यक्तियों का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत वर्षों के दौरान बिना बारी के आधार पर दिल्ली बिकास प्राधिकरण के प्लाटों तथा फ्लैटों का आवंटन किया गया है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) :** दिल्ली विकास प्राधिकरण ने सूचना दी है कि बिना-बारी आधार पर भू-खण्डों के आवंटन हेतु कोई प्रावधान नहीं है। तथापि, गत तीन वर्षों के दौरान 233 व्यक्तियों को बिना-बारी आधार पर फ्लैट आवंटित किये गये हैं और इन व्यक्तियों की जानकारी संलग्न विवरण में दी गई है।

## विवरण

**वर्ष 1992, 1993 और 1994 के दौरान एम० आई० जी०/एल० आई० जी०/अनता के अन्तर्गत वर्ष-वार बिना बारी आवंटन किये गये व्यक्तियों का विवरण।**

**1992 (1.1.92 से 31.12.92)**

| क्र० सं० | आवेदक का नाम |
|---|---|
| 1. | श्रीमती अनिता पाण्डेय |
| 2. | श्रीमती गीता सेन |
| 3. | लाला अमरनाथ |
| 4. | श्रीमती उमा गरोवर |
| 5. | श्री चन्द्रिका दत्त सिंह |
| 6. | श्रीमती स्नेहलता चावला |
| 7. | श्री वी० एस० राही |
| 8. | श्रीमती मीना कठियाल |
| 9. | श्रीमती प्रभाती देवी |
| 10. | श्रीमती सादना |
| 11. | श्री एस० जे० पिल्ले |
| 12. | श्री एम० एन० बदम |
| 13. | कै० राम सिंह |
| 14. | श्री योगेन्द्र नाथ |
| 15. | श्री कमलजीत सिंह |
| 16. | श्रीमती एल० सी० चाकू |
| 17. | श्री गुरदित सिंह |
| 18. | श्रीमती आशा शर्मा |
| 19. | श्रीमती आर० रंगमाल |
| 20. | श्रीमती झारना राय |
| 21. | श्री सुरजीत सिंह एण्ड मिल लाली तुली |
| 22. | श्रीमती आशा किरण अहलूवालिया |
| 23. | श्री बी० पी० श्रीवास्तव |
| 24. | श्रीमती प्रभा कुमारी |
| 25. | श्री शिव कुमार शर्मा |
| 26. | श्रीमती शकुन्तला शिलर |
| 27. | श्री नत्थु राम निशाद |
| 28. | श्रीमती कान्ती शर्मा |
| 29. | श्री ए० सी० द्विवेदी |
| 30. | श्रीमती कुन्दन देवी जोशी |
| 31. | श्रीमती गीता देवी |
| 32. | श्रीमती पुनम |
| 33. | श्री शिवनाथ शऊ |
| 34. | श्री पी० के० भाटिया, श्रीमती सुनिता भाटिया एवं श्री अमित भाटिया |
| 35. | श्री दोमन शाह |
| 36. | श्रीमती ललिता कुमारी |
| 37. | श्रीमती अंगूरी राठी और श्री तासबीर सिंह राठी |
| 38. | श्रीमती सुषमा चावला |
| 39. | श्री रतिराम भाटी |
| 40. | श्री बाल किशन बोहरा |
| 41. | श्रीमती हरदयाली |
| 42. | श्री अरूण कुमार सिंह |
| 43. | श्रीमती कुशम लता |
| 44. | श्रीमती बिमला देवी |
| 45. | श्रीमती मिश्री देवी |
| 46. | श्री अशोक कुमार |

**1993 (1.1.93 से 31.12.93)**
**श्रीमती/श्री/सुश्री**

| क्र० सं० | आवेदक का नाम |
|---|---|
| 47. | तलत हारून |
| 48. | सुरम चन्द |
| 49. | मूलवन्त रानी |
| 50. | ओपी भाम्बरी |
| 51. | गिता जार्ज |
| 52. | आर० पी० एस० वर्मा |
| 53. | राजेन्द्र सिंह |
| 54. | ब्रिज मोहन शर्मा |
| 55. | प्रमोद कुमार शाहनी |
| 56. | शीला देवी तिवारी |
| 57. | सुमन जैन |
| 58. | पुष्पा दत्ता |
| 59. | रामनाथ भारद्वाज |
| 60. | राजकिशोर |
| 61. | मोहिनी गर्ग |
| 62. | शशी शहगल |
| 63. | एच० एम० स्लेन |
| 64. | मधु भाटिया |
| 65. | शाम देवी मलिक और हरबन्स मलिक |
| 66. | आर० कोर और पी० कोर |
| 67. | सुनीता मेहता |
| 68. | अन्सार हरवानी |
| 69. | आशा आनन्द |
| 70. | जयजयवन्ती परीमू |
| 71. | अनिल कुमार मारवाह और जे० के० मारवाह |
| 72. | जे० के० चावला |
| 73. | वेद प्रकाश |
| 74. | [illegible] कुमार |
| 75. | एच० एन० मुखर्जी |
| 76. | रीना डैनिश |
| 77. | जस बहादुर थापा |
| 78. | शीला रायसिंघानी |
| 79. | सुख देवी |
| 80. | बन्धना |
| 81. | मधु शर्मा |
| 82. | कमलेश |

**1994 (1.1.94 से 31.2.94)**
**श्रीमती/श्री/सुश्री**

| क्र० सं० | आवेदक का नाम |
|---|---|
| 83. | शशीवाला श्रीवास्तव |
| 84. | नागुराम |
| 85. | अनिता रानी |
| 86. | महेन्द्र सिंह |
| 87. | पी० एन० किलाम |
| 88. | डा० अलका बक्सी |
| 89. | बीना शाहनी |
| 90. | सुरेश अजमानी |
| 91. | बीमला अनेजा |
| 92. | किरन त्रिपाठी |
| 93. | सरला देवी |
| 94. | बुध प्रकाश चतुर्वेदी और चन्द्रकांता चतुर्वेदी |
| 95. | रेणु जोशी |
| 96. | कल्पना रानी मित्तल |
| 97. | एम० एन० कौल |
| 98. | सोमदत्त शर्मा |
| 99. | सरस्वती देवी |
| 100. | रेणु सैनी |
| 101. | ओम धारा |
| 102. | शीला देवी |
| 103. | कुलानन्द |
| 104. | रश्मि देवी |
| 105. | मूरारी लाल |
| 106. | सपना |
| 107. | तपेश्वर प्रसाद |
| 108. | प्रभा |

एस॰ एफ॰ एस॰ के अन्तर्गत 1.1.92 से 31.12.92 तक की अवधि के दौरान किये गये बिना बारी आवंटन

1. श्री अटल बिहारी वाजपेई
2. श्री कैलाश प्रकाश
3. श्रीमती संगीता मिश्रा
4. श्री कुंवर मो॰ अली खान
5. श्री आर॰ के॰ टिकु
6. श्रीमती प्रभा देवी
7. जी॰ आर॰ कार
8. श्री नरेश चन्द्र
9. श्रीमती प्रमिला मेहत्ता

एफ॰ एफ॰ एस॰ के अन्तर्गत 1.1.93 से 31.12.93 तक की अवधि के दौरान अधिकार प्राप्त समिति द्वारा किये गये बिना बारी आवंटन

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री

1. जी॰ सन्ध्या
2. जसबीर सिंह
3. सगुण स्वामी नाथन
4. हरकमलजीत सिंह
5. अंजली ईसार
6. मंजूला मलिक
7. रीता वर्मा
8. ए॰ सी॰ शर्मा॰
9. राकेश राणा
10. एस॰ एस॰ वीर्क
11. जगमोहन सपरा
12. जी॰ गोपालन
13. मोनागुलाम कादिर
14. आशा बवेजा
15. टी॰ आर॰ मल्कार
16. रीतू शांकला
17. महेन्द्र लाल
18. सन्तोष कुमारी
19. सुधीप सिंह
20. गोधा देवी
21. प्रिया दावीर
22. जीगा तिजू

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री

23. एम॰ एस॰ सेखू
24. बिमला त्यागी
25. उषा सिंह
26. अनिता गोरी
27. के॰ जी॰ चटर्जी
28. आचार्य गणपति राय
29. पुनम तलवार
30. अनिल कुमार तंवर
31. लक्ष्मी कुमार
32. सत्यावती
33. ए॰ एस॰ नरूदा
34. त्रिपत कोर
35. मन्जीत धालीवाल
36. सीडनी रीवेरो
37. सुगन्था वेंकटरमण
38. कैलाश पति
39. सुभाष चन्द्र
40. उधव दास
41. राम सिंह खिचू
42. मंजू अग्रवाल
43. डा॰ वी॰ के॰ शर्मा
44. अनुप कुमार सहाय

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री

45. आशा ठाकुर
46. आशा लता
47. किरण शहगल
48. एम॰ के॰ रस्तोगी
49. आर॰ के॰ शर्मा
50. उषा सिंह
51. ब्रिजेश चड्ढा
52. दर्शन लाल
53. वी॰ पी॰ शर्मा
54. प्रभाती राम
55. बिजेन्द्र रूस्तबी
56. पी॰ के॰ विश्वास
57. धर्मराज सिंह
58. शेरी आर्या
59. अनिल कपूर
60. जुगेन्द्र कोर
61. दर्शना वशिष्ठ
62. के॰ सूर्यनारायणन
63. जी॰ एस॰ रन्धावा
64. एस॰ के॰ श्रीवास्तव
65. आई॰ के॰ बडठाकुर
66. के॰ के॰ कुरील
67. चान्द रानी
68. प्रवीन दावर
69. मधुमिला विष्ठ
70. रामेश्वर तिवारी
71. अनुपम जीत कौर
72. जय श्रीजोशी
73. गीता रेनबोथ
74. शीला चमन
75. अरूणा सिंह
76. रीतू नाथ

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री

77. लेखा बहल
78. बकीन पेरटीन
79. चंचल
80. एम॰ ए॰ खान
81. बरखाने लाल चतुर्वेदी
82. बिसम्बर सिंह
83. उमा कोल
84. बिना खन्ना
85. नरेश कुमार
86. सविता शर्मा
87. शीला देवी
88. कृष्णा मूलगांवकर
89. स्नेहलता गोगिया

एस॰ एफ॰ एस॰ के अन्तर्गत 1.1.94 से 31.12.94 तक की अवधि के दौरान किये गये बिना बारी आवंटन

सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री

1. रचना लाम्बा
2. रेणुवाला गुप्ता
3. रेणु रैना
4. कृष्णा
5. विजयबाला शर्मा
6. किमनगरूधी नलेन एस
7. एम॰ के॰ मैगेजीन
8. ओम प्रकाश शर्मा
9. धर्मेन्द्र सिंह यादा
10. एम॰ रेणु गोपाल राव
11. निरमल भाग्ये
12. इन्दा गिल
13. बीना शशी
14. सुमन अरोड़ा
15. पुनीत

| सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री | सर्वश्री/श्रीमती/सुश्री |
|---|---|
| 16. अनील भान | 22. राजेन्द्र सिंह |
| 17. बीना प्रसाद | 23. आर० एस० बैथ्यू |
| 18. अशोक पटेल | 24. यासमिन सैफुल्ला |
| 19. ब्रिज रानी शर्मा | 25. निर्मला |
| 20. वीरेन्द्र प्रभाकर | 26. जयन्त भट्टाचार्जी |
| 21. कै० अधीराज सिंह | 27. राम रतन राम |

## दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवास

**4826. श्री छीतूभाई गामीत : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में गन्दी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए आवासों का निर्माण कहां-कहां किया जाएगा तथा इसके लिए कौन-कौन से भूखण्ड आरक्षित हैं,

(ख) क्या ऐसे आरक्षित भूखण्डों का गैर-कानूनी ढंग से अतिक्रमण किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा भूमि पर अवैध रूप से कब्जा जमाए हुए लोगों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) यह बताया गया है कि ऐसी 500 वर्ग मीटर भूमि पर अतिक्रमण है।

(घ) दिल्ली नगर निगम के स्लम विभाग ने बताया है कि लोक परिसर (अनधिकृत दखलकारों की बेदखली) अधिनियम के तहत अतिक्रमण को हटाने की कारवाई प्रारंभ कर दी गयी है।

### विवरण

**दिल्ली में स्लम वासियों के लिए मकान निर्माण एवं अवधिवासियों के पुनर्वास के लिए स्थान स्थिति एवं क्षेत्र का विवरण।**

| क्र० सं० | भूमि की स्थान स्थिति | भूमि का क्षेत्र |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | सैक्टर-23, पीठकलां, रोहिणी विस्तार | 3.29 हैक्टेयर |
| 2. | सैक्टर-24, रोहिणी विस्तार, पाकैट-11 | 7.50 |
| 3. | नरेला स्थल सं० 1, टिंकरी खुर्द गांव के निकट | 10.00 |
| 4. | नरेला स्थल नं० 2, वही– | 2.00 |
| 5. | बिन्दापुर | 5.96 |
| 6. | नसीरपुर | 2.85 |
| 7. | समय पुर बादली | 1.60 |
| 8. | सैक्टर 3 फैज-I द्वारका | 5.00 |
| 9. | सैक्टर-3 फैज-II द्वारका | 2.70 |
| 10. | सैक्टर-3 मन्दिर के पीछे द्वारका | 5.00 |
| 11. | सैक्टर-3 पाकिट-11 सहयोग विहार द्वारका | 5.70 |
| 12. | सैक्टर-1 द्वारका | 5.00 |
| 13. | सैक्टन-7 द्वारका | 5.00 |
| 14. | स्केवटियर सेटलमेंट, सैक्टर-25 रोहिणी | 7.10 |
| 15. | वर्ष 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए प्लाटों का विकास सैक्टर-16 पाकिट जे, रोहिणी | 5.67 |
| 16. | काल्ला मस्जिद, तुर्कमान गेट, 4 और 5 भू-खण्ड में तीन मंडलीय मकान | 9251 वर्गमीटर |

[अनुवाद]

## उड़ीसा में ताम्बे की खानें

**4827. डा० कृपासिन्धु भोई : क्या खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के मयूरभंज जिले में करंजिया और केसरपुर के समीप स्थित सर्वाधिक ताम्बे वाले क्षेत्रों में अब तक खनन कार्य नहीं हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा इन क्षेत्रों में खनन शुरू करने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) से (ग) जानकारी एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर पुल का निर्माण

**4828. श्री पवन दीवान : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-6 पर पिथौरा के निकट पुल के निर्माण परियोजना में कोई समस्या पैदा हो गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस समस्या के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) जी नहीं। राष्ट्रीय राजमार्ग-6 के 156/10 कि॰ मी॰ पर पिथौरा के निकट जोंक पुल के निर्माण का प्रस्ताव 8वीं योजना में शामिल है। इससे संबंधित संशोधित प्रस्ताव की राज्य के लोक निर्माण विभाग से प्रतीक्षा है।

## पेट्रोल पम्पों के लिए भूमि का आवंटन

**4829. श्री जनार्दन मिश्र :**

**श्री अरविंद त्रिवेदी :**

**श्री पंकज चौधरी :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेगे कि :

(क) क्या दिल्ली में पेट्रोल पम्पों के लिए भूमि का आवंटन में नियमों का पालन किया जा रहा है;

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितने पैट्रोल पम्पों के लिए भूमि का आवंटन किया गया;

(घ) क्या सरकार का विचार इस संबंध में कथित रूप से बरती गई अनियमितताओं का जांच करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :-

| वर्ष | भूमि आवंटित पैट्रोल पम्पों की संख्या |
|---|---|
| 1992 | 3 |
| 1993 | 16 |
| 1994 | 15 |

(घ) और (ङ) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## सामाजिक कार्यकर्त्ताओं को सरकारी आवास

**4830. श्री छेदी पासवान** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सामाजिक कार्यकर्त्ताओं का ब्यौरा क्या है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान प्राथमिकता के आधार पर सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं; और

(ख) इन्हें किन-किन श्रेणियों के सरकारी आवास आवंटित किए गए हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) नीचे दिए गए विवरणानुसार समाज सेवक श्रेणी के अन्तर्गत 1992, 1993 और 1994 के दौरान, 6 समाज सेवकों को सरकारी क्वार्टर आवंटित किए गए हैं :-

| क्रम सं॰ | नाम | फ्लैट |
|---|---|---|
| 1. | श्री डी॰ पी॰ राय | ई-1/760, एशियन खेल गांव परिसर |
| 2. | श्री अनिल शास्त्री | डी-11/77, पण्डारा रोड |
| 3. | श्री पुरूषोत्तम गोयल | डी-11/69, पण्डारा रोड |
| 4. | श्रीमती मनोरमा सिंह | ए-230, पण्डारा रोड |
| 5. | श्रीमती मनोरमा पाण्डेय | बी-75, पण्डारा रोड |
| 6. | सुश्री उषा कुमार | बी-70, पण्डारा रोड |

**[अनुवाद]**

## भारत-नेपाल वार्ता

**4831. श्री गोविन्द राम निकाम** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 1950 की भारत-नेपाल सन्धि के संबंध में नेपाल के साथ बातचीत करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत इस सन्धि में कुछ संशोधन करने पर सहमत हो गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) से (घ) नेपाल के प्रधान मंत्री की 10 से 14 अप्रैल, 1995 की भारत यात्रा के दौरान भारत और नेपाल के बीच 1950 की शांति एवं मैत्री संधि सहित द्विपक्षीय हित के सभी संगत विषयों पर उपयुक्त स्तरों पर विचार-विमर्श जारी रखने के बारे में सहमति हुई।

## टैंकरों के द्वारा जलापूर्त्ति

**4832. श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैंकरों के द्वारा आपूर्त्ति किए गए जल के मनुष्यों के पीने योग्य होने को सुनिश्चित करने के लिए कोई नियम अथवा मार्गनिर्देश जारी किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और टैंकरों के द्वारा आपूर्त्ति किए गए जल के पीने योग्य होने को सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) जी, हां। दिशा-निर्देश जारी कर दिये गये हैं। इस बारे में जारी अनुदेश इस प्रकार हैं :-

(i) पेयजल आपूर्त्ति करने वाले सभी टैंकरों को आपूर्त्ति प्रारम्भ करने से पूर्व अच्छी तरह साफ और कीटाणु रहित किया जाएगा।

(ii) प्रत्येक मामले में आपूर्त्ति से पहले शेष क्लोरीन को ओ॰ टी॰ घोल से नियंत्रित (चैक) किया जायेगा।

(iii) प्रत्येक वर्ष सभी टैंकरों पर पेंट किया जायेगा।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

## एशिया गाँव फ्लैटों का आवंटन

**4833. कुमारी सुशीला तिरिया : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एशिया गाँव के फ्लैट केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों को आवंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन फ्लैटों के आवंटन हेतु कोई मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो किन-किन श्रेणियों के कर्मचारियों को ये फ्लैट आवंटित किये गये हैं;

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) इस समय सरकारी कर्मचारियों को 86 फ्लैट आवंटित हैं।

(ग) और (घ) ये आवंटन समय-समय पर यथा संशोधित सरकारी वासों का आवंटन (दिल्ली में साधारण पूल) नियमावली, 1963 के उपबन्धों के तहत किए गए हैं।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## बिहार में खनिज आधारित उद्योग

**4834. श्री प्रेम चन्द राम : क्या खान मंत्री** बिहार में आधारित उद्योग के बारे में 19 दिसम्बर, 1994 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1748 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अब तक संबंधित जानकारियां एकत्र कर ली गई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) और (ख) सूचना की प्रतीक्षा की जा रही है।

## मलेशिया में जेल भेजे गये भारतीय

**4835. प्रो॰ सावित्री लक्ष्मणन : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिसम्बर, 1994 के दौरान मलेशिया में कारावास भेजे गये चार भारतीयों की शीघ्र रिहाई के संबंध में केरल राज्य की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन भारतीयों की स्वदेश वापसी हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गए हैं/उठाने का विचार किया गया है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) जी हां। कुआलालम्पुर स्थिति हमारे मिशन को 17.3.95 को कूडानगलूर की विधायक प्रोफेसर मीनाक्षी थम्पन का मलेशिया में पांच भारतीय राष्ट्रिकों को नजरबंद करने के संबंध में दिनांक 23.2.95 का पत्र मिला था।

(ग) संबंधित मलेशियाई प्राधिकारियों ने हमारे मिशन को सूचित किया है कि ये पांचों राष्ट्रिक 25.2.95 को मलेशिया छोड़कर थाईलैंड चले गए हैं।

**[हिन्दी]**

## उत्तर प्रदेश में शहरी सड़कें

**4836. श्री सुरेशानन्द स्वामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने शहरी सड़कों के विकास के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान कोई वित्तीय सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार शहरी सड़कों के विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को कोई वित्तीय सहायता देने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने 1993 में "उत्तर प्रदेश नगर विकास परियोजना-II" नामक एक परियोजना प्रस्ताव विश्व बैंक से वित्तीय सहायता लेने के लिए भेजा था। इस प्रस्ताव में उत्तर प्रदेश में शहरी सड़कों के विकास का घटक है। यह प्रस्ताव विश्व बैंक के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बैंक ने बताया है कि वह शहरी क्षेत्रीय परियोजनाओं को ऋण सुविधाओं के प्रावधान की नीति पर पुनर्विचार कर रहा है। अत: यह समय सीमा संभव बताना संभव नहीं है कि प्रस्ताव की जांच कब तक कर ली जायेगी।

(ग) और (घ) जी, नहीं। शहरी सड़कों का विकास राज्य विषय है। तथापि, शहरी क्षेत्रों में कतिपय सड़कों का प्रस्ताव छोटे तथा मझौले कस्बों के एकीकृत विकास की केन्द्र प्रवर्तित स्कीम (आई० डी० एस० एम० टी०) के तहत किया जा सकता है, आई० डी० एस० एम० टी० के अन्तर्गत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जा सकती है बशर्ते कि राज्य अंश और सांस्थाविक वित्त उपलब्ध हो।

[अनुवाद]

## तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों का विस्तार

**4837. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में राष्ट्रीय राजमार्गों के विस्तार के लिए 1994-95 के दौरान कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ख) 1995-96 के दौरान कौन-कौन सी विस्तार परियोजनाएं शुरू की जायेंगी और उनके लिए कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए 1994-95 के दौरान तमिलनाडु को 2589.50 लाख रू० आवंटित किए गए हैं।

(ख) चूंकि, 1995-96 के लिए मंत्रालय की अनुदान मांगें अभी संसद द्वारा अनुमोदित की जानी हैं अत: परियोजना और आबंटित निधियों के बारे में अभी से बता पाना संभव नहीं है।

## विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारीकरण

**4838. श्री पी० सी० चाको** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विद्युत कार्यक्रम के गैर-सरकारीकरण के लिए घरेलू और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों से उत्साहवर्द्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में अब तक कितने निवेशकों को स्वीकृति दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल)**: (क) जी हां,

(ख) से (घ) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार, निजी क्षेत्र में विद्युत परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए दर्शाई गई रूचि का राज्यवार (बोली के अधीन सहित) ब्यौरा अनुबन्ध में दिया गया है।

### विवरण

**निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा प्रकट की गई रुचियों का ब्यौरा**

| क्र०सं० | परियोजना का नाम | क्षमता (मे०वा०) | प्रकार | कम्पनी का नाम |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **आंध्र प्रदेश** | | | | |
| 1. | भूपालापल्ली | 120 | कोयला | लेविस स्टेन्ली एसोएट्स इन्क. |
| 2. | कुड्डापाह | 420 | कोयला | लेविस स्टेन्ली एसोसिएट्स इन्क. |
| 3. | पूर्वी गोदावरी | 100 | फुरनासियोल | रायलसीमा पैट्रो कैमिकल्स लि० |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 4. | गोदावरी | 208 | गैस/नैपथा | स्पैक्ट्रम टैक्नी यूएसए/जया फूड्स एन्ड एन टी पी सी |
| 5. | गोपालपल्ली | 250 | कोयला | ओरिएण्ट पेपर एंड इण्ड. |
| 6. | हैदराबाद | 200 | फुरनासियोल | बालाजी होटल एंड इंटरप्राइजेज लि॰ |
| 7. | हैदराबाद | 200 | एलएसएचएस | जी॰ एम॰ आर॰ वासावी इन्ड॰ लि॰ |
| 8. | हैदराबाद | 700 | सी/एन/डी गैस | मै॰ आर॰ पी॰ जी॰ इन्ड॰ लि॰ |
| 9. | हैदराबाद | 200 | फरनैस ऑयल | बालाजी डिस्ट्लरीज लि॰ |
| 10. | हैदराबाद | 200 | फरनैस ऑयल | बालाजी वायोटैक लि॰ |
| 11. | जेगुरूपाडु जीबीपीपी | 235 | गैस/नापथा | जी वी के इंडस्ट्रीज लि॰, यू॰ एस॰ ए॰ |
| 12. | काकीनाडा | 660 | नैपथा | मै॰ कुमार्स पावर |
| 13. | काकीनाडा | 250 | सी/एन/डी गैस | मै॰ एडवांस्ड रेडियो मासट्रस |
| 14. | काकीनाडा पोर्ट | 1000 | कोयला | मै॰ हडोसम प्रा॰ लि॰ |
| 15. | कलिंगापट्टनम | 1x250 | कोयला | बोली के अधीन |
| 16. | कलिंगापट्टनम | 120 | कोयला | मै॰ कृष्ण गोदावरी बेसिन पावर यूटीलिटीज लि॰ |
| 17. | करीम नगर | 120 | कोयला | लेविस स्टेन्ली एसोसिफ्ट्स इन्क. |
| 18. | कृष्णापट्टनम | 2x500 | कोयला | जी॰ वी॰ के॰ इंडस्ट्रीज लि॰, यू॰ एस॰ ए॰ |
| 19. | कृष्णापट्टनम टीपीएस | 500 | कोयला | बैसोकौरण इन्ट. पावर |
| 20. | मछेलीपट्टनम | 500 | सी/एन/डी | अनागराम फाइनेंस लि॰ |
| 21. | मनुगुरू | 1000 | कोयला | सांधी ग्रुप ऑफ इण्डस्ट्रीज |
| 22. | मनुगुरू | 500 | एल॰एस॰एच॰एस॰ | श्री शिव पावर लि॰ |
| 23. | नेल्लूर | 530 | कोयला | जी॰ एस॰ एक्स॰ इंटरनैशनल ग्रु इंक. हास्टन यूएसए |
| 24. | निजामाबाद | 200 | कोयला | मै॰ रिचीमैन सिल्क लि॰ |
| 25. | रामागुंडम | 500 | सी/एन/डी | मै॰ एडवांस रेडियो मास्ट्रस |
| 26. | रामागुण्डम | 2x250 | कोयला | बी॰ पी॰ एल॰ ग्रुप |
| 27. | रानीगुंटा | 200 | फरनैस ऑयल | बालाजी इण्ड. कारपोरेशन लि॰ |
| 28. | सिम्हाद्री | 1000 | कोयला | नागार्जुन फर्टिलाइजर्स एंड कैमिकल्स लि॰ |
| 29. | ट्विन गिट्ओज़ | 250 | कोयला | मै॰ रिचीमैन सिल्क लि॰ |
| 30. | विशाखापत्तनम | 650 | नाप्था/गैस | ईसार इन्वेस्टमेंट्स लि॰ |
| 31. | विशाखापत्तनम | 500 | कोयला | श्री शिव प्रिया पावर लि॰ |
| 32. | विशाखापत्तनम | 500 | सी/एन/डी | मै॰ एर्मा ट्रैक्स एल्लाइन्सेज |
| 33. | विशाखापत्तनम | 2x500 | कोयला | अशोक ले-लैण्ड नैशनल पावर, यू॰ के॰ |
| 34. | विजयनयरन | 220 | नापथा | पान पावर कारपोरेशन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 35. | वाडापल्ली | 120 | कोयला | मै॰ कृष्णा गोदावरी बेसिन पावर यूटिलिटीज लि॰ |
| जोड : | 35 | 14403 | | |
| **अरूणाचल प्रदेश** | | | | |
| 36. | कामेंग एचईपी | 600 | जल विद्युत | इन्टर कोर्प. इंडस्ट्रीज लि॰/स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग लि॰ |
| 37. | खांरसांग जीबीपीपी | 48 | गैस | इन्टर कोर्प/स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग, आस्ट्रेलिया |
| जोड़ : | 2 | 648 | | |
| **असम** | | | | |
| 38. | आदपमटिल्ला ओपन साइकल | 15 | गैस | डी॰ एल॰ एफ॰ पावर कंपनी लि॰ |
| 39. | अमगुरी जीबीपीपी | 280 | गैस | असम पावर पार्टनर्स, नार्दन इंजी., इन्क. यू एस ए आगरा इन्ड. |
| 40. | बाशकाण्डी ओपन साइकल | 22.50 | गैस | डी॰ एल॰ एफ॰ पावर कंपनी लि॰ |
| 41. | कारबी लांग्पी एचईपी | 2x50 | जल विद्युत | मै॰ भारत हाइड्रो पावर कारपोरेशन लि॰ |
| 42. | नामरूप टीपीएस विस्तार | 90 | | मै॰ विलियमसन मागोर |
| जोड़ : | 5 | 507.50 | | |
| **बिहार** | | | | |
| 43. | चान्दिल टीपीएस | 2x250 | कोयला | आर॰ पी॰ जी॰ इंटरप्राइजेज |
| 44. | जोजोबेरा | 3x67.5 | कोयला | टाटा इलैक्ट्रिक/मिशन एनर्जी |
| जोड़ | 2 | 702.50 | | |
| **दिल्ली** | | | | |
| 45. | बवानी जीबीपीपी | 800 | गैस | बोली के अधीन |
| जोड़ : | 1 | 800 | | |
| **गुजरात** | | | | |
| 46. | डकस्योटा वीपीए | 240 | लिग्नाइट | गुजरात मिनरल डवलपमेंट कॉरप. |
| 47. | कोस्टल टीपीएस | 1x1000 | कोयला | बोली के अधीन |
| 48. | घोघा | 1x250 | लिग्नाइट | बोली के अधीन |
| 49. | जीआईपीसीएल विस्तार पावर प्रोजेक्ट्स | 145 | गैस | गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कं॰ लि॰ |
| 50. | हजिरा सीसीपीपी | 1x515 | गैस | मै॰ इस्सार ग्रुप |
| 51. | जामनगर | 2x250 | पैट-ओन | रियालंस पावर कं॰ |
| 52. | मंगरौल टीपीएस | 250 | लिग्नाइट | गुजरात इंडस्ट्रीज पावर कंपनी लि॰, बडौदा |
| 53. | पागुधान जीबीपीपी | 655 | गैस | गुजरात एनर्जी कॉरप॰ लि॰/सिमन्स, जर्मन |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 54. | पिपावार | 1x615 | गैस | बोली के अधीन |
| जोड़ : | 9 | 4170 | | |
| **हरियाणा** | | | | |
| 55. | अंबाला | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 56. | फरीदाबाद | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 57. | गुड़गांव | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 58. | हिसार | 2x250 | कोयला | बोली के अधीन |
| 59. | कुण्डली | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 60. | महेन्द्रगढ़ | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 61. | यमुना नगर टीपीएस | 2x350 | कोयला | आइजुनवर्ग ग्रुप ऑफ कं० इजरायल |
| जोड़ : | 7 | 1575 | | |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | |
| 62. | आल्लियन-दुहांगन | 192 | जल विद्युत | राजस्थान स्पिनिंपग एंड विविंग मिल्स लि० |
| 63. | वास्पा | 300 | जल द्युित | जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि० |
| 64. | धामवारी एचईपी | 70 | जल विद्युत | हारजा इंजीनियरिंग कं०, यू एस ए |
| 65. | हिब्रा एचईपी | 231 | जल विद्युत | हारजा इंजीनियरिंग कं०, यू एस ए |
| 66. | करचम वांग्टू | 900 | जल विद्युत | जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि० |
| 67. | मलाना एचईपी | 86 | जल विद्युत | राजस्थान स्पिनिंग एंड विविंग मिल्स लि० |
| 68. | नियोगल एचईपी | 12 | जल विद्युत | ओम पावर कारपोरेशन, नई दिल्ली |
| 69. | उहल-3 एचईपी | 2x50 | जल विद्युत | बल्लारपुर इंडस्ट्रीज लि०, दिल्ली |
| जोड़ : | 8 | 1891 | | |
| **कर्नाटक** | | | | |
| 70. | अलमाट्टी डैम | 600 | हाइडल | एशिया पावर कंपनी लि० (टापको) यूएसए, केपीसी |
| 71. | बेल्लारी-होत्पेट | 2x150 | डीजल | जिन्दल ट्रैक्टेक्ल पावर कं० लि० |
| 72. | बिदर | 20 | डीजल | एच एम जी पावर लि० |
| 73. | बिजापुर | 150 | डीजल | के ई आई एनर्जी |
| 74. | चुनचानेकट्टी | 15 | हाइडल | मै० ग्रेफाइट इंडिया लि० |
| 75. | देवांगोन्था | 76 | डीजल | इंडोण्डेंट पावर सर्विसेज़ कारपोरेशन |
| 76. | हेमावती एलबीसी | 15 | जल विद्युत | दि संथूर मैग्नीज एंड ईरान ओरिया . लि० |
| 77. | हूडी | 40 | डीजल | खोडे इंडिया लि० |
| 78. | होस्पैट टीपीएस | 2x250 | कोयला | होबे इन्टरकांटिनेंटल लि० यू एस ए |
| 79. | इण्डी | 20 | डीजल | एच एम जी पावर लि० |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 80. | जाम खाण्डी | 20 | डीजल | एच एम एच पावर लि॰ |
| 81. | जेबीटीसी कम्पनी | 2x120 | गैस/कोयला | जिंदल ग्रुप/ट्रैक्टेबल, बेल्जियम |
| 82. | काहिनी डीपीएच | 20 | जल विद्युत | मै॰ सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि॰ |
| 83. | कीर्ति होल | 21 | जल विद्युत | मै॰ सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्केटिंग लि॰ |
| 84. | कोलार | 20 | डीजल | एच एम जी पावर लि॰ |
| 85. | कोप्पाल | 50 | डीजल | मै॰ किरलोस्कर ऑयल इंजिन लि॰ |
| 86. | कुमारधांग | 48 | जल विद्युत | मै॰ भोरुका पावर कारपोरेशन लि॰ |
| 87. | मंगलौर टीपीएस | 4x250 | कोयला | कागोट्रंक्स इन्क. यू एस ए |
| 88. | मंगलौर टीपीएस | 3x120 | कोयला | जय प्रकाश इंजी. एंड स्टील कं॰ लि॰ |
| 89. | नागार्जुन | 2x500 | कोयला | जैस्को (नागार्जुन ग्रुप) |
| 90. | पीन्था | 50 | डीजल | मै॰ सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्किटिंग लि॰ |
| 91. | रायचुर चरण-5 एवं 6 | 2x250 | कोयला | पब्लिक पावर इंटर इन्क (नार्थ ईस्ट एनर्जी, यू एस ए) |
| 92. | घुबिनाकेरे | 130 | डीजल | इंडिया पावर पार्टनर्स |
| 93. | टुमकार | 50 | डीजल | मै॰ सुभाष प्रोजैक्ट एंड मार्किटिंग लि॰ |
| 94. | टुंगा एनीकट | 20 | जल विद्युत | मै॰ डाण्डेली स्टील एण्ड पैर्‌रो एल लायस लि॰ |
| 95. | वाराही आईडीपीएच | 15 | जल विद्युत | मै॰ भोस्का पावर कारपोरेशन लि॰ |
| 96. | वाराही टेलरेस | 15 | जल विद्युत | मै॰ सान्धुर मैग्नीज एण्ड आयरन ओरिया लि॰ |
| 97. | व्हाइट फील्ड | 200 | डीजल | कर्नाटक बरेवरीज एन्ड डिस्टिल्लरीज |
| जोड़ : | 28 | 5495 | | |
| **केरल** | | | | |
| 98. | अनाक्कायाम एचईपी | 8 | जल विद्युत | आइडियल प्रोकेक्ट एण्ड सर्विसिज (पी) लि॰ |
| 99. | बारापोर एचईपी | 9 | जल विद्युत | आइडियल प्रोजैक्ट एंड सर्विसेज (पी) लि॰ |
| 100. | बुथाथानकेट्टू | 16 | जल विद्युत | सिकाल मैटलर्जिक (प्रा॰ लि॰) |
| 101. | चाथांकोट्टुनाडा-2 | 7 | जल विद्युत | आइडियल प्रोजैक्ट एंड सर्विसेज लि॰ |
| 102. | चेम्बूक्कादावु-2 | 7 | जल विद्युत | आइडियल प्रोजैक्ट एंड सर्विसेज लि॰ |
| 103. | कारिक्कायाम एचईपी | 12 | जल विद्युत | ट्रावान्कोल इलैक्ट्रो कैमिकल इण्डस्ट्रीज लि॰ |
| 104. | कुथुंगल एचईपी | 20 | जल विद्युत | इंडसिल इलैक्ट्रोसाईट्स लि॰ |
| 105. | पालचुराम एचईपी | 3.50 | जल विद्युत | आइडियल प्रोजैक्ट्स एंड सर्सिवेज (प्रा॰) लि॰ |
| 106. | थ्रिंक्कारीपुर टीपीपी | 2x210 | कोयला | बीपीएल ग्रुप |
| 107. | उल्लुंकाल एचईपी | 6 | जल विद्युत | ट्रावान्कौर इलैक्ट्रिक कैमिकल इन्ड॰ लि॰ |
| 108. | विलांगाद एचईपी | 7 | जल विद्युत | आइडियल प्रोजैक्ट एंड इंडस्ट्रीज (प्रा॰) लि॰ |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 109. | वैस्टर्न काल्लार एचईपी | 5 | जल विद्युत | आइडियल प्रोजैक्ट एंड इंडस्ट्रीज (प्रा॰) लि॰ |
| जोड़ : | 12 | 520.50 | | |
| **महाराष्ट्र** | | | | |
| 110. | भद्रावती टीपीएस | 2x536 | कोयला | इस्पात अल्यायंस/ईसीजीडी, यूके/ईडीएफ फ्रांस |
| 111. | भिवपुरी सीसीजीटी | 1x450 | गैस | मै. टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनीज, बम्बई |
| 112. | भिवपुरी पीएसए | 1x90 | जल विद्युत | टाटा इलैक्ट्रिक कम्पनी |
| 113. | दाभोल सीसीजीटी (एलएनजी) | 2015 (695-पीएच) | एलएनजी | एनरॉन डवलपमेंट कारपोरेशन, जीई एण्ड बैचटेल यूएसए |
| 114. | खापरखेड़ा टीपीएसयू 5 व 6 | 2x210 | कोयला | एरान्को लाइन शिप्पिंग कम्पनी, माल्टा/सिंगापुर |
| 115. | खापरखेड़ा यूनिट 3 व 4 | 2x250 | कोयला | मै॰ बैल्लापुर इंडस्ट्रीज लि॰ |
| 116. | नागोथाणे जीबीपीपी | 410 | गैस | रिलायंस |
| 117. | वानी-वारोरा | 500 | कोयला | आरपीजी ग्रुप |
| जोड़ : | 8 | 5457 | | |
| **मध्य प्रदेश** | | | | |
| 118. | भिलाई टीपीएस | 500 | कोयला | सेल, एल इंड. एनर्जी सीईए का संयुक्त उद्यम |
| 119. | बिना टीपीएस | 1000 | कोयला | ग्रासिम इंडिया लि॰ |
| 120. | बिरसिंहपुर टीपीएस | 500 | कोयला | हाउस्टन एण्ड एनर्जी इन्डिया इन्क गुजरात अम्बुजा सिमेंट एल टी |
| 121. | दुआल फ्यूल नैपथा बेस्ड | 330 | गैस | एस्सार आई एन वी लि॰, बम्बई |
| 122. | ग्वालियर (डीजल) पीपी | 120 | डीजल | वाटीसला डीजल फिनलैण्ड |
| 123. | कोरवा पूर्वी टीपीएस | 2x250 | कोयला | डाइवोड कारपोरेशन, साऊथ कोरिया |
| 124. | कोरवा प॰ विस्तार | 2x210 | कोयला | मै॰ मुकुन्द लि॰ |
| 125. | कोरवा वैस्ट टीपीएस | 2x250 | कोयला | आर पी जी इंडस्ट्रीज लि॰ |
| 126. | महेश्वर एच ई पी | 10x40 | जल विद्युत | मै॰ एस॰ कुमार्स/बैचटेल यू एस ए |
| 127. | पेंच टीपीएस | 500 | कोयला | सोरोस फंड मैनेजमेंट, यू एस ए |
| 128. | रायगढ़ टीपीएस | 1000 | कोयला | जिंदल स्ट्रिप्स प्रा॰ लि॰ |
| 129. | रतलाम | 120 | डीजल | मै॰ जी वी के पावर लि॰ |
| 130. | तावा एचईपी (कैप्टिव) | 12 | जल विद्युत | एच ई जी लि॰ |
| जोड़ : | 13 | 5902 | | |
| **उड़ीसा** | | | | |
| 131 | बोम्लाई टीपीएस | 2x250 | कोयला | गैलैक्सी पावर कं॰, यूपसपी एंड इण्डेक ऑफ शिकागो |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 132. | चिपुलिमा बी | 200 | जल विद्युत | मै॰ जेके कारपोरेशन लि॰, नई दिल्ली |
| 133. | चोउदवार सीपीपी | 110 | कोयला | मै॰ इंडियन चार्ज क्रोम लि॰ |
| 134. | डुबुरी टीपीएस | 500 | कोयला | कलिंगा पावर कारपोरेशन (एनई पावर, यू एस ए) |
| 135. | दुर्गापुर | 2x250 | कोयला | जे. के. कारपोरेशन लि॰ |
| 136. | हीराकुंड-बी | 208 | जल विद्युत | मै॰ जे॰ के॰ कारपोरेशन लि॰, नई दिल्ली |
| 137. | इब घाटी टीपीएस | 420 | कोयला | ए ई एस कारपोरेशन, यू एस पी |
| 138. | जालापुट टीओई | 3x6 | जल विद्युत | उड़ीसा पावर कारपोरेशन लि॰ |
| 139. | कामालांग्पा टीपीएस | 2x250 | कोयला | एल एंड टी सी ई ए के साथ, यू एस ए |
| 140. | लापांगा टीपीएस | 500 | कोयला | पायोनियर एंड पांडा इंजि. यूएसए सामलाई (पी) लापंगा कंपनी |
| 141. | नारज टीपीएस पावर पार्टनर्स | 2x250 | कोयला | उड़ीसा पावर जनरेशन कारपोरेशन एंड मै॰ इंडिया पावर पार्टनर्स |
| 142. | रेंगाली टी पी एस | 2x250 | कोयला | बोली के अधीन |
| जोड़ : | 12 | 4456 | | |
| **पंजाब** | | | | |
| 143. | जीएनटीओपी चरण-4 | 2x250 | कोयला | बोली के अधीन |
| 144. | गोविंदवाल साहिब | 2x250 | कोयला | बोली के अधीन |
| जोड़ : | 2 | 1000 | | |
| **राजस्थान** | | | | |
| 145. | आबु रोड़ | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 146. | बरसिंहसर टीपीएस | 240 | लिग्नाइट | बोली के अधीन |
| 147. | भिवाड़ी | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 148. | चित्तौड़गढ़ | 500 | कोयला | सेंचुरी टैक्सटाइल्स एंड इंडस्ट्रीज लि॰ |
| 149. | धौलपुर | 2x350 | कोयला | मै॰ आर पी जी इंटरप्राइजेज |
| 150. | जयपुर | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 151. | जालिया | 4x250 | लिग्नाइट | बोली के अधीन |
| 152. | जोधपुर | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 153. | कपुरडी | 2x250 | लिग्नाइड | बोली के अधीन |
| 154. | मिया-अल्वर | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| 155. | सुरतगढ़ चरण-2 | 2x250 | कोयला | बोली के अधीन |
| 156. | उदयपुर | 75 | डीजल | बोली के अधीन |
| जोड़ : | 12 | 3890 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| **सिक्किम** | | | | |
| 157. | | 1200 | जल विद्युत | बोली के अधीन |
| जोड़ : | 1 | 1200 | | |
| **तमिलनाडु** | | | | |
| 158. | बेसिन ब्रिज चरण-2 | 200 | डीजल | बोली के अधीन |
| 159. | कुड्डालूर टीपीएस | 2×660 | कोयला | इंटरनेशनल कट्रेक्टिंग एंन्ड मार्किटिंग इंजी. यूएसए |
| 160. | गुमाडी पूण्डी | 1000 | गैस | बोली के अधीन |
| 161. | गुमिडी पूण्डी | 500 | कोयला | वीडयोकॉन इंटरनेशनल |
| 162. | जायमकोण्डम लिग्नाइट | 3×500 | लिग्नाइट | मकनैल्ली भारत इंजी॰ कं॰ लि॰ एंड डिको, संयुक्त उद्यम |
| 163. | उत्तरी मद्रास-2 | 2×500 | कोयला | मै॰ वॉडयोकॉन इंटरनेशनल लि॰ बम्बई |
| 164. | उत्तरी मद्रास | 500 | कोयला | मै॰ पूरो-मैजैस्टिक एसडीएन वी एच डी मलेशिया |
| 165. | पिल्लई पेरु मलनैल्लूर | 300 | गैस/नापथा | डायना विजन ऑफ रेड्डी ग्रुप/जे॰ मोकोवास्की यूएसए |
| 166. | समायानैल्लूर डी ई पी पी | 100 | डीजल | बालाजी ग्रुप |
| 167. | श्रीपुष्पम लिग्नाइट | 250 | लिग्नाइट | टिकापको |
| 168. | तूतीकोरिन-4 टीपीएस | 500 | कोयला | मै॰ तमिलनाडु पैट्रो प्रोडक्ट्स लि॰, मद्रास |
| 169. | जीरो यूनिट (एन एल जी) | 250 | लिग्नाइड | एस टी पावर सिस्टम्स इन्क॰, यू एस ए |
| जोड़ : | 12 | 7420 | | |
| **उत्तर प्रदेश** | | | | |
| 170. | अलीगढ़ पावर प्रोजेक्ट | 100 | डीजल | मै॰ यूनिसन पावर लि॰ |
| 171. | बोवाला - नंदप्रयाग | 3×44 | जल विद्युत | बोली के अधीन |
| 172. | चन्दौसी पावर प्रोजेक्ट | 100 | डीजल | मै॰ इंडिया पावर पार्टनर्स प्रा॰ लि॰ |
| 173. | गजरौला पावर परियोजना | 100 | डीजल | मै॰ आर पी जी इंडस्ट्रीज |
| 174. | ग्रेटर नोएडा विद्युत परियोजना | 100 | डीजल | बोली के अधीन |
| 175. | जवाहरपुर टी पी एस | 800 | कोयला | पैसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डवलपमेंट कारपो॰, कनाडा |
| 176. | कोसी कलां पावर प्रोजेक्ट | 60 | डीजल | मै॰ डी एस एम लि॰ |
| 177. | तोहारीनाग-पाला | 4×130 | जल विद्युत | बोली के अधीन |
| 178. | मनेरी भाली-2 एचईपी | 304 | जल विद्युत | बोली के अधीन |
| 179. | मुजफ्फरनगर विद्युत परियोजना | 100 | डीजल | मै॰ सुभाष मार्केटिंग एंड प्रोजैक्ट्स लि॰ |
| 180. | पालामनेरी एचईपी | 416 | जल विद्युत | बोली के अधीन |
| 181. | चनकी विद्युत परियोजना | 100 | डीजल | मै॰ डालमिया ब्रदर्स प्रा॰ लि॰ |
| 182. | रोसा टी पी एस | 2×250+ 1×250 | कोयला | इन्डोगल्फ फर्टिलाइजर्स एन्ड कैमिकल्स इन्डिया एन्ड पावर जेनरेशन पी एल सी |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|
| 183. | साहिवाबाद विद्युत परियोजना | 100 | डीजल | मै॰ मोदी मिरलैस ब्लैक स्टोन लि॰ |
| 184. | विद्युत परियोजना | 100 | डीजल | मै॰ डालमिया ब्रदर्स प्रा॰ लि॰ |
| 185. | श्रीनगर एच ई पी | 330 | जल विद्युत | मै॰ डंकन एग्रो इंडस्ट्रीज लि॰ |
| 186. | तपोवन विष्णुप्रयाग एचईपी | 360 | जल विद्युत | बोली के अधीन |
| 187. | विष्णुप्रयाग एच ई पी | 4x100 | जल विद्युत | जय प्रकाश इंडस्ट्रीज लि॰ |
| जोड़ : | 18 | 4872 | | |
| **पश्चिम बंगाल** | | | | |
| 188. | बक्रेश्वर टीपीएस | 420 | कोयला | डी सी एल कुलजियान कारपोरेशन सी एम एस, जेनरेशन, यू एस ए एंड डब्ल्यू बीपीडीसीएल |
| 189. | बल्लागढ़ टीपीएस | 2x250 | कोयला | बल्लागढ़ पावर कंपनी लि॰ (सी॰ ई॰ एस॰ सी॰) एडीबी/टीएफजी |
| 190. | बज-बज | 2x250 | कोयला | सी ई एस सी लि. कलकत्ता |
| 191. | डान्कुनी | 20 | गैस | स्पैक्ट्रम टैक्नोलोजी यू एस ए |
| 192. | गौरीपुर टीपीएस | 2x75 | कोयला | बीटीएस, टीईएस, यूएसए भेल, डब्ल्यू बी एस ई बी |
| 193. | सागरदीघी टीपीएस | 2x500 | कोयला | डी सी एल कुलजियन कारपोरेशन सी एम एस जैनरेशन, यू एस ए एंड डब्ल्यू पी डी सी एल |
| जोड़ : | 6 | 2590 | | |
| 194. | ग्रुप ऑफ पावर प्रोजैक्ट | 10000 | कोयला | कंसोलिडेटिड इलैक्ट्रिक पावर एशिया लि. हांगकांग |
| जोड़ : | 1 | 10000 | | |
| 195. | एनर्जी एफिशिएंशी सैन्टर | 200 | बी-एमएएस/ एनएटीएच | मै॰ जे एम सी डवलपमेंट, यू एस ए/अपोलो हास्पिटल |
| जोड़ : | 1 | 200 | | |
| कुल जोड़ | 195 | 77699.50 | | |

## परमाणु क्षमता

**4839. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 'ए नेशनल सेक्यूरिटी स्टेटजी ऑफ एंगेजमेंट एंड एन्लार्जमेंट' के बारे में हाल ही में प्रकाशित संयुक्त राज्य अमेरिका की रिपोर्ट की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इस रिपोर्ट में भारत और पाकिस्तान दोनों के पास परमाणु शस्त्र होने की बात बतायी गई है और इसमें क्षेत्र में परमाणु शस्त्रों के साथ-साथ प्रहारक मिसाइल क्षमता का पता लगाने, इसे कम करने और समाप्त करने की अमरीकी नीति परिभाषित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) जी हां।

(ख) जी हां।

(ग) सरकार अ-प्रसार के प्रति वचनबद्ध है और उसने निरस्त्रीकरण से सम्बद्ध ऐसे करारों के जरिये जो व्यापक हैं, सार्वभौम स्वरूप के हैं तथा भेदभाव रहित हैं, वास्तविक रूप से अ-प्रसार के लिए समान विचारों वाले राज्यों के साथ रचनात्मक रूप से कार्य करने के लिए अपनी इच्छा जाहिर की है।

[हिन्दी]

## नौवहन उद्योग का विकास

**4840. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आगामी वर्षों में नौवहन उद्योग का विकास द्रुत-गति से करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नौवहन उद्योग की वर्तमान स्थिति संतोषजनक नहीं है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन कमियों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार नौवहन उद्योग में निजी कंपनियों को प्रोत्साहन देने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) और (ख) भारतीय नौवहन उद्योग के विकास और भारतीय टन भार में वृद्धि के लिए सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :-

1. अब निम्नलिखित हेतु स्वत: अनुमोदन प्रदान किया जाता है:

(i) निजी जहाज मालिक कंपनियों द्वारा कच्चे तेल के टैंकरों को छोड़कर सभी प्रकार के जहाजों और अपतटीय आपूर्ति जलयानों की खरीद।

(ii) टन भार प्रतिस्थापन्न हेतु खरीद।

2. निम्नलिखित मामले में सरकारी अनुमोदन अपेक्षित नहीं है :-

(i) भारतीय कंपनियों को भारत में अथवा विदेश में आगे व्यापार/स्क्रैपिंग के लिए जहाजों की बिक्री।

(ii) भारतीय शिपयार्ड से जहाजों की खरीद।

3. भारतीय नौवहन कंपनियों को अब उनके जहाजों की विदेश में बिक्री से प्राप्त राशि अपने पास रखने और नई खरीद के लिए उसका उपयोग करने की अनुमति होगी।

4. नौवहन कंपनियों को बेअर वोट चार्टरक्रम डिमाइज पद्धति के जरिए जहाज खरीद की अनुमति है।

5. भारतीय जहाज को अंतर्राष्ट्रीय क्रास-ट्रेड में लगाने के लिए विदेशी नौवहन कंपनियों को निर्दिष्ट समय के लिए किराए पर देने की स्वतंत्रता।

6. ऐसे लाइनर रूट, जिन पर मौजूदा नौवहन कंपनियां प्रचालन नहीं कर रहीं है, अब सभी भारतीय नौवहन कंपनियों के लिए खोल दिए गए हैं।

7. यह निर्णय लिया गया है कि जहाज मरम्मत/ड्राई डाकिंग और आयातित पूंजीगत माल के लिए पूंजी हेतु भारतीय रिजर्व बैंक बगैर किसी सीमा के विदेशी मुद्रा की अनुमति देगा।

8. वाणिज्यिक पोत परिवहन अधिनियम को संशोधित कर दिया गया है जिसमें किसी न्यायालय अथवा प्राधिकरण से संपर्क किए बगैर बंधकों के पुरोबंध की अनुमति है।

(ग) नौवहन उद्योग की वर्तमान स्थिति उत्साह जनक है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) से (छ) नौवहन उद्योग हमेशा निजी क्षेत्र की सहभागिता के लिए खुला रहा है और भारत का लगभग 52% टन भार निजी क्षेत्र के स्वामित्व में है जबकि शेष सार्वजनिक क्षेत्र के पास है। सरकार ने अभी हाल ही में नौवहन उद्योग द्वारा पुराने जलयानों की खरीद हेतु आयु संबंधी मानदंडों में छूट दी है ताकि ये भारतीय समुद्री व्यापार के काम में आ सकें और भारतीय नौवहन कंपनियों को प्रचालन संबंधी अधिक स्वतंत्रता दी जा सके।

[अनुवाद]

## भारत-सूरीनाम सहयोग

**4841. डा. वसन्त पवार :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और सूरीनाम के द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्रों का पता लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):** (क) आई. टी. ई. सी. के अन्तर्गत भारत और सूरीनाम के बीच सहयोग चल रहा है और इस संदर्भ में संभावित द्विपक्षीय सहयोग के नए क्षेत्रों का पता लगाने की प्रक्रिया जारी है।

(ख) सूरीनाम से कुछ सुझाव प्राप्त हुए हैं जिनका भारत सरकार के संबंधित विभाग अध्ययन कर रहे हैं। अध्ययन पूरा हो जाने पर संभावित द्विपक्षीय सहयोग के कुछेक चुनिंदा क्षेत्र तय किये जाएंगे तत्पश्चात सूरीनाम की सरकार के साथ इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किया जाएगा।

[हिन्दी]

## पाकिस्तान द्वारा दुष्प्रचार

**4842. डा. लाल बहादुर रावल :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत विरोधी प्रचार करने में लगा है; और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान को भारत विरोधी प्रचार करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार विश्व समुदाय को अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर और विपक्षीय स्तर पर भारत की वास्तविक स्थिति से और इस बात से भी अवगत कराती रही है कि पाकिस्तान भारत-विरोधी मिथ्या और दुर्भावनापूर्ण दुष्प्रचार कर रहा है। भारत सरकार विश्व समुदाय से यह भी कहती रही है कि वह पाकिस्तान को जोर देकर यह कहे कि उसे अपनी ये गतिविधियाँ छोड़ देनी चाहिए और भारत में आतंकवाद का प्रायोजन करना बंद कर देना चाहिए।

**[अनुवाद]**

## शिशु आहार का उत्पादन

**4883. श्री एन. जे. राठवा :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान शिशु आहार का राज्य-वार कुल कितना उत्पादन हुआ; और

(ख) कुल उत्पादन में सहकारी डेरियों सहित प्रत्येक उत्पादक का हिस्सा कितना-कितना है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई) :** (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान सहकारी डेरियों में हुए शिशु आहार के उत्पादन समेत शिशु आहार का राज्यवार कुल अनुमानित उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) गुजरात के कैरा, मेहसाणा तथा साबरकोठा जिला सहकारी दुग्ध संघों के संयंत्र देश में तैयार किए जाने वाले शिशु आहार का लगभग 70% सामूहिक रूप से तैयार करते हैं जिसका गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ द्वारा अमूल ब्रांड नाम से विपणन किया जाता है। देश में शिशु आहार के कुल उत्पादन का 25% उत्पादन मै. नेस्टिले (इंडिया) लिमि. द्वारा किया जाता है।

### विवरण

**पिछले तीन वर्षों के दौरान (उपलब्ध सूचना के अनुसार) शिशु आहार का राज्यवार अनुमानित वार्षिक उत्पादन**

शिशु आहार का उत्पादन (आंकड़े मी. टन में)

| क्रम सं. | राज्य का नाम | 1992 | 1993 | 1994 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | गुजरात | 42,400 | 40,000 | 38,000 |
| 2. | महाराष्ट्र | 500 | 600 | 700 |
| 3. | पंजाब | 12,600 | 11,600 | 13,100 |
| 4. | राजस्थान | 2,700 | 2,300 | 1,800 |
| 5. | उत्तर प्रदेश | 600 | 200 | 300 |
| | योग : | 58,800 | 54,700 | 53,900 |

## इस्पात पर आयात शुल्क

**4844. श्री परसराम भारद्वाज :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात पर आयात शुल्क कर देने से विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में इसके घटिया स्तर के कोयले की डंपिंग की आशंका बढ़ गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव) :** (क) और (ख) आयात शुल्क में कमी अकेले इस निष्कर्ष का उचित आधार नहीं हो सकता कि ठीक तरह से माल की भरमार (डम्पिंग) स्वत: हो जाएगी। टैरिफ के स्तर का ध्यान किए बिना डम्पिंग उस समय विद्यमान होती है जबकि किसी विशेष उत्पाद का भारत को निर्यात जिस मूल्य पर किया जाता है, वह उस मूल्य से कम होता है जिस पर उसे निर्यातक देश के घरेलू बाजार में बेचा जा सकता है। यदि डम्पिंग उपरोक्त परिभाषा के अनुसार होती है तो घरेलू उद्योग के माल की क्षति का कारण होने की स्थिति में इस प्रकार की डम्पिंग को रोकने के लिए जांच करने और अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाने के लिए सीमा-शुल्क अधिनियम, 1975 और उसके अधीन बनाए गए नियमों में प्रावधान विद्यमान है। तथापि किसी भी इस्पात उत्पादक ने सीमा शुल्क अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के तहत नामजद प्राधिकारी के पास इस्पात की डम्पिंग के बारे में अब तक कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

## परिवहन के क्षेत्र पर रिपोर्ट

**4845. श्री सनत कुमार मंडल :** क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "परिवहन क्षेत्र" पर विश्व बैंक की नवीनतम रिपोर्ट का अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इसके तथ्य क्या हैं; और

(ग) उस पर क्या प्रभावी कदम उठाए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) से (ग) विश्व बैंक ने भारत में परिवहन

क्षेत्र में दीर्घकालीन विषयों से संबंधित एक रिपोर्ट पेश की है। यह रिपोर्ट बृहदाकार है और इसमें परिवहन के विभिन्न क्षेत्रों अर्थात् सड़कों, पत्तनों, नौवहन, सड़क परिवहन, रेलवे, नागर विमानन से संबंधित 91 विषय सम्मिलित हैं और मंत्रालय में इसकी जांच की गई है। यद्यपि इस रिपोर्ट में कुछ महत्वपूर्ण विषयों का उल्लेख है किन्तु प्रारंभिक प्रतिक्रिया के तौर पर उनमें से कुछ के बारे में हमारी धाराणाएं भिन्न है। हम इस बात से सहमत हैं कि परिवहन के विभिन्न साधनों का विकास बढ़ी हुई परिवहन अवसंरचना की मांग को पूरा करने के लिए "न्यूनतम संसाधन परिव्यय" के अन्दर तक समन्वित ढंग से किया जाए। हम यह मानते हैं कि परिवहन अवसंरचना का अभाव आर्थिक प्रगति में गंभीर रूकावट हो सकती है। हमें उम्मीद है कि निजी क्षेत्र को शामिल करके और निजीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र की निधियों का उपयोग करके भावी अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा कर सकेंगे।

## तूतीकोरिनपत्तन

**4846. डा॰ पी॰ वल्लल पेरूमान** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार तमिलनाडु के तूतीकोरिन में भारी निवेश तथा उन्नत प्रौद्योगिकी वाले नए ढांचे के निजीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एक बाहरी बंदरगाह तथा पत्तन पर इसके सातवें "कार्गो बर्थ" के निर्माण का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर कितनी लागत आएगी ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) जी नहीं। तथापि केन्द्र सरकार ने 28.6 करोड़ रू॰ की लागत पर तूतीकोरिन में 7वीं कार्गो बर्थ (बहुउद्देशीय) के लिए मंजूरी दे दी है।

## राजदूतों के पद

**4847. श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय द्वारा उत्तरी अमरीका, दक्षिणी-अमरीका, यूरोप और अफ्रीका के देशों में महाद्वीपवार राजदूत काउंसेल स्तर के कितने-कितने पद सृजित किए गए;

(ख) उनमें से इस समय महाद्वीपवार कितने पद भरे हुए

(ग) क्या तीसरी दुनिया के देशों विशेषकर अफ्रीका महाद्वीप के देशों में ऐसे पद बहुत लम्बे समय से रिक्त पड़े हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) विदेश मंत्रालय द्वारा उत्तरी अमरीका, दक्षिणी अमरीका, यूरोप तथा अफ्रीका के देशों में राजदूत/प्रधान कोंसल स्तर के निर्मित पदों की संख्या संलग्न विवरण-I में दी गई है।

(ख) इनमें से उन पदों की संख्या जिन पर इस समय राजदूत/प्रधान कोंसल तैनात हैं संलग्न विवरण-II में दी गई है।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

### विवरण-I

**राजदूत तथा प्रधान कोंसल के पदों की संख्या जिन पर इस समय अधिकारी तैनाती पर हैं।**

01.04.95 की स्थिति के अनुसार उन

| महाद्वीप | पदों की सं. जिन पर अधिकारी तैनात है | | |
|---|---|---|---|
| | राजदूत | प्रधान कोंसल | कुल |
| उत्तरी अमरीका | 3 | 5 | 8 |
| दक्षिणी अमरीका | 13 | -- | 13 |
| यूरोप | 27 | 8 | 35 |
| अफ्रीका | 21 | 3 | 24 |
| | | कुल योग : | 80 |

### विवरण-II

**राजदूत तथा प्रधान कोंसल स्तर के पदों की संख्या जिन पर इस समय अधिकारी तैनाती पर हैं।**

01.04.95 की स्थिति के अनुसार उन

| महाद्वीप | पदों की सं॰ जिन पर अधिकारी तैनात हैं। | | |
|---|---|---|---|
| | राजदूत | प्रधान कोंसल | कुल |
| उत्तरी अमरीका | 3 | 5 | 8 |
| दक्षिणी अमरीका | 13 | - | 13 |
| यूरोप | 27 | 8 | 35 |
| अफ्रीका | 21 | 3 | 24 |
| | | कुल योग : | 80 |

**राजदूत तथा प्रधान कोंसल स्तर के पदों की संख्या**

| महाद्वीप | पदों की संख्या | | |
|---|---|---|---|
| | राजदूत | प्रधान कोंसल | कुल |
| उत्तरी अमरीका | 3 | 6 | 9 |
| दक्षिण अमरीका | 13 | - | 13 |
| यूरोप | 30 | 9 | 39 |
| अफ्रीका | 24 | 3 | 27 |
| | | कुल योग : | 88 |

## खाड़ी के देशों की जेलों में भारतीय

**4848. प्रो॰ पी॰ जे॰ कुरियन** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाड़ी के देशों की जेलों में बंद भारतीयों के सम्बन्ध में देश-वार ब्यौरा कया है;

(ख) इन्हें जल्द रिहा कराने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इन कदमों के परिणामस्वरूप गत दो वर्षों के दौरान इनमें से कितने लोगों को रिहा कराया गया; और

(घ) चालू वर्ष के दौरान इनमें से कितने लोगों की रिहा होने की उम्मीद है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री (आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (घ) विदेशों में भारतीय राष्ट्रिकों की गिरफ्तारी के बारे में भारतीय मिशनों/केन्द्रों की जानकारी मिलते ही गिरफ्तार भारतीय राष्ट्रिक से कोंसली अधिकारी द्वारा मिलने की अनुमति के लिए अनुरोध किया जाता है। भारतीय मिशन/केन्द्र का कोंसली अधिकारी संबंधित नजरबंद व्यक्ति के पास जाता है और उसकी गिरफ्तारी के आधारों और परिस्थितियों को सुनिश्चय करने का प्रयास करता है। जहां अवश्यक होता है, वहां शीघ्र और निष्पक्ष मुकदमा चलाने या सजा की समीक्षा करने के लिए मिशन इस मामले को मेजबान देश के साथ उच्च स्तर पर उठाता है। भारतीय मिशन/केन्द्र इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि जेलों में बंद भारतीय नजरबंदियों के साथ उचित व्यवहार किया जाए। भारतीय मिशनों के पास उन नजरबंदियों की संख्या उपलब्ध नहीं है, जिन्हें रिहा किए जाने की उम्मीद है क्योंकि खाड़ी देशों में मेजबान सरकारें बंदियों की निकट भविष्य में होने वाली रिहाई के बारे में नियमित रूप से भारतीय मिशनों को सूचना नहीं देती हैं।

**विवरण**

| क्रम सं॰ | देश का नाम | भारतीय बंदियों की सं॰ | पिछले 2 वर्षों में रिहा किए गए बंदियों की सं॰ |
|---|---|---|---|
| 1. | बहरीन | 48 | उपलब्ध नहीं है |
| 2. | इराक | 1 | 1 |
| 3. | कुवैत | 57 | उपलब्ध नहीं है* |
| 4. | ओमान | 35 | 1 |
| 5. | कतर | 169 | 797** |
| 6. | संयुक्त अरब अमीरात | 1000 (लगभग) | 5463** |
| 7. | यमन | 4 | 4 |
| 8. | सऊदी अरब | किसी भी समय में नजरबंदियों की सही संख्या और ब्यौरे मालूम नहीं होते हैं क्योंकि सऊदी प्राधिकारी भारतीय मिशनों को नियमित रूप से यह नहीं बताते कि जेलों में कितने भारतीय राष्ट्रिक हैं। तथापि सऊदी विदेश कार्यालय से प्राप्त जानकारी के आधार पर वर्ष 1994 के दौरान गिरफ्तार और जेलों में रखे गए व्यक्तियों की संख्या 1050 है। वर्ष 1993 और 1994 के दौरान गिरफ्तार, रिहा और देश-प्रत्यावर्ति किए गए व्यक्तियों की संख्या क्रमश: 13, 254** और 16, 547** है। | |

टिप्पणी : *मेजबान सरकार ने यह सूचना नहीं दी है।

**इन आंकड़ों में देश-प्रत्यावर्तित किए गए व्यक्तियों की संख्या शामिल हैं।

## माल-सेवा

**4849. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शिपिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने अबू-धाबी के लिए एक नियमित माल सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

## मेयर और डिप्टी मेयरों की बैठक

**4850. श्री चित्त बसु** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि 21 नगर निगमों के मेयरों और तीन नगर निगमों के डिप्टी मेयरों की हाल ही में कलकत्ता में बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में क्या-क्या प्रमुख सिफारिशें की गई;

(ग) क्या "प्रवेश शुल्क" के संबंध में मुख्य मंत्रियों की समिति सिफारिशें प्रस्तुत कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के थुंगन)** : (क) और (ख) "आल इण्डिया काउन्सिल ऑफ मैयरस" ने बताया है कि काउन्सिल की 27वीं बैठक 16.2.1995 को कलकत्ता में हुई जिसमें 19 मैयरों, 2 उप-मैयरों और 4 पूर्व मैयरों ने भाग लिया। मैयरों ने नागरिक निकायों के लिए महत्वपूर्ण विभिन्न मदों पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जिसमें नगर निगमों की कमजोर वित्तीय स्थिति, चुंगी कर की समाप्ति आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, मैयरों ने नागरिक निकायों को मशीनरी तथा उपस्कर, तकनीकी जानकारी, अनुदान देने के सम्बन्ध में आवश्यक सहायता की भी मांग की ताकि वे अपने विभिन्न कार्य कलापों को प्रभावी ढंग से कर सकें।

(ग) से (ङ) प्रवेश कर (अर्थात चुंगी) पर भूतल मंत्रालय के तत्वावधान में मुख्य मंत्रियों की एक समिति गठित की गयी। समिति ने चुंगी से सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों की जांच की और निष्कर्ष निकाला की चुंगी को राज्य सूची की प्रविष्टि 52 से संरक्षित किया गया है इसलिए इसको समाप्त करने अथवा प्रस्थापित करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

## प्रोटोकाल प्रक्रिया छोड़ना

4851. **श्री रवि राय :**

**श्री सत्यदेव सिंह :**

**श्री राम पाल सिंह :**

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

**श्री संतोष कुमार गंगवार :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित पाकिस्तानी राष्ट्रीयस दिवस पर भारत सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे विदेश राज्य मंत्री के संबंध में सामान्य प्रोटोकाल प्रक्रिया से कुछ हटकर व्यवहार किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) भविष्य में इस तरह की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया):** (क) से (ग) 23 मार्च, 1995 को पाकिस्तान के राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर पाकिस्तान के हाई कमीशन में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि के लिए बैठने की व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रचलित प्रथा का अनुपालन नहीं किया गया था।

सरकार ने इस विषय में पाकिस्तान के प्राधिकारियों को अपनी भावनाओं से भलीभांति अवगत करा दिया है।

(घ) पाकिस्तानी प्राधिकारियों ने कहा है कि इस सम्बन्ध में अनादर करने का उनका कोई इरादा नहीं था।

(ङ) सरकार के सम्बन्धित प्रोतोकोल अधिकारियों ने प्रक्रियाओं के मानदण्डों के सम्बन्ध में राजनयिक मिशनों के साथ लगातार सम्पर्क बनाए रखा है और बनाए रखेंगे।

## पेय अल्कोहल का उत्पादन

4852. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**

**श्रीमती सुमित्रा महाजन :**

क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष के दौरान पेय अल्कोहल का कितना अनुमानित उत्पादन तथा खपत और निर्यात/आयात हुआ ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई)** : (क) पेय अल्कोहल के उत्पादन तथा खपत संबंधी सूचना केन्द्रीय रूप से नहीं रखी जाती है। पेय अल्कोहल मदों के निर्यात तथा आयात संबंधी ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

### विवरण

**अप्रैल, 1994 से नवम्बर, 1994**

| | | निर्यात | | आयात | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | वाइन | 32,18,731, | रू० | 1,39,66,246 | रू० |
| 2. | ब्रान्डी | 13,18,188 | रू० | 15,18,142 | रू० |
| 3. | लिक्युअर | 36,42,190 | रू० | 4,61,376 | रू० |
| 4. | विहस्की | 12,93,06,532 | रू० | 2,86,92,596 | रू० |
| 5. | रम | 77,00,664 | रू० | 1,47,031 | रू० |
| 6. | जिन | 5,16,758 | रू० | 1,18,281 | रू० |

[हिन्दी]

## पन बिजली का क्षमता उपयोग

**4853. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय स्तर पर पन बिजली क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और किन-किन क्षेत्रों में इसका उपयोग किया जा रहा है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) और (ख) देश में जल-विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापित क्षमता (3 मेगावाट से अधिक) 20, 829.04 मे. वा. मे. वा. है। जल-विद्युत केन्द्रों का क्षेत्रवार अधिष्ठापित क्षमता नीचे दर्शाई गई है।

| | क्षेत्र | अधिष्ठापित क्षेमता (मे. वा.) |
|---|---|---|
| 1. | उत्तरी | 7138.85 |
| 2. | पश्चिमी | 3013.13 |
| 3. | इकच्चएरह | 8504.69 |
| 4. | पूर्वी | 1669.92 |
| 5. | उत्तर-पूर्वी | 492.45 |
| | जोड़ : | 20829.04 |

*31.3.95 के अनुसार

[अनुवाद]

## व्यापक खनन नीति

**4854. श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में एक नई समान एवं व्यापक खनन नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) से (ग) सरकार ने राष्टीय खनिज नीति 1993 तैयार की है जिसे 5 मार्च, 1993 को सदन के पटल पर रखा गया था। फिलहाल, कोई नई नीति परिकल्पित नहीं है।

## गेहूं पर राज सहायता

**4855. प्रो. राम कापसे** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने गैर-सरकारी क्षेत्र के ब्रेड एककों को गेहूं पर 100 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से राजसहायता प्रदान करने के लिए वित्त मंत्रालय से अनुरोध किया है;

(ख) क्या इस संबंध में आल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चर्स एशोसिएसन से कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) जी, हां। इस संबंध में आल इंडिया ब्रेड मैन्युफैक्चर्स एसोसिएशन से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। एसोसिएशन ने उसी रियायती दर पर गेहूं के आवंटन हेतु अभ्यावेदन किया है जिस दर पर मार्डन फूड इंडस्ट्रीज लि. को दिया गया है। इन पर अन्तर-मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

## परमाणु परिसीमन सन्धि

**4856. श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत के शीर्षस्थ आर्थिक नियोजकों और रक्षा नीति निर्धारकों की परस्पर समन्वय को बढ़ावा देने और परमाणु परिसीमन सन्धि के लिए पश्चिमी देशों के दबाव को कम करने के उपायों पर विचार-विमर्श करने हेतु 5 अप्रैल, 1995 को बैठक हुई थी;

(ख) यदि हां, तो इस बैठक में कुल कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया;

(ग) क्या इस संबंध में कोई अन्तिम निर्णय लिया गया था;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा स्वीकृत सिफारिशों/सुझावों का ब्यौरा क्या है?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) से (ङ) रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान ने 6 से 7 अप्रैल तक "अर्थव्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा नीति" पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया था। इस संगोष्ठी में भारी संख्या में सेवानिवृत्त अधिकारियों, पत्रकारों और आई. सी. आर. आई. ई. आर. जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय, आर. आई. एस. रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस संगोष्ठी का उद्देश्य मात्र विभिन्न विधाओं और पृष्ठभूमियों से संबद्ध सहभागियों के बीच विचार-विमर्श का संवर्धन करना था। इस संगोष्ठी का उद्देश्य कोइ निष्कर्ष निकालना अथवा सिफारिश करना नहीं था।

## लिग्नाईट आधारित विद्युत केन्द्र

**4857. श्रीमती भावना चिखलिया : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने दक्षिण गुजरात में कच्छ जिले में अकरीमोटा और सूरत जिले में मंगरोल में लिग्नाईट आधारित दो विद्युत केन्द्रों की स्थापना में राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों को शामिल करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; इसके वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेंगे और इन परियोजनाओं को पूरा करने की लक्ष्य तिथि क्या निर्धारित की गई;

(ग) क्या गुजरात के भावनगर जिले में लिग्नाईट आधारित नया विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या राज्य सरकार का विचार साबरमती (अहमदाबाद) में कोयला आधारित नए ताप विद्युत केन्द्र स्थापित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्यम के वित्तीय साझेदारों के नाम क्या हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) और (ख) सूरत जिले में मंगरौल (1 × 250 मेगावाट) और कच्छ जिले में अकरी मोटा (2 × 210 मेगावाट) में लिग्नाईट आधारित ताप विद्युत केन्द्र की गुजरात विद्युत निगम लिमिटेड द्वारा अधिष्ठापना के लिए, जिनकी अनुमानित लागत 1082.81 करोड़ रुपये या 1163.22 करोड़ रुपए है, परियोजना व्यवहार्यता रिपोर्ट केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में क्रमशः नवम्बर, 1992 और जुलाई, 1993 में प्राप्त हुई। चूंकि, गुजरात सरकार ने यह निर्णय लिया है कि मंगरौल ताप विद्युत केन्द्र को गुजरात उद्योग विद्युत कंपनी लि॰ द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, जिसके गुजरात विद्युत बोर्ड, गुजरात राज्य उर्वरक कंपनी एवं गुजरात एककलिज एवं केमिकल्स लि॰ भागीदार होंगे तथा अकरीमोटा ताप विद्युत केन्द्र गुजरात खनिज विकास विद्युत द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। इन दोनों परियोजनाओं के लिए केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है और अद्यतन निर्धारित लागत अनुमान समेत तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन के लिए अपेक्षित आवश्यक निवेश/वगीकृति सुनिश्चित नहीं की जा सकी है। एक बार इन परियोजनाओं के लिए सरकार आवश्यक अनुमोदन प्राप्त होने पर मुख्य संयंत्र एवं उपस्कर के लिए आर्डर दिए जाने की तारीख से 3-3$\frac{1}{2}$ वर्ष की अवधि में भी निर्माण कार्य पूरा किया जा सकता है।

(ग) और (घ) गुजरात के भावनगर जिले में घौघा में लिग्नाइट आधारित विद्युत केन्द्र (2 × 120 मे॰ वा॰) की अधिष्ठापना के लिए परियोजना रिपोर्ट, जिसकी अनुमानित लागत 856 करोड़ रुपये है, गुजरात विद्युत निगम लि॰ से जुलाई, 1993 में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त हुई। परियोजना की तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है, क्योंकि अद्यतन निर्धारित लागत अनुमानों समेत तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन के लिए तभी आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां सुनिश्चित नहीं की गई हैं।

(ङ) और (च) साबरमती (अहमदाबाद) में कोयला आधारित नए ताप विद्युत केन्द्रों की अधिष्ठापना के लिए कोई प्रस्ताव तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन हेतु केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण में प्राप्त नहीं हुआ है।

**[हिन्दी]**

## इन्सुलिन की कमी

**4858. श्री महेश कनोडिया : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इन्सुलिन की कमी तथा इसकी ऊंची कीमतों के कारण मधुमेह रोग से मरने वालों की संख्या में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन्सुलिन की कीमतों को कम करने तथा इसकी वर्तमान कमी को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) और (ख) मधुमेह के कारण होने वाली मौतों को यह नहीं कहा जा सकता है कि ये इंसुलिन की कमी के कारण हुई हैं, क्योंकि इंसुलिन की कमी की कोई सूचना नहीं मिली है और इसके अतिरिक्त मुक्त रूप से इसके आयात की अनुमति दी जाती है। जहां तक कीमतों का संबंध है, ये अंतर्वस्तु की लागतों पर निर्भर करती हैं जो देश में मुद्रास्फीति की स्थितियों पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर निर्भर करते हुए समय-समय पर भिन्न-भिन्न होती हैं।

(ग) इंसुलिन को उचित कीमत पर उपलब्ध कराने के लिए इंसुलिन प्रपुंज औषध को उत्पाद शुल्क से छूट दी गई है तथा इंसुलिन के विनिर्माण के लिए आयात किए जाने वाले अग्नाश्य को सीमा शुल्क से छूट प्राप्त है।

**[अनुवाद]**

## पाकिस्तान के प्रशिक्षण शिविर

**4859. श्री श्रवण कुमार पटेल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यानं पाकिस्तान द्वारा प्रशिक्षण शिविर चलाए जाने के बारे में 5 जनवरी, 1995 के "स्टेट्समैन" में

प्रकाशित समाचार की ओर दिलया गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) और (ख) सरकार को इस बात की जानकारी है कि पाकिस्तान भारत के खिलाफ सीमापार से विध्वंस और आतंकवाद को समर्थन दे रहा है। इस उद्देश्य के लिए पाकिस्तान ने अन्य बातों के साथ-साथ अपने प्रदेश में तथा पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में विभिन्न शिविरों की स्थापना की है जो आतंकवादियों को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण देते हैं और आतंकवादी तत्वों की जम्मू कश्मीर घुसपैठ करने में सहायता करते हैं। इन शिविरों को प्राय: एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता रहता है ताकि इनका पता न चल सके।

भारत के विरूद्ध विध्वंस और आतंकवाद का पाकिस्तान का समर्थन एक सच्चाई है और यह एक गम्भीर और चिन्ता का विषय है। इस संबंध में पाकिस्तान का यह आचरण न तो अच्छी प्रतिवेशिता और न ही इस क्षेत्र में शान्ति और स्थिरता के अनुकूल है। सरकार कई अवसरों पर और सभी स्तरों पर पाकिस्तान से यह पुरजोर अनुरोध करती रही है कि वह विध्वंश और आतंकवाद को समर्थन देना बंद कर दे।

सरकार आतंकवाद को पाकिस्तान की ओर से मिलने वाले समर्थन का मुकावला करने तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता की रक्षा हेतु सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृतसंकल्प है।

**[हिन्दी]**

## विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना

**4860. श्री नरेश कुमार बालियान** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विष्णु प्रयाग जल विद्युत परियोजना के निर्माण कार्य को लम्बे समय से रोक दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस परियोजना के कर्मचारियों को अन्य परियोजनाओं में समायोजन हेतु क्या कदम उठाए जायेंगे ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा विष्णु प्रयाग में 262 मेगावाट वाली जल विद्युत परियोजना के क्रियान्वयन के लिए निवेश का अनुमोदन योजना आयोग द्वारा 1978 में किया गया था। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड ने 1982 में इसकी अधिष्ठापित क्षमता को संशोधित करके 480 मेगावाट कर दिया था। इस संशोधित अधिष्ठापित क्षमता को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण का तकनीकी-आर्थिक अनुमोदन या संशोधित निवेश अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। वर्ष 1992 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निजी क्षेत्र में परियोजना के क्रियान्वयन के लिए मै॰ जयप्रकाश इण्डस्ट्रीज लि॰ के साथ सहमति ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। परियोजना की पर्यावरण सम्बन्धी स्वीकृति अभी प्राप्त होनी है।

**[अनुवाद]**

## पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का समर्थन

**4861. श्री सुधीर सावंत :**

**श्री ए॰ वेंकटेश नायक :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "अमेरिकन अकेडमी आफ आर्ट्स एंड साइन्स" के अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा अध्ययन संबंधी समिति द्वारा हाल में प्रकाशित रिपार्ट में भारत के इस दावे को सही ठहराया गया है कि कश्मीर तथा पंजाब दोनों ही जगहों पर पाकिस्तान द्वारा आतंकवादियों को हथियार दिए जा रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) और (ख) प्रश्न में उल्लिखित रिपोर्ट की सरकार को जानकारी है। उन्होंने पाकिस्तान द्वारा हथियारों, उपकरणों की सप्लाई, प्रशिक्षण और घुसपैठ के जरिए भारत में आतंकवाद को समर्थन देने के आकाट्य साक्ष्यों में मित्र देशों की सरकारों को अवगत करा दिया है। आतंकवाद को सीमापार से मिलने वाले समर्थन को रोकने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। इन कदमों में तंत्र को और अधिक सुदृढ़ करना, सूचना का आदान-प्रदान और केन्द्र तथा राज्य एजेंसियों द्वारा समन्वित कार्यवाही; सुरक्षा बलों की तैनाती को सुदृढ़ करना; संवेदनशील क्षेत्रों में, सीमाओं और जम्मू एवं कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर गश्त तेज करना; और भारत पाक सीमा के संवेदनशील क्षेत्रों में सीमा-बाड़े का निर्माण और पूर-प्रकाश शामिल है। सरकार ये प्रयास निरन्तर और स्थायी तरीके से करते रहने का इरादा रखती है।

**[हिन्दी]**

## ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया

**4862. डा॰ साक्षीजी** : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ड्रेजिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया ने विदेशों में भी अपनी गति-विधियां बढ़ाने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो क्या विदेशों से ड्रेजिंग कार्य के लिए कोई आदेश मिला है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) 1993-94 के दौरान इस कारपोरेशन ने कितना कारोबार किया ?

**भू-तल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) भारतीय निकर्षण निगम विदेशी ठेके प्राप्त करने का प्रयास करता रहा है। लेकिन अभी तक निगम को कोई विदेशी ठेका प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) वर्ष 1993-94 में भारतीय निकर्षण निगम की कुल आय 153.27 करोड़ रू. रही जबकि कर पूर्व निवल लाभ 24.42 रू. रहा।

## हिंगलाज देवी माता के मन्दिर की तीर्थयात्रा

**4863. श्री शिवलाल नागजीभाई वेकारिया** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करांची के समीप स्थित हिंगलाज देवी माता के मन्दिर की तीर्थ यात्रा करने वाले भारतीय तीर्थ यात्रियों को सुविधाएं मुहैया कराने के संबंध में पाकिस्तान के साथ कोई समझौता हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सरकार ने पाकिस्तान की सरकार से अनुरोध किया है कि वह धार्मिक तीर्थ-स्थानों से संबंद्ध 1974 के भारत पाक प्रोतोकोल के अन्तर्गत भारत के तीर्थ-यात्रियों के लिए और अधिक तीर्थ-स्थान खोले जिसमें "माता हिंग्गलाज देवी माता का मन्दिर" शामिल है। पाकिस्तान ने इस प्रसताव का अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया है।

**[अनुवाद]**

## बंगलौर में सरकारी फ्लैट

**4864. श्री सी. पी. मुडला गिरियप्पा :**

**श्री के. जी. शिवप्पा :**

**श्री वी. कृष्णा राव :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बंगलौर में कुल कितने सरकारी फ्लैट हैं और तत्संबंधी श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उस शहर में सरकारी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध ये फ्लैट अपर्याप्त हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बंगलौर में और अधिक फ्लैट बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) बंगलौर में (साधारण पूल के अन्तर्गत) उपलब्ध केन्द्रीय सरकार के कुल क्वार्टरों के टाइप के ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

| | |
|---|---|
| टाइप-I | 284 |
| टाइप-II | 280 |
| टाइप-III | 154 |
| टाइप-IV | 84 |
| टाइप-V | 26 |
| डबल स्यूट होस्टल | 30 |
| सिंगल स्यूट होस्टल | 50 |
| कुल : | 908 |

(ख) जी, हां।

(ग) और (ख) बंगलौर सहित जिन शहरों में ज्यादा मांग है उनमें निधियों तथा भूमि की उपलब्धता की शर्त पर और अधिक साधारण पूल के रिहायशी वास बनाने का प्रस्ताव है। इस बाबत ब्यौरों को अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

## पासपोर्ट परामर्शदात्री समिति

**4865. श्री मोहन रावले** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने प्रत्येक क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के लिए पासपोर्ट परामर्शदात्री समिति गठित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इन समितियों का शीघ्र गठन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव विचाराधीन है तथा इसके बारे में संबद्ध राज्य सरकारों के साथ परामर्श किया जा रहा है। इन परामर्शों के पूरा होते ही इन परिषदों का गठन किया जायेगा।

## व्यापारी पोत

**4866. श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय जहाजरानी बोर्ड का व्यापारी पोतों को प्राप्त करने के लिए विदेशी मुद्रा कोष के निर्माण का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके द्वारा क्या सिफारिशें की गई हैं; और

(ग) इस पर क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ (आई॰ एन॰ एस॰ ए॰) ने जलयानों की खरीद के लिए नौवहन कम्पनियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर जारी ब्याज दर पर ऋण देने के लिए राष्ट्रीय विदेशी मुद्रा प्रारक्षित निधि में 2/3 बिलियन अमरीकी डालर का एक अलग कोष स्थापित करने हेतु एक स्कीम तैयार करने का सुझाव दिया था। जहाज खरीद एवं संबंधित मामलों से संबंधित राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड के उप दल ने 2 सितम्बर, 1994 को हुई अपनी बैठक में इस पर विचार किया था।

उप दल ने आई एन॰ एस॰ ए॰ के सुझाव पर विचार करने के पश्चात् उन्हें इस मामले को सीधे भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाने का परामर्श दिया और उपलब्ध सूचना के अनुसार आई॰ एन॰ एस॰ ए॰ ने इस मामले को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ उठाया है।

[हिन्दी]

## उत्तर प्रदेश में सड़क परियोजनाएं

**4867. डा॰ रमेश चन्द तोमर** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश की जिन सड़क परियोजनाओं को केन्द्रीय स्वीकृति दी गई, उनका ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : भारत सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के सुधार और रख-रखाव के लिए संबंधित राज्य सरकार जिम्मेदार होती है। वर्ष 1994-95 के दौरान 32.50 करोड़ रु॰ की राशि की विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्गों पर 34 सड़क परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं।

[अनुवाद]

## केरल में "पावर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटर"

**4868. श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केरल में "पावर रीजनल लोड डिस्पैच सैंटर" स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो केरल में कुल कितने विद्युत केन्द्र स्थापित किए जायेंगे तथा ये केन्द्र कहां-कहां स्थापित किए जायेंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस प्रयोजनार्थ केरल सरकार को कोई वित्तीय सहायता दी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन "पावर रीजनल लोड डिस्पैच सेंटारों" के क्या लाभ हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) दक्षिणी क्षेत्र में क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र (आर॰ एल॰ डी॰ सी॰) बंगलौर में पहले से ही स्थापित है और केरल में अलग से आर॰ एल॰ डी॰ सी॰ अधिष्ठापित किए जाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, केरल राज्य बिजली बोर्ड का कलामसेरी में एक राज्य भार प्रेषण केन्द्र (एस॰ एल॰ डी॰ सी॰) है, जिसका, एकीकृत भार प्रेषण केन्द्र और संचार स्कीम, जोकि पावर ग्रिड द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे हैं, के अधीन विस्तार किया जा रहा है।

(ख) क्लामसेरी एस॰ एल॰ डी॰ सी॰ के विस्तार के अलावा उपरोक्त स्कीम के अधीन केरल में दो उपचार केन्द्र कोजीकोड और तिरूअनंतपुरम में अधिष्ठापित किए जा रहे हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विश्व बैंक ऋण, विदेशी ऋण एवं आन्तरिक संसाधनों के जरिए पावर ग्रिड द्वारा स्कीम क्रियान्वित की जा रही है।

(ङ) केरल में विद्यमान विद्युत उत्पादन संसाधनों समेत तथा बेहतर ग्रिड प्रचालन से क्षमता का इष्टतम समुपयोजन किए जाने में यह स्कीम सहायक सिद्ध होगी।

## प्राकृतिक जलमार्ग

**4869. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 30 जनवरी, 1995 के "स्टेट्समैन" में "नेचुरल वाटरवेज नॉट फुल्ली युटिलाइज्ड" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है;और

(घ) प्राकृति जलमार्गों का उपयोग करने हेतु निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी योजनाएं बनाई गई हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) जी हां। जहां तक सरकार का संबंध है, केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम लि॰, कलकत्ता (जल-भूतल

परिवहन मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम) अपने सभी कार्गो जलयानों का प्रचालन राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 1 (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी प्रणाली) और 2 (ब्रह्मपुत्र) में कर रहा है। केन्द्र सरकार भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से मुख्य राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। भा॰ अ॰ ज॰ प्रा॰ के पास ऐसी योजनाएं हैं कि इन जलमार्गों का पूर्ण उपयोग के लिए चरणबद्ध रूप में विकास किया जाए, यह कार्य कार्गो पेशकश पर निर्भर करेगा।

(घ) कोई भी निजी प्रचालक राष्ट्रीय जलमार्गों का उपयोग कर सकता है। इसके अतिरिक्त भा॰ अ॰ ज॰ प्रा॰ ने निजी प्रचालकों द्वारा अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित स्कीमें शुरू की हैं :-

(i) निजी उद्यमियों द्वारा जलयानों की खरीद के लिए ऋण ब्याज सब्सिडी सुविधा।

(ii) आई॰ डब्ल्यू॰ टी॰ प्रचालनों की प्रायोगिक व प्रोन्नति स्कीम के तहत विशेषत: राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 1 में परीक्षण के आधार पर किसी प्रभार के बगैर एक वर्ष के लिए निजी प्रचालकों को दो आई॰ डब्ल्यू॰ टी॰ जलयान देना।

(iii) राष्ट्रीय जलमार्ग सं॰ 1 और 2 में आधार-भूत सुविधाओं की अनुपलब्धता के लिए ढोए गए कार्गो हेतु 10 पैसे प्रति नदी कि॰ मी॰ प्रति टन की दर से क्षतिपूर्ति करना।

## ग्रेफाइट की खोज

**4870. श्री पी॰ सी॰ थामस** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत पांच वर्षों के दौरान देश में अनेक स्थानों पर ग्रेफाइट की खोज की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ग्रेफाइट के इन भंडारों के दोहन हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) किन-किन स्थानों पर विशेषत: केरल में ग्रेफाइट के पर्याप्त भंडार होने के बावजूद इसके भंडारों का दोहन नहीं किया जा रहा है;

(ङ) इन क्षेत्रों में ग्रेफाइट की खोज में विलम्ब करने के क्या कारण हैं;

(च) क्या सरकार का विचार इन स्थानों पर ग्रेफाइट का दोहन करने अथवा उन्हें किसी प्राइवेट एजेंसी को सौंपने का है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) और (ख) जी, हां। पिछले पांच वर्षों के दौरान देश में विभिन्न संस्थाओं द्वारा ग्रेफाइट के लिए गवेषण कार्य किया गया। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने उड़ीसा के कोरापुट फूलबनी और कालाहांडी जिलों की तुमुदिबन्ध ग्रेफाइट पट्टी और बोलानगिर की टिटलागढ़ ग्रेफाइट पट्टी और कालाहांडी जिले, इरनाकुलम जिले में केरल खनिज गवेषण और विकास परियोजना और महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइन्स में ग्रेफाइट की खोज की हैं।

(ग) से (ङ) केरल में अनेक स्थानों पर ग्रेफाइट का पता चला है जहां प्राथमिक गवेषण द्वारा निम्न संभाव्य निक्षेपों के संकेत मिले हैं :-

(निक्षेप मि॰ टन में)

| | | |
|---|---|---|
| 1. | पेरूनगला | 0.036 |
| 2. | पिरालिमत्तम | 0.102 |
| 3. | नागापुज्हा | 1.06 |
| 4. | वाडाकोड़ | 5.05 |
| 5. | मानाकाड | 0.357 |
| 6. | निरामपुज्हा | 0.519 |
| 7. | कारूप्पान्थोडे-पेरून्थोलिल-चान्गापारा | 3500 |
| 8. | पुनालुर | 500 |
| 9. | चान्गा | 3000 |

फिलहाल थिरूअनंतपुरम जिले की पालोड स्थान पर इसे खोजा जा रहा है।

विदोहन कार्य में लगी संस्थाओं और पक्षों द्वारा प्रत्येक भंडार की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता स्थापित करने के बाद ही ग्रेफाइट का विदोहन किया जा सकता है।

केरल राज्य सरकार ने सूचना दी है कि छोटी जोतों और रबर बागानों में ग्रेफाइट मिलता है। भूमि अधिग्रहण की ऊंची कीमतों के कारण अधिक पूंजी निवेश करना पड़ता है।

(च) सरकार का इन भंडारों के विदोहन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

## हुडको बंधपत्र

**4871. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड द्वारा यथानुमोदित राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की मास्टर प्लान और अन्य उपयोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए निधियां जुटाने हेतु सरकार समर्थित बंधपत्र जारी करने के लिए हाऊसिंग एण्ड अर्बन डेवलपमेंट

कारपोरेशन (हुडको) अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उपरोक्त हुडको बंधपत्रों के द्वारा कुल कितनी राशि एकत्र करने का प्रस्ताव है;

(ग) इससे प्राप्त कितनी राशि इसमें भागीदार राज्यों को अग्रिम आधार पर दी जायेगी और उनसे वसूल किए जाने वाले ब्याज की दर क्या है तथा इन अग्रिम पर अन्य कौन-कौन सी शर्तें लगायी जायेंगी;

(घ) क्या हुडको ने बंधपत्रों के माध्यम से संसाधन जुटाने को लंबित रखकर इस योजना में भाग लेने वाले राज्यों को एक निश्चित पूंजी देने का निर्णय किया है ताकि वे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बोर्ड द्वारा मंजूर की गई बुनियादी योजनाओं पर कार्य शुरू कर सकें; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

## पाकिस्तान को अमरीकी मिलिट्री पैकेज

**4872. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान पाकिस्तान को व्यापक मिलिट्री पैकेज की अमरीकी पेशकश की ओर गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या यू॰ एस॰ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को उनकी हाल ही की यात्रा के दौरान भारतीय दृष्टिकोण से अवगत कराया गया था; और

(घ) यदि हां, तो यू॰ एस॰ डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भारतीय दृष्टिकोण से कितने सहमत हुए थे ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) सरकार को अमरीका द्वारा किसी व्यापक सैन्य पैकेज की पाकिस्तान को पेशकश किए जाने की जानकारी नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में पासपोर्ट हेतु आवेदन-पत्र

**4873. श्री सूरजभानु सोलंकी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भोपाल के पासपोर्ट कार्यालय में पासपोर्ट हेतु कितने आवेदन पत्र लम्बित हैं;

(ख) क्या पासपोर्ट आवेदनों को निपटाने के लिए कोई निर्धारित समय-अवधि है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समय सीमा का अनुपालन होता है ताकि आवेदन-पत्र लम्बित न रहें; और

(घ) पुराने आवेदन पत्रों को शीघ्र निपटाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या उठाए जाएंगे ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) 21.4.1995 की स्थिति के अनुसार पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल में बकाया पड़े पासपोर्ट आवेदनों की कुल संख्या 3734 है और इनमें से एक महीने से अधिक समय से लम्बित आवेदनों की संख्या 2068 है।

(ख) और (ग) यह सुनिश्चय करने का प्रयास किया जाता है कि आवेदन प्राप्त होने के बाद लगभग एक महीने की अवधि के भीतर पासपोर्ट जारी कर दिए जाएं। पासपोर्ट कार्यालय, भोपाल पासपोर्ट छह सप्ताह में जारी कर रहा है।

(घ) सरकार ने पासपोर्टों को शीघ्र जारी करने के लिए कई उपाय किए हैं जैसे कर्मचारियों की संख्या में बढ़ोत्तरी, कार्यालय सुविधाओं में वृद्धि जिनमें कई पासपोर्ट कार्यालयों का कम्प्यूटीकरण, विलम्ब को कम करने के उद्देश्य से पद्धतियों और कार्य-विधियों की समीक्षा करना; तथा पासपोर्ट कार्यालयों का नियमित निरीक्षण एवं अनुवर्ती कार्रवाई करना शामिल है।

## कलोल उर्वरक संयंत्र

**4874. श्री अनंतराव देशमुख** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलोल उर्वरक संयंत्र के उत्पादन को बढ़ाने संबंधी इंडियन फामर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड (इफको) के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) और (ख) 16.2.1995 को सरकार ने इफको के अपने कलोल उर्वरक संयंत्र की उत्पादन क्षमता में 119.08 करोड़ रू॰ की अनुमति लागत पर 90 टन प्रति दिन से 110 टन प्रति दिन अमोनिया और 1200 टन प्रति दिन से 1650 टन प्रति दिन यूरिया की वृद्धि करने के प्रस्ताव को अनुमोदित किया। परियोजना के सरकार के अनुमोदन की तारीख से 30 माह के अन्दर पूरा होने की संभावना है।

## गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत उत्पादन

**4875. श्रीमती भावना चिखलिया** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान गुजरात विद्युत बोर्ड द्वारा विद्युत का संयंत्र-वार कुल कितना उत्पादन किया गया;

(ख) उक्त अवधि में केन्द्रीय विद्युत कन्द्र से गुजरात को कुल कितनी विद्युत की आपूर्त्ति की गई;

(ग) क्या कुल उत्पादित विद्युत गुजरात की आवश्यकता पूरी करने के लिए पर्याप्त है; और

(घ) यदि नहीं, तो विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जायेंगे ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) वर्ष 1992-93, 1993-94 एवं 1995 के दौरान गुजरात बिजली बोर्ड में केन्द्रवार विद्युत उत्पादन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों से गुजरात द्वारा प्राप्त की गई विद्युत की कुल मात्रा नीचे दी गई है:-

| वर्ष | प्राप्त की गई विद्युत (मि. यू.) |
|---|---|
| 1992-93 | 5145 |
| 1993-94 | 6898 |
| 1994-95 | 7208 |

(ग) गत 3 वर्षों के दौरान गुजरात में विद्युत सप्लाई स्थिति निम्नवत् हैं :-

(आँकड़े के निवल मि. यू. में)

| | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
|---|---|---|---|
| आवश्यकता | 26507 | 29850 | 31985 |
| उपलब्धता | 25712 | 28502 | 30678 |
| कमी | 786 | - 1358 | 1307 |
| कमी प्रतिशत | 3.0 | 4.5 | 4.1 |

(घ) 8वीं योजना की शेष अवधि के दौरान गुजरात में 273 मेगावाट की क्षमता जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य को केन्द्रीय विद्युत परियोजनाओं से इसका देय हिस्सा भी प्राप्त होगा, जो पश्चिमी क्षेत्र में स्थापित की जा रही हैं। अधिकतम उत्पादन के लिए उकई, गाँधीनगर धुवरण, वानकबोरी के ताप विद्युत केन्द्रों को नवीकरण एवं आधुनिकीकरण कार्यक्रम के चरण-2 में शामिल किया गया है।

## विवरण

**वर्ष 1992-93 से 1994-95 के दौरान गुजरात राज्य विद्युत बोर्ड के केन्द्रवार ऊर्जा उत्पादन**

| केन्द्र का नाम | | (आंकड़े मि. यू. में) ऊर्जा उत्पादन | | |
|---|---|---|---|---|
| गुजरात राज्य बिजली बोर्ड | | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 |
| **ताप विद्युत** | | | | |
| 1. | धुवरण | 2730 | 2365 | 2732 |
| 2. | उकई | 4326 | 4180 | 3819 |
| 3. | गांधी नगर | 4019 | 3940 | 4009 |
| 4. | वानकबोरी | 6944 | 7160 | 7163 |
| 5. | सिक्का | 646 | 824 | 1315 |
| 6. | कच्छ मिग्नाइट | 557 | 670 | 479 |
| 7. | उत्राण | 175 | 215 | 140 |
| 8. | उत्राण टी. | 50 | 520 | 879 |
| 9. | धुवरण | 182 | 153 | 85 |
| | जोड़ | 19645 | 20027 | 20621 |
| **जल विद्युत** | | | | |
| 1. | उकई जल विद्युत | 419 | 920 | 930 |
| 2. | कदाना | 240 | 291 | 447 |
| | जोड़ | 20304 | 21238 | 21994 |

## दिल्ली में सड़कों का रख-रखाव

**4876. श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या जल-भूतल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार राजधानी की सड़कों की मरम्मत तथा रखरखाव के खर्च में हिस्सा बटाती है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान केन्द्र सरकार ने कितना खर्च वहन किया; और

(ग) इसका कैसे भुगतान किया जाता है और इसे किस तरह उपयोग में लाया जाता है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) सांविधानिक रूप से भारत सरकार राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए जिम्मेदार है। अन्य सभी सड़कों के विकास और रख-रखाव के लिए राज्य सरकारें जिम्मेदार होती हैं।

(ख) और (ग) उक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

## गुजरात में जल-मल व्ययन परियोजना

**4877. डा० अमृतलाल कालीदास पटेल : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विश्व बैंक की सहायता से गुजरात में कोई जल-मल व्ययन परियेजना आरंभ करने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) और (ख) जल आपूर्ति एवं सफाई व्यवस्था राज्य के विषय हैं। ऐसी परियोजनाएं प्रारंभ करना राज्य सरकार की कार्यान्वयन एजेंसियों का काम है।

गुजरात सरकार ने 794 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली गुजरात शहरी विकास परियोजना-II के लिए विश्व बैंक की सहायता मांगी है जिसमें जल आपूर्ति एवं जल-मल व्ययन शामिल हैं। प्रस्ताव प्रारम्भिक अवस्था में है। राज्य सरकार से कुछ और सूचनाएं उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

## इस्पात संयंत्रों को जलापूर्त्ति

**4878. डा० के० वी० आर० चौधरी** : क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के पश्चिमगोदावरी जिले में येलेरू जलाशय परियोजना से विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र को जलापूर्त्ति के संबंध में विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र, विशाखापत्तनम और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच किए गए समझौते का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस्पात संयंत्र इस योजना को व्यवहार्य बनाने के लिए येलेरू जलाशय परियोजना को केन्द्रीय जल आयोग से किए गए समझौते के अनुसार ही प्रति गैलन की दर से भुगतान कर रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) भारत सरकार, आंध्र प्रदेश सरकार और विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के बीच 9 जनवरी, 1987 को हस्ताक्षरित समझौते ज्ञापन का ब्यौरा निम्नानुसार है :-

(i) आंध्र प्रदेश सरकार विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र के लिए पानी की समग्र आवश्यकता को पूरा करने के लिए सहमत थी और यह सुनिश्चित किया गया था कि सम्पूर्ण आवश्यकता को पूरा करने के लिए पानी की सप्लाई आरंभ करने हेतु येलेरू जल आपूर्ति परियोजना का निर्माण कार्य सभी प्रकार से जून, 1988 तक पूरा कर लिया जाएगा।

(ii) जल की आपूर्ति के लिए आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा वसूल की जाने वाली पास्परिक रूप से स्वीकार्य जल आपूर्ति दर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने की तारीख से 3 माह के भीतर राज्य सरकार और वी० एस० पी० प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित की जाएगी।

(iii) येलेरू जल आपूर्ति परियोजना को पूरी करने के लिए भारत सरकार आंध्र प्रदेश सरकार को 70 करोड़ रुपए की ऋण सहायता देने के लिए सहमत थी।

(ख) से (घ) पानी की दरों के संबंध में विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र और आंध्र प्रदेश सरकार के बीच अब तक कोई करार नहीं हुआ है। यद्यपि विशाखापट्टणम इस्पात संयंत्र ने प्रारम्भ में कुल लागत और योजना की क्षमता से हिसाब लगाकर इकाई लागत के रूप में 0.53 रु० प्रति हजार गैलन की जल दर की गणना की है और संयंत्र इस दर के अनुसार जल प्रभार का भुगतान करता रहा है। अप्रैल, 1988 में राज्य सरकार ने दर बढ़ाकर 3.00 रु० प्रति हजार गैलन करने के लिए कहा। परन्तु वी० एस० पी० की गणना के अनुसार वास्तविक उपयोगिता के आधार पर जल की दर का हिसाब 2.11 रुपए प्रति हजार गैलन लगाया गया है। मई, 1989 में वी० एस० पी० ने जल दर के मुद्दे को निपटाने के लिए 2.25 रु० प्रति हजार गैलन की दर की पेशकश की परन्तु राज्य सरकार इस पर सहमत नहीं हुई। सितम्बर, 1993 में राज्य सरकार ने येलेरू परियोजना की 335.34 करोड़ रुपए की समग्र लागत और परियोजना की लागत में से 109.33 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए और शेष 226.01 करोड़ इस्पात संयंत्र को जल आपूर्ति की लागत के रूप में विभाजित करने के आधार पर केन्द्रीय जल आयोग द्वारा हिसाब लगाए अनुसार 9.50 रु० प्रति हजार गैलन की दर का उल्लेख किया। वी० एस० पी० केन्द्रीय जल आयोग द्वारा जल की दर निर्धारित करने की पद्धति से सहमत नहीं हुआ क्योंकि येलेरू जलाशय के 18 टी० एम० सी० लीवस्टोरेज में से वी० एस० पी० के लिए जल का हिस्सा केवल 5 टी० एम० सी० होने के कारण वी० एस० पी० द्वारा उपयोग की तुलना में वी० एस० पी० के लिए लागत का विभाजन काफी असंगत है।

भावी सिंचाई और अन्य आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए येलेरू नहर को वी० एस० पी० की 73 एम० जी० सी० की आवश्यकता की तुलना में शीर्ष पहुंच पर पर्याप्त अधिक बहाव दर (लगभग 600 एम० जी० डी०) के लिए रूपांकित किया गया है। इसलिए क्षमता उपयोगिता के आधार पर वी० एस० पी० को विभाजन के लिए कहा गया है।

## नौवहन उद्योग को आसान शर्तों पर ऋण

**4879. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन उद्योग ने नौवहन हेतु आसान शर्तों पर ऋण की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन ऋणों का उपयोग किन-किन योजनाओं में किया जाएगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी हां।

(ख) भारतीय राष्ट्रीय जहाज मालिक संघ ने आसान शर्तों पर ऋणों के बारे में भारतीय रिजर्व बैंक को एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है जो निम्नानुसार है :–

(i) नौवहन उद्योग की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताएं।

(ii) नौवहन उद्योग की कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के लिए रियायती वित्त पोषण।

(iii) स्वपरिसमापन वित्त योजना के तहत नौवहन कम्पनियों के लिए मध्यावधि ऋण-वित्त।

(iv) राष्ट्रीय नौवहन टनभार में वृद्धि करने के लिए देश की आरक्षित विदेशी मुद्रा का एक भाग अलग रखा जाए।

## नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा कम लागत से विस्तार

**4880. श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा अपनी इकाइयों का कम लागत से विस्तार करने के कार्यक्रम संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा तैयार किए गए विस्तार कार्यक्रम का ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) से (ग) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ (एन॰ एफ॰ एल॰) के निदेशक मण्डल ने सिद्धान्त रूप में, 1100 करोड़ रू॰ की अनुमानित लागत पर 7.26 लाख टन अतिरिक्त यूरिया का उत्पादन करने के लिए अपने पानीपत उर्वरक संयंत्र का विस्तार करने का निर्णय लिया है।

## "सेल" में उत्पादों का ओपनिंग एवं क्लोजिंग स्टॉक

**4881. श्री अमल दत्त : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "सेल" द्वारा गत वर्ष और इससे पूर्व प्रकाशित लेखा में उत्पादों के ओपनिंग एवं क्लोजिंग स्टॉक में अन्तर दिखाया गया है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान के लेखा में ओपनिंग एवं क्लोजिंग स्टॉक का परिमाणात्मक आंकड़ा सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में क्या सुधारात्मक उपाय करने का प्रस्ताव है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

## तमिलनाडु में भवन निर्माण

**4882. श्री पी॰ कुमारासामी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने केन्द्रीय सरकार को 1993-94 और 1994-95 के दौरान मध्यम और निम्न आय वर्ग के लोगों को आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करने के संबंध में कोई प्रस्ताव भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य को वर्षवार कितनी वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा प्रदान की गई है; और

(घ) लंबित प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) से (घ) जी, हां। तमिलनाडु राज्य सरकार ने तमिलनाडु में 53 छोटे और मझौले कस्बों में 20,000 भू-खण्डों के विकास और 90 प्रतिशत भूखण्डों पर मकानों के निर्माण हेतु एशियाई विकास बैंक से 1103 करोड़ रुपये की ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए तमिलनाडु आवास बोर्ड का एक प्रस्ताव भेजा था। यह प्रस्ताव राज्य सरकार को कुछ टिप्पणियों के साथ वापस कर दिया गया था। दूसरा प्रस्ताव 1994-95 में तमिलनाडु में 3 लाख से अधिक आबादी वाले 14 कस्बों में और 3 लाख से कम आबदी वाले 39 कस्बों में भूखण्डों के विकास और मकानों के निर्माण के लिए एशियाई विकास बैंक से 1166 करोड़ रुपये का ऋण सहायता प्राप्त करने के लिए केन्द्र सरकार ने प्राप्त किया है। यह प्रस्ताव जांचाधीन है।

## रक्षा कर्मियों के लिए फ्लैट

**4883. श्री बलराज पासी : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या काफी समय पहले दिल्ली में, जब रक्षा मंत्रालय ने अपनी कर्मियों के लिए फ्लैटों का निर्माण नहीं किया था, तो उन्हें जनरल पूल से कुछ फ्लैट आवंटित किए गए थे;

(ख) क्या इन कर्मियों के लिए पिछले कई वर्षों में अनेक फ्लैटों का निर्माण किया गया है किन्तु अभी भी उन्होंने जनरल पूल के इन क्वार्टरों पर कब्जा किया हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार ने रक्षा कर्मियों के कब्जे से इन फ्लैटों को खाली करवाकर तथा उन क्वार्टरों को जनरल पूल प्रतीक्षा सूची में दर्ज व्यक्तियों को आवंटित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) 697 फ्लैट रक्षा मंत्रालय को सौंपे गये हैं।

(ख) शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय द्वारा उन विभिन्न मंत्रालयों के बाबत कोई आंकड़े नहीं रखे जाते जिन्होंने अपने कर्मचारियों के लिये अपने स्वयं के मकान बनाये हैं।

(ग) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए कोई कदम नहीं उठाये गये हैं

## एस॰ टी॰ रोड

**4884. श्री कबीन्द्र पुरकायस्थ** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या करीमगंज से "एस॰ टी॰ रोड" के नाम से विख्यात सुतरकंडी तक की सीमावर्ती सड़क की हालत दयनीय है; और

(ख) यदि हां, तो इसे यातायात के योग्य बनाए रखने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख). करीमगंज से सुतरकंडी सड़क एक राज्य सड़क है। इस सड़क के रख-रखाव और विकास की जिम्मेदारी असम राज्य सरकार की है।

## विकासशील देशों को सहायता

**4885. श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने सामाजिक विकास हेतु हाल ही में आयोजित विश्व शिखर सम्मेलन में समूह-77 के सदस्य देशों के साथ विकासशील देशों के गरीबी-उन्मूलन, बेरोजगारी दूर करने तथा सामाजिक विकास कार्यक्रमों में सहायता करने के लिए उन्हें आर्थिक सहयोग और विकास संगठन की ओर से अधिकाधिक सहायता दिये जाने का अभियान चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो शिखर सम्मेलन ने इस संबंध में निर्णय लिया है और इस निर्णय पर क्या अनुवर्ती कार्यवाही की जा रही है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) भारत ने ग्रुप-77 के अन्य सदस्य देशों के साथ मिलकर गरीबी उन्मूलन, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने और अन्य सामाजिक विकास कार्यक्रमों के लिए विकासशील देशों को अपेक्षाकृत अधिक सहायता मुहैया कराने का अभियान चलाया था। सामाजिक विकास के लिए सार्वभौमिक स्तर पर संसाधन जुटाने की मांग के अतिरिक्त भारत में यह भी मांग की थी कि मंडियों में प्रवेश और इन तीन अहम मसलों से सम्बद्ध प्रौद्योगिकियां उपलब्ध कराने में भेदभाव न बरता जाए।

विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन ने यह बात स्वीकार की थी कि विकासशील देशों, खासतौर पर अफ्रीका और अत्यन्त अल्प विकसित देशों में घोषणा और कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों और अपेक्षाकृत अधिक प्रभावी विकासात्मक सहयोग तथा सहायता की जरूरत होगी। शिखर सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति हुई कि उक्त घोषणा तथा कार्य योजना के उद्देश्यों तथा लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपेक्षित क्रियाकलापों के अनुरूप सरकारी विकास सहायता के रूप में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के 0.07 प्रतिशत के सहमत लक्ष्य की यथा संभव शीघ्र पूर्ति के लिए और सामाजिक विकास कार्यक्रमों के वित्त-पोषण में अंशदान बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाएंगे।

भारत का यह मानना है कि शिखर सम्मेलन में दूरगामी निर्णयों के क्रियान्वयन के लिए अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग को पुनः सक्रिया बनाना होगा। विश्व सामाजिक विकास शिखर सम्मेलन पर अनुवर्ती कार्रवाई में भारत "इकोसॉक", संयुक्त राष्ट्र महासभा तथा साथ ही साथ अन्य अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सक्रिय रूप से भाग लेगा।

## "कृभको" के लिए ब्रिटिश अनुदान

**4886. श्री एस॰ एम॰ लालजान बाशा** : क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषक भारतीय कोओपरेटिव लिमिटेड (कृभको) को देश में वर्षों सिंचित कृषि परियोजना के लिए ब्रिटेन द्वारा आर्थिक सहायता दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना में आंध्र प्रदेश को शामिल किया गया है;

(ग) इस धनराशि का "कृभको" द्वारा किस तरह उपयोग किया जाएगा;

(घ) क्या इस परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कृभको द्वारा विभिन्न राज्यों सरकारों से विचार-विमर्श किया गया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री** तथा **इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा**

**महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) से (ग) कृषक भारती कोआपरेटिव लि॰ 1.1.1993 से ब्रिटेन सरकार द्वारा दी गयी आर्थिक सहायता से एक वर्षोपोषित कृषि परियोजना तीन जिलों में अर्थात् पंचमहल (गुजरात), झबुआ (मध्य प्रदेश) और बंसबारा (राजस्थान) में कार्यान्वित कर रही है। इस सहायता का उपयोग कृषि पद्धति विकास सहभागिता दृष्टिकोण के माध्यम से पश्चिम भारत के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में निर्धन किसानों की दीर्घावधिक आजीविका में सुधार के लिए किया जा रहा है। ब्रिटेन सरकार ने वर्षा पोषित परियोजना के लिए भी वित्तीय सहायता मंजूर की है जो 1.4.1995 से कृभको द्वारा पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के 12 जिलों में, कार्यान्वित की जानी है। इस परियोजना का उद्देश्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के वर्षा पोषित क्षेत्रों में निर्धन पुरुष और महिला किसानों के लिए नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधनों के विस्तृत और दीर्घकालीन विकास को बनाए रखना है।

(घ) और (ङ) प्रत्येक परियोजना के कार्यान्वयन की प्रगति का पुनरीक्षण परियोजना संचालन समिति (पी॰ एल॰ सी॰) द्वारा किया जाता है। संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधि परियोजना संचालन समिति के सदस्य हैं। जल्दी ही इस मंत्रालय में परियोजना के कार्यान्वयन की भी समीक्षा की जायेगी।

**[हिन्दी]**

## उप-मार्ग

**4887. श्री गिरधारी लाल भार्गव :**

**श्री खेलन राम जांगड़े :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नए उप-मार्गों के निर्माण के लिए सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का स्थान-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) ये प्रस्ताव कब से विचाराधीन हैं;

(ग) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति मिल जाएगी;

(घ) इस समय निर्माणाधीन उपभागों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ङ) इसके लिए राज्यवार कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(च) वह कब तक यह कार्य पूरा हो जाएगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) ऐसे नए बाईपासों के निर्माण के प्रस्ताव जिन पर निधियों की उपलब्धता के अध्यधीन मंजूरी दिए जाने के लिए विचार किया जा सकता है, संलग्न विवरण-I में सूचीबद्ध हैं। अभी यह बताना संभव नहीं है कि इन्हें मंजूरी कब दी जाएगी।

(घ) ब्यौरे संलग्न विवरण-II में दिये गये हैं।

(ङ) और (च) निधियां कार्यवार नहीं बल्कि बाईपासों सहित सभी राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव हेतु पूरे राज्य के लिए आवंटित की जाती हैं। अधिकांश बाईपासों की अगले 4 वर्ष के भीतर पूरा हो जाने की संभावना है जो निधियों की उपलब्धता पर निर्भर होंगी।

### विवरण-I

| क्रम सं॰ | नए बाईपासों के निर्माण के प्रस्तावों के ब्यौरे | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|
| 1. | पेंडा<br>रा॰ रा॰ 4-ए | गोवा |
| 2. | बारोग<br>रा॰ रा॰-22 | हिमाचल प्रदेश |
| 3. | हसन<br>रा॰ रा॰-48 | कर्नाटक |
| 4. | त्रिवेन्द्रम चरण-I<br>रा॰ रा॰-47 | केरल |
| 5. | रम्भा (केवल पपड़ी)<br>रा॰ रा॰-5 | उड़ीसा |
| 6. | विल्लाईनूर<br>रा॰ रा॰-45-क | पांडिचेरी |
| 7. | बस्ती, चरण-II<br>रा॰ रा॰-28 | उत्तर प्रदेश |

### विवरण-II

| क्रम सं॰ | निर्माणाधीन बाईपासों के ब्यौरे | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम |
|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | वेरना<br>रा॰ रा॰-17 | गोवा |
| 2. | धोराजी<br>रा॰ रा॰-8 | गुजरात |
| 3. | खारवेर<br>रा॰ रा॰-10 | हरियाणा |
| 4. | सांपला<br>रा॰ रा॰-10 | –वही– |
| 5. | बारोग (निर्माण)<br>रा॰ रा॰-22 | हिमाचल प्रदेश |

| 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|
| 6. | शिमला<br>रा० रा०-22 | –वही– |
| 7. | कुल्लू<br>रा० रा०-21 | –वही– |
| 8. | हुबली-धारवाड़, चरण-1<br>रा० रा०-4 | कर्नाटक |
| 9. | नुलबागल<br>रा० रा०-4 | –वही– |
| 10. | कालीकट<br>रा० रा०-17 | केरल |
| 11. | अल्लेप्पी<br>रा० रा०-47 | केरल |
| 12. | किलोड<br>रा० रा०-47 | –वही– |
| 13. | त्रिवेन्द्रम, चरण-1 (भाग)<br>रा० रा०-47 | –वही– |
| 14. | जबलपुर<br>रा० रा०-7 | मध्य प्रदेश |
| 15. | इन्दौर<br>रा० रा०-3 | मध्य प्रदेश |
| 16. | दुर्ग<br>रा० रा०-6 | –वही– |
| 17. | गुरदासपुर<br>रा० रा०-15 | पंजाब |
| 18. | निवई<br>रा० रा०-12 | राजस्थान |
| 19. | बनयाला<br>रा० रा०-12 | –वही– |
| 20. | उदयपुर<br>रा० रा०-8 | –वही– |
| 21. | फतेहपुर<br>रा० रा०-2 | उत्तर प्रदेश |
| 22. | वाराणसी<br>रा० रा०-2 | –वही– |
| 23. | सीतापुर<br>रा० रा०-24 | –वही– |
| 24. | शाहजहांपुर<br>रा० रा०-24 | –वही– |
| 25. | ललितपुर<br>रा० रा०-26 | उत्तर प्रदेश |
| 26. | फैजाबाद (चरण-II)<br>रा० रा०-28 | –वही– |
| 27. | शांतिपुर<br>रा० रा०-34 | पश्चिम बंगाल |

[अनुवाद]

## यूरिया संयंत्रों के लिए प्राकृतिक गैस की उपलब्धता

**4888. श्री हरिन पाठक : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उर्वरक संयंत्रों को यूरिया के उत्पादन के लिए किस दर पर प्राकृतिक गैस उपलब्ध कराई जाती है; और

(ख) यूरिया के उत्पादन पर कुल कितनी लागत आयी है?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) उर्वरक संयंत्रों द्वारा 1 जनवरी, 1995 से देय प्राकृतिक गैस का मूल्य 1850 रु० प्रति हजार घन मीटर है, केवल उत्तर पूर्व को छोड़कर जहाँ यह मूल्य 600 रु० प्रति हजार घन मीटर है। इस मूल्य में परिवहन अधिभार रायल्टी शुल्क और कर शामिल नहीं है। एच बी जे पाइप लाइन पर परिवहन प्रभार 850 रु० प्रति हजार घन मीटर है।

(ख) यूरिया की उत्पादन लागत एकक-दर-एकक अलग-अलग होती है, जो प्रयोग किए जाने वाले फीडस्टाक संयंत्र के स्वास्थ्य और पुरानेपन, क्षमता उपयोगिता, ऊर्जा खपत आदि पर निर्भर करता है। तथापि, नवीनतम अधिसूचना के अनुसार, गैस पर आधारित संयंत्रों के संबंध में यूरिया का प्रति टन भारित औसत प्रतिधारण मूल्य 4670 रु० बैठता है।

## अमेरिका से नेताओं का दौरा

**4889. श्री फूल चंद वर्मा :**

**श्री शरद दिघे :**

**श्रीमती वसुंधरा राजे :**

**श्री राम बदन :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमेरिका के डिफेन्स सेक्रेटरी, कामर्स सेक्रेटरी तथा दक्षिण एशिया के लिए असिस्टेन्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तथा

राजनीतिक मामलों के अंडर सेक्रेटरी आफ स्टेट तथा ट्रेजर सेक्रेटरी ने हाल ही में भारत का दौरा किया था;

(ख) यदि हां, तो भारतीय नेताओं के साथ उनकी बातचीत में क्या-क्या विशिष्ट मुद्दे उठे थे तथा इस दौरे का स्पष्टत: क्या परिणाम रहा;

(ग) क्या इन दौरों में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक समझौते की मुख्य बातें क्या रहीं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) जी हां।

(ख) बातचीत का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों को समग्र रूप से मजबूत बनाना और उन्हें विविधता प्रदान करना था। इसमें भारत-अमरीकी रक्षा सहयोग, व्यापार, वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों के सुदृढ़ीकरण तथा आपसी हित के अन्तर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मसलों पर परामर्श पर बातचीत शामिल थी। इन यात्राओं से द्विपक्षीय रूप से रक्षा, वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने में मदद मिली तथा दोनों देश एक-दूसरे की नीतियों को अपेक्षाकृत अधिक अच्छे ढंग से समझ पाए।

(ग) अमरीकी रक्षा मंत्री की यात्रा के दौरान 12 जनवरी, 1995 को रक्षा संबंधों पर सहमत कार्यवृत्त पर हस्ताक्षर हुए। अमरीकी वाणिज्य मंत्री की यात्रा के दौरान भारत-अमरीका वाणिज्यक गठबंधन की स्थापना के बारे में 16 जनवरी, 1995 को एक समझौता ज्ञापन सम्पन्न हुआ।

रक्षा संबंधों पर सहमत कार्यवृत्त में भारत-अमरीकी रक्षा सहयोग की रूपरेखा दी गई है असैनिक स्तर पर सहयोग, सैन्य स्तर पर सहयोग और रक्षा अनुसंधान तथा उत्पादन में सहयोग के तीन क्षेत्रों में समवर्ती प्रगति की बात कही गई है। वाणिज्यिक गठबंधन से सम्बद्ध समझौता ज्ञापन में अमरीका के गैर-सरकारी उद्योग द्वारा दोनों देशों के बीच व्यापार और पूंजी-निवेश को बढ़ाने के उद्देश्य से अपने भारतीय समकक्षों के साथ कार्य करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की व्यवस्था है।

## नेपाल के साथ वार्ता

**4890. श्री बलराज पासी** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और नेपाल के बीच हाल ही में सचिव स्तर पर कोई वार्ता हुई थी; और

(ख) यदि हां, तो इस वार्ता का प्रयोजन क्या था और इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क और (ख) भारत और नेपाल के वाणिज्य सचिवों, गृह सचिवों, सचिव (जल संसाधन) तथा विदेश सचिवों के बीच सचिव स्तरीय वार्ता मार्च-अप्रैल, 1995 में हुई। ये वार्ताएं नेपा के प्रधानमंत्री की भारत की यात्रा की तैयारी स्वरूप की गई थीं। इन वार्ताओं के दौरान जिन विषयों पर मुख्य रूप से चर्चा की गई उनमें द्विपक्षीय सम्बन्ध तथा सुरक्षा, एक देश में दूसरे देश के हितों के विरुद्ध संचालित गतिविधियों की रोकथाम, जल संसाधन विकास के क्षेत्रों में सहयोग सुदृढ़ करने से सम्बन्धित विषय तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों के अन्य पहलू शामिल थे।

**[हिन्दी]**

## शहरी अधिकतम भूमि सीमा कानून का उल्लंघन

**4891. श्रीमती शीला गौतम :**

**श्री राजेश कुमार :**

**श्री रामेश्वर पाटीदार :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी अधिकतम भूमि सीमा कानून का दिल्ली में उल्लंघन हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान किन-किन औद्योगिक इकाईयों ने इस कानून का उल्लंघन किया है; और

(ग) उन औद्योगिक इकाइयों के क्या नाम हैं जिन्हें केन्द्र सरकार ने इस संबंध में छूट दी है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) दिल्ली सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार उन्हें इस तरह के उल्लंघन की सूचना नहीं मिली है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संघ सरकार इस प्रकार की कोई छूट नहीं देती।

**[अनुवाद]**

## राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार

**4892. श्रीमती वसुंधरा राजे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1995-96 के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों का सुधार करने के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है;

(ख) इसमें से कितनी राशि राजस्थान के लिए आवंटित की गई है;

(ग) 1995-96 के दौरान राजस्थान में सुधार करने के लिए कौन-कौन सी सड़क का चयन किया गया है; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) अभी से राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों सहित राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बजटगत आवंटनों के ब्यौरे बताना संभव नहीं है क्योंकि वर्ष 1995-96 की अनुदान मांगों को अभी संसद द्वारा अनुमोदित किया जाना है।

(ग) और (घ) राजस्थान के राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुधार कार्य किया जाना, वर्ष 1995-96 के दौरान निधियों की उपलब्धता राजमार्गों की हालत, यातायात की सघनता और कार्यों की परस्पर प्राथमिकता के अध्यधीन है।

## उड़ीसा मेरीन अकेडमी

**4893. श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा मेरिन अकेडमी (ओ॰ एम॰ ए॰) बंद होने के कगार पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा है; और

(ग) इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (ग) नौवहन महानिदेशक से प्राप्त सूचना के अनुसार उड़ीसा नौचालन अकादमी ऐसी किसी स्थिति का सामना नहीं कर रही है।

## आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज का कश्मीर पर संकल्प

**4894. श्री एम॰ वी॰ वी॰ एस॰ मूर्त्ति :**

**श्री विलास मुत्तेमवार :**

**श्री सुधीर सावन्त :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज ने कश्मीर पर सात सूत्री संकल्प के प्रारूप को अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा कया है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज की कश्मीर पर नीति में कोई परिवर्तन हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने कश्मीर पर अपने रैवये के बारे में आर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कन्ट्रीज के सभी देशों को अवगत करा दिया है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) जी, हां। 10 से 11 दिसम्बर, 1994 तक कासाब्लांका (मोरक्को) में सम्पन्न 22वें इस्लामिक विदेश मंत्री सम्मेलन ने जम्मू-कश्मीर विवाद पर एक 20-सूत्री प्रारूप संकल्प पारित किया था। इस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए भारत सरकार ने ओ॰ आई॰ सी॰ द्वारा इस संकल्प को पारित करने के प्रति खेद व्यक्त किया था।

(ग) और (घ) इस संबंध में कोई परिवर्तन नहीं देखा गया है।

(ङ) और (च) जी हां। ओ॰ आई॰ सी॰ के अधिकतर सदस्य राज्यों ने हमें इस बात से अवगत कराया है कि वे इस हक में हैं कि इस मसले को भारत तथा पाकिस्तान द्वारा द्विपक्षीय आधार पर हल किया जाए।

## पासपोर्टों का पुलिस सत्यापन

**4895. डा॰ आर॰ मल्लू** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नागरिकों को राज्य और केन्द्र सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी किए गए चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्रों के आधार पर कुछ निर्धारित समयावधि के भीतर पासपोर्ट जारी किए जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन आवेदनों का पुलिस सत्यापन आवश्यक होता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या सरकार का विचार प्राधिकृत अधिकारी द्वारा जारी किए गए चरित्र सत्यापन प्रमाण-पत्र साथ लगाए जाने की अवस्था में पुलिस सत्यापन की प्रक्रिया को समाप्त करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) जी हां। अल्पावधि वैधता वाला पासपोर्ट किसी आवेदक को तब जारी किया जाता है जब वे विदेश यात्रा की तात्कालिकता के लिए ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण दे जो विदेश राज्य मंत्री द्वारा अनुमोदित तथा विदेश मंत्रालय की स्थायी समिति को सूचित मार्गनिर्देशों के अन्तर्गत आता हो। ऐसे पासपोर्ट राज्य तथा केन्द्रीय सरकार के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा जारी चरित्र साक्ष्यांकन प्रमाण के आधार पर दिये जाते हैं।

(ग) और (घ) जी हां। इन सभी आवेदनों का कार्योत्तर पुलिस साक्ष्यांकन करवाया जाता है। यदि पुलिस की प्रतिकूल रिपोर्ट मिलती है तो उस अधिकारी को पत्र लिखकर उससे स्पष्टीकरण मांगा जाता है जिसने साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र दिया हो। मामला संबंधित

राज्य के गृह विभाग को यथोचित कार्रवाई के लिए भी भेजा जाता है।

(ङ) जी नहीं।

(च) पुलिस साक्ष्यांकन पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया का एक अनिवार्य अंग है और भारत सरकार के स्थायी अनुदेशों के अनुसार इसे समाप्त नहीं किया जा सकता चाहे साक्ष्यांकन प्रमाण-पत्र जारी हो चुका हो।

## हावड़ा और दिल्ली के बीच स्टीमर सेवा

**4896. श्री प्रेमचन्द राम : क्या जल-भूतल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हावड़ा और दिल्ली के बीच स्टीमर सेवा आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब से आरम्भ किया जाएगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## इस्पात को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय संस्थान

**4897. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात की खपत को बढ़ावा देने हेतु एक राष्ट्रीय संस्थान की स्थापना करने और इस संबंध में अध्ययन करने के लिए प्रमुख इस्पात उतपादकों का एक कोर ग्रुप गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो कोर ग्रुप का विचार राष्ट्रीय संस्थान के माध्यम से इस्पात की खपत में और कितने प्रतिशत वृद्धि प्राप्त करने का है; और

(ग) इस संस्थान के मुख्य-मुख्य कार्यों का ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) जी, हां। देश में इस्पात की खपत में वृद्धि करने के लिए "उद्योग संचालन स्वतंत्र संस्थान" की स्थापना करने की सम्भाव्यता की जांच करने के लिए सरकार ने स्टील अथॉरिटी ऑफ इण्डिया लिमिटेड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक "कोर ग्रुप" गठित किया है।

(ख) और (ग) इस संस्थान के कार्यों के ब्यौरे और इसके परिणामस्वरूप होने वाले लाभों का "कोर ग्रुप" अध्ययन कर रहा है।

## तमिलनाडु में सी॰ पी॰ डब्लू॰ डी॰ के फ्लैट

**4898. डा॰ (श्रीमती) के॰ एस॰ सौन्द्रम : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार तमिलनाडु में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कितने सरकारी फ्लैटों का निर्माण किया गया;

(ख) इन वर्षों के दौरान इस कार्य पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ग) क्या राज्य में सी॰ पी॰ डब्लू॰ डी॰ फ्लैटों की कमी है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या इनमें से कुछ फ्लैट राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए आरक्षित रखने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) गत तीन वर्षों के दौरान साधारण पूल वास के अंतर्गत बनाए गए सरकारी फ्लैटों के वर्षवार ब्यौरे इस प्रकार हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | 92-93 | -156 |
| (ii) | 93-94 | -शून्य |
| (iii) | 94-95 | -शून्य |

(ख) इन वर्षों में खर्च की गई कुल राशि :-

| | | |
|---|---|---|
| (i) | 92-93 | -8.75 लाख |
| (ii) | 93-94 | -5.03 लाख |
| (iii) | 94-95 | -2.29 लाख |

(ग) जी, हां।

(घ) साधारण पूल रिहायशी वास की कमी वित्तीय संसाधनों की अड़चनों की वजह से है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) के आलोक में लागू नहीं होता।

## प्रधान मंत्री की मालदीव की यात्रा

**4889. श्रीमती दिल कुमारी भण्डारी : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रधान मंत्री ने हाल ही में मालदीव की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो इस यात्रा के क्या उद्देश्य थे और इसके

क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) क्या दोनों देशों के मध्य कोई समझौते हुए थे;

(घ) यदि हां, तो उनकी समझौतावार मुख्य बातें क्या हैं;

(ङ) क्या यात्रा के दौरान मालदीव को तकनीकी और प्रशिक्षण सहायता की पेशकश की गई थी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार की सहायता से माले में निर्मित इंदिरा गांधी मेमोरियल हस्पताल का उद्घाटन करने के लिए प्रधान मंत्री माले गए थे। उद्घाटन सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ।

(ग) जी नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी हां।

(च) भारत सरकार ने मालदीव के राष्ट्रिकों को चिकित्सा/अर्ध-चिकित्सा और तकनीकी क्षेत्रों में दिए जा रहे प्रशिक्षण को जारी रखने की पेशकश की है।

## दक्षेस शिखर सम्मेलन

**4900. श्री पी. सी. चाको :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में नई दिल्ली में दक्षेस का आठवां शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो शिखर सम्मलेन की कार्य-सूची क्या है; और

(ग) भारत द्वारा इसमें क्या भूमिका अदा की गई तथा शिखर सम्मेलन में क्या आम सहमति हुई ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) जी हां। यह 2 से 4 मई, 1995 तक सम्पन्न हुआ।

(ख) नेमी कार्यविधिक तत्वों के अलावा कार्यसूची में राज्याध्यक्षों अथवा शासनाध्यक्षों के भाषणों, मंत्री-स्तरीय पूर्ववर्ती सार्क सम्मेलनों में पारित कई रिपोर्टों पर विचार करना तथा उन्हें पारित करना, एवं आठवें सार्क शिखर-सम्मेलन की घोषणा अथवा "दिल्ली घोषणा" पारित करना शामिल था।

(ग) भारत ने इस शिखर-सम्मेलन के कार्य के सभी पहलुओं में सक्रिय भूमिका अदा की। जैसाकि दिल्ली घोषणा में देखा जा सकता है, इस शिखर सम्मेलन में जो सर्वसम्मति कायम हुई उसमें क्षेत्रीय सहयोग; दक्षिण एशिया में गरीबी उन्मूलन, सार्क अधिमानी व्यापार व्यवस्था (साटा) को शीघ्र कार्यात्मक बनाने; महिलाओं, बच्चों, युवाओं, पर्यावरण, विकलांगों से संबंधित सामाजिक मसलों पर कार्यवाही; आतंकवाद तथा औषध द्रव्यों के गैर-कानूनी व्यापार के खिलाफ कार्यवाही; अन्तर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क की सामूहिक स्थितियों को उजागर करने; तथा अन्तर्राष्ट्रीय राजनीतिक घटनाओं और अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक तथा सामाजिक मसलों पर सहमत स्थितियों का उल्लेख शामिल है।

सार्क 8 दिसम्बर, 1995 को अपना पहला दशक पूरा कर रहा है इसलिए यह तय किया गया है कि मंत्रियों की परिषद् नई दिल्ली में एक स्मारक सत्र बुलाएगी और जिन क्षेत्रों पर सार्क द्वारा अपने द्वितीय दशाब्द में ध्यान देने की आवश्यकता है उन्हें तय करने के लिए इस सत्र का मूल विषय "सार्क-द्वितीय दशाब्द का लक्ष्य" होगा।

वर्ष 1995 को "सार्क गरीबी उन्मूलन वर्ष" घोषित करने से सम्बद्ध भारत सरकार के प्रस्ताव का अनुमोदन एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय था। इस परिप्रेक्ष्य में नेताओं ने इस विषय पर एक मंत्री-स्तरीय बैठक की मेजबानी करने हेतु भारत के पेशकश का स्वागत भी किया है।

**[हिन्दी]**

## गुट-निरपेक्ष देशों की बैठक

**4901. श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुट-निरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों की हाल ही में बैठक में किन-किन देशों ने हिस्सा लिया था;

(ख) बैठक में भारत द्वारा अदा की गई भूमिका का ब्यौरा क्या है; और

(ग) बैठक में की गई चर्चा का विस्तृत ब्यौरा क्या है और चर्चा के परिणामस्वरूप हुई आम सहमति का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) 21 से 27 अप्रैल, 1995 तक बान्डुंग में आयोजित गुटनिरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की मंत्रीस्तरीय बैठक एवं एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के 40वें वर्षगांठ समारोह में जिन देशों ने भाग लिया था, उनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) और (ग) बान्डुंग में गुटनिरपेक्ष क्षेत्रों की मंत्रीस्तरीय बैठक की तैयारी के लिए न्यूयार्क में गुटनिरपेक्ष आन्दोलन के समन्वय ब्यूरो में निम्नलिखित के विषय में स्थिति से सम्बद्ध प्रारूप दस्तावेज तैयार किए थे :

(i) विकास के लिए कार्यसूची

(ii) संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ समारोह पर की गई औपचारिक घोषणा

(iii) सुरक्षा परिषद का सुधार : वीटो अधिकार

(iv) अप्रसार संधि का पुनरीक्षण एवं विस्तार सम्मेलन

बान्डुंग में गुटनिरपेक्ष की मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान मंत्रियों ने उपरोक्त मामलों पर विचार-विमर्श किया। मंत्रिगण इस बात पर सहमत थे कि विकास से सम्बद्ध मामलों को संयुक्त राष्ट्र के कार्यों में उच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता है और उन्होंने "विकास के लिए कार्यसूची" से संबद्ध स्थिति दस्तावेज पारित किया जो संयुक्त राष्ट्र में इस विषय के संबंध में आगे विचार-विमर्श के लिए गुट निरपेक्ष आन्दोलन तथा जी-77 के सदस्यों के लिए एक समान आधार होगा।

इसी प्रकार, मंत्रिगण ने संयुक्त राष्ट्र की 50वीं वर्षगांठ पर औपचारिक घोषणा के दस्तावेजों को भी विधिवत स्वीकार किया। सुरक्षा परिषद् के सुधार से सम्बद्ध दस्तावेज को न्यूयार्क में "नाम" समन्वय ब्यूरो के पास उनको उसे और विस्तृत रूप देने के लिए वापिस भेज दिया। अप्रसार संधि के पुनरीक्षण एवं विस्तार सम्मेलन के संबंध में मंत्रियों के बीच विचार-विमर्श हुआ जिसका निष्कर्ष इस विषय पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उन देशों के मंत्रियों द्वारा समर्पित दस्तावेजों में प्रतिविम्बित होता है जो नाभिकीय अप्रसार संधि के पक्षकार राज्य हैं।

## विवरण

**उन देशों की सूची, जिन्होंने 21 से 27 अप्रैल, 1995 तक बान्डुंग, इंडोनेशिया में आयोजित गुटनिरपेक्ष समन्वय ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक एवं एशियाई-अफ्रीकी सम्मेलन के 40वें वर्षगांठ समारोह में भाग लिया।**

1. अफगानिस्तान
2. अल्जीरिया
3. अंगोला
4. बंगलादेश
5. बेलीज
6. बेनिन
7. भूटान
8. बोलिविया
9. बोत्सवाना
10. बुर्किना फासो
11. बुरून्डी
12. ब्रूनी दारू सलाम
13. कम्बोडिया
14. कैमरून
15. कैपवर्डे
16. मध्य अफ्रीकी गणराज्य
17. चाड
18. चिली
19. कोलम्बिया
20. कोमरोस
21. कोंगो
22. कोत दिवुआर
23. क्यूबा
24. साइप्रस
25. जिबूती
26. इक्वाडोर
27. एरिट्रिया
28. मिस्त्र
29. इथोपिया
30. गाम्बिया
31. घाना
32. गुआटेमाला
33. गिनी
34. गिनी बिसाऊ
35. गयाना
36. होंडुरस
37. भारत
38. इंडोनेशिया
39. ईराम
40. ईराक
41. जोर्डन
42. कीनिया
43. कोरिया (लोकतांत्रिक जन गणराज्य)
44. कुवैत
45. लाओस
46. लेबनान
47. लेसोथो
48. लाईबेरिया
49. लीबियाई (अरब जमाहरिय)
50. मैडागास्कर
51. मलावी
52. मलेशिया
53. मालदीव
54. माले
55. माल्टा
56. मारीतानिया
57. मारिशस
58. मंगोलिया
59. मोरक्को
60. मोजाम्बिक
61. म्यांमार
62. नामीबिया
63. नेपाल
64. निकारागुआ
65. नाइजर
66. नाइजीरिया
67. ओमान
68. पाकिस्तान
69. फिलीस्तीन
70. पपुआ न्यू गिनी
71. पनामा
72. पेरू

73. फिलीपीन्स
74. कतर
75. रवान्डा
76. साओ तोमे एन्ड प्रिन्सीप
77. सऊदी अरब
78. सेनेगल
79. सिआरा लिओने
80. सिंगापुर
81. श्रीलंका
82. दक्षिण अफ्रीका
83. सूडान
84. सूरीनाम
85. स्वाजीलैंड
86. सिरीआई अरब गणराज्य
87. तंजानिया
88. टोगो
89. थाईलैंड
90. ट्यूनिशिया
91. उगान्डा
92. संयुक्त अरब अमीरात
93. उजबेकिस्तान
94. बेनेजुएला
95. वियतनाम
96. यमन
97. जाम्बिया
98. जिम्बाब्वे

[अनुवाद]

## हुडको द्वारा ग्रामीण आवास

**4902. श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1995 तक ग्रामीण आवास के मामले में हुडको द्वारा राज्य-वार कुल कितना पूंजी निवेश किया गया;

(ख) राज्यवार कितनी नई आवासीय इकाइयां निर्मित की गईं;

(ग) राज्यवार कितनी विद्यमान आवासीय इकाइयों का सुधार किया गया; और

(घ) ऋण, अनुदान तथा प्रत्यक्ष पूंजी निवेश द्वारा अलग-अलग कुल कितना पूंजी निवेश किया गया ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

## आवास एजेंसियों को "हुडको" से ऋण

**4903. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में विभिन्न आवास एजेंसियों को "हुडको" द्वारा किए जाने वाले "ऋण में प्रतिवर्ष कमी आ रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न आवास एजेन्सियों को "हुडको" द्वारा कुल कितनी राशि के ऋण मंजूर किए गए तथा जारी किए गए;

(घ) क्या "हुडको" द्वारा उत्तर प्रदेश में विविभिन्न आवास एजेन्सियों के लिए मंजूर की गई ऋण राशि में वृद्धि करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) से (ङ) हुडको द्वारा वर्ष 1992-93, 1993-94 तथा 1994-95 के दौरान उत्तर प्रदेश में एजेन्सियों को किये गये ऋण नियतन, इस अवधि के दौरान इन एजेन्सियों को ऋण स्वीकृति तथा किये गये वास्तविक रिलीज का विवरण इस प्रकार है :-

| वर्ष | ऋण नियतन | ऋण स्वीकृति | ऋण रिलीज |
|---|---|---|---|
| 1992-93 | 71.95 | 90.28 | 36.06 |
| 1993-94 | 78.09 | 76.61 | 28.87 |
| 1994-95 | 83.29 | 66.77 | 23.35 |

हुडको प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारम्भ में प्रत्येक राज्य को उसकी आबादी तथा क्षेत्रफल के आधार पर ऋण नियतन करता है और प्रत्येक राज्य सरकार को उसकी सूचना देता है। तथापि, वास्तविक स्वीकृति और ऋण सहायता को रिलीज करना राज्य एजेंसियों से प्राप्त अन्तिम रूप दी गई स्कीमें (अनुमोदित दिशानिर्देशों क अनुसार) तथा हुडको के पास धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस राज्य को स्वीकृति और रिलीज में कमी, उत्तर प्रदेश में कतिपय एजेन्सियों द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान में चूक के कारण हुई है जो उन्हें हुडको द्वारा और किए जाने वाले वित्त पोषण के लिए अपात्र बनाती है।

## निविदाओं संबंधी प्रक्रिया

**4904. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार कम कीमत पर विद्युत की बिक्री करने वाले उत्पादकों से अपने बचाव हेतु विद्युत परियोजनाओं की निविदाओं का पुनर्मूल्यांकन करने हेतु कोई प्रक्रिया निर्धारित कर रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार अंतर्राष्ट्रीय निविदाओं के पश्चात् चुने जाने वाले प्रस्तावों का भी पुनर्मूल्यांकन करने की प्रक्रिया शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो किसी भी गड़बड़ी को रोकने के लिए कोई व्यवस्था की जाएगी; और

(घ) विद्युत निविदाओं के पुनर्मूल्यांकन हेतु सरकार द्वारा निर्धारित नए मानदंडों की मुख्य बातें क्या हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) से (घ) फरवरी, 1995 से सरकार ने सभी निजी विद्युत परियोजनाओं के संबंध में प्रति पर्यात्मक बोली प्रक्रिया को अनिवार्य बना दिया है, और राज्य सरकारों को तदनुसार सलाह प्रदान की गई है तथापि, बोलियां आमंत्रित करना तथा मूल्यांकन करने की जिम्मेवारी राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों/क्रियान्वयन एजेन्सियों की है और भारत सरकार इस संबंध में कोई प्रत्यक्ष भूमिका नहीं निभाती है। सामान्यत: बोलियां आमंत्रित करने के प्रत्युत्तर में उचित बोलियां न मिलने पर नई बोलियां आमंत्रित की जा सकती हैं।

## भारतीय विदेश सेवा

**4905. श्री सुशील चन्द्र वर्मा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय विदेश सेवा में कितनी महिलाओं और कितने पुरूषों की नियुक्ति की गई; और

(ख) उनमें से कितने व्यक्ति अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित हैं ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय विदेश सेवा में नियुक्त किए गए व्यक्तियों की लिंग-अनुसार संख्या इस प्रकार हैं :

| वर्ष | पुरूष अधिकारी | महिला अधिकारी | कुल |
|---|---|---|---|
| 1992 | 11 | 1 | 12 |
| 1993 | 14 | 1 | 15 |
| 1994 | 9 | 6 | 15 |

(ख) उनमें से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या इस प्रकार हैं :

| वर्ष | अनुसूचित जाति | | | अनुसूचित जन जाति | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | पुरूष | महिला | कुल | पुरूष | महिला | कुल |
| 1992 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 1993 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 |
| 1994 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 |

## कश्मीर समस्या

**4906. श्री चित्त बसु** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने लम्बे समय से चली आ रही कश्मीर समस्या के बाह्य आयामों की जांच कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्य-योजना तैयार कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)** : (क) और (ख) पाकिस्तान अन्तर्राष्ट्रीय मंचों में जम्मू एवं कश्मीर के मसले को उठाता रहा है और भारत के विरूद्ध एक दुष्प्रेरित अभियान चलाता रहा है। इसने उग्रवाद को बाहर से मिलने वाले समर्थन के संबंध में जम्मू एवं कश्मीर में स्थिति के सही तथ्यों के बारे में अन्तर्राष्ट्रीय राय को भ्रमित करने का प्रयास किया है। जम्मू एवं कश्मीर के बारे में भारत के साथ अपने मतभेदों के कारण इस उप-महाद्वीप में सुरक्षा संबंधी वातावरण की तोड़-मरोड़ कर छवि प्रस्तुत करने के पाकिस्तान के प्रयासों का उद्देश्य यह है कि इसमें कोई तीसरा पक्ष मध्यस्थता करे। पाकिस्तान ने समय-समय पर जम्मू एवं कश्मीर के मसले को धार्मिक-पुट देने का भी प्रयास किया है, विशेषकर इस्लामी देशों के संगठन के सदस्यों के बीच।

(ग) और (घ) सरकार पाकिस्तान के भारत-विरोधी अभियान और जम्मू एवं कश्मीर के मसले को अन्तर्राष्ट्रीय मसला बनाने के उसके प्रयासों को शिमला समझौते की भावना के प्रतिकूल मानती है। पाकिस्तान की इन नकारात्मक कार्रवाइयों से द्विपक्षीय संबंधों का वातावरण दूषित होता है और ये अन्तर-राज्य संबंधों के सार्वभौम रूप से स्वीकृत मानदंडों के विपरीत हैं। हम इस बात के प्रति दृढ़ता से वचनबद्ध हैं कि पाकिस्तान के साथ सभी मतभेदों का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से शिमला समझाते की रूपरेखा के अन्दर द्विपक्षीय बातचीत के जरिए किया जाए। इसमें किसी तीसरे देश को शामिल करने की कोई गुंजाइश नहीं है। सरकार ने जम्मू एवं कश्मीर की स्थिति के बारे में सही तथ्यों से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय, जिसमें इस्लामी देशों के संगठन के सदस्य शामिल हैं, को अवगत कराने के लिए सभी कदम उठाए हैं और उठाती रहेगी। सरकार आतंकवादियों का सामना करने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए कृत संकल्प है और भारत के विरूद्ध निर्देशित कार्यकलापों के लिए बाहरी क्षेत्रों से दी जाने वाली सामग्रीगत वित्तीय या किसी अन्य प्रकार की सहायता के प्रति सतर्क रहेगी।

## भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण

**4907. श्री शोभानाद्रीश्वर राव वाड्डे** : क्या जल-भूतल

परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलमार्गों से माल ढुलाई को प्रोत्साहन देने हेतु भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके द्वारा कौन-कौन सी परियोजनाएं शुरू की गई है उनकी अनुमानित लागत कितनी है, कितनी धनराशि का उपयोग किया जा चुका है और वास्तव में कितना लक्ष्य प्राप्त किया गया है?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा (आई॰ डब्ल्यू॰ ए॰ आई॰) को देश में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और उनके रख-रखाव के लिए 1986 में एक सांविधिक स्वायत्तशासी संगठन के रूप में गठित किया गया था। राष्ट्रीय जलमार्गों में माल/कार्गो का परिवहन केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम, कलकत्ता (सार्वजनिक क्षेत्र का एक उपक्रम) और निजी प्रचालकों द्वारा किया जाता है। तथापि, आई॰ डब्ल्यू॰ टी॰ के माध्यम में माल के परिवहन को बढ़ावा देने के लिए आई॰ डब्ल्यू॰ ए॰ आई॰ ने निम्नलिखित स्कीमें लागू की हैं:-

(i) निजी उद्यमियों द्वारा जलयानों की खरीद के लिए ब्याज सब्सिडी ऋण सुविधा उपलब्ध है, ताकि उनके द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से लिए गए ऋण पर ब्याज के बोझ को 5.5% तक कम किया जा सके। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इस स्कीम के लिए प्रदत्त 3.00 करोड़ रु॰ की राशि में से मार्च, 1995 तक इस पर 1.35 करोड़ रु॰ व्यय हो चुके हैं।

(ii) विशेष रूप में राष्ट्रीय जलमार्ग-1 में प्रयोगात्मक व प्रोन्नयन के रूप में आई॰ डब्ल्यू॰ टी॰ प्रचालनों के लिए स्वीकृत 84.00 लाख रु॰ की अनुमानित लागत संबंधी स्कीम के तहत एक वर्ष की अवधि के लिए प्रयोग के तौर पर प्रचालन हेतु 2 जलयान गोवा बार्ज प्रचालक संघ को बगैर किसी भाड़े के दिए गए हैं। अभी तक इस स्कीम पर 25.07 लाख रु॰ व्यय हुए हैं।

(iii) आई॰ डब्ल्यू॰ ए॰ आई॰ की गंगा और ब्रह्मपुत्र में आई॰ डब्ल्यू॰ टी॰ को बढ़ावा दिए जाने संबंधी स्कीम के अंतर्गत यंत्रीकृत टर्मिनल, रात्रि नौचालन सुविधाओं इत्यादि जैसी आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं न होने के कारण प्रति नदी कि॰ मी॰ प्रति टन कार्गो की ढुलाई के लिए 10 पैसे की प्रतिपूर्ति दी जाती है। दिसम्बर, 93 से मार्च, 1995 तक इस बारे में 30.57 लाख रु॰ व्यय हुए हैं।

## उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन

4908. **श्री लाल बहादुर रावल :**

**श्री हरि केवल प्रसाद :**

**श्री अर्जुन सिंह यादव :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड और राज्य की अन्य विद्युत परियोजनाओं की कुल अधिष्ठापित क्षमता कितनी है, और 1994-95 के दौरान उन्होंने कितनी मात्रा में विद्युत का उत्पादन किया;

(ख) राज्य में आठवीं योजना अवधि के दौरान सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में लगायी जा रही/लगाने हेतु प्रस्तावित परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) इन विद्युत परियोजनाओं को वित्त पोषित करने की प्रक्रिया क्या है;

(घ) क्या ऐसी परियोजनाओं की लागत में वृद्धि हुई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) 31.3.95 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड की अधिष्ठापित क्षमता और उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय विद्युत परियोजनाएं और वर्ष 1994-95 के दौरान उनसे उत्पादित विद्युत की मात्रा निम्नलिखित है :-

| संगठन | 31.3.95 की स्थिति के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता (मे॰ वा॰) | विद्युत उत्पादन (मि॰ यू॰) 1994-95 |
|---|---|---|
| **उत्तर प्रदेश रा॰ बि॰ बोर्ड** | | |
| ताप विद्युत | 4570.19 | 15612 |
| जल विद्युत | 1504.55 | 6058 |
| जोड़ : | 6074.74 | 21670 |
| **उत्तर प्रदेश में स्थित केन्द्रीय परियोजनाएं** | | |
| ताप विद्युत | 5729 | 31128 |
| जल विद्युत | 120 | 466 |
| न्यूक्लीय | 455 | 958 |
| जोड़ : | 6304 | 32544 |

(ख) से (ङ) आठवीं योजना अवधि के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य में 1138.5 मे० वा० की क्षमता अभिवृद्धि करने की परिकल्पना की गई है। इसमें 1000 मे० वा० की क्षमता मार्च, 1995 तक पहले ही चालू कर दी गई है।

उत्तर प्रदेश राज्य में स्थिति केन्द्रीय परियोजनाओं, जिनकी कुल क्षमता 1185 मे० वा० है, को भी आठवीं योजना के दौरान अब तक चालू कर दिया गया है।

निजी क्षेत्र के अन्तर्गत ताप विद्युत केन्द्र अधिष्ठापित करने हेतु के० वि० प्रा० में निम्नलिखित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

| क्रम सं० | परियोजनाओं का नाम | क्षमता (मे० वा०) | अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में) |
|---|---|---|---|
| (1) | मै० इण्डो-गल्फ फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स कारपोरेशन लि० द्वारा शाहजहाँपुर में रोस टी० पी० एस०2 | 2 × 250 | 2236.94 |
| (2) | मै० पेसिफिक इलैक्ट्रिक पावर डेवलपमेंट कारपोरेशन, कनाडा द्वारा जिला एटा में जवाहरपुर टी० पी० एस० | 2 × 400 | 3576.00 |

उत्तर प्रदेश में लागत अभिवृद्धि समेत संयुक्त और राज्य क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा निम्नलिखित है :-

| क्रम सं० | परियोजना का नाम | अधिष्ठापित क्षमता सं० × मे० वा० = कुल | वित्तपोषण एजेंसी | अनुमानित लागत वास्तविक (करोड़ रुपये में) | अनुमानित लागत अनंतिम | लागत में अभिवृद्धि होने के कारण |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **क.** | **संयुक्त क्षेत्र** | | | | | |
| 1. | टिहरी चरण-I | 4 × 250 = 1000 | घरेलू | 197.92 4 × 150 मे० वा० के लिए | 2815 | क्षमता में परिवर्तन, निधियों में कमी और सिविल कार्यों में विलम्ब होना |
| **ख.** | **राज्य क्षेत्र** | | | | | |
| 2. | मेनरी भाली चरण-2 | 4 × 76 = 304 | घरेलू | 82.63 3 × 52 मे० वा० के लिए | 659.18 | क्षमता में परिवर्तन निधियों में कमी और सिविल कार्यों में विलम्ब होना। |
| 3. | श्रीनगर | 6 × 55 = 330 | निजी (एम/स्डुंकन एग्रो) | 372.32 | 748.12 | सिविल कार्यों में विलम्ब भूमि अधिग्रहण में समस्या होने के कारण और विश्व बैंक ऋण के रद्द होने के कारण |
| 4. | सोवला | 2 × 3 = 6 | घरेलू | 7.47 | 15.98 | 15.98 सिविल कार्यों में विलम्ब |

(च) निर्धारित समय से अधिक समय न लगने देने के लिए, जिनके फलस्वरूप लागत में अभिवृद्धि होती है, सरकार/सम्बन्धित क्रियान्वयन एजेंसियों द्वारा सभी सम्भव प्रयास किए जा रहे हैं। विद्युत परियोजनाओं के क्रियान्वयन की गहन मानीटरिंग, जैसाकि परियोजना कार्य-स्थलों का दौरा, परियोजना प्राधिकरणों और प्रमुख उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं के साथ समीक्षा बैठकें उच्चतम स्तर पर आयोजित की जा रही हैं ताकि कठिनाइयों को अभिज्ञात किया जा सके और परियोजनाओं को समय पर पूरा किए जाने के लिए उपयुक्त उपचारात्मक उपाय किए जा सकें। समय पर आवश्यक निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु और समय में वृद्धि को रोकने के वास्ते, सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं:-

(1) ताप विद्युत तथा जल विद्युत परियोजनाओं हेतु अग्रिम कार्रवाई किए जाने हेतु प्रावधीन करना तथा दो-स्तरीय स्वीकृति को अपनाया जाना।

(2) ठेकेदारों द्वारा कार्यों को समय पर पूरा किए जाने के लिए प्रोत्साहनों/गैर-प्रोत्साहनों को आरम्भ करना।

(3) 50 करोड़ रुपये तक की लागत वाली परियोजनाओं के लिए पी॰ आई॰ बी॰ स्वीकृति से छूट देना।

(4) प्रथम चरण की स्वीकृति के पश्चात् भूमि अधिग्रहण।

(5) संविदा और परियोजना प्रबन्ध का सशक्तिकरण।

**[हिन्दी]**

## बिहार में खनिज प्रबंधन

**4909. श्री राम प्रसाद सिंह** : क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार खनिज प्रबंधन, विनियमन और विकास का अंतरण राज्य सरकारों को करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव)**: (क) ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

**[अनुवाद]**

## एशियाई आर्थिक समुदाय

**4910. श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 दिसम्बर, 1994 को दिल्ली में भूमंडलीकरण पर आयोजित राष्ट्रीय सेमिन में "सार्क" को मजबूत बनाए जाने की सर्वसम्मति से मांग की गई तथा व्यापार एवं अर्थव्यवसथा को सुदृढ़ बनाने हेतु भारत के नेतृत्व में एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन की मांग की गई; और

(ख) यदि हां, तो एशियाई आर्थिक समुदाय के गठन पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) सरकार को इस बात की जानकारी है कि हाल ही के महीनों में संगोष्ठियों और बैठकों ने इस आशय के प्रस्ताव किए हैं कि आर्थिक तथा व्यापार के क्षेत्रों में क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाया जाए।

(ख) सरकार दिपक्षीय, क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय तंत्रों के जरिए एशिया के देशों के बीच आर्थिक तथा व्यापारिक सहयोग को सुदृढ़ करने के पक्ष में है।

## भारत-नेपाल सीमा में स्वतंत्र आवाजाही

**4911. डा॰ कृपासिन्धु भोई** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारत-नेपाल सीमा में लोगों की स्वतंत्र आवाजाही और प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) क्या भारत और नेपाल के लोगों को अपने-अपने देश में जाने के लिए पारपत्र की आवश्यकता होती है; और

(ग) यदि हां, तो ये नए नियम किस तिथि से लागू किए जायेंगे?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

## केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लकड़ी के उपयोग पर रोक

**4912. श्री अंकुशराव टोपे** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने निर्माण कार्य में लकड़ी का उयोग बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या किसी वैकल्पिक पर्यावरण अनुकूल, निर्माण सामग्री का पता लगा लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस सामग्री को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) पहचान की गई वैकल्पिक सामग्रियां इस प्रकार हैं :-

(क) एम॰ डी॰ एफ॰ (मिडीयम डेनसिटी फाइबर बोर्ड) शटर्स।

(ख) एफ॰ आर॰ पी॰ (फाइबर रिइन्फोर्सड प्लास्टिक) शटर्स।

(ग) यूकालिप्टस शटर्स।

(घ) ई॰ पी॰ एस॰ (एक्सपेन्डेड पालीस्टीरेन) शटर्स।

(ङ) आर॰ एम॰ पी॰ (रेडीमेड पालीमेर) शटर्स।

(च) पार्टिकल बोर्ड शटर्स।

(छ) एल॰ वी॰ एल॰ (लिमिनेटेड बिनीर लम्बर) शटर्स।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग ने उक्त सामग्रियों के उपयोग के लिए अपनी सभी यूनिटों को निर्देश जारी किए हैं। के॰ लो॰ नि॰ विभाग, इन सामग्रियों के भावी उत्पादकों को सूचीबद्ध करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं।

## पश्चिम तटीय नहर में नौपरिवहन

**4913. श्री कोडीकुन्नील सुरेश** : क्या जल-भूतल

**परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल से पश्चिम तटीय नहर में पर्याप्त नौपरिवहन सुविधाओं के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) कोवलम और कसेरगढ़ के बीच पश्चिमी तटीय नहर की पूर्ण लम्बाई, पश्चिमी तटीय नहर (168 कि॰ मी॰) के कोल्लम-कोट्टापुरम खण्ड, चम्पाकारा नहर (14 कि॰ मी॰) और उद्योग मंडर नहर (23 कि॰ मी॰) पर योजनाबद्ध सर्वेक्षण और अध्ययन के पश्चात् ही इन्हें 1 फरवरी, 1993 से राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है। भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग-प्राधिकरण राष्ट्रीय जलमार्गों की नौगम्यता के सुधार और रख-रखाव हेतु इनके निकर्षण; चैनल मार्किंग आदि विभिन्न विकास संबंधी कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार हैं। भूमि अधिग्रहण के पश्चात् टर्मिनलों का निर्माण, नहर के संकरे खंडों को चौड़ा करना आदि जैसे मुख्य अवसंरचनात्मक कार्य प्रारम्भ करने का प्रस्ताव है।

## केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अग्नि शमन प्रणाली

**4914. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसद :**

**श्री तारा सिंह :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 11 जनवरी, 1995 के हिन्दुस्तान टाइम्स में "सी॰ पी॰ डब्ल्यू॰ डी॰ फायर फाइटिंग सिस्टम नान फंक्शनल" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा नियंत्रित इमारतों में अग्नि शमन उपकरण अपर्याप्त हैं जिसके परिणामस्वरूप क्षति होती है, जैसा कि ऊपर उल्लिखित समाचार में बताया गया है;

(ग) क्या इमारतों में लगाये गये उपकरणों का नियमित रूप से निरीक्षण किया जाता है और पुराने उपकरणों को बदल दिया जाता है तथा खराबियों को सही समय पर दुरूस्त कर दिया जाता है;

(घ) क्या सरकार का केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की अग्नि शमन प्रणाली को बढ़ाने और सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) अधिकांश भवनों के अग्नि शमन उपायों में केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा अग्नि शमन तथा अग्नि सुरक्षा अधिनियम, 1986 और उसके तहत बनाये गये नियमों के अनुसार सुधार किया गया है। कथित घटना के समय प्रगति विहार होस्टल भवन की पूरी अग्नि शमन प्रणाली कार्यात्मक थी और आग दखलकार की लापरवाही की वजह से लगी थी।

(ग) पता लगते ही केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा दोषों को सुधारने हेतु समयोचित कार्रवाई की जाती है।

(घ) से (च) उपर्युक्त भाग (ख) के उत्तर के संदर्भ में फिलहाल ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

## केन्द्रीय सड़क निधि

**4915. श्री श्रीराम कापसे** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्त मंत्रालय केन्द्रीय सड़क निधि के लिये लगभग उनचास करोड़ रुपए की धनराशि देने पर सहमत है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी हां। वित्त मंत्रालय ने वर्ष 1994-95 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि के लिए 48.24 करोड़ रू॰ की अतिरिक्त धनराशि जारी की थी। यह धनराशि अनुपूरक अनुदानों में उपपलब्ध कराई गई थी और विभिन्न राज्य सरकारों को मार्च, 1995 में धनराशि जारी कर दी गई थी।

## परमाणु परिसीमन संधि के संबंध में ईरान के साथ वार्ता

**4916. श्री रवि राय** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ईरान, परमाणु अप्रसार संधि को इसके वर्तमान स्वरूप में आगे जारी रखे जाने के विरूद्ध है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मुद्दे पर ईरान के राष्ट्रपति के साथ उनके हाल के भारत के राजकीय दौरे के अवसर पर विचार-विमर्श हुआ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या परिणाम निकले ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) बताया जाता है कि ईरान के विदेश मंत्री ने इस समय न्यूयार्क में हो रहे अप्रसार संधि समीक्षा तथा विस्तार सम्मेलन के बारे में 21 अप्रैल, 1995 को एक वक्तव्य देकर अन्य बातों के साथ-साथ यह मांग की थी कि सम्मेलन को

चाहिए कि वह "एक समुचित तथा सार्थक समय-सीमा के भीतर अप्रसार संधि की कमियों और त्रुटियों को दूर करें", और उन्होंने यह भी मांग की कि इसकी सतत् समीक्षा की जानी चाहिए और इसके विस्तार के बारे में सर्वसम्मति कायम की जाए।

(ग) और (घ) 17 से 19 अप्रैल, 1995 तक ईरान के राष्ट्रपति की भारत की यात्रा के दौरान अप्रसार संधि पर संक्षिप्त विचार-विनिमय हुआ था। भारत और ईरान ने यह बात दोहराई थी कि वे अन्तर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा कायम रखने के लिए विशेषरूप से सामूहिक विनाश के शस्त्रों के संदर्भ में आवश्यक सामान्य तथा पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति कृतसंकल्प हैं; उन्होंने सामान्य निरस्त्रीकरण के लिए सार्वभौमिक तथा भेदभाव रहित उपायों के महत्व पर बल दिया; और उन्होंने इस बात की पुन: पुष्टि की कि निरस्त्रीकरण के मसलों पर नियमित परामर्श की आवश्यकता है।

## राष्ट्राध्यक्षों की भारत की यात्राएं

**4917. श्री भावना चिखलिया** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1992 से जनवरी, 1995 के दौरान विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों की भारत की यात्राओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उन यात्राओं के दौरान संस्कृति सहित विभिन्न क्षेत्रों में कोई समझौता या संधियां हुई थीं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी यात्रा-वार ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) से (ग) सूचना नीचे लिखे अनुसार है।

### मंगोलिया

राष्ट्रपति पी. ओचिरबात ने 21 से 25 फरवरी, 1994 तक भारत की यात्रा की इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए गए :

(i) मैत्रीपूर्ण एवं सहयोग संधि।

(ii) आर्थिक, व्यापारिक, वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक सहयोग के संबंध में एक संयुक्त समिति के गठन के संबद्ध करार।

(iii) वर्ष 1994, 1995 और 1996 के लिए संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम।

(iv) आय और पूंजी पर करों के संबंध में दोहरे कराधान के परिहार तथा वित्तीय अपवंचन से संबद्ध करार।

(v) 1994-96 की अवधि के लिए स्वास्थ्य एवं आयुर्विज्ञान के क्षेत्र में सहयोग कार्यक्रम

### गयाना सहकारी गणराज्य

गयाना सहकारी गणराज्य के राष्ट्रपति डा. चेदी जगन 24 से 31 दिसम्बर, 1993 तक भारत की यात्रा पर आए। गयाना के राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान विदेश राज्य मंत्री (सलमान खुर्शीद) और गयाना के विदेश मंत्री के बीच राजनयिक/सरकारी/विशेष पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा समाप्त करने के वास्ते पत्रों का आदान-प्रदान किया गया; 1994-96 की अवधि के लिए सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम पर हस्ताक्षर किए गए; सी. एस. आई. आर. और गयाना के आई. ए. एस. वी. के बीच सहयोग संबंधी एक प्रोतोकोल पर हस्ताक्षर किए गए; और तुंगभद्रा मशीन टूल्स और गयाना के मैसर्स डेमेरा डिस्टीलेरीज के बीच एक करार पर भी हस्ताक्षर किए गए।

### अर्जेन्तीना

अर्जन्टीना गणराज्य के राष्ट्रपति डा. कार्लोस सौल मेनेम जी-15 की बैठक में भाग लेने और द्विपक्षीय बातचीत करने के लिए मार्च, 1994 में भारत आए। अर्जन्टीना के राष्ट्रपति की इस यात्रा के दौरान एग्जिम बैंक और अर्जन्टीना के समकक्ष बैंक के बीच सहयोग से संबद्ध एक करार पर हस्ताक्षर किए गए; राजनयिक/सरकारी पासपोर्ट धारकों के लिए वीजा से छूट देने के बारे में और दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के लिए एक संयुक्त आयोग के गठन के वास्ते भी विदेश मंत्री और अर्जन्टीना के विदेश मंत्री पत्रों का आदान-प्रदान किया गया; और सांस्कृतिक विनिमय कार्यक्रम के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

### मालदीव

मालदीव के राष्ट्रपति, जो राज्याध्यक्ष और शासनाध्यक्ष दोनों हैं, मार्च, 1994 में भारत आए। इस यात्रा के दौरान किसी करार/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

### श्रीलंका

इस अवधि के दौरान श्रीलंका के जो राज्य/शासनाध्यक्ष भारत आए, वे हैं:

(i) राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास 14 से 17 जनवरी, 1993 तक

(ii) राष्ट्रपति रणसिंघे प्रेमदास 12 से 15 अप्रैल, 1993 तक।

(iii) प्रधान मंत्री रनिल विक्रम सिंघे 21 से 23 जून, 1993 तक।

इन यात्रों के दौरान किसी करार/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

## रूस

1. रूस के राष्ट्रपति श्री बोरिस एन. येल्त्सिन 27 से 29 जनवरी, 1993 तक भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों/संधियों पर हस्ताक्षर किए गए :-

(i) मैत्री एवं सहयोग संधि

(ii) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के संबंध में समझौता ज्ञापन

(iii) विदेश कार्यालय परामर्शों से संबंद्ध प्रोतोकोल

(iv) सांस्कृतिक सहयोग संबंधी करार।

(v) रक्षा सहयोग के बारे में करार

(vi) भारत के गृह मंत्रालय और रूस के सुरक्षा मंत्रालय के बीच सहयोग करार

(vii) स्वापकों और मन: प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए सहयोग करार।

(viii) सूचना के संबंध में सहयोग करार।

(ix) भारत में सहयोग से संबद्ध पत्रों का आदान-प्रदान।

(x) रुपये-रुबल मसले के संबंध में करार।

2. रूसी परिसंघ के प्रधान मंत्री श्री वी. ए. चेर्नोमीरदीन 21 से 24 दिसम्बर, 1994 तक सरकारी यात्रा पर भारत आए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) वर्ष 2000 तक की अवधि के लिए सैन्य एवं तकनीकी सहयोग संबंधी दीर्घ कालिक कार्यक्रम का कार्यान्वयन।

(ii) पूंजी निवेश का संवर्धन एवं आपसी संरक्षण

(iii) भारत में कतिपय पण्यों का दीर्घावधि क्रम

(iv) शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए वाह्य अंतरिक्ष के अन्वेषण और उपयोग के संबंध में सहयोग।

(v) राजनयिक और कोंसली मिशनों के अधिकारियों और कर्मचारियों तथा उनके परिवार के सदस्यों के लिए बहु-प्रवेश वीजा के मसले के संबंध में समझौता ज्ञापन।

(vi) मर्चेंट शिपिंग से संबद्ध करार।

(vii) सूचना के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध जनवरी, 1993 के द्विपक्षीय करार को क्रियान्वित करने के लिए प्रोतोकोल।

(viii) अन्तर-सरकारी भारत रूसी संयुक्त आयोग के क्षेत्र का विस्तार करने के बारे में पत्रों का आदान-प्रदान।

## माल्दोवा

माल्दोवा के राष्ट्रपति श्री मीरसी आयोन स्नेगर 17-19 मार्च, 1993 तक सरकारी यात्रा पर भारत आए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए :

(i) सहयोग के सिद्धान्तों और दिशा-निर्देशों के संबंध में घोषणा।

(ii) शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति, कला, जन संचार, खेलकूद, पर्यटन और युवा सेवाओं के क्षेत्र में सहयोग के संबंध में करार।

(iii) विदेश मंत्रालय और माल्दोवा के विदेश मंत्रालय के बीच परामर्श संबंधी प्रोतोकोल।

(iv) व्यापार एवं आर्थिक सहयोग के संबंध में करार।

(v) आर्थिक एवं तकनीकी सहयोग (आइटेक) से संबद्ध करार।

(vi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सहयोग के संबंध में करार।

## बेलारूस

बेलारूस के प्रधान मंत्री श्री वी. एफ. केविच 12 से 15 मई, 1993 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए:

(i) सहयोग के सिद्धान्तों और दिशा-निर्देशों के संबंध में घोषणा।

(ii) संस्कृति, कला, शिक्षा, जन-संचार, खेलकूद और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।

(iii) व्यापारिक एवं आर्थिक सहयोग के संबंध में करार।

(iv) पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से संबद्ध करार।

(v) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग संबंधी करार।

(vi) विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग के बारे में समझौता ज्ञापन।

(vii) सरकारी अधिकारियों के लिए वीजा मुक्त यात्रा के संबंध में करार।

## चेक गणराज्य

चेक गणराज्य के राष्ट्रपति महामान्य वास्लाव हावेल 6 से 11 फरवरी, 1994 तक भारत की सरकारी यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान किसी करार/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

## पोलैंड

पोलैंड के राष्ट्रपति श्री लेच वासेल 2 से 8 मार्च, 1994 तक राजकीय यात्रा पर भारत आए। इस यात्रा के दौरान किसी करार/संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

## स्लोवाक गणराज्य

स्लोवाक गणराज्य के राष्ट्रपति श्री जोसेफ मोरावित्क 7 से 8 जुलाई, 1994 को सरकारी यात्रा पर भारत आए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए :-

(i) भारत के विदेश मंत्रालय और स्लोवाक गणराज्य के विदेश मंत्रालय के बीच विदेश कार्यालय परामर्शों के संबंध में प्रोतोकाल

(ii) भारतीय उद्योग महासंघ–और स्लोवाक संघ के बीच समझौता-ज्ञापन

(iii) विज्ञान एवं प्राद्योगिकी संबंधी समझौता ज्ञापन

## नारू

नारू के राष्ट्रपति श्री वर्ननार्ड दोवियोगो 9 से 11 जून, 1993 तक भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा का प्रमुख उद्देश्य भारत सरकार और नारू की सरकार के बीच एक संयुक्त उद्यम पारादीप फास्फट्स लिमिटेड में नोरू की सरकार की इक्विटी भारत सरकार द्वारा खरीदने के लिए एक करार सम्पनन करना था। भारत और नारू के बीच भागीदारी की समाप्ति से संबद्ध करार पर 10 जून, 1993 को हस्ताक्षर किए गए।

## भूटान

भूटान नरेश 2 से 7 फरवरी, 1993 तक राजकीय यात्रा पर भारत आए। उनकी इस यात्रा के दौरान संकोष परियोजना के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

## नेपाल

नेपाल नरेश 6 से 12 मई, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

## मलेशिया

मलेशिया के प्रधान मंत्री माननीय दातो सेरी डा० महाथीर मोहम्मद ने जी-15 की बैठक में भाग लेने के लिए 13 से 15 दिसम्बर, 1993 और 28 से 30 मार्च, 1994 तक की यात्रा की।

इस यात्रा के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

## इन्डोनेशिया

इन्डोनेशिया के राष्ट्रपति श्री सोहार्तो ने जी-15 की बैठक में भाग लेने के लिए 13 से 15 दिसम्बर, 1993 और 28 से 30 मार्च, 1994 तक भारत की यात्रा की।

इन यात्राओं के दौरान किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए गए।

## सिंगापुर

सिंगापुर के प्रधान मंत्री श्री गोह चोंक तोंग 24 से 30 जनवरी, 1994 तक भारत की यात्रा पर आए। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करारों पर हस्ताक्षर किए गए :–

(i) दोहरे कराधान के परिहार से संबद्ध करार

(ii) द्विपक्षीय जहाजरानी सेवाओं के संबंध में करार

(iii) पर्यटन के संबंध में समझौता ज्ञापन

(iv) बंगलौर में संयुक्त उद्यम आई० टी० पार्क में संबद्ध करार

(v) व्यापार सूचना के आदान-प्रदान के बारे में करार

सिंगापुर के प्रधान मंत्री श्री गो चोक तोंग ने दुबारा 4 से 6 जनवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी से सम्बद्ध एक करार सम्पन्न हुआ।

## मारीशस

मारीशस के राष्ट्रपति श्री कासिम उतीप ने 2 से 9 अप्रैल, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## तंज़ानिया

तंजानिया के राष्ट्रपति श्री अली हसन म्विन्यी ने 9 से 15 मई, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## उगांडा

उगांडा के राष्ट्रपति श्री योवेरी मुसेवेनी ने अपनी यात्रा के दौरान 3 से 4 अक्तूबर, 1993 तक भारत की मार्गस्थ यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## बुरकिना फासो

बुरकिना फासो के राष्ट्रपति श्री ब्लेज कोम्पाओर ने 30 मई से 3 जून, 1993 तथा 22 से 23 जुलाई, 1994 तक भारत की यात्रा की। इन यात्रों के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## घाना

घाना के राष्ट्रपति श्री जेरी रावलिंग्स ने 1 से 2 अक्तूबर, 1993 तक भारत की मार्गस्थ यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## जाम्बिया

जाम्बिया के राष्ट्रपति श्री एफ० जे० टी० चिलूबा ने 5 से 8 अक्तूबर, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान स्वापक तथा नशीली दवाइयों के नियंत्रण से सम्बद्ध करार सम्पन्न हुआ।

## जिम्बाब्वे

जिम्बाम्बे के राष्ट्रपति श्री राबर्ट मुगावे ने 13 से 15 दिसम्बर, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## कीनिया

कीनिया के राष्ट्रपति श्री डेनियल आराप मोई ने 2 से 3 मार्च, 1994 तक भारत की मार्गस्थ यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## टोगो

टोगो के राष्ट्रपति जर्नल ग्नासिंवे ऐडेमा ने 26 से 29 सितम्बर, 1994 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## दक्षिण अफ्रीका

दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डा॰ नेल्सन मंडेला ने 25 से 27 जनवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न हुए :-

(i) भारत गणराज्य और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के बीच अन्तर-राज्य संबंधों और सहयोग के सिद्धांतों के संबंध में संधि।

(ii) राजनीतिक, व्यापार, आर्थिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और तकनीकी सहयोग के लिए अन्तर-सरकारी संयुक्त आयोग की स्थापना के संबंध में भारत गणराज्य की सरकार और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य की सरकार के बीच करार।

(iii) भारत गणराज्य के विदेश मंत्रालय और दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के विदेश कार्य विभाग के बीच सहयोग के संबंध में प्रोतोकोल।

## यूनाइटेड किंगडम

ब्रिटेन के प्रधान मंत्री श्री जॉन मेजर ने 23 से 28 जनवरी, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत और यू॰ के॰ के बीच दोहरे कराधान के परिहार से सम्बद्ध एक संशोधित करार सम्पन्न हुआ।

## जर्मनी

जर्मनी के चांसलर डा॰ हेल्मुट कोल्ह ने 18 से 22 फरवरी, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## आयरलैंड

आयरलैंड की राष्ट्रपति श्रीमती मेरी रोविनसन ने 26 सितम्बर से 3 अक्तूबर, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय और आयरलैंड के विदेश मंत्रालय के बीच नियमित परामर्शों के सम्बद्ध एक विज्ञप्ति पर हस्ताक्षर हुए थे।

## स्वीडन

स्वीडन के महाराजाधिराज और महारानी ने 10 से 18 अक्तूबर, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## नीदरलैंड

नीदरलैंड के प्रधानमंत्री श्री आर॰ एफ॰ एम॰ लुब्बर्स ने 26 से 28 अक्तूबर, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कोई द्विपक्षीय करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## ताजिकिस्तान

ताजिकिस्तान के प्रधान मंत्री श्री अब्दुमलिक अब्दुलोजोनोव ने 14 से 18 फरवरी, 1993 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न हुए :-

(i) दोनों राज्यों के बीच सहयोग के सिद्धान्तों तथा दिशाओं से सम्बद्ध घोषणा।

(ii) व्यापार और आर्थिक सहयोग से सम्बद्ध करार।

(iii) आर्थिक और तकनीकी सहयोग से सम्बद्ध करार।

(iv) संस्कृति, कला, शिक्षा, पर्यटन, विज्ञान, जन-संचार (चलचित्रकला सहित) तथा खेल-कूद के क्षेत्रों में सहयोग से सम्बद्ध करार।

(v) दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों के बीच सहयोग से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

(vi) ताजिकिस्तान के वैदेशिक आर्थिक क्रियाकलाप के वाणिज्यिक बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक के बीच सहयोग से सम्बद्ध करार।

## कजाकिस्तान

कजाकिस्तान के राष्ट्रपति श्री एन॰ नजरबायेव ने 20 जुलाई, 1993 को भारत की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

## उजबेकिस्तान

उजबेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री आई॰ ए॰ करिमोव ने 3 से 5 जनवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित करार सम्पन्न हुए :-

(i) डाक तथा तत्संबंधी मामलों से सम्बद्ध करार।

(ii) दूर संचार से सम्बद्ध समझौता-ज्ञापन।

(iii) भारत-उजबेक विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी केन्द्र की स्थापना से सम्बद्ध प्रोतोकोल।

(iv) सांस्कृतिक सहयोग से सम्बद्ध करार।

(v) आर्थिक सम्पर्कों के विकास से सम्बद्ध सिद्धान्तों और व्यापक सहयोग सुदृढ़ करने से सम्बद्ध करार।

(vi) अन्तर-राज्य संबंधों और सहयोग के सिद्धान्तों से सम्बद्ध भारत-उजवेक संधि के अनुसमर्थन के दस्तावेजों का आदान-प्रदान।

## तुर्की

तुर्की के राष्ट्रपति श्री सुलेमान डेमिरल ने 31 जनवरी से 2 फरवरी, 1995 तक भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान कराधान के परिहार से सम्बद्ध करार और पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग से सम्बद्ध करार सम्पन्न हुए।

## उर्वरक एककों को पुनरुद्धार

**4918. डा० के० वी० आर० चौधरी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने भारतीय उर्वरक निगम, हिन्दुस्तान उर्वरक निगम और प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड के पुनरुद्धार की कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन एककों के पुनरुद्धार के लिए अलग-अलग कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(घ) इन एककों का पुनरुद्धार कार्य कब से आरम्भ किया जाएगा; और

(ङ) इस पुनरुद्धार कार्य से देश में उर्वरक की उपलब्धता में कितनी सुगमता होगी ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) से (घ) फर्टिलाइजर कार्पोरेशन आफ इंडिया लि० (एफ० सी० आई०) और हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लि० (एच० एफ० सी०) रुग्ण औद्योगिक कम्पनियां (विशेष प्रावधान) अधिनियम 1985 के अधीन रुग्ण कम्नियां घोषित की गयी हैं और उनके संबंध में कार्यवाहियां बी० आई० एफ० आर० के समक्ष लम्बित हैं। उन कार्यवाहियों के संदर्भ में सरकार ने अभी हाल में एफ० सी० आई० और एच० एफ० सी० के लिए पुनरूद्धार योजनाएं तैयार की हैं जिनमें सिद्धान्त रूप में, एफ० सी० आई० के सिन्दरी, रामागुण्डम और तालचर एककों तथा एच० एफ० सी० के दुर्गापुर, बरौनी तथा नामरूप एककों के पुनरूद्धार के माध्यम से पुनर्वास करना तथा एफ० सी० आई० के गोरखपुर एकक और एच० एफ० सी० की हल्दिया परियोजना को इस तथ्य को देखते हुए कि इन संयंत्रों का पुनरूद्धार व्यवहार्य नहीं है। किसी और को देना परिकल्पित है। पुनरूद्धार योजनाओं में पूंजीगत पुर्नसंरचना और अन्य वित्तीय रियायतों के अलावा एफ० सी० आई० के लिए 1736. 20 करोड़ रु० तथा एच० एफ० सी० के लिए 464.63 करोड़ रुपये का नया निवेश परिकल्पित है। इन एककों का पुनरुद्धार के लिए निधियों की अभी तक व्यवस्था नहीं की गई है। बी० आई० एफ० आर० के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए प्रोजेक्ट्स एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लि० (पी० डी० आई० एल०) के लिए किसी पुनरुद्धार योजना को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

इन कम्पनियों के एककों के पुनरुद्धार के संबंध में कोई अंतिम निर्णय बी० आई० एफ० आर० जो न्यायिक कल्प है, के समक्ष लम्बित कार्यवाहियों के परिणाम पर निर्भर करेगा।

(ङ) आशा है कि एफ० सी० आई० और एच० एफ० सी० के ऊपर निर्दिष्ट के प्रस्तावित पुनर्वास से पुनर्वास के पश्चात् क्रमश: 14 लाख मी० टन तथा 9.12 लाख मीटरी टन प्रति वर्ष के स्वदेशी यूरिया उत्पादन को बनाए रखने में मदद मिलेगी।

## शिपयार्डों/शिपिंग कम्पनियों को राज सहायता

**4919. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जहाजों के निर्माण हेतु भारतीय शिपयार्डों/शिपिंग कम्पनियों के लिए राज सहायता प्रदान करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) इस समय भारतीय शिपयार्डों को जलयानों के निर्माण के लिए निम्न प्रकार की सब्सिडी दी जा रही है :-

(i) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डो में समुद्रगामी पोतों के निर्माण के लिए सितम्बर, 1993 में घोषित मूल्य निर्धारण नीति के अनुसार भारतीय यार्डो में निर्मित किए जाने वाले समुद्रगामी पोतों का मूल्य इस आधार पर नियत किया जाए कि सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्ड खुली निविदा में भाग ले और उन्हें न्यूनतम बोली देने की अनुमति हो और उसके बाद वे उक्त मूल्य से 30% अधिक मूल्य के हकदार हों जिसमें से 20% का सरकार द्वारा और 10% का जहाज मालिक द्वारा भुगतान किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त भारतीय यार्डो को आर्डर देने वाली के नौवहन कम्पनियों को जलयान की लागत के 80% तक की राशि के ऋण 9% की रियायती पर दिए जा सकते हैं। मूल्य अमेरीकी डालर/जापानी येन में नियत किया जाता है और जहाज मालिक को प्रत्येक चरण के लिए शिपयार्ड को किश्तों में भुगतान करना होता है। ब्याज सब्सिडी को जल-भूतल परिवहन मंत्रालय द्वारा नियमित किया जाएगा। ये निधियां यार्डो के जरिए दी जाती हैं। सरकार द्वारा की जाने वाली सब्सिडी का भुगतान तत्कालीन बाजार के आधार पर निर्धारित विनिमय दर के अनुसार शिपयार्डो को प्राप्त होने वाले चरणबद्ध भुगतानों के साथ-साथ किया जाता है। मूल्य संबंधी यह लाभ सितम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए उपलब्ध है। इस अवधि तक भारतीय शिपयार्डो को अपने

कार्य निष्पादन में सुधार करके आत्मनिर्भरता के स्तर पर पहुंच जाना चाहिए।

(ii) 20 मीटर से अधिक लम्बाई के डीप सी फिशिंग ट्रालर्स के निर्माण के लिए जल-भूतल परिवहन मंत्रालय और रजिस्टर्ड शिपयार्ड देशी ट्रालरों के लिए 10% के वरियता मूल्य के अतिरिक्त अनुमत मूल्य पर 33% सब्सिडी के भी हकदार हैं। इसके अतिरिक्त इन यार्डो के लिए ट्रालर की लागत के 30% के मूल्य तक के निर्दिष्ट सूचीबद्ध हिस्से-पुर्जों और उपकरणों के नि:शुल्क और उपकरणों के नि:शुल्क आयात की सुविधा भी उपलब्ध है।

## गोवा में परिवहन सुविधाएं

**4920. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गोआ में राष्ट्रीय राजमार्गों पर परिवहन सुविधाओं को बेहतर बनाने/बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो गत पांच वर्षों के दौरान इस प्रयोजनार्थ प्रदान की गई और खर्च की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार से प्राप्त हुए प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और इस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** (क) से (ग) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

## समानांतर अवधि के आधार पर सरकारी आवास

**4921. श्री बलराज पासी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न मंत्रियों के पास ड्यूटी पर लगाये गये व्यक्तियों को मंत्रियों के कार्यकाल के समानांतर अवधि के लिए सरकारी आवास का आवंटन किया जाता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि मंत्रियों के कार्यकाल की समाप्ति पर उनके पास ड्यूटी पर लगे व्यक्तियों की सेवाएं विभिन्न मंत्रालयों द्वारा समाप्त किये जाने के बावजूद ये व्यक्ति सरकारी आवास पर अपना कब्जा बनाये हुए हैं;

(ग) ऐसे व्यक्तियों की संख्या कितनी है जिन्हें नई दिल्ली में ऐसे आवासों का आवंटन किया गया था परन्तु वे अपनी सेवाएं समाप्त किये जाने के बावजूद उन आवासों पर अपना कब्जा बनाये हुए हैं; और

(घ) यदि हाँ, तो ऐसे व्यक्तियों से इन आवासों को शीघ्रतापूर्वक खाली कराने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० के० थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) सूचना सकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

**[हिन्दी]**

## गुजरात की पन-बिजली परियोजनाएं

**4922. श्री एन० जे० राठवा** : क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चालू पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात की नदियों पर कुछ पन-बिजली परियोजनाएं लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ये परियोजनाएं कहां-कहां लगायी जायेंगी ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल)** : (क) से (ग) चालू पंचवर्षीय योजना (8वीं योजना) के दौरान गुजरात में निम्नलिखित जल विद्युत परियोजनाओं को आरम्भ किए जाने का प्रस्ताव है :-

| क्रम सं० | परियोजना का नाम और कार्यस्थल | अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०) | आठवीं योजना में प्रत्याशित अभिवृद्धि |
|---|---|---|---|
| 1. | कदाना पी० एस० एस० (2 × 60 मे० वा०) विस्तार (यूनिट 3, 7, 4) जिला-पंचमहल | 120 | 120 |
| 2. | सरदार सरोवर जल विद्युत परियोजना, मध्य प्रदेश/ महाराष्ट्र और गुजरात का संयुक्त उपक्रम (6 × 200 + 5 × 50) जिला : भरूच, गुजरात का हिस्सा 1450 मे० वा० का 16 प्रतिशत | 1450 (गुजरात का हिस्सा 232 मे० वा०) | 250 (गुजरात का हिस्सा 40 मे० वा०) |

**[अनुवाद]**

## अन्तर्राष्ट्रीय जूरी आयोग की रिपोर्ट

**4923. श्री मनोरंजन भक्त :**

**श्री विजय कृष्ण हान्डिक :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 22 मार्च, 1995 को राज्य सभा में विदेश राज्य मंत्री के कथनानुसार कश्मीर पर अंतर्राष्ट्रीय जूरी आयोग की रिपोर्ट देख ली है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आई॰ एस॰ आई॰ कश्मीर में उग्रवादियों की सहायता करती रही है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र संघ स्तर पर क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है और अब तक क्या परिणाम मिले हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) जी हां।

(ख) अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख बातें इस प्रकार हैं :–

–अधिकांशत: समाचार तंत्र और गैर-सरकारी संगठनों की खबरों पर भरोसा करते हुए अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग ने जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकारों के तथाकथित उल्लंघनों के संबंध में सरकार की आलोचना की, हालांकि उन्होंने यह स्वीकार किया कि इस राज्य में मानवाधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं।

–रिपोर्ट में इस बात को स्वीकार किया गया है कि उग्रवादियों द्वारा मानवाधिकारों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन किया गया है। तथापि रिपोर्ट इस तथ्य को समझने में असफल रही है कि आतंकवादी हिंसा से बहुसंख्य नागरिकों के मानवाधिकरों का संगठित रूप से और अस्वीकार्य ढंग से उल्लंघन होता है, तथा इससे राज्य में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में कठिनाइयां पेश आती हैं।

–अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि शिमला समझौता पाकिस्तान के लिए स्पष्ट रूप से वाध्यकर है और यह पाकिस्तान को जम्मू और कश्मीर में हस्तक्षेप करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं देता है। इस रिपोर्ट में यह माना गया है कि आई॰ एस॰ आई॰ जम्मू और कश्मीर में उग्रवादियों को सहायता दे रहा है।

–अन्तर्राष्ट्रीय विधिवेत्ता आयोग की रिपोर्ट में आत्म-निर्धारण के अधिकार के प्रयोग का भी जिक्र है जो अन्तर्राष्ट्रीय कानून के स्थापित सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। प्रोफ्रेसर मन्डेलसन का एक निष्पक्ष विचार इस रिपोर्ट में शामिल किया गया है जिसमें इस मसले को स्पष्ट किया गया है।

(ग) और (घ) जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को पाकिस्तान की दुष्प्रेरणा और उसका प्रायोजन तो सुविदित है। साकर ने इस मामले के वास्तविक तथ्यों को रखने के लिए संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर सभी समुचित कदम उठाए हैं जिनकी अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय ने सराहना की है।

## पेट्रोरसायन संयंत्रों में दुर्घटनाएं

**4924. डा॰ बसंत पवार :** क्या रसायन और रर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पेट्रोरसायन संयंत्रों में हुई दुर्घटनाओं का क्या ब्यौरा है; और

(ख) भविष्य में इस तरह की दुर्घअनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या एहतियाती कदम उठाए गए हैं ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):** (क) और (ख) जहां तक जानकारी उपलब्ध है, पिछले दो वर्षों के दौरान देश में पेट्रोकेमिकल क्रैकर/एरोमेटिक संयंत्रों में कोई विशेष दुर्घटना नहीं हुई। सभी निर्माण संयंत्रों की वैधानिक सुरक्षा आवश्यकताओं के अनुसार स्थापना करना और संचालित करना अपेक्षित है। संयंत्रों की स्थापना/संचालन के सुरक्षा पहलुओं से संबंधित वैधानिक उपबंधों के किसी भी उल्लंघन पर कानूनों और अधिनियमों के उपबंधों के और अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

## इस्पात कम्पनियों से श्रमिकों का स्थानान्तरण

**4925. श्री एस॰ एम॰ लालजन वाशा :** क्या इस्पात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने इस्पात कम्पनियों को अतिरिक्त श्रमिकों को एक इस्पात कम्पनी से दूसरी कम्पनी में स्थानान्तरित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो इस पर इस्पात कम्पनियों की क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या इस्पात कम्पनियों ने अपनी-अपनी श्रमिक क्षमता का पता लगाया है; और

(घ) यदि हां, तो सरकारी क्षेत्र की प्रत्येक इस्पात कम्पनी में फालतू और कम श्रमिकों का क्रमश: ब्यौरा क्या है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव):** (क) सरकार ने इस्पात उत्पादन करने वाली कम्पनियों को फालतू श्रमिक-शक्ति को एक इस्पात कम्पनी से दूसरी इस्पात कम्पनी में स्थानान्तरित करने की सलाह नहीं दी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) विशाखाट्टणम इस्पात संयंत्र में अधिशेष जनशक्ति नहीं है। विकसित देशों में इस्पात उद्योग के अन्तर्राष्ट्रीय मानकों तथा श्रमिक उत्पादकता को ध्यान में रखते हुए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लि॰ के पास अधिशेष श्रमिक शक्ति नहीं है। तथापि, अधिशेष श्रमिकों की सही संख्या तथा गठन कार्य प्रणालियों, प्रक्रियाओं, प्रौद्योगिकी तथा वार्षिक उत्पादन योजना इत्यादि पर निर्भर करेगा। आधुनिकीकरण इत्यादि के कारण उपयुक्त योजना, विद्यमान श्रमिक-शक्ति का पुनर्प्रशिक्षण और आवश्यकता के नये क्षेत्रों में

उनकी पुनर्नियुक्ति के जरिए श्रमिक-शक्ति के उपयोग का यौक्तिकीकरण शुरू किया गया है। श्रमिकों की संख्या में वृद्धि किए बिना उच्च उत्पादन की प्राप्ति के लिए भी प्रयास किए गए हैं। इससे उत्पादकता में सुधार होगा। इसके परिणामस्वरूप 1991 से 1995 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान "सेल" की उत्पादकता 77 टन/प्रतिश्रमिक वर्ष से बढ़कर 83 टन/प्रतिश्रमिक वर्ष हो गयी है।

## अफगानिस्तान को सहायता

**4926. श्री डी॰ वेंकटेश्वर राव** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफगानिस्तान सरकार ने अपने देश में पुनर्निमार्ण और पुनर्वास प्रक्रिया में सहायता करने की भारत से मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन प्रस्तावों की जांच की है;

(घ) यदि हां, तो सरकार अफगानिस्तान की इस कार्य में कितनी सहायता करने का विचार कर रही है;

(ङ) क्या भारत अफगानिस्तान में अपना दूतावास फिर से खोलने पर सहमत हो गया है; और

(च) यदि हां, तो भारतीय दूतावास वहां किस तिथि से अपना कार्य आरम्भ कर देगा ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) से (च) सदियों से अफगानिस्तान के साथ भारत के घनिष्ठ और मैत्रीपूर्ण संबंध रहे हैं। यह एक अत्यन्त दुख और क्षोभ की बात है कि अफगानिस्तान के हमारे मित्र लोग परीक्षण आरे दुख-तकलीफ के दौर से गुजर रहे हैं।

सरकार अफगानिस्तान को द्विपक्षीय आधार पर तथा संयुक्त राष्ट्र अभिकरणों के जरिए दोनों ही प्रकार से सहातया देती रही है और देती रहेगी। सरकार इस संबंध में अफगान प्राधिकारियों से निकट सम्पर्क बनाए हुए हैं।

अफगानिस्तान को दी जा रही सहायता पर अफगानिस्तान में अस्थिरता की स्थिति और संभार-तंत्र की कठिनाई के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सरकार को उम्मीद है कि 3 मई, 1995 से काबुल में भारत का राजदूतावास पुनः खोल दिए जाने से हमारे सहायता कार्यक्रमों के निष्पादन में सुविधा होगी।

सरकार ने हाल ही के महीनों में विमान से काबुल, हेरात और जलालाबाद को दवाइयों, खाद्य सामग्रियों तथा राहत-सामग्री की खेपें भेजी हैं। 2 मई, 1995 को इन्दिरा गांधी बाल स्वास्थ्य संस्थान के उपयोग के लिए दवाइयों की खेप काबुल भेजी गई थी भारत ने आईटेक कार्यक्रम के अधीन इस संस्थान की स्थापना 1980 में की थी और इसे अपेक्षित साज-सामान उपलब्ध कराया था। उम्मीद है कि दवाइयों से अगले कुछ महीनों के लिए इस हस्पताल की आवश्यकता पूरी हो सकेगी।

सरकार अफगान मरीजों के लिए आपात आधार पर भारत के हस्पतालों में चिकित्सा सहायता भी दे रही है। सरकार ने अफगानिस्तान को इस बात से अवगत कराया है कि वह ऐसी दिशाओं में तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम पुनः शुरू करने के लिए तैयार है जो वास्तव में व्यवहार्य और जिनसे इस समय अफगानिस्तान की प्राथमिक जरूरतें पूरी होती हों।

[हिन्दी]

## राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8

**4927. श्री गिरधारी लाल भार्गव** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 के किस खंड को अब तक चार लेनों का बनाया जा रहा हैं और उस पर कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ख) यह कार्य किस एजेंसी को सौंपा गया है;

(ग) क्या चौड़ा करने का यह कार्य निर्धारित समय पर पूरा हो जायेगा; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं॰ 8 के खंडों को चार लेन का बनाया जा रहा है और निम्नलिखित कार्य प्रगति पर है :-

| क्रम सं॰ | राज्य का नाम | कुल कि॰ मी॰ विभिन्न खंडों में) जहां कार्य प्रगति पर है। | (व्यय की गई राशि (लाख रु॰) 9/94 तक |
|---|---|---|---|
| 1. | राजस्थान | 78.5 | 3481.35 |
| 2. | गुजरात | 61.435 | 2591.77 |

(ख) राज्य लोक निर्माण विभाग।

(ग) और (घ) अधिकांश कार्य निर्धारित समय पर पूरे कर लिए जाने की संभावना है। तथापि संविदात्मक समस्याओं और निधियों के अभाव के कारण कुछ कार्यों की प्रगति निर्धारित समय से पीछे है।

[अनुवाद]

## यमुना पार क्षेत्रों का विकास

**4928. श्री हरिन पाठक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुनापार क्षेत्रों के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना/परियोजना के लिए कितनी धनराशि निधारित की गई है तथा इस पर कब से कार्य शुरू हो जाएगा ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने यमुना पार क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना का प्रारूप तैयार किया है, जिसमें औषधालयों, पॉली-क्लीनीकों, नर्सिंग होम, डिस्पेंसरियों, सभी स्तर के विद्यालयों, महाविद्यालयों, डाक व तार घर, पुलिस थाना, फायर स्टेशन, गेस के गोदामों, दूरभाष केन्द्रों, विभिन्न विपणन केन्द्रों, धार्मिक भवनों, सामुदायिक हाल, बारात घरों, खेल-कूद परिसर, सामाजार्थिक परिसर, पुरुष व महिला होस्टल, होटलों आदि का विकास और निर्माण शामिल है। डी॰ डी॰ ए॰ ने इस स्कीम/परियोजना के लिए 2514.15 लाख रुपये की धनराशि तय की है। यह स्कीम 1995-96 के दौरन शुरू की गई है।

## इंडियन पेट्रोकेमीकल्स लि॰ द्वारा पेराक्सीलीन का उत्पादन

**4929. प्रो॰ सुशांत चक्रवर्ती** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या-इंडियन पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड ने पेराक्सीलीन का निर्यात बन्द करने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या इंडियन पेट्रोकेमीकल्स लिमिटेड का विचार पेराक्सीलीन की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए इसका आयात करने का है;

(ग) यदि हां, तो पेराक्सीलीन के उत्पादन में गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाने का विचार किया गया है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) आई॰ पी॰ सी॰ एल ने बताया है कि अभी तक उन्होंने पैराजाइलिन का निर्यात नहीं किया है क्योंकि डाइमिथाइल टेरेफथेलेट के उत्पादन के लिए उनकी इन-हाऊस खपत के लिए इनकी जरूरत है।

(ख) 1994-95 में पैराजाइलीन का आयात करने की आई॰ पी॰ सी॰ एल॰ की कोई योजना नहीं है।

(ग) 1992-93 में और 1993-94 के आरंभ में कच्चे माल (सी 5 रिफौरैन्ट) की अधिक लागत के कारण फैराजाइलीन का उत्पादन कम हुआ था। चूंकि पैराजाइलीन की कीमत लाभकारी नहीं थी इसलिए इसका उत्पादन केवल इन-हाऊस जरूरतों तक सीमित था।

(घ) इंडियन आयल कारपोरेशन (आई॰ ओ॰ सी॰) और आई॰ पी॰ सी॰ एल॰ सी॰ 5 रिफॉरमेन्ट की परस्पर स्वीकार्य कीमत तय करने पर सहमत हो गये हैं। आई॰ पी॰ सी॰ एल॰ ने इस सामग्री की पर्याप्त सप्लाई बनाए रखने के लिए आई॰ ओ॰ सी॰ से भी सम्पर्क किया है।

## सड़क नेटवर्क का डिजाइन

**4930. प्रो॰ उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़क नेटवर्क के समुचित रख-रखाव के लिए भारी व्यय की आवश्यकता होती है/अंतर्ग्रस्त है;

(ख) क्या देश में सड़कों के डिजाइन का कोई अध्ययन किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या परिणाम निकले; और

(घ) देश में सड़कों के डिजाइन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी हां।

(ख) से (घ) सड़कों के डिजाइन में सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है अत: इसके लिए विभिन्न अध्ययन किए जाते हैं। पेवमेंट के कार्य निष्पादन से संबंधित इस समय अनुसंधान की दो स्कीमें चल रही हैं जिनमें से एक "मौजूदा पेवमेंटों" से और दूसरी "नई पेवमेंटों" से संबंधित है। ऊंचे किनारे बनाने के डिजाइन के लिए कम्प्यूटर की सहायता से एक डिजाइन पैकेज विकसित किया गया है जिसका राजमार्ग इंजीनियरों द्वारा उपयोग किए जाने के लिए भारतीय सड़क कांग्रेस द्वारा विपणन किया जा रहा है। परिवर्तनीय पेवमेंटों के वैश्लेषिक डिजाइन का विकास करने के संबंध में और बाक्स-सैल पुलियाओं के विश्लेषण के लिए कम्प्यूटर की सहायता से डिजाइन संबंधी दो और अध्ययन किए जा रहे हैं। अति लाभकारी समाधान खोजने की दृष्टि से अत्युत्तम पेवमेंट के प्रयास सामान्यत: सतत रूप से किए जा रहे हैं।

## पाकिस्तान द्वारा वीजा देने से इंकार

**4931 श्री परस राम भारद्वाज :**

**श्री मणिकराव होडल्या गावीत :**

**श्री शिव शरण वर्मा :**

**कुमारी सुशीला तिरिया :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान ने हाल ही में पाकिस्तान में ननकाना साहिब और अन्य धार्मिक स्थानों की यात्रा करने के इच्छुक हजारों भारतीय तीर्थयात्रियों को वीजा देने से इंकार कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, वीजा के लिए कितने लोगों ने आवेदन किया था उनमें से कितने लोगों को वीजा दिया गया;

(ग) क्या सरकार ने यह मामला पाकिस्तान के साथ उठाया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में पाकिस्तान की क्या प्रतिक्रिया है;

(ङ) क्या सरकार का विचार देश में धार्मिक स्थलों की यात्रा करने वाले पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को वीजा जारी करने पर प्रतिबंध लगाने का है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) और (ख) पिछले छह महीनों में दो सिख जत्थों और एक हिन्दू शादाणी दरबार जत्थे ने पाकिस्तान की यात्रा की थी। हमने दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन को इन जत्थों के लिए 5592 तीर्थयात्रियों के वीजा आवेदनों की सिफारिश की थी। उपलब्ध सूचना के अनुसार बहुत बड़ी संख्या में वीजा आवेदकों को वीजा देने से मना कर दिया गया था और लगभग 4440 तीर्थयात्रियों ने तीन जत्थों में वास्तव में पाकिस्तान की यात्रा की थी।

पाकिस्तानी हाई कमीशन द्वारा नामंजूर किए गए वीजा अनुरोधों की ठीक-ठीक संख्या उपलब्ध नहीं है।

(ग) और (च) सरकार पाकिस्तान से बारबार अनुरोध करती रही है कि वह धार्मिक स्थलों की यात्रा के बारे में 1974 में भारत तथा पाकिस्तान द्वारा सम्पन्न प्रोतोकाल के प्रावधानों के अन्तर्गत अपनी वचनबद्धतायें निभाए। पाकिस्तान ने यह दावा किया है कि उसने "वीजा नीति के अनुसार" वीजा संबंधी अनुरोधों को नामंजूर किया है।

(ङ) जी नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) सरकार भारत तथा पाकिस्तान के बीच जन-सम्पर्क को बढ़ावा देने के लिए कृतसंकल्प है और 1974 के प्रोतोकोल के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत यात्रा के इच्छुक पाकिस्तानी तीर्थयात्रियों को वीजा जारी करने की प्रक्रिया को सीमित बनाना उचित नहीं समझती।

## राष्ट्रीय राजमार्गों पर खर्च की गई धनराशि

**4932. श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास, नवीकरण तथा मरम्मत के लिए किए गए खर्च का क्या ब्यौरा है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) पिछले दो वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, विकास और रख-रखाव के लिए निम्नलिखित राशि आबंटित की गई है :-

(लाख रु.)

| वर्ष | विकास | रख-रखाव और मरम्मत |
|---|---|---|
| 1993-94 | 55591.00 | 21650.00 |
| 1994-95 | 70203.50 | 24690.00 |

## क्यूबा के साथ सहयोग

**4933. श्रीमती वसुन्धरा राजे :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार क्यूबा के साथ घनिष्ठ संबंध तथा सहयोग बढ़ाने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सलमान खुर्शीद):** (क) भारत सरकार और क्यूबा की सरकार के बीच पहले से ही गहरी समझ-बूझ और सहयोग हैं।

(ख) भारत और क्यूबा के सभी सम्भावित क्षेत्रों में परम्परागत रूप से सौहार्दपूर्ण संबंध हैं। भारत और क्यूबा के बीच परस्पर लाभप्रद कई कार्यक्रम सुचारू रूप से चल रहे हैं। दोनों सरकारों में एक व्यापार पुन: आरम्भ करने से संबद्ध समिति का हाल ही में गठन हुआ है जो दोनों मित्र देशों के बीच व्यापार बढ़ाने के तौर-तरीकों पर शीघ्र विचार करेगी जो क्यूबा की आर्थिक कठिनाईयों के कारण हाल ही में कम हो गया था।

## पावर क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन

**4934. श्री एम. वी. वी. एस. मूर्त्ति :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पी. एच. डी. चैम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री राज्य विद्युत बोर्ड को बकाया राशि की गारंटी के लिए एक पावर क्रेडिट गारंटी कारपोरेशन बनाने की योजना पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रस्तावित सिफारिशें सरकार को प्रस्तुत कर दी गई हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार पी. एच. डी. द्वारा दी गई प्रस्तावों पर सहमत हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक इसे स्थापित कर दिया जाएगा?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल):** (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) प्रति-गारंटी का परिहार करने के लिए, पी. एच. डी. मैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री ने विद्युत ऋण गारंटी निगम का गठन करने का सुझाव दिया है। भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की प्रति गारंटी के विकल्पों पर प्राथमिकता के आधार पर कार्य किया जा रहा है और इस सुधार को भी ध्यान में रखा गया है।

## गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले रुग्ण उद्योग

**4935. डा. आर. मल्लू :** क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार द्वारा गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले रुग्ण औद्योगिक एककों को अर्थक्षम बनाने के लिए कोई व्यावहारिक योजना बनाए जाने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले क्षेत्र को अर्थक्षम बनाने हेतु इस नीति निर्धारण प्रक्रिया में आंध्र प्रदेश सरकार को भी शामिल किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई) :** (क) और (ख) सरकार ने गहन समुद्री मत्स्यन उद्योग की समस्याओं पर विचार करने के लिए एक तकनीकी समिति का गठन किया है। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है तथा उसमें दी गई सिफारिशों पर अन्तर मंत्रालय स्तर पर कार्रवाई शुरु कर दी गई है।

(ग) और (घ) समिति की सिफारिशों के आधार पर जब भी राहतों की घोषणा की जाएगी तो वे आंध्र प्रदेश समेत देश में पूर्ववर्ती एस. डी. एफ. सी. द्वारा सहायता प्राप्त सभी गहन समुद्री मत्स्यन यूनिटों पर लागू होंगी।

[हिन्दी]

## राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 को चार लेनों वाला बनाना

**4936. श्री संतोष कुमार गंगवार :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 को चार लेनों वाला बनाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) जी हां।

(ख) रा. रा. 24 का दिल्ली से गाजियाबाद तक का खंड पहले से ही चार लेन का है। गाजियाबाद-हापुड़ खंड तथा हापुड़ बाईपास के चार लेन का बनाने का कार्य ओवरसीज इकॉनामिक कॉआपरेशन फंड (जापान) की ऋण सहायता के तहत आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है और ऋण समझौते पर फरवरी, 95 में हस्ताक्षर किए गए थे।

[अनुवाद]

## सामाजिक विकास पर विश्व शिखर सम्मेलन

**4937. श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**

**श्री पी. सी. चाको :**

**श्री मोहन सिंह (देवरिया) :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मार्च 1995 में कोपेनहेगन (डेनमार्क) में हुए सामाजिक विकास पर विश्व शिखर बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्य कौन-कौन थे; और

(ख) इस शिखर बैठक के उद्देश्य क्या हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) सामाजिक विकास से सम्बद्ध विश्व शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए प्रधान मंत्री के नेतृत्व में गए भारत के सरकारी प्रतिनिधिमंडल का स्वरूप नीचे लिखे अनुसार था :-

(i) श्री प्रणव मुखर्जी, विदेश मंत्री।

(ii) श्री माधव राव सिंधिया, मानव संसाधन विकास मंत्री।

(iii) श्री भुवनेश चतुर्वेदी, राज्य मंत्री, प्रधान मंत्री का कार्यालय।

(iv) श्रीमती मारग्रेट अल्वा, राज्य मंत्री, कार्मिक, पेंशन, लोक शिकायत तथा संसदीय कार्य।

(v) डा. गिरिजा व्यास, संसद सदस्या।

(vi) श्री वीरेन्द्र कटारिया, संसद सदस्य।

(vii) श्री किरिप चालीहा, संसद सदस्य।

(viii) श्री ई. अहमद, संसद सदस्य।

(ix) श्री जी. संजीव रेड्डी, अध्यक्ष, इण्डिन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस।

(x) श्री ए. एन. वर्मा, प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव।

(xi) श्री सलमान हैदर, विदेश सचिव।

(xii) श्री एस. वी. गिरी, शिक्षा सचिव।

(xiii) श्री के० आर० वेणगोपाल, सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय।

(xiv) प्रोफसर एस० आर० हाशिम, सलाहकार योजना आयोग।

(xv) श्री के० एम० लाल, डेनमार्क में भारत के राजदूत।

(xvi) श्री के० शरणायन, सचिव (सुरक्षा)

(xvii) श्री श्यामल दत्ता, निदेशक, विशेष संरक्षा दल।

(xviii) श्री पी० पी० आर० के० प्रसाद, प्रधानमंत्री के सूचना सलाहकार।

(xix) श्री प्रभाकर मेनन, संयुक्त सचिव, प्रधान मंत्री का कार्यालय।

(xx) श्री टी० पी० श्रीनिवासन, उप स्थायी प्रतिनिधि, भारत का स्थायी मिशन, न्यूयार्क।

(xxi) कुमारी सावित्री कुनाडी, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।

(xxii) श्री दिलीप सिन्हा, निदेशक, प्रधान मंत्री का कार्यालय।

(xxiii) श्री दीपक भोजवानी, प्रधान मंत्री के निजी सचिव।

(xxiv) कुमारी सुजाता मेहता, निदेशक, प्रधान मंत्री का कार्यालय।

(xxv) श्री आर० के० खान्डेकर, प्रधान मंत्री के विशेषाधिकारी।

(xxvi) डा० के० एस० रेड्डी, प्रधान मंत्री के निजी चिकित्सक।

(xxvii) डा० अनूप मिश्रा, प्रधान मंत्री के चिकित्सक।

(xxviii) डा० तुषार राय, प्रधान मंत्री के चिकित्सक।

(ख) इस शिखर-सम्मेलन का उद्देश्य सामाजिक विकास के तीन अहम मसलों नामत: गरीबी उन्मूलन, उत्पादक रोजगार का संवर्धन और सामाजिक एकता के संवर्धन पर विचार विमर्श करना था। शिखर-सम्मेलन ने सामाजिक विकास के लिए सार्वभौतिक स्तर पर संसाधन जुटाने पर भी विचार-विनिमय किया।

## सड़क परियोजनाओं का पर्यवेक्षण

**4938. श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :**

**श्री अंकुशराव टोपे :**

क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या **बहुपक्षीय** सहायता से निर्मित सड़क परियोजनाओं का पर्यवेक्षण अंतर्राष्ट्रीय कन्सलटेन्ट्स के द्वारा किया जाएगा;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जाएगा?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी हां।

(ख) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिये जिम्मेदार है और राष्ट्रीय राजमार्गों को छोड़कर अन्य सभी सड़कों के लिए संबंधित राज्य सरकार अनिवार्यत: जिम्मेदार होती है। बहुदेशीय सहायता से निर्मित की जा रही उन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के ब्यौरे निम्न प्रकार हैं जिनका अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शकों द्वारा पर्यवेक्षण किया जाना है :-

| बहुदेशीय एजेंसियां | रा० रा० परियोजनाओं की सं० |
|---|---|
| विश्व बैंक | 6 |
| एशियाई विकास बैंक | 6 |

(ग) बहुदेशीय एजेंसियों के साथ पहले से हस्ताक्षर किए हुए ऋण समझौतों में अन्तर्राष्ट्रीय परामर्शकों द्वारा पर्यवेक्षण किए जाने की व्यवस्था है।

## तमिलनाडु में गहरे समुद्र में मत्स्यन

**4939. डा० (श्रीमती) के० एस० सौन्दरम** : क्या **खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय केन्द्रीय सरकार के पास तमिलनाडु में गहरे समुद्र में मत्स्यन शुरू किए जाने के संबंध में स्वीकृति हेतु लंबित पड़े प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इन प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इनमें संलग्न निजी क्षेत्र को कंपनियों की ब्यौरा क्या है;

(घ) निजी कंपनियों को स्वीकृति देने हेतु शर्तों का ब्यौरा क्या है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई)** : (क) सरकार तमिलनाडु राज्य में गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाओं की स्थापना के लिए 5 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं जिन पर अंतिम निर्णय लिया गया है। इनमें लीज के तहत 19 गहन समुद्री मत्स्यन जलयानों तथा संयुक्त उद्यम के तहत 2 जलयानों का प्रचालन निहित है।

(ख) सरकार ने 12 दिसम्बर, 1994 से पूरी नीति की समीक्षा होने तक किसी नए गहन समुद्री मत्स्यन प्रस्तावों पर कार्रवाई न करने का निर्णय लिया है।

(ग) इस समय 6 कंपनियां संयुक्त उद्यम के तहत 14 गहन समुद्री मत्स्यन जलयान और 7 कंपनियां लीज के तहत 11 जलयान चला रही हैं।

(घ) निजी कंपनियों के प्रस्तावों को स्वीकृति देने के लिए अलग से कोई शर्तें नहीं हैं। गहन समुद्री मत्स्यन परियोजनाओं को स्वीकृति नई गहन समुद्री मत्स्यन नीति, 1991 और भारत का सामुद्रिक क्षेत्र अधिनियम, 1981 के तहत नियमों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दी जाती है।

## शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम

**4940. डा॰ पी॰ वल्लल पेरूमान :**

**श्री राम प्रसाद सिंह :**

क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर राज्यवार कितनी धनराशि खर्च की गई;

(ख) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 1995-96 के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष की स्थापना करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) से (घ) प्रधानमंत्री के प्रस्तावित समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम के तहत एक राष्ट्रीय शहरी गरीबी उन्मूलन कोष बनाये जाने का प्रस्ताव है। इस कार्यक्रम के लिए वर्ष 1995-96 हेतु 100 करोड़ रुपये की राशि केन्द्रीय अंश के रूप में तय की गई है।

## चावल की मिलें

**4941. श्री सैयद शहाबुद्दीन : क्या खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 का निरसन कर दिया गया है;

(ख) देश में धान कुटाई की वर्तमान क्षमता क्या है तथा उस क्षमता का कितना उपयोग किया जा रहा है;

(ग) इस सतय देश में धान कुटाई की क्षमता की अनुमानत: कितनी आवश्यकता है; और

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान चावल-मिलों के आधुनिकीकरण के लिए कोई योजना बनाई है ?

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरूण गगोई)** : (क) जी हां।

(ख) अनुमान है कि देश में धान कुटाई की वर्तमान क्षमता सालाना लगभग 184.2 मिलि. टन है और उस क्षमता का 53.2% उपयोग किया जाता है।

(ग) वर्ष 1993-94 के दौरान धान कुटाई के लिए उपलब्ध धान की अनुमानित मात्रा लगभग 98 मलियन टन थी।

(घ) जी हां। वर्तमान चावल मिलों के आधुनिकीकरण के लिए हलर सब्सिडी स्कीम बनाई गई है।

## राष्ट्रीय जल विद्युत निगम

**4942. श्री वी॰ श्रीनिवास प्रसाद :**

**श्री तारा सिंह :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय जल विद्युत निगम को बकायादार राज्य विद्युत बोर्डों को विद्युत की आपूर्ति बन्द कर देने की अनुमति दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक राज्य विद्युत बोर्ड पर कितनी धनराशि बकाया है और इन बोर्डों के कार्यकरण पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) राज्य विद्युत बोर्डों द्वारा बकायों का समय से भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार राष्ट्रीय जल विद्युत निगम का पुनर्गठन करने संबंधी किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो इस योजना की मुख्य बातें क्या हैं और इसके कार्यान्वयन हेतु क्या समय सारणी बनायी गई है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) और (ख) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के विद्युत केन्द्रों से विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को विद्युत के आवंटन के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, यह शर्त भी है कि यदि लाभग्राही समय पर अदायगी करने में असफल रहता है तो ऐसे मामले में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम उसे विद्युत सप्ताई बन्द कर सकता है अथवा प्रतिबन्धित कर सकता है तथा सम्बन्धित विद्युत बोर्ड को यह सलाह दे सकता है कि अधिशेष विद्युत अन्य लाभग्राहियों को पुन: आबंटित कर दी जाए। तदनुसार, जब एक लाभग्राही बार-बार अनुरोध करने पर और अनुस्मरण के बावजूदबकाया राशियां चुकाने में असमर्थ होता है तो राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ग्रिड सुरक्षा पहलू पर विचार करते हुए विद्युत की सप्लाई को विनियमित करने पर विचार कर सकता है। वर्तमान में राष्ट्रीय जल विद्युत निगम ने चूंकि हरियाणा राज्य विद्युत बोर्ड, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड तथा दिल्ली विद्युत प्रदाय संस्थान, जिनकी ओर 31.03.1995 की स्थिति के अनुसार क्रमश: 167.17 करोड़ रुपए, 128.18 करोड़ रुपए तथा 84.93 करोड़ रुपए की राशियां बकाया है, जिसके कारण हरियाणा, उत्तर प्रदेश तथा दिल्ली को विद्युत की सप्लाई नियंत्रित किए जाने का प्रस्ताव किया है। चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों को विद्युत आपूर्ति नियंत्रित किए जाने से यह प्रत्याशा की जाती है कि चूककर्ता घटक राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के प्रति अपनी देयता का निर्वाह और प्रभावी तरीके से करने की आवश्यकता को समझ सकेंगे।

(ग) चूककर्ता राज्य बिजली बोर्डों से बकाया राशियां वसूल करने के लिए किए गए उपायों में, विभिन्न स्तरों पर लगातार अनुवर्ती कार्रवाई करना, राज्य बिजली बोर्डों को साख पत्र खोलने के लिए तैयार करना तथा विद्युत क्रय के लिए राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के पक्ष में वाणिज्यिक करार निष्पन्न करना और चूककर्ता राज्यों के केन्द्रीय योजना आबंटन के माध्यम से बकाया राशि वसूल करना।

(घ) और (ङ) राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के पुनर्गठन के लिए सरकार किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

## आई॰ बी॰ वैली विद्युत केन्द्र

**4943. श्री राम कापसे :** क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उड़ीसा सरकार के निवेदन पर जनवरी 1995 में अमरीका के ए॰ ई॰ एस॰ कारपोरेशन द्वारा उड़ीसा में प्रवर्तित आई॰ वी॰ वैली विद्युत केन्द्र के लिए काउंटर गारंटी दी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) जी, हां।

(ख) प्रति-गारंटी समझौते पर दिनांक 16.1.95 को हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। समझौते की मुख्य विशेषताएं संलग्न विवरण में दी गई हैं।

## विवरण

**आई॰ बी॰ वैली (यूनिट-3 और 4) के लिए प्रति-गारंटी समझौते की मुख्य विशेषताएं**

1. आई॰ बी॰ वैली यूनिटें-3 और 4 विद्युत परियोजना से संबंधित क्षमता भुगतान और ऊर्जा भुगतान से उत्पन्न होने वाले दायित्वों और उड़ीसा राज्य के एक प्राथमिक अनुग्रहों के रूप में ए॰ ई॰ एस॰ आई॰ बी॰ वैली कारपोरेशन को देय राशियों का भुगतान न कर पाने के बारे में भारत सरकार द्वारा प्रति गारंटी जारी की गई थी।

2. प्रति-गारंटी के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व किसी एक वित्तीय वर्ष के संबंध में 667 करोड़ रुपए तक सीमित है और 1 अप्रैल 1996 को और उस तारीख को प्रत्येक उत्तरवर्ती वर्षगांठ पर, उक्त तारीख से तत्काल पहले प्रभारी सीमा को 5 प्रतिशत तक बढ़ाया जाएगा।

3. भारत सरकार की प्रति गारंटी की अवधि, आई॰ बी॰ वैली विद्युत परियोजना की यूनिट-3 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 10 वर्ष तक की है, तथापि, निम्नलिखित घटनाओं के होने पर, गारंटी इस अवधि के पहले समाप्त हो सकती है।

(i) ए॰ ई॰ एस॰ आई॰ बी॰ वैली कारपोरेशन और ओ॰ एस॰ ए॰ बी॰ के बीच समझौते के समापन होने पर।

(ii) जब कोई भी राशि अग्रिम के तौर पर दिए हेतु शेष नहीं हो अथवा विदेशी ऋणदाताओं की ओर बकाया न हो।

(iii) यदि ए॰ ई॰ एस॰ कारपोरेशन सीधे अथवा अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, वित्तीय समापन तिथि और विद्युत केन्द्र की यूनिट-3 की वाणिज्यिक प्रचालन तारीख के 12 माह की अवधि के समाप्त होने की अवधि के बीच किसी समय कंपनी की जारी शेयर का पूंजीक्रम से कम 50 प्रतिशत न रख पाते हों अथवा ए॰ ई॰ एस॰ कारपोरेशन सीधे और अपने सहयोगियों के साथ मिलकर, उस तिथि तक जिस तिथि को प्रतिगारंटी अन्यथा समाप्त हो जाएगी, उस जारी शेयर पूंजी का कम से कम 33.33 प्रतिशत न रख पाते हों,

(iv) उड़ीसा सरकार की गारंटी के समाप्त होने पर,

(v) विदेशी स्वामित्व वाली इक्विटी से भारतीय स्वामित्व वाली इक्विटी में गारंटीदाता की सहमति के बिना उत्पन्न होने वाला कोई परिवर्तन होने पर,

(vi) गारंटी दाता द्वारा समापन संबंधी भुगतान करने पर समापन के मामले में, समापन संबंधी भुगतानों के लिए गारंटी, विद्युत केन्द्र की यूनिट 3 की वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख से 15 वर्षों की अवधि तक बढ़ाने पर।

4. समापन संबंधी भुगतान के बारे में गारंटीदाता की देयता उस विदेशी ऋण तक सीमित है, जो विद्युत केन्द्र के वित्त पोषण के लिए विदेशी इक्विटी के बराबर है। इस परियोजना में राशि 170 मिलियन अमरिकी डालर तक सीमित है, जो कि शेयर धारकों द्वारा कम्पनी में दी गई अधिकतम वचनबद्धता है, ताकि विदेशी ऋण दाताओं को शेयरों के लिए अनुमोदन दिया जा सके।

## इस्पात संयंत्रों का आधुनिकीकरण

**4944. श्रीमती भावना चिखलिया :** क्या **इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय विभिन्न सरकारी उपक्रमों के अन्तर्गत इस्पात तथा लौह संयंत्रों के आधुनिकीकरण का कार्य किस स्थिति में है;

(ख) क्या सरकार का विचार इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण तथा विस्तार का कार्य निजी बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को सौंपने का है;

(ग) ऐसे संयंत्रों के आधुनिकीकरण पर कुल कितना खर्च होगा; और

(घ) सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितना प्रावधान किया गया है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो स्थित "सेल" के सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों में शुरू की गई आधुनिकीकरण परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है :–

**दुर्गापुर इस्पात संयंत्र (डी॰ एस॰ पी॰) का आधुनिकीकरण**

आधुनिकीकरण कार्य 16 टर्नकी पैकेजों के जरिए निष्पादित किया जा रहा है। 10 पैकेज पूर्ण रूप से पूरे/चालू कर दिए गए हैं। तीन पैकेज आंशिक रूप से चालू कर दिए गए हैं और शेष पैकेजों का कार्य प्रगति पर है।

आधुनिकीकरण परियोजना के अक्तूबर, 1995 तक पूरा किए जाने की सम्भावना है।

**राउरकेला इस्पात संयंत्र (आर॰ एस॰ पी॰) का आधुनिकीकरण**

आधुनिकीकरण कार्य दो चरणों अर्थात् चरण-I (9 स्वदेशी टर्नकी पैकेज) चरण-II (15 स्वदेशी और 5 अन्तर्राष्ट्रीय टर्नकी पैकेज) में निष्पादित किया जा रहा है। चरण-I के लिए प्रमुख उत्पादन सुविधाओं का कार्य मार्च, 1994 में पूरा कर लिया गया। चरण-II के 6 स्वदेशी पैकेज पहले ही पूरे कर लिए गए हैं। चरण-II के शेष पैकेजों का कार्य कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

आधुनिकीकरण परियोजना के अगस्त, 1996 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

**बोकारो इस्पात संयंत्र (बी॰ एस॰ एल॰) का आधुनिकीकरण**

आधुनिकीकरण कार्य 4 प्रमुख अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों और 31 स्वदेशी पैकेजों के जरिए क़ार्यान्वित किया जा रहा है। इसका कार्यक्षेत्र प्रयोज्यताओं और सेवाओं से संबंधित है।

सभी अन्तर्राष्ट्रीय पैकेजों के लिए आर्डर दिए गए हैं। प्रारम्भिक स्थल-कार्य पूरे कर लिए गए हैं और सिविल तथा संरचनात्मक कार्य और उपस्करों तथा रिफ्रैक्ट्रीज के लिए आर्डर देने का कार्य इस समय प्रगति पर है।

स्वदेशी पैकेजों के लिए आर्डर देने का कार्य प्रगति पर है।

इस परियोजना के जुलाई, 1997 तक पूरा किए जाने की समय-अनुसूची है।

(ख) जी, हां। उपरोक्त (क) में उल्लिखित प्रत्येक संयंत्र की आधुनिकीकरण परियोजनाओं के कार्यान्वयन में निजी और बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लगी हुई हैं।

(ग) इन आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए निधि की कुल आवश्यकता का अनुमान 10524 करोड़ रुपए लगाया गया है।

(घ) इन आधुनिकीकरण परियोजनाओं के लिए 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान परिव्यय का ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

(i) दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण : 460 करोड़ रुपए

(ii) राउरकेला इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण : 360 करोड़ रुपए

(iii) बोकारो इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण : शून्य

## एल॰ टी॰ टी॰ ई॰

**4945. श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने एल॰ टी॰ टी॰ ई॰ को एक अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवादी संगठन घोषित के हेतु विश्वमत जुटाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया)**: (क) और (ख) लिट्टे को गैर कानूनी गतिविधि (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत 14 मई 1992 को एक गैरकानूनी संगठन घोषित किया गया था। इसके बाद लिट्टे को गैर कानूनी संगठन घोषित करने से सम्बद्ध एक और अधिसूचना मई, 1994 में भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी जिसके द्वारा लिट्टे पर लगाए गए पूर्ववर्ती प्रतिबंध को और दो वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। इन अधिसूचनाओं को कोलंबो और लंदन में समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाया गया था।

## आंध्र प्रदेश में पेयजल की कमी

**4946. डा॰ के॰ वी॰ आर॰ चौधरी** : क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश के किन-किन शहरों में 1993-94 और 1994-95 के दौरान पेयजल की कमी थी;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकार को उपरोक्त अवधि के दौरान पेयजल की कमी को दूर करने के लिए कोई वित्तीय सहायता प्रदान की थी;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** :

राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना इस प्रकार है :-

(क) कृपया संलग्न विवरण देखें।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रश्न नहीं उठता।

(घ) 20,000 से अधिक की आबादी वाले कस्बों को केन्द्रीय सहायता मुहैया कराने के लिए जल आपूर्त्ति और स्वच्छता क्षेत्र के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रवर्तित अभी कोई स्कीम नहीं है। अनुलग्नक में उल्लिखित सभी कस्बों की आबादी प्रत्येक मामले में 20,000 से अधिक है।

## विवरण

| क्रम सं. | कस्बे का नाम | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | |
| जहां कमी 100% है | | जहां कमी 75% से अधिक है। | |
| 1. | पलासा कासिबुग्गा | 6. | तनुकू |
| 2. | कजाज नगर | 7. | पेडाना |
| 3. | कोथागुडेम | 8. | तेनाली |
| 4. | रामागुडम | 9. | चिराला |
| 5. | बेल्लम पल्ली | 10. | गुजवाका |
| | | 11. | उप्पल कल्लू |
| | | 12. | मलकाजगिरि |
| | | 13. | कुतुवुलापुर |
| | | 14. | सिधीपेट |
| | जहां कमी 50 से 75% है। | | |
| 15. | इचापुरम | 25. | मंगलागिरि |
| 16. | सालुरू | 26. | बपटला |
| 17. | बोबिली | 27. | रेपल्ले |
| 18. | विजियानागरम | 28. | मचरला |
| 19. | अनाकापल्ली | 29. | चिट्टूर |
| 20. | भीमुनिपट्टनम | 30. | गुण्टकल |
| 21. | रामचन्द्रपुरम | 31. | कादिरी |
| 22. | निदारवोले | 32. | अदोनी |
| 23. | भीमावरम | 33. | नान्दयाल |
| 24. | मचिली पट्टनम | 34. | महबूदेनगर |
| 35. | विकाराबाद | 44. | आदिलाबाद |
| 36. | राजिन्दर नगर | 45. | मनचेरियल |
| 37. | एल॰ बी॰ नगर | 46. | भैंसा |
| 38. | अलवल | 47. | जगतिपाल |
| 39. | कापरा | 48. | करीमनगर |
| 40. | कुकस्टपल्ली | 49. | सिरचिला |
| 41. | जहीराबाद | 50. | कोरटला |
| 42. | निजामाबाद | 51. | पलवन्चा |
| 43. | कामरेड्डी | 52. | सेरिलिंगमपल्ली |

## मंत्री की विदेश यात्रा

**4947. श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने मार्च तथा अप्रैल, 1995 के दौरान अनेक देशों की यात्रा की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यात्रा के दौरान किन-किन क्षेत्रों के सम्बन्ध में द्विपक्षीय वार्ता हुई, उनकी यात्राओं से देशवार किन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए;

(घ) क्या यूरोपीय संघ के साथ हाल ही में कोई बातचीत की गई थी;

(ङ) यदि हां, तो किन मुद्दों पर बातचीत की गई और इसके क्या परिणाम निकले;

(च) क्या यूरोपीय संघ के साथ कोई समझौते किए गए थे; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) जी, हां।

(ख) (i) **डेनमार्क** : 6 से 10 मार्च, 1995 को कोपनहेगन में विश्व सामाजिक विकास शिखर-सम्मेलन से पूर्व राज्याध्यक्षों/शासनाध्यक्षों के व्यक्तिगत प्रतिनिधियों की बैठक में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करने के लिए।

(ii) **फ्रांस** : 6 से 7 अप्रैल, 1995-पेरिस में 6 अप्रैल, 1995 को सम्पन्न भारत-यूरोपी संघ ट्राईका मंत्रीस्तरीय बातचीत में हिस्सा लेने के लिए।

(iii) **इन्डोनेशिया** : 22 से 27 अप्रैल, 1995-बांडुंग में

नाम समन्वय ब्यूरो और बांडुग अफ्रीकी एशियाई सम्मेलन की 40वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व करने के लिए।

(ग) अपनी पेरिस यात्रा के दौरान विदेश मंत्री ने 6 अप्रैल, 1995 को फ्रांस के विदेश मंत्री के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी की। इस बातचीत में मुख्यत: जिन विषयों पर चर्चा हुई उनमें भारत-फ्रांस राजनीतिक तथा आर्थिक संबंध, यूरोप तथा दक्षिण एशिया में क्षेत्रीय स्थिति, और संयुक्त राष्ट्र सुधार जैसे बहुपक्षीय मसले शामिल थे।

इस यात्रा के दौरान कोई करार सम्पन्न नहीं हुआ।

(घ) जी हां।

(ङ) 6 अप्रैल, 1995 को पेरिस में सम्पन्न भारत-यूरोपीय संघ ट्राईका, मंत्री स्तरीय बातचीत के दौरान भारत और यूरोपीय संघ के बीच राजनीतिक तथा आर्थिक संबंधों को विकसित करने के बारे में विचार का आदान-प्रदान किया गया था। इस वार्त्ता के दौरान जिन अन्य विषयों पर चर्चा हुई उनमें यूरोपीय संघ का विकास, यूरोपीय सुरक्षा से सम्बद्ध मसले, भारत का क्षेत्रीय पर्यावरण और परमाणु-अप्रसार शामिल थे।

(च) जी नहीं।

(छ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

## गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों को चौड़ा करना

**4948. श्री एन० जे० राठवा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1995 की स्थिति के अनुसार गुजरात से गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्गों पर चार लेन वाली सड़कों का निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जा रहा है;

(ख) इस कार्य को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है और इस प्रयोजनार्थ चालू वर्ष के दौरान कितनी धनराशि नियत की गई है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितनी निर्माण लागत आने की संभावना है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) से (ग) गुजरात में चार लेन बनाए जाने संबंधी विभिन्न कार्य जो राष्ट्रीय राजमार्गों के मार्ग में पड़ते हैं, की स्थिति नीचे दर्शाई गई है :

| क्रम सं० | रा० स० सं० | स्थान का नाम |
|---|---|---|
| 1. | 8 | बदोदरा-भड़ौच-अंकलेश्वर-सूरत-नवसारी-वल्सादवापी के निकट |
| 2. | 8 क | अहमदाबाद-गांधीधाम के निकट |
| 3. | 8 ख | पोरबन्दर के निकट |
| 4. | 8 ग | अहमदाबाद-गांधी नगर के निकट |

ये कार्य प्रगति के विभिन्न चरणों में हैं और इन्हें 1996-2000 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है। तथापि, राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास-रख-रखाव के लिए निधियां राज्य-वार आबंटित की जाती हैं न कि राष्ट्रीय राजमार्ग-वार। उपर्युक्त कार्यों को पूरा करने में 167.00 करोड़ रुपये की लागत आने का अनुमान है।

[अनुवाद]

## विद्युत उत्पादन

**4949. श्री मनोरंजन भक्त :**

**श्री परसराम भारद्वाज :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जल, ताप और परमाणु स्रोतों से होने वाला बिजली उत्पादन बिजली की बढ़ती हुई मौंग को पूरा करने के लिए पर्याप्त है;

(ख) यदि हां, तो बढ़ी हुई मांग और कम आपूर्ति के बीच के अन्तर को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं अथवा उठाए जायंगे और 1995-96 के दौरान बिजली उत्पादन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है;

(ग) क्या विद्युत क्षेत्र में गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ कंपनियों से भी निवेश किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और 1994-95 और 1995-96 के दौरान कितना निवेश किया गया है/किया जायेगा?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी० पटेल) :** (क) और (ख) विद्युत की मांग तथा उपलब्धता में अंतर कम करने की दृष्टि से देश में विद्युत की उपलब्धता को सुधारने के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों में ये उपाय समाविष्ट हैं :-नई उत्पादन क्षमता के परिचालन में तेजी लाना, अल्पनिर्माणवधि वाली परियोजनाओं को क्रियान्वित करना, विद्यमान विद्युत केन्द्रों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाना, परिषण एवं वितरण हानियों में कमी लाना, बेहतर मार्ग प्रबंध एवं ऊर्जा संरक्षण उपायों को लागू करना, अधिशेष वाले क्षेत्रों से कमी वाले क्षेत्रों के लिए ऊर्जा के अंतरण के लिए व्यवस्था करना तथा विद्युत क्षेत्र में निजी क्षेत्र निवेश को बढ़ावा देना।

(ग) और (घ) अब तक 276163.970 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर 75259.50 मेगावाट क्षमता अभिवृद्धि के लिए निजी क्षेत्र में 190 परियोजनाओं की स्थापना हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

## आन्ध्र प्रदेश में सड़क परियोजनाएं

**4950. श्री डी. वेंकटेश्वर राव : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या मलेशिया की किसी कम्पनी ने आन्ध्र प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पेशकश की वर्तमान स्थिति क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) केन्द्र सरकार मुख्यत: राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित है। जहां तक राष्ट्रीय राजमार्गों का संबंध है आंध्र प्रदेश में सड़क परियोजनाओं के विकास के लिए किसी मलेशियाई कम्पनी से कोई पेशकश प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

## शहरी विकास के लिए केन्द्र प्रायोजित योजनाएं

**4951. श्री फूलचन्द वर्मा : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य में शहरी विकास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान आवंटित की गई धनराशि निर्धारित किए गए और प्राप्त किए गए लक्ष्यों का राज्य-वार और योजना-वार ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या राज्यों से मंजूरी हेतु कुछ प्रस्ताव मिले हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(च) इन प्रस्तावों को कब तक मंजूरी दे दी जाएगी ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) से (च) शहरी विकास की केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं की स्थिति इस प्रकार है :-

**1. कम लागत की सफाई**

कम लागत के सफाई कार्यक्रम की हाल ही में समीक्षा की गई थी और इस कार्यक्रम को शीघ्र कार्यान्वयन की जांच करने के लिए मामले पर आवास तथा शहरी विकास निगम (हुडको) के साथ विचार विमर्श किया गया है।

कम लागत की सफाई और मैला ढोने वालों की मुक्ति के कार्यक्रम के तहत सब्सिडी के रूप में केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित धनराशि इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| 1992-93 | 21.62 करोड़ रुपये |
| 1993-94 | 25.80 करोड़ रुपये |
| 1994-95 | 50.80 करोड़ रुपये |

**2. शहरी सुलभ जल आपूर्त्ति कार्यक्रम (ए. यू. डब्ल्यू. एस. पी.)**

20,000 से कम आबादी वाले शहरों के लिए शहरी सुलभ जल आपूर्त्ति की केन्द्र प्रवर्तित योजना की मार्च, 1995 में उन सम्बन्धित राज्य सरकारों के साथ समीक्षा की गयी जिनसे केन्द्रीय अंश की दूसरी कीमत जारी करने बाबत इन शहरों की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था।

योजना वर्ष 1994 के अन्त में प्रारम्भ की गई और 11.76 करोड़ रुपये संवितरित किये गये। चालू वित्त वर्ष अर्थात् 1995-96 के दौरान उन राज्यों को 16.99 करोड़ रुपये की राशि नियत की गई है जिन्हें प्रथम किश्त की धनराशि संवितरित की गई थी।

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान शहरी सुलभ जल आपूर्त्ति कार्यक्रम के तहत धनराशि के नियतन को दर्शाने वाले राज्य-वार विवरण-I संलग्न हैं।

**3. शहरी क्षेत्रों में पटरी वासियों के लिए रैन बसेरे तथा सफाई योजना**

इस योजना को वर्ष 1988-89 में शुरू किया गया था अगस्त 1992 में इसकी समीक्षा कर संशोधन किया गया। इस योजना के दो घटक हैं :-

(क) सामुदायिक शौचालयों और स्नानघरों वाले सामुदायिक रैन बसेरों का निर्माण।

(ख) बेघरों के लिए सामुदायिक भुगतान करो उपयोग करो शौचालयों/स्नानघरों का निर्माण।

इस योजना के तहत राज्य-वार कोई धनराशि नियत नहीं की जा रही है। धनराशि, निर्माण कार्यों की प्रगति के आधार पर कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी करने बाबत हुडको को सौंपी जाती है।

**4. भवन निर्माण केन्द्रों का राष्ट्रीय नेटवर्क**

यह योजना वर्ष 1988-89 से चल रही है तथा इसकी एक विशेषज्ञ समिति द्वारा समीक्षा की गयी है। समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार इस योजना के दिशानिर्देशों में मई, 1993 में संशोधन किया जायेगा।

इस योजना के तहत केन्द्रीय सहायता राज्य-वार निर्धारित नहीं की जाती है। केन्द्रीय सहायता चरणबद्ध रूप से हडको के मार्फत दी जाती है।

5. छोटे तथा मझौले शहरों का समन्वित विकास

छोटे तथा मझौले शहरों के समन्वित विकास की एक केन्द्र प्रवर्तित योजना (आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰) राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में चल रही है। आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना में 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों में रोजगार सृजक कार्यकलापों की सहायता के लिए पर्याप्त अवस्थापना सुविधाएं मुहैया करने और बड़े शहरी क्षेत्रों में लोगों को प्रवसन में रोक लगाने का प्रयास किया गया है।

संविधान (74वां) संशोधन के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए तथा राज्य सरकार के परामर्श में संघ सरकार आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के कार्यान्वयन के लिए कुछ निम्नलिखित प्रस्तावों सहित मुख्य संशोधन करने की प्रक्रिया में है :

(i) योजना को 3 से 5 लाख के बीच की आबादी वाले शहरों में लागू करना,

(ii) बजट सहायता (अर्थात् केन्द्रीय सहायता और राज्य अंश) की अधिकतम सीमा में वृद्धि,

(iii) उदार ऋण की बजटीय सहायता को अनुदान में तबदील करना,

(iv) स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय संस्थानों से लिये जाने अपेक्षित ऋण की मात्रा में कटौती, और

(v) परियोजना रिपोर्टें तैयार करने पर राज्य सरकारों/स्थानीय निकायों द्वारा किए गये व्यय को पूरा करने के लिए राज्य सरकारों को अधिक केन्द्र सहायक अनुदान का प्रावधान।

तथापि आई॰ डी॰एस॰ एम॰ टी॰ दिशा-निर्देशों में संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव पर मंत्रिमंडल का अनुमोदन जरूरी होगा।

इस योजना के गत तीन वर्षों के वास्तविक तथा वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियां इस प्रकार हैं :-

(रु॰ करोड़ों में)

| वर्ष | नये शहरों की संख्या | | बजट नियतन | जारी केन्द्रीय सहायता (ऋण) |
|---|---|---|---|---|
| | लक्ष्य | लाभान्वयन | | |
| 1992-93 | 33 | 44 | 13.00 | 11.60 |
| 1993-94 | 54 | 84 | 20.00 | 19.50 |
| 1994-95 | 72 | 104 | 23.48 | 22.89 |
| योग: | 159 | 232 | 56.48 | 53.99 |

आठवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम तीन वर्षों (1992-93) के दौरान राज्य सरकारों से आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ दिशा-निर्देशों के अनुसार 232 शहरों के लिये नये परियोजना प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। सभी 232 परियोजना प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है। आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ के तहत वित्तीय सहायता हेतु पात्र परियोजना घटकों में बाजार तथा विपणन केन्द्रों, सड़कों का निर्माण/सुधार, बस स्टैण्ड, स्थल तथा सेवाएं, पर्यटक सुविधाएं, पार्क तथा खेल मैदान स्ट्रीट लाइटिंग शामिल हैं।

गत तीनों वर्षों के दौरान आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ के तहत लाभान्वित शहरों की संख्या तथा जारी केन्द्रीय सहायता के राज्य-वार ब्यौरे और 232 नये शहरों का विवरण संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

6. मेगा सिटी

मेगा शहरों में अवस्थापना विकास की केन्द्र प्रव र्तित योजना वर्ष 1993-94 के दौरान ही शुरू की गई थी। यह योजना 1991 की जनगणना के अनुसार चार मिलियन से अधिक आबादी वाले शहरों पर लागू है। योजना बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद पर लागू होगी। चूंकि इसे हाल ही में शुरू किया गया है, इसलिए समीक्षा का प्रश्न ही नहीं उठता।

वर्ष 1993-94 और 1994-95 के दौरान जारी केन्द्रीय अंश इस प्रकार हैं :

| शहर का नाम | जारी केन्द्रीय अंश | |
|---|---|---|
| | 1993-94 | 1994-95 |
| | (रुपये करोड़ों में) | |
| बम्बई | 20.01 | 16.1 |
| कलकत्ता | 20.1 | 16.1 |
| मद्रास | 16.1 | 11.1 |
| हैदराबाद | 15.1 | 11.1 |
| बंगलौर | 0.1 | 20.1 |
| कुल योग : | 70.50 | 74.50 |

## फरक्का सुपर ताप विद्युत परियोजना

**4952. श्री सनत कुमार मंडल : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इटली की बहुराष्ट्रीय कम्पनी "अन्साल्डो" द्वारा सप्लाई किए गए "इलैक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेर्स" में गड़बड़ी होने के कारण फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र में ट्रिपिंग के कारण राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम को घाटा हुआ है;

विवरण-I

शहरी सुलभ जल आपूर्त्ति का केन्द्र प्रवर्तित कार्यक्रम (ए॰ यू॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰)

वर्ष 1993-94 के दौरान अनुमोदित योजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों की राज्यवार स्थिति (रू॰ लाखों में)

| क्र॰ सं॰ | राज्य | शहरों की सं॰ | अनुमोदित विस्तृत योजना रिपोर्टों की सं॰ | अनुमोदित डी॰ पी॰ आर॰ के अनुसार अनुमानित लागत | राज्य सरकार को जारी केन्द्रीय सहायता प्रथम किस्त | फरवरी 95 तक जारी राज्य अंश | फरवरी 95 तक व्यय | राज्य सं॰ का वर्ष 94-95 का नियतन | राज्य द्वारा मांगी गई राशि (94-95) (वालन 5 × 05) | परियोजना का अनुमानित लागत का 50% (15 × 05) | केन्द्रीय अंश का 50% | 94-95 के लिए जारी धनराशि (केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त | 94-95 के लिए अनुशंसित अतिरिक्त राशि | केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त के रूप में 1994-95 के लिए कुल राशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | आंध्र प्रदेश | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00 |
| 3. | असम | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 26.06 | - | 26.06 | |
| 4. | बिहार | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.00 |
| 5. | गोवा | 2 | 2 | 51.13 | 6.24 | एन॰ 1 | एन॰ 1 | एन॰ 1 | एन॰ 1 | 252.57 | 129.78 | 104.14 | - | 10.14 |
| 6. | गुजरात | 8 | 6 | 398.95 | 71.08 | 71.08 | 25.00 | 95.00 | 200.00 | 199.48 | 99.74 | 87.24 | - | 87.24 |
| 7. | हरियाणा | 4 | 4 | 283.80 | 30.25 | 30.25 | एन॰ ए॰ | 30.36 | 76.20 | 141.90 | 70.95 | 34.00 | - | 34.00 |
| 8. | हिमाचल | 2 | 2 | 78.50 | 8.79 | एन॰ ए॰ | 3.90 | - | - | 39.25 | 19.63 | 9.88 | - | 9.88 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | 1 | 1 | 41.40 | - | - | - | - | - | 20.70 | 20.70 | 20.00 | | 20.00 |
| 10. | कर्नाटक | 9 | 7 | 438.90 | 85.15 | 49.90 | 110.00 | 150.00 | - | 219.45 | 09.73 | 105.12 | - | 105.12 |
| 11. | केरल | 1 | 1 | 233.72 | 28.21 | एन॰ 1 | एन॰ 1 | एन॰ 1 | एन॰ 1 | 116.86 | 58.43 | 37.62 | - | 37.62 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 32 | 30 | 1674.30 | 205.10 | 205.43 | 40.00 | 800.00 | 1566.75 | 837.15 | 48.58 | 244.19 | 99.00 | 343.19 |
| 13. | महाराष्ट्र | 6 | 5 | 370.01 | 85.36 | एन॰ ए | 130.00 | 85.36 | 190.56 | 185.01 | 92.50 | 92.50 | - | 92.50 |
| 14. | मणिपुर | 3 | 3 | 82.00 | 7.65 | एन॰ ए॰ | 25.00 | 15.30 | 57.00 | 41.00 | 20.50 | 20.50 | - | 20.50 |
| 15. | मेघालय | - | - | - | - | | | | | - | - | - | | 0.00 |
| 16. | मिजोरम | 1 | - | - | 4.26 | | | | | - | - | | - | 0.00 |
| 17. | नागालैंड | - | - | - | - | | | | | - | - | | | 0.00 |
| 18. | उड़ीसा | 5 | 3 | 204.53 | 50.23 | | | | | 102.27 | 51.13 | 51.13 | - | 51.13 |
| 19. | पंजाब | 2 | 2 | 240.65 | 26.73 | एन॰ ए॰ | एन॰ ए॰ | एन॰ ए॰ | एन॰ ए॰ | 120.33 | 60.16 | 35.64 | - | 35.64 |
| 20. | राजस्थान | 10 | 10 | 711.88 | 81.97 | एन॰ ए॰ | एन॰ ए॰ | एन॰ ए॰ | एन॰ ए॰ | 355.94 | 177.97 | 177.97 | - | 177.97 |
| 21. | सिक्किम | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 15 | 10 | 438.62 | 82.24 | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | 219.31 | 109.66 | 9.59 | - | 9.59 |
| 23. | त्रिपुरा | 1 | - | - | 5.16 | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | 42 | 42 | 2947.84 | 327.88 | 290.64 | 634.92 | एन॰ ए॰ | एन॰ ए॰ | 1473.92 | 736.96 | 586.17 | - | 586.17 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | 3 | 3 | 325.88 | 39.12 | एन॰ ए॰ | 78.62 | 40.00 | 50.00 | 162.94 | 81.47 | 52.25 | - | 52.25 |
| 26. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. | चंडीगढ़ | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 28. | दादर और नागर हवेली | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 29. | दमन और द्वीव | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 30. | दिल्ली | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 31. | लक्षद्वीप | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| 32. | पांडिचेरी | - | - | - | - | | | | | - | - | - | - | 0.00 |
| | योग : | 148 | 131 | 8522.11 | 1145.47 | 645.30 | 1417.44 | 1216.02 | 2130.51 | 426.00 | 2140.88 | 1600.00 | 99.00 | 1699.00 |

एन॰ आई॰ सूचना नहीं; एन॰ ए॰ : लागू नहीं : धनराशि पहले ही जारी

## विवरण-II

**1992-93 से 31.3.1995 तक आई॰ डी॰ एस॰ एम॰ टी॰ योजना के तहत लाभांवित शहरों की संख्या तथा जारी केन्द्रीय सहायता**

(रू॰ लाखों में)

| क्र॰ सं॰ | राज्य/संघ शासित क्षेत्र | 1992-93 लाभांवित नये | 1992-93 शहर चालू | 1992-93 जारी राशि | 1993-94 लाभांवित नये | 1993-94 शहर चालू | 1993-94 जारी धनराशि | 1994-95 लाभा-वित नये | 1994-95 शहर चालू | 1994-95 जारी धनराशि | योग लाभां-विते नये | योग शहर चालू | योग जारी धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 4 | 1 | 89.21 | 14 | 3 | 486.79 | 6 | - | 135.00 | 24 | 4 | 711.00 |
| 2. | अरूणाचल प्रदेश | - | - | - | - | 1 | 155.00 | 2 | - | 26.00 | 2 | 1 | 41.00 |
| 3. | असम | - | - | - | - | - | - | 3 | - | 45.00 | 3 | - | 45.00 |
| 4. | बिहार | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 46.00 | 2 | - | 46.00 |
| 5. | गोवा | - | - | - | 1 | - | 12.00 | 1 | - | 24.00 | 2 | - | 36.00 |
| 6. | गुजरात | - | - | - | 3 | 4 | 131.24 | 7 | 2 | 150.00 | 10 | 6 | 281.24 |
| 7. | हरियाणा | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8. | हिमाचल प्रदेश | - | 1 | 25.00 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 25.00 |
| 9. | जम्मू और कश्मीर | - | - | - | 2 | - | 38.00 | 1 | 1 | 40.00 | 3 | 1 | 78.00 |
| 10. | कर्नाटक | 7 | 1 | 140.00 | 12 | - | 260.00 | 11 | - | 290.00 | 30 | 1 | 690.00 |
| 11. | केरल | 1 | - | 25.00 | 1 | - | 40.00 | 4 | - | 118.50 | 6 | - | 183.50 |
| 12. | मध्य प्रदेश | 3 | - | 60.00 | 2 | - | 35.00 | 12 | 3 | 253.50 | 17 | 3 | 348.50 |
| 13. | महाराष्ट्र | 9 | 4 | 276.29 | 10 | 2 | 316.00 | 17 | 4 | 433.75 | 36 | 10 | 1026.04 |
| 14. | मणिपुर | 3 | 2 | 103.08 | - | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 103.08 |
| 15. | मेघालय | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | मिजोरम | - | - | - | 1 | 1 | 31.00 | 1 | - | 12.00 | 2 | 1 | 43.00 |
| 17. | नागालैंड | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 15.00 | - | 1 | 15.00 |
| 18. | उड़ीसा | 4 | - | 90.00 | 1 | 1 | 32.00 | 9 | 2 | 181.00 | 14 | 3 | 303.00 |
| 19. | पंजाब | - | - | - | 3 | - | 46.00 | 1 | 1 | 36.25 | 4 | 1 | 82.25 |
| 20. | राजस्थान | 5 | - | 105.00 | 4 | 5 | 114.25 | 3 | - | 70.00 | 12 | 5 | 299.25 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21. | सिक्किम | - | - | - | 1 | - | 12.00 | - | 1 | 20.00 | 1 | 1 | 32.00 |
| 22. | तमिलनाडु | 8 | 4 | 299.41 | 10 | 1 | 110.06 | 11 | 4 | 139.00 | 29 | 9 | 478.47 |
| 23. | त्रिपुरा | - | - | - | 1 | - | 9.00 | - | - | - | 1 | - | 9.00 |
| 24. | उत्तर प्रदेश | - | 1 | 16.00 | 5 | 1 | 112.00 | 5 | - | 159.00 | 10 | 2 | 287.00 |
| 25. | पश्चिम बंगाल | - | 1 | 1.01 | 12 | 1 | 99.66 | 8 | 2 | 93.20 | 20 | 4 | 193.87 |
| **संघ शासित क्षेत्र** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. | दादर व नगर हवेली | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3. | लक्षद्वीप | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4. | पांडिचेरी | - | - | - | 1 | 1 | 50.00 | - | - | - | 1 | 1 | 50.00 |
| 5. | दमन और द्वीव | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | योग : | 44 | 15 | 1160.00 | 84 | 21 | 1950.00 | 104 | 21 | 2289.70 | 232 | 57 | 5397.20 |

(ख) क्या "ई॰ एस॰ पी॰ पास डी" में गड़बड़ी के कारण गत वर्ष 15 जनवरी को फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-4 में ट्रिपिंग की राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम ने कोई जाँच की है;

(ग) यदि हाँ, तो इसके निष्कर्ष क्या है;

(घ) क्या जाँच समिति ने यूनिट-5 के घाटे का परिकलन नहीं किया था;

(ङ) क्या "ई॰ एस॰ पी॰" की मरम्मत पुनर्स्थापना और इसे पुन: चालू करने पर हुए खर्च को वहन करने तथा घाटे की क्षतिपूर्ति करने के सम्बन्ध में एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ और अंसाल्डो के बीच कोई समझौता हुआ है; और

(च) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि॰ (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) को विद्युत उत्पादन में हुआ घाटा फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र की यूनिट-4 के सम्बन्ध में लगभग 3071 मिलियन यूनिट तथा यूनिट-5 के सम्बन्ध में 144 मिलियन यूनिट होने का अनुमान है।

(ख) और (ग) जांच समिति ने हाल ही में अपनी अन्तिम रिपोर्ट राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) को प्रस्तुत की है। समिति के निष्कर्षों के अनुसार ई॰ एस॰ पी॰ के फेल होने के मुख्य कारण निम्नवत् हैं:

1. संरचनात्मक डिजाइन में 2.33 मीटर के स्तर की अपेक्षा ई॰ एस॰ पी॰ के कम से कम तीन क्षेत्रों में हापर बैंड लाइन के ऊपर ई॰ एस॰ पी॰ केसिंग के॰ डी॰ पास में राख का स्तर 4.4 मीटर से अधिक होना।

2. राख का ऊंचा स्तर होने के लिए प्रचालक को इन समस्याओं की पूर्व चेतावनी देने हेतु किसी प्रकार का चेतावनी यंत्र उपलब्ध न होना।

3. विक्रेता से ई॰ एस॰ पी॰ तथा राख हैण्डलिंग प्रणाली के लिए व्यापक प्रचालन और अनुरक्षण अनुदेश उपलब्ध न कराया जाना।

4. प्रचालन स्टाफ और प्रचालन कर्मिकों तथा ठेकेदारों के कर्मचारियों को संरचनात्मक डिजाइन की सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त न होना।

5. राख निकास प्रणाली से सम्बद्ध समस्याएं

(1) राख हैण्डलिंग प्रणाली को पूर्णत: चालू नहीं किया गया था। फल्यूडाइविंग प्रणाली हीटर के बगैर कार्य कर रही थी। (इसके कारण हापर्स में व्यवधान तथा इसे भर जाने की सम्भावना थी)।

(2) विद्युत के उत्पादन की मात्रा के अनुरूप क्रमिक रूप से राख की निकासी की उपयुक्त व्यवस्था न होने के कारण हापर्स की कुछ प्रारम्भिक पंक्तियों में अत्यधिक राख का जमा होना।

(3) हापर्स के निकासी का कार्य जनशक्ति द्वारा नहीं कराया गया।

6. ई॰ एस॰ पी॰ में किसी प्रकार की तोड़-फोड़ अथवा विस्फोट या आंतरिक कुप्रचालन का कोई प्रमाण नहीं मिला है।

(घ) फरक्का सुपर ताप विद्युत केन्द्र में ई॰ एस॰ पी॰ यूनिट-4 के पास डी॰ के फेल होने के कारण यूनिट-5 को किसी प्रकार की क्षति नहीं हुई। तथापि, अतिरिक्त सुरक्षा के दृष्टिकाण से यूनिट-5 के ई॰ एस॰ पी॰ पास "ए", "बी", "सी" और "डी" के ढाँचे के सुदृढ़ीकरण को भी आरम्भ किया गया, ताकि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति को रोका जा सके। ई॰ एस॰ पी॰ यूनिट-5 के सुदृढ़ीकरण की अनुमानित लागत लगभग 3.52 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) दोनों पक्षों नामश: एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ और अंसाल्डो (ई॰ एस॰ पी॰ के आपूर्त्तिकर्ता) के अधिकारों और दायित्वों के प्रति बिना किसी पक्षपात के, मरम्मत और परिवर्तनों का कार्य किया जा रहा है, जबकि निविदा सम्बन्धी विवादों, अगर कोई हों, के समाधान के कारण होने वाले विलम्ब को रोका जा सके। चूँकि, जाँच रिपोर्ट अब प्राप्त हो गई है, इसलिये ई॰ एस॰ पी॰ की मरम्मत, पुनर्वास और सुदृढ़िकरण पर हुए व्यय को वहन करने सम्बन्धी मामला संवीक्षाधीन है और निविदा के अनुसार उपर्युक्त कार्रवाई की जाएगी। विद्युत उत्पादन की हानि सम्बन्धित मुआवजे के बारे में, मै॰ अंसाल्डो के साथ किए गए अनुबन्ध में इस तरह की अनुवर्ती/अप्रत्यक्ष हानि की वसूली हेतु कोई प्रावधान नहीं है।

## नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के कार्य-निष्पादन में सुधार

**4953. श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने अपने कार्य-निष्पादन में सुधार किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, किया गया उत्पादन विद्युत उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि और क्षमता में हुई वृद्धि का ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त वर्ष के दौरान इससे पहले के दो वर्षों (1992-93 और 1993-94) की तुलना में कितने प्रतिशत का सुधार हुआ है;

(घ) क्या नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन ने वित्तीय वर्ष 1995-96 के लिए कोई निगमित योजना बनाई है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल)** : (क) जी हां, गत वर्षों की तुलना में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन (एन॰ टी॰ पी॰ सी॰) के कार्यनिष्पादन में सुधार हुआ है।

(ख) और (ग) 1994-95 के दौरान एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ द्वारा अर्जित लाभ, किया गया कारोबार विद्युत उत्पादन और क्षमता अभिवृद्धि तथा वर्ष 1993-94 एवं 1992-93 की तुलना में सुधार के प्रतिशत का ब्यौरा निम्नवत है :-

| मानदण्ड | 1994-95 | 1993-94 की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) | 1993-94 | 1992-93 की तुलना में वृद्धि (प्रतिशत में) | 1992-93 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| शुद्ध लाभ (करोड़ रुपये) | 1112.15* | 5.12 | 1057.97 | 19.29 | 886.86 |
| कारोबार (करोड़ रु॰) | 6373* | 6.82 | 5965.78 | 27.52 | 4678.47 |
| विद्युत उत्पादन (मिलियन यूनिट) | 79090 | 3.41 | 76478 | 15.71 | 66092 |
| क्षमता अभिवृद्धि (मेगावाट) | 1096 | | 1475 | | 1721 |

(*अन्तिम)

(घ) और (ङ) जी हां। वर्ष 1995-96 के लिए एन॰ टी॰ पी॰ सी॰ को वार्षिक योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :-

| | | |
|---|---|---|
| कारोबार | : | 7645.78 करोड़ रु॰ |
| विद्युत उत्पादन | : | 83,000 मिलियन यूनिट |
| क्षमता में अभिवृद्धि | : | 500 मेगावाट |

## छोटे पत्तनों का निजीकरण

**4954. श्री चित्त बसु : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "नेशनल शिपिंग बोर्ड" ने इस बीच देश के विभिन्न भागों में छोटे पत्तनों का निजीकरण करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) क्या सरकार ने केरल में अलेप्पी पत्तन और उड़ीसा में गोपालनगर पत्तन के विकास के लिए निजी क्षेत्र को देने का निर्णय लिया है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) जी नहीं। राष्ट्रीय नौवहन बोर्ड ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

(ग) केरल सरकार ने सूचित किया है कि उन्होंने अलेपी पत्तन सहित लघु पत्तनों के विकास में निजी सहभागिता की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

गोपालपुर पत्तन के बारे में उड़ीसा सरकार ने सूचित किया है कि वे विभिन्न विकल्पों की जांच कर रहे हैं।

## जल विद्युत नीति

4955. **श्री एम. वी. वी. एस. मूर्ति :**

**श्री मणिकराव होडल्या गावीत :**

**श्री गोपीनाथ गजपति :**

क्या **विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने जल विद्युत सम्बन्धी ऐसी राष्ट्रीय नीति को अंतिम रूप दिया है, जिसमें जल विद्युत और ताप विद्युत के बीच असंतुलन को ठीक करने के लिए जल विद्युत उत्पादन एककों को और अधिक वित्तीय प्रोत्साहनों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ताप और जल विद्युत की स्थापित क्षमता तथा निर्माणाधीन/स्वीकृत परियोजनाओं से उत्पन्न की जाने वाली क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी धनराशि खर्च की जाएगी;

(घ) केन्द्र सरकार के पास विचार हेतु लम्बित जल विद्युत परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है तथा विदेशी निवेश कम्पनियों के साथ ऐसी किन परियोजनाओं पर बातचीत चल रही है; और

(ङ) जल विद्युत परियोजनाओं हेतु स्वीकृत/विचाराधीन विदेशी निवेश का ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी. पटेल)** : (क) और (ख) जल विद्युत के संबंध में कोई नई नीति तैयार नहीं की गई है। तथापि, जल विद्युत उत्पादन में निजी क्षेत्र की अधिकाधिक भागीदारी को प्रोत्साहन देने को मद्देनजर रखते हुए उन जल विद्युत परियोजनाओं जिन्हें 1.1.1997 के बाद चालू किया जाना है, के लिए दिनांक 13.1.1995 की एक अधिसूचना के द्वारा अतिरिक्त प्रोत्साहनों की अनुमति प्रदान की गई है। इनमें, उच्च मशीन उपलब्धता और गौण ऊर्जा के लिए प्रोत्साहन भी शामिल है। उच्च प्रचालन और अनुरक्षण प्रावधानों के अलावा, उसमें आरंभिक सात वर्षों के लिए जल संबंधी संरक्षण का भी प्रावधान है। इसके अलावा इस अधिसूचना में, परियोजना के संप्रवर्तकों की ऋण परिशोधन आवश्यकता को पूरा करने को मद्देनजर रखते हुए मूल्यह्रास के बदले अग्रिम राशि प्राप्त करने का भी प्रावधान है।

(ग) 31.3.1995 की स्थिति के अनुसार ताप विद्युत और जल विद्युत की राज्यवार अधिष्ठापित क्षमता का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। इस समय, 127 स्वीकृत स्कीमें मौजूद हैं, जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 32277.55 मे. वा. है। इन परियोजनाओं पर आने वाला नवीनतम व्यय 86775.22 करोड़ रुपए है।

(घ) और (ङ) 34 जल विद्युत स्कीमें (10 करोड़ और उससे अधिक की लागत वाली) जिनकी कुल अधिष्ठापित क्षमता 12899.90 मे. वा. है, को अधिष्ठापित किए जाने हेतु अभिज्ञात किया जा चुका है। इन परियोजनाओं को क्रियान्वित किए जाने से पहले आवश्यक निवेश/स्वीकृतियां प्राप्त करने और वित्तीय संसाधनों को अभिज्ञात करने की आवश्यकता है। 5 स्कीमों, जिनकी अधिष्ठापित क्षमता 1901 मे. वा. है, को अधिष्ठापित करने हेतु 5 विदेशी कम्पनियों द्वारा रूचि प्रकट की गई है। इनका ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। इन स्कीमों में से 2 भारतीय कम्पनियों के साथ संयुक्त उद्यम के रूप में अधिष्ठापित की जा रही हैं और इनमें से एक मध्यप्रदेश में स्थित महेश्वर परियोजना को केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

### विवरण-I

**31.3.95 की स्थिति के अनुसार विद्युत उत्पादन संयंत्र अधिष्ठापित क्षमता का राज्य-वार ब्यौरा**

| क्र. सं. | क्षेत्र/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | अधिष्ठापित क्षमता (मे. वा.) जल विद्युत | ताप विद्युत |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| एक. | **उत्तरी क्षेत्र** | | |
| 1. | हरियाणा | 883.90 | 896.42 |
| 1. | हिमाचल प्रदेश | 273.57 | 0.13 |
| 3. | जम्मू एवं कश्मीर | 180.31 | 181.76 |
| 4. | पंजाब | 1798.94 | 1710.07 |
| 5. | राजस्थान | 967.50 | 978.00 |
| 6. | उत्तर प्रदेश | 1504.55 | 4570.19 |
| 7. | चण्डीगढ़ | 0.00 | 2.00 |
| 8. | दिल्ली | 0.00 | 595.60 |
| 9. | केन्द्रीय क्षेत्र (उ. क्षे.) | 1530.00 | 6862.00 |
| | जोड़ (उ. क्षे.) | 7138.85 | 15786.18 |
| दो. | **पूर्व क्षेत्र** | | |
| 1. | गोवा | 0.05 | 0.11 |
| 2. | गुजरात | 427.00 | 4511.47 |
| 3. | मध्य प्रदेश | 845.86 | 3017.50 |
| 4. | महाराष्ट्र | 1748.22 | 8247.00 |
| 5. | दादर एवं नगर हवेली | 0.00 | 0.00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| 6. | दमन और दीव | 0.00 | 0.00 |
| 7. | केन्द्रीय क्षेत्र (पू. क्षे.) | 0.07 | 4652.00 |
| | जोड़ (पू. क्षे.) | 3013.13 | 20428.08 |
| तीन. | दक्षिण क्षेत्र | | |
| 1. | आन्ध्र प्रदेश | 2655.94 | 2551.50 |
| 2. | कर्नाटक | 2409.55 | 967.92 |
| 3. | केरल | 1491.50 | 0.00 |
| 4. | तमिलनाडु | 1947.70 | 2709.35 |
| 5. | पाण्डिचेरी | 0.08 | 0.00 |
| 6. | केन्द्रीय क्षेत्र (द. क्षे.) | 0.00 | 4170.00 |
| | जोड़ : (द. क्षे.) | 8504.69 | 10478.77 |
| चार. | पूर्वी क्षेत्र | | |
| 1. | बिहार | 161.60 | 1603.50 |
| 2. | उड़ीसा | 1271.92 | 680.00 |
| 3. | प. बंगाल | 71.51 | 3478.88 |
| 4. | डी. वी. सी. | 144.00 | 2097.50 |
| 5. | सिक्किम | 30.09 | 2.70 |
| 6. | केन्द्रीय क्षेत्र (पू. क्षे.) | 0.0 | 2730.00 |
| | जोड़ : (पू. क्षे.) | 1679.92 | 19592.58 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|
| पाँच. | उत्तर-पूर्वी क्षेत्र | | |
| 1. | अरूणाचल प्रदेश | 23.55 | 15.81 |
| 2. | असम | 2.00 | 595.19 |
| 3. | मणिपुर | 2.60 | 9.41 |
| 4. | मेघालय | 186.71 | 7.05 |
| 5. | मिजोरम | 3.37 | 21.07 |
| 6. | नागालैण्ड | 3.20 | 3.62 |
| 7. | त्रिपुरा | 16.01 | 37.35 |
| 8. | केन्द्रीय क्षेत्र (उ. पू. क्षे.) | 255.01 | 104.50 |
| | जोड़ : (उ. पू. क्षे.) | 492.45 | 790.00 |
| छः | द्वीपसमूह | | |
| 1. | अण्डमान निकोबार द्वीपसमूह | 0.00 | 29.47 |
| 2. | लक्षद्वीप | 0.00 | 5.37 |
| 1. | | | |
| | जोड़ (दीपसमूह) | 0.00 | 34.84 |
| | केन्द्रीय क्षेत्र | 1929.00 | 20612.00 |
| | राज्य क्षेत्र | 18456.03 | 34397.79 |
| | निजी क्षेत्र | 444.00 | 310.58 |
| | रा. क्षे.+निजी क्षेत्र | 18908.03 | 37498.37 |
| | अखिल भारत | 20829.04 | 5811037 |
| | कुल का प्रतिशत | 25.62 | 71.60 |

## विवरण-II

### निजी क्षेत्र कम्पनियों द्वारा दर्शाई गई अभिरुचि का ब्यौरा

| क्र. सं. | कम्पनी का नाम | विदेशी/ भारतीय | क्षमता (मे. वा.) | अनंतिम लागत (क. रुपये में) | कम्पनी का नाम |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **अरूणाचल प्रदेश** | | | | | |
| 1. | कामेंग एच. ई. पी. | विदेशी/ भारतीय संयुक्त उद्यम | 600.000 | 1800.000 | इन्टर कोर्प. इण्डस्ट्रीज लि./स्नोवी माउंटेन इंजीनियरिंग लि. |
| | जोड़ : 1 | | 600.000 | 1800.000 | |
| **हिमाचल प्रदेश** | | | | | |
| 2. | धमवारी एच. ई. पी. | विदेशी | 70 | 272.000 | हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी, यू. एस. ए. |
| 3. | हिब्रा एच. ई. पी. | विदेशी | 231 | 708.500 | हार्जा इंजीनियरिंग कम्पनी, यू. एस. ए. |
| | जोड़ : 2 | | 301.00 | 980.500 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|
| **कर्नाटक** | | | | | |
| 4. | अलामाट्टी डैन | विदेशी | 600 | 1902.000 | एशिया पावर कम्पनी लि. |
| | जोड़ : 1 | | 600.00 | 1900.000 | (टापको) यू. एस. ए., के. पी. सी. |
| **मध्य प्रदेश** | | | | | |
| 5. | माहेश्वर एच. ई. पी. | विदेशी/ भारतीय संयुक्त उद्यम | 10 × 40 | 1073.000 | मै. एस. कुमार्स/बैचटेल, यू. एस. ए. |
| | जोड़ : 1 | | 400.00 | 1073.000 | |
| | कुल जोड़ : 5 | | 1901.02 | 5753.502 | |

## चीन के साथ समझौता

**4956. डा. आर. मल्लू** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच हाल ही में सीधे बैंकिंग सम्पर्क स्थापित करने हेतु समझौते और बहु-प्रवेश बिन्दु वीजा (मल्टी पाइंट एन्ट्री वीजा) जारी करने हेतु किसी समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गये थे; और

(ख) यदि हां, तो इनकी मुख्य-मुख्य बातें क्या-क्या हैं?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया)**: (क) उप-राष्ट्रपति की 21 से 28 अक्तूबर, 1994 तक चीन की यात्रा के दौरान बैंकिंग सहयोग और वीजा प्रक्रियाओं को सरल बनाने से संबद्ध दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) बैंकिंग सहयोग से संबद्ध समझौता ज्ञापन में यह व्यवस्था की गई है कि दोनों देश दूसरे देश के बैंकों द्वारा प्रतिनिधि कार्यालय खोलने पर अनुकूल रूप से विचार करेंगे और अधिकर्ता बैंकिंग प्रबंधों को सुदृढ़ करेंगे। वीजा की प्रक्रियाओं को सरल बनाने से संबद्ध समझौता ज्ञापन में यह व्यवस्था है कि दोनों देश एक-दूसरे के देश में स्थित राजनयिक और कौंसली मिशनों में कार्यरत राजनयिक और सरकारी पासपोर्ट धारकों को बहुत-बार प्रवेश वीजा जारी करेंगे जो तीन वर्ष के लिए वैध होंगे।

## "ट्रान्सचार्ट" को सुदृढ़ बनाना

**4957. श्री एस. एम. लालजान वाशा** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने "ट्रान्सचार्ट" को सुदृढ़ बनाने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या अन्य मंत्रालयों ने ट्रान्सचार्ट को जारी रखने का विरोध किया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) जी हां।

(ख) ऐसा जनहित में और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि एफ. ओ. बी. आधार पर आयात और सी. आई. एफ. आधार पर निर्यात संबंधी वर्तमान नीति का अनुपालन किया जाए और एक केन्द्रीयकृत एजेंसी के माध्यम से प्रति स्पर्द्धात्मक भाड़ा दरों पर सरकारी कार्गो के लिए नौवहन व्यवस्था की जाए, ताकि भारत में राष्ट्रीय टनभार में अधिकतम उपयोग के लिए नौवहन पर नियंत्रण रखा जा सके।

(ग) और (घ) जी हां। यद्यपि, कुछ मंत्रालयों ने मौजूदा नीति की समीक्षा की इच्छा व्यक्त की है।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विश्वविद्यालय

**4958. श्री मोहन रावले** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विश्वविद्यालय के निर्माण संबंधी प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विश्वविद्यालय को कहां बनाए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) उक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब तक की जाएगी?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की दिनांक 10.1.95 को हुई बैठक में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक रूप से सहमति हुई थी। विश्वविद्यालय की स्थान स्थिति सहित अन्य विवरण तैयार करने हेतु एक कार्य दल गठित किया गया है।

## केन्द्रीय सड़क निधि में राशि जमा करना

**4959. श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में कितनी राशि जमा की गयी है; और

(ख) विभिन्न राज्यों में इस राशि को किस अनुपात से वितरित किया गया है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान केन्द्रीय सड़क निधि में अंतरित राशि निम्न प्रकार है :

| वर्ष | राशि (करोड़ रु.) |
|---|---|
| 1990-91 | 9.74 |
| 1991-92 | 9.18 |
| 1992-93 | 9.18 |
| 1993-94 | 10.18 |

(ख) इस राशि को विभिन्न राज्यों में प्रत्येक राज्य के लिए संचित होने वाली संभावित राशियों, जिन्हें राज्य में पेट्रोल की खपत और केन्द्रीय सड़क निधि के अधीन मंजूर की गई स्कीमों की प्रगति के आधार पर निर्धारित किया गया है, के अनुसार वितरित किया गया है।

[हिन्दी]

## वजीरपुर में गंदी बस्ती में रहने वालों को भू-खंडों का आवंटन

**4960. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा सावन पार्क में कराए गए सर्वेक्षण के अनुसार वजीरपुर, फेज-4 की बुनकर कालोनी में गंदी बस्ती में रहने वालों को 32 वर्ग मीटर के भू-खंडों को 1994 तक आवंटित करने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ख) क्या किश्तों की प्राप्ति में देरी के कारण दिल्ली सरकार विकास प्राधिकरण उन बस्ती में रहने वालों को भू-खंड देने में बाधाएं खड़ी कर रहा है जिनका इस उद्देश्य हेतु सर्वेक्षण हो गया है तथा ब्याज की निश्चित दर वसूल करने की बात से भी हट रहा है;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में कोई ज्ञापन मिला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन)** : (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट द्वारा मई, 1991 में की गई जांच की रिपोर्ट के अनुसार 482 व्यक्ति के आबंटन हेतु पात्र पाये गये थे। उनको प्लाट आबंटन में विलम्ब इस कारण हुआ कि इस सूची को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दे दी गई थी। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 30.7.1993 के फैसले से इस मामले को निपटाया। इन आदेशों के अनुसरण में अगली कार्यवाही प्रगति पर है।

(ख) माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिनांक 30.7.1993 के अपने फैसले में, सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट की जांच के आधार पर 482 व्यक्तियों के लिये निकाले गये ड्रा को रद्द कर दिया। दिल्ली विकास प्राधिकरण को एक परमादेश जारी किया गया और पहले उन 650 व्यक्तियों को आबंटन करने के लिये कहा गया जिनको मांग एवं आबंटन पत्र जारी कर दिये गये थे और जिन्होंने उसके अनुसरण में भुगतान कर दिया था। तथापि, दिल्ली विकास प्राधिकरण को प्रमाणित व्यक्तियों को समुचित नोटिस देने के पश्चात् इस सूची की जांच करने की छूट स्वतंत्रता दी गई थी। मांग एवं आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार आबंटियों द्वारा चार किस्तों में भुगतान किया जाना था। उनके द्वारा प्रथम किस्त का भुगतान, मांग पत्र जारी करने की तारीख से सात दिनों के भीतर किया जाना अपेक्षित था माननीय उच्च न्यायालय ने केवल उन व्यक्तियों को पात्र घोषित किया जिन्होंने मांग एवं आबंटन पत्र की शर्तों के अनुसार भुगतान कर दिया था अर्थात् सभी चार किस्तों का भुगतान समय पर कर दिया था। तथापि, प्रशासनिक दृष्टिकोण, प्रथम किस्त के भुगतान को केवल पात्रता निर्धारित करने के लिये अपनाया गया था और वे सभी, जिन्होंने 7 दिन के बजाय 30 दिनों के भीतर भुगतान किया था, पात्र घोषित कर दिय गये थे। 23.1.95 को हुए ड्रा के पश्चात पात्र व्यक्तियों को आबंटन पत्र जारी किये गये हैं। तीन किस्तों के भुगतान में विलम्ब को, विलम्ब की अवधि के लिये ब्याज का भुगतान किये जाने पर नियमित किया जा सकता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

## सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय निष्पादन

**4961. श्री गोपीनाथ गजपति** : क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का विगत तीन वर्षों का वित्तीय निष्पादन क्या रहा है; और

(ख) सरकारी क्षेत्र के इन उपक्रमों का आगामी वित्तीय वर्ष में वित्तीय निष्पादन में सुधार लाने हेतु क्या कदम उठाने का विचार है ?

**खान मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री बलराम सिंह यादव):** (क) खान मंत्रालय के तहत सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों का पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय कार्य निष्पादन नीचे दिया गया है:-

रू./करोड़

| सरकारी क्षेत्र के उपक्रम का नाम | 1992-93 | 1993-94 | 1994-95 (अनन्तिम) |
|---|---|---|---|
| | | | (अनआडिटिड) |
| 1. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ | 134.88 | 156.72 | 294.62 |
| 2. भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि॰ | 1.86 | 15.27 | 67.73 |
| 3. हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड | 26.40 | (-) 69.55 | 67.45 |
| 4. हिन्दुस्तान जिंक लिमिटेड | 62.86 | 4.55 | 75.00 |
| 5. खनिज गवेषण निगम लिमिटेड | (-) 10.34 | (-) 11.86 | (-) 15.69 |
| 6. भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड | (-) 34.40 | (-) 42.14 | (-) 34.86 |

(ख) नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लि॰, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लि॰, हिन्दुस्तान कॉपर लि॰ और हिन्दुस्तार जिंक लि॰ ने अपना कार्य निष्पादन सुधारने के लिए वर्तमान क्षमता का विस्तार, लागत कम करने के उपाय, उत्पादकता में बढ़ोत्तरी, कच्चे माल के उपभोग में कमी, प्रभावी विपणन पद्धति अपनाने जैसे कदम उठाए हैं। भारत गोल्ड माइंस लि॰ के मामले को औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण मंडल (बी॰ आई॰ एफ॰ आर॰) को सौंपा गया है जिसने कंपनी के लिए पुनर्गठन पैकेज तैयार करने के लिए मैसर्स इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इनवेस्टमेंट कारपोरेशन ऑफ इंडिया (आई॰ सी॰ आई॰ सी॰ आई॰) को संचालक संस्था के रूप में नियुक्त किया है। खनिज गवेषण निगम लि॰ ने अपना कार्य निष्पादन सुधारने के लिए श्रमशक्ति को तर्क संगत बनाये, कार्य उपलब्धता को बढ़ाने जैसे उपाय किये हैं।

**[हिन्दी]**

## दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा फ्लैटों का आवंटन

**4962. डा॰ लाल बहादुर रावल :** क्या **शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) फ्लैटों/प्लाटों के आवंटन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण (डी॰ डी॰ ए॰) द्वारा इस समय चलाई जा रही योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक योजना के अंतर्गत स्थान-वार एल॰ आई॰ जी॰/एम॰ आई॰ जी॰/जनता फ्लैट्स का अलग-अलग निर्धारित मूल्य क्या है तथा विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत व्यक्तियों से फ्लैट-वार/प्लोट-वार कितनी राशि ली जा रही है;

(ग) क्या वास्तविक लागत की तुलना में पंजीकृत व्यक्तियों से बहुत अधिक राशि ली जा रही है;

(घ) यदि हां, तो इस अंतर को कम करने हेतु सरकार क्या कार्यवाही कर रही है;

(ङ) क्या सरकार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सस्ते मूल्य पर आवास उपलब्ध कराने में विफल रही है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(छ) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत पंजीकृत व्यक्तियों को कितनी छूट दी गई है और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन) :** (क) दिल्ली विकास प्राधिकरण ने बताया है कि नीचे दी गई योजनाओं के निम्न आय वर्ग (एल॰ आई॰ जी॰) श्रेणी, उच्च आय वर्ग (एम॰ आई॰ जी॰ श्रेणी) तथा जनता श्रेणी के पंजीकृत व्यक्तियों को अभी फ्लैट उपलब्ध कराये जाने हैं :-

(i) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशन स्कीम-1979

(ii) अम्बेडकर आवास योजना-1989

जहां तक डी॰ डी॰ ए॰ द्वारा घोषित स्व वित्त पोषण योजना की बात है, पंजीकृत आवेदकों को फ्लैट लेने का आखिरी अवसर पहले ही दिया गया है। स्व वित्त आवास योजना VII एवं विस्तारणीय आवास योजना-1995 के लिए आवेदकों को फ्लैट मुहैया कराने बाबत ड्रा निकाले जा चुके हैं।

वर्तमान में रोहिणी आवासीय योजना 1981 के तहत प्लाट मुहैया कराये जा रहे हैं

(ख) और (ग) न्यू पैटर्न रजिस्ट्रेशम स्कीम, 1979 एवं अम्बेडकर आवास योजना 1989 के तहत फ्लैटों के लागत का इलाके वार उल्लेख नहीं किया गया है। एन॰ पी॰ आर॰ एस-79 विवरणका में उल्लिखित फ्लैटों की सम्भावित लागत इस प्रकार थे :-

| | |
|---|---|
| उच्च आय वर्ग | 42,000.00 |
| निम्न आय वर्ग | 18,000.00 |
| जनता | 08,000.00 |

तथापि, वर्तमान में डी॰ डी॰ ए॰ द्वारा वसूल की जा रही फ्लैटों की औसतन लागत इस प्रकार है :-

| | |
|---|---|
| जनता (बहुमंजिलीय) | रू॰ 1.53 लाख |
| एल॰ आई॰ जी॰ (बहुमंजिले) | रू॰ 3.00 से 3.50 |
| एम॰ आई॰ जी॰ (बहुमंजिले) | रू॰ 5.50 से 6.00 लाख |
| एस॰ एफ॰ एस॰ श्रेणी-II | रू॰ 5.84 लाख |
| एस॰ एफ॰ एस॰ श्रेणी-III | रू॰ 8.11 लाख |

(ii) विस्तारणीय आवास योजना-1995 के तहत श्रेणी "ए" ईकाई (एक कमरे के सेट) की कीमत 1.90 लाख रु॰ से 3.76 लाख रुपए तक है, तथा श्रेणी "बी" ईकाई (दो कमरों का सेट) की कीमत 4.32 लाख रु॰ से 5.21 लाख रुपए तक हैं।

(iii) रोहिणी आवासीय योजना के तहत वर्ष 1994-95 के लिए भूमि की स्वीकृत दर इस प्रकार है :-

| श्रेणी | प्लाटों के आकार | दर प्रति वर्ग मीटर |
|---|---|---|
| मध्यम आय वर्ग | 60 वर्ग मीटर | रु॰ 2772.65 |
| | 90 वर्ग मीटर | रु॰ 3094.73 |
| निम्न आय वर्ग | 32 वर्ग मीटर | रु॰ 1806.43 |
| | 48 वर्ग मीटर | रु॰ 2128.50 |
| आर्थिक रूप से कमजोर | 26 वर्ग मीटर | रु॰ 1484.35 |

(घ) चूंकि प्लाटों एवं फ्लैटों का लागत-निर्धारण "लाभ-हानि रहित" आधार पर किया जाता है, इसलिए लागत में कमी की गुंजाइश नहीं है।

(ङ) और (च) उपर्युक्त (घ) के उत्तर के आलोक में प्रश्न ही नहीं उठता।

(छ) अम्बेडकर आवास योजना के अन्तर्गत आवंटितियों को अन्य योजनाओं के सदृश पंजीकृत व्यक्तियों की तुलना में फ्लैटों की कीमत में कोई छूट नहीं दी जाती हैं।

**[अनुवाद]**

## उर्वरकों की उत्पादन लागत

**4963. प्रो॰ उम्मा रेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उर्वरकों की उत्पादन लागत में कमी करने हेतु उपाय तलाशने के लिए कोई अध्ययन कराया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)** : (क) और (ख) यद्यपि उर्वरकों की उत्पादन लागत को कम करने के तरीकों का पता लगाने के लिए कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया गया है, उर्वरक मूल्य निर्धारण संबंधी संयुक्त संसदीय समिति ने इस उद्देश्य के लिए कुछ उपाय दर्शाए थे। सरकार द्वारा स्वीकार की गयी संयुक्त संसदीय समिति की कुछ सिफारिशें ये हैं; नियंत्रित उर्वरकों के संबंध में प्रतिधारणा मूल्य निर्धारित करते समय ऊर्जा संरक्षण उपायों की पहचान करना, फास्फोरिक एसिड के आयात पर सीमा शुल्क समाप्त करना, उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक संयंत्र तथा मशीनरी के आयात पर सीमा शुल्क को समाप्त करना और दीर्घावधिक ऋणों पर ब्याज पर रियायतें हैं। कुछ सिफारिशें जिन्हें स्वीकृत नहीं किया जा सका है वे प्राकृतिक गैस के मूल्य में कमी करना, उर्वरक उद्योग के लिए अन्य फीडस्टाकों अर्थात् नेफथा, ईधन तेल, एल॰ एस॰ एच॰ एस॰, के मूल्य का स्थिरीकरण तथा उर्वरक संयंत्र स्थापित करने के लिए आवश्यक पूंजीगत मालों पर उत्पाद शुल्क समाप्त करना है।

## शहरी क्षेत्रों के लिये पेयजल

**4964. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये : क्या शहरी कार्य और रोजगार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत कुल कितना पूंजी निवेश किया गया और निर्धारित मानदंडों की दृष्टि से इसके क्या परिणाम निकले;

(ख) कितने शहरों में पेयजल की भारी समस्या है और आगामी दो वर्षों के लिए वर्ष-वार तथा राज्य-वार धनराशि के आवंटन की दृष्टि से इन्हें क्या प्राथमिकता प्रदान की गई है; और

(ग) गोवा में इस योजना के अन्तर्गत हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और आगामी वर्षों के लिए कितना आवंटन किए जाने का प्रस्ताव है तथा इस संबंध में क्या लक्ष्य निर्धारित किए गये हैं ?

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : (क) और (ख) शहरी क्षेत्रों में पेय जल मुहैया कराने के लिए "त्वरित शहरी जल आपूर्ति कार्यक्रम" (ए॰ यू॰ डब्ल्यू॰ एस॰ पी॰) नामक एक ही केन्द्र प्रवर्तित स्कीम है। यह 20,000 से कम की आबादी वाले कस्बों के लिए लागू है। यह स्कीम मार्च, 94 में शुरू की गई थी। 1993-94 और 1994-95 के दौरान राज्य सरकार को दी गई धनराशि क्रमशः 11.45 करोड़ और 16.99 करोड़ रुपये है। राज्य सरकारों द्वारा इन परियोजनाओं में बराबर की धनराशि का निवेश किया जाना अपेक्षित है। चूंकि, जल आपूर्ति स्कीमों के पूरा होने में लगभग 3 वर्ष का समय लगता है, स्कीमों को पूरा होने के संदर्भ में किसी वास्तविक उपलब्धि की अभी तक कोई जानकारी की सूचना नहीं दी गई है। राज्यों के बीच निधियों के नियतन बाबत मानदण्ड और विशेष समस्याओं वाले कस्बों को प्राथमिकता देने बाबत मानदण्ड संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस कार्यक्रम के तहत कुल आठवीं योजना नियतन 50 करोड़ रुपये होने के नाते, 1993-94 और 1994-95 के दौरान प्रयुक्त धनराशि की गणना के पश्चात्, चयनित कस्बों में कार्यान्वयन की प्रगति और निधियों के उपयोग के आधार पर राज्यों को बकाया धनराशि दी जाएगी। कस्बों का चयन एक राज्य स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। तथापि, चयनित कस्बों के लिए व्यापक परियोजना रिपोर्टें

तकनीकी दृष्टि से केन्द्र सरकार से अनुमोदित करवाई जानी चाहिए।

(ग) जैसा कि ऊपर बताया गया है जल आपूर्त्ति स्कीमों के पूरा होने में लगभग 3 वर्ष लग जाते हैं और इसलिए, स्कीम के पूरा होने के संदर्भ में किसी वास्तविक उपलब्धि की जानकारी अभी तक गोवा से नहीं है।

गोवा सरकार ने 1994-95 के दौरान 51.13 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत वाली दो व्यापक परियोजना रिपोर्टें भेजी थीं और दोनों का अनुमोदन कर दिया गया है।

अनुमोदित परियोजना लागत के 50% अर्थात् 25.57 लाख रुपये (केन्द्रीय अंश) में से गोवा सरकार को क्रमशः मार्च, 94 और मार्च, 95 में 6.20 लाख रुपये और 10.14 लाख रुपये दिए गए थे। आगे निधियां रिलीज करना, राज्य सरकार द्वारा इन स्कीमों के कार्यान्वयन की गति पर निर्भर करेगा।

## विवरण

### राज्यों के बीच नियतन बाबत् मानदण्ड

इस स्कीम के तहत सहायता के लिए प्रत्येक पात्र राज्य के अंश के निर्धारण हेतु निम्नलिखित मानदण्ड लागू होंगे।

(क) ऐसे कस्बों की आबादी को 50% महत्व दिया जा रहा है;

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में निर्धनता की व्याप्ति को 35% महत्व दिया जा रहा है;

(ग) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कस्बों की संख्या को 5% महत्व दिया जा रहा है;

(घ) डी॰ पी॰ ए॰ पी॰, डी॰ डी॰ पी॰, एच॰ ए॰ डी॰ पी॰ और विशेष श्रेणी पहाड़ी राज्यों के तहत लाभान्वित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की विशेष आवश्यकताओं वाले ऐसे कस्बों की आबादी के संदर्भ में 10% महत्व दिया जा रहा है।

**विशेष समस्याओं वाले कस्बों के लिए प्राथमिकताएं**

ऐसी विशेष समस्याओं वाले कस्बों को प्राथमिकता दी जाएगी जहां :

(क) प्रति व्यक्ति आपूर्त्ति अत्यधिक कम हो,

(ख) जल स्रोत अत्यधिक दूरी पर अथवा गहरा हो,

(ग) सूखा-सम्भावित क्षेत्र,

(घ) जल स्रोत में अधिक्य लवणता, फ्लोराइड, लौह तत्व,

(ङ) जल संक्रामक रोगों की अधिक व्यक्ति

इस प्रयोजनार्थ, राज्यों को सलाह दी गई है कि वे व्यापक परियोजना रिपोर्टें तैयार करने से पूर्व इन विशेष समस्याओं वाले कस्बों की सूची पहले तैयार करें। इस प्रकार, नई स्कीमों की बजाय पुनर्वास और संवर्धन स्कीमों को प्राथमिकता दी जाएगी।

## भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड का आधुनिकीकरण

**4965. श्री राम प्रसाद सिंह : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान व्यापक स्तर पर विस्तार, आधुनिकीकरण और विविधीकरण कार्यक्रम तैयार किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम पर अनुमानतः कुल कितना खर्च होगा?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) से (ग) स्टील अथॉरिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) ने दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारों में स्थित अपने एकीकृत इस्पात संयंत्रों में नवीकरण और प्रौद्योगिकीय उन्नयन (आधुनिकीकरण) सम्बन्धी कार्यक्रम शुरू किये हैं। इसकी प्रत्याशित लागत 10,524 करोड़ रुपये है। ये कार्यक्रम कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

चयनित क्षेत्रों अर्थात् सूचना-प्रौद्योगिकीय नौवहन इत्यादि में विविधीकरण लाने के लिए "सेल" विचार कर रहा है।

हाल ही में "सेल" ने मेसर्स यू॰ एस॰ एक्स॰ इंजीनियर्स एण्ड कन्सल्टैंट्स इंक॰ यू॰ एस॰ ए॰ के सहयोग से यू॰ ई॰ सी॰ सेल इन्फारमेशन टेक्नोलॉजी प्रा॰ लि॰ नामक एक संयुक्त उद्यम बनाया है। इस उद्यम का उद्देश्य आधारभूत उद्योगों में कम्प्यूटर प्रयोग के लिए साफ्टवेयर सूचना प्रौद्योगिकी और प्रणाली एकीकरण का विकास और कार्यान्वयन है। संयुक्त उद्यम कम्पनी की प्राधिकृत पूंजी एक करोड़ रुपये है। इसकी प्रारम्भिक अभिदत्त चुकता पूंजी 45 लाख रुपये है। इसमें "सेल" की शेयर धारिता 40% है।

## नेशनल फर्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी

**4966. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या रसायन एवं उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नेशनल फर्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी की स्थापना की गई है;

(ख) यदि हां, तो इसे क्या कार्य दिया गया है तथा इससे किन उद्देश्यों की प्राप्ति होगी;

(ग) यदि नहीं, तो इसे स्थापित करने में देरी के क्या कारण हैं; और

(घ) कब तक यह अथारिटी कार्य करना शुरू कर देगी?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रानिकी विभाग तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)**: (क) से (घ) सितम्बर, 1994 को घोषित औषध निधि,

1986 के संशोधन में मूल्य निर्धारण के कार्य के लिए विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय स्थापित करने का उपबंध है जिसे नेशनल फार्मास्युटिकल प्राइसिंग अथारिटी (एन० पी० पी० ए०) के नाम से जाना जाएगा। यह निकाय मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत औषधों की सूची अद्यतन बनाने का काम करेगा। यह मूल्य विनियंत्रित औषधों और सूत्रयोगों के मूल्यों पर निगरानी भी रखेगा और डी० पी० सी० ओ० के उपबंधों के क्रियान्वयन को देखेगा। एन० पी० पी० ए० स्थापित करने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

## सड़कों हेतु जापानी सहायता

**4967. श्री बोलला बुल्ली रामय्या :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सड़कों के विकास के लिए जापान सहायता देने के लिए सहमत हो गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में किसी समझौत पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो जापान से भारत को कितनी राशि की सहायता मिलेगी;

(घ) उन सड़क परियोजनाओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है जिनका वित्तपोषण जापान द्वारा किया जाएगा; और

(ङ) प्रत्येक सहायता प्राप्तकर्त्ता राज्य को कितनी सहायता मिलने की संभावना है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) और (ख) जी हां।

(ग) से (ङ) एक विवरण संलग्न है।

### विवरण

(ग) से (ङ) जापानी सहायता से वित्त पोषित की जाने वाली सड़क परियोजनाओं के ब्यौरे

| (क) राज्य | राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु ऋण सहायता | |
|---|---|---|
| | परियोजनाओं की संख्या | सहायता की सम्भावित राशि (जापानी येन मिलियन) |
| आंध्र प्रदेश | 1 | 11,360 |
| उड़ीसा | 1 | 5,836 |
| उत्तर प्रदेश | 3 | 19,719 |
| | कुल : | 36,915 |
| (ख) राष्ट्रीय राजमार्गों हेतु अनुदान सहायता | | |
| दिल्ली | 1 | 2,831 |
| | कुल : | 2,831 |
| (ग) बौद्ध केन्द्रों पर्यटक क्षेत्रों में सड़कों में सुधार हेतु ऋण सहायता | | |
| बिहार | 23 | 3,995 |
| उत्तर प्रदेश | 8 | 458 |
| | कुल : | 4,453 |

*(बौद्ध केन्द्रों के पर्यटक क्षेत्रों के विकास हेतु 9244 मिलियन जापानी येन की कुल ऋण सहायता)

(कुल जोड़ : 44199 मिलियन जापानी येन)

[हिन्दी]

## गुजरात में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुल

**4968. श्री एन० जे० राठवा :** क्या **जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 30 अप्रैल, 1995 तक गुजरात की जनजातीय जिलों से गुजरने वाले ऐसे राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है जिनके ऊपर पुल नहीं हैं अथवा हैं तो पुलों की हालत खराब है;

(ख) क्या उन राजमार्गों पर पुलों के निर्माण/मरम्मत के लिए कोई धनराशि मंजूर की गई है;

(ग) यदि हां, तो यह धनराशि कितनी है; और

(घ) ये कार्य कब तक पूरे हो जाएंगे ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 8 गुजरात के जनजातीय क्षेत्रों से गुजरता है।

(ख) और (ग) इस क्षेत्र में पांच पुलों की मरम्मत पुनर्निर्माण के लिए 89.9 लाख रू० मंजूर किए गए हैं।

(घ) तीन पुलों पर कार्य पूरा कर लिया गया है और दो पुलों का पुनर्निर्माण कार्य जून, 96 तक पूरा किया जाना है।

[अनुवाद]

## संयुक्त राष्ट्र महासचिव की कश्मीर मामले में मध्यस्थता

**4969. श्री डी० वेंकटेश्वर राव :**

**डा० वसंत पवार :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने अपनी भारत यात्रा के दौरान कश्मीर मुद्दे पर सीधी और द्विपक्षीय बातचीत के लिए भारत और पाकिस्तान को राजी करने हेतु ईमानदार मध्यस्थ की भूमिका निभाने की पेशकश की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) क्या पाकिस्तान ने इस मामले पर प्रतिक्रिया व्यक्त की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र महासचिव डा॰ बुतरोस बुतरोस घाली ने अपनी भारत यात्रा के दौरान यह संकेत दिया था कि वे भारत और पाकिस्तान के बीच सीधी बातचीत के पुनरारंभ के लिए एक निष्पक्ष मध्यस्थ बनने को तैयार हैं। बहरहाल संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने स्पष्ट किया कि यह कोई पेशकश नहीं है और जब तक दोनों पक्ष इस सम्बन्ध में सहमत नहीं हों, वे कोई भूमिका नहीं निभा सकते।

(ग) सरकार ने इस आशय की खबरें देखी हैं कि पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र महासचिव से बार-बार यह अनुरोध करता रहा है कि वे कश्मीर मसले पर एक मध्यस्थ की भूमिका निभाएं।

(घ) सरकार का बराबर यह मानना रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सभी मतभेद जिनमें कश्मीर मसले से सम्बन्धित पहलु भी शामिल हैं। शिमला समझौते के अनुसार शान्पिूर्ण ढंग से और द्विपक्षीय बातचीत के माध्यम से हल किए जाने चाहिए और इसमें किसी भी तीसरे पक्ष की कोई भूमिका नहीं हो सकती।

## चीन के साथ सीमा का मामला

**4970. डा॰ कृपासिंधु भोई :**

**श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :**

क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान चीन के साथ सीमा के मसले पर दोनों देशों के बीच कोई बातचीत हुई है;

(ख) क्या इस मामले पर दोनों देश किसी सहमति पर पहुंचे हैं ?

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो सीमा के मामले को सुलझाने के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है;

(ङ) क्या दोनों देश सीमा पर सैन्य-शक्ति कम करने हेतु सहमत हो गए हैं; और

(च) यदि हां, तो अब तक सैन्य बलों में कितनी कमी की गई है ?

**विदेश राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया) :** (क) से (च) दोनों देशों के संयुक्त कार्य-दल और विशेषज्ञ दल भारत-चीन सीमा से संबद्ध मसलों पर विचार-विमर्श कर रहे हैं। विगत तीन वर्षों के दौरान संयुक्त कार्य दल की तीन बैठकें हुई हैं–पहली अक्तूबर 1992 में, दूसरी जून, 1993 में और तीसरी जुलाई 1994 में। विशषज्ञ दल की भी तीन बैठकें हुई हैं–पहली फरवरी, 1994 में, दूसरी अप्रैल, 1994 में और तीसरी मार्च, 1995 में।

2. संयुक्त कार्यदल में विचार-विमर्शों के परिणामस्वरूप भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा के पास शांति और अमन बनाए रखने के संबंध में करार सम्पन्न हुआ जिस पर प्रधानमंत्री श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव की सितम्बर, 1993 में चीन की यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। इस करार की एक प्रति संसद के पुस्तकालय में रख दी गई है।

3. इस करार के अन्तर्गत बताए गए कार्यान्वयन उपायों पर विशेषज्ञ दल की बैठक में विचार-विमर्श किया जा रहा है जिसका गठन इस कार्य में संयुक्त कार्य-दल की सहायता के लिए किया गया था। विशेषज्ञ दल की दूसरी बैइक में इसके कार्य-विनियमों के संबंध में सहमति हुई जिसमें इस दल के आदेश, भावी कार्य और तौर-तरीके बताए गए हैं। इस दल की तीसरी बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि उनके सीमा कार्मिकों के बीच बैठकों के लिए अतिरिक्त नामोदिष्ट स्थल सिक्किम क्षेत्र में नाथूला में और मध्य क्षेत्र में एक परस्पर सहमत स्थल स्थापित किया जाएगा। उन्होंने इस विशेषज्ञ दल को सौंपे गए अन्य कार्यों के बारे में भी विचारों का लाभप्रद आदान-प्रदान किया जिनमें, अन्य बातों के अलावा, उनके सीमा क्षेत्रों में भारतीय और चीनी बलों में कितनी और कहां तक कटौती की जाए, उसके समय और उसका स्वरूप तैयार करना, वास्तविक नियंत्रण रेखा का स्पष्टीकरण और विश्वास-निर्माण के अतिरिक्त उपाय बताना शामिल है। इस करार के क्रियान्वयन के भाग के रूप में अभी तक सीमा क्षेत्रों में बलों में कोई कटौती नहीं की गई है।

4. भारत और चीन के संयुक्त कार्य दल में भारत-चीन सीमा प्रश्न का निष्पक्ष, उचित और परस्पर स्वीकार्य समाधान खोजने के अपने प्रयास जारी रखे हैं। उम्मीद है कि अपने सीमा-क्षेत्रों में आपसी विश्वास और समरसता बढ़ाने के लिए दोनों देशों द्वारा उठाए गए ठोस कदमों से एक ऐसा वातावरण सृजित करने में सहायता मिलेगी जो सीमा के समाधान के अनुकूल होगा।

## मिशनों के प्रमुखों के पद और अन्य पद

**4971. श्री सैयद शहाबुद्दीन :** क्या **विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1 जनवरी, 1995 को ग्रेडवार मिशनों के प्रमुखों के पदों और अन्य पदों की संख्या कितनी थी;

(ख) इस तिथि को उनमें ग्रेडवार कितने पद खाली थे;

(ग) उन पदों पर ग्रेड-वार भारतीय विदेश सेवा के कितने अधिकारी तैनात किए गए;

(घ) इन पदों पर अन्य सेवाओं अर्थात् सिविल और सैनिक सेवाओं के ग्रेडवार कितने सदस्य या भूतपूर्व सदस्य तैनात किये गये हैं; और

(ङ) उस तिथि को गेर-सेवा मिशन प्रमुखों तथा पदों के स्थानवार नाम क्या हैं और उनकी तैनाती की तिथियों का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) 01.01.1995 की स्थिति के अनुसार मिशन प्रमुखों के 112 पद तथा केन्द्र प्रमुखों के 36 पद हैं।

(ख) मिशन प्रमुखों के 9 पद तथा केन्द्र प्रमुख का 1 पद रिक्त था।

| (ग) वर्ग | मिशन प्रमुखों की संख्या | केन्द्र प्रमुखों की संख्या |
|---|---|---|
| भा. वि. सेवा - | | |
| का ग्रेड-I | 19 | - |
| भा. वि. सेवा का ग्रेड-II | 20 | 3 |
| भा. वि. सेवा का ग्रेड-III | 50 | 9 |
| भा. वि. सेवा का ग्रेड-IV | 5 | 9 |
| भा. वि. से. के वरिष्ठ/कनिष्ठ वेतन मान में | -- | 11 |
| कुल | 94 | 34 |

(घ) और (ङ) 1.1.1995 को गैर-सेवा मिशन प्रमुखों की संख्या 9 थी तथा गैर-सेवा केन्द्र प्रमुख की संख्या 1 थी। विस्तृत सूचना नीचे लिखे अनुसार है :

| नाम तथा तैनाती की तारीख | पदनाम | देश | सेवा पृष्ठ भूमि |
|---|---|---|---|
| सर्वश्री | | | |
| एस. एस. रे | मिशन प्रमुख | सं. रा. अमरीका | गैर-सेवा |
| 28.10.92 | | | |
| एल. एल. सिंघवी | मिशन प्रमुख | यूके | गैर-सेवा |
| 02.04.1991 | | | |
| कुशक बाकुला | मिशन प्रमुख | मंगोलिया | गैर-सेवा |
| 01.01.1990 | | | |
| भवानी सिंह | मिशन प्रमुख | ब्रूनी | सेना (सेवा निवृत्त) |
| 28.06.1993 | | | |
| डी. एस. पन्नुन | मिशन प्रमुख | घाना | गैर-सेवा |
| 05.03.1992 | | | |
| एच. एस. सिंह | मिशन प्रमुख | माले | गैर-सेवा |
| 29.03.1993 | मिशन प्रमुख | | |
| बिमल प्रसाद | (अब सेवानिवृत्त) | नेपाल | गैर-सेवा |
| 11.01.1991 | मिशन प्रमुख | | |
| पुश्कर जोहरी | (अब सेवानिवृत्त) | भूटान | (भा. वि. सेवा सेवानिवृत्त) |
| 06.03.1992 | | | |
| डा. जी. रामहंस | मिशन प्रमुख | कम्बोडिया | गैर-सेवा |
| 01.07.1994 | | | |
| एम. एफ. फारूकी | | | |
| 09.01.1993 | केन्द्र प्रमुख | जद्दा | भा. प्र. सेवा |

## गंगा जल का बंटवारा

**4972. श्री फूलचन्द्र वर्मा :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश के प्रधान मंत्री ने अपनी हाल ही की श्रीलंका यात्रा के दौरान भारत के साथ गंगा जल बंटवारे संबंधी विवाद को सुलझाने के लिए श्रीलंका से सहायता मांगी थी; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. एल. भाटिया):** (क) 25 से 26 जनवरी, 1995 तक श्रीलंका की अपनी यात्रा के दौरान बंगलादेश की प्रधान मंत्री वेगम खालिदा जिया ने रात्रि भोज के अवसर पर अपने भाषण में नदी जल के बंटवारे के संदर्भ में कहा था कि बंगलादेश भारत के साथ गंगा और अन्य साझी नदियों के जल के सम्बन्ध में किसी समझौते पर पहुंचने का प्रयत्न कर रहा है तथा श्रीलंका जैसे मित्र देशों से अमूल्य समर्थन तथा सद्भाव की अपेक्षा करता है।

(ख) भारत सरकार बंगलादेश की सरकार के साथ साझी नदियों के जल के बंटवारे के प्रश्न का द्विपक्षीय विचार-विमर्श के द्वारा एक न्यायोचित, दीर्घकालिक एवं व्यापक व्यवस्था तय करने के प्रति वचनबद्ध है।

## हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड

**4973. श्री एस. एम. लालजान बाशा :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने विशाखात्तनम में हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के लिए जलयानों हेतु क्रयादेश प्राप्त करने के लिए कोई कदम उठाए हैं, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) और (ख) जल-भूतल परिवहन मंत्रालय ने हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड सहित भारतीय शिपयार्डों के लिए जलयानों के आर्डर प्राप्त करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) भारतीय सार्वजनिक क्षेत्र के शिपयार्डों में निर्मित किए जाने वाले समुद्र गामी जलयानों की मूल्य निर्धारण नीति सितम्बर, 1993 में संशोधित की गई थी। इसके ब्यौरे निम्न प्रकार हैं:-

(i) भारतीय यार्डों में निर्मित होने वाले समुद्रगामी पोतों का मूल्य खुली निविदा के आधार पर नियत किया जाए और भारतीय शिपयार्डों को न्यूनतम बोली देने की छूट है। तत्पश्चात् शिपयार्ड उक्त मूल्य से 30% अधिक मूल्य का हकदार होगा।

(ii) भारतीय शिपयार्डों के आर्डर देने वाली नौवहन कम्पनियों को जलयान की 80% तक की सीमा के लिए 9% की रियायती दर पर ऋण दिए जाएंगे।

(iii) अमेरिकी डालर/जापानी येन में मूल्य का निर्धारण और वास्तविक भुगतान की तारीख को विद्यमान विदेशी मुद्रा की बाजार में नियम समता दर पर शिपयार्ड को प्रत्येक चरण के लिए जहाज मालिकों द्वारा किश्त का भुगतान करना होगा।

वर्तमान मूल्य निर्धारण नीति सितम्बर, 1995 तक की अवधि के लिए वैद्य है। इस अवधि में भारतीय यार्डों को अपने कार्य-निष्पादन में सुधार करके आत्म निर्भरता के स्तर पर पहुंच जाना चाहिए।

(2) भारत के विभिन्न महापत्तों को मार्च, 1993 में ये अनुदेश जारी किए गए थे कि ऐसे पत्तन क्राफ्टों के मामलों में जिनमें प्रत्येक की कीमत 10 करोड़ रु. से अधिक हो, पत्तन न्यासों द्वारा हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, विशाखापत्तनम सहित जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के चार शिपयार्डों को पत्तन क्रोफ्टों की अपनी आवश्यकता के अनुसार एक सीमित निविदा जारी की जाएगी। बाद में दिसम्बर, 1993 में रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के तीन शिपयार्डों को भी इसमें शामिल कर लिया गया था। निविदाओं का मूल्यांकन किया जाना था और सामान्य निविदा प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अधिकतम प्रतियोगी बोलीदाता को ठेका दिया जाना था। ये आदेश केवल 31 मार्च, 1995 तक ही वैध थे।

## डी. टी. सी. को डीजल और पैट्रोल की आपूर्ति

**4974. श्री मोहन रावले :** क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय तेल निगम ने दिल्ली परिवहन निगम (डी. टी. सी.) को डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति रोक देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) 31 दिसम्बर, 1994 तक डीजल और पेट्रोल की आपूर्ति के लिए डी. टी. सी. को भारतीय तेल निगम को कितनी बकाया राशि की अदायगी करनी थी;

(घ) डी. टी. सी. द्वारा निगम को भुगतान नहीं किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) सरकार द्वारा भारतीय तेल निगम की बकाया राशि अदा करने के क्या प्रयास किए गए हैं/किए जाने का प्रस्ताव है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) :** (क) और (ख) भारतीय तेल निगम बार-बार दि.

प० नि० पर यह दबाव डालती रही है कि वह उनकी बकाया राशि शीघ्र लौटा दे। भारतीय तेल निगम (आई० ओ० सी०) ने यह भी सूचित किया है कि यदि दि० प० नि० उनकी बकाया राशि नहीं लौटाता है तो दि० प० नि० को डीजल की आपूर्ति जारी रखना उसके लिए कठिन हो जाएगा।

(ग) 31.12.1994 की स्थिति के अनुसार आई० ओ० सी० की कुल बकाया राशि 19.62 करोड़ रु० थी।

(घ) और (ङ) पिछले कुछ समय से दि० प० नि० घाटे में चल रहा है और यह आई० ओ० सी० सहित अपने विभिन्न आपूर्ति कर्त्ताओं को भुगतान नहीं कर पाया है। सरकार निगम के गैर-योजना व्यय की पूर्ति के लिए, जिसमें तेल कंपनियों को किया जाने वाला भुगतान भी शामिल है, समय-समय पर गैर-योजना निधि जारी करती है। चालू वित्त वर्ष के लिए निधियां पर्याप्त नहीं हैं और दि० प० नि० को अतिरिक्त धन जारी करना पड़ेगा ताकि यह आई० ओ० सी० सहित सभी को बकाया राशि का भुगतान कर सके।

## संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के पुनर्गठन हेतु जापान के साथ वार्ता

**4975. श्री सनत कुमार मंडल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और जापान ने सुरक्षा परिषद् के विस्तार सहित और संयुक्त राष्ट्र में सुधारों और पुनर्गठन पर हाल ही में पहली बार द्विपक्षीय विचार-विमर्श किया है; और

(ख) यदि हां, तो इससे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में भारत को स्थाई सदस्यता दिलाने में कहां तक मदद मिलेगी ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)**: (क) और (ख) जी हां। भारत और जापान के बीच हाल के द्विपक्षीय विचार-विमर्शों से सुरक्षा परिषद् के विस्तार सहित संयुक्त राष्ट्र के सुधार एवं उसकी पुनर्संरचना, के विषय पर विचारों के आदान-प्रदान के लिए उपयोगी अवसर मिला जिससे पुनर्संरचना की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी।

## संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् का लोकतन्त्रीकरण

**4976. श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थाई सदस्यों को प्राप्त वीटो के अधिकार को समाप्त करने का समर्थन किया है और परिषद् के अस्थाई सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके परिणामस्वरूप उभरी सर्वसम्मति का ब्यौरा क्या है ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० एल० भाटिया)**: (क) और (ख) भारत गुट-निरपेक्ष आंदोलन के देशों सहित हमेशा इस बात का समर्थन करता रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की पुन: संरचना की जाए और उसमें सुधार किया जाए इसके साथ ही वीटो की समीक्षा और स्थायी और अस्थायी सदस्यों की संख्या में वृद्धि करने का भी समर्थन करता रहा है। इन मसलों पर संयुक्त राष्ट्र महासभा में विचार-विमर्श चल रहा है और अभी तक इस संबंध में आम सहमति नहीं हुई है।

[हिन्दी]

## पथकर और टोल-टेक्स

**4977. श्री सुरेन्द्र पाल पाठक** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पथकर और टोल-टेक्स बसूली का निजीकरण करने संबंधी कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) और (ख) राज्य सरकारों से सूचना एकत्र की जा रही है और लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

## राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण और रख-रखाव

**4978. श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान नए राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण/रख रखाव हेतु वर्षवार बजट प्रावधान कितना-कितना था और इन कार्यों पर कितना वास्तविक व्यय हुआ और इनके लिए 1995-96 हेतु कितना बजट प्रावधान किया गया है; और

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत और रख-रखव में प्रयुक्त सामग्री की गुणवत्ता और डिजाइन के स्तर में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय राजमार्ग प्रणाली में केवल एक ही राष्ट्रीय राजमार्ग (रा० रा०), अर्थात् आंध्र प्रदेश में रा० रा०-18, जोड़ा गया है। राज्यों को विकास और रख-रखाव के लिए एकमुश्त निधियां आबंटित की जाती हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग वार नहीं।

(ख) सड़क और पुल इंजीनियरिंग के विभिन्न क्षेत्रों में अनेक प्रकार की अनुसंधान स्कीमों के द्वारा डिजाइन मानकों और सामग्री की गुणवत्ता में सुधार के लिए निरन्तर प्रयास किए जाते हैं।

## "केन" उर्वरक की आपूर्ति

**4979. प्रो० उम्मा रेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के माध्यम से "केन" उर्वरक की आपूर्ति की जाती है;

(ख) यदि हां, तो 1994-95 के दौरान इसकी कितनी मात्रा में आपूर्ति की गई;

(ग) क्या यह उर्वरक, डीलर को सीधे वितरित किया जाता है ताकि यह किसानों को फिर बेच दिया जाये; और

(घ) यदि हां, तो नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड द्वारा उर्वरक वितरण हेतु क्या मानदंड अपनाए जाते हैं ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलैक्ट्रोनिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो):** (क) से (घ) नेशनल फर्टिलाइजर्स लि॰ (एन॰ एफ॰ एल॰) आन्ध्र प्रदेश में उर्वरक डीलरों को उनकी विपणन शक्तियों और अपेक्षित वित्तीय व्यवस्थाऐं करने की क्षमता के आधार पर केल्शियन अमोनियन नाइट्रेट की प्रत्यक्ष रूप से आपूर्ति करता है। 1994-95 के दौरान एन॰ एफ॰ एल॰ द्वारा राज्य को 24892 मी॰ टन सामग्री की आपूर्ति की गयी थी।

## आन्ध्र प्रदेश में गैस/जल/ताप/विद्युत परियोजनाएं

**4980. डा॰ आर॰ मल्लू : क्या विद्युत मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने आंध्र प्रदेश में कुछ गैस जल और ताप विद्युत परियोजनाओं की स्थापना की मंजूरी दे दी है;

(ख) यदि हाँ, तो इन परियोजनाओं का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) विभिन्न राज्यों में विद्युत उत्पादन के सम्बन्ध में विदेशी कम्पनियों के साथ कितने समझौता-ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हुए हैं और इनका ब्यौरा क्या है ?

**विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती उर्मिला सी॰ पटेल) :** (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में सभी जल-विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य, जिनको स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, को हाथ में लिया गया है। गैस आधारित विद्युत परियोजनाओं का निर्माण कार्य, निजी प्रवर्तकों द्वारा सभी प्रकार के निवेश एवं स्वीकृतियां सुनिश्चित कर लिए जाने एवं वित्तीय समापन प्राप्त किए जाने के पश्चात ही हाथ में लिया जायेगा।

(घ) अभी तक विदेश निवेश (अप्रवासी भारतीय एवं संयुक्त उद्यम प्रस्तावों सहित) समेत निजी क्षेत्र में 34974 मेगावाट की क्षमता अभिवृद्धि के लिए 46 विद्युत परियोजनाएं स्थापित किए जाने हेतु सहमति-ज्ञापन (एम॰ ओ॰ यू॰) पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

**[हिन्दी]**

## मानवाधिकारों के हनन के सम्बन्ध में आरोप

**4981. डा॰ लाल बहादुर रावल : क्या विदेश मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग द्वारा जम्मू और कश्मीर में मानवाधिकार के हनन के सम्बन्ध में कोई आरोप लगाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा इस संबंध में क्या प्रतिकारक कदम उठाए गए हैं; और

(ग) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग को कश्मीर घाटी में आतंकवादियों द्वारा किए गए अत्याचारों से अवगत कराने हेतु सरकार द्वारा अब तक क्या कदम उठाए गए हैं तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर कश्मीरी आतंकवादियों के प्रशिक्षण के संबंध में पाकिस्तान के दृष्टिकोण का पर्दाफाश करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं ?

**विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर॰ एल॰ भाटिया):** (क) और (ख) संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग अपने सत्रों के दौरान विशिष्ट कार्यसची की मदों के अन्तर्गत विभिन्न देशों में मानवाधिकारों की स्थिति के बारे में विचार-विमर्श करता है और इसके अलावा इसकी विषयगत और देश-विशेष संबंधी क्रिया प्रणाली सभी देशों में मानवाधिकार के विभिन्न पहलुओं की निरन्तर निगरानी करती रहती है। इन क्रियाविधियों की कतिपय रिपोर्टों में भारत में तथा कई अन्य देशों में मानवाधिकारों के कई पहलुओं का उल्लेख किया गया है। भारत ने मानवाधिकार के उल्लंघन के आरोपों का प्रतिकार करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें सभी आरोपों की जांच और उनके प्रति प्रतिक्रिया शामिल हैं।

(ग) भारत ने जम्मू एवं कश्मीर, जो कि भारत का अभिन्न भाग है, में स्थिति के सही तथ्यों विशेषकर पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद को सीमा-पार से समर्थन देने, जिसके परिणाम-स्वरूप अधिकांश असैनिक लोगों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, को साबित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के साथ सभी समुचित कदम उठाए हैं।

**[अनुवाद]**

## नौवहन क्षेत्र में भारत-ओमान संयुक्त उद्यम

**4982. श्री आर॰ सुरेन्द्र रेड्डी : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ओमानी नेशनल शिपिंग लाइन और भारतीय नौवहन निगम के बीच एक संयुक्त नौवहन कम्पनी आरम्भ करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ओमानी मिनिस्टर ऑफ कामर्स एण्ड इंडस्ट्री की हाल ही में भारत यात्रा के दौरान मंत्री महोदय और भारतीय निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच तत्संबंधी विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई थी;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और संयुक्त उद्यम के प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ङ) क्या किसी गैर सरकारी क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट आप्रेटर ने भी इस संयुक्त उद्यम में हिस्सेदार के रूप में शामिल होने के लिए गहन रूचि दिखाई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : (क) से (घ) जी हां। ओमान के साथ एक संयुक्त क्षेत्र की नौवहन कम्पनी स्थापित किए जाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिए अप्रैल, 1995 में ओमान के वाणिज्य और उद्योग मंत्री और भारतीय नौवहन निगम के वरिष्ठ अधिकारियों के बीच विचार-विमर्श हुआ था। व्यावहार्यता अध्ययन करवाने और एक परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्णय लिया गया था, जिसमें हर संभव कार्यविधियों पर विचार किया जाएगा।

(ङ) और (च) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी नहीं है।

## पन्ना में हीरे की चोरी

**4983. श्री जगतवीर सिंह द्रोण : क्या इस्पात मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में पन्ना स्थित खानों में हीरों की चोरी किए जाने की जानकारी मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) पन्ना स्थित खानों में हीरों की चोरी को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

**इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री सन्तोष मोहन देव)** : (क) और (ख) यह सूचित किया गया है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड (एन॰ एम॰ डी॰ सी॰) द्वारा मध्य प्रदेश में प्रचालित पन्ना खान के परिसर में कार्यरत श्रमिकों में से एक श्रमिक द्वारा 22 जनवरी, 1995 को एक हीरा चुराने की घटना घटी। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल द्वारा उस श्रमिक को पकड़ लिया गया तथा बरामद हीरे सहित पुलिस को सौंप दिया गया।

(ग) सुरक्षा कड़ी करने के लिए एन॰ एम॰ डी॰ सी॰ द्वारा उपयुक्त कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं। सान्द्रण की हस्तगत सम्भाल को यंत्रीकृत सम्भाल में प्रतिस्थापित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं।

## आयातित यूरिया को उठाना

**4984. श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी : क्या रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न पत्तनों पर दिसम्बर, 1994 से भारी मात्रा में आयातित यूरिया पड़ा हुआ है जिसे विभिन्न राज्यों को वितरित करने के लिए उठाया जाना है; और

(ख) यदि हां, तो इसके उठाए जाने में विलम्ब के प्रमुख कारण क्या हैं ?

**रसायन तथा उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा इलेक्ट्रानिकी विभाग और महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुआर्डो फैलीरो)**: (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

**12.02 म॰ प॰**

**[अनुवाद]**

**श्री पी॰ जी॰ नारायणन (गोविचेट्टि पालयम)** : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय गृह मंत्री के कहने पर निर्वाचन आयोग द्वारा उप-चुनावों को अचानक रद्द कर दिये जाने से, जबकि निर्वाचन प्रक्रिया आरम्भ हो चुकी थी, कोई भी व्यक्ति .....** अनेक राजनीतिक दलों ने केवल दस दिन पहले इन उप-चुनावों को रद्द कराने की मांग की थी। विपक्षी दलों ने यही आधार प्रस्तुत किया था जो अब गृह मंत्रालय ने दिया है, कि चूंकि दस महीनों बाद आम चुनाव होने वाले हैं इसलिए ये उप-चुनाव नहीं कराने चाहिये। परन्तु मुख्य निर्वाचन आयुक्त के विपक्षी दलों के तर्क की अवहेलना की थी, किन्तु जब गृह मंत्री और सत्तारूढ़ दल कांग्रेस (आई) ने उपचुनाव रद्द कराने की मांग की तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने उसे तुरन्त स्वीकार करके कार्यवाही की चुनाव आयोग को ऐसा नहीं होना चाहिए .....***। सत्तारूढ़ दल उपचुनाव को रद्द इसलिए कराना चाहता था कि इसे भय था कि इस लोकसभा के लिये होने वाले सभी नौ उपचुनावों में उसे हार का मुख देखना पड़ेगा। कांग्रेस (इ) तमिलनाडु में पुडुकोट्टाई निर्वाचन क्षेत्र से अपना प्रतयाक्षी खड़ा करने में असमर्थ रही है ...(व्यवधान).

**श्री आर॰ अन्बारासु (मद्रास-मध्य)** : किसने ऐसा कहा? हमने वहां से दो प्रत्याशी खड़े किये हैं। सभा में गलत ब्यानी मत कीजिए ...(व्यवधान)...

**श्री पी॰ जी॰ नारायणन** : मैं सभा का ध्यान इस बात

---

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाला गया।

***अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

की ओर भी आकर्षित कराना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने जो तर्क लोकसभा के उपचुनावों पर लागू किया है, वह तर्क केरल और पश्चिम बंगाल के विधान सभा उपचुनावों पर भी लागू होता है, क्योंकि केरल और पश्चिम बंगाल इन दोनों राज्यों में अगले वर्ष लोकसभा चुनावों के साथ ही राज्य विधान सभाओं के लिये चुनाव होने वाले हैं। परन्तु सत्तारूढ़ दल कांग्रेस (ई) अपनी मजबूरी के कारण केरल में विधानसभा उपचुनाव रद्द नहीं करा सकती, क्योंकि इसके मुख्यमंत्री श्री ऐंटोनी के लिए अगले चार महीनों के भीतर विधान सभा के लिये चुने जाने की अनिवार्यता है, ताकि वह मुख्यमंत्री बने रह सकें। अत: मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने.....** लोक सभा के लिये जो कसौटी रखी है वही विधान सभा उपचुनाव के लिये न रखकर भेदभाव किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं ! जो मामले अभिलेख में नहीं आने चाहिये, वे नहीं आयेंगे। आपको इस विषय में बड़ा सावधान रहना होगा।

...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : कोई दोषारोपण नहीं होना चाहिये।

**श्री पी० जी० नारायणन** : महोदय मुझे डर है कि .....**

**अध्यक्ष महोदय** : कोई दोषारोपण या लांछन नहीं लगाना चाहिये। मैं ध्यानपूर्वक इसे देखूंगा और रिकार्ड में उसे ही रहने दूंगा जो रहना चाहिये और जो नहीं रहना चाहिये, उसे नहीं रहने दूंगा।

**श्री पी० जी नारायणन** : ***

**अध्यक्ष महोदय** : यह रिकार्ड में नहीं आयेगा।

...(व्यवधान)...

**श्री इन्द्रजीत (दार्जिलिंग)** : मुख्य निर्वाचन आयुक्त ने हाल ही में लोकसभा के कई उपचुनाव स्थगित किये हैं। परन्तु यह, कितने आश्चर्य की बात है कि उन्होंने वहां भी, जहां लोकसभा के साथ-साथ विधान सभा के चुनाव अगले वर्ष होने वाले हैं, विधान सभा उपचुनाव कराने की कार्यवाही की है, अर्थात् पश्चिम बंगाल में तीन उपचुनाव हो रहे हैं। एक वर्ष से कम समय का अन्तर होने के कारण, मई की भयानक गर्मी, स्कूलों और विश्व विद्यालयों की परीक्षाओं और किसानों की व्यवस्तता होने के बीच, देशभर में लोकसभा के सभी उपचुनाव तो स्थगित कर दिये गये है, परन्तु पश्चिम बंगाल विधान सभा के लिए उपचुनाव कायम रखे गये हैं। हम दो कसौटियां नहीं अपना सकते, एक लोकसभा चुनाव के लिये और दूसरी विधान सभा चुनाव के लिये। ऐसा दृष्टिकोण और रवैया न केवल आपत्तिजनक है, अपितु बिना सोचे समझे किया गया एकतरफा काम है। नियमों का पालन समान रूप से किया जाना चाहिये, तर्क संगत और उचित तरीके से। ऐसा नहीं दिखाई देना चाहये कि हम नियमों को किसी एक ओर मोड़ रहे हैं। वस्तुत: श्री शेषन को चाहिये था कि वह शुरू में ही विभिन्न विपक्षी दलों की मांग के आधार पर लोकसभा के उपचुनाव स्थगित कर देतें। यदि आवश्यक समझते तो विपक्ष के तर्क पर केन्द्रीय सरकार की प्रतिक्रिया पूछ सकते थे। अपनी वर्तमान कार्यवाही के कारण उन्होंने आलोचना और विभिन्न आरोपों को अनावश्यक निमंत्रण दिया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त श्री शेषन के बहुत से निर्णयों और कार्यवाहियों के अत्यन्त प्रशंसकों में मैं भी शामिल हूं और मैंने कई बार अपनी इस आशय की अभिव्यक्ति भी की है अपने लेखों द्वारा, इन्फा के सम्पादक के रूप में तथा निर्वाचन सु धारों संबंधी गोस्वामी समिति के सदस्य के रूप में भी मैंने उनके कई निर्णयों और कार्यों की भरसक प्रशंसा और सराहना की है .....**। परन्तु स्वविवेक का प्रयोग उनके लिए सदा उचित नहीं है।

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, नहीं, मुझे इसकी ध्यानपूर्वक जांच करनी होगी।

**श्री इन्द्रजीत** : ठीक है, महोदय।

परन्तु मैं यह अवश्य कहूंगा कि स्वविवेक का प्रयोग करना हमेशा ठीक नहीं होता। अत: उनको विशेष ध्यान रखना चाहिये, श्री शेषण को पश्चिम बंगाल में उपचुनाव कराने के संबंध में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जब उपचुनाव लोकसभा के लिए स्थगित कर दिये गये हैं, तो पश्चिम बंगाल में विधान सभा के उपचुनाव कराने का कोई औचित्य और कारण नहीं है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्रताशीघ्र यह मामले निर्वाचन आयोग के साथ उठाये और यह सुनिश्चित करने में सहायता करे कि वह युक्तियुक्त ढंग से कार्य करे।

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान (रोसेडा)** : अध्यक्ष जी, चुनाव हों या न हों, मैं इस मुद्दे पर नहीं जाना चाहता हूं। मैं यहां एक नीतिगत मामला उठाना चाहता हूं। आज फिर यह सवाल खड़ा हुआ है कि चुनाव आयोग को क्या पावर है और केन्द्रीय सरकार की क्या ड्यूटी है ? क्या चुनाव आयोग की, जब उप-चुनावों की घोषणी की थी तो भारत सरकार से बातचीत हुई थी या नहीं ? चुनाव होगा या नहीं, यह राष्ट्रपति आदेश देता है। चुनाव कब होगा, यह निर्णय चुनाव आयोग का होता है। चुनाव होने

** अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृतान्त से निकाल दिया गया।

***कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

से पहले कई राजनैतिक दलों के नेताओं ने लिखकर दिया था, जिसमें में भी था, कि अगले आम चुनावों में दस महीने का समय ही बचता है, इस वक्त ये उप-चुनाव कराना, बेकार का पैसा खर्च करना है। लेकिन हमारी बात को ध्यान में नहीं रखा गया और उप-चुनावों की घोषणा कर दी। हम समझ रहे थे कि इस सम्बन्ध में चुनाव आयोग ने राष्ट्रपति जी से बात की होगी इसलिए उप-चुनावों की घोषणा की है। लेकिन बाद में इन उप-चुनावों को कैंसिल करने का कारण चुनाव ने यह दिया कि उनको गृह मंत्रालय ने पत्र लिखा है, और उस ग्राउंड पर चुनाव कराना सम्भव नहीं होगा, इसलिए मैं लोक सभा के उप-चुनावों को कैंसिल करता हूं। क्या चुनाव आयोग ने उप-चुनाव कराने से पहले भारत सरकार से बातचीत की थी ? या यह मान लिया जाये कि चुनाव आयोग सार्वभौम है, जब चाहे चुनाव करवा दिये और जब चाहा रूकवा दिये। विगत बिहार के विधान सभा चुनावों का अनुभव हमारे सामने है कि किस प्रकार उन्होंने उसे पूरा कराने में डेढ़ महीना लगा दिया। उसको देखकर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अगर लोक-सभा के चुनाव होंगे तो डेढ़ साल चलेंगे। मैंने उस दिन भी मांग की थी कि चुनाव आयोग का क्या रोल है, इस पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। उप-चुनाव चाहें लोक सभा के हों या विधान सभा के हों, क्या भारत सरकार से चुनाव आयोग की इस सम्बन्ध में पहले बातचीत हुई थी या नहीं ? क्या इन दोनों का आपस में को-आर्डिनेशन है या नहीं?

**श्री गुमान मल लोढा (पाली)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का एक गम्भीर विषय की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं।

**श्री राम विलास पासवान** : अध्यक्ष महोदय, हमारी बात का जवाब नहीं आया। आप स्वयं महसूस करते होंगे कि यह लोक महत्व का मुद्दा है। यहां संसदीय कार्य मंत्री ही नहीं हैं कौन जवाब देगा, सरकार है या नहीं है ?

**[अनुवाद]**

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : अध्यक्ष महोदय, मैं यहां बैठा हूं। मुझे खेद है कि माननीय मित्र मुझे देख नहीं सके हैं।

**श्री राम विलास पासवान** : आप वहां बैठे हैं। या सो रहे हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन** : मैं सो नहीं रहा। आपने निर्वाच आयोग के बारे में जो बोला है वह सब मैंने सुना है।

**श्री रामविलास पासवान** : आपका क्या विचार है ?

**श्री मल्लिकार्जुन** : यह आपके और मेरे बीच की पारस्परिक बातचीत नहीं है।

**[हिन्दी]**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी (गांधीनगर)** : अध्यक्ष महोदय, जहां तक उप-चुनाव की घोषणा और फिर से उसके स्थगित होने का सवाल है मेरा तो यही कहना है कि यदि सुबह का भूला शाम को घर आ जाये तो उसे भूला नहीं कहते हैं। लेकिन जिस ढंग से यह हुआ है, वह ठीक नहीं है और फिर श्री इन्द्रजीत जी ने जिस पहलू का जिक्र किया है, उसमें वजन है कि अगर लोक सभा के चुनाव एक वर्ष के भीतर-भीतर होने वाले हैं तो जहां-जहां विधानसभा के चुनाव लोकसभा के साथ-साथ होने वाले हैं, यदि लोकसभा के चुनाव 2-4 महीने पहले होते हैं और यदि विधानसभा के चुनाव पहले होने की संभावना है तो वहां पर न होना उचित है। लेकिन अध्यक्ष जी, मैं खड़ा तो इसलिये हुआ हूं कि विगत दिनों में चर्चा हमेशा मुख्य चुनाव आयुक्त के बारे में होती रही है जबकि चुनाव सुधार के बारे में कोई चर्चा नहीं होती है। मेरा बल इस बात पर है कि चुनाव सुधार का मामला ऐसा है जिसके बारे में बहुत बार भूल जाते हैं कि एक वर्ष पहले यह बात चली थी लेकिन कुछ होता नहीं। जहां तक डी-लिमिटेशन का सवाल है, एक राय होते हुये भी न डी-लिमिटेशन बिल पास होता है और न कोई कार्यवाही ही की जाती है क्योंकि 1971-73 में जो परिसीमन हुआ है उसके अनुसार दिल्ली में ही चांदनी चौक का लोकसभा क्षेत्र साढ़े तीन लाख का है और एक लोकसभा क्षेत्र 20 लाख का है। दूसरे, इस सदन में इस स्थिति को परिवर्तित करने के लिये बातें हुयी हैं, बहुत बार सरकार ने भी कहा है और यहां तक कि सरकार इस सदन में एक बिल भी लायी लेकिन वह वापस हो गया। मेरा अनुरोध है कि जो भी मंत्री यहां पर बैठे हुये हैं, उनके कहने पर सरकार इसे गंभीरता से ले।

अध्यक्ष जी, सरकार ने पहले कहा कि पहचान पत्र होना चाहिये। इसमें मुख्य चुनाव आयुक्त का सवाल नहीं है लेकिन पहचान पत्र क्यों नहीं होता है ? कुछ प्रदेशों में हुआ है लेकिन इस मामले को सरकार और सदन दोनों को लेना चाहिये। यह चुनाव आयोग का काम नहीं है। चुनाव व्यवस्था ठीक हो और चुनाव सुधार हो। इसलिए मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूंगा कि चुनाव सुधार के मामले में इस विषय को प्राथमिकता दे और यदि कुछ नहीं करती तो कम से कम दिनेश गोस्वामी कमेटी की सिफारिशों को तुरंत क्रियान्वित करें और जो कानून बनाना पड़े, वह बनाये, हम लोग बातचीत करने के लिए तैयार हैं।

**[अनुवाद]**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : मैं सभी अन्य नेताओं के साथ शामिल होते हुए कहता हूं कि इस प्रकार का मनमाना रवैया और व्यवहार, इस नग्न तरीके से किया जाना वास्तव में बहुत दुखदायी और चिन्ताजनक है। जब लोकसभा के लिये उपचुनाव कराने के लिये घोषणा की गई थी, तब सभी विपक्षी दलों ने

मांग की थी कि उपचुनाव नहीं कराये जाने चाहिये। परन्तु उसके बाद उपचुनाव रद्द कर दिये गये हैं और तर्क यह दिया गया है कि केन्द्रीय सरकार भी उपचुनाव नहीं कराना चाहती है। अब आरोप लगाये जा रहे हैं और वे आरोप गलत नहीं हैं–कि कुछ कांग्रेसी सदस्यों की मांग को ध्यान में रखते हुए कि**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं ध्यानपूर्वक इसे देखूंगा कि क्या इसे रिकार्ड में शामिल कर सकते हैं या नहीं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : इस प्रकार की पृष्ठभूमि होने के कारण आरोप लगाये जाते हैं।

**श्री आर. अन्वारासु** : यह भी चर्चा हो रही है कि**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मुझे नहीं मालूम कि मेरे मित्र क्यों इस प्रकार की मांग करते हैं ? क्या वे अपना स्वविवेक खो बैठे हैं ?

समस्त संविधानिक प्राधिकारियों को ऐसे तरीके से कार्य करना चाहिये कि कोई उन पर उंगली न उठा सके और वे भेदभाव से दूर रहें। अन्यथा तो जनतंत्र ही खतरे में पड़ जायेगा। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है जो मैं कहना चाहता हूं।

**श्री राम विलास पासवान** : यह सही है। प्रत्येक संस्था की अपनी सीमाएं होती हैं।

**[हिन्दी]**

**श्री हरि किशोर सिंह (शिवहर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि चुनाव आयोग द्वारा उप-चुनाव की घोषणा और फिर स्थगन करने के संबंध में जो लुका-छिपी चल रही है, वह काफी विवाद का विषय बना है। मैं मुख्य चुनाव आयोग की मर्यादा और उनके सम्मान के विपरीत कुछ नहीं कहना चाहता हूं परन्तु उनके संबंध में नाना प्रकार के सुझाव राजनेताओं और समाचार पत्रों में देखने को मिले हैं कि*

**अध्यक्ष महोदय** : वह रिकार्ड में नहीं जायेगा।

**श्री हरि किशोर सिंह** : लेकिन श्री राम विलास पासवान जी ने जो प्रश्न उठाया है, सरकार से कोई तारतम्य होता है या नहीं ?

कोई बातचीत होती है या नहीं, विचार-विमर्श होता है या नहीं या होना आवश्यक है या नहीं, इस पर मैं जानना चाहता हूं और इस पर चर्चा होनी चाहिए। यह बहुत ही आवश्यक प्रश्न है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि इस मामले पर चर्चा के लिए सदन में समय निर्धारित करें और चुनाव संबंधी सुधारों के साथ-साथ चुनाव आयोग के अधिकारों और उसकी सीमाओं की भी चर्चा हो। ...(व्यवधान)...

**[अनुवाद]**

**श्री राम विलास पासवान** : मा. मंत्री ने बताया है कि वह यहीं थे और हर बात सुन रहे थे। मंत्री जी, आप इस पर बोलिये।

**[हिन्दी]**

**श्री मल्लिकार्जुन** : कोई बात बोलने की नहीं है। आप इत्मीनान से बैठिए।

**श्री राम विलास पासवान** : तो क्या हम ऐसे ही बोलते रह गए ? **...(व्यवधान)...**

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : बस एक मिनट। मैं समझता हूं कि इस मामले ने सदस्यों के मन में रोष पैदा किया है, तो उनकी भावनाओं को शान्त करने के लिये सरकार के पास कोई स्पष्टीकरण हो सकता है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार को ऐसी बातों का पुर्वानुमान होना चाहिये और वह उसके लिए तैयार रहे।

**श्री मल्लिकार्जुन** : श्रीमान्, माननीय सदस्यों के प्रति आदर सहित **...(व्यवधान)...**

**अध्यक्ष महोदय** : आप इतना तो कह सकते हैं कि चुनाव एक वर्ष से पूर्व होने जा रहे हैं और इसी कारण

**...(व्यवधान)...**

**श्री मल्लिकार्जुन** : महोदय, उत्तर में वृद्धि करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : जिस तरीके से आप इस मामले को ले रहे हैं, मैं उससे अप्रसन्न हूं। जब मैं आपकी सहायता करने का प्रयत्न कर रहा हूं तो आप मेरे मुख में शब्द डाल रहे हैं। आप खुद खड़े नहीं होते पुर्वानुमान नहीं लगाते, और उत्तर क्यों नहीं देते ?

**श्री मल्लिकार्जुन** : महोदय, यह बात माननीय सदयों को आन्दोलित कर रही है और साथ ही, यदि.....

**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा करने के लिए कुछ युक्तिसंगत कारण होगा, जो आपको सभा के सामने पेश करना चाहिये, जहां इतने सदस्यों, वरिष्ठ सदस्यों ने इसके बारे में अपने विचार प्रकट किये हैं।

**श्री मल्लिकार्जुन** : महोदय, मेरे लिये इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा।

**श्री राम नाईक (मुम्बई-उत्तर)** : आप कह सकते हैं कि मैं वक्तव्य दूंगा।

---

**अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार कार्यवाही वृत्तान्त से निकाल दिया गया।

*कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

**श्री मल्लिकार्जुन** : श्रीमान, मैं संबंधित मंत्री को इसके बारे में वक्तव्य देने के लिए कहूंगा।

**श्री राम नाईक** : आप ऐसा कहिए ...(व्यवधान)...

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : आपने जो बातें कहीं हैं, उनको उन्होंने नोट किया है और वे इस विषय में सरकार को सूचित करेंगे।

**श्री राम विलास पासवान** : क्या उन्होंने ऐसा कहा है ? ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : श्री पासवान जी, कृपया बस आप जानते हैं कि यह मामला समाचार पत्रों में भी छपा है। यह महत्वपूर्ण मामला है और आपको पुर्वानुमान होना चाहिये कि यह बात उठाई जाएगी। आपके पास कोई स्पष्टीकरण तो होगा, जो आपने सभा के सामने पेश करना चाहिये, ताकि स्थिति स्पष्ट हो सके।

**ऊर्जा मंत्री (श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे)** : श्रीमान, माननीय सदस्यों के विचारों तथा आपके द्वारा कही गई बात को ध्यान में रखते हुए हम संबंधित मंत्री को इस विषय में सूचना देंगे और सभा में प्रत्युत्तर होगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त (मिदनापुर)** : महोदय महत्व की बात यह है कि ऐसे मामलों से निपटने के लिए सरकार के पास पुर्वानुमान लगाने की क्षमता होनी चाहिये कि माननीय सदस्यों द्वारा क्या बातें उठाई जाने वाली हैं। यह कार्य सूची में शामिल नहीं है। यह उन प्रश्नों में से एक नहीं है। अत: उन्हें यह पूर्वानुमान लगाना चाहिए कि शायद आज कोई सदस्य ऐसा प्रश्न उठायेगा। परन्तु मुझे सन्देह है कि उनके पास इस बात की क्षमता है।

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : महोदय श्री साल्वे ने जो उत्तर दिया है, वह लेने के लिये आपको उन्हें बार-बार प्रेरित करना पड़ता है। यह सरकार की बुरी हालत का प्रदर्शन मात्र है।

**श्री एन॰ के॰ पी॰ साल्वे** : महोदय मैं क्षमा चाहता हूं। ऐसे पूर्वानुमान लगाने की हमारी क्षमता उतनी अधिक नहीं है जितनी मा॰ सदस्यों की है।

**श्री ए॰ चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम)** : महोदय इस विषय पर एक आचार संहिता बनाने के लिए मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं।

महोदय संविधान में स्पष्ट उपबंध हैं कि उच्च सांविधानिक पद धारण करने वाले अधिकारियों को कोई वेतन वाला पद स्वीकार नहीं करना चाहिये। चुनाव लड़ना लाभ का पद नहीं माना गया है। परन्तु यह वस्तुत: दुर्भाग्यपूर्ण है .....

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, वह इस बात पर नहीं हैं।

**श्री ए॰ चार्ल्स** : महोदय, राजनीतिक दलों को यह निर्णय करना चाहिये कि उच्च पद धारण करने वाले व्यक्तियों को उनकी सेवानिवृत्ति के तुरन्त पश्चात दल में शामिल नहीं करना चाहिये। यह एक लालच वाली बात है।

महोदय मैं नाम लिये बिना, इस सभा को बताना चाहता हूं कि एक उच्च पद पर आसीन व्यक्ति को जिसने उस समय की सरकार के विरुद्ध एक विवादास्पद प्रतिवेदन पेश किया था, सेवानिवृत्त होने के तुरन्त पश्चात राज्य सभा का सदस्य बनाकर इनाम दिया गया। यह लोभ लालच है जो चल रहा है। जब संविधान बनाया जा रहा था, तब उच्चपद और उच्च पद को धारण करने वाले व्यक्ति के संबंध में जो विचार था वह बहुत आदर्श था। परन्तु दुर्भाग्य तो यह है कि छोटे अफसर ऊंचे पदों पर आसीन हैं। यही तो समस्या है। अत: मैं सभी राजनीतिक दलों से निवेदन करता हूं कि वे ऐसा निर्णय करें कि उच्च पदों पर आसीन अधिकारियों को टिकट नहीं दिये जायेंगे और उनको दल में शामिल नहीं किया जायेगा। आचार संहिता के रूप में, नकि मार्ग निर्देश के रूप में, इसका पालन किया जाना चाहिये।

**[हिन्दी]**

**श्री गुमान मल लोढ़ा (पाली)** : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी व सदन का ध्यान एक अत्यन्त संवेदनशील विषय की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। श्रीमान्, हमारे संविधान के अंदर संविधान की धारा 48 पर सुप्रीम कोर्ट ने अभी 16 नवम्बर, 1994 को एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और उस निर्णय में कलकत्ता हाईकोर्ट के निर्णय की संपुष्टि की और संपुष्टि करके यह कहा कि पश्चिमी बंगाल के द्वारा जो इदुल फितर के रोज कुर्बानी के लिए छूट दी जाती है वह संवैधनिक नहीं है, इसलिए उस आज्ञा को निरस्त करने की जो आज्ञा कलकत्ता हाईकोर्ट की थी उसको हम कन्फर्म करते हैं।

श्रीमान्, उसके पश्चात् संवैधानिक क्राइसेस इस प्रकार पैदा हुआ कि यह सर्वविदित है कि इस आज्ञा के बाद पश्चिमी बंगाल की सरकार की ओर से यह मंत्री मंडल में विचार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा होने के बाद में हम रिकोग्नाइज्ड बूचर हाउस में तो कुर्बानी नहीं करने देंगे लेकिन कलकत्ता में गलियों में व पश्चिमी बंगाल में जहां पर गांव हैं वहां पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और वहां के लोग मिलकर एक टेम्परेरी बूचर हाउस खोलेंगे जहां पर कुर्बानी अलाऊ की जाएगी। मैं इसलिए ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं क्योंकि संविधान में किसी भी राज्य की सरकार को संविधान के अनुकूल जो आज्ञा सुप्रीम कोर्ट ने दी है और जो आज्ञा धारा 48 में है उसकी किसी भी प्रकार से अवमानना करने का अधिकार नहीं है। इससे प्रदेश की जनता में एक आक्रोश पैदा हो रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से हम अन्य प्रश्नों के बारे में बहुत चिंतित होते हैं वैसे ही गृह मंत्रीजी वैस्ट बंगाल की गवर्नमेंट से कहें कि इस आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो संविधान की

धारा 356 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इसी में इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपनी आज्ञा में लिखा है कि एग्रीकल्चरल इकोनोमी के लिए यह कानून बनाया गया था और उसका उद्धारण दिया है।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : आप एक निश्चित सीमा से आगे यह प्रश्न नहीं उठा सकते। इसका संबंध केन्द्रीय सरकार से नहीं है।

[हिन्दी]

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : संविधान की धारा 356 के तहत कार्यवाही करें। वहां पर जो तनाव है उसको देखते हुए हम संवदेनशीलता से मांग करते हैं ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : असल में है या नहीं है, उनका ऑर्डर क्या है वह भी देखना चाहिए। नहीं तो यहां भी इस स्टेटमेंट से तनाव शुरू हो जाएगा।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : यह टेलीग्राफ, टाइम्स ऑफ इण्डिया व इण्डियन एक्सप्रेस में छपा है। मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है। इसमें स्पष्ट तौर पर है।

[अनुवाद]

पश्चिम बंगाल ..... के निर्णय का उल्लंघन करेगा ....."

**अध्यक्ष महोदय** : ये संवेदनशील मामले हैं। मैंने संक्षेप से उल्लेख करने की अनुमति दी, परन्तु आपको पता होना चाहिये कि न्यायालय ने वस्तुत: क्या आदेश दिया है।

[हिन्दी]

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : जो एग्जेक्टली है वहीं तो मैं कह रहा हूं।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : वह प्रामाणिक रिपोर्ट नहीं है और आप इसे अन्यों से बेहतर जानते हैं।

[हिन्दी]

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : मैंने वहां कलकत्ता दो-तीन बार टेलीफोन करके कन्फर्म किया है।

**अध्यक्ष महोदय** : किससे कन्फर्म किया है ?

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : कलकत्ता में जो पार्टी अधिकारी हैं और यहां पर जो हमारे साथी बैठे हैं वे इसको कॉंट्राडिक्ट कर दें और कह दें कि सुप्रीम कोर्ट की आज्ञा के अनुसार किसी भी प्रकार की कुर्बानी नहीं की जाएगी।

**श्रीमती विजयराजे सिंधिया (गुना)** : यह सैंसटिव मैटर है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

**श्री लोकनाथ चौधरी (जगतसिंह पुर)** : महोदय, यह महत्वपूर्ण मामला नहीं है। ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : बस एक मिनट मैंने उनको समय दिया है। मैं आपको बाद में समय दे सकता हूं।

...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)**...

[हिन्दी]

**श्रीमती विजयराजे सिन्धिया** : अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। यह सेंसिटिव मैटर है और तनाव होने का डर है, ऐसा कहकर यदि सही बात को भी कहने नहीं दिया जायेगा तो न ठीक नहीं लगता है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं उनसे यही जानकारी चाह रहा था कि क्या उन्होंने इसकी जांच-पड़ताल की है।

**श्रीमती विजयराजे सिन्धिया** : वे कर चुके हैं। यह बहुत अफसोस की बात है कि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को भी कोई स्टेट अमान्य कर दे।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

[अनुवाद]

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के आदेश का पालन करेगी ? जब तक वे वहां सत्तारूढ़ हैं, न्यायालय के आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं।

**श्री लोकनाथ चौधरी** : महोदय, यदि उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दे दिया है तो राज्य सरकार कैसे उसका उल्लंघन कर सकती है ? वह कैसे जानते हैं कि राज्य सरकार उस आदेश का पालन नहीं करेगी ? क्या राज्य सरकार ने कभी कोई वक्तव्य इस आशय का दिया है ?

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : महोदय श्री ज्याति बसु ने राइटर्ज बिल्डिंग में दो घंटे तक बैठक की, जिसके बाद समाचार पत्रों ने यह वक्तव्य दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : लोढ़ा जी आप बहुत संवेदनशील क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : महोदय, मैं पूर्ण उत्तरदायित्व

---

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

के साथ इसमें प्रवेश हो रहा हूं। मैंने इसकी संपुष्टि कर ली है। यह तो समाचार पत्र का समाचार है। परन्तु मैंने तो पिछले चार दिनों में चार-पांच बार इसकी संपुष्टि कलकत्ता से कर ली है।

**अध्यक्ष महोदय** : कलकत्ता में किससे ?

**श्री लोकनाथ चौधरी** : आपको कैसे पता है कि राज्य सरकार ने इस आदेश को कार्यान्वित नहीं किया है ?

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : यह समाचार पत्रों में छपा है और मैंने कलकत्ता से इसकी पुष्टि की है।

**अध्यक्ष महोदय** : कलकत्ता में किससे ?

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : पश्चिम बंगाल का कलकत्ता, कालीकाट नहीं। श्री ज्योति बसु ने दो घंटे तक एक बैठक की और उसके बाद उन्होंने मौखिक अनुदेश दिये कि गलियों के किनारों पर कुर्बानी देने के लिये अस्थायी बूचड़ खाने स्थापित किये जायें। वह आदेश मान्यता प्राप्त बूचड़ खानों तक सीमित हे उसको कार्यान्वित नहीं किया गया है। यह वहां है ...(व्यवधान)... श्री ए॰ एस॰ मलहाबादी, जो आज़ाद हिन्द के सम्पादक हैं, और कांगेस नेता श्री सुल्तान अहमद उन लोगों में से हैं जो श्री ज्योति बसु से मिले थे और उसने कहा ...(व्यवधान)..

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको श्री आडवाणी के बाद बोलने की अनुमति दूंगा।

**श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम)** : महोदय, श्री आडवाणी से निवेदन है कि मुझे बोलने दीजिये। श्री लोढ़ा ने कहा है कि मुख्य मंत्री श्री ज्याति बसु न कहा है कि प्रत्येक गली के किनारे पर अस्थायी बूचड़खाने होंगे। उन्हें यह वक्तव्य वापिस लेना होगा। मैं कहता हूं कि यह सच नहीं है। यह मुख्यमंत्री पर दोषारोपण है, जिसका वे चाहे आदर न भी करते हों। अतः यह आरोप या तो सिद्ध किया जाये या वापिस लिया जाये।

मैं यह बात कहना चाहता हूं।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : मैं इसको सत्यापित करने को तैयार हूं कि गलियां में अनधिकृत बूचड़खाने खोले जायेंगे, प्रत्येक गली में नहीं, और जिला दण्डाधीशों तथा पुलिस को अनुदेश जारी नहीं किये गये हैं। पुलिस ने इस कार्यवाही का विरोध किया है। मैं नाम बता सकता हूं ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : नहीं, आपको समाचार पत्रों से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : आवश्यकता इस बात की है कि सरकार इस मामले में जांच-पड़ताल करके इसके बारे में एक वक्तव्य दे और हमें बताएं कि सच्चाई क्या है। हम कैसे जान पायें, परन्तु कलकत्ता के एक समाचार पत्र में इसका उल्लेख किया गया है। श्री लोढ़ा को जो सूचना प्राप्त हुई है, उसके आधार पर उन्होंने कहा है कि उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद पश्चिम बंगाल सदन सरकार या तो इसका उल्लंघन करने या दूसरे आदेश के द्वारा इसको निष्प्रभावी करने जा रही है। हम इस संवेदनशील मामले की सच्चाई जानना चाहते हैं।

**श्री निर्मल कांति चटर्जी** : आप उच्चतम न्यायालय में जा सकते हैं।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : एक समाचार पत्र, इंडियन एक्सप्रेस या टेलिग्राफ...

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : केवल एक नहीं, कलकत्ता के सभी समाचारपत्र।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : तब आपको अन्य समाचार पत्र भी लेने चाहिये वह तो एक ही समाचार पत्र लाये हैं।

**श्री गुमानमल लोढ़ा** : उन्होंने राईटर्ज बिल्डिंग में हुई बैठक का ब्यौरा बताया है जो दो घंटे तक चली थी और उसमें शामिल हुए लोगों के नाम भी दिये हैं।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है, लोढ़ा जी, आपने कह दिया है।

[अनुवाद]

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह बड़ा गम्भीर मामला है जिसके अनेक गम्भीर परिणाम हो सकते हैं।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : हां, हां।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : हां, से आपका क्या मतलब है?

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : इसके परिणाम होंगे। तभी तो मैंने इसे यहां उठाया है। आप उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। आप संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। आप कलकत्ता और पश्चिम बंगाल में ऐसी स्थिति पैदा करने जा रहे हैं जिसमें समूचा राज्य उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बावजूद, एक बूचड़खाने का रूप धारण कर लेगा।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या आप उनके इस कथन को अभिलेख में शामिल करने की अनुमति दे दहे हैं कि 'समूचा पश्चिम बंगाल एक बूचड़खाने का रूप धारण कर लेगा'

**अध्यक्ष महोदय** : आप जिस तरीके से इससे निपट सकते हैं निपटिये, किन्तु उचित तरीके से।

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : कोई भी राज्य सरकार उच्चतम न्यायालय के निर्णय का उल्लंघन नहीं कर सकती, और यदि कोई करती है, तो मामला वहीं नहीं रुकेगा। ...(व्यवधान)...

**श्री हन्नान मोल्लाह (उलूबेरिया)** : श्री कल्याण सिंह ने तब जो किया था वह भा॰ ज॰ पा॰ की संस्कृति थी ...(व्यवधान).

**अध्यक्ष महोदय** : वह जो कहना चाहते हैं, उनको कहने दीजिये।

[हिन्दी]

**श्री राजवीर सिंह (आंबला)** : अध्यक्ष महोदय, पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री सुप्रीम कोर्ट का आर्डर नहीं मान रहे। सुप्रीम कोर्ट का आर्डर न मानने पर यदि कल्याण सिंह की उ० प्र० की सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, तो इनकी सरकार को भी बर्खास्त करना चाहिये। ...**(व्यवधान)**...

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : बर्खास्त करावाईए ...**(व्यवधान)**

[अनुवाद]

विभिन्न समाचारपत्रों में छपे इस मामले के कारण, मेरे माननीय मित्र जो इतने उत्तेजित हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि वे अपने तथ्यों का सही पता लगाएं, सभा में आने से पूर्व इन तथ्यों का सत्यापन करें एवं फिर आरोप लगाएं। हम भी यह कह सकते हैं कि हमें विश्वास है कि ऐसी कोई बात नहीं होगी, ऐसी कोई बात पहले भी नहीं हुई होगी और पहले भी किसी ने ऐसा नहीं कहा होगा कि कलकत्ता में प्रत्येक गली के किनारे पर बूचड़खाने खोले जायेंगे या खोले गये हैं। कभी भी ऐसी बात नहीं सुनी गई कि ऐसे बूचड़खाने वहां रहे हैं और आज तक ऐसा आरोप कभी किसी ने नहीं लगाया है। और अब अचानक किसी समाचार पत्र की सूचना पर ऐसी बेबुनियाद बात कही गई है, जिसे मैं सच मानने को तैयार नहीं हूं ...**(व्यवधान)**...

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : मैंने इस समाचार को कलकत्ता से सत्यापित कराया है। ...**(व्यवधान)**

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : किसने इस समाचार की पुष्टि की है ?

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : मैंने वहां के समाचारपत्रों, लोगों, राजनीतिक दलों के नेताओं और सामाजिक संगठनों के लोगों से इस समाचार की पुष्टि कराई है। ...**(व्यवधान)**...

**श्री इन्द्रजीत गुप्त** : यह किन्हीं समाचार पत्रों के लोगों का शरारतपूर्ण प्रयास है कि कोई सनसनीखेज समाचार प्रकाशित किया जाये, और लोगों में सनसनी फैलाई जाये और जो लोग इससे अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं उनको कुछ बारूद दिया जाये। यह देश की वर्तमान स्थिति में देश की शान्ति तथा अखण्डता के लिये बड़ी हानिकारक बात है। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ कभी नहीं हुआ है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि ऐसी किसी बात को रिकार्ड में न आने की अनुमति न दें।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : आप जो कुछ कहते हैं क्या उसके अतिरिक्त कुछ भी रिकार्ड में नहीं आना चाहिये ?

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : महोदय, आपने मुझसे कहा था कि आप मुझे बोलने की अनुमति देंगे। मुझे केवल आधा मिनट का समय चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मैं कलकत्ता की हूं। कलकत्ता में प्रतिदिन समाचार पत्रों में बड़े विज्ञापन होते हैं पश्चिम बंगाल सरकार के नाम से, जिनमें बताया जाता है कि उच्चतम न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया है। अत: कहीं भी कोई भी कठिनाई नहीं होनी चाहिए। हम जनता से शान्ति बनाये रखने की अपील करते हैं। इस प्रकार का कोई शब्द नहीं है। परन्तु इसे दूसरे ढंग से तोड़ मरोड़ कर कहा जा रहा है। उच्चतम न्यायालय ने कुछ कहा है और वे उसका पालन करेंगे।

**श्री रूप चन्द पाल (हुगली)** : महोदय, इस सभा का दुरुपयोग किसी राज्य सरकार के बदनाम करने के लिए नहीं दिया जाना चाहिये। उच्चतम न्यायालय के निर्णय के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है विभिन्न समाचार पत्रों तथा विज्ञापनों के माध्यम से कि वे उच्चतम न्यायालय के निर्णय तथा विधि की संरचना के अनुसार कार्य करेंगे।

[हिन्दी]

**श्री राम नाईक** : महाराष्ट्र के बारे में आपने क्या कहा, वह आप भूल गये ? "सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली" वाली कहावत चरितार्थ कर रहे हैं ? ...**(व्यवधान)**...

[अनुवाद]

**श्री रूप चन्द पाल** : आपने कम्युनल टेंशन पैदा करने के लिए ऐसा कहा है ? ...**(व्यवधान)**...

**श्री राम नाईक** : गलत समाचारपत्र रपटों के आधार पर आपने साढ़े तीन घंटे तक वाद-विवाद जारी रखा। ...**(व्यवधान)**...

**श्री निर्मल कांति चटर्जी** : तब आपने जो किया था वह उच्चतम न्यायालय के निर्णय के उल्लंघन के अतिरिक्त और क्या था ?

**श्री राम नाईक** : हमने तब भी वाद-विवाद का विरोध नहीं किया था। हम आपकी इस वाद-विवाद का विरोध नहीं करते हैं। ...**(व्यवधान)**...

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आप ऐसे ही जारी रखना चाहते हैं ?

...**(व्यवधान)**...

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया बैठ जाइए। इस सभा के आप सदस्य जानकारी रखने वाले हैं। आप इस प्रकार के मामलों से निपटना भी जानते हैं और मैं समझता हूं कि आप इस से उचित तरीके से निपटने में समर्थ हो। मैंने कई बार लोढ़ा जी से पूछा है कि क्या उन्होंने इस समाचार की पुष्टि की है।

उन्होंने उत्तर में 'हां' कहा है और बताया है कि उन्होंने इसकी पुष्टि की है। अब आप का काम यह दशनि का है कि उन्होंने जो कहा है वह सही नहीं है, और इसके लिए एक प्रक्रिया है नियमों में निर्धारित। आपको मैं वह प्रक्रिया नहीं बताता। परन्तु आप उस प्रक्रिया का सहारा ले सकते हैं और आप ऐसे नाजुक मामले पर जो श्री लोढ़ा ने उठाया है एक वक्तव्य की मांग कर सकते हैं, लोढ़ा जी के अतिरिक्त और कोई नहीं, जो कि कानूनी पहलुओं को बहुत अच्छी तरह जानते हैं।

...(व्यवधान)...

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : महोदय हम एक विशेषाधिकार प्रस्ताव पेश करेंगे।

**अध्यक्ष महोदय** : आप पेश करिये। आपसे मैं कुछ नहीं चाहता। आप इससे उचित ढंग से निपट सकते हैं। समस्त तथ्य सामने आने चाहिये।

...(व्यवधान)...

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : श्री लोढ़ा जी भूतपूर्व न्यायाधीश हैं। जब उच्चत्तम न्यायालय के किसी आदेश का उल्लंघन होगा तो वह न्यायालय उससे निपट लेगा।

**श्री गुमान मल लोढ़ा** : उच्चतम न्यायालय इस मामले से निपट लेगा।

**[हिन्दी]**

**श्री राम नाईक** : अध्यक्ष जी, राष्ट्रीय सम्मान रक्षा संबंधी एक महत्वपूर्ण विषय मैं सदन में उठाना चाहता हूं और मुझे लगता है कि इस विषय पर सारा सदन मुझे साथ देगा। गत शुक्रवार यानी 4 मई, 1995 को स्टार टी॰ वी॰ में निकी बेदी द्वारा आयोजित निकी टू नाईट नाम का एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ था जिसमें एक दूसरे के इंटरव्यू लिये जाते हैं और उस कार्यक्रम को ....

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने सुना है कि उसमें ऐपौलोजी दी गई है।

**[अनुवाद]**

क्या आप इसे पुनः सभा में उठाना चाहते हैं और क्या इससे हमारे नेताओं का मान बढ़ता है, मैं नहीं जानता।

**श्री राम नाईक** : यदि सरकार कहती है कि स्टार टेलिविजन ने क्षमा मांग ली है, तो इसे आगे बढ़ाने में रूचि नहीं है। परन्तु सरकार को यह बताना चाहिये कि उनके पास क्षमा याचना आ गई है।

**अध्यक्ष महोदय** : हम पता लगायेंगे।

**[हिन्दी]**

**श्री राम नाईक** : यह मैं नहीं कहना चाहता हूं। उनके ग्रांड ग्रेट सन ने अपनी व्यथा व्यक्त की है इसलिए मैं आपको सूचित करना चाहता हूं। सरकार को यह बात कहनी चाहिए।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि कोई इस बात को नोट कर रहा है।

**श्री मल्लिकार्जुन** : महोदय, हम नोट कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या करेंगे ?

**श्री मल्लिकार्जुन** : मैं महोदय को इसके संबंध में बताऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : उन्होंने एक निश्चित मामला उठाया है। सूचना मंत्री से पता कीजिये कि क्या क्षमा याचना की गई है या नहीं। तब हम इससे निपटेंगे।

**श्री मल्लिकार्जुन** : मैं मंत्री महोदय को इसके संबंध में बताऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : केवल बताना ही नहीं है, अपितु आप सूचना लेकर सभा में बतायेंगे।

**[हिन्दी]**

**श्री रवि राय (केन्द्रपाड़ा)** : अभी राम नाईक जी ने जो विषय उठाया है, उसके बारे में मैं सिर्फ जानकारी देना चाहता हूं क्योंकि पता नहीं मंत्री जी उसे समझे हैं या नहीं। मेरी जानकारी के अनुसार सिर्फ स्टार टी॰ वी॰ नहीं है, वह डी॰ जी-18 नाम की एक दिल्ली बेस्ट कम्पनी है जिन्होंने उस मामले में प्रोडेक्शन किया था। मैं यह जानकारी इसलिए दे रहा हूं कि सरकार इसके बारे में जानकारी दे तथा सदन में बोलकर सबसे माफी मांगे।

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : हम पता लगायेंगे।

**श्री लोकनाथ चौधरी** : अब सरकार गैर-सरकारी कम्पनियों के साथ बातचीत कर रही है। वे टी॰ वी॰ का मुख्य समय, अंग्रेजी समाचार का किसी गैर-सरकारी कम्पनी को देना चाहते हैं और वे इसे अन्तिम स्पेस देने का फैसला करने वाले हैं। अब यह बड़ी खतरनाक बात है। जब प्रसार भारतीय विधेयक पास किया गया था, तो सरकार ने इस सभा में वादा किया था कि प्रसार भारतीय अधिनियम को कार्यान्वित किया जायेगा, परन्तु सरकार ने अपना वादा पूरा नहीं किया। यदि किसी भी चीज का गैर-सरकारीकरण होगा, तो मैं समझता हूं कि यह अधिनियम लागू होने के बाद आ सकता है। सरकार इस प्रमुख समय को एक गैर-सरकारी पार्टी को देने का षडयंत्र कर रही है। यह खतरनाक है। अतः हम इसका विरोध करना चाहते हैं। सभी को इसका विरोध करना चाहिये और सरकार को चाहिए कि वह 10 बजे के अंग्रेजी समाचार का प्रमुख समय किसी गैर-सरकारी पक्ष को न दे।

[हिन्दी]

**श्री रवि राय** : अध्यक्ष जी, मुझे खबर है कि सरकार 10 बजे की न्यूज़ को एक प्राईवेट पार्टी, प्रणय राय की कम्पनी को देना चाहती है। क्या हम इस तरह की बात सुनने वाले हैं कि न्यूज़ की डिसएमीनेशन भी प्राईवेट पार्टी को दी जाएगी। मैं कहना चाहता हूं कि अखबारों के जरिए जो गलतफहमी हुई, उस बारे में सरकार आकर कहे कि वह प्राईवेट पार्टी को नहीं दिया जाएगा।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : अध्यक्ष जी, मैं यह मामला आज इसलिए उठा रहा हूं क्योंकि श्री तरूण गगोई उपस्थित हैं। शुक्रवार को जब वाजपेयी जी ने यह मामला उठाया था तब वे उपस्थित नहीं थे। श्री थौमस कोचरी 2 तारीख से अनश्चितकालीन उपवास पर हैं और आज सातवां दिन है। अभी हमारे सहयोगी श्री देव जी भाई टंडेल पोरबन्दर होकर आए हैं। उनका कहना है कि उनकी स्थिति काफी गंभीर होती जा रही है। सदन के सब पक्षों ने इस बात पर चिन्ता प्रकट की थी और नैशनल फिशरीज़ एक्शन कमेटी ने ज्वाइंट वैन्चर के खिलाफ मत व्यक्त किया कि ज्वाइंट वैन्चर को नहीं देना चाहिए। एक समय में आंध्र, कर्नाटक के परिणाम आने के बाद सरकार ने उनको फ्रीज़ करने का भी निर्णय किया लेकिन लगता है कि बाद में डीफ्रीज़िंग हो गई और अब फिर से अनुमति दी जा रही है। मैं चाहूंगा कि श्री तरूण गगोई इस मामले में सरकार की नीति का साफ वक्तव्य दें और आग्रहपूर्वक श्री थौमस कोचरी के अनिश्चितकालीन उपवास को समाप्त कराने का प्रयत्न करें। वे पोरबन्दर में बैठे हुए हैं और हिन्दुस्तान के लाखों मछुआरे उनके साथ हैं। इस सदन में भी सब पार्टियों ने उनका साथ दिया है। इस बात को गंभीरता से लेना चाहिए। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : श्री लोकनाथ चौधरी उनको भी बोलने दीजिये। यह रिकार्ड में नहीं लिया जायेगा।

...(व्यवधान)**...

**प्रो० के० वी० थामस (एर्नाकुलम)** : यह एक बड़ा गम्भीर मामला है। समूचे देश में परम्परागत मछेरे आन्दोलन कर रहे हैं। यह आन्दोलन हिंसक रूप धारण न करे। वे बड़ी लम्बी अवधि से प्रतीक्षा कर रहे हैं। इस सभा में सभी सदस्य दलगत भावना से ऊपर उठकर सरकार से अनुरोध करते हैं कि विदेशी मछली पकड़ने वाले जहाजों को दिये गये लाइसेंस रद्द कर दिये जायें। आन्दोलन कर रहे सदस्यों को बुलाओ और इस समाज से संबंध रखने वाले सांसदों को भी बुलाओ। मैं उसी समाज से संबंधित हूं। हमें बुलाकर हमारे विचार सुनिये और तत्काल उसके अनुसार कदम उठाइये। अन्यथा वो समूचा तटवर्ती क्षेत्र जलने लगेगा। क्योंकि यह बड़ी ज्वलन्त समस्या है। मैं आप से निवेदन करता हूं कि यह सुनिश्चित कीजिये कि सरकार इस दिशा में तत्काल आवयक कार्यवाही करे।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव (मधेपुरा)** : अध्यक्ष जी, मैं इसमें ज्यादा ऐड नहीं करना चाहता। यह विभाग मेरे पास रहा है। सरकार ज्वाइंट वैन्चर का जो फैसला कर रही है, इस देश में सात करोड़ से करीब मछुआरे हैं जिनका सारा धन्धा पानी के व्यवसाय पर निर्भर है। यह बहुत गंभीर मामला है। मैं सब साथियों के साथ अपनी भावना को जोड़ते हुए सरकार से यह निवेदन करना चाहता हूं कि वह इस मामले में तत्काल हस्तक्षेप कर और यहां जवाब दे। ज्वाइंट वैन्चर के मामले में सरकार को तत्काल त्यागपत्र देना चहिए।

**श्री डी० जे० टंडेल (दमन और दीव)** : अध्यक्ष, महोदय, मैंने यह मामला पहले भी उठया था और शुक्रवार को भी उठाया था। मैंने मंत्री जी से मिलने की भी कोशिश की लेकिन मिल नहीं पाया। मुझे न्यूज मिली है कि वहां की हालत बहुत खराब है। मैं कल वहां गया था। पोरबन्दर जाकर आज मैं यहां हाउस में आया हूं, वहां थामस कोचेरी की हालत इतनी खराब है कि उनकी किडनी के ऊपर असर हो रहा है। वहां डाक्टर आये और वहां के कलैक्टर पहुंच गये, वह समझा रहे हैं कि उनको हास्पिटल में ले जाया जाय, लेकिन वह नहीं जा रहे हैं। वहां लोगों की भावना कुछ विचित्र सी बन गई है। कई गरीब औरतें वहां धरने पर बैठ गई हैं।

मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, मंत्री जी सामने हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूं, सभी सांसदों को मालूम है, सभी संसद् सदस्य मुझसे सहमत हैं कि समग्र हिन्दुस्तान के फिशरमैन भूखे मरने वाले हैं। आज उनकी जो करोड़ों की प्रापर्टी है, उनके जो ट्रालर्स हैं, वह समुद्र में ले गये हैं। वहां मछली मिल नहीं रही है। मैं तो उसी परिवार से आया हूं इसलिए मुझे ज्यादा चिन्ता है। मैं आज मंत्री जी से सुनना चाहता हूं और सभी दलों से प्रार्थना करना चाहता हूं कि जो परमीशन विदेश कम्पनियों को दी गई है, उसको रद्द किया जाय और हिन्दुस्तान के हमारे गरीब मछुआरों को बचाया जाय। मंत्री जी उसका जवाब दें।

[अनुवाद]

**श्री पी० सी० चाको (त्रिचूर)** : पहले भी आपने इस विषय पर चर्चा की अनुमति सदस्यों को दी थी। माननीय मंत्री ने कहा था कि वह इस विषय पर विचार करने हेतु एक समिति नियुक्त करने वाले हैं और संबंधित लोगों से सलाह करेंगे। दुख की बात है कि समिति की नियुक्ति के तीन महीने बाद भी समिति ने परम्परागत मछेरों को बातचीत के लिए नहीं बुलाया है।

6000 किलोमीटर लम्बी तटवर्ती क्षेत्र इस आन्दोलन में जल रहा है। श्री थामस कोचेरी के नेतृत्व में चल रहे इस आन्दोलन

**कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

का आज सातवां दिन है। हम भूख हड़ताली लोगों के पास गये हैं। लाइसेंसों की रोक की यह समस्या पिछले काफी समय से चल रही है। पुनः लाइसेंसों पर से रोक हटा ली गई है। पहले दिये गये लाइसेंसों के नाम पर ट्रालर (जहाज) बड़ी संख्या में आ गये हैं। यह सच है कि पहला लाइसेंस 1990-91 में तब की सरकार द्वारा जारी किया गया था। यह अभी भी जारी है। नये लाइसेंस दिये जा रहे हैं और लाइसेंस देने पर लगी हुई रोक पुनः हटा ली गई है। अतः पहले वाले लाइसेंस प्राप्तकर्त्ता ट्रालर बड़ी संख्या में समूचे समुद्र तटवर्ती क्षेत्र में छा गये हैं।

मंत्री महोदय तथा सरकार का यह मत था कि मछली की पकड़ कम नहीं होगी क्योंकि वे बाहर के क्षेत्र से मछली पकड़ते हैं, जो परम्परागत मछेरों के क्षेत्र में नहीं है। हमें जानकारी है और मछेरों का अनुभव सर्वोत्तम प्रमाण होता है, कि मछली की पकड़ में काफी कमी आई है। हमने इस सभा में कहा था कि मंत्री महोदय का कथन सच नहीं है और मछली की पकड़ में कमी आयेगी और मछेरों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।

माननीय मंत्री और सरकार का तर्क गलत साबित हो चुका है। समूचे तटवर्ती क्षेत्रों में परम्परागत मछेरों की मछली की पकड़ में काफी कमी आई है और उनको गरीबी ने पीड़ित कर रखा है। करोड़ों मछेरे आन्दोलन पथ पर आने को मजबूर हो गये हैं। अतः मैं इस सभा के सभी माननीय सदस्यों के साथ मिलकर सरकार से निवेदन करता हूं कि वह दिये गये सभी लाइसेंस वापिस लें।

**श्री लोकनाथ चौधरी** : मैंने यह बात उठाई है।

**[हिन्दी]**

**श्री डी॰ जे॰ टंडेल** : मैं सिर्फ एक बात का स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। एक मिनट।

**अध्यक्ष महोदय** : बैठिये। आपने अपनी बात बता दी। उनको भी बोलने दीजिए न।

**श्री डी॰ जे॰ टंडेल** : मैं एक चीज बता देना चाहता हूं। मंत्री जी यह कहेंगे कि 12 नोटिकल माइल्स के बाहर वह फिशिंग करेंगे ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : वह क्या कहेंगे, वह उनकी बात सुनने के बाद आप कहिये।

**श्री डी॰ जे॰ टंडेल** : नहीं, मंत्री जी को मैं बताना चाहता हूं कि 12 नोटिकल माइल्स के बाहर फिशिंग नहीं करते हैं, वह पूरे समुद्र के अन्दर आकर फिशिंग करते हैं, यह मैं क्लियर बताना चाहता हूं। वह ऐसा नहीं कर रहे हैं, ऐसा कहकर मंत्री जी उनका बचाव कर रहे हैं।

**श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर)** : हमारी स्थायी समिति ने इसके बारे में अध्ययन किया और मछली की पकड़ तथा परम्परागत मछेरों की समस्याओं के बारे में सन्देह व्यक्त किया। मैं श्री पी॰ सी॰ चाको द्वारा कही गई बात का समर्थन करता हूं, हमने अपनी समिति में उन पर विचार किया और सरकारी अधिकारियों को बुलाया।

**अध्यक्ष महोदय** : आपने उस समिति में जो कुछ किया, उसे यहां बताने की जरूरत नहीं। मैं उसकी अनुमति नहीं देता।

**श्री तरित बरण तोपदार (बैरकपुर)** : हमने एक प्रतिवेदन पेश किया। उसके बावजूद सरकार ने उस पर कार्यवाही नहीं की और उसमें व्यक्त सन्देहों एवं आशंकाओं पर सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया था।

अब दो दिनों में तत्काल कार्यवाही करने की आवश्यकता है। तथापि हम सभी को कार्यवाही करनी चाहिये ताकि आन्दोलन समाप्त हो और परम्परागत मछेरों के हितों की रक्षा करने हेतु तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री लोकनाथ चौधरी** : जब सरकार ने ये संयुक्त उपक्रम लाइसेंस जारी किये थे तब भी मछेरों ने आन्दोलन किया था और सरकार ने वादा किया था कि भविष्य में लाइसेंस जारी नहीं किये जायेंगे। सरकार ने मुरलीधरण समिति भी नियुक्त की थी जिसे तीन महीनों में अपना प्रतिवेदन पेश करना था। तीन महीने की अवधि बीत चुकी है। न तो कोई प्रतिवेदन दिया गया है और न समिति ने मछेरों के प्रतिनिधियों को बुलाया है। अतः केवल मात्र समिति गठित की गई है। सरकार कहती है कि वह भविष्य की नीति निर्धारण करेगी और भविष्य में लाइसेंस नहीं दिये जायेंगे। परन्तु मुझे सरकार की नीति समझ में नहीं आती। यदि सरकार को विश्वास है कि कोई बात गलत है, तो उन्हें लाइसेंस रद्द करने चाहिये थे। अब सरकार ने 800 विदेशी जहाजों को लाइसेंस दिये हैं और वे कह रहे हैं कि मात्र दो प्रतिशत ही मछली पकड़ी जायेगी। यदि दो प्रतिशत ही मछली पकड़नी है तो इतने अधिक विदेशी जहाज भारतीय समुद्रों में क्यों प्रविष्ट हो रहे हैं ? यह विनाशक उपक्रम है, न कि संयुक्त उपक्रम, जिसे सरकार प्रोत्साहित कर रही है।

अतः सरकार को वास्तविक स्थिति को ध्यान में रखकर मछेरों के साथ बातचीत करनी चाहिये और लाइसेंस रद्द करने चाहिये। सरकार को हमारे मछेरों और उनके हितों की रक्षा करनी चाहिये और उसके द्वारा देश के हितों का संवर्धन करना चाहिए। ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपको अनुमति दूंगा।

**[अनुवाद]**

**श्री पी॰ जी॰ नारायणन** : यह बड़ा गम्भीर मामला है और पिछले पांच दिनों से उठाया जा रहा है, किन्तु इस महत्वपूर्ण मामले में सरकार कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर रही है।

सरकार के कार्य के कारण हजारों मछेरों की जीविका को खतरा पैदा हो गया है। परम्परा गत मछेरों को सामान्य रूप से मछली पकड़ने की अनुमति होनी चाहिये और पहले जारी किये गये लाइसेंस रद्द कर दिये जाने चाहिये और आन्दोलनकारी मछेरों को बातचीत हेतु बुलाने के लिये तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए।

**श्री ए॰ चार्ल्स** : पिछले सत्र के दौरान भी माननीय मंत्री का ध्यान इस महत्वपूर्ण विषय की ओर दिलाया गया था और लाइसेंस रद्द करने हेतु जोरदार तर्क सहित अपील की गई थी। इस समिति का गठन किये जाने से पहले भी केरल के मुख्यमंत्री ने माननीय मंत्री को लिखा था कि केन्द्र की यह नीति राज्य सरकार को स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि केरल का भी बड़ा समुद्र तट है जो इस नीति से कुप्रभावित होता है। और परम्परागत मछेरों पर इसका बड़ा बुरा असर पड़ता है, अत: लाइसेंस रद्द किये जाने चाहिये। यह वस्तुत: दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि इतना होने पर भी केन्द्र द्वारा कुछ नहीं किया गया है।

अत: मैं यह भी आग्रह करता हूं कि समिति को आन्दोलनकारियों के नेताओं से भी बातचीत करनी चाहिये और परम्परागत मछेरों की बात भी सुननी चाहिये। समूची सभा द्वारा व्यक्त किये गये विचारों की पृष्ठभूमि में, पहले जारी किये गये सभी लाइसेंस भी तुरन्त रद्द कर दिये जाने चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : डॉ॰ पात्र सदस्यों की ओर से अन्त में अपनी बात रखेंगे और उसके बाद मंत्री महोदय अपनी बात कहेंगे।

**डॉ. कार्तिकेश्वर पात्र** : महोदय दिन-प्रतिदिन हमारे देश में राष्ट्रीयता की और देशभक्ति की भावना कम होती जा रही है। हमने अनेक बलिदानों के बाद स्वाधीनता प्राप्त की। परन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जन्मे पुरुषों और और नारियों में स्वाधीनता के मूल्य में विश्वास कम ही है।

**अध्यक्ष महोदय** : आप विकास सिद्धान्त के माध्यम से अपनी बात मत रखिए।

**डा॰ कार्तिकेश्वर पात्र** : दूरदर्शन पर हम देश के स्वतंत्र सेनानियों और स्वाधीनता आंदोलन की कथा पर आधारित कोई सीरियल या फिल्म नहीं देख सकते। इसी कारण मैं इस सम्मान्य सभा तथा आपके समक्ष निवेदन करता हूं कि सरकार को देश के स्वतंत्रता आन्दोलन और महान सेनानियों के कृत्यों पर आधारित सीरियल और फिल्म दिखाने के कार्यक्रम को मंजूरी देनी चाहिये।

**अध्यक्ष महोदय** : यंह बिल्कुल दूसरी बात है।

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)** : सरकार परम्परागत मछेरों के हितों की रक्षा करने के लिये प्रतिबद्ध है और उनके हितों की हानि नहीं होने देगी। इसी कारण, माननीय सांसदों की इच्छा और दूसरे लोगों द्वारा किये गये आन्दोलन को ध्यान में रखते हुए मैंने एक समिति गठित की है। अन्यथा सभी तथ्य और आंकडे इसको उचित नहीं सिद्ध करते। ...(व्यवधान)... हमें समूची नीति पर समीक्षा करनी होगी कि क्या गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने का परम्परागत मछेरों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है या नहीं। यह आरोप सही नहीं है कि उनकी मछली की पकड़ कम हो गई है। मछली की पकड़ बढ़ी है, जिसे साबित करने के लिए मैं आंकड़े दे सकता हूं। ...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी, सवाल सीधा है ...(व्यवधान)... मंत्री जी जो जवाब दे रहे हैं, सवाल एक ही है। ...(व्यवधान)... जो फिशमैन उत्तेजित हैं और एक आदमी आमरण अनशन पर बैठा है, सरकार इस मामले में तत्काल क्या कदम उठाना चाहती है, इस पर सरकार को बोलना चाहिये। ज्याद पर्सेंटेज की बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया उन्हें अपनी पूरी बात कहने दीजिए। हमें इसे गम्भीरतापूर्वक लेना चाहिए।

**श्री तरूण गगोई** : यह गलत आरोप है कि मछली की पकड़ में कमी आई है। वस्तुत: पकड़ में वृद्धि हुई है। ...(व्यवधान)... 1988-89 में समुद्री मछली की पकड़ 18.17 लाख मीट्रिक टन थी और जो बढ़कर 1993-94 में 26.8 लाख टन हो गई है ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : कृप्या उन्हें अपनी पूरी बात कहने दीजिए।

**श्री तरूण गगोई** : आंकड़े समुद्रतटी से पकड़ी गयी मछलियों के हैं। मैं मछली की समग्र पकड़ की बात नहीं कर रहा क्योंकि उनका प्रश्न समुद्रतटीय क्षेत्र से संबंधित है। किन्तु देशान्तर्गत जल से मछली पकड़ के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है, जो 46.81 लाख मीट्रिक टन तक हो गये हैं ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : कृप्या इस तरह व्यवधान उत्पन्न मत कीजिए पहले उन्हें बोलने दीजिये। यदि मामला गम्भीर है तो उनको अपनी बात पूरी करने दीजिए। अन्यथा मैं इस विषय को यहीं पर समाप्त कर दूंगा।

**श्री लोकनाथ चौधरी** : लेकिन वह इसे गम्भीरतापूर्वक नहीं ले रहे हैं।

**श्री तरूण गगोई** : मैं इसे गंम्भीरतापूर्वक ले रहा हूं, इसी कारण मैंने समिति बनाई है। अन्यथा मैं समिति न बनाता।

यह सच है कि प्रति किश्ती मछली की पकड़ में कमी हुई है। किन्तु इसका कारण यह है कि मशीन वाली किश्तियों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। मैं आपको आंकड़े दे सकता हूं। 1989-90 में मशीनी नावों की संख्या 24272 थी, जो 1992-93

में बढ़कर 34,848 हो गई, अत: इनकी संख्या में तैंतालीश (43) प्रतिशत वृद्धि हुई है। मशीनी नावों के द्वारा कुल पकड़ में से 65 (पैंसठ) प्रतिशत मछलियां पकड़ी गयी। श्री थामस ने भी स्वीकारा है कि मशीनी नावों के कारण परम्परागत मछेरों की मछली पकड़ में कमी आई है। यह बात उन्होंने मुझे लिखी है। मैं इसे दिखा सकता हूं। उन्होंने अन्य बातें भी उठाई हैं ...(व्यवधान)... गहरे समुद्र में से मछली पकड़े जाने के कारण नहीं, अपितु मशीनी नावों से मछली पकड़ने के कारण परम्परागत मछेरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया आप अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

**श्री तरूण गगोई** : मान्यवर, वास्तव में गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाले केवल पैंतीस (35) नौकायें (जहाज) हैं। मैं आपको सही-सही आंकड़े देता हूँ। मैं मानता हूं कि परम्परागत मछेरों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और मैं उनके हितों के संरक्षण की व्यवस्था करूंगा। वे नौकाओं की बात तो उठा रहे हैं, परन्तु मशीनी नावों की बात क्यों नहीं उठाते। मशीनी नावों का भी विनियंत्रण करना होगा, अन्यथा परम्परागत मछेरों के हितों का संरक्षण नहीं हो सकेगा। मैं यह सभी चाहता हूं कि मशीनी नावों वाले भी गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने के लिये जाएं मशीनी नावों से मछली पकड़ने वालों के पास बड़ी नौकायें हैं, जो लगभग बीस मीटर लम्बी हैं। परन्तु हमारे झालर उनसे बड़े हैं।

**श्री लालकृष्ण आडवाणी** : आपने अब उनकी समस्या को बढ़ा दिया है।

**श्री तरूण गगाई** : मैंन समस्या को नहीं बढ़ाया, बल्कि मशीनीकृत नावों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि से यह समस्या बढ़ती जा रही है।

**श्री लोकनथ चौधरी** : कौन वृद्धि कर रहा है।

**श्री तरूण गगोई** : मशीनी नावों की संख्या में वृद्धि की अनुमति राज्य सरकार ने दी है, मैंने नहीं।

मान्यवर, नौकायें तीन प्रकार की हैं–परम्परागत, मशीनी और गहरे समुद्र में से मछली पकड़ने वालीं। मेरा संबंध गहरे समुद्र से मछली पकड़ने वाले जहाजो से हैं। मैं अन्य देशों द्वारा अत्यधिक शोषण किये जाने के तथ्य को जानता हूं, इसी कारण हम यहां उनका विनियमन कर रहे हैं। वास्तव में कार्यकारी दल ने उनकी संख्या 2600 रखने की सिफारिश की, परन्तु मैं इस बात से सहमत नहीं हुआ। मैंने केवल 200 की स्वीकृति दी। उन्होंने एक बात यह उठाई थी अब दूसरी बात उठाने लगे हैं।

मछली पकड़ने के क्षेत्र की बात भी है। मैं परम्परागत मछेरों के लिये अधिकाधिक क्षेत्र निर्धारित करना चाहता हूं ताकि उनके हितों का संरक्षण हो सके। इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। मैं कोई समझौता इस दृष्टि से करने के लिये तैयार हूं ताकि परम्परागत मछेरों के हितों की रक्षा हो और उन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े।

**1.00 म. प.**

वास्तव में गहरे समुद्र से दो प्रतिशत मछली पकड़ी जाती हैं...(व्यवधान)...यदि उसमें कोई कमी करने की जरूरत पड़े तो गहरे समुद्र की नीति...(व्यवधान)...

**श्री लोकनाथ चौधरी** : यदि यह दो प्रतिशत है तो आप बहु राष्ट्रिकों को क्यों निमंत्रित कर रहे हैं ? ...(व्यवधान)...

**श्री तरूण गगोई** : इसमें गुंजाइश है। हिन्द महासागर में मछली पकड़ने का काम अत्यन्त कम है। हम उसका पूर्ण दोहन कराना चाहते हैं ताकि हम विदेशी मुद्रा कमा सकें और अधिक रोजगार के साधन जुटा सकें। अन्यथा, वहां से अनधिकृत मछली पकड़ बढ़ जायेगी। अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ना अब भी जारी है। पिछले साल हमने ऐसे 53 जहाज पकड़े थे। अब लाइसेंस रद्द करने पर विदेशी चोरी से मछली पकड़ने का कार्य अधिक करने लगेगा। हम ऐसा नहीं चाहते ...(व्यवधान)... अनाधिकृत रूप से मछली पकड़ना जारी है। अत: समिति इन सब बातों पर विस्तारपूर्वक विचार करेगी। मैं आप से तथा आन्दोलनकारी लोगों से अनुरोध करता हूं कि इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए और परम्परागत मछेरों के संरक्षण के प्रति हमारी रूचि को दृष्टिगत रखते हुए आन्दोलन समाप्त कर दें ...(व्यवधान)... मैं उनको भी बुला सकता हूं। परन्तु इससे उनको क्या सहायता होगी, क्या लाभ उनको होगा, तो भी मुझे उनको बुलाने में कोई आपत्ति नहीं है ...(व्यवधान)...

**[हिन्दी]**

**श्री शरद यादव (मधेपुरा)** : अध्यक्ष जी, मंत्री जी को यहां जवाब देना चाहिए कि जो लोग आमरण अनशन कर रहे हैं क्या वह उनके साथ बातचीत करेंगे ? केन्द्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट ने जो प्रावधान इस मामले में किए हुए हैं उसके ऊपर मंत्री जी तत्काल कोई मीटिंग बुलाएं। यह बात ज्यादा ध्यान में रखने की जरूरत है। ...(व्यवधान)...

**[अनुवाद]**

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : महोदय, सभा सम्प्रति चाहती है कि श्री थामस कोचेरी की भूख हड़ताल समाप्त करें।

**श्री तरूण गगोई** : मैं भी ऐसा ही चाहता हूं।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : हमें इस समय इसी बात की चिन्ता है। आपने बताया है कि कार्यकारी दल की 2000 जहाजों की सिफारिश के बावजूद आपने केवल 200 की अनुमति दी। मेरा सुझाव है कि इस समय आप उन 200 को भी रोक दीजिये। जहां तक परम्परागत मछेरों और मीशीनी नावों वालों के बीच चल रहे संघर्ष का सवाल है। ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : यह राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आता है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जी नहीं, नौकायें माननीय मंत्री के क्षेत्राधिकार के अर्न्तगत हैं।

**श्री तरूण गगोई** : दो प्रकार की नौकायें हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : वे गहरे समुद्र से मछली पकड़ने का उल्लेख कर रहें हैं, न कि मशीनी ट्रालरों से।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : मशीनी नावें राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार में आती हैं ...(व्यवधान)... परम्परागत मछेरों और मशीनी नावों के बीच कई वर्षों से झगडा चल रहा है, उसमें भी स्वार्थों का संघर्ष है।

**अध्यक्ष महोदय** : जी हां यह हथ करघा और बिजली करघा के संघर्ष के समान है।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : जी हां, समस्या के बढ़ने का कारण है विदेशी जहाज के बारे में भारत सरकार की नीति।

**अध्यक्ष महोदय:** वह गहरे समुद्र में हैं, न कि आर्थिक (वटवर्ती) क्षेत्र में।

**श्री लाल कृष्ण आडवाणी** : यह गहरे समुद्र में है। वह कहते हैं कि मछली की पकड़ बढ़ी है। हो सकता है कि मछली की पकड़ इतनी बढ़ जाए की समुद्री परिस्थिति को प्रतिकूल प्रभाव पड़ जाये। आजकल हम सामुदाद्रिक परिस्थिति की ओर अन्य बातों का उल्लेख करते हैं। जो नीति अपनाई जा रही है सरकार उससे समूचे क्षेत्रों की समुद्री परिसिति की पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस समय तो हमारा मुख्य लक्ष्य यह है कि श्री थामस कोचेरी को अपनी भूख हड़ताल समाप्त करने के लिये सहमत कराया जाये और वह तभी होगा जब सरकार यह कहे कि इन समस्त संयुक्त उपक्रमों को रोकने का निर्णय कायम रहेगा और फिर आप लोगों के साथ बातचीत करिये। यह दृष्टिकोण अपनाना चाहिये ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : उन्हें अपनी बात स्पष्ट करने दीजिए। मैं उनको अपनी बात स्पष्ट करने की अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

**श्री शरद यादव** : अध्यक्ष जी ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : आपके प्वांइट को थोड़ा-सा बाद में एक्सप्लेन करने के लिए हम टाइम देंगे।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : यह वास्तव में महत्वपूर्ण बात है।

**श्री तरूण गगोई** : महोदय, मैं यह अनुरोध करना चाहूंगा कि

**श्री नाथूराम मिर्धा** : महोदय वे कह रहे हैं कि बड़ी नौकाओं को हटाना चाहिये। परन्तु छोटे मछेरे वहां जा नहीं सकते ...(व्यवधान)... एक बार लाइसेंस दे चुके हैं, अब वह लाइसेंस रद्द नही कर सकते। इस तरह से किसी जीवन को बचाने जैसी बात नहीं है। ...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : देखिये, अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर डिसकशन करने का कोई मतलब नहीं होगा। अगर कोई तरीके से करना है तो करेंगे।

**श्री तरूण गगोई** : आप परम्परागत मछुवारों के हितों की रक्षा करने के बारे में बात कर रहे हैं...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : क्या मैं इसे स्पष्ट करूं ?

माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिये परम्परागत मछेरों की सहायता करना संभव होगा और क्या भूखहड़ताल पर बैठे हुए व्यक्ति की सहायता करने के लिए कुछ करना आपके लिये संभव है ?

**श्री तरूण गगोई** : मैं उनको बातचीत के लिए बुला सकता हूं। वास्तव में यही कारण है कि ...(व्यवधान)... इसलिये मैंने पहले ही आश्वासन दिया है कि अब और कोई लाइसेंस नहीं दिया जायेगा। और किसी प्रार्थना-पत्र पर विचार नहीं होगा।

**अध्यक्ष महोदय** : जी, हां।

**श्री तरूण गगोई** ; मैंने कहा है कि नये आवेदनों पर विचार नहीं किया जायेगा। ऐसा आश्वासन मैंने पहले ही दे दिया है ...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : अगर आप ऐसा करेंगे तो यह कोई मायने नहीं रखता है।

[अनुवाद]

**श्री तरूण गगोई** : मैं बता चुका हूं कि कोई नया लाइसेंस जारी नहीं किया जायेगा तथा किसी प्रार्थनापत्र पर विचार नहीं किया जायेगा। परन्तु जो कुछ है उसे मैं नहीं रोक सकता। वे कानूनी हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : यह अलग बात है। आप सदस्यों की भावनाओं को समझिये। इस समय आपके लिये संभव है तो कृपया राज्य सरकार के प्रतिनिधियों को तथा हड़ताल वालों को बुलाइये और उनसे बातचीत करिये तथा उनको अपनी स्थिति समझाइये और उनको विश्वास दिलाने का प्रयत्न कीजिये कि उनके हितों का संरक्षण किया जायेगा।

**श्री तरूण गगोई** : मैं उनको बुलाऊंगा।

**अध्यक्ष महोदय** : मेरा विचार है कि सभा चाहती है कि आप उनको बुलाएं।

**श्री तरूण गगोई** : महोदय, मैं उनको बुलाऊंगा। उनको बुलाकर मुझे प्रसन्नता होगी।

**[हिन्दी]**

**श्री नाथूराम मिर्धा** : अध्यक्ष महोदय, मैं भी इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं। ...(व्यवधान)...

विरोधी पक्ष के सदस्य स्वयं तो बोलना चाहते हैं, लेकिन दूसरों के मुंह पर ताला लगाना चाहते हैं। ...(व्यवधान)...

**अध्यक्ष महोदय** : एक तो डीप सी फिशिंग के लिए जोन है, एक जो छोटी मशीनें हैं, उनके लिए अलग जोन है और जो छोटे फिशरमैन नाव से फिशिंग करते हैं, उनका अलग जोन है। अब ये कह रहे हैं कि बड़े ट्रालर्स को हटा दें, लेकिन छोटे फिशरमैन तो वहां जा नहीं सकते, इसलिए इनके कंपीटीशन को निपटाने का तरीका और है। इनका जो सुझाव है कि बड़े ट्रालर्स को हटा दो, यह नहीं हो सकता, यह गलत है।

**अध्यक्ष महोदय** : देखिए उन्होंने इसके ऊपर कुछ इंसिस्ट नहीं किया, इसको छोड़ दीजिए। मैं समझता हूं कि अब एक घंटा हो गया है।

**[अनुवाद]**

अब सभा पटल पर पत्र रखे जायेंगे।

**1:05 म. प.**

## सभापटल पर पत्र रखे गये

**दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली को 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा वार्षिक लेखा आदि**

**शहरी कार्य और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी॰ के॰ थुंगन)** : मान्यवर, मैं श्रीमती शीला कौल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :-

(1)दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 19 के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2)दिल्ली नागरी कला आयोग अधिनियम, 1973 की धारा 20 की उपधारा (4) के अंतर्गत दिल्ली नागरी कला आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 1993-94 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(3)उपर्युक्त (1) और (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गये देखिये संख्या एल॰ टी॰ 7520/95]**

**महापत्तन न्यास अधिनियम 1963 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं आदि**

**जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :-

(1) महा पत्तन न्यास अधिनियम, 1963 की धारा 124 की उपधारा (4) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) सा॰ का॰ नि॰ 644 (अ), जो 16 अगस्त, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, सेवायें) पहला संशोधन विनिमय, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(दो) सा॰ का॰ नि॰ 818 (अ), जो 17 नवम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा तूतीकोरिन पत्तन न्यास कर्मचारी (भर्ती, वरिष्ठता और पदोन्नति) संशोधन विनिमय, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

(तीन) सा॰ का॰ नि॰ 867 (अ), जो 16 दिसम्बर, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसमें 3 अगस्त, 1963 की अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 530 (अ) का शुद्धि-पत्र अंतर्विष्ट है।

(चार) सा॰ का॰ नि॰ 300 (अ), जो 29 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (आयतकों, पोतवणिकों तथा निकासी और अग्रेषण एजेंटों के लिपिकों का अनुज्ञापन) (संशोधन) विनियम 1992 का अनुदान किया गया है।

(पांच) सा॰ का॰ नि॰ 345 (अ), जो 17 अप्रैल, 1995 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिसके द्वारा कोचीन पत्तन न्यास (नौभरक अनुज्ञापनों का निर्गम) संशोधन विनिमय, 1994 का अनुमोदन किया गया है।

**[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7521/95]**

(2) मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 212 की उपधारा (4) के अंतर्गत मोटर यान (पर्यटन परिचालकों को अखिल भारतीय अनुज्ञापत्र) संशोधन नियम, 1995 जो 22 मार्च, 1995 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा॰ का॰ नि॰ 286 (अ) में प्रकाशित हुए थे की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7522/95]**

(3) (एक) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, अधिनियम, 1985 के धारा 24 के अंतर्गत भरतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण नोएडा के वर्ष 1993-94 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति

(हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, नोएडा के वर्ष 1993-94 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलिम्ब के कारण दशनि वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

**[ग्रंथालय में रखे गये, देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7523/95]**

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की विस्तृत मांगों का शुद्धि-पत्र***

**खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री तरुण गगोई)** : मैं वर्ष 1995-96 के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की विस्तृत अनुदानों की मांगों के शुद्धि-पत्र* की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**[ग्रंथालय में रखा गया, देखिए संख्या एल॰ टी॰ 7524/95]**

## वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

## बराहवां प्रतिवेदन

**1.06 म॰ प॰**

**श्री द्वारका नाथ दास (करीमगंज)** : महोदय मैं वाणिज्य विभाग (वाणिज्य मंत्रालय) की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में वाणिज्य संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के बारहवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**01.06 1/2 म॰ प॰**

## गृह कार्य संबंधी स्थायी समिति

## पंद्रहवा, सोलहवां और सत्रहवां प्रतिवेदन

**प्रो॰ एम॰ कामसन (बाहरी मनीपुर)** : मैं गृह कार्य कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालयों की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में गृह कार्य संबंधी समिति के पन्द्रहवें, सोलहवें, और सत्रहवें प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

*खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की वर्ष 1995-96 की अनुदानों की विस्तृत मांगे 31 मार्च 1995 को सभा पटल पर रखी गई थी।

**01.07 म॰ प॰**

## उद्योग संबंधी स्थायी समिति

## चौदहवां और पन्द्रहवां प्रतिवेदन

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन (कन्नानौर)** : महोदय मैं (1) इस्पात मंत्रालय, और (2) खान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में उद्योग संबंधी विभागीय संसदीय स्थायी समिति के चौदहवें और पन्द्रहवें प्रतिवेदनों की प्रतियां (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

**01.7 1/2 म॰ प॰**

## विज्ञान तथा प्रौद्योगिक, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

## बाईसवां प्रतिवेदन

**कुमारी फ्रिडा तोपनो (सुन्दरगढ़)** : महोदय मैं पर्यावरण और वन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995-96) के संबंध में विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति के बाईसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं।

**01.08 म॰ प॰**

## संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) संशोधन विधेयक*

**वित्त मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर मूर्त्ति)** : महोदय, मैं संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाला विधेयक पुरः स्थापित करने की अनुमति मांगता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि संघ उत्पाद शुल्क (वितरण) अधिनियम, 1979 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ**

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम॰ वी॰ चन्द्रशेखर)**: मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

*दिनांक 8.5.95 के भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 2, में प्रकाशित।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरः स्थापित।

01.09 म. प.

## नियम 377 के अधीन मामले

**(एक) उर्वरकों पर दी गई राज सहायता के लाभ को किसानों तक पहुंचाने की आवश्यकता**

**श्री के. एच. मुनियप्पा (कोलार)** : मान्यवर, केन्द्रीय सरकार द्वारा किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता देने के लिए 5900 करोड़ की बड़ी राशि दी जा रही है। परन्तु यह सारी राशि उन तक नहीं पहुंचती जिनके लिए यह अभिप्रेत है। बिचोलिये इस राशि में से मुख्य भाग स्वयं खा जाते हैं। अन्ततोगत्वा किसान नुकसान में ही रहते हैं।

वर्ष 1994 में, उर्वरकों की प्रतिबोरा कीमत केवल 200 रुपये थी। किन्तु अब कीमत लगभग दुगनी हो गई है। आश्चर्य की बात है कि उर्वरकों की कीमत में वृद्धि होने के अनुपात में किसानों को उनकी उपज के दाम उपलब्ध नहीं होते हैं।

राजसहायता देने के लिये किसानों की तीन श्रेणियां सीमान्त, छोटा और बड़ा किये जाने के बावजूद किसानों को सहायता नहीं पहुंच सकी।

इसलिए, मैं रसायन तथा उर्वरक मंत्री से अपील करता हूं कि वह किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता देने के लिए निम्नलिखित कार्यवाही करें।

सभी किसानों को राजसहायता दी जानी चाहिए। भ्रष्टाचारी तरीकों का उन्मूलन करने के प्रयोजनार्थ, राजसहायता कम्पनियों को दी जानी चाहिये, न कि विभागों को। किसानों को उर्वरकों पर राजसहायता उपलब्ध कराने के लिये 4000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि आवंटित की जानी चाहिये।

**(दो) प्याज़ के समर्थन मूल्य की घोषणा की आवश्यकता**

**डॉ. वसन्त पवार (नासिक)** : मान्यवर, देश में नासिक प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है और प्याज का लगभग 50 प्रतिशत उत्पादन इस क्षेत्र में होता है। अंच्छी वर्षा और मौसम की अच्छी स्थिति होने के कारण इस वर्ष प्याज का उत्पादन बहुत अच्छा रहा। बेहतर उपज प्राप्त करने के लिये किसानों को निवेश लागत के रूप में प्रति क्विंटल लगभग 300 रुपये खर्च करने पड़े हैं। दुर्भाग्यवश, प्याज का उत्पादन बहुत बढ़ने के कारण किसानों को अच्छी कीमत नहीं मिल रही है, और उन्हें मजबूरी के कारण 30 रुपये प्रति क्विंटल पर प्याज की बिक्री करनी पड़ रही है। नेफेड की ओर से असहानुभूतिपूर्ण तथा उदासीनता का रुख अपनाये जाने के कारण किसान बहुत निराश और हताश हैं क्योंकि नेफेड किसानों की हानि को रोकने के लिये उनसे समुचित दामों पर प्याज खरीदने में उनकी सहायता नहीं कर रहा है। किसानों की सहायता करने और उनमें विश्वास की भावना पैदा करने के लिए मेरा निवेदन है कि सरकार को तुरन्त प्याज का समर्थन मूल्य 300 रुपये प्रति क्विंटल घोषित कर देना चाहिए। नेफेड को अनुदेश दिये जायें कि वह सहकारी संस्थाओं से सेवा प्रभार के रूप में 5 प्रतिशत की वसूली न करे। चूंकि प्याज खराब होने वाला पदार्थ है और इसका जीवन केवल दो महीने का होता है, अतः सरकार के लिये तत्काल इसमें हस्तक्षेप करना अनिवार्य हो जाता है। इन उपायों के अतिरिक्त सरकार को चाहिये कि वह प्याज का निर्यात करने के लिये सहकारी संस्थाओं को संरक्षण प्रदान करें। राष्ट्रीय प्याज अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिये और रेल मंत्रालय को चाहिये कि देश के विभिन्न भागों में प्याज ले जाने के लिए रेल परिवहन की व्यवस्था करें।

**(तीन) देश में खांडसारी इकाइयों द्वारा 'वैक्यूम पान टेक्नालोजी के प्रयोग की अनुमति देने की आवश्यकता।**

**श्री अमर पाल सिंह (मेरठ)** : हमारे देश में सल्फर खांडसारी यूनिट की रिक्वरी 6.5 प्रतिशत है। वैक्यूम पैन की अनुमति मिलने के बाद इसकी रिक्वरी 9.5 प्रतिशत हो जायेगी। इससे न केवल 3 प्रतिशत राष्ट्रीय हानि की बचत होगी बल्कि किसानों को गन्ने की फसल का बेहतर मूल्य मिलेगा, चीनी की क्वालिटी में सुधार आयेगा और बिजली की खपत में भी कमी आयेगी। इस सुविधा के बाद लघु उद्योग स्वयं अपनी आवश्यकतानुसार बिजली उत्पादन कर सकेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधन बढ़ेंगे तथा चीनी का उत्पादन भी बढ़कर 2 करोड़ टन तक हो जायेगा, जिससे देश को चीनी के आयात की आवश्यकता नहीं रहेगी बल्कि देश निश्चित रूप से चीनी का स्थायी निर्यात कर सकेगा।

अतः मैं, भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि देश और किसानों के हित में सम्पूर्ण खंडसारी इकाईयों को तुरंत वैक्यूम पैन की सुविधा प्रदान की जाये तथा समस्त चीनी उद्योग पर से लाइसेंस प्रणाली समाप्त की जाये।

**(चार) उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में खलीलाबाद शहर को आई. एस. डी. एल. टी. के अन्तर्गत शासित कोष तथा उसके लिये समुचित धन उपलब्ध कराने की आवश्यकता।**

[हिन्द]

**श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल (खलीलाबाद)** : खलीलाबाद नगर पालिका जनपद बस्ती का हैंडलूम का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र है। यह इंडस्ट्रियल एरिया और इंडस्ट्रियल स्टेट के रूप में औद्योगिक परिक्षेत्र घोषित है। हैंडलूम का प्रमुख व्यवसायिक केन्द्र तथा औद्योगिक क्षेत्र होने के कारण इस नगरपालिका क्षेत्र की आबादी सघन होती जा रही है और इसका भौगोलिक क्षेत्र भी उसी अनुपात में फैलता जा रहा है। धनाभाव के कारण विकास कार्य विशेष न हो पाने से इस नगर पालिका क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। जल निकासी की व्यवस्था न होने से बराबर जल भराव रहता है, सड़कों और गलियों की हालत अत्यंत दयनीय है। सब्जी मंडी की व्यवस्था न होने के कारण

से सड़कों पर भीड़ व गंदगी रहती है, विद्युत आपूर्ति हेतू पुरानी वायरिंग, क्रीड़ा स्थल का अभाव, शुद्ध पेयजल और सुलभ शौचालय का न होना आदि अनेकों ऐसी प्रमुख समस्याएं हैं, जिनका निदान आवश्यक है। प्रत्येक वर्ष गंदगी के कारण गेस्ट्रो-इंट्रायटिस सहित अनेको बीमारियों से यह क्षेत्र प्रभावित रहता है। विगत वर्ष इस क्षेत्र में फैला गेस्ट्रो-इंट्रायटिस बीमारी अत्याधिक चिंता का विषय बन गया है।

अत: मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि खलीलाबाद नगर पालिका क्षेत्र को केन्द्र सरकार की योजना आई. एस. डी. एल. के तहत प्रथमत: सूची में प्रथमत: सूची में अंकित कर इसके विकास कार्य हेतु धनराशि आबंटित करने का कष्ट करें।

[अनुवाद]

**(पांच) जलपाइगुड़ी शहर और अलीपुरद्वार के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने 451 पुलों के जो 1993 की बाढ़ में नष्ट हो गये थे, पुनर्निर्माण की आवश्यकता**

**श्री जितेन्द्र नाथ दास (जइपाइगुड़ी)** : मान्यवर, 1993 में उत्तर बंगाल में जो बाढ़ आई थीं, उनके दौरान जलपाई गुड़ी शहर और अलीपुरद्वार के बीच संचार व्यवस्था नष्ट हो गयी थी। उन क्षेत्रों में बाढ़ का प्रकोप और प्रभाव भयानक रहा था। सड़क यातायात तो अभी तक ठीक से चालू नहीं हो पाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग के कई पुल नष्ट हो गये थे, जिनका पुनर्निर्माण करने की आवश्यकता है। इस विषय में केन्द्रीय सरकार से बार-बार प्रार्थना की गई है। उस क्षेत्र में सड़क मार्ग ही संचार का मुख्य साधन है।

अत: मैं केन्द्रीय सरकार से अपील करता हूं कि वह उस क्षेत्र में सड़क संचार व्यवस्था बहाल करने के लिये राष्ट्रीय राजमार्ग के पुलों के पुनर्निर्माण के कार्य को कराने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करे।

**(छह) मणिपुरी लोगों की पहचान बनाये रखने तथा संरक्षित करने की आवश्यकता**

**श्री थाइमा सिंह युमनाम (आंतरिक मणिपुर)** : मान्यवर, मणिपुरी लोगों की अपनी एक भिन्न पहचान है जो मणिपुर के स्वतत्रंता काल में अपने आपको राष्ट्र होने का दावा करते थे। उनकी अपनी भिन्न भाषा हैं जिसे मणिपुरी कहते हैं और जो अब भारत के संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित है।

मणिपुरी एवं लोगों को अन्य पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया गया है और परिणामत: इस दिशा में उपलब्ध सभी सुविधाओं के वे हकदार हैं। इसे देखते हुए, अब मालूम हुआ है कि एक वर्ग के लोगों ने जो विष्णुप्रिय मणिपुरी होने का दावा करते हैं, वास्तविक मणिपुरी के नाते, मान्यता दिये जाने की मांग की है। उन्होंने अपनी भाषा को विष्णुप्रिय मणिपुरी के रूप में मान्यता भी मांगी है। यह सर्वथा अजीव मांग है।

इन परिस्थितियों में मैं केन्द्रीय सरकार से अनुरोध करता हूं कि उन लोगों की इस प्रकार की किसी मांग को मान्यता न दी जाये, क्योंकि ऐसा करने से मणिपुरियों के हितों पर गम्भीर रूप से बुरा प्रभाव पड़ेगा। मणिपुरी पहले या पीछे जोड़े बिना विष्णुप्रियों के रूप में उनको मान्यता देने में कोई आपत्ति नहीं हो सकती। विष्णुप्रिय मणिपुरी या मणिपुरी विष्णुप्रिय का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता।

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 म० प० पर पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

**01.17 म० प०**

**तत्पश्चात लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिये 2.15 म० प० तक के लिये स्थगित हुई।**

**2.21 म० प०**

**मध्याह्न भोजन के पश्चात लोक सभा 2.21 म० प० पर पुन: समवेत हुई।**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

**उपाध्यक्ष महोदय** : अब श्री पी० एम० सईद वक्तव्य देंगे।

## मंत्री द्वारा वक्तव्य

**दिल्ली में खुरेजी में डॉ० भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने के मामले पर हुए दंगे और आगजनी की घटना –गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० एम० सईद)** : महोदय, कृष्णा नगर थाने के अंतर्गत खुरेजी के परवाना रोड़ पर स्थित प्लाट, जिसका खसरा संख्या 26/9/1 तथा 26/2 है, जिस पर किन्हीं हुकूमत राय तथा पास में रहने वाले दलितों के मध्य कानूनी विवाद रहा है, झगड़े का कारण है। 1981 से ही सिविल न्यायालय में कानूनी मामला चल रहा है। 1981 में जमीन के इस प्लॉट पर डी० डी० ए० ने एक शौचालय क्राम्पलेक्स बनाया था। हालांकि काफी वर्षों से धीरे-'धीरे इन शैचालयों का उपयोग बंद हो गया था। तथापि जमीन के प्लाट पर दलितों के दावे का यह मुख्य आधार बन गया था। नवम्बर, 1994 में न्यायालय ने हुकूमत राय के पक्ष में फैसला दिया जिसके बाद उसने दिसम्बर, 94 में भूमि के उस प्लाट के चारों ओर एक चारदिवारी बनवा ली थी। हालांकि राजकुमार नामक व्यक्ति के नेतृत्व में दलित लगातार उस पर दावा करते रहे और इसके जबाब में भूमि पर विद्यमान ढांचे को गिराने का स्थगनादेश लेने के लिए उन्होंने उच्च न्यायालय का दरवाजा भी खट-खटाया। न्यायालय ने 10. 1.95 को स्थगनादेश दे दिया। इसी बीच 14.1.95 को दलितों ने चारदिवारी के कुछ हिस्सों को तब नीचे गिरा दिया जब वे समीपवर्ती क्षेत्र में राजकुमार द्वारा सम्बोधित की गई सार्वजनिक सभा की समाप्ति पर इधर-उधर जा रहे थे। इसके कारण कानून

एवं व्यवस्था की स्थिति पैदा हो गई और पुलिस के हस्तक्षेप करना पड़ा। थाना कृष्णा नगर में दंगा भड़काने का एक मामला (दिनांक 14.1.95 को, भारतीय दंड संहिता की धारा 147/ 148/ 186/ 313/ 427 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 23) दर्ज किया गया। तत्पश्चात सिविल न्यायालय में मामले का अंतिम निपटान किया गया और न्यायालय ने निर्णय दिया कि डी॰ डी॰ ए॰ द्वारा बनाया गया शौचालय परिसर गिरा दिया जाय। न्यायालय ने प्लॉट पर दलितों के दावों को भी खारिज कर दिया। न्यायालय के निदेशानुसार डी॰ डी॰ ए॰ ने पुलिस की आवश्यक मदद लेकर 7.4.95 को भूमि पर बना उक्त शौचालय परिसर गिरा दिया था।

2. दिनांक 4 मई, 1995 को सुबह लगभग 3.30 बजे कृष्ण नगर थाने में पुलिस नियंत्रण कक्ष को सूचना मिली कि कुछ लोगों द्वारा हुकूमत राय के प्लॉट की चारदिवारी गिरा दी गई, वे वहां डा॰ भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा भी लगाना चाह रहे थे। इस सूचना के मिलते ही कृष्णा नगर थाने के थाना प्रभारी अपने अन्य कार्मिकों सहित घटना स्थल पर पहुंचे। उपायुक्त पुलिस/मुख्यालय (पूर्व) जोकि, नाइट पैट्रोलिंग अधिकारी थे, भी वहां जा पहुंचे। लगभग 40/50 लोगों की भीड़, प्लॉट में पवेश करने के लिए चारदिवारी को गिराने के पश्चात एक लोहे के आधार स्तंभ पर डा॰ अम्बेडकर की प्रतिमा को लगाते हुए पाई गई। पुलिस को देखते ही भीड़ ने छतों पर से पुलिस पर पथराव शरू कर दिया। चेतावनी देने के बाद उन्हें तितर-बितर करने के लिए थाना प्रभारी/कृष्णा नगर ने आंसू गैस का प्रयोग किया। फिर भी छतों से पथराव जारी रहा। अन्य पुलिस स्टेशनों से आवश्यक पुलिस सहायता और बाहरी बल की दो प्लाटून भी घटना स्थल पर पहुंच गयी। अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी घटना स्थल पर पहुंच गए। चूंकि अपराधी छतों पर छिपे थे और उन्होंने ऊपर जाने वाली सीढ़ियां बंद कर रखी थी इसलिए पुलिस ने, उनसे पथराव बंद कराने और नीचे बुलाने की हर सम्भव कोशिश की। अपराधियों ने उन छतों पर मोलो-टोव कोकटेल (अग्नि बम) फेंके जहां से कि पुलिस उन तक पहुंचने की कोशिश कर रही थी। इस प्रक्रिया में छत पर पड़ी कुछ चीजों ने आग पकड़ ली और इस भारी पथराव के बीच पुलिस ने बाल्टियों में पानी फैंक कर आग बुझायी। क्षेत्र के अन्य कानून पालक निवासियों के समर्थन से पुलिस के सभी प्रयास जब नाकाम रहे, तो पुलिस ने अंतिम उपाय के रूप में आंसू-गैस का सहारा लिया और छत पर अपराधियों तक पहुंचने के लिए पुलिस घरों में घुसी और उन्हें नीचे ले आयी। इस कार्रवाई से स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई।

3. पुलिस ने कुल मिलाकर आंसू के 88 गोले छोड़े। भारी पथराव में 25 पुलिस अधिकारी घायल हुए हैं हादसे में कुल 31 लोगों को गिरफ्तार किया गया जिनमें से 8 को बाद में प्रारंभिक जांच पड़ताल के बाद घटना में शामिल न होने के कारण रिहा कर दिया गया।

4. डा॰ अम्बेडकर की मूर्ति और उसका आधार स्तम्भ जिसे गैर-कानूनी रूप से भीड़ द्वारा स्थापित करने की कोशिश की जा रही थी, पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है।

5. हुकूमत राय के तीन कार्यकर्त्ता, जिनके नाम फरजन्द अली, नूरे, शकील हैं, और जो भीड़ के दीवार तोड़ कर प्लॉट में घुसते समय वहां पर मौजूद थे, भी घायल हैं। नूरे पहला व्यक्ति था जिस पर भीड़ द्वारा पहला हमला किया गया और नूरे के बयान के आधार पर कृष्णा नगर थाने में (दिनांक 4.5.95 को भा॰ दं॰ सं॰ की धारा 147/ 148/ 149/ 448/ 252/ 427/ 436/ 323/ 307/ 341/ 186/ 353/ 332/ 109/ 506 के अधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट सं॰ 193 के तहत) दंगा करने, आगजनी, हमला करने और हत्या का प्रयास करने का मामला दर्ज किया गया है।

मामले पर अगली छान-बीन चल रही है। स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है।

**श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा)** : महोदय, मैंने स्पष्टीकरण मांगने के लिए एक नोटिस दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : यह सच है कि आपने पत्र भेजा है। बस एक मिनट, मैं आपके लिए नियम पढ़कर सुनाऊंगा।

**...(व्यवधान)...**

**[हिन्दी]**

**श्री राम विलास पासवान** : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय का जवाब बिलकुल गलत है। 40-50 आदमियों के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े हैं। मेरे पास में फोटो हैं, जिस तरीके से पुलिस ने वहां जाकर ज्यादती करने का काम किया है उसको आप देख सकते हैं। यह मामला दलित की जमीन का है। मेरे पास में जमीन के रजिस्ट्रेशन व जमाबंदी के कागजात हैं। यह बड़े लोगों, पुलिस अधिकारियों व एडमिनिस्ट्रेशन के तालमेल से जान-बूझकर दलितों को निकालने की साजिश हो रही है। डी॰ डी॰ ए॰ ने शौचालय बनाया और कोर्ट ने फैसला दे दिया। जब दूसरे की जमीन थी तो डी॰ डी॰ ए॰ ने शौचालय क्यों बनवाया? जो दलितों की जमीन है, जिस पर उनका अधिकार है उसको एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की सांठगांठ से बड़े-बड़े लोग मिलकर गरीबों को लूटना चाहते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं और मंत्री महोदय इसकी आड़ में तीन मुसलमानों को ले आये। कहां से नूरे व फरजंद अली पहुंच गए ? कहां हुकूमत राय है और हुकूमत राय को तो आपने पीछे रख दिया और तीन व्यक्तियों को आगे कर दिया जिससे कि यह लगे कि यह मामला दलित वर्सेज मुसलमानों का है। मंत्रीजी जवाब देते हैं कि जांच करवायी है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने किससे जांच करवायी है? आपने रिपोर्ट ली होगी या मशविरा लिया होगा। जब पार्लियामेंट में मामला उठता है तो कम से कम जांच तो करवानी चाहिए। अगर दिल्ली में दलितों के साथ इस तरह की कार्यवाही की जायेगी, दिल्ली में बाबा साहेब अम्बेडकर का इस तरह अपमान

किया जायेगा तो उसका नतीजा आप पूरे देश में भुगत रहे हैं। उसके बावजूद भी आपकी आंख नहीं खुल रही है। आप क्यों गरीब लोगों को वहां जाकर उकसा रहे हैं कि वे हथियार लेकर चढ़ाई कर दें। एक दिन ऐसा भी हो जायेगा।

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : राम विलास पासवान जी जांच पड़ताल का काम चल रहा है।

**श्री राम विलास पासवान** : जब उन्होंने पुलिस अधिकारियों से बातचीत कर ली है, वहां श्री पटनायक पुलिस का जिला आयुक्त है और श्री भारद्वाज एक उच्च पुलिस अधिकारी हैं उन्होंने उच्च जाति और भूस्वामियों के साथ मिलीभगत से यह कार्य किया है। गरीब लोग क्या करेंगे।

[हिन्दी]

कल मैं स्वयं गया था। आडवानी साहब, मैं यहां मद्रास से आया हूं, वहां भी गरीबों की जमीन का झगड़ा था जिसमें दो आदमी मारे गये जिनमें एक वेंकटस्वामी जी हैं। वहां पुलिस ने गोली चलाकर दो आदमियों को मार दिया। जब हम गये तो हमारी वहां के चीफ सैक्रेटरी के साथ बैठक हुई और बातचीत के बाद यही तथ्य सामने आया कि जमीन गरीब की है। उसके बाद जमीन की मार्किंग की गयी लेकिन दो आदमियों की जान चली गयी, उनकी कौन रक्षा करेगा ? मंत्री जी आप तो माइनौरिटी को बिलोंग करते हैं और हमारे स्टेट मिनिस्टर फार होम अफेयर्स हैं, मैं चाहता हूं कि आप हम पार्लियामेंट के सदस्यों को लेकर एक कमेटी बना दीजिये, मैं हूं, कालका दास जी हैं, कुछ दूसरे माननीय सदस्य हैं, वह कमेटी उन सभी जगहों पर जायें और आपको रिपोर्ट दें कि कहां गरीबों के साथ ज्यादती हुई है। दिल्ली में जो यह कांड हुआ, उसमें दलित गरीब की जमीन इंवौल्व है और वे ही मर रहे हैं। आप यहां कह रहे हैं कि वे लोग लूट करने के लिए गये थे और पुलिस पर बम फेंक रहे थे जिसके कारण पुलिस ने अश्रु गैस का प्रयोग किया। मैं बताना चाहता हूं कि एक लड़की सुनीता की शादी होने वाली थी और उसके बाप के यहां जाकर आपकी पुलिस ने 51,000/- रुपये छीन लिये और चार-चार लोगों के हाथ-पांव तोड़ दिये गये। इतना ही नहीं, थाने में ले जाकर उन लोगों पर ज्यादती की गयी। पचास लोगों को कंट्रोल करने के लिये आपका फायर ब्रिगेड भी पहुंच गया, अश्रु गैस भी पहुंच गयी और दूसरे सारे लोग भोर के समय सुबह ही पहुंच गये।

**अध्यक्ष महोदय** : पासवान जी।

[अनुवाद]

**श्री राम विलास पासवान** : महोदय, मैं आपके फैसले को स्वीकार करता हूं। मैं आपका विरोध नहीं रहा हूं।

**श्री पी. एम. सईद** : मुझे नियम अनुमति नहीं देते। मैं कुछ नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : यह आपकी दिल्ली का मामला है। इनकी पुलिस का मामला नहीं है। बल्कि आपकी पुलिस का है।

**श्री पी. एम. सईद** : क्या आपको इनकी पुलिस पर ज्यादा विश्वास है ?

**श्री राम विलास पासवान** : जिस तरह यह घटना हुई है, उससे मुझे इनकी पुलिस पर आपसे ज्यादा विश्वास है।

मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उठकर इतना तो कहें कि आप मामले को री-एक्जामिन करायेंगे। आप हमारे साथ चलिये। दिल्ली का मामला है। आप और हम चलते हैं और देखते हैं। आप कुछ तो कीजिये।

[अनुवाद]

**उपाध्यक्ष महोदय** : यह असाधारण परिस्थिति है। श्री पासवान अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं।

[हिन्दी]

**श्री राम विलास पासवान** : मंत्री जी, आप कुछ तो कहिये।

[अनुवाद]

**श्री पी. एम. सईद** : नियम अनुमति नहीं देते, अत: मैं कुछ नहीं कह सकता।

---

**2.34 म. प.**

## सामान्य बजट 1995-96-अनुदानों की मांगें
## रक्षा मंत्रालय-जारी

**उपाध्यक्ष महोदय** : श्री जसवन्त सिंह, आप पहले 32 मिनट ले चुके हैं। भा. ज. पा. के लिये आवंटित समय। 1 घंटा 11 मिनट का है।

**श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़)** : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भाषण में गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के कारण व्यवधान पड़ गया था। जब हमने पहले रक्षा मंत्रालय की अनुदानों पर वक्तव्य शुरू किया था। मैंने गत शुक्रवार को जहां अपना भाषण छोड़ा था, वहां से आगे बोलूंगा।

मैं पहले कहीं गई अपनी बातों को नहीं दोहराऊंगा किन्तु मैं अपना रोष चिन्ता पुन: व्यक्त करूंगा। जब मैं इन स्थानों को खाली देखता हूं तो मेरा रोष और चिन्ता बढ़ती है, जिसे मैं अवश्य प्रकट करूंगा, क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि रक्षा संबंधी मामलों में जितनी रूचि लेनी चाहिये और इनको महत्व देना चाहिये, उतना माननीय सदस्य नहीं देते, इस कारण वे राष्ट्रीय

महत्व के विषयों पर चर्चा के दौरान भी अनुपस्थित होते हैं। सत्तारूढ़ दल विशेष रूप से इस विषय की ओर उदासीनता और लापरवाही का रवैया अपनाता है। मुझे अपने को व्यक्त करते रहने की जरूरत नहीं है। उनके व्यवहार से ही इस बात का पता चलता है। महोदय मैं सशस्त्र सेनाओं की जनशक्ति की बात कर रहा था। मैं रक्षा मंत्रालय की सशस्त्र सेनाओं में जनशक्ति संबंधी नीति तथा उसके परिणामों का मैंने उल्लेख किया है।

भर्ती, प्रशिक्षण और कल्याण ये जनशक्तिनीति के तीन मुख्य पहलू हैं जिनके बारे में मैं बोलूंगा तीनों सशस्त्र सेनाओं में अफसरों की कमी है, खासकर कुछ विशिष्ट महत्वपूर्ण रैंकों के अधिकारियों जैसे कप्तान से मेजर रैंक में बहुत अधिक कमी हैं। अफसरों में यही रैंक लड़ने वालों के हैं और तीन सेनाओं के इन रैंकों में अफसरों की लगातार बड़ी कमी है, जिसे दूर करने की ओर हमें विशेष ध्यान देना चाहिये।

आंकड़ों से भले ही मेरी बात काटी जा सके, परन्तु वह काट अपर्याप्त होगी। वायु सेना में पाइलटों की अत्याधिक कमी है, जिसे दूर करने की ओर तत्काल विशेष ध्यान देने की जरूरत है और यह सोचना चाहिए कि कमी क्यों हुई है और उसे ठीक रखने के लिये क्या उपाय किये जायें।

मैंने शुक्रवार को भी कहा था कि भर्ती जरूरत से कम की जाती है, और वह कमी लड़ाकू दस्तों में तो नहीं जाती, बल्कि सहायक दस्तों में सभी तीनों सेनाओं में पहुंचती है। एक और बड़ी गंभीर चिन्ता का विषय यह है कि तीनों सेनाओं के अधिकारी वर्ग रैंक में लगातार कमी एक ऐसा पहलू है जिस पर हमें अवश्य ही ध्यान देना चाहिए।

जो प्रश्न मैं उठा रहा हूं सांख्यिकी दृष्टि से संभवत् उसका खण्डन किया जा सकता है, परन्तु यह अपर्याप्त खण्ड होगा। वायु सेना में पायलटों की श्रेणी में अधिकारियों की कमी एक गम्भीर समस्या है। और मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करता हूं कि इस कमी की ओर ध्यान दें और पता लगाएं कि यह कमी क्यों हुई है और इसमें सुधार करने के लिए क्या किया जा सकता है।

जैसा कि मैंने शुक्रवार को कहा था कि उसकी अपेक्षा इसमें कम उम्मीदवार आ रहे हैं, वे सशस्त्र सेनाओं के लड़ाकू दस्ते में जाना नहीं चाहते वह समर्थन दस्ते में जाना पसन्द करते हैं। समर्थन दस्ते के सम्बन्ध में मैं पुनः वही बात कहता हूं। परन्तु यहां चिन्ता का मूल विषय सेवा चयन बोर्डों के माध्यम से चुने जाने वाले अधिकारियों के मानकों में की गई कमी है। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि अपेक्षित संख्या में सही उम्मीदवार आगे नहीं आ रहे और जो उम्मीदवार आ रहे हैं वह सर्वथा भिन्न कारणों से आ रहे हैं। इसलिए सेवा चयन बोर्ड स्तरों में कमी लाने के लिए बाध्य है जो वह आने वाले उम्मीदवारों को चालते हैं। यह भी गम्भीर चिन्ता का विषय है।

यह दोनों गम्भीर चिन्तनीय बातें हैं; कि अपेक्षित संख्या में उम्मीदवार नहीं आ रहे और इस कारण रक्षा मंत्रालय और सेवा चयन बोर्डों ने भर्ती के मानक कम कर दिए; यह दोनों बातें चिन्तनीय हैं मैं रक्षा मंत्रालय से अनुरोध करूंगा कि इस समस्या पर भी गम्भीरतापूर्वक विचार करें। इसमें कोई संशय नहीं कि जब आप उत्तर देंगे तो कुछ न कुछ उत्तर देंगे ही। परन्तु आप सभा में कुछ भी उत्तर दें, जब तक आप समस्या के इस पहलू पर गम्भीरतापूर्वक विचार नहीं करेंगे; मुझे इसका कोई अर्थ नहीं लगता कि आप सभा में कुछ भी लीपापोती वाला जवाब दे दें। कृपया इस बात को समझिए कि यह गम्भीर मामला है और सभा में हर बात का खण्डन करना सही नहीं है।

भर्ती के सम्बन्ध में एक अन्य पहलू है और वह है दूसरे रैंकों की भर्ती। मैं जानता हूं कि भर्ती केन्द्रों में होने वाले भ्रष्टाचार के बारे में हमारे बार-बार कहे जाने पर भर्ती केन्द्रों की प्रक्रिया में कुछ परिवर्तन भी किया गया। हमारे में से वह सदस्य, जो उन क्षेत्रों से आते हैं जो इन सेवाओं में भर्ती के लिए अत्यधिक उपयुक्त क्षेत्र हैं, जहां सेना में भर्ती केवल रोजगार का अवसर ही नहीं अपितु जहां सशस्त्र सेनाओं में भर्ती सम्मान का सूचक है, राजस्थान राज्य का जिला झुन्झनु जिसका प्रतिनिधित्व मेरे प्रिय मित्र अयूब खां करते हैं, और सम्पूर्ण पश्चिमी राजस्थान, राजस्थान की शेरगढ़ तहसील, जो देश में एक ही ऐसी तहशील है, इस क्षेत्र में किसी भी अन्य तहसील की अपेक्षा भूतपूर्व सैनिकों और सैनिकों की प्रतिशतता सार्वधिक है। झुन्झनु एक जिला है। मैं तहसील की बात कर रहा हूं। अतः मैं भर्ती में कमियों और व्याप्त भ्रष्टाचार की ओर ध्यान दिलाने का प्रयास कर रहा हूं। हम भर्ती की प्रक्रिया में खामियां ढूंढ़ने के लिए इस ओर ध्यान नहीं दिला रहे। हम उस बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं जो दिन-प्रतिदिन हमारे सामने आती हैं जब प्रत्याशित उम्मीदवारों का सशस्त्र सेवाओं में चयन नहीं हो पाता और वे हमारे पास आते हैं। उनके बाप-दादाओं ने सेना में सेवा की थी। ऐसे उम्मीदवार हमारे आते हैं और कहते हैं कि केवल भर्ती केन्द्रों में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण वह सशस्त्र सेवाओं में भर्ती के लिए असमर्थ हैं। कृपया इस समस्या की ओर ध्यान दें। मैंने एक दिन इस बारे में नौ सेना के प्रमुख से पूछा था। मुझे आश्चर्य हुआ जब उन्होंने मुझे यह आंकड़े दिए कि भारतीय नौ सेना के 6 प्रतिशत अधिकारी इस समय राजस्थान राज्य के हैं। सामान्य तौर पर नौसेना परम्परा की ओर देखने पर कोई भी व्यक्ति यह सोच सकता है कि राजस्थान का कोई भी भाग समुद्र तट से जुड़ा न होने पर भी भारतीय नौसेना में राजस्थान के लोगों की प्रतिशतता इतनी अधिक है। इससे राजस्थान के लोगों की इच्छा, सेवा भावना का पता चलता है। इसलिए यदि राजस्थान में प्रतिष्ठापूर्वक सेना में सेवा की भावना है न कि नौकरी के रूप में अपितु इस सेवा के प्रति सम्मान और प्रतिबद्धता है, तथा यदि भर्ती में भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया तो आप किसी न किसी रूप में इन सेवाओं की मूल भावना के प्रति अन्याय कर रहे हैं। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसीलिए मैंने सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विभिन्न सेवाओं के लिए चुने जाने वाले सम्भावित उम्मीदवारों

के चयन के मामले में मामलों की कमी का मामला उठाया है। यह नाजुक मामला है। मेरा यह विचार है। संभवत् सशस्त्र सेवाएं भी मेरी बात से असहमत हों, परन्तु मैं समझता हूं कि यह एक ऐसा पहलू है जिस पर माननीय मंत्री महोदय और मंत्रालय स्वयं इस पर विचार करें।

कुछ वर्ष पूर्व सशस्त्र सेवाओं में की गई पदालि-समीक्षा के फलस्वरूप रैंकों में वृद्धि की गई। एन॰ सी॰ ओ॰ से अफसरों तक कार्य वही रहा। रैंकों में वृद्धि कर दी गई। यद्यपि इस प्रक्रिया में कुछ छोड़ भी दिया गया। वह 'कुछ' क्या है कृपया पता लगाकर बताएं। मैं इसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। परन्तु पदालि-समीक्षा के लाभ और हानियों की पुनः जांच करने की आवश्यकता है। मैं नहीं मानता कि अब आप इसे सही कर पाएंगे। आप इसमें सुधार नहीं कर सकते। परन्तु जो भी सुधार आप कर सकें, गलतियों को सुधारने के लिए जो भी कर सकें, कृपया वह उपाय करें। परन्तु आपने अभी एक भी कदम नहीं उठाया है परन्तु जब तक आप यह नहीं समझते कि पदालि-समीक्षा एक पूर्ण और सही सफलता नहीं है, जैसा कि आप समझते हैं, तब तक ऐसा ही रहेगा।

अब मैं प्रशिक्षण की बात पर आता हूं। मैं अवश्य ही यह याद दिलाना चाहूंगा और मुझे प्रसन्नता होगी यदि मेरी बात को गलत कहें, कि न तो थल सेना, वायु सेना और न ही नौ सेना में पिछले आठ वर्षों से वास्तव में गम्भीरतापूर्वक प्रशिक्षण प्रदान किया है। गम्भीरतापूर्वक प्रशिक्षण से मेरा मतलब है आरम्भिक स्तर पर प्रशिक्षण जिससे सेवाएं अपनी अवधारणा, उपकरण, कमांड, नियंत्रण ढांचे और उच्च कमांड की जांच कर सकें। अभ्यास ब्रास टैंक और ब्रास टैंक से पहले लामबन्दी अभ्यास का आदेश दिया गया और बाद में इनमें कटौती कर दी गई–और फिर नौ सेना द्वारा शुरू किए गए अभ्यास–तीनों सेनाओं द्वारा बहुत बड़े पैमाने पर नहीं किए गए। यह बहुत गम्भीर मामला है। ऐसे अनेक कारण हैं कि आपने ऐसा क्यों नहीं किया परन्तु उन कारणों में मुझे कोई सच्चाई नहीं दिखती। निश्चय ही धन की कमी है। ब्रास टेक के अभ्यासों को पूरी तरह नहीं अपनाया गया। उनकी गलतियां आपको परेशान करती हैं। धन की कमी सहित यह सभी बातें–मैं भी यह बात मानता हूं कि सशस्त्र सेवाओं में उनकी दैनिक आवश्यकताओं की अपेक्षा अन्य कार्यकलापों में अत्यधिक नियोजन के परिणामस्वरूप इन तीनों सेनाओं में उस स्तर पर पिछले आठ वर्षों से कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया जा रहा। मैं यह भी मानता हूं कि वैयक्तिक, यूनिट और संयुक्त प्रशिक्षण के मामले में स्तरों में कमी आई है। मैं यह विश्वास अथवा यूनिट स्तरीय प्रशिक्षण अथवा संयुक्त प्रशिक्षण का सतर वह है जो यह होना चाहिए, यह सन्तोषजनक है। आप हर प्रकार से यही उत्तर देंगे कि यह सन्तोषजनक है और हम इससे प्रसन्न हैं। परन्तु आप इस समस्या पर कृपया विचार करें और आप देखेंगे कि यह सन्तोषजनक स्थिति नहीं है।

मैं सैनिक स्कूलों के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं। सैनिक स्कूलों का विचार बड़ा प्रशंसनीय था। उनकी संख्या 18 हो गई है, परन्तु उनके कार्य संचालन में उन्नति की जगह गिरावट आई है। यह पहली बात है। दूसरा सैनिक स्कूल के द्वारा पहले से तैयार युवा प्रत्याशी तैयार करने का बुनियादी लक्ष्य पूरा नहीं हुआ है। तीसरा सैनिक स्कूलों को राज्य सरकारों की ओर से जो सहायता और समर्थन मिलना चाहिये वह नहीं मिलता। रक्षा मंत्रालय के पास धन की कमी है और राज्य सरकार सैनिक स्कूलों को प्रयाप्त समर्थन नहीं देती। परिणामतः इन सैनिक स्कूलों की स्थिति खराब है, उनकी शिक्षा में भी गिरावट आई है। सैनिक स्कूलों की इमारतो की हालत भी बुरी है। आपको सैनिक स्कूलों के समूचे प्रश्न पर गम्भीरतापूर्वक सब पहलुओं से विचार करके हालात को सुधारने के उपाय करने चाहिये। इन 18 सैनिक स्कूलों को रक्षा मंत्रालय से बदलकर मानव संसाधन मंत्रालय को सौंपने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा। इस समूचे मामले पर विचार करने हेतु एक समिति नियुक्त की जानी चाहिए और उसे 60 दिनों का समय दिया जाए जो यह पता लगाए कि इन सैनिक स्कूलों की हालत में गिरावट कैसे और किन कारणों से आई है और इनको ठीक दिशा में उद्देश्यपूर्ण लक्ष्य की पूर्ति करने वाला बनाने के लिये क्या कदम उठाये जाने चाहियें।

अब मैं आवासों की लगातार कमी की गम्भीर समस्या पर आता हूं मैं इस बात की गहराई में नहीं जाता कि आवासों की कमी क्यों हुई और लगातार क्यों बढ़ रही है। कई समितियों ने छावनियों के समूचे प्रश्न पर कई बार विचार किया है। मैं नहीं समझता कि छावनियों का और अध्ययन करने की जरूरत है। मै नहीं समझता कि छावनियां खड़ी करने से इस समस्या का समाधान हो सकता है, अथवा पुणे छावनी के समान एफ॰ एस॰ आई॰ सूचकांक के प्रयोग द्वारा इसे हल किया जा सकता है। पुणे छावनी का लक्ष्य किसी समय काफी युक्तिसंगत था, परन्तु मैंने बाद में अनुभव किया कि आपका मंत्रालय पुणे छावनी से वस्तुतः हिस्से बना रहा था, ताकि लोग धन बटोर सकें। आप किसी भी छावनी में एफ॰ एस॰ आई॰ का स्तर बदल देते हैं, सिकन्दराबाद में भी यही समस्या खड़ी हुई। भवन निर्माण कारी धोखे बाज लोग बीच में घुस आते हैं और समूचा लक्ष्य ही बिगड़ जाता है। आवासों की अत्यधिक कमी है। यह एक अपराध है, मैं एक बार फिर कहता हूं कि यदि हम इस सभा में बैठकर भी तीन सेनाओं के लोगों के लिए आवास की समुचित व्यवस्था नहीं कर सकते, तो यह एक बड़ा अपराध है मैं समझ नहीं पाता कि प्रतिवर्ष बड़ी लम्बी प्रतीक्षा सूचियां किस प्रकार सामने आती रहती हैं अब प्रतीक्षा नहीं करने का समय नहीं है। सरकार का उत्तर होता है हर वर्ष कि वह उस कमी को दूर करने का भरसक प्रयास कर रही है। इस समस्या के समाधान के अनेक तरीके हैं। यदि संसाधनों की कमी के कारण ऐसा होता है तो समाधान जुटाने के अनेक उपाय और साधन हो सकते हैं। वाणिज्यिक ऋण लिये जा सकते हैं। आवास विकास कम्पनियां आपको आवश्यक साधन उपलब्ध करा सकती हैं। इसके लिये अनेक और उपाय भी हो सकते हैं, जो इस स्थिति को

सुधार सकें मेरे लिए यह सुझाव देने का समय नहीं है। यदि आप नहीं कर सकते तो मैं सशस्त्र सेनाओं के लिये आवास की इतनी भयानक कमी की समस्या को स्वीकार नहीं कर सकता।

भूतपूर्व सैनिकों के बारे में मैं तीन बातें कहूंगा। एक बात वृद्धि योजना के बारे में है। मैं भूतपूर्व सैनिकों संबंधी उच्च समिति का सदस्य था। मैं इस बात का विश्लेषण नहीं कर रहा कि उस समिति ने क्या किया और क्या नहीं किया। उस समिति की सिफारिशों के बाद कुछ विषमताएं बाकी रह गई थीं, जिनके लिये दूसरी समिति बनाई गई, जिसने कुछ सिफारिशें कीं। वार्षिक प्रतिवेदन में विभिन्न श्रेणियों के बारे में बताया गया है, जिनमें भूतपूर्व रियासतों की सेनाएं के॰ सी॰ आई॰ ओ॰ आदि शामिल हैं जिनके संबंध में स्थिति में सुधार किया गया।

यहां मैं दो बातें कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि सुधार के साथ-साथ कुछ अभी लेखागत कठिनाई भी पैदा हुई, उदाहरण महंगाई भत्ता कुछ वर्गों को दिया गया था, परन्तु वह वापिस लिया जा रहा है, जिसमें परिहार्य कठिनाई पैदा हो गई है। विधवाओं के मामले में भी कठिनाई पैदा हुई हैं। कुछ छूट गये वर्गों की भी समस्याएं हैं। रक्षा लेखा नियंत्रक कार्यालय योगयता मण्डन तो है, परन्तु यह बहुत कठोर संगठन है। पी॰ पी॰ ए॰ गुम हो जाने पर जिसमें विधवा का कोई दोष नहीं होता यह संगठन अपने बनाये नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है। दूर कुमाऊं और गढ़वाल के गांवों में बैठी अनपढ़ विधवा की पेंशन अचानक बन्द कर दिये जाने पर उसे कोई जानकारी नहीं होती कि उसकी पेंशन क्यों रोक दी गई। वह विधवाएं हमारे पास आती हैं कि पी॰ पी॰ ए॰ खो जाने के कारण उनकी पेंशन रोक दी गई है।

मैं अब आपके विचारार्थ कुछ सुझाव दूंगा। सर्वप्रथम ओ॰ टी॰ आई॰ की अवशिष्ट समस्याओं के लिये अतिशीघ्र कार्यवाही कीजिये। मैं कोई नई समिति नहीं बनाने का सुझाव नहीं दे रहा अपितु रक्षा संबंधी स्थायी समिति या मंत्रालय की सलाह पर समिति की एक उप-समिति बनाएं। परन्तु ओ॰ टी॰ आई॰ की शेष समस्याओं के समाधान के लिए कोई योजना बनाएं।

दूसरा सुझाव है कि पेंशन देने की प्रक्रिया को सरल करिये। सैनिकों, वायु सेना के कर्मचारियों, तथा नौ सेनिकों के राज्य बोर्डों के सचिवों की सलाह से ऐसा तरीका सोचिए जिसके अन्तर्गत नौकर शाही वाली सभी अपेक्षाएं दूर हो जाएं, जैसे मृत्यु न होने के प्रमाण पत्र मांगने की अपेक्षा अनावश्यक है। जीवित होने की स्थिति में पेंशन का हक है उन्हें पेंशन लेने के लिए बार-बार यह क्यों देना पड़ता है ? ये अनावश्वक अपेक्षाएं दूर की जा सकती हैं यदि वैसा दृष्टिकोण अपनाया जाये। आपको इस ओर ध्यान देना चाहिये।

मैं युद्ध नीति के पुराने तरीके से सहमत हूं कि लड़ाकू सेना पर अधिक बल हो। आज के युग में लड़ाकू और सहायक-समर्थक दोनों पहलू महत्वपूर्ण हैं और इस दृष्टि से भारतीय सेना का अनुपात प्रशंसनीय है, जो 68 या 70 लड़ाकू और 30 या 32 सहायक समर्थक का है। यह प्रशंसनीय है। सेना में लड़ाकू अनुपात में काफी कमी है। अत: में सहायक-समक्ष के अनुपात 30 या 32 के संबंध में विचार करने का काम आप पर छोड़ता हूं।

स्वतंत्रता के प्रारंभिक 25-30 वर्षों में स्वावलंबन तथा कम खर्च तथा स्वयं करो का सिद्धान्त हमने परिस्थितियों के अनुसार अपनाया। परन्तु आपके वार्षिक प्रतिवेदन के अनुसार परिस्थितियों में बड़ा परिवर्तन आया है और आर्थिक नीतियों में गत तीन-चार वर्षों में अन्तर आया है। आप सहायक-समर्थक अंग के विस्तृत संगठन के बारे में विचार कीजिये इसकी अब क्या आवश्यकता है ? मैं उदाहरण से समझाता हूं। श्री थुंगन यहां बैठे हैं। संभवत: उन्हें याद न हो, परन्तु इन्होंने मुझे बताया था। उनके राज्य में सेब उगते हैं और उस राज्य में सेना भी काफी तैनात है। उनका राज्य एक रुपये प्रति किलो की दर से सेना को अरूणचल में सेब बेचने को तैयार है। परन्तु सेना के नियमानुसार ऐसा संभव नहीं है। सेब को कलकत्ता ले जाना होगा और तब सेना उसे 20 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदेगी। इसमें कोई समझदारी की बात नहीं यदि मेरी बात गलत हो तो आप उसका खण्डन कर सकते हैं। ऐसा ही हिमाचल प्रदेश में हो रहा है। विदेशी साम्राज्य की ये बुरी परंपराएं तोड़नी चाहिये और सेना के सहायक अंग को सुदृढ़ करना चाहिये। आप तो 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के बाद के नियमों को जारी रखे बैठे हैं। यह मेरी समझ में नहीं आ रही है कि अब यह आवश्यक क्यों है।

मेरा विचार है कि आप इस समय विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को अपनाएं। आप दूध, मांस आदि वस्तुओं की इकट्ठी खरीद क्यों करते हो ? आप कम खर्च वाली, अधिक प्रभावी और कुशल तथा कम भ्रष्टाचार वाली प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाते ? अब सारे देश को पता है कि भ्रष्टाचार का रोग सशस्त्र सेनाओं के सेवा कक्षों में भी घुस गया है। कृपया इससे नुकसान का पता लगाएं।

अत: मैं सुझाव देता हूं कि रक्षा मंत्रालय एक समिति नियुक्त करें मैं निणयों को बदलने के लिए समिति नियुक्त करने की सिफारिश नहीं कर रहा। मैं ऐसी समिति की नियुक्ति की सिफारिश कर रहा हूं जो तीन महीनों के भीतर निम्नलिखित विषयों पर अपनी सिफारिशें करे।

सर्वप्रथम, जो प्रस्ताव आते हैं और रद्द हो जाते हैं पुन: जांच की जाए।

सेना को सेन्यतंत्र समर्थन की आवश्यकता होती है–जिसमें ताज़ा माल खरीदना आदि भी है, उसके विकेन्द्रीकरण की जांच-पड़ताल की जाये। मैं यह नहीं कहता कि सियाचेन में तैनात सेना अपना राशन भी स्वयं वहां से खरीदे, जो कि उपहासस्पद और भद्दा काम होगा। परन्तु बेस वर्कशापों को मिलाने और असैनिक सुविधाएं जुटाने के बारे में विचार किया जाये, क्योंकि बेस वर्कशापों

में दोहरा काम होता है, खास तौर पर सेना की गाड़ियों की भारी मरम्मत के मामले में अब काफी काम फैला हुआ है। इसके बारे में जांच-पड़ताल कराइये।

दूसरी बात है कि दो संगठनों के बीच संस्तर काम के अतिछादन को रोकने की संभाव्यता का विचार करना, जैसे वायु सेना के मरम्मत कमांड कानपुर औा हिन्दुस्तान एथरोनाटिक्स के बीच होता है जो काम कानपुर में किया जाता है उसमें से बहुत सा काम एच॰ ए॰ एल॰ में किया जा सकता है, और इस प्रकार लागत में भी कमी आ सकती है। इसके साथ ही रक्षा व्यय और कुशलता का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है।

तीसरे मैं आपको सुझाव दूंगा कि मज़गांव और बम्बई की गोदियों के बारे में नौ सेना के प्रमुख तथा अन्यों द्वारा कही गई बातों की पृष्ठभूमि में आपको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि मज़गांव गोदी की क्या हालत है जिस पर भारी पूंजी खर्च की गई है। अतिछादन को दूर करने के दृष्टि से तथा राष्ट्रीय आस्तियों की रक्षा करने हेतु इनको मिलाने की दिशा में विचार करने की आवश्यकता है।

सेवा के समर्थन पहलू के सम्बन्ध में मेरा एक और सुझाव है। सेना के समर्थन तथा लड़ाकू अंगों में पारस्परिक परिवर्तन/स्थानान्तरण की संभावना करने की आवश्यकता पर भी विचार किया जाए कि किस प्रकार से समर्थन मांग को आवश्यकतानुसार समय की मांग होने पर बहुत थोड़े समय में और कम से कम खर्च से लड़ाकू अंग बनने योग्य बनाया जा सकता है, अर्थात् लड़ाकू इंजीनियरों, बिजली और मशीनी इंजीनियरों आदि के बारे में सोचने की विशेष आवश्यकता है।

**3.00 म॰ प॰**

**(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासीन हुई)**

सभापति महोदया, रक्षा मंत्रालय में उपकरणों के संबंध में कहने से पहले मैं यह दोहराना चाहता हूँ कि यहां न केवल नीति का अभाव है, अपितु नीति के कार्यान्वयन का भी अभाव है। जब कोई निर्णय लिया जाता है तो उसे ठीक ढंग से तथा लागत की बचत से और कुशलपूर्वक लागू नहीं किया जाता। मैं बताता हूँ कि मेरे विचार में उपकरण नीति क्या है। सर्वप्रथम उपकरणनीति केवल धन आंबटन के संबंध में नहीं है, हालांकि धन आंबटन एक महत्वपूर्ण पहलू है। लेकिन उपकरणनीति केवल धन का आंबटन करना नहीं होती। दूसरे, हमारी उपकरण नीति में दो विषमताएं हैं, एक तो हमारे उपकरणों के सामरिक सिद्धान्तों और उपकरणों के स्वरूप के बीच का मूलभूत अन्तर है जो हमें स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से और विशेषत: 1962 से परेशान करता आ रहा है। पहले ये दोनों पहलू अंग्रेजों वाले थे। बाद के 50 वर्षों के दौरान उपकरणों में 70 प्रतिशत कम से कम मात्रा की दृष्टि से सोवियत संघ का पहलू भारतीय सेना में आने लगा, जो सोवियत सामरिक सिद्धान्तों पर आधारित है। सोवियत संघ जैसे उपकरण तो आए, परंतु सामरिक सिद्धान्त वही पुराने रहे। इस अन्तर के कारण हमें आज तक लगातार कठिनाई होती रही है।

तीसरे, उपकरण नीति प्राथमिकता करण, समयानुसार चुनने, निर्णय करने और अत्यन्त लागत कम करने के बारे में मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। चौथी बात रुख और दृष्टिकोण के बारे में है। इन में से कोई सी भी बात हमारी उपकरणनीति के बारे में ठीक नहीं बैठती। मैं इसके उदाहरण देकर यह बात स्पष्ट करुंगा। सब से पहले तो स्थल सेना और नौ सेना के अध्यक्षों की भूरि भूरि प्रशंसा करता हूं क्योंकि उन्होंने अपनी सेनाओं की कमियों के बारे में स्पष्ट रूप से चिन्ता व्यक्त की है। मुझे विश्वास है कि उन्होंने ऐसा स्वीकार करके राष्ट्रीय सेवा की है। वायु सेना के अध्यक्ष का उसके बाद चुप रहने का यह अर्थ नहीं है कि उन्हें अपने विभाग में उपकरणों की स्थिति से पूर्णत: सतुष्ट हैं। संभवत: दो सेनाध्यक्षों द्वारा यही बात खुले रूप से कहे जाने के बाद उन्होंने इसे दोहराना ठीक न समझा हो। नौ सेना अध्यक्ष ने यहां तक कह दिया है कि यदि उनको अगले दो वर्षों में मजगांव गोदियों के लिये क्रयादेश प्राप्त नहीं हुए तो बड़ी राष्ट्रीय आस्तियों की क्षीणता का खतरा झेलना पड़ेगा। उन्होंने और आगे कहा है कि यदि नौ-सेना की वर्तमान स्थिति जारी रही तो जिस उद्देश्य के लिए नौ-सेना बनाई गई है उसे अच्छी तरह निभाने की स्थिति में यह नहीं रह सकेगी।

इस पृष्ठभूमि में कि उपकरण नीति में क्या है और क्या नहीं है तथा क्या कमजोरियां हैं, उनके बारे में मेरे कथन तथा सेना की मज़गांव गोदियों की चिन्ताजनक स्थिति के बारे में गंभीरतापूर्वक चिन्तन और विचार करने की आवश्यकता है। थल सेना के संबंध में मैं तीन बातों का उल्लेख करूंगा, एक ए॰ के-47 के साथ लगातार व्यामोहपूर्ण आसक्ति का होना है। सरकार अपने अर्धसैनिक बलों और पुलिस तथा निजी चाहत वाली सेनाओं–जिनमें कुछ काली डांगरी पहनती हैं, कुछ काली डांगरी नहीं पहनती, को इससे लैस करके सेना तथा सेना आयुध फैक्टरी विभाग, खासतौर पर इचापुरा राइफल फैक्टरी को बहुत गलत संकेत भेज रही है। यदि ए॰ के॰ 47 का इतना मोह सरकार को है। तो यह अपनी विकसित छोटे हाथ से चलाने वाले हथियारों की सब योजनाओं को क्यों रद्द नहीं कर देती ? ए॰ के॰ 47 अफगानिस्तान से वा रास्ता पाकिस्तान आती है, और इन निजी गाडों वाली टुकड़ियों को यही बन्दूकें दी जाती हैं, इस मोह का कारण समझ में नहीं आता, जबकि हमारे अपने विकसित हथियार बहुत अच्छे साबित होते हैं। 5.56 का क्या हुआ ? मुझे सरकार के मानसिक दृष्टिकोण पर आश्चर्य होता है। तभी मैंने कहा है कि सरकार को अपने रवैये और रूख पर पुनर्विचार करना चाहिये।

सरकार को रुख और दृष्टिकोण का मैं एक और उदाहरण देता हूं। हम सब जानते हैं कि सेना में ए॰ एफ॰ बी॰ की कमी इस समय है। मैंने अपना दृष्टिकोण सरकार को बताया है। बख्तर बन्द दस्ते की बुनियादी ईंट 55 टैंक है। इसे यदि घटाकर 44 किया जाता है और उसके अनुसार अपने समस्त

रक्षित, छीजन आदि को जोड़ दिया जाये तो संभवत: इनकी कमी दूर हो सकती है। अत: सोचने की बात यह है कि क्या इसकी वास्तविक कमी है या आप सही बुनियादी तरीका न अपनाकर इस समस्या को पैदा कर रहे हैं।

एम॰ वी॰ टी॰ अर्जुन टैंक बहुत अच्छा है। हमारे अच्छे वैज्ञानिकों तथा सैनिकों ने इसका विकास करने की दिशा में बहुत सराहनीय काम किया है। इसको भी समर्थन की जरूरत है। आपका यह सोचना कि अचानक हमारा डी॰ आर॰ डी॰ ओ॰ या हथियार बनाने की फैक्टरियां इतने अर्जुन टैंक बना सकेंगी कि ए॰ एफ॰ वी॰ की जगह ले सके, सर्वथा गलत है विश्व का कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता। आप अपने गलत दृष्टिकोण से वैज्ञानिकों तथा सैनिकों के प्रयासों को क्यों बिगाड़ रहे हैं?

तीसरा उदाहरण बोफर्स का है। आपकी कार्यवाही से बोफर्स का नाम भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गया। टाउड होविट्जर बन्दूक को खरीदने के पीछे तर्क यह था कि आप उसे स्व प्रचालित होविट्जर में बदल लेंगे। आपमें ऐसा करने का साहस ही नहीं है। परिणाम स्वरूप आपने लगभग 10 वर्ष पूर्व 155 मिलीमीटर के टाउड हाविट्जर खरीदे। पांच से दस वर्ष में उपकरण का जीवन पूरा हो जाता है। आप एस॰ पी॰ गन का निर्णय लेने में असमर्थ हैं और उसे किसी न किसी रूप में बदलने के लिये चारों ओर भागते रहते हैं कि आपका दृष्टिकोण ही ऐसा है और आप निर्णय करने में सर्वथा असमर्थ हैं।

मैं वायु सेना के बारे में एक उदाहरण देता हूं। ए॰ जे॰ टी॰ या एल॰ सी॰ ए॰ आदि से क्या अभिप्राय है, यह मैं नहीं बताऊंगा ताकि, मा॰ सदस्य रूचि लेकर इनको जानने का प्रयत्न करें। मिग को वर्गोन्नत करने का उदाहरण लीजिये। इसका निर्णय करने में 12 वर्ष लगे। उसके लिए आप उद्दारदायी हैं। जब तक आप अति विलम्ब से निर्णय करते हैं, तो उस की उपयोगिता ही समाप्त हो जाती है। इसलिए मैं कहता हूं कि समय पर निर्णय लें तथा अपनी नीति निर्धारित करें। और दृढ़ निश्चय के साथ उस नीति निर्णय को कार्यान्वित करे। मैं अवश्य यह बताना चाहूंगा कि यह सही है कि निर्णय किया गया। संभवत: आडवाणी जी को यह पता न हो कई वर्ष पहले जंगुआर ब्लैक बॉक्स के लिये खरीदा गया था मैं अब यह बात बता रहा हूं क्योंकि इसमें भी कठिनाई हुई। जगुआर ब्लैक बाक्स के बिना खरीदा गया था। अब जब ब्लैक बाक्स की आवयकता हुई तो ब्लैक बॉक्स के लिये पृथक संविदा करना पड़ा। जिस बुद्धिहीनता और ना समझी के साथ सरकार अपनी उपकरण नीति को कार्यान्वित करती है, वह राष्ट्रीय अपराध है, क्योंकि उपकरणों की न्यूनताएं या दोष या कमी केवल सैनिक सामग्री की कमी की द्योतक नहीं, बल्कि सेना की सामरिक तैयारी की स्थिति की द्योतक होती है। यह बात हमारी तीनों सशस्त्र सेनाओं की लड़ने की प्रभावोत्पादकता की कमी को दर्शाती है।

महोदया, आप घड़ी देख रही हैं। मैं आपका सहयोग चाहता हूं।

अब मैं मिसाइलों की बात उठाता हूं। आप मुझे थोड़ा समय और दीजिये। रक्षा संबंधी स्थायी समिति के वर्तमान सभापित यहां नहीं बैठे। मैं इस समिति के प्रतिवेदन की कुछ बातों से सहमत नहीं जो इसने अभी दी हैं। सभापति ने केवल अपनी कठिनाइयां बताई हैं। दो वर्षों में चार प्रतिवेदन इसने प्रस्तुत किए हैं, जो बहुत अधिक कार्य हैं। मिसाइल के प्रश्न पर समिति द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों से मैं असहमत हूं। मिसाइलों की समस्या देश के सामने है। मैं मिसाइलों के प्रश्न पर दो चार बातें कहूंगा।

हमारा देश ही संसार में एकमात्र देश है जहां विचार से पूर्व सामग्री पैदा होती है। हमारे देश में प्रक्षेपास्त्र आये, देश उस महान वैज्ञानिक अब्दुल कलाम का आभारी है और डी॰ आर॰ डी॰ ओ॰ के प्रमुखों तथा रक्षा मंत्रालय के सचिवों का भी कृतज्ञ है जिन्होंने मार्ग दर्शन किया। राजनीतिक नेतृत्व या रक्षा मंत्री भी इसके लिये प्रशंसा के पात्र हैं। यही एकमात्र उदाहरण है जहां विचार से पूर्व सामग्री पैदा हुई है। महोदया अगर सभा में बातें न हो तो मैं अपनी बात अधिक अच्छे ढंग से कह सकता हूं। परन्तु मैं इसमें से प्रश्न नहीं उठाना चाहता। परन्तु मैं इतना अवश्य कहूंगा कि प्रक्षेपास्त्र है। परन्तु चूंकि सरकार संकल्पना की परिभाषा करने, उसे जोड़ने में असमर्थ है, अत: वह उपकरण उसके उपयोग के बारे में किसी तत्समान विचार के बिना अधूरा रहता है।

फिर मैं सरकार पर आरोप लगाता हूं कि सरकार ने इन प्रक्षेपास्त्रों की समग्रता के बारे में बर्दीधारी सैनिक अधिकारियों के साथ कोई महत्वपूर्ण या गम्भीर चर्चा नहीं की। मैं कुछ विषमताएं–कमजोरियां भी बताता हूं–हमारे पास इसको प्रयोग में लाने वाली संकल्पना नहीं है। मैं विशेषरूप से अग्नि और पृथ्वी के बारे में कह रहा हूं। इस सबका परिणाम क्या होगा ? हम प्रक्षेपणास्त्रों के बारे में आन्तिरक भ्रम और अनावश्यक एवं परिहार्य अन्तर्राष्ट्रीय भयभीतता पैदा कर रहे हैं, जिस पर हमारी सरकार नियन्त्रण नहीं कर पाएगी। यह हमारी रक्षा सेनाओं की विश्वसनीयता, क्षमता को कम करने वाली बात है, और इस बात का द्योतक है कि हमारे सैनिक विभागों को अपेक्षित आदानों, साधनों, उपकरणों आदि की पूर्णत: उपलब्धि कराने में कमी रहती है, जिनको पूरा करने से हमारी सेनाओं की युद्ध करने की क्षमता अधिक और प्रभावी ढंग से बढ़ाई जा सकती है।

मैं रक्षा मंत्री से एक प्रश्न पूछकर अपनी बात का उदाहरण दूंगा। पृथ्वी प्रक्षेपाास्त्र का भार लगभग एक मीट्रिक टन है यदि मेरी बात गलत हो तो कृपया आप उसे सही कर सकते हैं। यदि पृथ्वी प्रक्षेपणास्त्र का भार एक टन है तो आप इसका प्रयोग किस प्रकार करने का विचार करते हैं ? प्रधान मंत्री ने शायदा राज्य सभा में बताया है कि इसके उपयोग के अभ्यास किये गये हैं। वे अभ्यास किस पर आधारित थे, और उपयोग क्या था, उसकी कसौटियां क्या थी, अभ्यास में आप वास्तव में क्या देख रहे थे ? प्रधानमंत्री ने बाद की कार्यवाही करने की बात

भी कही है। वह बाद की कार्यवाही क्या है ? क्या आप एक मीट्रिक टन क्लस्टर बम युद्ध उपकरण में रखना और उस प्रक्षेपणास्त्र को बेकार करने के लिये प्रयोग में लाने का विचार करते हैं ? मेरे विचार से उनको अन्यथा नष्ट करने का यह सब से अप्रभावी तरीका है।

मैं केवल एक टन भार के प्रक्षेपास्त्र के प्रयोग की बेकारी बताने में समर्थ नहीं हूं। आप इस में क्लस्टर बम भरकर रन-वे पर गिराने का प्रयास करेंगे ताकि रन-वे बेकार हो जाये। अब दोहरे उपयोग की क्षमता का प्रश्न आता है। कृपया मंत्री महोदय जी दोहरे-उपयोग की क्षमता को स्पष्ट कीजिये। आप इसे छिपाकर नहीं रख सकते। यदि इस सभा को इसमें रूचि नहीं, तो देश में निश्चय ही ऐसे अन्य लोग हैं जो इसमें रूचि रखते हैं, क्योंकि आप इस देश की आण्विक नीतियों और प्रक्षेपणास्त्र की सर्वथा अपृथकता के बुनियादी तत्त्वों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये वास्तव में अलग नहीं किये जा सकते। परन्तु आप इनकी आवश्यकता की परवाह नहीं कर रहे हैं। यदि आप इस प्रकार का शब्दिक खेल खेलते रहे तो वे सोच सकते हैं कि हम सब अज्ञानियों की सभा में हैं।

**रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मल्लिकार्जुन)** : मैं आपके ऐसे प्रभावी भाषण में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता। जहां तक प्रक्षेपणास्त्रों संबंधी प्रौद्योगिकी का सम्बन्ध है मैं कल इसके बारे में स्पष्टीकरण दूंगा और प्रधान मंत्री जी भी स्पष्ट करेंगे ताकि इसकी जानकारी रखने वाले और अज्ञानी व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर जो भ्रान्ति और भ्रम पैदा किया जा रहा है, उसको दूर किया जा सके।

**श्री जसवन्त सिंह** : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि इस आश्वासन से मुझे पुन: आश्वासन मिलता है। परन्तु माननीय मंत्री महोदय के प्रति बिना किसी दुर्भावना के मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें इस सरकार से इतने अधिक आश्वासन मिल चुके हैं कि अब इन आश्वासनों की विश्वसनीयता का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है। अब माननीय मंत्री महोदय को बताना है कि कुछ भ्रान्तियां पैदा की जा रही हैं, यदि आप अपने कार्य में स्पष्ट हों तथा यदि आप सही रूप से देश की स्थिति के बारे में बताएं तो किसी भ्रान्ति या भ्रम को फैलाने की गुंजाइश ही नहीं रहती। ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अपने कार्य में स्पष्ट नहीं हैं, आप पर दबाव डाला जा रहा है और अलग-अलग सभाओं में भिन्न-भिन्न बातें बोलते हैं, तथा आप स्थिति का तर्कपूर्ण उत्तर देने में असमर्थ हैं इसलिए आप मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकते।

भारत में ऐसी स्थिति है कि नीति से पहले वस्तु पैदा होती है, जिसका उदाहरण प्रक्षेपणास्त्र है। चूंकि वस्तु हमारे द्वार पर आ गई है, अत: सरकार को तत्संबंधी नीति बनानी पड़ रही है। यदि कल वे प्रक्षेपणास्त्र के उपयोग की नीति घोषणा करेंगे तो मुझे प्रसन्नता होगी, हालांकि मुझ यह विश्वास नहीं है कि वह कोई समझ में आ सकने वाली या उद्देश्यपूरक नीति होगी।

अत: यह मुझे अनिवार्य एवं अपृथक अणुनीति की ओर ले जाती है। आज प्रश्नकाल के दौरान विदेश कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री ने अणु नीति के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर और खासकर प्रैसलर संशोधन के संबंध में और पाकिस्तान क्या कर रहा है या नहीं कर रहा, यह पूछे जाने पर कहा था कि यह प्रश्न अन्य मंत्रालय से पूछा जाना चाहिये। मैं मा॰ मंत्री जी को बताना चाहता हूं कि मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में परमाणु नीति का उल्लखे है। रक्षा मंत्रालय का इस वक्तव्य के अतिरिक्त अणु नीति से क्या संबंध है ? रक्षा मंत्रालय का इससे कोई सम्बन्ध नहीं है फिर विदेश कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री ने हमसे किस दूसरे मंत्रालय का उल्लेख किया था। जहां तक एन॰ पी॰ टी॰ का सम्बन्ध है, यह विदेश कार्य मंत्रालय की निगरानी में है। आप का इससे कोई सरोकार नहीं है। परमाणु ऊर्जा का संबंध प्रमाणु ऊर्जा विभाग से है फिर रक्षा मंत्रालय का क्या कार्य है ? अत: इस संबंध में रक्षा मंत्रालय की कोई नीति नहीं है, कोई सिद्धान्त नहीं है, कोई प्रशिक्षण नहीं और कोई तैयारी नहीं है।

सभापति महोदया चिरकाल से समाचार पत्रों में छपे समाचारों का मैं उल्लेख नहीं कर रहा, जो चश्मा, प्लुटोनियम को उन्नत करने, पाकिस्तान आदि के बारे में छपते रहते हैं, और पी॰ आर॰ सी॰ क्या कर रहा है तथा ईराक को रूस तथा के गणतंत्रों से समर्थन तथा सहायता प्राप्त हो रही है और परमाणु ऊर्जा के विकास के लिये पाकिस्तान से भी सहायता मिल रही है। मैंने ईराक या उत्तरी कोरिया मध्य एशिया गणतंत्रों में फैली गड़बड़ी का भी उल्लेख नहीं किया है। परन्तु मैं इस संसद के द्वारा गम्भीरता पूर्वक विचार किये जाने हेतु यह अवश्य कहूंगा कि मतदान के दिन 12 तारीख को यदि मतदान हुआ तो यह एन॰ पी॰ टी॰ समीक्षा तथा विस्तार सम्मेलन, न्यूयार्क से आरंभ होगा। हमारे पास 10 तारीख तक का समय है, अत: मैं इस सभा से तथा मा॰ मंत्री से अपील करता हूं कि वह 12 मई के संबंध में संसद की इच्छा के बारे में पता लगाएं। रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर बाद-विवाद की समाप्ति पर इसका सर्वसम्मत संकल्प पारित करें, जो हमारे जम्मू-कश्मीर विषयक संकल्प के समान हो। इससे सरकार के हाथ मजबूत होंग किसी भी स्थिति में कमजोर नहीं होगें। महोदया मैं संकल्प का मसौदा तो नहीं पेश कर रहा, परन्तु मोटी रूप रेखा पेश करता हूं, जिसके आधार पर संकल्प तैयार किया जा सकता है। मा॰ अध्यक्ष महोदय यह कह सकते हैं। परन्तु मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इसे 10 मई तक अवश्य कर लें, ताकि वह संदेश न्यूयार्क में तथा अन्यत्र भी पहुंच जाये कि भारत की संसद का यह सर्वसम्मत निर्णय एन॰ पी॰ टी॰ के बारे में है। यह अप्रसार सन्धि, परमाणु अस्त्रों आदि के बारे में हो और इसमें यह भी होना चाहिए। सभापति महोदया मैं चाहता हूं कि बड़े पैमाने

पर सामूहिक विनाश करने वाले समस्त शास्त्र समूचे विश्व में नष्ट किये जाने चाहिये। अत: मेरे विचार से परमाणु अस्त्रों को वैध करने तथा रासायनिक या जैविकीय अस्त्रों पर प्रतिबंध लगाने की नीति ठीक नहीं है। हमारी संसद को यह संदेश देना चाहिये कि हम सामूहिक विनाश के अस्त्रों का कुछ एक शक्तियों के ही हाथों में और सदा के लिये रहने देने की बात के हक में नहीं हैं। इसलिए हम अप्रसार सन्धि के अनिश्चित कालीन विस्तार को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि अन्य बातों के साथ-साथ इसके दो और दुष्परिणाम भी हैं। सर्वप्रथम यह सन्धि की प्रस्तावना तथा अनुच्छेद 6 के प्रतिकूल है। दूसरा इससे आणिवक आतंकवाद की संभावना वाली स्थिति उत्पन्न होने का पूरा खतरा है। अत: भारत को सामूहिक विनाश के सभी अस्त्रों का समूचे विश्व में बिना किसी भेदभाव के या रियायत के, समूल विनाश पर बल देने वाली सन्धि ही स्वीकार्य हो सकती है। उसके बाद हमें यह अवश्य कहना चाहिये कि एक अस्थायी विस्तार जिसके बाद अनेक अनुपूरक सन्धियां हों जो खाई को पूरा करें, वर्तमान अप्रसार सन्धि या उस सन्धि की कमियों को पूरा करेगा, जो वह इन अनुपूरक सन्धियों के द्वारा हों, परन्तु सब भेदभाव रहित होनी चाहिये और सत्यापित होने वाली तथा विश्वजननिय हों। संसद को प्रथम उपयोग नहीं, व्यापक अभ्यास प्रतिबंध, विखंडनीय सामग्री उत्पादन की सीमा, समय-सीमा, शास्त्र उत्पादन के लिये सत्यापनीय और विखंडनीय सामग्री, और परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिये यथा अपेक्षित सामग्री आदि सभी बातों के बारे में अपना निश्चय तथा मत स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना चाहिये। ये कुछ बुनियादी बातें हैं जिनके इर्दगिर्द यह सभा परमाणु अस्त्रों की समाप्ति के बारे में विचार कर सकती है। ये इसलिये महत्वपूर्ण बातें हैं क्योंकि पांच राष्ट्रों का क्लब शेष समूचे विश्व पर अब अपनी जिस अप्रसार सन्धि को थोपना चाहता है, वह ठीक नहीं है और उससे विश्व कल्याण तथा हमारे देश का कल्याण नहीं होगा। अत: भारत को, परमाणु अस्त्रों को वैध बनाने वाली इस सन्धि का विरोध करते हुए भेदभावपूर्ण परमाणु सन्धि तथा प्रक्षेपणास्त्र प्रणाली के मूलतत्वों के विरूद्ध अपनी आवाज बुलन्द करनी चाहिये। ताकि परमाणु अस्त्रों से मुक्त संसार की संभावना हो सके। जब तक ऐसी स्थिति नहीं बन जाती, तब तक के लिये भारत को परमाणु शक्ति से सम्पन्न देश बनना होगा। परन्तु भारत को यह भी घोषणा करनी चाहिए कि वह परमाणु अस्त्र का प्रयोग पहले नहीं करेगा।

सभापति महोदया मैंने केवल ब्यौरा बताया है। आप चाहें तो मुझसे असहमत हो सकती हैं। परन्तु यदि यह सभा मेरे कथनों में से स्वीकार्य बुनियादी तत्व निकाल लेती है तो मैं निवेदन करूंगा कि कृपया मेरे प्रस्तावों पर विचार अवश्य कीजिये। आप 10 तारीख तक संकल्प स्वीकार करिये ताकि 12 तारीख से पहले वह संदेश जो हम न्यूयार्क में 12 तारीख से होने वाले समुदाय को देना चाहते हैं, भेज सकें कि भारत की संसद का इस विषय में यह निर्णय है। माननीय मंत्री महोदय अपनी सरकार के दृष्टिकोण से हम सबको अवगत करायें और मेरी कहीं बातों पर ध्यान पूर्वक विचार करें। महोदया मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं आप बहुत विचारशील हैं। मेरे पास राष्ट्रीय सुरक्षा के वातावरण के बारे में बोलने के लिए समय नहीं रहा, जिसके बारे में मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है। मैं इसकी समग्रता पर दो-तीन बातें कहना चाहता हूं।

पहले तो केवल धमकियों का आकलन करने से काम नहीं चलेगा। रक्षा मंत्रालय को चाहिये कि जब यह वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करे और राष्ट्रीय सुरक्षा वातावरण दर्शाय, तो सहयोग के लिसे अवसर वाले क्षेत्रों का कहीं पता लगाये और नियत करके बतायें, जिससे देश की समग्र रक्षा योग्यता को सहारा देने में समर्थ हो सके। एक सावधानी बरतनी चाहिये, और मैं कहूंगा कि तीन अवसर वाले क्षेत्र छोड़े हुए हैं, जिनकी ओर मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

सभापति महोदय चीनी जनता का गणतंत्र क्या चाहता है, इस की वास्तविकता के प्रति रक्षा मंत्रालय ने आकलन नहीं लगया मैं सरकार के दृष्टिकोण की समग्रता को स्वीकार करता हूं। चीन गणतंत्र के संबंध में सामान्य बनाने के प्रयत्नों को साथ-साथ किया जा सकता है। उस प्रयत्न में जारी रहते हुए रक्षा मंत्रालय को उस गणतंत्र के स्वरूप को समझना चाहिये। मैं किसी विषय पूरक दृष्टिकोण से नहीं कह रहा हूं। मैं उनके दस्तावेजों की बात दोहरा रहा हूं। स्पार्टले द्वीपों के विवाद और अन्डमान में कोको द्वीपों संबंधी विवाद में क्या संदेश छिपा हुआ है, उसकी ओर ध्यान देन की जरुरत है। वे केवल द्वीप ही नहीं, अपितु चीन गणतंत्र की नौसेना की उनके बारे में क्या महत्वाकांक्षाएं और इरादे हैं, इस ओर भी ध्यान देना जरूरी है। चीन गणतंत्र ने इन्डोनेशिया के द्वीप पर हाल ही में कब्जा किया है, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। महोदया चीन गणतंत्र एशिया प्रशान्त क्षेत्र में संप्रभुताहितों का तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहने के स्थान का दावा करता है–उनकी शब्दावली–सामूहिक सीमाओं के अन्तर्गत उनकी शब्दावली जरूरी नहीं राज्य सीमा से मेल रखती हो।

**3.33 म० प०**

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

चीन गणतंत्र का मत है कि इनका देश की आर्थिक और सैनिक आवश्यकता के संबंध में विस्तारपूर्ण संबंध होना चाहिये। मुझे आशंका है कि चीन गणतंत्र 1990 वीं दशाब्दि के शेष वर्षों में और आगामी दशाब्दि में पुन: विभाजन, अपनी समारिक सीमाओं के पुनर्निधारण और अपने रहने के स्थान को बढ़ाने के लिये इकीसवीं शताब्दि में प्रयास करेगा। सामरिक महत्व की सीमाओं में रहने के स्थान बढ़ाना चीन गणतंत्र का घोषित सिद्धान्त है। ऐसी स्थिति में रक्षा मंत्रालय चीन गणराज्य से होने वाले खतरे के प्रति का अनुमान लगता है, यह बताया जाये।

मैं समझता हूं कि चार या पांच मापदण्ड इसके हो सकते हैं। पी० एल० ए० लगभग तीस लाख है, जो संसार की सबसे

बड़ी सेना है, और फिर चीन के रक्षा बजट में दोहरे अंक की वृद्धि हुई है। जिसका अपना एक तर्क है। इस बात का साक्ष्य पर्याप्त है कि चीन के वर्तमान नेतागण चीन की स्थल सेना के विकास की समस्त न्यूनताओं को दूर करने के लिये प्रतिबद्ध हैं। चौथी बात है कि चीन और रूस के गणतंत्रों के बीच हाल ही में हुए करार के अन्तर्गत रूस वाणिज्यिक शर्तों पर चीन को अति उन्नत शस्त्रास्त्र देगा, जिससे चीन की सैनिक क्षमता और बढ़ जायेगी। पांचवीं बात है कि आगामी दशाब्दि में हम इस क्षेत्र से धीरे-धीरे वापसी देखेंगे। मैं क्षमता चाहता हूं। मैंने महोदया जी से कहा है। मुझे क्षमा कीजिए। महोदय, हम निकट भविष्य में इस क्षेत्र से अमरीका के निश्चित तथा अपरिहार्य हटने की घटना घटते देखेंगे। उस स्थिति में एशिया की बड़ी तीन शक्तियां हैं, भारत, चीन और जापान, इनके त्रिकोण में भारत अमरीका के इस क्षेत्र से हटजाने की स्थिति में अपना शक्ति संतुलन कैसे बैठाएगा, यह भारत की राजनीतिमत्ता के लिये एक चुनौती है, जिसकी ओर रक्षामंत्रालय को विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए।

जहां तक आवसरिक क्षेत्रों का संबंध है मेरा विचार है कि रक्षा मंत्रालय द्वारा इसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है, हालांकि वे गम्भीरता से ध्यान देने योग्य हैं। पहला ऐसा क्षेत्र दक्षिण अफ्रीका है, जो बड़ी सैनिक संभाव्यता, कुशल राजनयिक और अन्य संबंधों की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है। मंत्रालय के प्रतिवेदन में इसका उल्लेख न होना सरकार की उदासीनता दर्शाता है। दूसरा क्षेत्र अफगानिस्तान है, और खेद है कि मंत्रालय के प्रतिवेदन में उसका भी उल्लेख नहीं है। यह समूचे सुरक्षा वातावरण संबंधी दृष्टिकोण की कमजोरी दर्शाता है। अफगानिस्तान में बड़ी भारी पैमाने पर अशान्ति तथा मोर्चेबन्दी की हालत का भारत के सुरक्षा संबंधी हितों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। उनमें से एक है छोटे शस्त्रास्त्रों की चोर बाजारी, जिसकी ओर हमें समूची स्थिति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से गहन विचार करना चाहिये। तीसरा क्षेत्र फ्रांस है। उस देश के साथ सैनिक सहयोग के अनेक क्षेत्रों के विकास की संभावना हो सकती है। चौथा क्षेत्र भारत और इसराइल है। इसका कोई उल्लेख प्रतिवेदन में नहीं है। मैं एक-दो सुझाव और दूंगा।

रक्षा मंत्रालय का कोई अंशकालिक काम नहीं है। 5 मार्च 1993 से इसका मंत्री नहीं है। प्रधान मंत्री की योग्यता और अनुभव के लिए उनका बहुत आदर करता हूं। परन्तु इतनी लम्बी अवधि तक पूर्ण कालिक प्रतिरक्षा मंत्री का न होना देश की सुरक्षा के प्रति इस सरकार के उदासीनतापूर्ण रवैये और दृष्टिकोण का परिचायक है, जिसे किसी प्रकार भी उचित नहीं ठहराया जा सकता।

**प्रधान मंत्री (श्री पी॰ वी॰ नरसिंह राव)** : मैं सादर कहना चाहता हूं कि मैंने प्रतिरक्षा मंत्रालय को अपने पास रखा है, इसलिए नहीं कि अन्य कोई मंत्री या व्यक्ति इसे संभालने योग्य नहीं है, अपितु समय ऐसा आ गया है जब प्रधान मंत्री को देश का प्रतिरक्षा मंत्री होकर काम करना होगा। इसका यही कारण है।

**श्री जसवन्त सिंह** : मेरा विनम्र मत यह है कि किसी प्रधान मंत्री को अपना रक्षा मंत्री नही होना चाहिये, ऐसा मेरा आदरपूर्वक निवेदन है। चाहे प्रधान मंत्री या उनका कांग्रेस दल हमसे सहमत न हो, परन्तु देश के सामने खड़ी बड़ी निकट समस्याओं को देखते हुए भी प्रधानमंत्री को अपना रक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए।

रक्षा मंत्रालय का काम अंशकालिक नहीं, रक्षा मंत्री प्रधान मंत्री से भिन्न होना चाहिए और उसके पश्चात् उसे चीन गणराज्य के बारे में कुछ कहना चाहिये। तदुपरान्त प्रधान मंत्री कह सकते हैं कि वह रक्षा मंत्रों की बात से सहमत हैं। परन्तु परिक्षा आर्थिक मामलों, विदेश कार्य आदि अन्य सभी पहलुओं पर विचार करने के उपरान्त प्रधान मंत्री अन्यथा या विपरीत मत ही व्यक्त कर सकते हैं।

महोदय एक ही व्यक्ति रक्षा मंत्री हो और प्रधान मंत्री तथा अपने मत पर निर्णय देने वाला हो, यह बात मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं इससे सहमत नहीं हो सकता। यह संभव नहीं और छोटी बात भी नहीं। प्रधान मंत्री के पास रक्षा मंत्री न होने से उसे रक्षा संबंधी मंत्री से जानकारी या उसका मत प्राप्त नहीं हो सकता और उसे सलाह देने के लिए अपेक्षित समिति सी सी पी ए भी नहीं। इस प्रकार तो प्रधान मंत्री कभी यह भी कह सकता है कि उसे राजनीतिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति की भी जरूरत नहीं है। इस तरह से कोई काम ठीक नहीं चल सकता।

माननीय प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के बारे में उल्लेख किया है। 1955 में पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने कहा था कि एक परिषद होगी जो राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी प्रश्नों पर ध्यान देगी। यही आश्वासन स्वर्गीया इन्दिरा जी ने भी दोहराया और स्वर्गीया राजीव गांधी ने भी प्रधान मंत्री की हैसियत से श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधान मंत्री बनकर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित की। वर्तमान प्रधान मंत्री इस सदन में दो बार ऐसा आश्वासन दे चुके हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद बनाई जाएगी। यह दो वर्ष पूर्व की बात है। यह बाद-विवाद के मुद्दे नहीं हैं। पिछली बार रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों के दौरान बोलते हुए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की रचना का निश्चय किया गया है। कई बार बोलने पर भी उसका गठन नहीं हुआ। जब इसके बारे में पहले चर्चा हुई थी तो मैंने कहा था कि उसमें कई लोग शामिल होंगे और प्रतिरक्षा मंत्रालय ही अराजनीतिक अंग होगा। वह अर्धसैनिक बलों आदि, राष्ट्रीय सुरक्षा के अंगभूत के प्रभारी गृह मंत्रालय को भी उसमें शामिल कर सकते हैं, और उस पर हमारे विचार भिन्न हो सकते हैं। परन्तु रक्षा मंत्रालय अराजनीतिक होने के कारण उसके अंगभूत के नाते कार्य कुशलता पर अधिक ध्यान रखेगा क्योंकि उससे ही हमारे राष्ट्र की प्रतिरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है।

प्रधान मंत्री विद्वान हैं और मैं यह मानता हूं। मा० प्रधान मंत्री ने शुरू के दो वर्षों में 1991-93 में रक्षा मंत्री बनना पसंद किया क्या इसका कारण यह था कि तब देश की प्रतिरक्षा का काम तुलनात्मक दृष्टि से सरल था ?

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : इसे कृपया चर्चा का विषय मत बनाइये। कुछ मामलों में प्रधान मंत्री के पास कुछ स्वविवेक का अधिकार छोड़ा जाता है। कब पृथक प्रतिरक्षा मंत्री रखे कब स्वयं प्रतिरक्षा का कार्यभार भी देखें और पुनः कब यह काम दूसरे व्यक्ति को सौंपा जाये, ये मामले प्रधान मंत्री के स्वविवेक पर छोड़ने ठीक होते हैं। मैं सभा को आश्वस्त कर सकता हूं कि जो भी निर्णय लिये गये हैं, वे अचानक यह हालात की मजबूरी में या मनमर्जी से नहीं लिये गये हैं।

**श्री जसवंत सिंह** : मैं अपना भाषण जारी रखता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या प्रधान मंत्री से बेहतर रक्षा मंत्री हो सकते हैं।

**श्री जसवंत सिंह** : निश्चय ही हो सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : ...क्या इस कारण कि वह समन्वय कर सकते हैं ?

**श्री जसवंत सिंह** : नहीं महोदय, मैं आपके साथ विवाद में पड़ना नहीं चाहता। परन्तु मैं अपना भाषण आगे चलाता हूं।

**श्री पी० वी० नरसिंह राव** : मैं आपको समझा सकूंगा। परन्तु आप अगली बात पर आइये ? ...(व्यवधान)...

**श्री जसवंत सिंह** : मुझे आपकी बात से असहमत होने का खेद है।

**अध्यक्ष महोदय** : समन्वय बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। प्रधान मंत्री के स्तर पर समन्वय अधिक सरल होता है।

**श्री जसवंत सिंह** : मैं मानता हूं। परन्तु समन्वय है कहां ? विभिन्न मंत्रालयों में समन्वय करना प्रधानमंत्री का कार्य होता है। प्रधान मंत्री कह सकते हैं 'मैं यहां उपस्थित हूं। उनको कब प्रतिरक्षा मंत्री रखना है या नहीं रखना है, यह अधिकार है। परन्तु मैंने अपनी धारणा की अभिव्यक्ति की है। मैं पुनः दोहराता हूं कि रक्षा मंत्रालय का कार्य अंशकालिक नहीं और प्रधान मंत्री को अपनी सरकार का रक्षा मंत्री नहीं होना चाहिए। ...(व्यवधान)... प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का आश्वासन दिया है। वह इसे पूरा करना उनका काम है। कब तक करना है आदि विस्तार की बातें हैं।

मैं प्रधान मंत्री तथा सरकार का ध्यान राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा, बचाव तथा देश के संरक्षण के संबंध में समूचे राष्ट्रीय प्रयास के प्रति आदर सम्मान के भाव की ओर दिलाना चाहता हूं। मैं उदाहरण से स्पष्ट करूंगा।

अभी राजस्थान राज्य में राज्य सैनिक, नाविक, वैमानिक बोर्ड का एक सचिव नियुक्त किया गया जो भूतपूर्व सैनिक अधिकारी था। उसने मुझसे बातचीत की और पूछा कि उसे राज्य में सचिव के नाते क्या करना चाहिये। मुझे प्रसन्नता हुई। मैंने एक सरल प्रश्न उससे पूछा 'राजस्थान में युद्ध के शहीदों के स्मारक कितने हैं ?' राजस्थान देश का एक राज्य है जहां प्रत्येक जिले में युद्ध का प्रसिद्ध नायक है, हालांकि अन्य राज्यों में समाज रूप से विख्यात सैनिक हुए हैं। कुमाऊं और गढ़वाल की भी स्थिति राजस्थान जैसी वीरगाथा पूर्ण है। मैंने उससे पूछा कि राष्ट्रीय स्तर के किसी राजनीतिक नेता ने कितनी अवधि पहले किसी युद्ध-नायक के स्मारक पर श्रद्धांजलि अर्पित की राजस्थान राज्य में ? उसे स्मरण नहीं था। और उसके पास स्मारकों की सूची नहीं थी। फिर मैंने पूछा कि अपनी सामान्य यात्राओं के दौरान क्या किसी सेनाध्यक्ष या किसी उच्चाधिकारी ने किसी स्मारक में श्रद्धांजलि भेंट की ? उसका उत्तर था कि उसे याद नहीं है। मैंने पूछा कि जिन स्मारकों को वह जानता है क्या उनकी मरम्मत की हालत अच्छी है, वहां सफाई होती है, वहां पशु बैठते हैं, वहां झाड़ियां उग आई हैं, घास पैदा हो गई है। कुत्ते पेशाब करते हैं, भेड़ें चरती हैं।

इस प्रकार के आदर मान क भाव की कमी है उनके प्रति जिन्होंने राष्ट्र पर अपना जीवन बलिदान किया। यह चेतना होने या न होने की बात है। मैंने 50 वर्ष पूर्व यूरोप में विजय होने पर ग्रेट ब्रिटेन तथा अन्यत्र भी उत्सव मनाये जाते हुए देखे थे। अब उनके जर्मनी के साथ बड़े सम्बन्ध हैं, नाटो में वे हिस्सेदार हैं। परन्तु इस आदर मान से उत्पन्न हुई राष्ट्रीय भावना महत्व की चीज होती है। हम आज का बंगलादेश के युद्ध में अपनी विजय को भी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं मना सके हैं।

यह हथियारों की बड़ी चतुराई का काम था, और किसी ने बाहर से प्राप्त नहीं किया था। गत पचास वर्षों में भारतीय लोगों ने बहुत बड़े-बड़े शूरवीरता के कारनामे करके दिखाये हैं। क्या हमें कोई और आकर कहेगा कि हम अपने शूरवीरों की याद मनाएं और उनको सम्मान दें ? हमारे युवा सैनिकों ने जो मैदानों के थे और पहाड़ियों से भरती नहीं किये गये थे, सियाचिन की लड़ाई में वह शूरवीरता दिखाई और निर्भीकता से लड़ाई लड़ी कि शत्रु भी दंग रह गया। दिन रात हमारे सैनिक एक दूसरे से बढ़कर कुर्बानी करते हुए अपनी देशभक्ति के लिये अभूतपूर्व कृत्य करते रहते हैं। मैंने सैनिकों को मौसमों तथा स्थानों की भयानकता में से वापिस आये हुए देखा है और उनके धैर्य तथा सहनशीलता और बहादुरी को सराहा है। यदि हम उनका भी ध्यान नहीं रख सकते तो कहना पड़ेगा कि हमारे अन्दर शूरवीरों के प्रति आदरमान के भाव की भयानक कमी है। मैं प्रधानमंत्री से अपील करूं कि दिल्ली में या देश के अन्य किसी स्थान पर अमर शहीदों की याद में कोई उपयुक्त स्मारक बनवायें। हमारे पास केवल एक ही स्मारक हैं जो अंग्रेजों ने बनाया था ...(व्यवधान)...

**श्री उमराव सिंह (जालन्धर)** : एक बहुत बड़ा स्मारक लुधियाना में बनाया जा रहा है।

**श्री जसवन्त सिंह** : मुझे प्रसन्नता हुई क्योंकि ऐसे स्मारक आदर मान और प्रेरणा के स्रोत होते हैं। एक राष्ट्रीय स्मारक बनाया जाये, जिस पर लिखा जाये 'उन सब सैनिकों, नौसैनिकों तथा फौजियों जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात् पिछले पचास वर्षों में अपना जीवन बलिदान किया, के प्रति श्रद्धा का केन्द्र', सरकार इस संबंध में दूसरा निर्णय ले और समूचे देश में विद्यमान हमारे राष्ट्रीय शूरवीर सैनिकों ऐसे समारकों की हालत के बारे में एक वक्तव्य सभा में दिया गये।

तीसरा सुझाव सरकार को एक राष्ट्रीय सैनिक संग्रहालय भी कायम करना चाहिये, जो स्वतंत्रता के पचास वर्षों में अभी तक नहीं बनाया गया। अकदामियों, कुछ टुकड़ियों, रेजमेंट केन्द्रों में अपने कुछ होंगे, परन्तु राष्ट्रीय स्तर का एक भी नहीं। राष्ट्रीय युद्ध स्मारकों के लिये एक स्थायी समिति गठित की जाये, जिसमें राजनीतिक लोग या नौकरशाह न हों। बल्कि वे लोग हों जो सेना के अंगभूत हों। मैं अपने एक पुराने सुझाव को दोहराता हूं कि प्रौढ़ों (सैनिकों) के लिये कम से कम एक चिकित्सालय हस्पताल कायम किया जाये। सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये जो चिकित्सा व्यवस्था इस समय है, उसमें भीड़ भाड़ अत्यधिक होने से वह व्यवस्था पर्याप्त नहीं रही है। अत: एक प्रौढ़ों का हस्पताल भी होना चाहिए।

और भी अनेक सुझाव हो सकते हैं। परन्तु मैंने जो कुछ कहा और भावनाएं अभिव्यक्त की उनकी ओर कौन ध्यान देगा और इनका क्या उपयोग या लाभ होगा ? यह भी एक संसदीय अभिव्यक्ति है, जो शून्य में मिल जायेगी। मुझे इन सब कही हुई बातों और भावनाओं के प्रकटीकरण पर कार्यवाही न किये जाने का भी दुख होगा, परन्तु उससे भी अधिक दुख इस बात का होगा कि राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय निश्चय और इच्छा शक्ति तथा राष्ट्रीय मनोबल की हानि होगी। मैं और अधिक न कहते हुए मुझे समय दिये जाने के लिऐ आभार प्रकट करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय श्री सुधीर सावंत का नाम पुकारने से पूर्व सदस्यों से एक बात कहना चाहता हूं कि इस चर्चा के लिए 8 1/2 घंटे नियत किये गये हैं, कांग्रेस के लिये 3 घंटे 49 मिनट, भा॰ ज॰ पा॰ के लिये 1 घंटा 43 मिनट, सी॰ पी॰ आई॰ (एम) के लिये 32 मिनट जनता दल के लिये 20 मिनट और अन्यों के लिये बहुत कम समय आवंटित है। सदस्य बोलते समय इसका ध्यान रखें। अब श्री सुधीर सावंत बोलेंगे।

...(व्यवधान)...

**श्री सुधीर सावंत (राजापुर)** : अध्यक्ष महोदय, मैं रक्षा मंत्रालय की अनुदानों की मांगों का समर्थन करता हूँ। श्री जसवंत सिंह ने दो घंटे लिये। मुझे उतना समय नहीं दिया जायेगा।

**श्री मणिशंकर अय्यर (मईलादुतुराई)** : उन्होंने एक घंटा, पचास मिनट तक भाषण दिया है।

**श्री सुधीर सावंत** : रक्षा जैसे महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा के दौरान सभा में सदस्यों की कमी के बारे में श्री जसवंत सिंह द्वारा व्यक्त चिन्ता से मैं सहमत हूं। मेरे जैसे सैनिक के लिये तो यह निराशाजनक स्थिति है। परन्तु सत्तारूढ़ दल के बारे में उनकी आलोचना स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वह स्वयं अपने पीछे की स्थिति भी देख सकते हैं।

आरंभ में मैं श्री जसवंत सिंह द्वारा उठाए गए दो मुद्दों के बारे में बोलना चाहता हूं। कहते हैं कि न कोई रक्षा मंत्री है और न ही कोई रक्षा नीति है। श्री जसवन्त सिंह ने कहा कि रक्षा मंत्री और रक्षा नीति परन्तु यदि वह इस सरकार तथा प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और इसके कार्यों के परिणामों को देखें, न कि इस बात को कि यह कैसे किया जा रहा है। इसके लिये हम वर्ष 1991 को देखें जब हमारे देश की शक्ति और प्रतिष्ठा बहुत कम थी। कोई भी भारत को शक्ति नहीं मानता था। इसकी प्रतिष्ठा बहाल करने का उत्तरदायित्व किस के कंधों पर आया। जून 1991 के बाद मई 1995 तक भारत की शक्ति और प्रतिष्ठा में अत्यन्त वृद्धि हुई है। यह सरकार की विदेश नीति और सुरक्षा की उपलब्धि का शानदार प्रणाम है। इसे कोई भी इनकार नहीं कर सकता।

जून 1991 में और उससे पहले की अवधि में भारत को इराक जाने वाले अमरीकी युद्धपोत के लिए ईंधन देना पड़ा था।

**कई माननीय सदस्य** : यह शर्म की बात है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा)** : परन्तु आपके दल ने उस सरकार को समर्थन दिया। ...(व्यवधान)...

**श्री सुधीर सावंत** : उस स्थिति से निकलकर आज हमारा देश आत्म विश्वासी है, जो किसी भी प्रकार के खतरे का सामना कर सकता है और दवाब के आगे झुकने से मना कर सकता है। हमने किसी भी सामरिक रक्षा कार्यक्रम को नहीं त्यागा और न ही घराया, जैसा कि सिद्ध करने का प्रयत्न किया जा रहा था। श्री जसवंत सिंह ने पृथ्वी के अर्जकभार तथा प्रक्षेपणास्त्रों का प्रशिक्षण न होने की बात कहीं। मैंने 1986 में स्टाफ कालेज में प्रेक्षपणास्त्रों के उपयोग के बारे में प्रशिक्षण पाया था। अत: प्रशिक्षण न होने की बात गलत है। पृथ्वी का एक मीट्रिक टन अर्जकभार सब जानते हैं, इसे संहित करने की आवश्यकता नहीं होती। इतने भार वाले प्रक्षेपणास्त्र को परमाणु अस्त्र या परम्परागत अस्त्र के साथ अच्छी तरह से उपयोग में लाया जा सकता है। पाकिस्तान का एक टन भार का खटास प्रसिद्ध है। मुझे इसकी आलोचना में कोई सार दिखाई नहीं देता।

मा॰ प्रधान मंत्री स्पष्ट रूप से बता चुके हैं कि अग्नि और पृथ्वी संबंधी कार्यक्रम जारी रहेंगे, और भारतीय सेनाओं तथा प्रतिरक्षा की जो भी मांग या आवश्यकता होगी वह पूरी की जायेगी और उपयोग में लाई जायेगी, कैसे यह पूछना हमारा काम नहीं ...(व्यवधान)...

**4.00 म. प.**

महोदय, हमने अपना परमाणु विकल्प खुला रखा है, खुले रूप में बताकर और अप्रसार सन्धि पर अनेक बार अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है, और क्राइओजीनिक इंजनों की हमें सप्लाई न किये जाने की धमकी के बावजूद हमने अपना पथ एवं रूख कायम रखा है।

महोदय, जब भी पाकिस्तान ने हमारे देश में आतंकवाद फैलाने के उद्देश्य से घटया किस्म के हथकंडे अपनाने का प्रयत्न किया, हमने उनका समुचित प्रत्युत्तर दिया। उनके द्वारा पारस्परिक विवाद को अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप देने के लिए किये गये प्रयत्नों को हमने सफलतापूर्वक विफल कर दिया अपने चतुर राजनयिक प्रयासों के द्वारा। हमने अपने राजनयिक प्रयत्नों के द्वारा आज 1995 में संसार का वह स्थान पाया है जिसे कोई भी देश पाने का इच्छुक होगा। उदाहरणार्थ, मुझे डर था कि शीत युद्ध के बाद भारत की स्थिति क्या होगी, मैंने अपने प्रथम रक्षा संबंधी भाषण में कहा था कि भारत का कोई मित्र नहीं। परन्तु चतुराई पूर्ण विदेश नीति बनाकर भारत को उस स्थिति से निकालकर आत्मविश्वासी देश होने का गौरव हमारी इस सरकार और इसकी नीति ने प्रदान किया है। संयुक्त राज्य अमरीका की हमारी पहले के बारे में प्रतिक्रिया हम देख रहे हैं, कि कितने उच्च प्रतिनिधिमंडल आये और अनेक चीज़ें हो रही हैं।

महोदय, 1991 में जब मैं थल सेना में था, मैं ईरान को हमारे देश का विरोधी तथा पाकिस्तान का समर्थक समझता था परन्तु ईरान ने संयुक्त राष्ट्र संघ जम्मू-काश्मीर संबंधी हमारे संकल्प का समर्थन किया। यह अभूतपूर्व उपलब्धि है, हमारी विदेश नीति की जिसकी हम 1991 में कल्पना तक नहीं कर सकते। चीन के साथ हमने जो पहल की है वह प्रशंसनीय है। भविष्य की बात देखेंगे। परन्तु हम काफी आगे बढ़े हैं। रूस के साथ हमारे संबंध पुन: सुदृढ़ हुए हैं और हम ने सी. आई. एस. देशों के साथ कई राजनयिक पहल की है। सुरक्षा तथा विदेशी नीति के बारे में ये प्रमाण है हमारे कार्यों के और वह शक्तिशाली स्थिति के साथ; न कि कमजोरी के साथ। बिना किसी के आगे झुके हमने आज राष्ट्रों के समाज में अपना उचित स्थान बनाया है और हम भविष्य की ओर विश्वास पूर्वक देख सकते हैं कि सुरक्षा परिषद में भारत को स्थान अवश्य प्राप्त होगा। उससे भारत की शक्ति तथा प्रतिष्ठा बहुत बढ़ जायेगी और इकीसवीं शताब्दि में, हम इस सरकार द्वारा डाली गई सुदृढ़ नींव के आधार पर, सामने आने वाली चुनौतियों का मुकाबला सफलतापूर्वक कर सकेंगे और इतिहास में उसे उपलब्ध काल के रूप में सुरक्षा के मामले में माना जायेगा। इकीसवीं शताब्दि में हमारा देश अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त कर लेगा। किन्तु मैं यह कहना चाहूंगा कि ये उपलब्धियां सुदृढ़ आर्थिक तथा सुरक्षा संबंधी नीतियों के समन्वय द्वारा प्राप्त की गई है। विदेशी मुद्रा के 20 बिलियन डालर से विश्व में संकट का सामना करने की क्षमता आती है। दो अरब डालर की विदेशी मुद्रा ने हमें विशाल शक्ति दी है, जिसके द्वारा हम संसार में जाकर सामना कर सकते हैं। इसे प्राप्त करने के तरीके को श्रेय देना चाहिये। महोदय हमारी अपनी सरकार को शाबासी देकर संतुष्ट नहीं हो जाता, क्योंकि उपलब्धियों के बावजूद हमें आत्मतुष्टि नहीं होनी चाहिये, कयोकि युद्ध तो अवश्यम्भावी है। मैकैवली ने अपनी पुस्तक 'दि प्रिंस" में कहा है' युद्ध किसी राजकुमार का एक मात्र अध्ययन होना चाहिये। आपको शान्ति को केवल सांस लेने का समय मानना चाहिये, जो आपको योजना बनाने तथा सैनिक योजनाओं को कार्यान्वित करने की योग्यता प्रदान करने के लिये विश्राम प्रदान करता है।" मैं इसलिए यह कहता हूं क्योंकि शांतिकाल में आत्मतुष्ट होने और अपने उत्तरदायित्व की उपेक्षा करने की प्रवृत्ति होती है, जो प्राय: नीचे सैनिकों तक पहुंच जाती है। मैं श्री जसवंत सिंह द्वारा कही गई अनेक बातों से असहमत होते हुए भी उनकी कुछ बातों से सहमत हूं। किन्तु इससे पूर्व मैं एक आधार निर्धारित करना चाहता हूं जो मैंने पहले किया है और वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति की संक्षिप्त जानकारी देता हूं। महोदय, शीत युद्ध के बाद यह संसार उत्तक होगा, ऐसी हम आशा करते थे, जिसमें हम निरस्त्रीकरण की ओर बढ़ेंगे और जिसमें शान्ति होगी। परन्तु स्थिति स्थिर नहीं हुई, अत: हमारी आशा पूरी नहीं हुई। नये देश आए दिन पैदा होते जा रहे हैं। संसार में बड़ी अनिश्चितता है। इस कारण हमें ऐसी नीति और मार्ग ढूंढना होगा, जो हमारे भविष्य को सुरक्षित करे कल का संसार भिन्न होगा, जो हमने शीत युद्ध के दौरान देखा था जो विचारधारा पर चलता था। परन्तु कल के संसार में विचारधारा पीछे पड़ जायेगी और संधियों तथा समझौतों का युग शुरू होगा जो भावी विश्व व्यवस्था बनायेगा और आदर्शवाद पर नहीं, बल्कि यथार्थवाद पर चलेगा। अत: हमारी आवश्यकता होगी कि हमारी विदेश नीति तथा सुरक्षा नीति अत्यन्त लचीली होनी चाहिए जो परिवर्तनशील परिस्थितियों तथा हालत के अनुरूप ढाली जा सके। दो विषय पहलू इन समझौतों का आधार बनेंगे एक आर्थिक, व्यापार युद्ध, बाजार पर कब्जा करने की लड़ाई और दूसरा होगा हठधर्मिता। किस समय किसी चीज की प्रधानता होगी इस बात पर समझौतों का स्वरूप तथा गठन निर्भर करेगा। जब हठधर्मिता वृद्धि पर होगी तो हमें साथी सहयोगी मित्र भिन्न होंगे और जब व्यापार युद्ध होगा तो साथी भिन्न होंगे क्योंकि इस जगत में अन्य दल/वर्ग बनते रहते हैं, जैसे व्यापार का, हठधर्मिता का। इस धारणा को लेकर मैं अपनी बात आगे बढ़ाऊंगा।

मैं श्री जसवन्त सिंह की इस बात से सहमत नहीं कि रक्षा नीति बनाने का मूलभूत सिद्धान्त यह है कि पहले रक्षा नीति बनाओ और फिर विभिन्न पग उठाओ। मैं समझता हूं कि पहली आवश्यकता इसके लिए खतरे का विश्लेषण करना है। मैं वार्षिक प्रतिवेदन की बातों में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसका मुख्यत: संबंध रक्षा मंत्रालय से है, क्योंकि केवल सुरक्षा ही नहीं, अपितु और भी बहुत सी बातें इसके अन्तर्गत प्रासंगिक होती हैं। इस समय के तथा भविष्य के खतरों और सुरक्षा के वातावरण के बारे में मैं कुछ कहूंगा। खतरे के तीन अंग हैं, एक बाहरी, जिसमें विदेशियों के सीधे आक्रमण का खतरा होता है; दूसरा

हमारे देश के अस्थिर करने हेतु अप्रत्यक्ष तरीके का बाहरी खतरा होता है। मैं दूसरे पहले को स्पष्ट दिखने वाला आन्तरिक खतरा मानता हूं। जो हमारे देश की स्थिरता को बिगाड़ने की अप्रत्यक्ष प्रक्रिया है। तीसरी तरह का खतरा, जो दशाब्दि में आया, उसे तत्व से है जो उत्तरदायित्व हीन है, जो किसी सरकार अन्तर्राष्ट्रीय अपराध और आतंकवाद पर आधारित नहीं है। वे क्या कर सकते हैं यह हमने ओकलाहोमा में देखा। प्रत्येक राज्य को इन तीन खतरों का सामना करना पड़ता है और दुर्भाग्य वश आज इस खतरे तथा इसके संभावित दुष्परिणामों को अनुभव नहीं किया जा रहा।

हमारे पर्यावरण में विदेशी सीधे आक्रमण के खतरे को हम भलीभांति जानते हैं। मैं पाकिस्तान, चीन और हिन्द महासागर की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। पाकिस्तान तो भारत से नफरत के वातावरण में रहता है और इसके नीति निर्माता हमेशा अपने आन्तरिक उप्रदेवों को दबाने हेतु भारत विरोधी रवैया अपनाते हैं और उसका परिणाम है आज के हालात। हम भारतीय पाकिस्तान को शक्तिशाली और संगठित देखना चाहते हैं, हम उसके टुकड़े करना नहीं चाहते। परन्तु पाकिस्तान ने जो तरीका अपना रखा है, उसके ये परिणाम हो सकते हैं।

पाकिस्तान को सुदृढ़ बनने हेतु भारत के साथ सहयोग करना होगा और वह 'दो और लो' के तरीके से ही हो सकता है। पाकिस्तान हमेशा सेना द्वारा नियंत्रित रहा है, आज भी उसके शासकों के पीछे सेना की ही शक्ति है। वहां कोई वास्तविक प्रजातंत्र नहीं है। भुट्टो के समय वहां प्रजातंत्र था, जब शिमला समझौता किया गया था। जब तक पाकिस्तान में वास्तविक प्रजातंत्र एकत्रित नहीं होता, थोड़ा-थोड़ा खतरा हमारे लिये बना ही रहेगा, मैं इसे बहुत बड़ा खतरा नहीं मानता। भौगोलिक दृष्टि से हमें जिस क्षेत्र में अपनी सेनाएं पाकिस्तान के विरुद्ध तैनात करनी होंगी, उसमें 50% क्षेत्र कठोर हैं और यही हालत चीन के बारे में है। मैं जान-बूझ कर यह-तथ्य प्रकट करता हूं ताकि इनसे कुछ निष्कर्ष निकालने होंगे। दूसरा तथ्य यह है कि चीन परमाणु शक्ति सम्पन्न है, और भारत इस बात की अनदेखी नहीं कर सकता। अत: मैं कुछ निष्कर्ष निकालूंगा। हिन्द महासागर और इसके तटवर्ती राज्य, तीसरा पहलू है, यह क्षेत्र शीत युद्ध के पश्चात् विशेष रूप से अत्यन्त अस्थिर हो गया है। महोदय ये तीन सीधे खतरे हैं और समुद्र से भी खतरा हो सकता है, जिनसे हमें अपनी रक्षा करने के उपाय करने हैं। पहला निष्कर्ष यह है कि कठिन क्षेत्र में मनुष्य पर बल देना होगा, इसमें उच्च-प्रौद्योगिकीय युद्ध का प्रश्न नहीं है। यदि भूमि सीमा का तीन-चौथाई भाग दुर्गम स्थल और कठोर मौसम वाला है, तो उसका भविष्य मनुष्यों पर निर्भर करेगा। अत: मैं मानव पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दूंगा, जो इस समय नहीं दिया जा रहा।

उच्च-प्रौद्योगिक दूसरा पहलू जिसकी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा यह है यंत्रीकृत युद्ध प्रणाली पंजाब और राजस्थान की सीमाओं के साथ अपनाई जा सकती है, वहां सैन्य बल की अधिक शक्ति तथा उन्नत सूक्ष्म अस्त्रों और उपकरणों का प्रयोग किया जा सकता है महत्वपूर्ण परिणाम प्राप्ति के लिये। इसके लिये अधिक सैन्य बल जुटाने की जरूरत होगी। हमारा बड़ा ठोस लाभबन्दी संगठन तथा संचार व्यवस्था होनी चहिए, जो रक्षित सेना के रूप में एक छोटी स्थायी सेना के सिद्धान्त पर आधारित हो। दुर्भाग्य वश, इस धारणा पर, यद्यपि कुछ प्रगति हो रही है, विशेष तथा समुचित ध्यान नहीं दिया जा रहा है। पहाड़ों में प्रत्येक इंच भूमि पर सैनिक तैनात नहीं किये जा सकते। वहां हमें रक्षित सेना तथा कुशल लाभबन्दी व्यवस्था से काम चलाना होगा।

चौथा निष्कर्ष जो मैं निकालना चाहता हूं यह है कि चीन एक परमाणु शक्ति है। अत: चीन के साथ जैसे भी संबंध हैं, मुझे इसके सुधरने की आशा है। निराशवादी दृष्टि के बावजूद हमें इन सब बातों को ध्यान में रखकर चलना होगा। मैं पूरी तरह से सहमत हूं कि हम इन सभी बातों को और ध्यान दें।

जहां तक परमाणु अस्त्रों का सवाल है जब तक भारत की सुरक्षा की गारंटी नहीं होती, हम अपना परमाणु विकल्प नहीं छोड़ सकते, यह बात संसार को विदित होनी चाहिए। अप्रसार संधि के बारे में विशेष भारत-पाकिस्तान संबंध की ओर देख रहा है और वे क्षेत्रीय संधि तथा सहयोग आदि की बात करते हैं। यह संभव नहीं। चीन हमारा पड़ौसी है, उसके साथ हमारा युद्ध हो चुका है, परमाणु शक्ति सम्पन्न है। इन परिस्थितियों में हम अपना परमाणु विकल्प नहीं छोड़ सकते और यह बात स्पष्ट रूप से भारत सरकार ने कही है। अत: मुझे आशा है संसार इसे महसूस करेगा। मैं सामरिक अध्ययन मंच का सभापति हूं और हमने अप्रसन्न संधि विस्तार सम्मेलन में अपना प्रतिनिधिमंडल भेजा है। महोदय मैं युद्ध संबंधी मंच का अध्यक्ष हूँ। हमने प्रमाणु अप्रसार संधि विस्तार सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजा था।

**अध्यक्ष महोदय** : श्री सुधीर सावंत आप कितना समय लेंगे।

**श्री सुधीर सावंत** : मैं कुछ और समय लेना चाहता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानना चाहता हूं कि आप और कितना समय लेना चाहते हैं।

**श्री सुधीर सावंत** : मुझे और आधे घण्टे का समय चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : ठीक है। कांग्रेस दल की ओर से नौ सदस्यों को बोलना है और यदि मैं आपको 45 मिनट का समय देता हूं। वो न जाने किस प्रकार अन्य सदस्यों को बोलने का अवसर दे पाऊँगा। मुझे या तो इनके नाम वापस लेने होंगे या फिर आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

**श्री सुधीर सावन्त** : मैं आज दल की ओर से बोलने वाला पहला व्यक्ति हूं।

**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपको जितना चाहे उतना समय दूंगा यह मानते हुए कि अन्य सदस्य बोलने के लिए समय नहीं मांगेंगे।

**श्री सुधीर सावंत :** मैं 15 मिनट और लूंगा तथा संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा। दूसरा निष्कर्ष भारतीय नौसेना से संबंधित है।

भारतीय नौसेना नील जल नौसेना होने की महत्वाकांक्षा रखती है। हमारी नौसेना और तटरक्षकों के प्रति व्यवहार के बीच कुछ अंतर है। क्या हमारे तटवर्ती क्षेत्र सुरक्षित हैं ? उन क्षेत्रों में विभिन्न साधनों से बड़ी भारी मात्रा में शस्त्रास्त्र पहुंचे हैं, अत: हमारे तट रक्षकों तथा नौसेना को समन्वित तरीके से भविष्य में काम करना होगा, ताकि वे न केवल समुद्र से आये खतरे का सामना कर सकें, अपितु शत्रु देशों के नौसैनिक जहाजों के अतिरिक्त खतरे का भी मुकाबला कर सकें।

वायु सेना को बाहरी खतरों का मुकाबला करने योग्य बनने के लिए परमाणु खतरे से जूझने की क्षमता प्राप्त करनी चाहिए। सरकार को देखना चाहिये कि क्या वह सक्षम है या नहीं और इसे स्थल सेना तथा नौसेना का समर्थन प्रदान करने योग्य बनना चाहिये।

हमें राजनय में सक्रियता को अपनाकर हिन्द महासागर के खतरों को विशेषत: दूर करना चाहिए और इन प्रयासों में तेजी और शीघ्रता तथा लचीलेपन एवं सक्रिय राजनयता अपनानी होगी।

सुप्रचालन संबंधी समर्थन का बड़ा महत्व है। छोटी स्थायी सेना और बड़ी रक्षित सेना को थोड़े समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने की योग्यता महत्वपूर्ण होती है। रेलों और सड़क परिवहन में समन्वय की योजना होनी चाहिये, जिसका संबंध रक्षा योजना के साथ अनिवार्यत: होना चाहिये और लड़ाई क्षेत्रों की ओर शीघ्रता से सेना भेजने की क्षमता प्राप्त करने की ओर ध्यान देना चाहिये।

अगला मुद्दा पाकिस्तान के संबंध में है यदि पाकिस्तान हमारे देश के आन्तरिक मामलों में दखल देना जारी रखता है, तो भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्षेत्र में अपने अधूरे काम के प्रति उदासीन नहीं रह सकता, जैसा कि प्रधान मंत्री ने कुछ दिन पूर्व कहा है। मानव अधिकारों के प्रश्न पर हमें सिन्ध की घटनाओं को देखना चाहिये, जहां दिन-दिहाड़े राजनयज्ञों को मौत के घाट उतारा जाता है।

दुर्भाग्यवश पाकिस्तान ने भारत के विरुद्ध बाहरी खतरे अप्रत्यक्ष ढंग से कुशलतापूर्वक खड़े किये हैं, और पाकिस्तानी खुफिया संगठन ने भारत में घुसपैठ की योजनाएं बनाईं और भारत विरोधी गतिविधियों में पूर्ण समर्थन प्रदान किया है। उन्होंने बम्बई जैसे स्थानों से अड्डे बना रखे हैं और वे धन भी बड़ी मात्रा में इसके लिये देते हैं तथा आतंकवाद को हमारे देश में बढ़ावा दे रहे हैं, और यह बात समूचे विश्व को मालूम है। दुर्भाग्यवश इस वर्ष अमरीका ने अपनी सिनेट की कार्यवाही से इस तथ्य को हटा दिया। परन्तु बुनियादी तौर पर पाकिस्तान ने भारत को परेशान करने के लिये घटिया किस्म के हथकंडे और ओछे हथियार भी अपनाये हैं तथा आतंकवाद को बढ़ाने हेतु मादक एवं स्वापक द्रव्यों की चोर बाजारी को बढ़ावा दिया है। मैंने पिछले बार इसका ब्यौरा दिया था। भारत के पश्चिमी घाटों पर स्वायक द्रव्य लाये जाते हैं, जहां से उनको खाड़ी के देशों, अफ्रीका, अमरीका और पश्चिम यूरोप के देशों में भेजा जाता है। उन्होंने आतंकवाद की शृंखला कायम कर रखी है, जिसका परिणाम बम्बई में बम बिस्फोटों के रूप में सामने आया। पाकिस्तान ऐसे अनेक स्वापक द्रव्य-आतंकवाद के घिनौने षड़यंत्र रचता रहा है। इनका समुचित रूप से प्रतिकार करना होगा। इन सब बातों के लिये हमें अपनी सुरक्षा की दूसरी मजबूत पंक्ति खड़ी करनी होगी, क्योंकि जब हम युद्ध करते हैं उस समय यह जाल/शृंखला बहुत अधिक खतरनाक सिद्ध होता है। पाकिस्तानी आई॰ एस॰ आई॰ तथा लिट्टे का गठजोड़ अत्यन्त भयानक और आई॰ एस॰ आई॰ का पूर्वोत्तर भारत के विद्रोहियों के साथ सब से खतरनाक है। हमें एक सुदृढ़ प्रतिरोधी खुफिया व्यवस्था करनी होगी, जो हमारे देश में अभी नहीं है। हमें अपनी सुरक्षा हेतु तथा शत्रु के षड़यंत्रों को विफल करने के लिए सभी अपेक्षित प्रयास करने होंगे।

अगला खतरा आन्तरिक है। भूतपूर्व महाशक्ति सोवियत संघ किसी गोलावारी के बिना ही रातों रात खण्ड-खण्ड हो गया और वह आन्तरिक खतरे का करिश्मा हुआ है। हमारे देश में चाहे बोट के लिये, चाहे और किसी प्रयोजन से, एक क्षेत्रीय गठबंधन, जातिगत आधार पर गठबंधन, साम्प्रदायिक आधार पर गठबंधन हो रहे हैं, जो कि देश की राजनीतिक समस्या और चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी हालत में देश कैसे अपना अस्तित्व कायम रखेगा ? इन विभाजक तथा विभेदक प्रवृत्तियों को नियंत्रण में तुरन्त लाना होगा और देश को संगठन सूत्र में पिरोना होगा। अब अपराध तथा आतंकवाद जोरों पर है और देश में भूमिगत शृंखला फैली हुई है, और कई बार तो इसकी शक्ति शासन की सत्ता से भी शक्तिशाली हो सकती है। इसलिए पुन: आतंकवाद को रोकने के लिए 'टाडा' कानून संशोधन के साथ लाया गया है। जब ओकला होमा जैसे घटनाएं हुई तो, अमरीका ने कहा एफ-बी-आई को अधिक शक्तियां देने की आवश्यकता है। मैं मानता हूं कि 'टाडा' का दुरुपयोग हुआ है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी :** ऐसा इसलिए क्योंकि वहां 'टाडा' लागू नहीं है।

**श्री सुधीर सावन्त :** टाडा का दुरुपयोग हुआ है। फिर भी यह कानून होना चाहिये क्योंकि देश के हालात को देखते हुए इसकी आवश्यकता है। इसका विरोध न करके इसका दुरुपयोग करने वालों की आलोचना की जा सकती है। यदि अपराधी राज्य की सत्ता से ऊपर शक्ति धारणा करेंगे तो क्या होगा ? कोई व्यक्ति किसी को मारता है तो उसे जेल ले जाया जाता है और वह न्यायालय से रात को ही जमानत पर छट जाता है,

हालांकि उस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के अधीन आरोप होता है। इसीलिए मैंने मानव अधिकार आयोग की स्थापना का विरोध किया था। हमारा देश प्रजातंत्रात्मक है, यहां विभिन्न संस्थाएं हैं, न्यायपालिका, विधायिका स्वतंत्र हैं, कार्यपालिका है और स्वतंत्र प्रैस (समाचार पत्र-पत्रिकाएं आदि) हैं, जो सब अच्छी तरह स्थापित है। मानव अधिकार आयोग के तर्क को जम्मू और कश्मीर के बारे में अमरीका सरकार ने बड़े प्रभावी ढंग से हमारे विरुद्ध प्रयोग में लाने का प्रयास किया। अत: मैं इसका संक्षिप्त उत्तर दूंगा।

महोदय, जम्मू-कश्मीर का प्रश्न यह नहीं है कि वहां की जनता भारत का अंग होना चाहती है या नहीं। प्रश्न किसी राज्य के संघ से पृथक होने के अधिकार का है। हम इसकी अनुमति नहीं दे सकते। अमरीका ने इस पर गृह युद्ध लड़ा, जिसमें लाखों लोग मरे। इसीलिए जब समस्या सामने आती है तो देश के मानवधिकारों की बात की जाती है। परन्तु किसी राज्य का पृथक होना स्वीकार नहीं कर सकता। भारत इस संदेश को सर्वत्र पहुंचायेगा और किसी बाहरी शक्ति को अपने आन्तरिक मामलों में हस्तक्षेप करने नहीं देगा।

पंजाब का भी यह हाल था। अब स्थिति ठीक है, जो इस सरकार की उपलब्धियों में से एक है। 1991 में मैं सेना में होते हुए पंजाब को हारा हुआ मामला समझता था। परन्तु आज यह देश के सर्वाधिक शान्तिपूर्ण राज्यों में से एक है। इसकी अर्थ व्यवस्था पुन: पनप रही है और इसके मेहनती किसान देश के लिये अनाज पैदा कर रहे हैं। आन्तरिक खतरे को रोकने के लिए कानून और व्यवस्था के संबंध में राज्यों और केन्द्र के बीच अधिकाधिक समन्वय होना चाहिए। परन्तु वही स्थिति चल रही है और अपराधियों के गिरोह नेपाल से कन्याकुमारी तक अपनी घृणित कार्यवाहियां चला रहे हैं। कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है। क्या कोई संघीय अपराध होना जिसे केन्द्रीय सूची में लाकर केन्द्रीय बलों को और अभिकरणों को प्रयोग में लाया जायेगा ? समस्या सुरक्षा बलों के बीच समन्वय के अभाव की है। अत: सभी सुरक्षा बलों को एक व्यवस्था के अन्तर्गत लाने की आवश्यकता है।

तीसरी बात है कि एक सुदृढ़ खुफिया प्रणाली विकसित की जानी चाहिए।

चौथी बात चल बलों के बारे में है कि शीघ्र कार्यवाही बल को देश में फैलाकर रखना चाहिए ताकि अयोध्या या और किसी ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए वह वहां उपलब्ध हो।

पांचवीं बात अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है कि उन्मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था के साथ अपराध रहित अर्थ व्यवस्था बनाने की जरूरत है, क्योंकि मादक पदार्थों का धन एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या बन गया है। इसे रोकने हेतु धन प्रक्षालन अधिनियम बनाना चाहिये।

अब अन्तर्राष्ट्रीय अपराध, को लेते हैं जहां उत्तरदायित्व रहित खतरा भविष्य में अधिक प्रकट और स्पष्ट हो सकता है, जैसा कि बम्बई बम कांड और ओकला होमा में विश्व व्यापार केन्द्र में हुआ। अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कोई सीमा नहीं होती।

इटली के माफिया ने रुस के माफिया-रुस में चार सौवां रैंक-कोलम्बिया और अमरीकी माफिया के साथ गठ जोड़ की स्थायी शृंखला अन्तर्राष्ट्रीय अपराध आतंकवाद के लिये कायम कर ली है, जो किसी भी प्रकार के अनतर्राष्ट्रीय प्रयास को विफल कर सकता है। इसके अतिरिक्त परमाणु सामग्री की तस्करी के 272 मामले जर्मनी में पकड़े गये, जिनमें से चार मामले प्रकाशित हुए। उन राज्यों में जहां परमाणु शक्तियां थीं, जैसे बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, से मेधावी लोगों का अन्यत्र जाना चल रहा है, जो एक निश्चित दामों पर किसी को भी मिल सकते हैं। यह धारणा परमाणु आतंकवाद के बारे में विचारणीय है। बम्बई बम बिस्फोट में परम्परागत बमों का प्रयोग किया गया था। यदि वहां परमाणु बम बिस्फोट होता हो ये आतंकवादी अपराधी सरकार को आड़े हाथों ले लेते। इस समस्या को हल करने तथा इससे निपटने का काम अकेली भारत सरकार का नहीं, अपितु समूचे अन्तर्राष्ट्रीय समाज का है। विश्व में अपराधरहित अर्थव्यवस्था केन्द्र स्थापित करना होगा, क्योंकि मादको-स्वायकों के धन को खरा करने के लिए कर-मुक्त केन्द्रों का स्थायी रूप से प्रयोग किया जा रहा है। वही धन फिर आतंकवाद के कामों पर खर्च किया जाता है, यह सिद्ध हो चुका है। सौभाग्य की बात है कि यूरोप या यूरोपीय समाज ने एक कानून पास किया है जिसने इस प्रकार के धन की सूचना का दिया जाना अनिवार्य कर दिया है। अब, स्विट्ज़रलैंड के बैंकों ने भी एक कानून स्वायक औषधों के बारे में पास किया है कि तत्काल लेखा बताया जायेगा। ऐसे उपाय राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तरों पर करने होंगे। ऐसे करते हुए सुरक्षा के सामान्य भय की कई बार अनदेखी करनी होगी क्योंकि यह अपनी उत्तरदायित्व हीनता के कारण एकमात्र बड़ा खतरा है, क्योंकि वे लोग नियमों का सर्वथा उल्लंघन करते हैं।

राष्ट्रीय सुरक्षा की प्राथमिकताओं में हमें सब से पहले अपने घर को ही ठीक करना होगा, अर्थात् हम सबको यह अनुभव करना है कि हमें इकट्ठे कार्य तथा कार्यवाही करनी है। क्षेत्रीयता, साम्प्रदायिकता तथा जातिवाद की भावनाओं को त्यागना होगा, उनको परास्त करना होगा। इस सरकार की यही नीति है कि हम वर्ण, जाति, रंग सब प्रकार के भेदों के बावजूद संगठित रूप से कार्य करके इकसवीं शताब्दि में एक शक्तिशाली राष्ट्र के रूप में खड़े हों। हमें इसके लिये सर्वतोमुखी प्रयत्न करने होंगे।

दूसरी प्राथमिकता घुसपैंठ को रोकने की है तथा किसी भी प्रकार के निम्न-मूल्य विकल्प को परास्त करना होगा।

तीसरी प्राथमिकता बाहरी आक्रमण की है। श्री जसवंत सिंह ने राष्ट्रीय निश्चय की बात कही है। यह इसमें आती है। हमें देश की सुरक्षा के सही अर्थों में सुनिश्चित करने हेतु सब लोगों को इस राष्ट्रीय निश्चय में भागीदार बनाना चाहिये।

अब आवश्यकताओं को लेते हैं। हमें पहली आवश्यकता सुरक्षा उपायों का समग्र दृष्टिकोण रखने वाली व्यवस्था करने की है, जो रक्षा, वित्त, गृह कार्य, विदेश कार्य और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् में सम्पूर्ण समन्वय स्थापित करे। यह परिषद तुरन्त बनानी चाहिए और यही कारण है कि हमारे प्रधान मंत्री को रक्षा मंत्री भी होना पड़ा है। आज हम रक्षा मंत्री पृथक नहीं ले सकते, क्योंकि सम्पूर्ण दृष्टि योग्य व्यक्ति ही रक्षा कार्य को संभाल सकता है। अत: मैं श्री जसवंत सिंह की बात से सहमत नहीं हूं। कई बार प्रधान मंत्री को रक्षा मंत्री का कार्यभार अपने ऊपर लेना पड़ा है, क्योंकि यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। वर्तमान व्यवस्था अच्छी है लेकिन इसके साथ ही मैं निवेदन करता हूं कि शीघ्र ही राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् की स्थापना की जाये।

दूसरा कदम खुफिया विभागों तथा उसके कार्यों के एकीकरण का है। मैंने स्वयं खुफिया विभाग में काम किया है। मैं यहां समन्वय का सर्वथा अभाव देखता हूं, कहीं भी एकता वाली बात नहीं।

**श्री अमल दत्त (डायमंड हार्बर)** : यह स्थिति खतरनाक है।

**श्री सुधीर सावंत** : इस संसद को ये सब बातें मालूम होनी चाहिए। जब अमरीका में इसके लिए एक समिति हो सकती है, तो भारत में भी एक संसदीय समिति या स्थायी समिति गुप्तचर विभागों के कार्य पर निगरानी तथा उनका समन्वय करने के लिए होनी चाहिए। जब पाकिस्तानी सेना को हमारी इन सब बातों की जानकारी है तो भारतीय संसद को क्यों न हो ? सुरक्षात्मक मामलों में अधिक स्पष्टता और पारदर्शिता की आवश्यकता होती है।

कर्मचारी आयोजन के लिए एक स्थायी नीति होनी चाहिए, जो भारत में नहीं है। श्री राजीव जी के समय में कर्मचारी भावी आवश्यकता आयोजन का विचार हुआ था। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् के साथ-साथ ऐसी समिति भी शीघ्र गठित की जाये क्योंकि सेवाओं में अफसर एक स्थान तथा पद से अन्यत्र बदलते रहते हैं दो वर्षों पश्चात्। चूंकि आयोजना का काम अब पेचीदा और जटिल हो गया है, अत: इसमें कुछ विशेषज्ञ होने चाहिए।

श्री जसवंत सिंह ने भी जनशक्ति के बारे में कहा है। भारतीय सैनिकों को अत्यन्त कठिनाइयों में काम करना पड़ता है। मैं स्वयं छ: महीने सियाचिन में सेना में काम करता रहा। हमें एक चौकी को तेल देने के लिए दो रातों तक तेल के बैरल उठाने पड़े। जुराबें फट गईं, फिर भी चलना पड़ा। काश्मीर जैसे स्थानों में विद्रोहियों से जब मुकाबला करना पड़ता है तो गोली कहीं और किसी ओर से आ जाती है। सैनिक मनुष्य है। वह प्रतिक्रिया करता है। जब वह मानवाधिकार की बात करते हैं कि सैनिक उसके अनुसार काम करें, तो यह बहुत कठिन होता है। सैनिकों के मानव अधिकारों की बात कौन करेगा ? वे अपने परिवारों से बहुत दूर कठिनतम क्षेत्रों में कठिन मौसमों में काम करते हैं। उन पर रात को जंगलों में देहातों में गोली चलाई जाती हैं। प्रतिक्रिया में वे भी चलाते हैं क्योंकि मनुष्य हैं। आत्म रक्षा अनिवार्य है। भारतीय सैनिक ने चिरकाल से एक परम्परा निभाई है कि वह शास्त्रात्र का प्रयोग कम से कम करता है और क्षमा के साथ जहां असैनिकों से उसे व्यवहार करना होता है। भारतीय सेनाओं के संबंध में एक कर्मचारी नीति होनी चाहिये। क्योंकि उनको बड़ी अमानवीय एवं कठिन परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। सियाचिन में तो जीने की इच्छा भी समाप्त हो जाती है क्योंकि वह बर्फ खण्ड है। उस ऊचाई पर भारत और पाकिस्तान ही लड़ने की क्षमता रखते हैं। जब मैं वहां तैनात था मानीय अध्यक्ष महोदय वहां गये थे सियाचिन की समस्या को हमें तुरन्त हल करना चाहिये।

सेनाओं के लोग युवावस्था में सेवानिवृत्त किये जाते हैं। किसी भी सैनिक को पैदल सेना में चालीस वर्ष की आयु तक रहने नहीं दिया जाता। उसे प्रति वर्ष 10 मील दौड़ना तथा परीक्षा देनी पड़ती है और दो मील दौड़ परीक्षा भी पास करनी पड़ती है। शारीरिक अभ्यास करने पड़ते हैं, ताकि वह पैदल सेना में काम करने में सक्षम रहे। इसलिए मेरा सुझाव है कि पैदल सेना के सैनिकों की कलर सर्विस की अवधि घटाकर सात वर्ष तक कर देनी चाहिए और उनको सीमा सुरक्षा बल, अर्ध-सैनिक बल, राष्ट्रीय रालफल, राज्य पुलिस आदि में भेजना चाहिए। इससे पेंशन का भार कम होगा और सेना जवान रहेगी। अब सेवा निवृत्ति के बाद उनको अर्ध-सैनिक बलों में लेते हैं। कोई भी पुन: वहीं काम करने नहीं जाना चाहता। इसलिए कलर सर्विस घटाइये। इसे रक्षा, गृह कार्य दोनों मंत्रालयों में सराहा है। फिर इसे लागू क्यों नहीं किया जाता ? जनशक्ति नीति हेतु एक समिति गठित की जानी चाहिए। हम स्वीकार तो करते हैं किसी बात को, परन्तु उसे समन्वय नहीं करते कार्यन्वित नहीं करते।

हमें ऐसी व्यवस्था तथा नीति तय करनी चाहिए कि असैनिक सेवा में केन्द्र या राज्य में जाने से पूर्व व्यक्ति को कुछ समय तक रक्षा सेना में काम अवश्य करना चाहिए। इससे राष्ट्रीय इच्छा शक्ति तथा पूर्व निश्चय का विकास होगा, जो देश के लिए लाभदायक सिद्ध होगा।

वेतन, भत्तों, सुविधाओं के संबंध में मैं कहूंगा कि हमें सैनिकों की इन चीजों के लिए इनको असैनिक कर्मचारियों के बराबर नहीं रखना चाहिए। वेतन संबंधी निर्णय तो पाचवां वेतन आयोग करेगा। सैनिकों से अपेक्षाएं असैनिक कर्मचारियों से सर्वथा भिन्न होती हैं। मैं जब पैदल सेवा में सैनिक था तो पांच वर्षों में केवल दो वर्ष शान्ति वाले स्थान पर रह सकते थे। उनको वहां भी आन्तरिक सुरक्षा कार्य पर लगा दिया जाता है। वह मुश्किल से कभी अपने परिवार के पास ठहर पाता है। परन्तु उसकी तुलना सप्लाई या आपुध कर्मचारियों के साथ करना ठीक नहीं है। दोनों को एक ही वेतन देना भी ठीक नहीं। फिर पैदल सेना में काम करने के लिए क्या प्रोत्साहन रहा, जब वेतन समान हो ? श्री जसवंत सिंह ने ठीक ही कहा है कि इन्टर-मिलिटरी

अकादमी का अफसर पैदल सेना या लड़ाकू कोर में जाना नहीं चाहता, क्योंकि दोनों को समान वेतन मिलता है। जब अफसर को फील्ड में तैनात करते हैं तो उसे दो स्थापनाएं रखनी होती है। परन्तु सप्लाई आदि कीरों वालों की यह स्थिति नहीं होती, उसे सब चीज मिलती है और वह शान्ति वाले क्षेत्र में रहता है। पदोन्नतियां भी पाता है।

जब मैं सियाचिन में सेवा में था, मुझे वहां रहने का भत्ता 250 रुपये के लगभग मिलता था। लोग कहते हैं हम 250 रुपये सरकार को देंगे, सैनिक को नहीं। यह वास्तविकता है। वहां काम करने की स्थितियों की कठिनाइयों के अनुसार भत्ता देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि तुरंत लड़ाकू भत्ता शुरू करना चाहिए। जब कोई बख्तर बन्द सेना या पैदल सेना में प्रविष्ट हो तो उसे प्रोत्साहन के रूप में इकट्ठी राशि दी जानी चाहिए।

सेनाओं में पदोन्नतियों का मेरा अनुभव बहुत खराब रहा है। पहले परम्परा अच्छी थी, परन्तु सर्वत्र व्याप्त खुशामदगी तथा जी हजूरी ने स्थिति को बिगाड़ दिया है। जो फील्ड में काम करते हैं, प्रशंसनीय काम के लिए प्रशंसापत्र लेते हैं, उनको पदोन्नति नहीं मिलती। ऐसी अनेक मिसालें मैं दे सकता हूं। 'तुलनात्मक योग्यता' मुझे समझ में नहीं आती, उसका आधार क्या है और मापदण्ड क्या ? फील्ड सेवा के मापदण्डों को देखिए। क्या उनको सभी लाभ नहीं मिलने चाहिए और क्या वे लाभ फील्ड सेवा से बाहर के लोगों की झोली में डालने चाहिए। यह जांच-पड़ताल का विषय है।

प्रादेशिक सेना नीति को लीजिये। रक्षित बलों के प्रश्न पर विचार हेतु अभी हाल में एक समिति गठित की गई है। प्रादेशिक सेना की धारणा को देखते हुए एक स्थायी सेवा और बडा रक्षित बल होना चाहिए। ताकि तत्काल अपेक्षित सेना आश्यकता के स्थान पर भेजी जा सके। जहां सरकारी उपक्रम हों, वहां प्रादेशिक सेना हो, ऐसा विचार रखकर प्रादेशिक सेना आरम्भ की गई थी।

उपकरण नीति के बारे में श्री जसवंत सिंह काफी कह चुके हैं। मुझे वायु सेना के हल्के लड़ाकू विमान या एल॰ एच॰ के बारे में कुछ कहना है। एअर इण्डिया भी धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। हम एक प्रशिक्षक एल॰ सी॰ ए॰ का निर्माण कर रहे हैं। तर्कसंगत बात यह होगी कि हम एक उन्नत जैट ट्रेनर बनाएं, एल॰ सी॰ ए॰ बनाना शुरू करने से पहले। हमें सीधे बहुत कठिन चीज आरम्भ करने से पहले प्रौद्योगिकी प्राप्त करनी चाहिए थी। उन्नत जेटे ट्रेनर हमारे पास अब तक तैयार होने चाहिए थे, फिर एल॰ सी॰ ए॰ आसानी से बन सकता था। गवेषणा तथा विकास के बारे में यह पहलू ध्यान में रखना जरूरी है।

श्री जसवंत सिंह ने प्रशिक्षण के बारे में जो कुछ कहा उससे मैं सहमत हूं। अपनी 15 वर्षों की सैनिक सेवा में मैंने एक महीने की भी व्यक्तिगत ट्रेनिंग नहीं की होगी। कम्पनी कमांडर के नाते मैं निराश होता था कि मेरे सैनिक कहीं घास काट रहे हैं। महिलाओं को बिठाये कारें घूम रही हैं। यह सशस्त्र सेनाओं की संस्कृति नहीं है। जनशक्ति के दुरुपयोग को रोकना होगा। पहले 'थकान-फैटीग' उन लोगों के लिए होती थी जिन्होंने अनुशासनहीनता या अपराध किया हो। परन्तु आज 2 बजे दोपहर को पैदल सेना के जवानों को घास काटने के लिए अपने हाथ में दराती लिये पंक्ति बद्ध खड़े देखा जा सकता है प्रतिदिन। मैं तीन वर्षों तक इस बारे में चुप रहा। अब श्री जसवंत सिंह द्वारा इसका उल्लेख किये जाने पर मुझे भी अपने विचारों को अभिव्यक्ति देनी पड़ी।

आवास के बारे में मैं श्री जसवंत सिंह की बात से सहमत हूं कि सशस्त्र सेनाओं के लोगों को आवास की सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए। मिल्टिरी इंजनियरी सेवा तथा उनके सेवा के गुण प्रकार के बारे में कुछ करना होगा, उसे अधिक कुशल बनाना होगा, उसके काम के स्तर को उठाना होगा।

रक्षा मंत्रालय की भूमि की बिक्री के प्रस्ताव पहले आये थे। मैं समझता हूं कि इन भूमियों का उपयोग सैनिक प्रशिक्षण, खेलों, कल्याण कार्यों या भूतपूर्व सैनिकों के लाभार्थ किया जाना चाहिये। इसे सबका समर्थन प्राप्त होगा।

उच्चतम न्यायालय ने आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत तक बांध दी है। सरकार को भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण करने हेतु कुछ अवश्य करना चाहिए।

भूतपूर्व सैनिकों का निगम बनाने का विचार उत्तम है, कुछ राज्यों ने घोषणा कर दी है किन्तु अनेक ऐसे निगम अभी बननी शेष हैं। भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके बच्चों को रोजगार देने के संबंध में मैं जोरदार अपील करता हूं। सी॰ एस॰ डी॰ या कैंटीन स्टोर डिपार्टमैंट बहुत बड़ा है, उसमें अनेक उपभोक्ता वस्तुएं होती हैं जो भारतीय सेना को दी जाती है। इनमें से कम से कम 100 वस्तुएं उन भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी सरकारी समितियों के लिए आरक्षित कर दी जाएं जिन्होंने उनका निर्माण किया है। इससे भूतपूर्व सैनिकों के लिए अपने रोजगार का बड़ा साधन उपलब्ध होगा। इन्दिरा आवास योजना का विस्तार भूतपूर्व सैनिकों के लिए भी किया जाये क्योंकि इस योजना का स्वागत सेवारत एवं सेवानिवृत्त सैनिकों में हुआ है।

प्रक्षेपणास्त्रों का उल्लेख मैं कर चुका हूं। अप्रसार सन्धि के बारे में मैं श्री जसवंत सिंह की बात से सहमत हूं कि इस महीने की 10 तारीख तक एक सर्वसम्मत संकल्प इस सभा द्वारा पास किया जाये, भाषा कुछ भी हो, परन्तु यह भारत की नीति के अनुरूप हो कि भारत अप्रसार सन्धि के अनिश्चित काल के लिए और बिना शर्त विस्तार का विरोध करता है। भारत को ऐसी संधि की मांग करनी चाहिए जो सब राष्ट्रों से समानता का व्यवहार करे। हम एक समान एवं विश्व जवीन सन्धि बनाने के प्रयोजनार्थ, पुनरीक्षण हेतु कुछ निश्चित समय के लिए और शर्तों पर इस अप्रसार सन्धि के विस्तार की अनुमति दे सकते हैं।

सामरिक तथा सुरक्षात्मक अध्ययन संबंधी फोरम ने राजीव गांधी एक्शन प्लान को सुधार कर तक समय-बद्ध योजना तथा प्रस्ताव पेश कर दिया है, जिसमें सन 2035 तक परमाणु अस्त्रों की पूर्ण समाप्ति की मांग है। आण्विक आतंकवाद दुखदायी और दुर्भाग्यपूर्ण है। छोटे देश अमरीका में जा कर अनुसंधि पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्योंकि आकार छोटे होने के कारण उनको प्रमाणु खतरा नहीं। वे यह नहीं अनुभव कर रहे हैं कि उनको भी परमाणु आतंकवाद का शिकार होना पड़ सकता है। इस बारे में न्यूयार्क में प्रचार करके सही स्थिति समझाने की जरूरत है। हम तो कर रहे हैं, परन्तु किसी और को भी इस पहलू को उजागर करना चाहिए। अप्रसार सन्धि का विस्तार बिना शर्त के और अनिश्चित काल के लिए होने नहीं देना चाहिए।

अन्त में मैं देश की प्रतिष्ठा तथा शक्ति पुन: प्राप्त करने के लिए सरकार को धन्यवाद देता हूं। हमारा देश स्वतंत्रता सेनानियों और शूरवीरों तथा सैनिकों की कुर्बानी से बना तथा प्राचीन संस्कृति समान है, जिसका हमें गर्व होना चाहिए और हमें इसकी रक्षा करने के लिए हर प्रकार का बलिदान करने के लिए सन्नद्ध रहना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : अब भी अमलदत्त अपना भाषण शुरू कर सकते हैं। भारतीय कम्यूनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) के लिए 32 मिनट का समय दिया गया है।

**श्री अमल दत्त (डायमण्ड हार्बर)** : महोदय, सभा में अनुपस्थिति के बारे में जो कहा गया है उस पर टिप्पण करके मैं अपनी बात शुरू करूंगा।

**श्री सुधीर सावंत** : अब इसमें सुधार हुआ है।

**श्री अमल दत्त** : इसमें कुछ सुधार हुआ है। हर वर्ष और हमेशा ऐसे ही कहा जाता है इसका कारण बहुत ही साधारण है क्योंकि जिन सांसदों ने रक्षा सेनाओं में सेवा नहीं की होती, उनको रक्षा संबंधी मामलों की जानकारी बहुत कम होती है। जब सरकार ही सब प्रकार के प्रश्नों के उत्तर देने से इनकार करती है और प्रश्न स्वीकार नहीं करती, सुरक्षा नीति या ऐसी ही कोई बात कहकर तो सांसद रक्षा संबंधी मामलों से कैसे अवगत हों। अत: दोष सरकार का है और रक्षा के मामलों को गुप्त रखने की सरकार की नीति का है, जो ब्रिटिश सरकार की उन्नीसवीं सदी की नीति है जिसे हम अपनाये हुए हैं और वे त्याग रहे हैं। मैंने पढ़ा है कि 1970 की शताब्दि में अमरीका की तीनों सेनाओं में आटम विश्लेषण किया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप तीनों सेनाओं के लड़ाई के सिद्धान्तों और तरीकों में आमूल परिवर्तन किया गया। उन पर जनता में चर्चा हुई, सुझाव आये और वाद-विवाद हुए खुले रूप से तथा जनता में खुली चर्चा के बाद एक मामले में छ: वर्ष बाद तथा एक में दो वर्ष बाद, अनुभव तथा जनता के मतों को ध्यान में रखते हुए, नियमावलियों में परिवर्तन किये गये। उनकी नियमावलियां और दस्तावेज कि लड़ाई कैसे लड़ी जाये। हर किसी इच्छुक को उपलब्ध हो सकता है। परन्तु हमारे देश में तो पृष्ठ "प्रतिबंधित" या "अति गुप्त" जैसे संकेतों से छपता है, जिसे कोई देख भी नहीं सकता।

1993 से रक्षा संबंधी स्थायी समिति रक्षा बजट की जांच पड़ताल करने का प्रयास कर रही है और इस वर्ष इसने 1990-91 में श्री अरूण सिंह, तत्कालीन रक्षा मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा तैयार की गई रपट को देखना चाहा। समिति रक्षा व्यय तथा उसमें कमी करने के बारे में विचार कर रही थी। परन्तु वह रपट इसको उपलब्ध नहीं की गई। वह रपट सरकार को 1991 में दी गई थी और आज 1995 में भी इतनी गुप्त समझी जाती है कि संसदीय स्थायी समिति के सामने भी जोकि रक्षा बजट की जांच पड़ताल कर रही है, मांगने पर भी, पेश नहीं की जाती। सरकार का जब ऐसा रवैया है तो संसद रक्षा संबंधी वाद-विवाद में कैसे रूचि ले सकते हैं।

समिति को सरकार द्वारा बहुत ही कम जानकारी दिये जाने के कारण इसके हम कुछ सदस्य इस समिति से हटाने का विचार कर रहे हैं। क्योंकि कोई लाभकारी एवं उपयोगी चर्चा संभव नहीं है। ब्रिटेन, अमरीका में अनेक सांसद ऐसे हैं जो पहले किसी न किसी रूप में किसी पद पर किसी एक सेना में कार्य कर चुके होते हैं। उससे पूर्व हर किसी को दो वर्ष तक राष्ट्रीय सेवा में जाना पड़ता है और कुछ लोग और तीन वर्षों के लिए उसमें जाते हैं। अत: उनको रक्षा संबंधी विषयों का अच्छा ज्ञान होता है। परन्तु हमारे देश में यह बात नहीं है। अब तो सरकार को, दूरदर्शन, आकाशवाणी, समाचारपत्रों, पत्रिकाओं आदि के द्वारा सब बातों की जानकारी के प्रसार के युग में, जिसमें गुप्त बातें तथा रक्षा संबंधी गोपनीय तथ्य भी अन्य देशों को मालूम हो जाते हैं, इन सब बातों की जानकारी भी अपनी जनता तथा सांसदों के सामने लानी चाहिए, जो अन्यथा शत्रुओं के पास पहले ही पहुंची होती हैं। अरुण सिंह समिति की रपट अमरीकी रक्षा सेवाओं या सी॰ आई॰ एफ॰ के पास उपलब्ध हो सकती है। परन्तु हमारी अपनी स्थायी समिति को दिखाई तक नहीं जाती, यह दुख की बात है ?

महोदय, सुरक्षा नीति तथा एक राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद स्थापित करने की आवश्यकता के बारे में कुछ टिप्पणी की गई है। रान कारपोरेशन ने भारतीय रक्षा सामरिकी के बारे में अध्ययन किया था। रपटों में निष्कर्ष निकाला कि भारतीयों को सामरिकी के प्रति न पहले जागरूकता थी और न अब है, और इसका कारण है कि सामरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा नीति, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने की नीति होती हैं से उत्पन्न होती है। इसके लिए राष्ट्रीय हितों की परिभाषा सबसे पहले होनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो हमारा यह दोष नहीं कि राष्ट्रीय हित की नीतियों की परिभाषा नहीं की जा सकती। गत 45 वर्षों के सरकारें इसके लिए दोषी हैं और इसी कारण आज देश चारों ओर परस्पर विरोधी हितों की स्थिति में पड़ा हुआ है। यदि लोगों में कुछ बुनियादी चेतना देश की रक्षा संबंधी आवश्यकताओं के बारे में

पैदा नहीं की जा सकती, तो आप राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद भी नहीं बना सकते, और आज हम इस स्थिति में ही हैं, स्वतंत्रता प्राप्ति के 45 वर्षों बाद। अब भी कुछ किया जा सकता है और लोगों में कोई न्यूनतम चेतना जगाई जा सकती है ताकि कुछ राष्ट्रीय हित तय किये जा सकें, जिनकी रक्षा हेतु राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनाई जाये। तभी राष्ट्रीय सामरिकी बन सकती है।

आज हमारी सामरिकी अपनी सीमाओं की रक्षा उन सभी से करने की होनी चाहिए जो भी हमारी सीमा का अतिक्रमण करके हमें पादाक्रान्त करने की कोशिश कर रहे हैं, या इस ताक में हैं। अत: हमें राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनानी होगी और सामने आये या आ सकने वाले खतरों का समुचित आकलन करना होगा। नीतियों, उपलब्ध विकल्पों आदि सभी बातों का ध्यान रखने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का गठन शीघ्र किया जाना चाहिए, क्योंकि मेजर सावन्त ने कहा है कि वह गुप्तचर विभाग में थे जहां कोई समन्वय नहीं हैं।

**5.00 म. प.**

मैंने बहुत समय पहले समन्वय का सर्वथा अभाव देखा। कश्मीर में जो हुआ, वह अचानक हुआ, जिसने हमें आश्चर्य चकित कर दिया, क्योंकि हमें उसकी जानकारी नहीं थी। परन्तु गुप्तचर विभाग को जानकारी थी और उन्होंने वह जानकारी आगे दी। परन्तु जिन लोगों को उस पर विचार करके कार्यवाही करनी थी, उनमें समन्वय का सर्वथा अभाव था और वे उस जानकारी पर कार्यवाही करने में असमर्थ रहे। इसी प्रकार खाड़ी के युद्ध से भी हम हैरान हुए, हालांकि उस युद्ध की तैयारी में बहुत समय लगा था। परन्तु हमने उस युद्ध के संभावित परिणामों के लिए अपनी कोई तैयारी नहीं की। इस्लामी धर्मान्धता अचानक इरान से आई, जो वहां लम्बी अवधि से पनप रही थी, परन्तु हमें उसकी जानकारी नहीं थी। गुप्तचरी की प्रतीत विफलताओं के अनेक उदाहरण हमारे सामने हैं। परन्तु बात यह नहीं। गुप्तचर विभाग को सूचना मिली, परन्तु उस सूचना पर ध्यान नहीं दिया गया और तदनुसार कार्यवाही या तैयारी नहीं की गई। गुप्तचरी की सूचनाओं को ठीक तरह प्राप्त नहीं किया गया उनका समन्वय नहीं किया गया और समुचित कार्यवाही नहीं की गई। इन सब बातों के लिए आपको प्रतिरक्षा मंत्री चाहिए पूर्णकालिक या तो प्रधान मंत्री पूर्णकालिक रक्षा मंत्री बने या फिर पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया जाये। प्रतिरक्षा विभाग किसी बाहरी व्यक्ति को आकर उनकी बातों को समझने या जानने नहीं देता। इसके दो कारण हैं, एक तो वे जो नहीं चाहते कि दूसरा व्यक्ति उनके काम को देखे और बाहर आलोचना करे। दूसरा कारण है कि वे अपनी जानकारी में किसी को भागीदार बनाना नहीं चाहते, क्योंकि जानकारी आज के संसार में एक शक्ति है, जिसमें वे बाहरी व्यक्ति का हिस्सा नहीं होने देते। उनको देश की सुरक्षा की चिन्ता नहीं है, और इसी कारण वे सांसदों और संसदीय समिति को भी जानकारी देने को तैयार नहीं है।

पण्डित जवाहर लाल नेहरू ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् गठित करने का किसी समय वचन दिया था। राजीव गांधी ने एक परिषद गठित की सरकारी कार्यपालक आदेश द्वारा, परन्तु वह कोई संतोषजनक व्यवस्था नहीं थी। वह तीन स्तर की व्यवस्था थी जिसमें बाहरी लोग, सांसद और शास्त्रीय ज्ञान वाले लोग थे, और उनको परामर्श देने की हैसियत थी। वह आज की हालात से बेहतर थी, आज तो किसी को भी पता नहीं कि इस क्षेत्र में क्या हो रहा है कि आसूचना क्या है, उसका क्या तथा कैसा उपयोग करना है और नीतियां कैसे बनानी और कार्यान्वित करनी हैं, जिनके प्रभाव दस-पन्द्रह वर्ष बाद दिखाई देते हैं। हमें पता नहीं हमारे देश की क्या स्थिति होगी आज से पन्द्रह वर्ष बाद अपने देश को बचाने के बारे में, और अन्य देशों की तुलनात्मक स्थिति क्या होगी। हमें यह मालूम होना चाहिए। हो सकता है कि स्थायी समिति के सामने कुछ बातों का रहस्योद्घाटन हुआ हो। परन्तु उन देशों से क्या खतरे हमारे सामने आयेंगे, यह जाने बिना उस रहस्योद्घाटन का क्या उपयोग है ?

प्रयोगशालाओं में क्या हो रहा है ? मेरे पास एशिया स्ट्रैटेजी रिब्यू नामक ऐसी पुस्तक हैं, जिसमें बताया गया है कि कम से कम एक देश में प्रयोगशालाओं में क्या उपलब्ध है, जिसने संसार के सामने अपने द्वार खोले हैं और वह आज का रूस है। उसमें कल के लिये हथियारों का भी रहस्योद्घाटन है। मैं चाहता हूं कि हमारा देश उसके साथ हथियार प्राप्त करने के लिए और संयुक्त रूस से उत्पादन करने आदि के बारे में किसी प्रकार का करार करके अपने आप को लाभ पहुंचाये। सरकार को ऐसी जानकारी प्राप्त करनी चाहिए तथा स्थायी समिति, और सांसदों को बतानी चाहिए, ताकि समिति में और सभा में तथा राष्ट्रीय स्तर पर उद्देश्यपूर्ण चर्चा की जा सके।

इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद् शीघ्र गठित की जाये और उसे पहले वाली व्यवस्था से बेहतर स्थिति प्रदान की जाये। इसके कामों में खुफिया सूचना एकत्र करना उसका समन्वय और समुचित उपयोग करना, रक्षा नीति बनाना, उसे कार्यान्वित करना और रक्षा सामरिकी बनाना तथा उपयोग में लाना आदि हो इसमें रक्षा संस्थानों के अधिकारी तथा बाहर के लोग भी हों।

यह परिषद आन्तरिक खतरों में भी ध्यान दे और उनके निपटने के लिए जरूरी शास्त्रास्त्रों का विचार करे और रक्षा एवं रक्षा उद्योगों के लिए अपेक्षित संरचना की व्यवस्था करे और रक्षा संबंधी मामलों के लिए समुचित तैयारी पर ध्यान दे। ऐसी स्थिति उत्पन्न करके एक या दूसरे स्थान के खतरों से देश की रक्षा की जा सकती है।

इसके अलावा श्री जसवन्त सिंह ने चीन द्वारा हथियारों की प्राप्ति का उल्लेख किया है। चीन अपनी सेना को आधुनिक रूप दे रहा है। चीन की तीनों सेनाएं बहुत पुरानी हैं, उनके आधुनिकीकरण में कोई हर्ज नहीं। श्री जसवंत सिंह ने चीन के इरादों पर सन्देह व्यक्त किया है और उनके क्षेत्र विस्तार तथा रहने के स्थान को बढ़ाने और सामरिक सीमाओं को पुनर्निधारित करने के इरादों का उल्लेख किया है। हमें चीन के वास्तविक इरादों को अवश्य

जानना चाहिए। उन्होंने अपनी तीनों सेनाओं, उपकरणों, शास्त्रास्त्रों का आधुनिकीकरण किया है और पाकिस्तान को हथियार भी दिये हैं। अत: हम इन सब बातों को लापरवाही से नहीं देख सकते। उन्होंने टैंक, विमान, एम-11 प्रक्षेपणास्त्र, परमाणु बम ट्रिगर और कुछ परमाणु प्रौद्योगिकी तथा प्रेक्षपणास्त्र प्रोद्योगिकी दी है। वे क्यों ऐसा कर रहे हैं ? हमने उनको ऐसा करने से रोकने हेतु क्या प्रयास किए ? हमने बेहतर आर्थिक संबंध, रक्षा संबंध और कई प्रकार के रक्षा उपकरणों के निर्माण हेतु संयुक्त उत्पादन करने के लिए चीन के साथ घनिष्ठता बनाने के लिए क्या प्रयास किये हैं ? ऐसे उपकरणों का संयुक्त उपक्रमों द्वारा उत्पादन किया जाये तो हमें वो उपकरण बाहर से न मंगवाने पड़ें। हमने इस दिशा में क्या प्रयास किये हैं, यह मालूम नहीं, परन्तु प्रतीत होता है कि हमारे प्रयास नगण्य हैं।

हमारी सरकार को सोचना चाहिए कि वह चीन को इस प्रकार सोचने के लिए प्रेरित करे कि यदि चीन और भारत इकट्ठे हो सकें, तो उसका सहाक्रियात्मक प्रभाव अत्यधिक होगा। इसीलिए कुछ लोग इन दोनों को पृथक रखने के प्रयास में संलग्न हैं। इसलिए दोनों देशों के बीच संदेह विद्यमान है। मैं समझता हूं कि सरकार ने इस दिशा में अपेक्षित प्रयास नहीं कियें हैं सरकार को इस दिशा में ठोस प्रयास करके हालात को सुधारना चाहिए।

एन॰ पी॰ टी॰ और कोकोम सन्धियों के लिए बैठक बुलाई गई है तथा सभी का यह मत है कि भारत अप्रसार सन्धि पर हस्ताक्षर नहीं कर सकता, बल्कि सकल परमाणु प्रतिबंध सन्धि पर हस्ताक्षर करने को तैयार है जैसा कि श्री जसवंत सिंह जी ने भी कहा है कि धीरे-धीरे ऐसा किया जा सकता है या नहीं मैं नहीं जानता कि अप्रसार सन्धि प्रभावी नहीं है, क्योंकि अमरीका तब चुप रहा जब पाकिस्तान चोरी छिपे परमाणु हथियार बनाने की प्रौद्योगिकी तथा पुर्जे प्राप्त कर रहा था। अमरीका में हाल ही में छपी एक पुस्तक में यह उजागर किया गया है कि अमरीका का वाणिज्य विभाग पाकिस्तान को प्रतिबंधित वस्तुएं देने वाली फर्मों को प्रोत्साहन दे रहा था जबकि यह फर्मे यह सब प्रतिबंधित सामान पाकिस्तान को निर्यात नहीं कर सकती थी। उन्होंने स्वयं अमरीकी सरकार को बताया था कि पाकिस्तान प्रतिबंधित वस्तुएं मांग रहा है, जिनको देने की मांग उनसे नहीं की जा सकती। परन्तु वाणिज्य विभाग ने उनको वे वस्तुएं पाकिस्तान को देने को बाध्य किया। अमरीका का यह दो-मुखी रवैया है। पहले इसी प्रकार अमरीका ने इराक को ऐसी ही सैन्य सामग्री दी थी। प्रौद्योगिकी तथा महत्वपूर्ण पुर्जे दोनों ही अमरीका ने इराक को सप्लाई किए हैं, ताकि इराक अमरीका के लिए मध्य पूर्व में एक प्रकार से पुलिस मैन के रूप में हथियार बन्द देश बना रहे। परन्तु उसने अमरीकी हितों पर चोट करना जब शुरू किया। अत: इस सभा को इस महीने की 12 तारीख से पहले एन॰ पी॰ टी॰ तथा कोकोम के बारे में सर्वसम्मत संकल्प पारित करना चाहिए, जिसे सभी दल मिलकर बना सकते हैं और सर्वसम्मति से सभा से पास करवा सकते हैं। उससे परमाणु हथियार प्रतिबंध सन्धि की ओर हमारे देश की प्रगति होगी।

परमाणु अस्त्रों के उपयोग के बारे में हमें अपना रवैया पुन: परिभाषित करना चाहिए। पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधान मंत्री श्री नवाज शरीफ के अकाट्य वक्तव्य को देखते हुए कि पाकिस्तान के पास परमाणु बम है और उनको बनाने की क्षमता व सामर्थ्य भी है। अमरीकी कांग्रेस के सामने आये साक्ष्य कि परमाणु बम का उपयोग करने के मामले में पाकिस्तानी सेना न तो अपने राजनीतिक नेताओं से सलाह करेगी और न ही उनको बताएगी यदि चुनाव जीत कर आए हुए राजनैतिक नेतृत्व की यह स्थिति है तो भारत को अपने भावी कार्यक्रम के बारे में सोचना विचारना चाहिए। कि वह इस संबंध में क्या कार्यवाही करेगा तथा परमाणु नीति के प्रयोग के बारे में विश्व के समक्ष इसका स्पष्ट दृष्टिकोण क्या होगा। परमाणु बम बनाने में कई सप्ताह लगते हैं और यदि बम बना हुआ हो तो इसे छ: घंटों में शक्ति सम्पन्न बना कर प्रयोग में लाया जा सकता है। ऐसा भी किया जा सकता है कि इन बमों को बाद में शक्ति सम्पन्न बनाया जाए।

प्रक्षेपणास्त्रों संबंधी स्थिति विचित्र है कि हम नहीं जानते और न ही बता सकते कि हम क्या करना चाहते हैं।

**5.14 म॰ प॰**

**(श्रीमती संतोष चौधरी पीठासनी हुई)**

क्या हम परमाणु ब्रमों और प्रक्षेपणास्त्रों को प्रतिरक्षा के अस्त्रों के रूप में उपयोग में लाना चाहते हैं या केवल अवरोधक के रूप में। यदि उनका अवरोधक स्वरूप है तो यह बात हमें स्पष्ट कहनी चाहिए। तभी तो वे अवरोधक होंगे, अन्यथा नहीं। समस्या हमारे देश को अहिंसात्मक मानने से उत्पन्न हुई है। क्योंकि उस हालत में प्रक्षेपणास्त्र और परमाणु बम घृणा की वस्तुएं हो जाती हैं। यह बताये बिना कि यदि मुझ पर आक्रमण हुआ तो मैं अवरोधकों का प्रयोग करूंगा, अवरोधकों का क्या उपयोग है यह स्पष्ट किया जना चाहिए अन्यथा हमारी प्रतिरक्षा तैयारी और नैतिक बल एवं मनोबल कमजोर होता है।

सेना तथा अन्य सैनिक बलों की तैयारी किस प्रकार की है इस संबंध में हमें बताया गया है कि हमारी बख्तरबद कोर में बहुत कमियां हैं। नौवीं दशाब्दि के उत्तरार्ध से हम एक टैक पर बड़ा भरोसा रखते आ रहे हैं और इस सभा में भी उसके बारे में आश्वासन दिया गया था। 1984 में श्री वेंकट रामण, तत्कालीन प्रतिरक्षा मंत्री ने प्रतिरक्षा संबंधी चर्चा का उत्तर देते हुए सभा में आश्वासन दिया था कि चार वर्षों में एम॰ बी॰ टी॰ अर्जुन सेना को उपलब्ध होगा। क्योंकि तब सभा में हमने यह प्रश्न उठाया था कि एम॰ बी॰ टी॰ के विकास के संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है ? परन्तु अभी तक ऐसा नहीं हुआ पिछले पांच सालों से परीक्षण चल रहे हैं। वर्ष 1989-90 ऐसा ही चल रहा है परन्तु सेना अभी तक संतुष्ट नहीं है। हो सकता है कि उसको बार-बार उन्नत करने के प्रयास कियें जा रहे हैं। परन्तु इतना अधिक समझ लगने से कठिनाइयां बढ़ती

हैं, कम नहीं होती। प्रयोक्ता तो यही चाहता है कि इसमें यदि किसी अन्य देश में कुछ सुधार किए गए हैं तो वह भी शामिल किए जाएं। उन्नति और सुधार तो उत्पादन के बाद भी लगातार होते रहेंगे इस टैंक का शीघ्र उत्पादन किया जाना चाहिए।

अन्य दो प्रकार के रूसी मूल के टैंकों टी-72 तथा टी-55 का आधुनिकीकरण एवं वर्गोन्नति हो रही है, परन्तु हमें बताया गया है कि कुछ मुख्य पुर्जे उपलब्ध नहीं हैं जैसे टैक्टिकल फायर कंट्रोल (रणयुक्ति गोला चालन नियंत्रण) जिसके बिना टैंक बेकार है। उनका आधुनिकीकरण बहुत पहले किया जाना चाहिए था। तब संभवत: यही सोचा गया होगा कि इनकी जगह एम॰ वी॰ टी॰ का प्रयोग किया जाएगा।

श्री जसवंत सिंह ने स्वचालित बन्दूकों के बारे में कहा। बोफर तथा उससे उत्पन्न संभ्रम के कारण वह कम्पनी भ्रष्ट मानी गई है। उन कमियों को दूर नहीं किया गया परन्तु अब शीघ्र किया जाना चाहिए और प्रतिरक्षा सेवाओं को अपेक्षित धन उपलब्ध कराया जाये।

अधिकतम लाभ उठाने की दृष्टि से भरती, प्रशिक्षण और आयोजना पर विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है। हमारी सेना दस लाख के लगभग है, जो बहुत बड़ी है, छोटी होनी चहिए। परन्तु उसमें पर्याप्त रक्षित सेना हो, जो तैयार रहे और शीघ्र अपेक्षित स्थान पर ले जाई जा सके। प्रशिक्षण तथा लड़ने की तैयारी खूब जोरों पर हो, सैनिकों की छुट्टियों के अतिरिक्त उनको इन कामों पर ही लगाये रखा जाना चाहिए।

विश्व के कई देशों में, अमरीका, रूस, शायद चीन में भी, काफी बड़ी स्थायी सेनाएं हैं, रूस की सेना आज 25 लाख है वे सेनाओं तथा उनके प्रशिक्षण को आधुनिक रक्षा दे रहे हैं और युद्ध का प्रशिक्षण भी नकली सैनिक कार्यवाहियों द्वारा दे रहे है। वे तत्काल प्रतिक्रिया की विचारधारा को भी सेना के प्रशिक्षण में लाये हैं, अर्थात् द्रुत गति सैनिक कार्यवाही बल मुख्य सेना को हिलाये बिना ये स्वतंत्र सैनिक टुकड़ियां अपेक्षित शास्त्रास्त्रों तथा उपकरणों की सहायता से शीघ्र प्रतिक्रिया करती हैं और शत्रु का आक्रमण विफल करने की क्षमता रखती हैं। हमें भी इससे आवश्यक शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए।

हमारी सेना भी आत्मनिर्भर छोटी स्थल सेना है जो सदा सतर्क रहती है और द्रुतगति नियोजन बल आदि का प्रयोग वहां करते हैं जहां दो-तीन दिनों में शीघ्र सेना भेजने की आवश्यकता हो, फिर सेना तब तक पहुंच जाती है। हमारा यह नियम है। मैं दूसरों की नकल करने की बात नहीं कहता, परन्तु जो हमारे लिए आवश्यक है, उसे हमें अपने वातावरण के अनुसार अपनाना चाहिए। मैं नहीं जानता कि हमें क्या विकल्प अपनाना चाहिए प्रतिरक्षा मंत्रालय को वर्तमान एवं भावी खतरों को देखते हुए यथावश्यक कार्यवाही करनी चाहिए।

जो युवक सेना में भर्ती किये जाएं वे शारीरिक और मानसिक दोनों दृष्टियों से चुस्त और कुशल हों। मस्तिष्क के विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिये क्योंकि भावी युद्ध अधिक प्रौद्योगिकी पर आधारित होगा। कई बार सैनिक अकेला या किसी छोटे दल के साथ अपने नेता के बिना होता है, तब उसे स्वयं निर्णय लेना होता है, ऐसे ही ग्रुप लीडर को भी दूरगामी प्रभाव वाले निर्णय लेने पड़ते हैं। इसके लिए वे सक्षम हों, ऐसी व्यवस्था करनी होगी। अब हथियार भी पहले से अधिक विनाशक हो रहे हैं। उनको उन्नत प्रौद्योगिकी वाले हथियारों और निगरानी तथा संचार के उपकरणों का प्रयोग करना होगा। अत: शरीर और मन से इन सब कार्यों के लिए सेनाओं में उपयुक्त व्यक्ति हो यह सुनिश्चित किया जाये।

समय-बद्ध या अवधिबद्ध प्रशिक्षण की पुरानी परम्परा के स्थान पर अच्छे गुण प्रकार वाला प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। जब तक आप एक काम में प्रवीणता प्राप्त नहीं कर लेते तब तक दूसरे प्रकार के प्रशिक्षण में पड़ने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। प्रशिक्षण के गुण प्रकार बदल कर उसे और उन्नत करना चाहिए। आज तक प्रशिक्षण कार्य इलेक्ट्रानिक और लेजर प्रणाली और कम्प्यूटर की निगरानी में चलता है। युद्ध वाली स्थितियों में सामूहिक तथा व्यक्तिगत कार्य-निष्पादन को देखा और आंका जा सकता है। हमें सेनाओं में सानुरूपक युद्ध प्रशिक्षण जारी करना चाहिए, ताकि अयत्र ऐसा प्रशिक्षण पाने वाले शत्रु का हम ठीक से मुकाबला कर सकें। एक समय अमरीका और रूस में ऐसी व्यवस्था आरंभ हुई। अन्य देश भी यह प्रशिक्षण शीघ्र प्रारम्भ कर सकते हैं। इसके साथ ही हमें अपने देश में युवकों को कुछ सैनिक प्रशिक्षण अवश्य देना चाहिए। एक सुझाव यह भी दिया गया है कि विश्व विद्यालय में प्रवेश से पहले एक निश्चित अवधि के लिए सैनिक प्रशिक्षण की अनिवार्यता रखनी चाहिए। अनुशासन का प्रशिक्षण अवश्य देना होगा। इसे विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए योग्यता मानी जाना चाहिए।

वायु सेना को जितना महत्व मिलना चाहिए, नहीं दिया गया, जो इस वर्ष के उसके वजट की कमी अर्थात केवल 25.7 प्रतिशत होने से स्पष्ट है जबकि पिछले साल बजट 27.8. प्रतिशत था यह बढ़ाया जाना चाहिये, क्योंकि खाड़ी के युद्ध में आज के युद्ध में वायु सेना के महत्व को भली भांति सिद्ध कर दिया है। राजस्थान और पंजाब के मैदानों में लिये वायु सेना का बड़ा भारी महत्व है। सरकार के इस रवैये से हम सहमत नहीं कि जो हो रहा है वह चलता रह सकता है जिसके लिए वायु सेना पर अधिक बल देने की आवश्यकता नहीं है हमें खाड़ी के युद्ध के सभी पहलुओं का ध्यानपूर्वक अध्ययन करना चाहिए, निगरानी, उपकरण संचार कमांड और कमांड का कार्य सम्पादन आदि के प्रकार पर विशेष ध्यान देना होगा और वह भी स्वदेशी साधनों से न कि अमरीकी साधनों से उससे निपटने की व्यवस्था करनी चाएिह। परन्तु हम अस्सीवें दशक के मध्य के वर्षों में ही चक्कर काट रहे हैं।

अभी तक एम॰ वी॰ टी॰ पर काम जारी है। प्रक्षेपणास्त्रों के बारे में हम दुविधा में पड़े हैं कि उनका क्या किया जाए।

मिग 21 और 29 विमानों को उन्नत करने के काम का निर्णय लेने में बहुत विलम्ब किया गया है। इसे बहुत पहले शुरू करके अब तक पूरा हो जाना चाहिए था। अब भी यह कार्य धीरे-धीरे हो रहा है जिसके पूरा होने में कई वर्ष लगेंगे। जब विमानों को वर्गोन्नत कर रहे हैं तो नये विमान क्यों लिये जाते हैं ? मुझे मालूम नहीं वर्गोन्नति के बाद उनमें क्या न्यूनताएं रहेंगी। जिन बहु-कार्य विमानों को हम आज खरीदने लगे हैं, उनका हमने पहले ही निर्माण क्यों आरम्भ नहीं किया, ताकि वह अब तक पूरा हो गया होता ? हमने जगुआर विमान का निर्माण अपने देश में आरम्भ करने का निर्णय किया था, क्योंकि जगुआर उस पंक्ति निर्माण का अन्तिम विमान था जो हमने खरीदे और उन्होंने भारत के लिए किट तैयार किए और फिर हमनें वर्षों तक उनको खरीदा, जोड़ा और उसके पुर्जे बनाए ताकि हम अपने देश में उसे बनाने की क्षमता धारण करें। अधिक विमान बनाने के प्रयोजनार्थ। परन्तु जब अन्तिम किट पूरी हुई तब हमने इसका निर्माण छोड़ दिया। यह आत्मनिर्भर होने का तरीका नहीं है। जब तक हम आत्म निर्भर नहीं होते, हमें ऐसे ही बाहर से उपकरण खरीदने पड़ेंगे। हम रूस की सहायता से विमान निर्माण कार्य कर सकते हैं। देश में सरकार की सहायता के बिना भी प्रतिरक्षा संबंध प्रौद्योगिकी ली जा सकती है। अमरीका से कई प्रौद्योगिकी वहां से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले लोगों के माध्यम से बाहर गई ईरान और पाकिस्तान के लोगों ने प्रशिक्षण लिया। भारत भी ऐसा प्रयत्न कर सकता है। जब उद्योग खरीद जाता है तो उपकरण भी नियंत्रण में आते हैं। विदेशी विशेषज्ञों को बुलाया जा सकता है। एक प्रसिद्ध वैलिस्टिक विशेषज्ञ तथा बुल जिसे बेल्जियम में उसके घर में इसराइलियों ने मार दिया था, क्योंकि वह अत्युत्तम बन्दूक बनाने में इराक की सहायता करता था। और तीन सोड़े पक्षेणास्त्र बना चुका था, जिससे उनकी मार की दूरी बढ़ाई जा सके। इस प्रकार के विशेषज्ञ अब उपलब्ध हैं, इस संबंध में हमने क्या किया है। ऐसे विशेषज्ञ रूस और सी॰ आई॰ एस॰ देशों में हैं और आने को इच्छुक हैं, वे अमरीका भी जाते हैं, इंगलैंड और अन्य देशों में भी जाते हैं हम भी उनको बुला सकते हैं। मैंने इंगलैंड में भोजन, आवास तथा दस पौंड मासिक पर लोगों को काम करते देखा है। हमने इस बारे में कुछ नहीं किया और पांच वर्ष बीत गए हैं, परन्तु हमने कुछ नहीं करा, क्योंकि रक्षा को हमने समुचित महत्व कभी नहीं दिया। इस वर्ष रक्षा का बजट सकल राष्ट्रीय उत्पाद का 2. 43 प्रतिशत है, जबकि पाकिस्तान में यह सकल राष्ट्रीय उत्पादन 7 प्रतिशत है, चीन के 5.53 प्रतिशत जोकि हमसे दोगुनी है। हमारे देश में सकल राष्ट्रीय उत्पाद के मुकाबले यह प्रतिशत बजुत कम है।

हमारी जनसंख्या की तुलना में हमारी सेना भी सबसे छोटी है। एक हजार लोगों के पीछे सैनिकों की संख्या पाकिस्तान में 6.98 है जबकि भारत में केवल 1.28 है। हमारी सरकार ने बजट में रक्षा विभाग को अधिक महत्व नहीं दिया है।

हमें रक्षा के संबंध में समूचे प्रश्न पर पुनर्विचार करना होगा। देश की रक्षा के लिए केवल वर्तमान का नहीं अपितु भविष्य की आवश्यकताएं भी देखी जाती हैं। राष्ट्रीयहितों का निश्चय करने के लिए हमें न्यूनतम स्तर की सर्वसम्मता बनानी चाहिए, जो राष्ट्रीय सामरिकी तथा राष्ट्रीय रक्षा नीति के द्वारा देश की रक्षा हेतु सबको स्वीकार्य हो।

**5.32 म॰ प॰**

**(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)**

कुछ अन्य मामलों के बारे में भी मैं कुछ कहना चाहूंगा। एयर मार्शल ला फोंटेन की अध्यक्षता में, विमान दुर्घटनाओं को रोकने हेतु बनी अति उच्च समिति ने अपनी रिपोर्ट में 1982 या 1983 में कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें की थीं जिनमें से एक यह थी कि हमारे पास एक उन्न जैट प्रशिक्षक विमान होना चाहिए। इस विमान की आवश्यकता का उल्लेख पहले भी किया जा चुका है। पहले भी एक उच्च स्तरीय समिति ने पहले भी यही सिफारिश की थी। सरकार को इसे मान कर तुरन्त कार्यवाही करनी चाहिए थी। परन्तु आज तक सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। सरकार इसके अधिग्रहण उसकी प्रणाली और निविदा मंगाने तथा उन्हें जांचने का कार्य शुरू कर चुका है और वाणिज्यिक शर्तों को तैयार कर रही है। परन्तु 11-12 वर्ष बीत जाने पर भी दुर्भाग्यवश यह विमान प्राप्त नहीं किया गया जबकि अब कई अन्य विकल्प भी सामने आ गये हैं अर्थात् 25-30 वर्ष पुराना विंटेज विमान के बारे में भी बातचीत चल रही है। अब हम उनको खरीदने के बारे में कहते हैं कि वे समूची मशीनरी उनको बनाने के लिए देंगे और हम देश में उनका निर्माण करेंगे। हमारे सामने जगुआर तथा एच॰ डब्ल्यू॰ पनडुब्बी के उदाहरण हैं, उन मामलों में जो हुआ वह दुर्भाग्यपूर्ण है। हम पुराने एच॰ आई॰ टी॰ विमानों को लेने वाले हैं, जबकि स्वयं रक्षा मंत्रालय के अनुसार उनका जीवन, जो 25 वर्ष से अधिक नहीं होता, बीत चुका है, डिजाइन भी और विमान भी पुराना हो चुका है। ये 1964 और 1974 के विंटेज विमान हैं, जिनको आने में दो-तीन वर्ष और लग जायेंगे। इस बीच कुछ नये अच्छे विमान बाजार में आ चुके हैं, परन्तु हम उनको नहीं ले रहे। क्योंकि हमें कुछ अधिक जल्दी है। मैं सरकार से अपील करता हूं कि इतने पुराने विमान न लेकर नये अच्छे विमान ले और वायु सेना की शक्ति को मजबूत करे।

वायु सेना पर अधिक बल दिया जाना चाहिये जोकि अभी तक नहीं दिया गया है और इसके लिए बजट में आगे और अधिक धन की व्यवस्था की जाये, इसे बजट के 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 33 प्रतिशत तक किया जाये।

नौसेना के बारे में विचारणीय यह है कि समुद्र में किस प्रकार का युद्ध होने की संभावना हो सकती है। चूंकि पाकिस्तान पनडुब्बियां ले रहा है अतएव हमें भी लेनी चाहिए क्योंकि हमारी सीमा उनके करीब है। सरकार की इस समय कोई नीति नहीं

है, अच्छी किस्म की अधिक संख्या में पनडुब्बियां ली जाएं उसे अपना दृष्टिकोण बदलना चाहिए। पाकिस्तानी पनडुब्बी का मुकाबला वैसी ही पनडुब्बी या परमाणु पनडुब्बी ही कर सकती है, हमें यह बात ध्यान में रखी चाहिए।

अब महोदय प्रतिरक्षा गवेषण एवं विकास संगठन को लें। एशिया स्ट्रेटेजिक रिवयू पुस्तक में लिखा है रूसी प्रयोगशालाओं में अनेक अर्ध-घातक हथियार बनाये जा रहे हैं जो उनकी परीक्षा जांच की जा रही है, जिनको रूस शीघ्र ही बनायेगा इनमें एक ध्वानिक हथियार भी है जो इतनी धीमी ध्वनि बारम्बार करेगा कि यह किसी व्यक्ति को ऐसे तरीके से चोट मारेगा कि वह कुछ समय तक कुछ नहीं कर सकेगा, परन्तु मरेगा भी नहीं। वहां लेजर बीम प्रौद्योगिकी भी हैं जो मनुष्य की आंख की पुतली पर आक्रमण करके उसे अंधा या आधा अंधा या वैसा बना दें। मैं साधारणतया इनके उपयोग के पक्ष में नहीं। परन्तु ये घातक हथियारों से तो बेहतर हैं। ऐसे हथियरों का प्रयोग देश में कार्यशील आतंकवादियों तथा उग्रवादियों से निपटने के लिए अवश्य किया जाना चाहिए। इस समय हमारे पास ऐसे हथियार नहीं हैं जो व्यक्ति को अशंत: नाकारा कर दें तथा उसे जान से न मारें। हमारे गवेषण एवं विकास संगठन को ऐसे हथियारों का पता लगाकर उनका निर्माण करने की ओर प्रयोगशालाओं में कुछ परितर्वन आदि करने की ओर ध्यान देना चाहिए। भविष्य में ऐसे अनेक अन्य उपकरण बनने जा रहे हैं। इस पुस्तक में बताया है कि रूसी प्रयोगशालाएं अब बहुत उन्नत हैं और व्यापार भी करती हैं तथा सरकार का उन पर अधिक नियंत्रण भी हो तो भी वह हमारे साथ उस प्रौद्योगिकी की भागीदारी करने में बाधक नहीं होगी, क्योंकि वे स्वयं बहुत धन खर्च करके अपनी सेनाओं का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं कि उनहोंने सब कुछ अमरीका के लिये छोड़ दिया है। बेशक अभी उनकी स्थिति कमजोर है। परन्तु जानकारी शास्त्रास्त्र आदि के द्वारा हमारी सहायता करने को तैयार हैं। हम उनकी सहायता से अपने उपकरणों और शास्त्रास्त्रों को अत्याधुनिक तथा बढ़िया किस्म का बना सकते हैं।

श्री जसवंत सिंह ने भी सैनिक स्कूलों के बारे में कहा है। मेरे राज्य में पुरुलिया में एक सैनिक स्कूल है। श्री वसुदेव आचार्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष हैं। उन्होंने बताया है कि इसकी हालत खराब है क्योंकि सरकार उसकी मरम्मत आदि कामों के लिए कुछ सहायता आदि नहीं देती।

सैनिक स्कूल स्थापित करने के पीछे एक विचारधारा थी। जिस विचारधारा से वह खोले गए थे, क्या वह छोड़ दी गई है ? यदि नहीं तो उनको ठीक ढंग से रखने, चलाने, ऊंचा उठाने की ओर सरकार को समुचित ध्यान देना चाहिए।

'एक रैंक के लिए एक पेंशन' का वचन भी दिया गया था, श्री वी० पी० सिंह की सरकार द्वारा यह वायदा किया गया था। परन्तु इस वचन को पूरा नहीं किया गया, हालांकि पेंशन भोगियों के लिए कुछ किया जरूर गया है। यह बहुत पुराना वायदा है जिसे पूरा किया जाना चाहिए। ब्रिटिश सरकार के समय नियम था कि एक रैंक के लिए एक पेंशन से यद्यपि वी० पी० सिंह की सरकार काफी कम समय के लिए सत्ता में रही परन्तु सरकार चाहे कोई भी हो उसे पिछली सरकार द्वारा दिये गए वचन को अवश्य पूरा करना चाहिए, चाहे सरकार बदल गई हो। इसे भी शीघ्र कार्यान्वित किया जाना चाहिए।

रक्षित बलों के बारे में मैं पहले ही कह चुका हूं। प्रादेशिक सेना के लिए जनता का बड़ा भारी सहयोग लिया जा सकता है। परन्तु बहुत समय से इसकी उपेक्षा हो रही है। आज इसकी संख्या अपेक्षित का 40 प्रतिशत भी नहीं। इसे एक लाख का लक्ष्य पूरा करना चाहिए। यह 40,000 भी नहीं। अत: इसकी संख्या बढ़ाकर इसको उन्नत बनाया जाए और इसके लिए सरकार द्वारा अधिक धन दिया जाये। यह परमावश्यक है। 1949 में प्रादेशिक सेना का लक्ष्य एक लाख की संख्या रखा गया था। तब से जनसंख्या दुगनी हो गई है और अब प्रादेशिक सेना की संख्या भी दो-ढाई लाख की होनी चाहिए, क्योंकि भारतीय सेना की संख्या भी उस समय ढाई लाख थी जिसे अब बढ़ाकर दस लाख किया गया है। इसे चार गुना बढ़ाया गया है। उनको उपयुक्त ढंग का प्रशिक्षण देकर आपातकाल के लिए अत्यन्त उपयोगी बनाया जा सकता है। युद्ध में भी प्रादेशिक सेना सहायक कार्य कर सकती है और आवश्यकता पड़ने पर अग्रिम मोर्चे भी संभाल सकती है। अत: प्रादेशिक सेना उन्नति की ओर विशेष ध्यान दिया जाये।

अतएव इन सब बातों की ओर रक्षा बलों तथा रक्षा मंत्रालय को खूब ध्यान देकर इनको ठीक रखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मुझे समय देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

**श्रीमती गिरिजा देवी (महाराजगंज)** : उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया और मेरी पार्टी ने मुझे इस काबिल समझा कि देश की सुरक्षा, व्यवस्था पर मैं अपने विचार प्रकट करूं। इन लोगों के मुकाबले, जसवंत सिंह जी के मुकाबले, जिन्होंने अपनी आधी जिन्दगी सेना में बिताई है, सांवत जी के मुकाबले, जिन्होंने एक फौजी के रूप में अपने नौजवानी के 15 वर्ष बिताए हैं और उन लोगों के भी मुकाबले डिफेंस की स्टेंडिंग कमेटी के मेम्बर हैं, मैं इनमें से किसी में से भी नहीं हूं। लेकिन भारत की नागरिक होने के नाते देश की सुरक्षा, न केवल इसकी सीमा की सुरक्षा बल्कि इसके सम्मान की सुरक्षा, इसके समाज की सुरक्षा, इसकी संस्कृति की सुरक्षा, ये सारे आयाम ऐसे हैं कि कोई भी नागरिक उससे अनछुआ नहीं रहता।

मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जहन में जब कभी भी किसी के सम्मान की बात उभरती है तो मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा और अदियारियों के बाद सेना के जो कमांड के दफ्तर हैं वहां जाने पर एक अजीब मानस से सम्मान की भावना उठती है और

यह लगता है कि यह वीर जवान अपने घर से, अपने स्वजन, परिजन से दूर, चाहे तो वह बर्फीली पहाड़ियां हों, सियाचीन का ग्लेशियर हो या हिमालय के पर्वत खंड हो, समुद्र की उत्ताल तरंग हों, मरुस्थल हों या कहीं भी उथल-पुथल हो, उन सब जगहों पर हमारे बहादुर हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं और ज़ान जोखिम में डाल कर हमारे लिए देश के लिए लड़ते रहते हैं।

महोदय, यदि बजट आकलन किया जाए तो यह चन्द मिनटों की बात है। सभी विभागों से मांगें प्रस्तुत की जाती हैं औ वित्त मंत्री जी उसमें कमोबेश करके देते रहते हैं। हमारा रक्षा विभाग ऐसा विभाग है, जिसमें कटौती करने से पहले हर आदमी की कलम रुक जाती होगी। इनमें न केवल सैनिकों के खाने, पहनने और खुशहाली का सवाल है, बल्कि पूरे देश की खुशहाली का सवाल इससे जुड़ा हुआ है। हमारी सीमायें असुरक्षित होंगी, हमारा समाज असुरक्षित होगा तो देश का विकास नहीं हो सकेगा। हम अपनी सुरक्षा की सारी जिम्मेदारी इस विभाग को देकर अपने देश की बेहतरी और विकास में लग जाते हैं।

मान्यवर, दो वर्षों से यह सुनने में आ रहा है कि हमने सेना को या डिफेंस को बहुत कुछ दे दिया है, बहुत अहमियत दे रखी है। लेकिन जब हम सकल विश्व की ओर दृष्टि डालते हैं तो अपनी हालत देखकर एक बार मन बैठ जाता है। डिफेंस बजट केवल आंकड़ों में नहीं देखा जा सकता। हमारी सीमायें बहुत लम्बी चौड़ी है। पाकिस्तान के साथ तीन सौ किलोमीटर, बंगलादेश के साथ चार सौ किलोमीटर और चीन के साथ पांच सौ पचास किलोमीटर जुड़ी हैं। इसके साथ-साथ हमारी समुद्री सीमायें भी हैं जो हमेशा विदेशी आक्रांताओं और समाज के कुछ तत्वों से असुरक्षित रहा करती हैं।

हमारी सेना का इतिहास गौरवपूर्ण रहा है। सन् 1947 के बाद हमने कई देशी और विदेशी लड़ाइयां लड़ी हैं। सन् 1962 में चीन से, 1965 में पाकिस्तान से और 1971 से बंगलादेश की स्वतंत्रता की लड़ाई हमने लड़ी हैं। और बीच में गोवा की स्वतन्त्रता की लड़ाई भी लड़ी है। यह फख की बात है कि इन सभी लड़ाइयों में हम विजयी रहे हैं।

सेना की कुछ दुखती रगें भी हैं। जिनकी ओर दृष्टिपात करना बजट परीक्षण के समय आवश्यक है। जसवंत सिंह जी ने अपने दो घंटे के लम्बे व्याख्यान में बहुत सी बातें कहीं हैं। जिनको मैंने पूरे ध्यान से सुना है। भले ही यह विषय से एक कलाकार से बेगाना है, लेकिन सुरक्षा सबके लिए आवश्यक है। दूसरों के हाथ में सुरक्षा देकर अपने विकास की कहानी कोई कैसे कह सकता है। इसलिए मैंने सारी बातों को अच्छी तरह सुना है और ऐसे फौजी की जबानी सुना है जिसकी सारी जवानी फौज की सेवा में लगी है। अब वे यहां आकर सेना की सुरक्षा बजट में कैसे कर सके, इस पर अपना मंतव्य दिया है। उनके द्वारा प्रकट किये गये सभी मंतव्यों से मैं अपने को सम्बद्ध करती हूं, लेकिन एक मंतव्य के साथ मैं अभी तक तालमेल नहीं बिठा सकी हूं। वह है कि सेना का मंत्री कौन हो ? इसमें मेरा मन्तव्य अभी तक उनके साथ समझौता नहीं कर सका है। पता नहीं, प्राइम मिनिस्टर रहने के साथ-साथ रक्षा मंत्री रहने में उनको कौन सी बाधा लगती है ? यदि यह मामला उम्र के साथ जोड़ा जा रहा है तो बहादुर कुंवर सिंह की कहानी उनसे बेगानी नहीं है। देखा जाये तो बहुत सारी चीजों की व्यवस्था के ऊपर एक व्यक्ति होता है, उसको सारी नीचे की व्यवस्थायें देखनी होती हैं। सेनानायक एक होता है, उसके बदलने से पीछे चलने वालों की चाल बदल जाती है। चाबुक बदल जाता है और दुलकी तथा सरपट बदल जाती है। ...(व्यवधान)... पहली बार कोई महिला डिफेंस पर बोल रही है इसलिए नो इंटरप्शन प्लीज।

महोदय, कहा जा रहा है कि हमने बहुत कुछ दे दिया है, लेकिन जी डी पी में देखेंगे तो पता चलता है कि कुछ नहीं दिया है। हमारी सीमाएं किससे असुरक्षित हैं, बगल में पाकिस्तान बैठा हुआ है, चीन है, जो कभी हमारी ही संस्कृति का अंग रहा है। उधर बंगलादेश है और हमारी समुद्री सीमायें हैं। इन सब पर अगर नजर डालें तो पंचशील पंचतत्व में विलीन हो गया है। उस फिलासफी ने काम नहीं किया, वह फेल हो चुकी है। हमारी सीमाएं सुरक्षित करने के लिए सुदृढ़ सैन्य शक्ति की जरूरत है। सियाचिन के नीचे शंघाईचीन का जो क्षेत्र है, 1962 में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया है लेकिन उसको गंवाया है, अनिर्णीत है। बगल में पाकिस्तान हमेशा लड़ाई के लिए दस्तक देता रहता है। यह हमारे टालरेंस का जीता-जागता नमूना है कि हम सेज वहां पर युद्ध नहीं छेड़ देते हैं। लेकिन यह कब तक चलने वाला है ? इन सारे रास्तों से जहां कही यह सारा हमारा ही क्षेत्र था और इसमें कहीं न कहीं से हमारे अंदर कमजोरी आ गई है। हमारे तालमेल के अंदर कमजोरी आ गई है इसलिए अमरीका वहां बैठकर सौदेबाजी करता है। अमरीका के पास क्या है, एकमात्र एटम-बम जो छूटा है, वह अमरीका के द्वारा छूटा है। वह सबसे बड़ा आयुध विक्रेता है। अमरीका और रशिया में क्या फर्क था, केवल यही फर्क था कि कौन सबसे बड़ा आयुध विक्रेता है। कौन सारी दुनिया को युद्ध की विभीषिका में झोंकता रहे और अपने आयुधों का व्यापार करता रहे। इसको छोड़कर मेरे खयाल में अमरीका और रुस का दूसरा कोई अंतकरण में फर्क नहीं दिखाई पड़ता है। इस तरह से केवल पाकिस्तान की उपस्थिति हम अपने पड़ौस में न माने, बल्कि पाकिस्तान के रास्ते अमरीका हमारे यहां हमेशा उपस्थित रहता है। हमारी सीमाओं में पूर्व-पश्चिम दक्षिण में भी 'दिआगो-गार्शिया के रास्ते अमरीका वहां बैठा हुआ है। इसलिए हमको अपनी सुदृढ़ सैन्य शक्ति के बढ़ाने की बहुत ही आवश्यकता है। यदि इन आवश्यकताओं को हम देखें तो चीन अपने जी डी पी का 5.5 प्रतिशत खर्च करता है। हमारा पड़ौसी सात प्रतिशत खर्च करता है। हमने पिछले साल 2.5 प्रतिशत खर्च किया था। इस साल 00.07 प्रतिशत घटा दिया है। हम कह रहे हैं कि हमने बढ़ा दिया है, इस साल 25,000 करोड़ रुपया दे रहे हैं, पिछले साल इससे कम दिया था। केवल आंकड़ों की ही बात की जाये तो इस साल

पिछले वर्ष से 7.78 प्रतिशत की वृद्धि की गई है तो मुद्रास्फीति की दर 11-12 प्रतिशत के करीब कर दी है, बढ़ा दी है। इसलिए हमने दिया नहीं है, बल्कि कटौती की है। रक्षा के बजट में कमी करके कैसे हम अपनी मारक शक्ति बढ़ा लेंगे। इन सारी बातों को ध्यान देना होगा। इसके पहले माननीय बूटा सिंह के नेतृत्व में जो स्टेंडिंग कमेटी बनी थी, उसकी रिपोर्ट को मैंने पढ़ा था। जब मैं उसको पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि रक्षा के व्यय में कहां-कहां कटौती की जाये। मैं मानती हूं कि आज की लड़ाई शरीर और मल्ल युद्ध की लड़ाई नहीं है। वह आयुधों की लड़ाई होते-होते आज आकाश-पाताल तक ही सीमित नहीं रह गई है, बल्कि मस्तिष्क की लड़ाई एटोमिक एज से होते-होते इलेक्ट्रानिक्स बार का युद्ध आ गया है।

इसलिए यह अपने संकल्प की लड़ाई हो गई है और उसके साथ-साथ साधनों की भी लड़ाई हो गयी है। इस आधार पर हमें देखना है कि हमने डिफेंस के लिए जो दिया है उससे हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित हैं या नहीं हैं। इसका आंकलन यदि हम करते हैं तो हमारा मन बैठने लगता है। हमने यह कहा है कि हमारी फौजें बहुत लम्बी-चौड़ी हैं और उनका आकार भी कम होना चाहिए। बहुत सारी कटौती भी हमने कर दी है और कुछ सौ रुपए हमने इस तरह से बचा लिए हैं। महोदय, बचाना अवश्य चाहिए लेकिन बचत कहा-कहां हो इसके लिए भी हमें दृष्टिपात करना चाहिए। हमारी जो थलसेना है उसके अलावा भी सेनाएं हमने बना ली हैं। एक है हमारी राष्ट्रीय राइफल्स। यह हमने इसलिए बनाई कि हमारी जो पैरा-मिलिटरी फोर्सि हैं जिसमें सी॰ आर॰ पी॰ एफ॰ या बी॰ एस॰ एफ॰ है। जिनकी क्रमवार संख्या 180 और 200 टुकड़ियों की है इनको हमने अक्षम पाया और सोचा कि सेना के जो सुशिक्षित नौजवान हैं जिनके पास इन लोगों से ज्यादा संकल्प-शक्ति है हम उनके हाथों में अपने समाज की सुरक्षा देंगे। हमारे समाज में बहुत बड़ी ज्वाला फूटती है और उसके अन्तर्गत हमने असम में बजरंग और राइनो दो अभियान चलाए हैं और कश्मीर में भी बागडोर सेना के हाथ में ही है तथा जब-जब दंगे भड़कते हैं तब-तब हम सेना पर आश्रित हो जाते हैं-चाहे वह कानपुर हो, लखनऊ हो या अयोध्या का कांड हो, हमेशा हमें सेना के आश्रित रहना पड़ता है। इन सारी बातों में हमें सेना को बुलना पड़ता है। हमारी रक्षा-पंक्ति में, हमारे राज्य का जो सुरक्षाबल है उसकी दूसरी पंक्ति में जो पैरा-मिलिटरी फोर्सि है और तीसरी पंक्ति में जो सेना है जोकि केवल सुरक्षा के लिए आती है इन सबको समाप्त कर देना चाहिए या रखना चाहिए या इनका समन्वय करना चाहिए। इन सारी बातों पर न ही डिफेंस के बजट और न ही आज जो प्राक्कलन प्राप्त हुआ है उसमें कहीं जिक्र हुआ है। इसलिए सेना को अगर हम अपने समाज से, इसकी व्यवस्था से और परेशानियों से दूर रखकर देखेंगे तो काम चलने वाला नहीं है। डिफेंस के बारे में यह कहा जाता है कि यह मंत्रालय नीतिगत ढांचा तैयार करता है तथा सेना को साधन भी उपलब्ध करवाता है। नीतिगत ढांचे पर भी हमने बहुत सारी पॉलिसी बनाई है। लेकिन हमारी डिफेंस की पॉलिसी क्या हो इस पर हमारी कोई भी स्पष्ट नीति नहीं है और इस अस्पष्ट नीति के कारण ही जब कहीं पर डिफेंस के लोग भेज दिये जाते हैं तो चार दिन के बाद कमरों में बैठकर हम कहने लगते हैं कि उसका कोई औचित्य नहीं है और उनको वापस बुला लेते हैं। इसी बीच सेना के सिपाही और अफसर मौत के घाट उतर गये होते हैं। इस तरह के सारे घाटे जो हमें उठाने पड़ते हैं वह हमारी कोई स्पष्ट नीति न होने के कारण उठाने पड़ते हैं

**...(व्यवधान)...**

**उपाध्यक्ष महोदय** : आप अपना भाषण पूरा करने में और कितना समय लेंगी ?

**श्रीमती गिरिजा देवी** : मैंने केवल 15 मिनट लिये हैं। मुझे और समय की जरूरत है। मैं आज अपना भाषण पूरा नहीं कर सकूंगी।

**अध्यक्ष महोदय** : आप कल अपना भाषण जारी रख सकती हैं।

**अब, सभा कल, 9 मई, 1995 को 11.00 म॰ पू॰ समवेत होने के लिए स्थगित होती है।**

**6.00 म॰ प॰**

**तत्पश्चात लोक सभा मंगलवार, 9 मई, 1995/19 वैशाख, 1917 (शक) को ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**